उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023

खण्ड -1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2022–23
खण्ड–1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड सरकार
100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
दूरभाष/फैक्स: 0135–2712604
ई–मेल: dirdesuk@gmail.com
dir-des-uk@nic.in
वेबसाइट: www.des.uk.gov.in

डॉ0 सुखवीर सिंह सन्धु
आई.ए.एस
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सरकार प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करती है, जो राज्य सरकार के कार्यक्रमों, नीतियों तथा राज्य के विकास को प्रदर्शित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की आर्थिक एवं विकास की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है तथा भविष्य हेतु नवीन नीतियां बनाने तथा नये अवसरो हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में जहाँ एक ओर आर्थिक विकास का विवरण है वही दूसरी ओर सभी प्रमुख सामाजार्थिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

कोविड–19 महामारी के उपरान्त विगत दो वर्षों ने राज्य में कोविड–19 से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट का सामना करते हुये पुनः आर्थिक विकास की गति को प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा अगले 05 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने एवं सशक्त उत्तराखण्ड बनाने के लक्ष्य की बचनबद्धता के साथ कार्य प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकार का फोकस सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम–जनमानस के लिये उपयोगी बनाना है। इसी प्रयास में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को विकास की धारा में अन्तिम छोर तक पहुंचाने के लिये सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022–23 में वित्तीय वर्ष 2022–23 की माह दिसम्बर तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों तथा माह मार्च तक की प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रकाशन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा ससमय तैयार किया गया है, जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा। उक्त प्रकाशन नीति–निर्धारकों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022–23 (भाग–1) को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(डॉ0 सुखवीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
आई.ए.एस
सचिव

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय,4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड शासन

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का षष्टम आर्थिक सर्वेक्षण भाग– 01 वर्ष 2022–23 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भॉति इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न उतार चढावों, विगत वर्षों की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में राज्य द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष के दौरान विकास की प्रवृति के संबंध में अनुमान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों को बताने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की आर्थिक विकास दर को अगले पांच वर्षों में दोगुनी करने, सशक्त उत्तराखण्ड @25 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों के सहयोग से रोडमैप तैयार किया जा रहा है। जिसमें राज्य की आय में वृद्धि, आय के नये संसाधनों की खोज, अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, शहरी विकास आदि सेक्टर की अधिकतम सम्भावनाओं का उपयोग, जैविक कृषि, उद्यानीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये माइक्रों पलानिंग जैसी योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

राज्य सरकार के अभिनव प्रयासों से राज्य में उत्तराखण्ड @ 25 के अन्तर्गत विभिन्न नीतियां तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक बनाना, परिसम्पतियों के मुद्रीकरण, पीपीपी परियोजनाओं आदि के लिये पृथक ईकाई विकसित करना, टाउनशिप विकसित करना, जलमग्न भूमि जोन (Flood Plain Zone) बनाना, नवीनीकरण (Renewable) उर्जा के उपयोग को बढाना, सडक सुरक्षा तन्त्र तैयार करना, राज्य में इलेक्ट्रानिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए राज्य की ई–वेस्ट नीति बनाना, ड्रोन स्कूलों की स्थापना, उच्च शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देना तथा होमस्टे में विपणन समर्थन के लिये एग्रीमेटर मंच की स्थापना आदि योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिससे सशक्त उत्तराखण्ड @25 की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

विगत वर्ष की भांति विभिन्न विभागों द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार के प्रयास किये गये है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अमृत योजना, पोषण योजना, समग्र शिक्षा अभियान एवं राज्य में निवासियों का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) जैसी योजनाओं से शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर बल दिया जा रहा है। राज्य के विकास को और तेजी से बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार के सहयोग से ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऑल वेदर रोड, हवाई पट्टियों का विस्तार कर अधिक से अधिक स्थानों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए ''उड़ान योजना'' जैसी योजनाओं पर तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन, परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु श्री सुशील कुमार, निदेशक की अध्यक्षता, श्री पंकज नैथानी, अपर निदेशक के मार्गदर्शन तथा डॉ0 मनोज कुमार पंत अपर निदेशक के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों– डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, उप निदेशक, श्री निर्मल कुमार शाह, उप निदेशक, श्री ललित मोहन जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री संदीप पाण्डेय, श्री रितेश कुमार, श्री रितेश शर्मा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तथा अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक– श्री जी0एस0पाण्डेय, सुश्री चित्रा, श्रीमती गीतांजली शर्मा, उप निदेशक– श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्री अमित पुनेठा, श्रीमती रश्मि हलधर एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी– श्री ललित आर्य, श्री सतेन्द्र कुमार, श्रीमती ज्योति जोशी, श्री संजय शर्मा, श्री अतुल आनन्द, शोध अधिकारी श्री महेश चन्द कपिल, श्री पूरन सिंह तोमर, चीफ कार्टोग्राफर श्री जे0सी0 चन्दोला तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्रीमती शालू भटनागर, श्रीमती गायत्री, श्री आलोक कुमार, श्री बृजेश कुमार, सुश्री सीमा धीमान, श्रीमती शालिनी राठौर, श्री सुन्दर सिंह तोमर, श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण एवं श्रीमती किरन शर्मा एवं सी.पी.पी.जी.जी. के विशेषज्ञ श्री शैलेन्द्र कुमार तथा करूणाकरन का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यो में सहयोग देने हेतु श्री दीपक सिंह गुसाई तथा अन्य समस्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों / अन्वेषक–कम–संगणकों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅं।

अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं डॉ0 एस0 एस0 सन्धु, मुख्य सचिव महोदय का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूॅं। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, ऑकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूॅं। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूॅं।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2022–23
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xiv
	राज्य की अर्थव्यवस्था	
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–19
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	20–38
3	कराधान	39–51
4	भाव संचलन	52–55
	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	
5	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	57–85
6	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	86–98
7	सहकारिता	99–109
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	110–115
9	वन एवं पर्यावरण	116–126
	सेवा क्षेत्र	
10	परिवहन एवं संचार	128–136
11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	137–148
12	बैंकिग एवं संस्थागत वित्त	149–166
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	
13	विद्युत	168–179
14	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	180–206
15	सड़क एवं रेल	207–217
16	उद्योग	218–248
17	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	249–256
	ग्रामीण एवं शहरी विकास	
18	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	258–273
19	शहरी विकास एवं आवास	274–282

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	मानव विकास	
20	शिक्षा	284–303
21	स्वास्थ्य	304–323
22	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	324–333
23	सतत् विकास लक्ष्य	334–346
24	खेल एवं युवा कल्याण	347–357
25	समाज कल्याण	358–375
	ई–सुशासन	
26	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	377–397
27	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	398–403
	परिशिष्ट	404–420

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF-	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSIR-	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC-	Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC-	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS-	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC-	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DPA-	Direct Productive Activities
DPR-	Detailed Project Report
DPS-	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Information System
INDCs-	Intended Nationally Determined Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister’s Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Prantiya Raksha Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR-	Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Revised Estimates
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI-	Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS-	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Skill Birth Attendant
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Mention Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
ST-	Scheduled Tribes
STIs-	Sexually Transmitted Infections
STP-	Sewerage Treatment Plant
STPI-	Software Technology Parks of India
STSAO-	Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP-	Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS-	State vaccine store
SWAN-	State Wide Area Networks
SWIS-	Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM-	State Water and Sanitation Mission
TAC-	Technical Assistance Center
TB-	Tuberculosis
TEQIP-	Technical Education Quality Improvement Programme
TERT-	Tata Energy Research Institute
TFR-	Total Fertility Rate
THDC-	Tehri Hydro Development Corporation
TMP-	Training Management Portal
ToR-	Term of Reference
TPS-	Town Planning Scheme
TRC-	Technical Resource Centre
TSP-	Tribal Sub Plan
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UA-URIP-	Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV-	Unmanned Aerial Vehicle
UBRI-	Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE-	Uttarakhand Board of School Education
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB-	Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST-	Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID-	Unique Disability ID
UDISE-	Unified District Information System for Education
UDRP-	Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP-	Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS-	Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND-	Urban Health and Nutrition Day
UIDAI-	Unique Identification Authority of India
UJS-	Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL-	Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP-	Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR-	Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP-	Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

राज्य की अर्थव्यवस्था

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021–22 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 8.7 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2022–23 में विकास दर 7.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2021–22 में ₹ 236.65 लाख करोड़ तथा वर्ष 2022–23 में लगभग ₹ 273.08 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2021–22 में ₹ 147.36 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में लगभग ₹ 157.60 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2022–23 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः खनन एवं उत्खनन क्षेत्र (37.4 प्रतिशत), विनिर्माण क्षेत्र (8.1 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाएं (24.4 प्रतिशत) सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं (14.2 प्रतिशत) निर्माण उद्योग (16.6 प्रतिशत) बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं (29.4 प्रतिशत) वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (14.4 प्रतिशत) तथा कृषि, वन व मत्स्य क्षेत्र में (12.5 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2022–23 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20.96 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.63 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 53.41 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021–22 में ₹ 1,50,007 थी, जो वर्ष 2022–23 में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹1,70,620 होने का अनुमान है।

उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल, व रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के उत्पादन में उतार–चढ़ाव के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता, विरासत, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्धि हुई अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है, जिस कारण प्रदेश एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 राज्य की विकास दर में वर्ष 2020–21 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार –5.38 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2021–22 में इसमें 7.05 प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है।

2.2 वर्ष 2020–21 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,38,857 करोड़ आंकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2021–22 में यह ₹ 2,65,488 करोड़ रहने का अनुमान है।

2.3 स्थिर भावों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अनन्तिम) वर्ष 2020–21 में ₹ 1,79,538 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 1,92,203 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2.4 वर्ष 2021–22 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का विश्लेषण करने पर निर्माण (17.15 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं (13.34 प्रतिशत), लोक प्रशासन (9.80 प्रतिशत) परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (7.40 प्रतिशत) स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें (8.44 प्रतिशत) तथा अन्य क्षेत्र (5.35 प्रतिशत) में उच्च वृद्धि दर आंकी गई है जबकि वित्तीय क्षेत्र (4.20 प्रतिशत) तथा

व्यापार, होटल एवं जलपान गृह (3.73 प्रतिशत) में निम्न वृद्धि दर आंकी गई है।

2.5 राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करने पर वर्ष 2021—22 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 46.21 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 41.43 प्रतिशत रहा है।

2.6 वर्ष 2020—21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनन्तिम) ₹ 1,85,761 आंकी गई, जबकि वर्ष 2021—22 में यह ₹ 2,05,840 अनुमानित है।

2.7 वर्ष 2022—23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 51,474 करोड़ है जोकि वर्ष 2021—22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 43,701 करोड़ से 17.79 प्रतिशत अधिक है।

2.8 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2022—23 (बजट अनुमान) मे ₹ 9130.16 करोड़ आंका गया हैं।

2.9 वर्ष 2022—23 हेतु राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 3.02 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है एवं आर्थिक विकास की दर 7.08 प्रतिशत अनुमानित है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की प्रति व्यक्ति आय मे भी गत वर्ष के सापेक्ष 10.05 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है जिसके आधार पर यह लगभग ₹ 233000 अनुमानित है।

3 कराधान (Taxation)

3.1 राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

3.2 दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000—2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2021—22 तक लगभग 56 गुना बढ़कर ₹ 13,073.86 करोड़ (₹ 4,808.04 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 9,327.64 करोड़ (₹ 1,790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा।

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर 2021 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 8359.08 करोड़ (₹ 4,212.99 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में दिसम्बर, 2022 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 7418.33 करोड़ (₹ 1790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 प्रतिशत कम हैं।

3.4 वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर कुल ₹ 1692.22 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1,909.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

3.5 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2022—23 के माह दिसम्बर 2022 तक की जी0एस0टी0 अवधि में कुल ₹ 9,327.65 करोड़ (₹ 1790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष 2021—22 में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 10051.30 करोड़ (₹ 4213 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) से 7 प्रतिशत कम है।

3.6 राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 4213 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 1790.50 करोड़ रही है। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021—22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में उक्त मद में राज्य के राजस्व संग्रहण में वृद्धि परिलक्षित हुयी है।

3.7 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर कुल ₹ 1692.22 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1909.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 13 प्रतिशत अधिक है।

3.8 उत्तराखण्ड शासन की अधिसचूना संख्या—717, दिनांक 30.09.2021 द्वारा एविएशन टरबाईन फ्यूल (ए0टी0एफ0) पर कर की दर 20 प्रतिशत से कम करते हुए 02 प्रतिशत की गयी है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2021—22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में ए0टी0एफ0 पर राज्य को प्राप्त होने वाले कर में कमी प्रदर्शित हो रही है।

3.9 वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹ 1,332.51 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2022—2023 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹ 1,860.79 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 39.64 प्रतिशत अधिक है।

3.10 बिल लाओ ईनाम पाओ योजना ग्राहकों को खरीद का बीजक/बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने एवं बिक्री पर बीजक/बिल नहीं दिये जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग द्वारा बिल लाओ ईनाम पाओ योजना लागू की गयी है। यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार दिये जायेंगे तथा योजना की समाप्ति पर मेगा पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत ग्राहकों के द्वारा BLIPUK App. के माध्यम से खरीद के बिल अपलोड किये जा सकते है।

3.11 जी0एस0टी0 मित्रः— उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे करदाताओं को जी0एस0टी0 प्रणाली से अवगत कराये जाने एवं सहायता प्रदान करने तथा शिक्षित युवाओं हेतु स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य एवं विधिक प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने हेतु जी0एस0टी0 मित्र की अवधारणा विकसित की गयी। जिसके अन्तर्गत पूरे राज्य में जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त कुल 1698 जी0एस0टी0 मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3.12 वित्तीय वर्ष 2021—22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹ 1077. 34 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022—23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त आय ₹ 1454.06 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 34.96 प्रतिशत अधिक है।

4. भाव संचलन

4.1 उत्तराखण्ड राज्य में CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार हैः खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45. 86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2. 38%);कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6. 84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.2 राज्य में मंहगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद् में वित्तीय अनुशासन (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा संतुलित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से पारित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुये राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में निरन्तर रखा जा रहा है।

4.3 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति की दर

(+) 6.01 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2022 माह में 5.72 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

5 कृषि, गन्ना एवं उद्यान

5.1 भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)'' योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि ₹ 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। प्रदेश में दिनांकः 31 दिसम्बर, 2022 तक 9.70 लाख कृषक पंजीकृत हो चुके है तथा वर्तमान में क्रियाशील कृषकों की संख्या 9.09 लाख को ₹ 1903.68 करोड़ धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5.2 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर, 2022 तक 176659 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए है।

5.3 भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लद्यु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 2090 कृषक पंजीकृत है।

5.4 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 140635 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2022–23 में 27311.47 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत 168.42 करोड़ का बीमा किया गया है। माह जनवरी के अन्त तक बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2022 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2022 से योजना ग्रामपंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है।

5.5 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के प्रथम चक्र (वर्ष 2015–2016 से 2016–17) में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। योजना के द्वितीय चक्र (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) में 8,82,797 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।

5.6 राज्य में यूरोपियन वेजिटेबल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से ब्रोकली, ब्रेसेल्स स्प्राउटस, लाल बन्दगोभी, बुश स्केश, चेरी टोमेटो, चायनीज कैबेज, न्यूजीलैण्ड पालक, एस्परेरेगर्स, विलायती पालक, व स्टेम लेटयूसे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मांग बडे शहरों में काफी अधिक है। कृषकों को इसकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। वर्तमान में राज्य में लगभग 80 है0 में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है।

5.7 राज्य में मसालों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।

5.8 राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। राज्य गठन के समय मात्र 150 है0 में पुष्पों की खेती होती थी, जो वर्तमान में लगभग 1609.31 है0 हो गयी है।

5.9 राज्य में शहद उत्पादन तथा पर परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के अन्तर्गत व्यक्तिगत मौनपालकों को फलोत्पादन में वृद्धि हेतु मौनवंशो को परागण हेतु उद्यानों में रखने हेतु राजसहायता दी जा रही है। राज्य में 6162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से वर्ष 2022–23 में लगभग 1600 मी0टन शहद का उत्पादन किया गया है।

5.10 राज्य में ₹ 100–100 करोड़ की लागत से

पतंजली फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसस्करण इकाईयां स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेडा, काशीपुर, उधमसिंहनगर में 25 खाद्य प्रसस्करण इकाईयां स्थापित की गयी है।

5.11 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 21000 कृषकों द्वारा 7652 है0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1708 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। संगन्ध फसलों के प्रंसस्करण हेतु 187 आसवन संयत्रों की स्थापना की गयी।

6 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

6.1 नेशनल डिजीटल लाइवस्टॉक मिशन के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रुप में योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल, 2021 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें गौवंशीय एवं महिशवंशीय पशुओं को शत प्रतिशत यूआईडी ईयर टैग द्वारा Information Network for Animal Productivity and Health में पंजीकरण किया जाना हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं चिकित्सा संबंधी सूचनाओं को डिजिटल रुप में Information Network for Animal Productivity and Health में अपलोड किया जाता है।

6.2 40 मै0टन प्रतिदिन क्षमता के Automatic Compact Fodder Block Manufacturing Unit की स्थापना चारा बैंक, श्यामपुर ऋषिकेश एवं चारा बैंक पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में किया जा रहा है।

6.3 भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय किये गये है तथा गत वर्ष माह दिसम्बर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 338 Pure line एवं 1460 Cross line उच्च्य गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई। आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ों में प्रसारित करने के उददेश्य से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी है।

6.4 राज्य के 10 सीमान्त पर्वतीय भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन ग्रोथ सेन्टर स्थापित कर भेड़ पालको को मशीन रिपेयरिंग, ऊन की ग्रेडिंग, गुणवत्ता की जांच एवं ऊन जैविक प्रमाणीकरण का प्रयास कर ऊन उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाया जा रहा है।

6.5 BAKRAW- the Himalayan Goat Meat के 10000 से अधिक उपभोक्ता है, जिसमें देहरादून व दिल्ली के नागरिक, LBSNAA Mussourie, 7&5 Star Hotels, Restaurants तथा अन्य राजकीय व निजी संस्थान भी सम्मिलित है।

6.6 भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाईल वैटनेरी यूनिट क्रय कर पशु पालको के द्वार पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पशु पालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाईन नम्बर–1962 का शुभारम्भ किया गया।

6.7 राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 879.79 हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है।

7 सहकारिता

7.1 उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 की कुल 307 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में

राज्य में विभिन्न प्रकार की 2947 सहकारी समितियाँ संचालित हैं।

7.2 "संकल्प से सिद्धि" एवं किसानों की आय को दो गुना करने' के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

8 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

8.1 वर्तमान में राज्य की 9061 राशन की दुकानों को सी0एस0सी / बेसिल के माध्यम से लैपटॉप तथा ई–पॉज उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशनकार्ड धारकों को बायोमेट्रिक अथॉन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है।

8.2 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन की दुकान से आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

8.3 **जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी** के अन्तर्गत राज्य के मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में 90 प्रतिशत खाद्यान्न गोदामों को जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत आच्छादित कर लिया गया है। शेष जनपदों में जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

8.4 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत NFSA के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशनकार्ड धारको को राहत दिये जाने के उद्देश्य से माह दिसम्बर, 2022 हेतु प्रति यूनिट निःशुल्क 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (01 कि0ग्रा0 गेहू एवं 04 कि0ग्रा0 चावल) नियमित अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के आवंटन के अतिरिक्त आवंटित किया गया है।

8.5 उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लगभग सभी राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8.6 उत्तराखण्ड राज्य में "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" के अन्तर्गत 448798 एवं "राज्य उज्जवला योजना" के अन्तर्गत 11759 बिना गैस कनैक्शनधारी निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये गये हैं।

9 वन तथा पर्यावरण

9.1 राज्य के 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। अब तक 12167 वन पंचायतें गठित हैं। जिनके अंतर्गत 732688.9 हे0 वन क्षेत्रफल है।

9.2 वनों को आग से क्षति को कम करने. वनों में आग के मामलों को त्वरित सूचना के आदान–प्रदान एवं उन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से वनाग्नि सम्बन्धी सैटेलाइट डाटा के लिये वर्ष 2008 से उत्तराखण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर, देहरादून तथा नेशनल रिमोट सैन्सिंग अकादमी, हैदराबाद से सहयोग लिया जा रहा है।

9.3 पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं के वानिकी कार्य में अधिक योगदान करने तथा उनका जीवन स्तर आर्थिक रुप से उठाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वोमेन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास नाम से योजना प्रारम्भ की गयी।

9.4 ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य के अन्तर्गत प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी।

9.5 वर्ष 2014–15 से वाह्य सहायतित योजना उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित) प्रारम्भ की गयी। परियोजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है तथा परियोजना 08 वर्ष में 750 वन पंचायतों में कार्य करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत Eco-restoration हेतु 37500 है0 (50 है0 प्रति वन पंचायत) क्षेत्र लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु ''प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट'' इकाई

(पी0एम0यू0) सोसायटी मोड में कार्य कर रही है।

9.6 लालकुआँ तथा बडकोट (देहरादून) के निकट ''कार्बन–इनफ्लक्स'' (carbon-influx) के मापन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान कार्य एवं उत्तराखण्ड के वनों में संचित कार्बन का मात्राकरण किया जा रहा है।

9.7 अमृत सरोवर का निर्माण के अन्तर्गत 133 अमृत सरोवरों का निर्माण 15 अगस्त, 2022 तक किया जा चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ0एस0आई0) की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के वनावरण में 2 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है।

9.8 महिला सफारी गाइड योजना में महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनके सशक्तीकरण के उद्‌देश्य से कॉर्बेट लेण्डस्केप में 40 महिला जिप्सी चालकों को जंगल सफारी में गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर ईको टूरिज्म से जोड़ा गया है।

10. परिवहन एवं संचार

10.1 देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 19 डिपो कार्यरत हैं। निगम 359 रूटों पर 915 सेवायें प्रदान कर रहा है।

10.2 चालू वित्तीय वर्ष मे माह दिसम्बर, 2022 तक निगम द्वारा संचालित 1251 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1251 बसों में से 581 बसें पर्वतीय तथा 670 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इन बसों में साधारण बसें–1174, ए0सी0 बसें–26 एवं वोल्वो 51 बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदूषण रहित 7 इलैक्ट्रिक एसी बसों का संचालन देहरादून–दिल्ली के बीच में किया जा रहा है।

10.3 सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु हमसफर अलर्ट एप का प्रयोग करने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य बन गया है।

10.4 पर्यावरण की सुरक्षा का दृष्टिगत रखते हुए देहरादून–दिल्ली के बीच में वातानुकूलित इलैक्ट्रिक बसों का संचालन पाइलट प्रोजैक्ट के रूप में किया जा रहा है।

10.5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 10063 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2022 तक 8736 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

10.6 चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायिक यात्री वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड की व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गयी है।

10.7 दिनांक 24–05–2022 से उत्तराखण्ड राज्य में आई–रैड (Integrated Road Accident Database) परियोजना को लागू कर दिया गया है। उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा।

11 पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन

11.1 प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से गतवर्षो में "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" तथा "दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना" संचालित की जा रही है। प्रदेश में निरन्तर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्‌देश्य से दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना वर्ष 2018 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रूपये) एवं मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी (अधिकतम 7.50 लाख रूपये) प्रदान की जा रही है।

11.2 राज्य की प्रमुख यात्राओं में एक चारधाम यात्रा–2022 में इस वर्ष भारी संख्या में यात्रियों ने धामों के दर्शन कर रिकार्ड बनाया। वर्ष 2022 में चारधाम के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 17.52 लाख,

केदारनाथ में 15.63 लाख, गंगोत्री में 6.38, यमुनोत्री में 4.86 एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.90 तीर्थयात्रियों द्वारा चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा की गई जो पिछले 02 वर्षों की तुलना में बहुत अधिक रही।

11.3 बद्रीनाथ क्षेत्र के सुनियोजित एवं समेकित विकास के उद्देश्य से बद्रीनाथ धाम का ₹ 5615.30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

11.4 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना हेतु गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का विकास हेतु ₹ 54.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति सहित ₹ 14.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

11.5 सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल की चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाँऊ के मंदिरों को विकसित करना चाहती है। इसके लिये मानसखण्ड कोरिडोर के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। जिसे मंदिर माला मिशन नाम से जाना जायेगा। कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत लगभग 48 प्रमुख मंदिरों तथा पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण मंदिर को मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

11.6 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टीनेशन योजना के अन्तर्गत राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास के दृष्टिगत सभी 13 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

11.7 फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में राज्य में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेनशन) आवर्ड से सम्मानित किया गया। केन्द्रीय पर्यटन मत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड को बेस्ट टूरिजम डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

11.8 पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक बने रोपवे का 01 मई, 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा शुभारंभ किया गया। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिये लगभग 05 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर हैं। जिसकी क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है।

11.9 गौरीकुण्ड–केदारनाथ रोपवे परियोजना (लागत ₹ 1267 करोड़, लम्बाई 9.7 किमी) से 6 से 7 घंटे की कठिन यात्रा आधे घंटे में पूरी हो सकेगी।

11.10 उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS) के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के माध्यम से आयोजित ग्लोबल एविएशन समिट (Wings India 2020) में Most Pro-active State Under UDAN Under priority areas से सम्मानित किया गया है।

12 बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

12.1 वर्ष 2022–23 में 30 सितम्बर 2022 तक राज्य में कुल 2,397 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 48.85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24.24 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 26.91 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1171 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 581 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 645 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4208 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11271 है। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1346 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 403, पी.एन.बी. की 295 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 402 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

12.3 उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.4 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में

देहरादून जिले में सबसे अधिक 568 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 53 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 2022 तक 2607 ए. टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

12.5 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) के अन्तर्गत बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08. 2014 से लेकर 30 सितम्बर 2022 तक 54.31 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 2.12 लाख शून्य शेष खाते हैं, 49.42 लाख (58%) खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 44.16 लाख (81%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

12.6 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2022 से 30.09.2022 तक 23.85 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.7 प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2022 से 30.09.2022 तक 5.96 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.8 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अन्तर्गत बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2022 तक 1,34,313 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹ 1274.00 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

12.9 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अन्तर्गत 30.09. 2022 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 616370 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में 176659 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

13 विद्युत

13.1 उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021–22 की रिटर्न तत्काल दाखिल करने और वस्तु एव सेवा कर के ससमय भुगतान के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशंसा प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है।

13.2 यू0पी0सी0एल0 ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए डिस्कॉम के 11वें वार्षिक एकीकृत रेटिंग में अनंतिम रूप से ''ए रेटिंग'' हासिल की है, उक्त रेटिंग 'बहुत उच्च वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन' को दर्शाती है।

13.3 प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामों में एम0एन0आर0ई0 (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से 15268 सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना की गई है।

13.4 प्रदेश में 200 मे0वा0 क्षमता की परियोजनाऐं स्थापित की जा रही हैं, जिसके अर्न्तगत 283 विकासकर्ताओं को परियोजनाऐं आवंटित की गई हैं। इनमें से 95.50 मे0वा0 क्षमता की 162 परियोजनायें स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष 121 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

14 जल संसाधन एवं प्रबन्धन

14.1 जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित JJM-MIS वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2022 को कुल 38,681 बस्तियां हैं, जिसमें 19,549 बस्तियां पेयजल से आंशिक सेवित (Partially Covered), 19,129 बस्तियां पूर्णतः सेवित (Fully Covered), तथा 03 बस्तियां जल गुणता प्रभावित है।

14.2 भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना ''जल जीवन मिशन'' में ''हर घर नल से जल'' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन FHTCs (Fnctional Household Tap Connection) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

14.3 स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 103 स्थानीय निकाय है, इनमें से 78 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से

नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्ति किये जाने की कार्ययोजना है। भारत सरकार से वित्त पोषित अमृत 2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 18 नगरों में ₹ 233.74 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत की गयी हैं।

14.4 उत्तराखण्ड के कुल 100 नगरो में से 25 नगरों में कुल 397.21 एम.एल.डी. (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 67 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित है। जिनका उपयोग कर लगभग 263.01 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 179.87 एम.एल.डी. क्षमता के 34 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

14.5 नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम ''हाईब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल'' के आधार पर 68 एवं 14 एम.एल.डी. क्षमता के एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त मुनीकीरेती क्षेत्र में 7.50 एम.एल.डी. क्षमता के 4 मंजिला एस.टी.पी. का निर्माण किया गया, जिसकी सराहना एवं उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।

14.6 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 12326 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3472 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

14.7 स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित कुल 6791 ग्रामों की डी.पी.आर. तैयार की गयी हैं, जिसके सापेक्ष क्रमिक 5441 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 1241 ग्रामों में निर्माणाधीन, 109 ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

14.8 दिनांक 27 सितम्बर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 51 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

14.9 सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौडी में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

14.10 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2022 तक 46 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 21 सोलर लिफ्ट योजना, 41085 सिंचाई हौज, 1433 हाईड्रम, 56,565 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 31609 कि0मी0 सिंचाई गूल, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,48,941 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 16 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना, 137 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 35 बोरिंग पम्पसेट, 170 कि0मी0 सिंचाई गूल, 288 सिंचाई हौज एवं 1 आर्टीजन कूप का निर्माण/स्थापना कर 2881 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

14.11 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 9424.24 लाख लागत की 24 योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1022 सोलर पम्पसेट योजनाओं के निर्माण से 4643 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

14.12 प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम (पी0एम0कुसुम) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक 311 डीजल पम्पसेटों को सोलर पम्पसेटों में परिवर्तित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 953.33 लाख का व्यय करते हुए 51 सोलर पम्पसेट एवं 18 इलैक्ट्रिक टयूबवैल का निर्माण किया गया जिससे 255 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

15 सड़क एवं रेल

15.1 लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 तक 40457 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें

जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया गया है।

15.2 प्रदेश में वर्तमान तक 3608 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2068 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2022–23 में भी जारी रहे, जिन पर दिसम्बर 2022 तक ₹ 146.46 करोड़ का व्यय किया गया है।

15.3 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारो धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 43 कार्य, 696 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 9399 करोड़ के स्वीकृत हैं।

15.4 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच नई ब्रॉडगेज (Broad Gauge & 1676 mm) रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। प्रस्तावित रेल लाइन 5 शहरों देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी 16216 करोड़ रुपये के प्राजेक्ट लागत की इस परियोजना की लम्बाई 125.20 कि०मी० है, जिसमें 104 कि०मी० रेलवे लाईन भूमिगत होगी। परियोजना अंतर्गत 18 पुलों एवं 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। पुलों तथा सुरंगो का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

16 उद्योग

16.1 राज्य में एमएसएमई स्थापित इकाईयां की संख्या 77,997 हो गई हैं।. पिछले 20 वर्षों में लगभग 5 गुना की वृद्धि के सापेक्ष निवेश में 20 गुना तथा रोजगार में 8 गुना की वृद्धि हुई है। राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) में द्वित्तीयक सैक्टर का योगदान वर्ष 1999–2000 में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021–22 (पुनरीक्षित) में लगभग 46.21 प्रतिशत हो गया है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कुल 34.17 प्रतिशत है।

16.2 ''उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) के अन्तर्गत उद्यमी सभी सूचनायें अनापत्तियॉ, स्वीकृतियॉ एवं अनुज्ञायें निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं। ''निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र'' के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई है।

16.3 राज्य में 144 स्टार्टअप को मान्यता तथा 34 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु अनुमति जारी की जा चुकी है।

16.4 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, (Ease Of Doing Business)–वर्ष 2021 में उत्तराखण्ड को एचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई।

16.5 नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रिपेयडनेस डंडैक्स में वर्ष 2021 में रैकिंग उत्तराखण्ड को हिमालया राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

16.6 लगभग 600 नये उद्योग कोविड के उपरान्त स्थापित हुए।

16.7 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 10.00 लाख की गई।

16.8 विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में कुल 104 इकाईयों को 119.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई जिसके द्वारा राज्य में ₹ 1697.11 करोड़ का पूँजी निवेश एवं लगभग 8416 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

16.9 अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। खनिज परिवहन, खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल को उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है।

16.10 विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में खनिजों से

कुल ₹ 575.01 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 825 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक कुल ₹ 314.08 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

17 श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

17.1 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) प्रारम्भ की गई है। माह दिसम्बर, 2022 तक PM-SYM में 38,677 श्रमिकों द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

17.2 राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत लघु एवं खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) प्रारम्भ की गई है। वे समस्त व्यापारी, जिनका वार्षिक टर्न ओवर ₹ 1.50 करोड़ से कम हो, इस योजना से आच्छादित होंगे। माह दिसम्बर, 2022 तक 896 लाभार्थियों का नामाकंन कराया गया है।

17.3 माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 29,70,519 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। राज्य द्वारा पंजीकरण में देश–भर में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री जी द्वारा सम्मान–पत्र प्रदान किया गया है।

17.4 विभागीय वेबसाईट को ''मेक इन इण्डिया'' के तहत उद्योग विभाग के सिंगल विंडों सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

17.5 सेवायोजन के अन्तर्गत सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 868641 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 121 रोजगार मेलों का कुल 9278 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 2299 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.6 प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की संख्या 206783 है, वही निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 98703 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजको की संख्या 3096 तथा निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 870 है।

17.7 इण्डिया स्किल्स 2021 के अन्तर्गत 16 कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य के 5 युवाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया गया। जनवरी 2022 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3डी एवं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में राज्य के 2 युवाओं द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया।

18 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

18.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 52645 स्वयं सहायता समूह द्वारा 3.92 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 5535 ग्राम संगठन तथा 336 क्लस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 38890 समूहों को अब तक कुल ₹ 4067.32 लाख परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

18.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। दिसम्बर, 2022 तक 25000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 4756 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है, 13556 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 5510 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

18.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची में वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कुल 16472 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 16177 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति उपरान्त माह दिसम्बर, 2022 तक 15264 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।

18.4 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी

अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 670.66 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में ₹ 86.18 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष ₹ 665.70 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 12009 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 153.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं।

18.5 अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1296 सरोवर स्थलों को चिह्नित किया गया जिनमें से दिसम्बर, 2022 तक 1116 सरोवर स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर 1038 सरोवरों को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में प्रारम्भ कार्यों के सापेक्ष कार्य पूर्ति में राज्य का देश में प्रथम स्थान है।

18.6 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाएँ प्लान प्लस पर अपलोड़ कर दी गयी है।

18.7 ई– पंचायत के अन्तर्गत पंचायतीराज इन्स्टीट्यूशन्स एकॉउण्टिग सॉफ्टवेयर्स विकसित किया गया है, जिसका उद्‌देश्य समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को अवमुक्त धनराशि का आवंटन एवं भुगतान करना है।

19 शहरी विकास एवं आवास

19.1 शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित एवं 20885 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप 20885 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।

19.2 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनार्न्तगत 27907 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया है , जिसमें बैकों द्वारा 17684 आवेदन पत्रों को ₹ 22.89 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है।

19.3 कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 308 का लक्ष्य के सापेक्ष 180 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

19.4 Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan(CSP) निर्मित की जा चुकी है।

19.5 भागीदारी में किफायती आवास घटक अन्तर्गत 21 परियोजनायें 17304 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जिनमें से 464 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

20 शिक्षा

20.1 प्रदेश में 14226 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 519462 विद्यार्थी नामांकित है तथा 31852 शिक्षक कार्यरत है, जबकि निजी/प्राइवेट विद्यालय 4090 हैं, जिनमें 485160 विद्यार्थी नामांकित है तथा 29465 शिक्षक कार्यरत है।

20.2 राज्य में 1407 राजकीय इण्टर कालेज, 338 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 911 राजकीय हाईस्कूल, 61 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 1135 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3852 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

20.3 प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत 9959 छात्र–छात्राओं की माताओं को लाभान्वित किया गया। जिस हेतु ₹ 99.59 लाख की धनराशि जनपदों हेतु स्वीकृत की गयी।

20.4 राज्य के 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर

उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है।

20.5 डिजिटल लर्निंग के प्रचार–प्रसार हेतु 500 माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएँ एवं 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ संचालित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.6 राज्य में माध्यमिक स्तर पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को व्यावसायिक / वाणिज्यिक पाठ्यक्रम से जोड़ने तथा उनके विद्यालयों में ठहराव को सुनिश्चित किये जाने हेतु 200 विद्यालयों में 08 ट्रेड (कृषि, आटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वैलनेस, पर्यटन, इलैक्ट्रानिक एण्ड हार्डवेयर, रीटेल, आई0टी0, प्लम्बर) प्रारम्भ किये गये हैं।

20.7 राज्य में वर्तमान में कुल 14947 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 6031 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। माह जुलाई 2022 से कुल 4457 आंगनवाड़ी केन्द्रों जो कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, में बालवाटिका प्रारम्भ की गयी हैं।

20.8 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 40 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। वर्ष 2022–23 हेतु के0जी0बी0वी0 में 3694 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है।

20.9 एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अन्तर्गत दो राज्य कर्नाटक एवं उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र– छात्राओं की अधिक से अधिक भागीदारी संभव होगी तथा स्थानीय ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त छात्र अपने राज्य में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

20.10 ऑन लाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 47 राजकीय महाविद्यालयों में एडुसैट स्थापित हैं जिसमें 29 विषयों के 998 व्याख्यान प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अपलोड हैं। यू–ट्यूब के माध्यम से भी इन व्याख्यानों का लाभ एक लाख से अधिक छात्र–छात्रायें प्राप्त कर रहे हैं।

20.11 राज्य के कुल 69 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

20.12 वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत 04 राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर / हल्द्वानी / देहरादून / अल्मोड़ा संचालित किये जा रहें है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ में 03 नये राजकीय मेडिकल कॉलेजों को खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

20.13 वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायताप्राप्त / मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालय / महाविद्याल, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय / महाविद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित है।

21 स्वास्थ्य

21.1 13 जिला चिकित्सालयों, 21 उप जिला चिकित्सालय, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–बी, 525 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–ए, 25 अन्य चिकित्सा इकाईयॉ तथा 1896 उपकेन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान की जा रही हैं।

21.2 जनसामान्य की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑनलाईन रोगी रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है।

21.3 प्रदेश में 55 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 19 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। दिसंबर 2022 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 141076 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया।

21.4 वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward

की स्थापना की गयी है।

21.5 राज्य के अन्तर्गत 14915 वी0एच0एस0 एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है।

21.6 राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं।

21.7 राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01 बोट एम्बुलैन्स) एम्बुलैन्स का संचालन किया जा रहा है।

21.8 सम्पूर्ण देश में 17 करोड़ गोल्डन कार्ड बने हैं। उत्तराखंड में 43 लाख कार्ड बने हैं। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 1 प्रतिशत है। अतः इस दृष्टि से प्रदेश में बने कार्ड राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।

21.9 राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में कुल 7,703 ऑक्सीजन सर्पोट बैड, 852 आई.सी.यू. बैड एवं 1165 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।

21.10 उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 06.01.2023 तक) कुल 11 Government Lab, 26 Private empanelled Lab, 75 TrueNAT Machines तथा कोविड–19 के लिए 532 एम्बुलेन्स है।

21.11 प्रदेश में दिनांक 06.01.2023 तक कुल 449418 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 431612 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का 96.04 प्रतिशत है।

21.12 आगामी वित्तीय वर्ष हेतु केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

21.13 उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुश विंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) सेवा प्रदान की जा रही है।

22 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

22.1 वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अन्तर्गत कुल 20067 आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्रों में व 18818 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है।

22.2 वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 952 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, जिन्हें सामान्य श्रेणी में लाने के लिए ''ऊर्जा'' (स्थानीय आधारित खाद्यान्न) पोषण आहार वितरित किया जा रहा हैं।

22.3 प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना (90%के0सहा0) PMMVY योजना राज्य के समस्त जनपदों में लागू है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 39,019 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

22.4 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स योजना का राज्य के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालन किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल 185341 किशोरियों को चिन्हित किया गया।

22.5 मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 09 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है, जिसमें कुल 2725 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2022 तक 3159 किशोरी/महिलाएं लाभान्वित हुई है।

22.6 नन्दा गौरा योजनाः योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹ 334.962 करोड़ की स्वीकृत धनराशि

के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक शत–प्रतिशत धनराशि व्यय कर 82601 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया हैं।

22.7 वर्ष 2021–22 में ''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना'' आरम्भ की गयी। योजनान्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 85035 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

22.8 मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए व डी युक्त फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत 223648 लाभार्थी पंजीकृत है।

22.9 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण) के अन्तर्गत संचालित ''बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम' के तहत् माह दिसम्बर, 2022 तक 1385 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

22.10 तीलू रौतेली पुरस्कार के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 12 किशोरी / महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

22.11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत 35 आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

23 सतत् विकास

23.1 सतत् विकास लक्ष्यों का यह महत्वकांक्षी विजन एक 17 सतत् विकास लक्ष्यों एवं 169 टारगेट का विस्तृत विकास का मॉडल है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अंगीकृत किया है एवं इस ऐजेण्डे को 2030 तक प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है।

23.2 राज्य ने 2020 से ही सतत् विकास लक्ष्यों की जनपदों की प्रगति का अनुश्रवण कार्य शुरू कर दिया था और 2021 में SDG Index Compendium 2015–16 से 2020–21 प्रकाशित किया। SDG Index Compendium राज्य के लिये एस.डी.जी. बेसलाइन का कार्य कर रहा है और उत्तरोतर वर्षों में राज्य पिछले वर्षों की तुलना में अपनी प्रगति का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा है।

23.3 एस.डी.जी. गोलकीपर अवार्ड समारोह दिनांक 10 जून, 2022 को आयोजित किया गया था। एस. डी.जी. गोलकीपर अवार्ड का उद्देश्य नवाचारों एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस को एक पहचान देना था जिसके लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की पहचान की गई।

24 खेल एंव युवा कल्याण

24.1 राज्य में 03 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम (यथा–चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, देहरादून), 06 बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल (यथा– पिथौरागढ़–2, देहरादून–1, हरिद्वार–1 एवं ऊधमसिंह नगर–2 तथा 03 इंडोर हॉल यथा–नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में तथा 01 एक्वेटिक सेंटर (तरणताल), नैनीताल में निर्माणाधीन हैं।

24.2 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2021–22 में 542 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है।

24.3 पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, माह जनवरी / फरवरी, 2023 तक बेसिक स्की कोर्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 60 प्रशिक्षु लाभान्वित होगें।

24.4 राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

24.5 मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत राज्य के 08 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका अर्थात् 3900 बालक / बालिका ₹ 1500 / – प्रतिमाह

की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जा रहा है।

24.6 राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल, रूद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेंगी।

24.7 युवाओं के शारीरिक विकास हेतु मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा स्वास्थ्य संवर्द्धन केन्द्र योजना प्रारम्भ की गयी है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत (कुल 7796) में ओपन जिम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में 6878 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम (Parallel & Horizontal) की स्थापना की जा चुकी है।

24.8 राज्य में प्रथम बार 11 दिसम्बर, 2022 को प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 230 पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

24.9 राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। इस वित्तीय वर्ष में 95 विकासखण्डों में 1425 तथा समस्त जनपदों में 260 कुल 1685 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है।

25 समाज कल्याण

25.1 अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह–मार्च 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 12.29 लाख की धनराशि व्यय कर 32 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.2 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन के अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है।

25.3 राज्य में पूर्व से संचालित तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के ग्राम महरावना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

25.4 अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है।

25.5 अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र/छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है।

25.6 उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु ₹ 75000/ तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹ 25000/– दिया जाता है ।

25.7 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

25.8 वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं समस्याओं के त्वरित निदान हेतु राज्य स्तर पर ''एल्डर हैल्पलाईन'' (14567) की स्थापना आई0टी0पार्क एस0टी0पी0आई0 कमरा नं0 1 देहरादून में की गयी है।

26. सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

26.1 राज्य के पर्वतीय एवं सुदूर–दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से Right of Way Policy 2018 जारी की गयी, जिससे टेलीकॉम सेवाप्रदाता कम्पनियों को राज्य में दूरसंचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने में कोई

अनावश्यक कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

26.2 साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा– निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशः Incident Response Mechanism तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेंगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है ।

26.3 वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर 84 विभागों के लगभग 129 ऐप्लीकेशन्स होस्ट कर लाईव की जा चुकी है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं।

26.4 वर्तमान में राज्य में 21962 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 16976 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 10112 सी0एस0सी0 ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है।

26.5 कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत 5.06 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

26.6 राज्य सरकार की ''अपणि सरकार'' सेवाओं से सम्बन्धित 17.31 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

26.7 सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत कुल 55 विभागों, 186 उप विभागों के 4570 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 के अन्तर्गत लगभग 3.02 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 2.79 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

26.8 डार्क लेक पोर्टल (DARC Lake Portal)– राज्य के पूरे ड्रोन और जी0आई0एस0 डेटा को संग्रह करने के लिए, DARC ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ''DARC Lake'' शुरू किया है।

26.9 लैण्ड यूज एण्ड रूरल/अर्बन प्लानिंग– परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देहरादून जनपद का 1:4000 स्केल पर विस्तृत मानचित्रीकरण करना है। इस परियोजना के अंतर्गत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देहरादून जनपद का 1:4000 स्केल पर जियोडेटाबेस तैयार किया गया है।

26.10 26.14 यूसर्क द्वारा प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रति जनपद कुल 28 STEM Lab (STEM & Science, Technology Engineering and Mathematics) की स्थापना कर उनका संचालन किया जा रहा है।

26.11 चम्पावत में आयोजित सीमान्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव–2022 (19–20 नवम्बर, 2022) में परिषद् द्वारा राज्य के छह सीमान्त जनपदों क्रमशः उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ के 240 चयनित छात्र–छात्राओं को जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा व शोध कार्यों से लाभान्वित किया गया है।

26.12 सार्क एजुकेशन फाउंडेशन, कंचनपुर, नेपाल से आये 60 छात्र–छात्राओं को पादप ऊतक संवर्द्धन, मृदारहित खेती जल गुणवत्ता परीक्षण तथा आण्विक जीवविज्ञान की जानकारी के साथ हैन्ड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान की गयी तथा महानिदेशक, यूकॉस्ट द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीन नवाचारों से अवगत कराया गया।

27 राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

27.1 जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईज किये जा चुके है तथा आर0ओ0आर0 से लिंक करने उपरान्त भू–नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunakashsa.uk.gov.in के माध्यम से पब्लिक डोमेन में व्यहृत किये जा चुके हैं।

27.2 प्रदेश की 108 तहसीलों के सापेक्ष 65 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष तहसीलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

27.3 भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 95% भू–अभिलेखों को ULPIN जनरेट किये जा चुके हैं।

27.4 राज्य के 7441 ग्रामों मे स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 197049 अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। शेष 81180 अभिलेखों के वितरण की कार्यवाही गतिमान है।

27.5 कृषि भूमि को अकृषि करने हेतु ZACR अधिनियम की धारा–143 एवं 144 तथा कृषि भूमि क्रय करने हेतु (धारा–154) वेब पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

27.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से आपदा मित्र फेज–2 परियोजना का संचालन किया जा रहा है।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

भूमिका : सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है –प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन निम्नानुसार किया गया हैः–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान : राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2021–22 पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार राज्य का कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.1.1 एवं 2.1.2 में दर्शाया गया हैः–

चार्ट 2.1.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2011–12

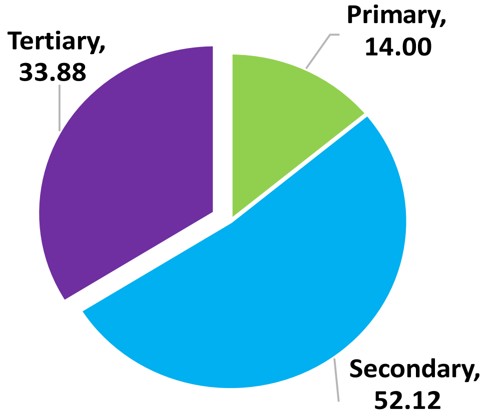

चार्ट 2.1.2 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2021–22

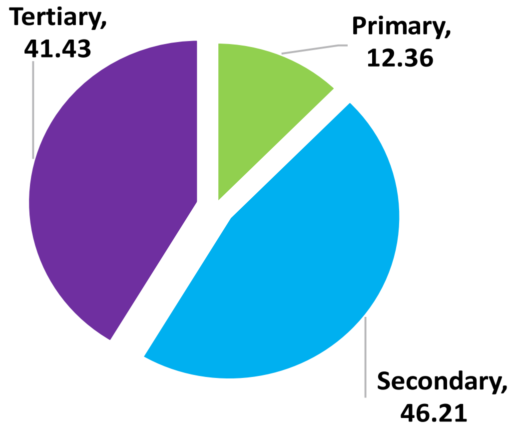

2.2 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें : वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की स्थिर एवं चालू मूल्यों पर मद्वार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.1 एवं चार्टः 2.2 में प्रदर्शित हैः–

तालिका 2.1
स्थिर मूल्यों (2011–12) तथा प्रचालित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021–22		वर्ष 2021–22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2021–22	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. कृषि	13387	2.85	43.13	7,839	2.36
2. पशुपालन	6668	7.04	21.48	4,037	6.81
3. वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	8498	2.40	27.38	3,851	2.48
4. मत्स्य पालन	75	7.36	0.24	54	7.36
5. खनन तथा उत्खनन	2410	1.99	7.76	2,834	5.98
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**31038**	**3.54**	**100.00**	**18,614**	**3.87**

चार्ट 2.2 : वर्ष 2021–22 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

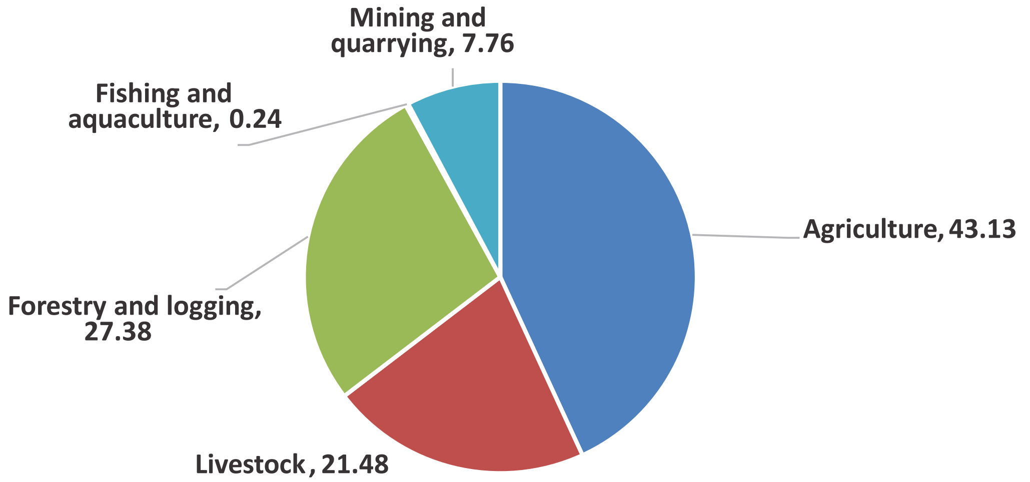

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2021–22 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 43.13 प्रतिशत रहा है।

2.2.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2021–22 में द्वितीयक क्षेत्र की 12.41 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थिर भाव पर 8.71 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचालित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 एवं चार्ट 2.3 में प्रदर्शित है:–

तालिका 2.2

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021—22		वर्ष 2021—22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011—12) वर्ष 2021—22	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. विनिर्माण	85,797	10.06	73.93	69,739	6.71
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	8,913	15.71	7.68	7,187	13.34
3. निर्माण	21,345	21.40	18.39	15,077	17.15
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**1,16,055**	**12.41**	**100.00**	**92,003**	**8.80**
औद्योगिक क्षेत्र	1,18,465	12.18		94,837	8.71

वर्ष 2022—23 हेतु राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 3.02 लाख करोड़ अनुमानित किया गया है एवं आर्थिक विकास की दर 7.08 प्रतिशत अनुमानित है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य की प्रति व्यक्ति आय मे भी गत वर्ष के सापेक्ष 10.05 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है जिसके आधार पर यह लगभग ₹ 233000 अनुमानित है।

चार्ट 2.3 : वर्ष 2021—22 में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

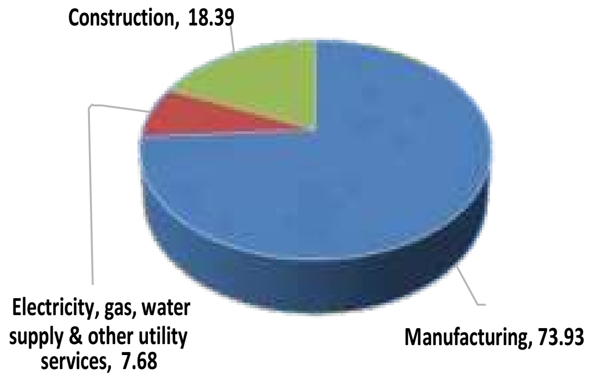

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2021—22 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 73.93 प्रतिशत रहा है।

2.2.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector): तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2021—22 में पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 13.42 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011—12) तथा प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप—खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका—2.3 एवं चार्ट 2.4 में प्रदर्शित है:—

तालिका 2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021—22		वर्ष 2021—22	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011—12) वर्ष 2021—22	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	20,326	22.76	**19.54**	13,051	7.40
1.1 रेलवे	569	14.63	0.55	249	2.35
1.2 सड़क परिवहन	4,927	22.75	4.74	3,764	0.32
1.3 भंडारण	8	8.69	0.01	5	1.73
1.4 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	14,823	23.10	14.25	9,033	10.81
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	30,400	4.69	**29.22**	19,890	3.73
3. वित्तीय सेवायें	8,658	12.30	**8.32**	6,088	4.20
4. स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	14,645	23.22	**14.08**	10,979	8.44
5. लोक प्रशासन	11,215	10.76	**10.78**	7,530	9.80
6. अन्य सेवायें	18,788	14.51	**18.06**	11,415	5.35
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**1,04,032**	**13.42**	**100.00**	**68,953**	**6.10**

चार्ट 2.4 : वर्ष 2021—22 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

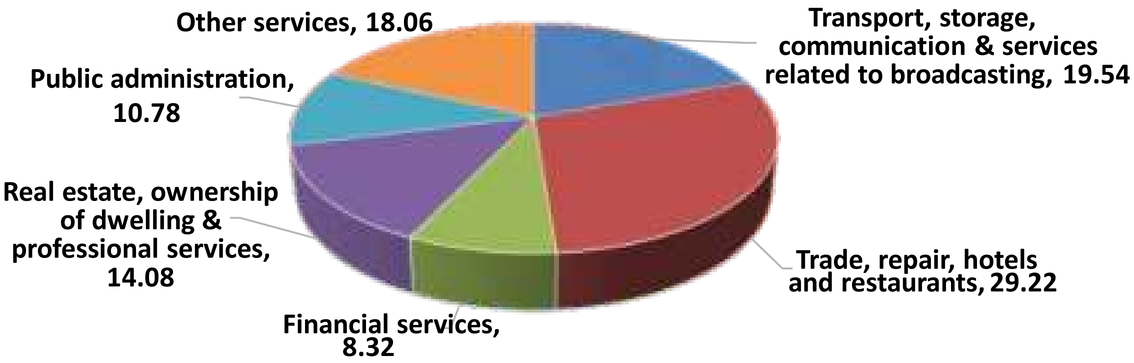

उक्त चार्ट के अनुसार वर्ष 2021—22 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 29.22 प्रतिशत रहा है।

2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices) : वर्ष 2021—22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2020—21 (संशोधित) के ₹ 2,38,857 करोड़ की तुलना में ₹ 2,65,488 करोड़ अनुमानित है, जो कि 11.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (34.17%), निर्माण (8.50%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (12.11%) तथा परिवहन, भंडारण,

संचार एवं प्रसारण (8.09%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.5 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

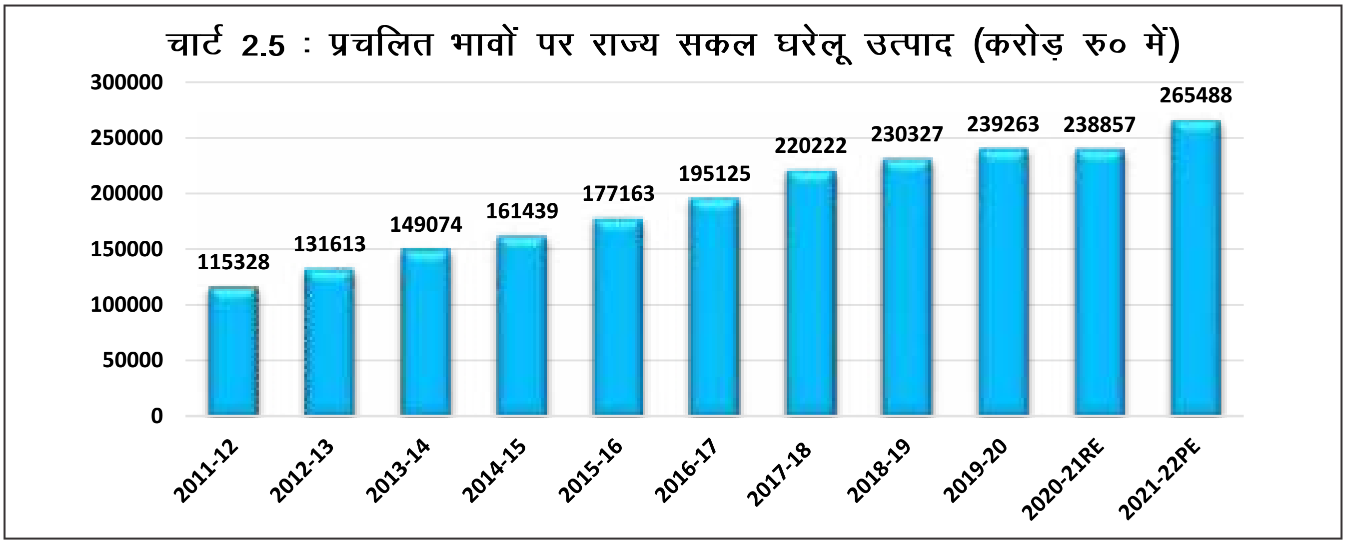

नोटः– वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 के अनुमान अनन्तिम हैं।

2.4 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) GSDP (at Constant Prices) : स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के वास्तविक आकार एवं राज्य की विकास दर को प्रदर्शित करता है। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021–22 के स्थिर भाव पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,92,203 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020–21 (संशोधित) में यह ₹ 1,79,538 करोड़ अनुमानित है जो कि प्रदेश के आर्थिक विकास की दर वर्ष 2021–22 में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर 7.05 प्रतिशत दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 तक सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) निम्न चार्ट–2.6 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

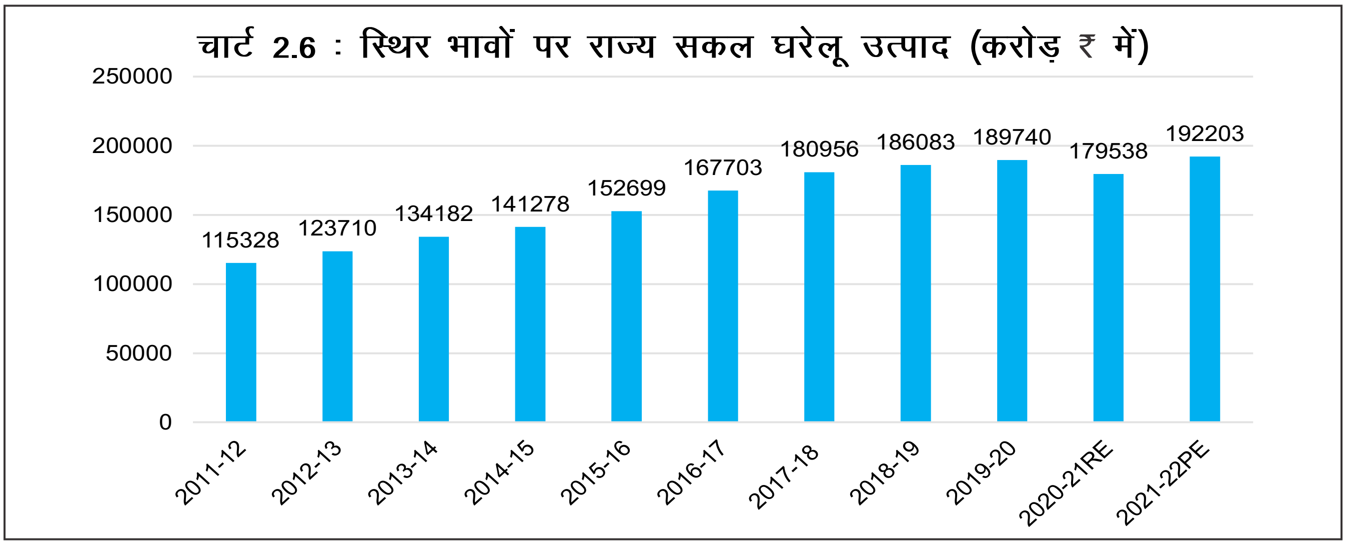

नोटः– वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 के अनुमान अनन्तिम हैं।

2.5 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011—12 के अनुसार वर्ष 2012—13 से 2021—22 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट— 2.7 में दर्शायी गई है:—

चार्ट 2.7 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

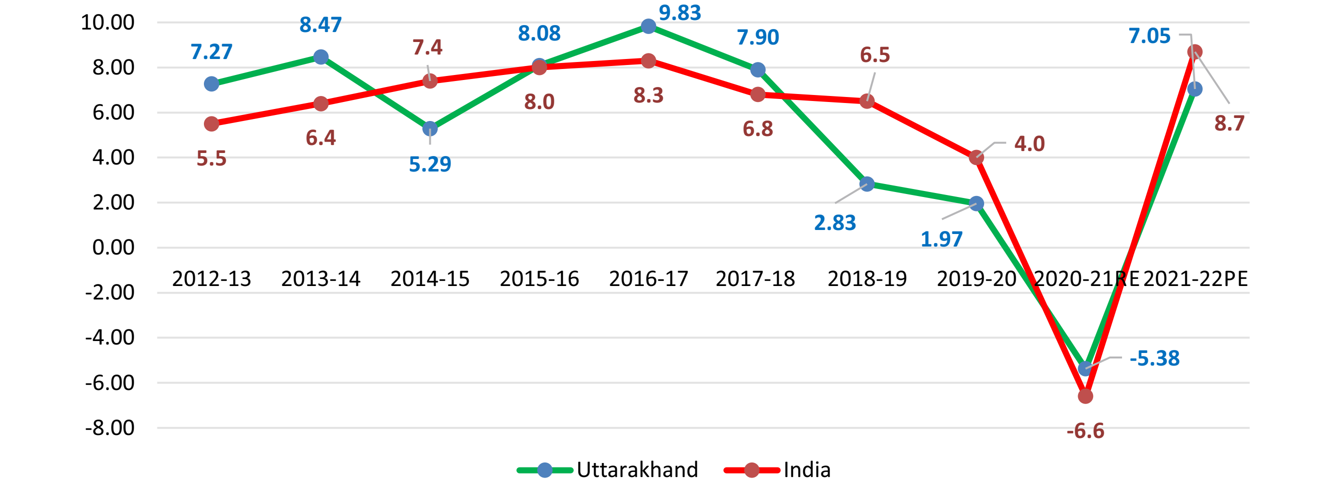

नोटः— वर्ष 2020—21 एवं वर्ष 2021—22 के अनुमान अनन्तिम हैं।

2.6 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income): राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2021—22 पुनरीक्षित अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,05,840 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,50,007 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2020—21 (संशोधित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,26,855 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,85,761 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.8 में दिखाया गया है—

चार्ट 2.8 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ (₹ में)

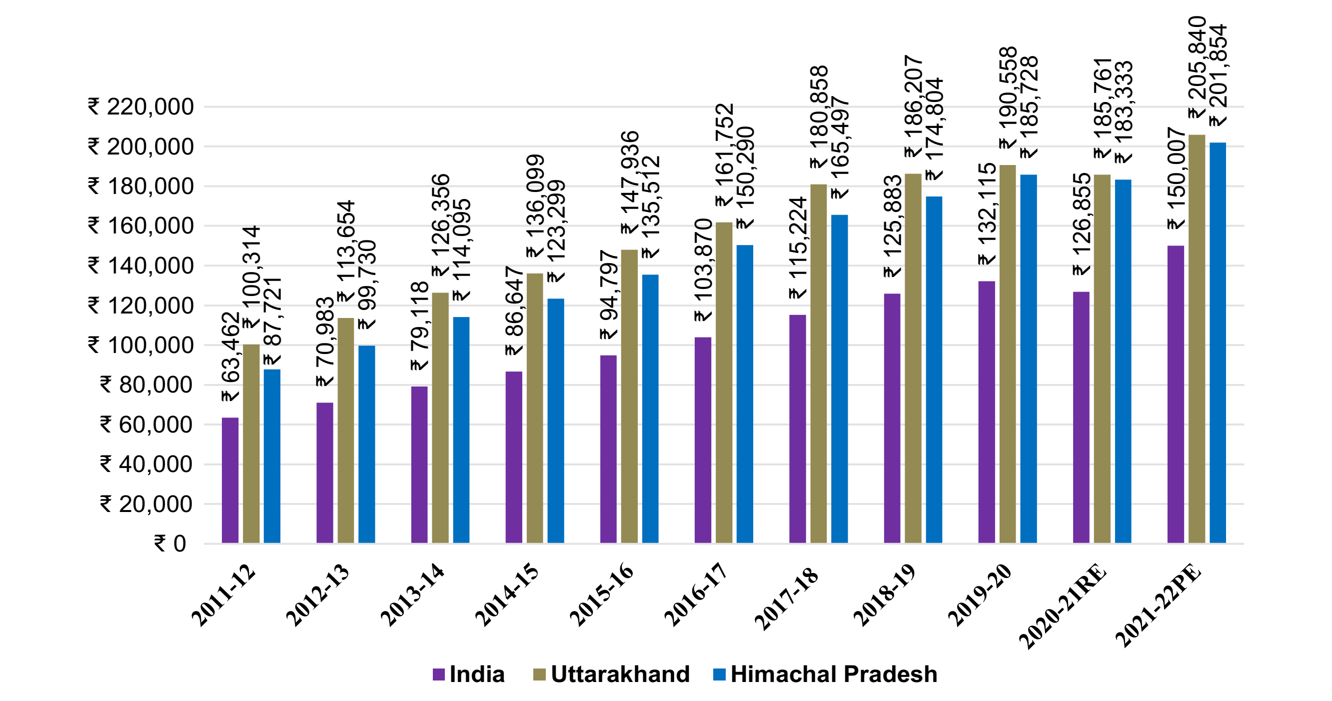

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 51,474.27 करोड़ है जबकि वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 43701.23 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2021–22 की तुलना में 17.79 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 24500.72 करोड़ तथा वर्ष 2021–22 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 24019.04 करोड़ व वर्ष 2020–21 (वा0) में ₹ 18506.31 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) में वर्ष 2021–22 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 02.00 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.9 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) में ₹ 5520.79 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2021–22 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 9.82 प्रतिशत हैं।

2.10 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) मे ₹ 9130.16 करोड़ आंका गया हैं।

2.11 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) के अनुसार जी0एस0टी0 तथा वैट करों से प्राप्त आय ₹ 8404.96 करोड़ आंकी गई है जो कि कुल राजस्व प्राप्ति का 16.32 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 व वर्ष 2020–21 में यह क्रमशः 18.50 व 18.09 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022–23 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹ 3522.30 करोड़ अनुमानित हैं।

2.12 वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.9 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.9 राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

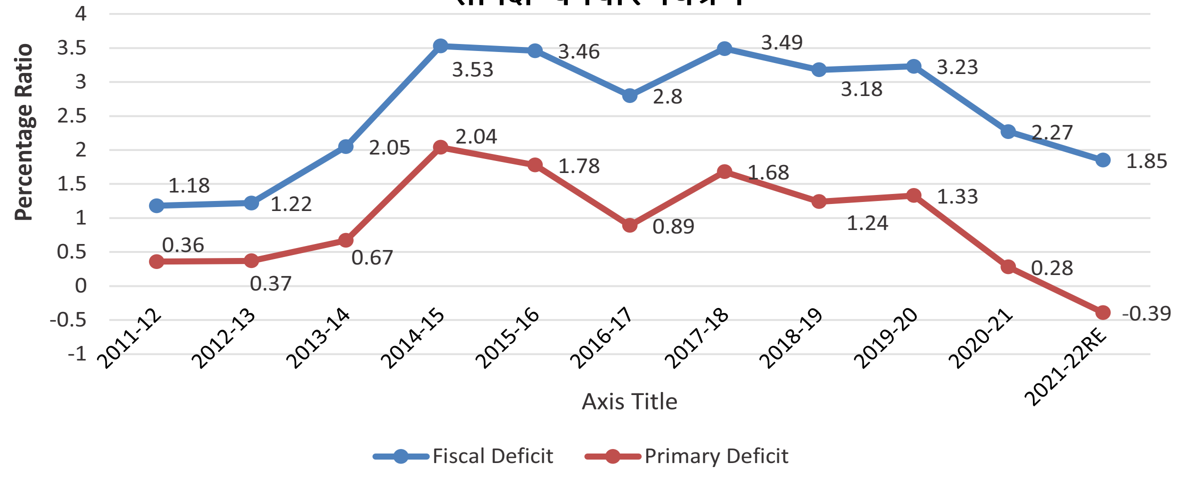

2.13 बजट विश्लेषण : अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके

उददेश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बचत आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। वर्ष 2022–23 के बजट विश्लेषण अनुरूप निम्न विभिन्न विश्लेषणों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 प्राप्तियों का विश्लेषण : निम्नलिखित विभिन्न चार्ट के माध्यम से वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में आय का विश्लेषण किया गया है। करों का योगदान सबसे अधिक है, जबकि अन्य प्राप्तियों का योगदान सबसे कम है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2022–23 में करों में वर्ष 2021–22 की तुलना में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि तथा अन्य प्राप्तियों में 109.82 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

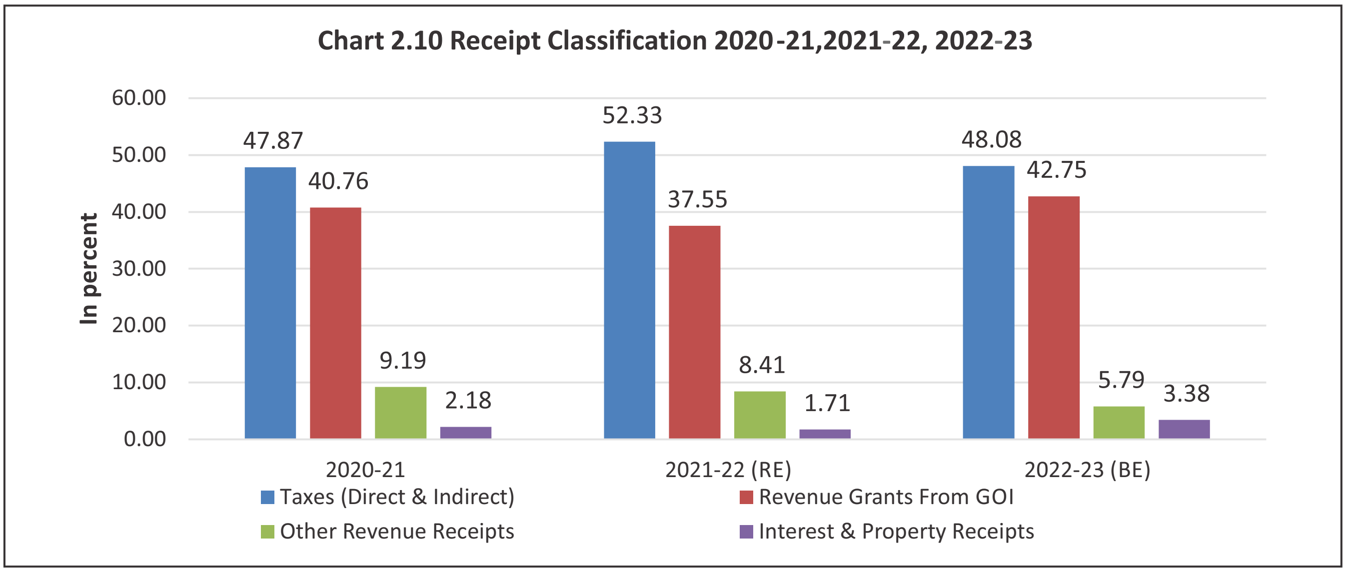

2.15 व्यय का विश्लेषण : निम्न विभिन्न चार्ट के माध्यम से वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 मे व्यय का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता रखते हुये सबसे अधिक धनराशि व्यय की गयी है। यह धनराशि वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 31.30 प्रतिशत, 30.23 प्रतिशत व 30.11 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य की विषम

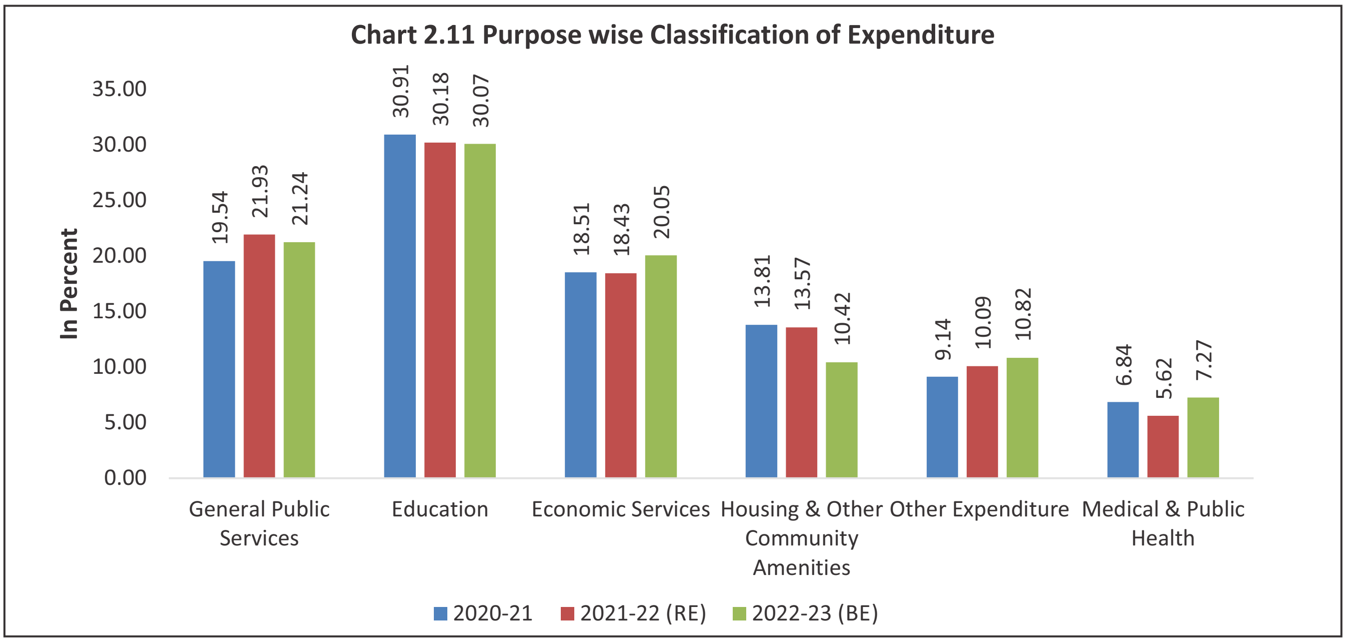

भौगौलिक परिस्थितियों को देखते हुये, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यय को बढाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य में व्यय का प्रतिशत क्रमशः 6.93 प्रतिशत, 5.63 प्रतिशत व 7.28 प्रतिशत मात्र अनुमानित है। सामान्य प्रशासनिक सेवाओं में शिक्षा के बाद सबसे अधिक धनराशि व्यय गयी है। व्यय का प्रतिशत वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 21.97 प्रतिशत व 21.26 प्रतिशत मात्र अनुमानित है। आर्थिक गतिविधियों में व्यय का प्रतिशत लगभग 20 प्रतिशत अनुमानित है।

विभागवार बजट विश्लेषण : बजट विश्लेषण के अन्तर्गत विभिन्न विभागों हेतु प्राविधानित धनराशि को उनकी आर्थिक उद्देश्य अनुरूप कोड़िग कर, वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण अन्तराष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण में समान उद्देश्य आधारित कार्यो का वर्गीकरण एक साथ किया जाता है। बजट लेखा शीर्षकवार प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उप लेखाशीर्षकों का अध्ययन कर, विभिन्न विभागीय गतिविधियों का आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु योगदान को अभिज्ञानित करने का प्रयास किया गया है। विभागों द्वारा व्यय धनराशि को निम्न गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है।

1. कर्मचारियों के परिश्रमिक हेतु व्यय (Compensation of Employees - CoE)

2. सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय (Gross Capital Formation- GCF)

3. मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय (Intermediate Consumption- IC)

4. पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Current or Capital Transfer- Trnsfr.)

5. आर्थिक सहायता (Subsidy – Subs.)

2.16 कर्मचारियों के परिश्रमिक हेतु व्यय : अन्तर्गत कर्मचारियों पर वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा व्यय, मानदेय, पारिश्रामिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेंशन आदि मदों में व्यय धनराशि को सम्मिलित किया गया है।

2.17 सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय के अन्तर्गत विभागों द्वारा निर्माण कार्यो पर किये जाने वाले व्यय उदाहरणतः आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण, मशीनरी, सड़को व अन्य उपकरणों पर व्यय, पूंजी निर्माण, उन्नत जैविक संसाधन व बौद्धिक सम्पदा उत्पाद हेतु व्यय/बजट प्राविधानित धनराशि को सम्मिलित किया गया है।

2.18 मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय इस मद में विभाग द्वारा वस्तु, सेवाओं तथा भवनों, सड़कों व अन्य निर्माण कार्यों के रखरखाव हेतु व्यय धनराशि को सम्मिलित किया गया है।

2.19 पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुदान के रूप में अन्य संस्थाओं व व्यक्ति विशेष को दी जाने वाली धनराशि को सम्मिलित किया गया है। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, समाज कल्याण की समस्त पेंशन, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय–निकायों आदि को हस्तांतरित धनराशि।

2.20 आर्थिक सहायता के मद में सब्सिडी सरकार द्वारा लोगों को अधिक सम्मानजनक जीवन जीने तथा व्यवसायों में प्रति–स्पर्धात्मकता क्षमता बढ़ाने तथा उनको सक्षम बनाने हेतु प्रदान किये जाने वाला प्रोत्साहन धनराशि है। सरकार द्वारा सब्सिडी नकद, क्रेडिट और अन्य प्रकार की सहायता के रूप में प्रदान करायी जाती है।

विभागवार आवंटित/व्यय धनराशि का विश्लेषण उक्त पांच मानको के आधार पर किया गया है। वर्ष 2022–23 हेतु विधान सभा द्वारा पारित उक्त बजट विश्लेषण में विभागों द्वारा वर्ष 2020–21 के वास्तविक व्यय, वर्ष 2021–22 के पुनरीक्षित अनुमान व वर्ष 2022–23 के अनुमानित व्यय के आंकड़ो का विश्लेषण किया गया है।

2.21 कृषि विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 30.76%, 33.03% व 29.15% व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष

2022–23 में क्रमशः 59.51%, 56.07% व 61.54% व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC), सकल पूंजी निर्माण (GCF) व आर्थिक सहायता (Subsidy) हेतु किया गया है, जिसे ग्राफ संख्या–2.12 के माध्यम से दर्शाया गया है।

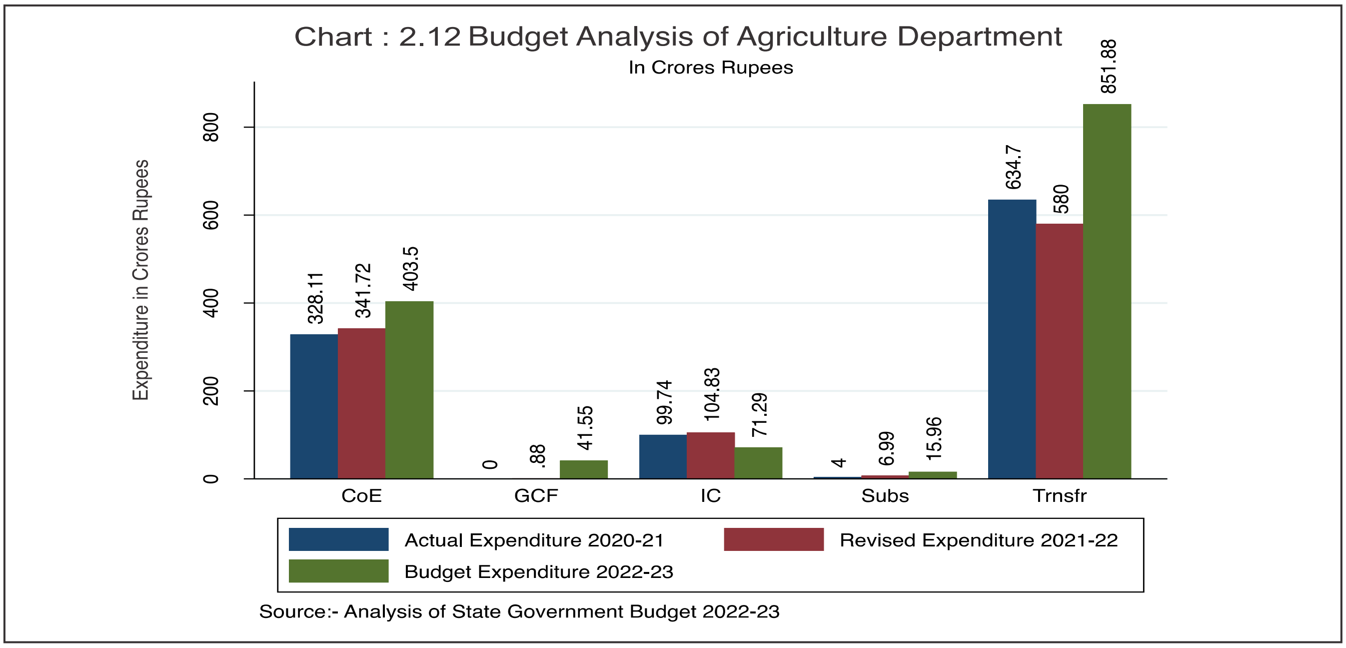

2.22 शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 83.24 प्रतिशत, 85.99 प्रतिशत व 80.91 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 10.07 प्रतिशत, 8.70 प्रतिशत व 8.13 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC), व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Transfer) में छात्रवृति तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र को अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि को सम्मिलित किया गया है।

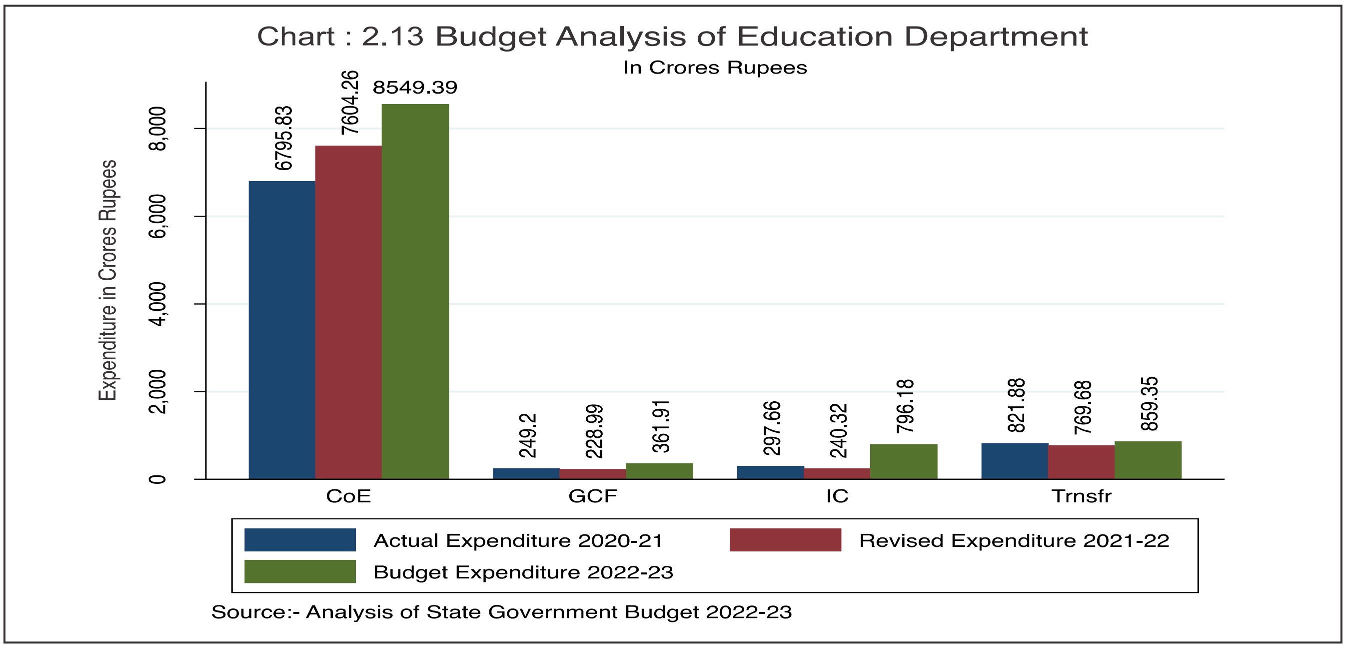

2.23 पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 72.98 प्रतिशत, 84.54 प्रतिशत व 64.87 प्रतिशत व्यय किया गया है। मध्यवर्ती उपभोग (IC) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 26.33 प्रतिशत, 15.09 प्रतिशत व 34.81 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr), व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, इसे निम्नांकित ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है।

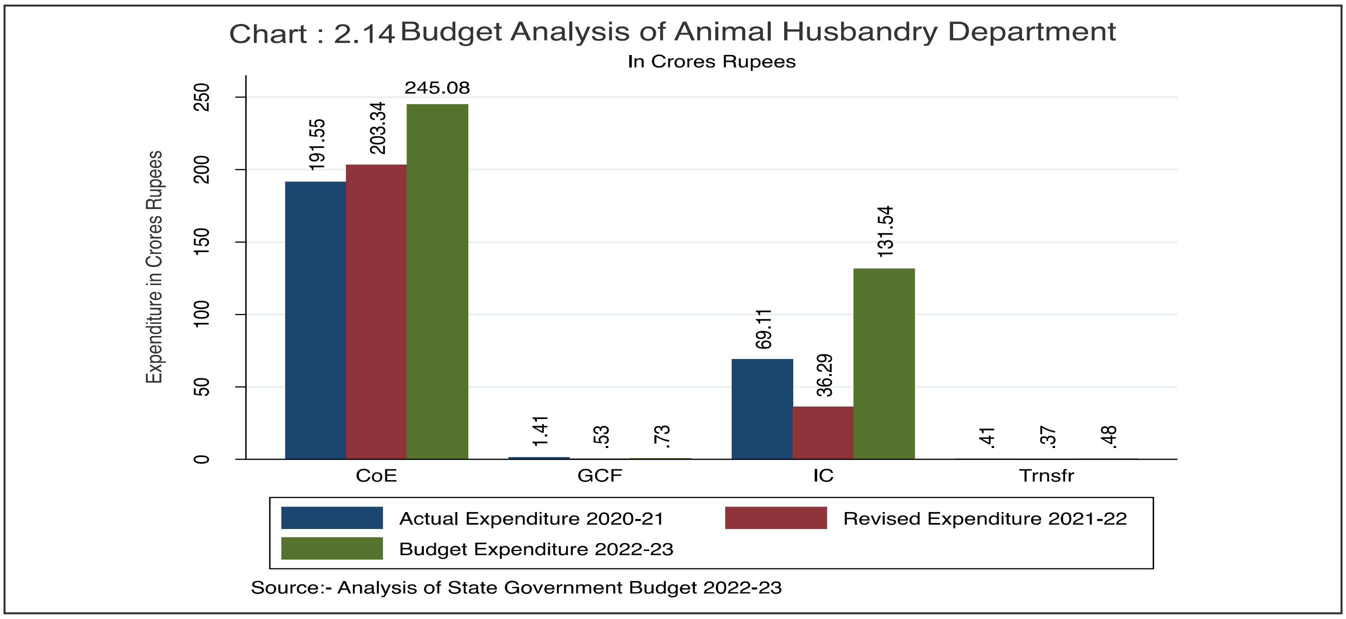

2.24 सिंचाई विभाग (बाढ़ नियंत्रण सहित) : द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 41.80 प्रतिशत, 39.56 प्रतिशत व 26.57 प्रतिशत व्यय किया गया है। सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 37.93 प्रतिशत, 38.68 प्रतिशत व 57.67 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

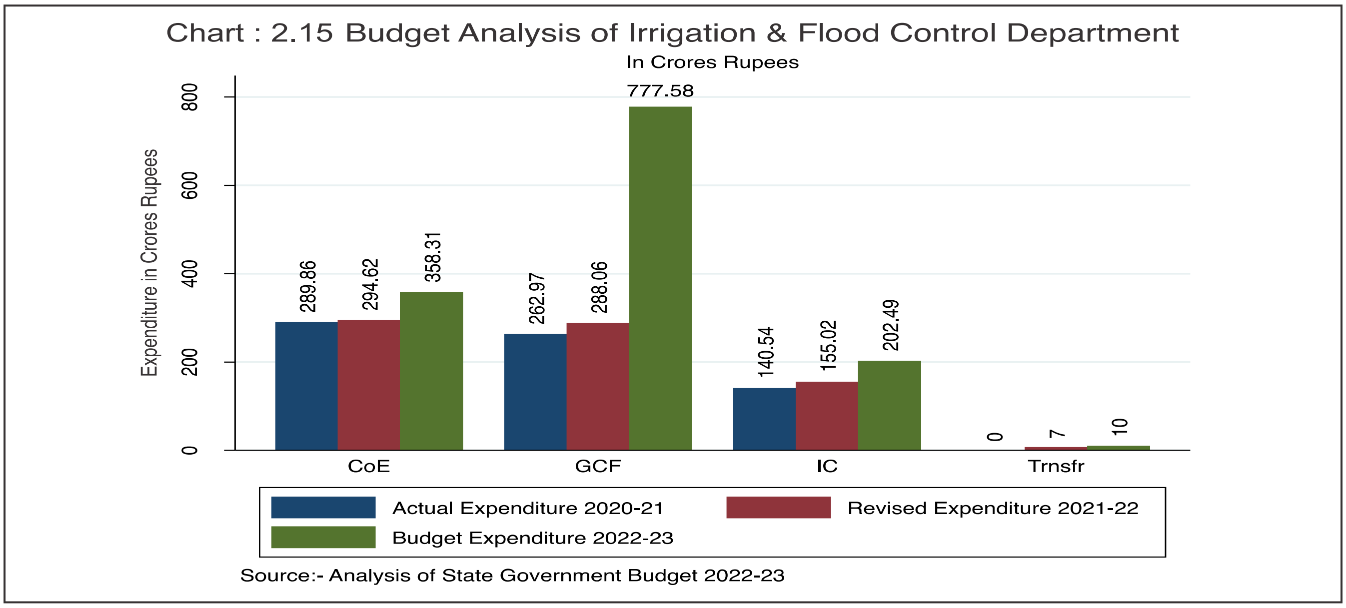

2.25 चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत एलोपैथिक/होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक तथा चिकित्सा शिक्षा हेतु आवंटित धनराशि को सम्मिलित किया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 53.84 प्रतिशत, 47.79 प्रतिशत व 40.22 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 21.27 प्रतिशत, 20.39 प्रतिशत व 29.96 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है–

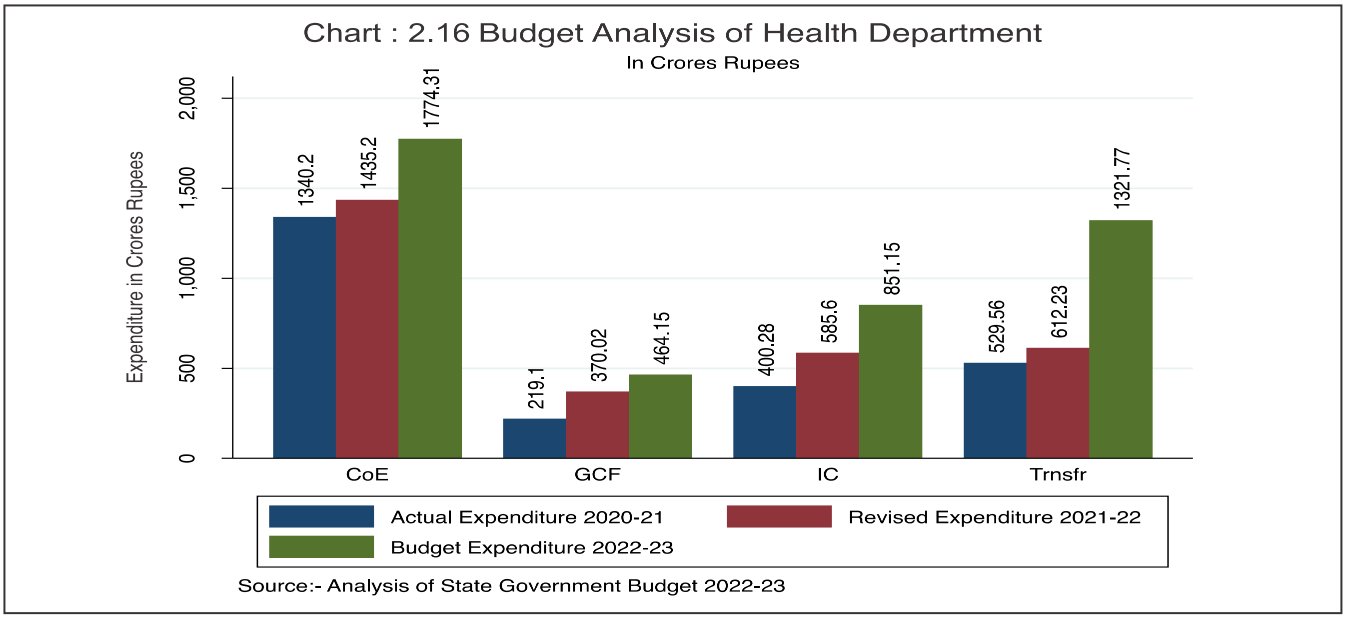

2.26 वन विभाग : द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 44.34 प्रतिशत, 34.23 प्रतिशत व 49.78 प्रतिशत व्यय किया गया है। मध्यवर्ती उपभोग (IC) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 25.73 प्रतिशत, 46.24 प्रतिशत व –12.47 प्रतिशत व्यय किया गया है। वर्ष 2022–23 में वन विभाग में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से पूरी की गयी धनराशि को घटाये जाने के कारण आन्तरिक

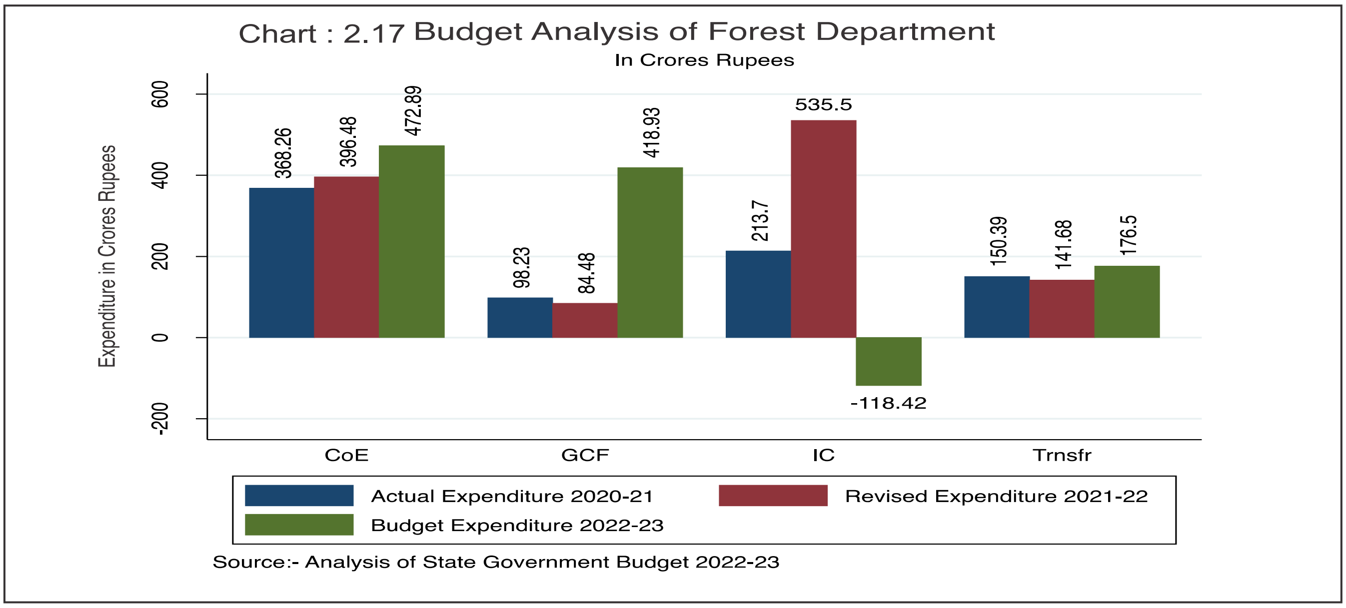

उपभोग (IC) में ऋणात्मक धनराशि दर्शायी गयी है। अवशेष धनराशि का व्यय पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr), व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे ग्राफ 2.17 के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.27 ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 11.21 प्रतिशत, 12.43 प्रतिशत व 9.83 प्रतिशत व्यय किया गया है। सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 59.54 प्रतिशत, 48.75 प्रतिशत व 54.30 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC), पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) व आर्थिक सहायता (Subs) हेतु किया गया है, जिससे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

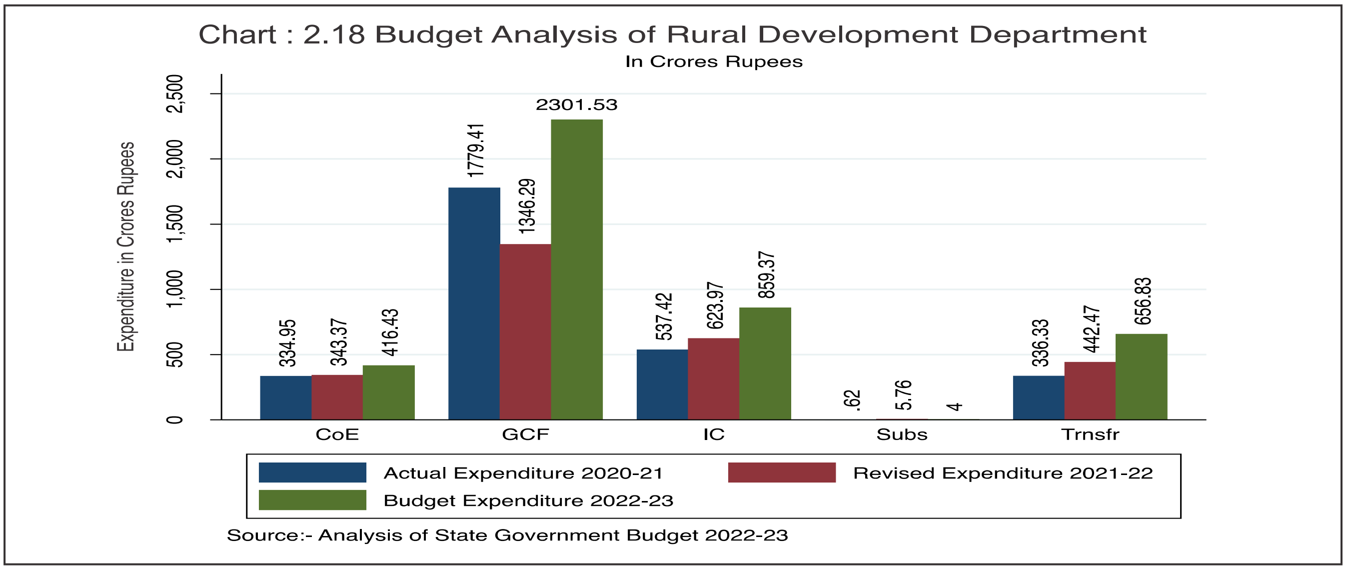

2.28 पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 53.54 प्रतिशत, 50.42 प्रतिशत व 64.64 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 43.49 प्रतिशत, 45.72 प्रतिशत व 29.56 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु किया गया है, जिससे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

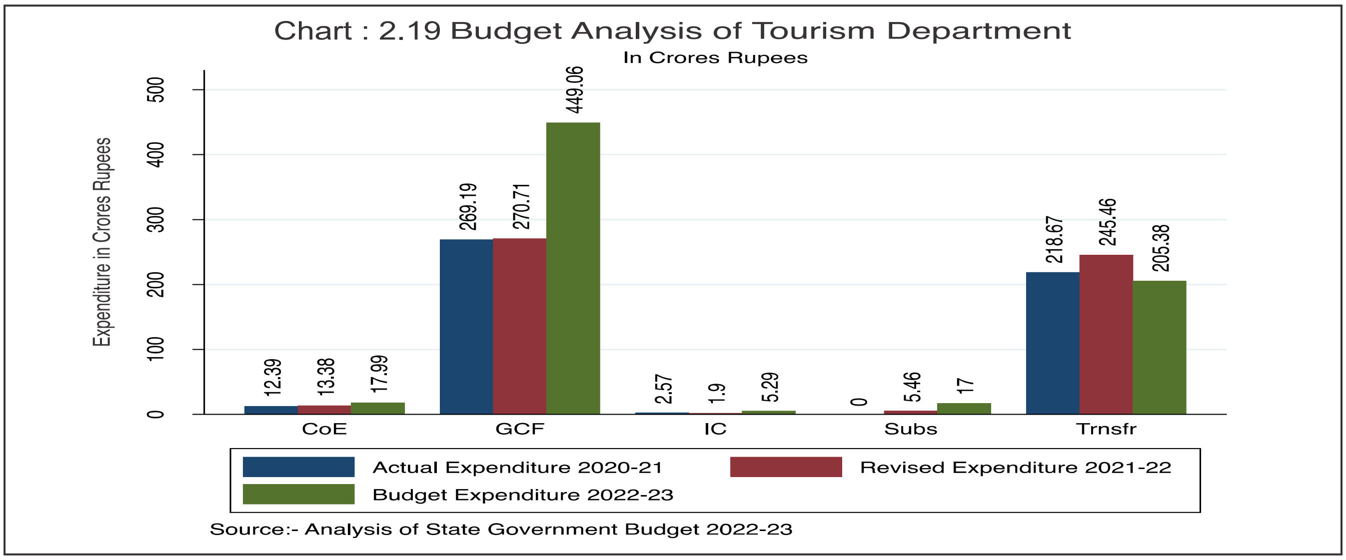

2.29 शहरी विकास विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 31.99 प्रतिशत, 47.45 प्रतिशत व 43.24 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 29.49 प्रतिशत, 46.58 प्रतिशत व 51.88 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

Chart : 2.20 Budget Analysis of Urban Development Department

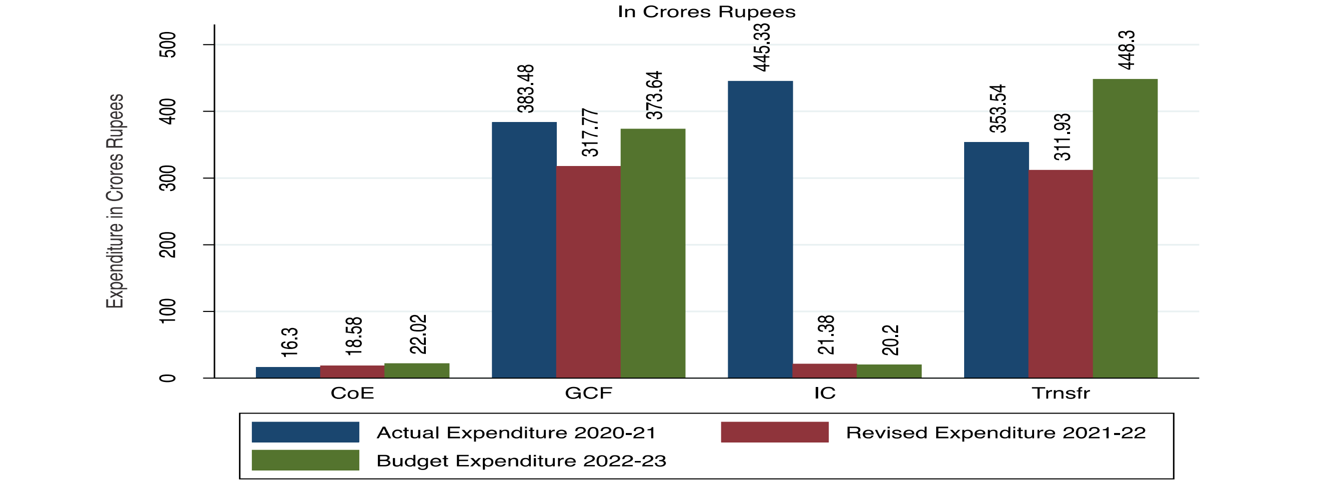

Source:- Analysis of State Government Budget 2022-23

2.30 समाज कल्याण समाज कल्याण द्वारा समाज के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला कल्याण/बुजुर्गो हेतु सहायता के विभिन्न योजनाओं का प्राविधान किया जाता है। उक्त मद के अन्तर्गत महिला व बाल विकास हेतु किये गये व्यय को भी लिया गया है। समाज कल्याण द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 18.11 प्रतिशत, 20.53 प्रतिशत व 11.45 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः

Chart : 2.21 Budget Analysis of Social Welfare Department

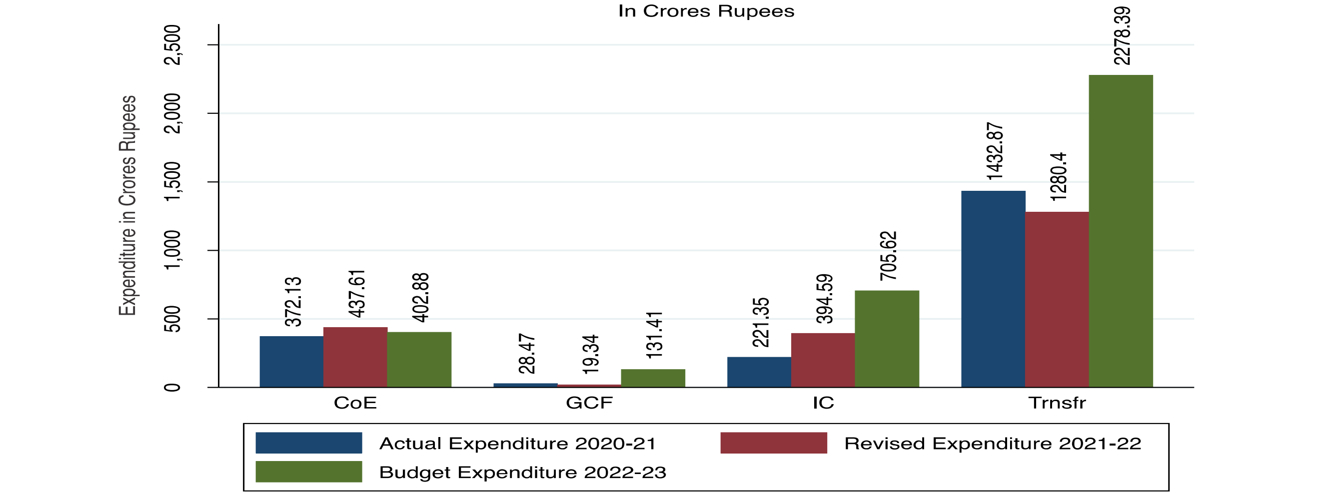

Source:- Analysis of State Government Budget 2022-23

69.73 प्रतिशत, 60.06 प्रतिशत व 64.76 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे ग्राफ 2.21 के माध्यम से दर्शाया गया है:–

2.31 उद्यान विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 45.16 प्रतिशत, 45.05 प्रतिशत व 36.70 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 37.69 प्रतिशत, 42.92 प्रतिशत व 38.28 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

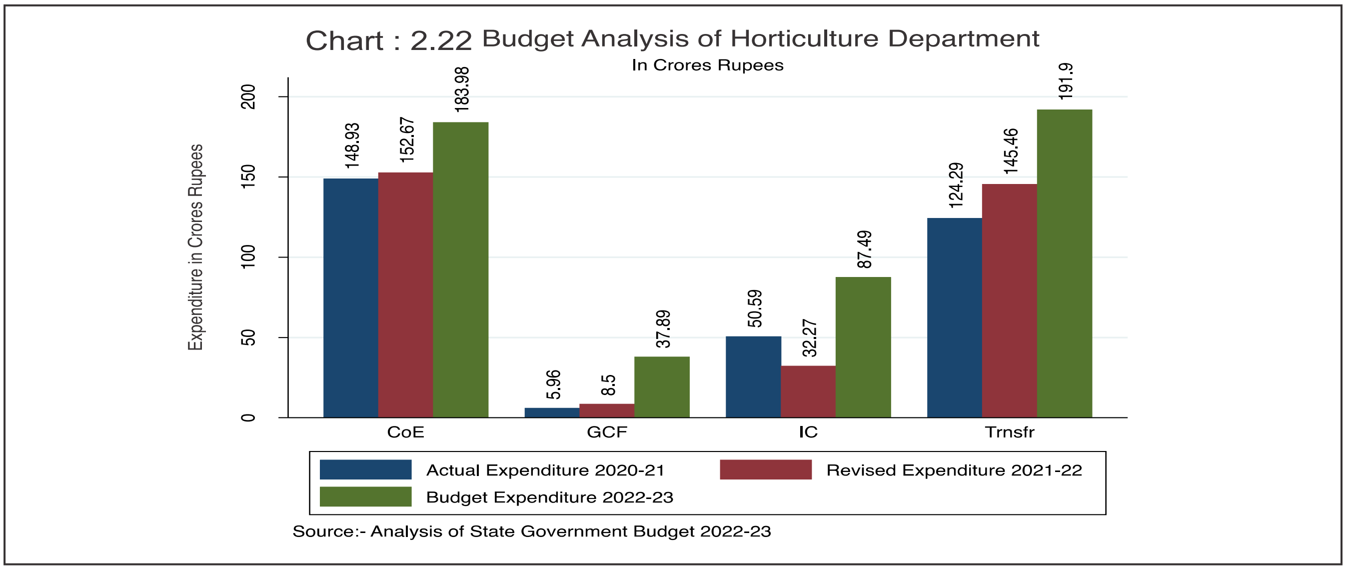

2.32 सहकारिता विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आर्थिक सहायता (Subsidy) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 46.36 प्रतिशत, 48.09 प्रतिशत व 47.78 प्रतिशत व्यय किया गया है। कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 24.94 प्रतिशत, 30.13 प्रतिशत व 26.16 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय, पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr), मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

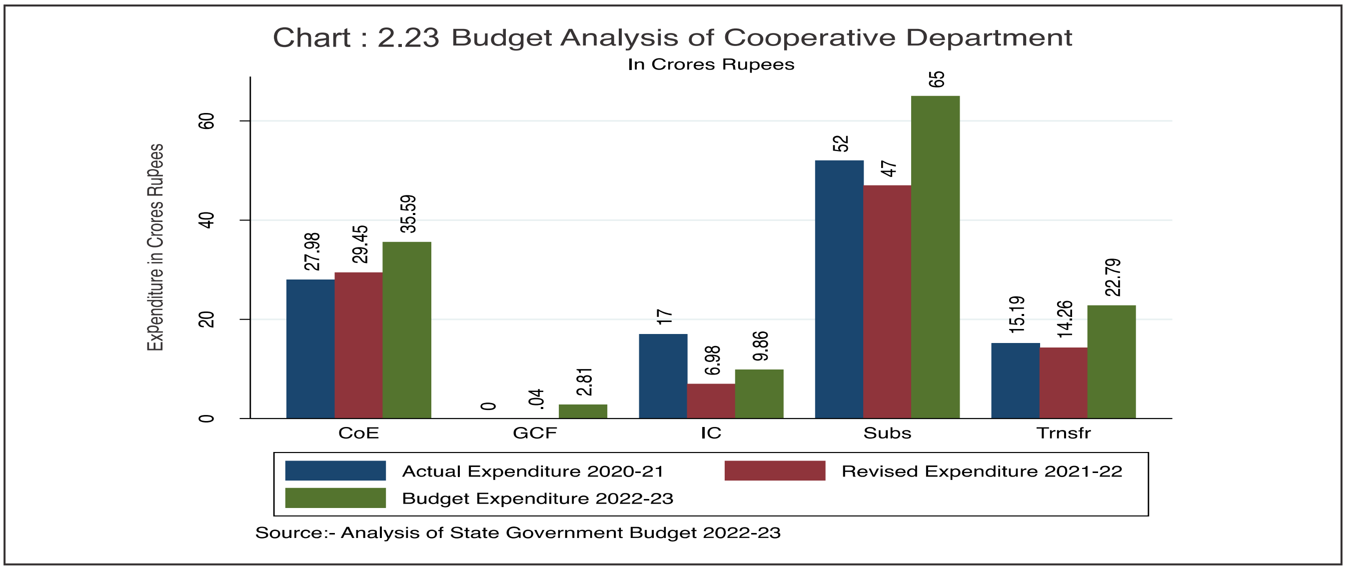

2.33 श्रम एवं रोजगार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 24.36 प्रतिशत, 26.08 प्रतिशत व 46.22 प्रतिशत व्यय किया गया है। कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 49.00 प्रतिशत, 44.89 प्रतिशत व 33.62 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

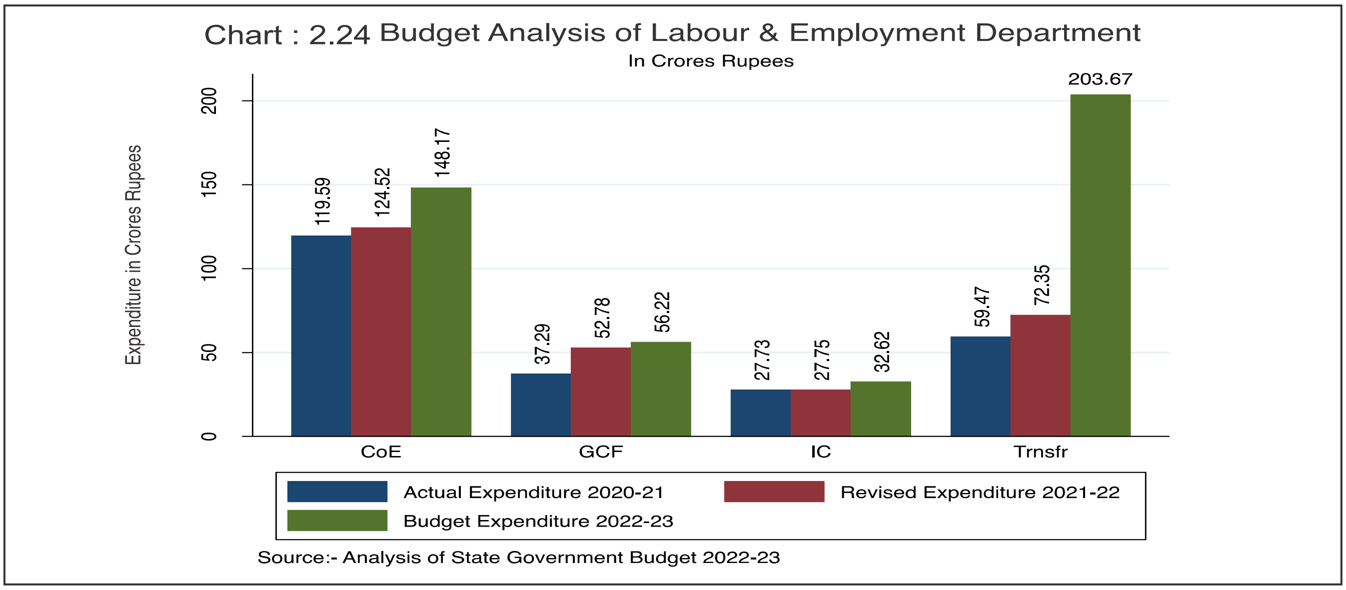

2.34 उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 52.35 प्रतिशत, 55.05 प्रतिशत व 60.82 प्रतिशत व्यय किया गया है। कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 19.19 प्रतिशत, 18.05 प्रतिशत व 12.42 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC), आर्थिक सहायता (Subs) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

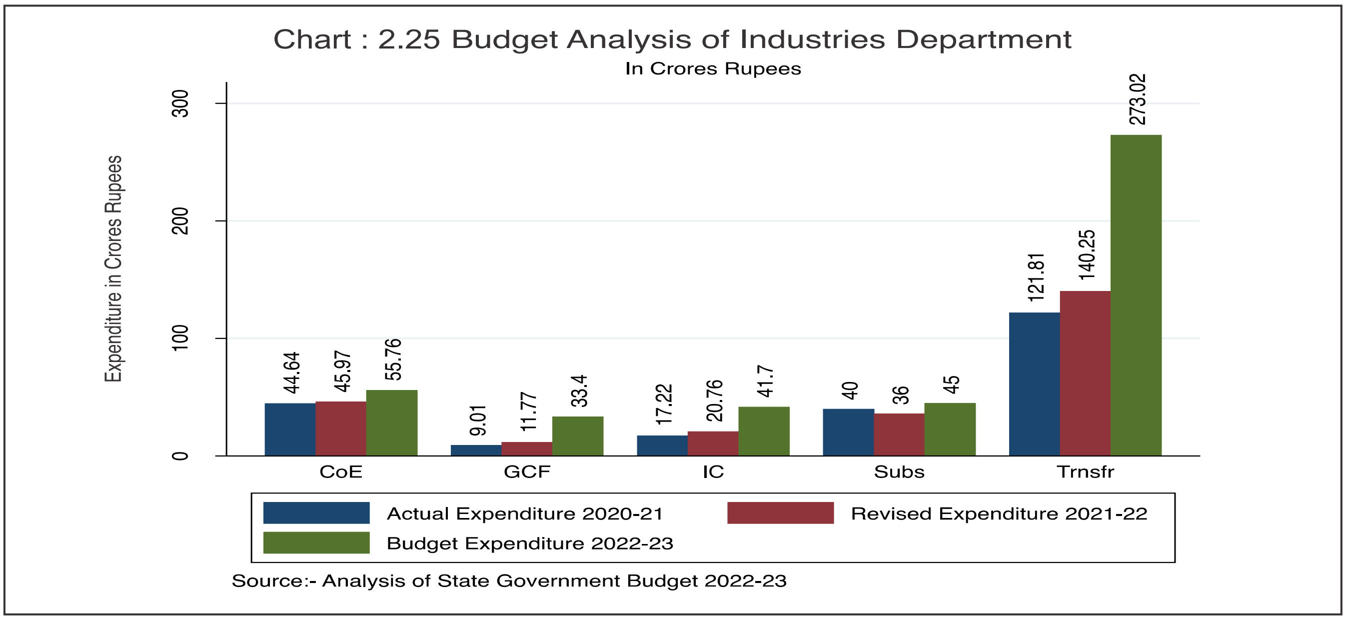

2.35 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं वायु परिवहन हेतु बजट का प्राविधान किया जाता है। परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 63.73 प्रतिशत, 57.94 प्रतिशत व 31.12 प्रतिशत व्यय किया गया है। कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 15.48 प्रतिशत, 23.55 प्रतिशत व 14.43 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

Chart : 2.26 Budget Analysis of Transport Department

In Crores Rupees

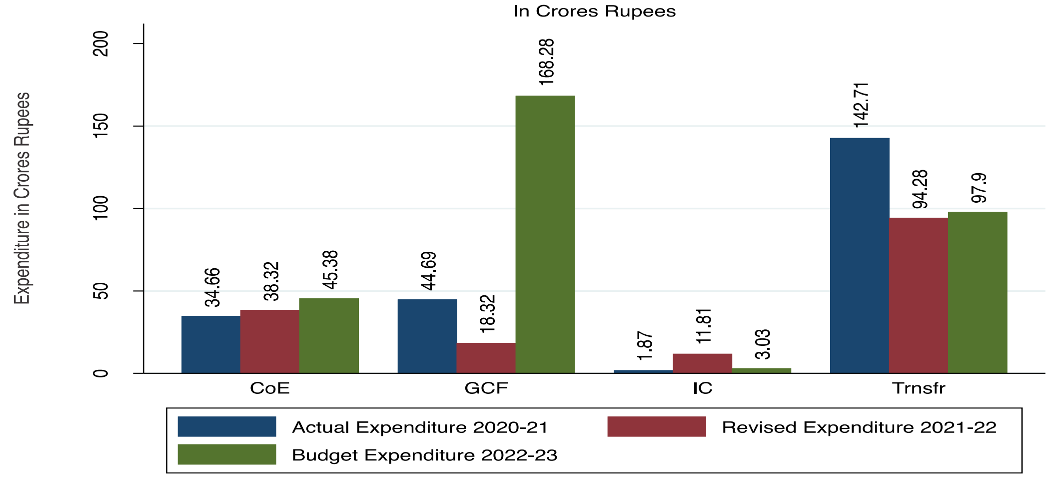

Source:- Analysis of State Government Budget 2022-23

2.36 खेल एवं युवा कल्याण द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 19.16 प्रतिशत, 19.45 प्रतिशत व 19.14 प्रतिशत व्यय किया गया है। सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 62.58 प्रतिशत, 52.94 प्रतिशत व 47.32 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC) व पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

Chart : 2.27 Budget Analysis of Sports & Youth Welfare Department

In Crores Rupees

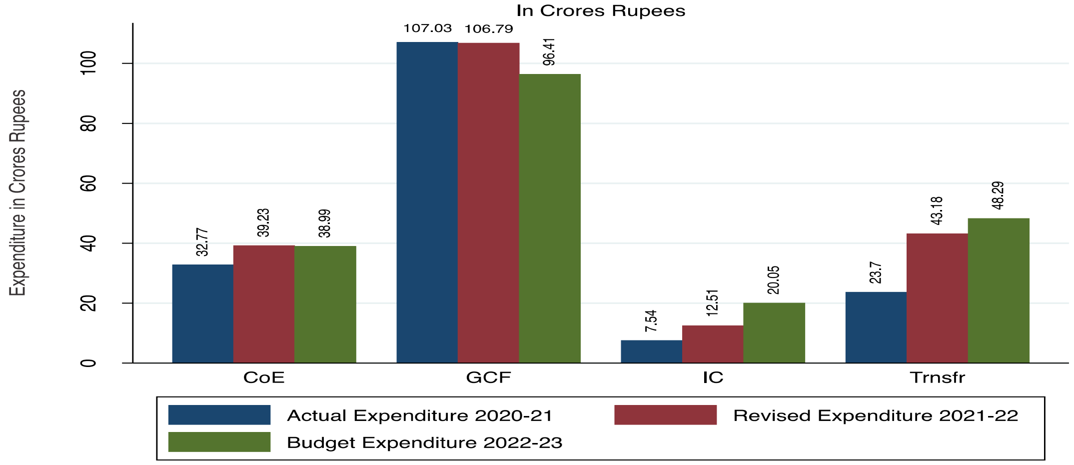

Source:- Analysis of State Government Budget 2022-23

2.37 दुग्ध विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 19.62 प्रतिशत, 15.48 प्रतिशत व 14.15 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 77.33 प्रतिशत, 72.93 प्रतिशत व 75.17 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

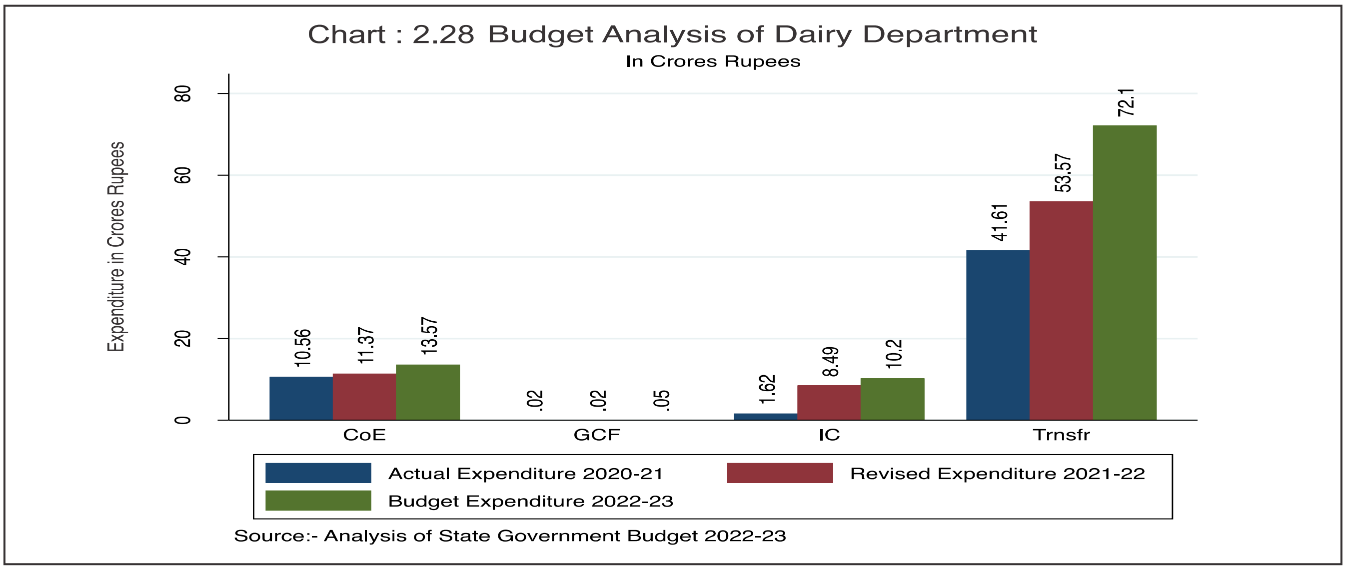

2.38 मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु– वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 26.87 प्रतिशत, 25.76 प्रतिशत व 13.16 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 39.83 प्रतिशत, 42.18 प्रतिशत व 54.73 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC), आर्थिक सहायता (Subsidy) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिससे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

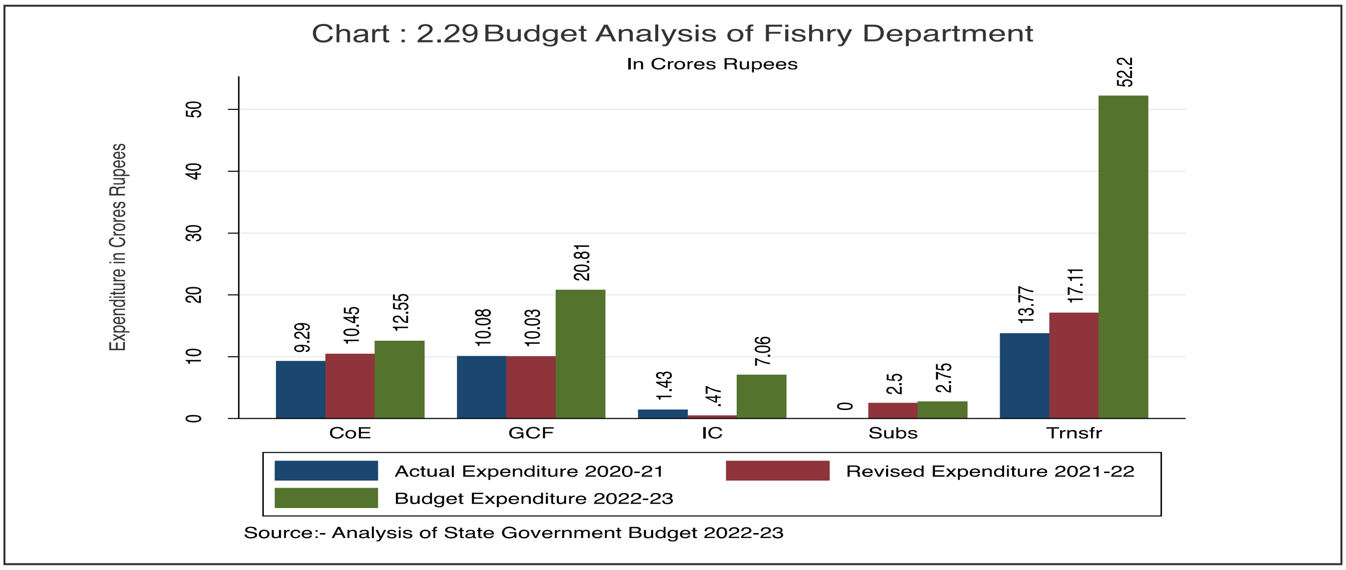

2.39 खाद्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कर्मचारियों के परिश्रमिक (CoE) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 28.64 प्रतिशत, 48.71 प्रतिशत व 11.38 प्रतिशत व्यय किया गया है। आर्थिक सहायता (Subsidy) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 25.70 प्रतिशत, 39.32 प्रतिशत व 26.29 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC), पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) व सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु किया गया है, जिसे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

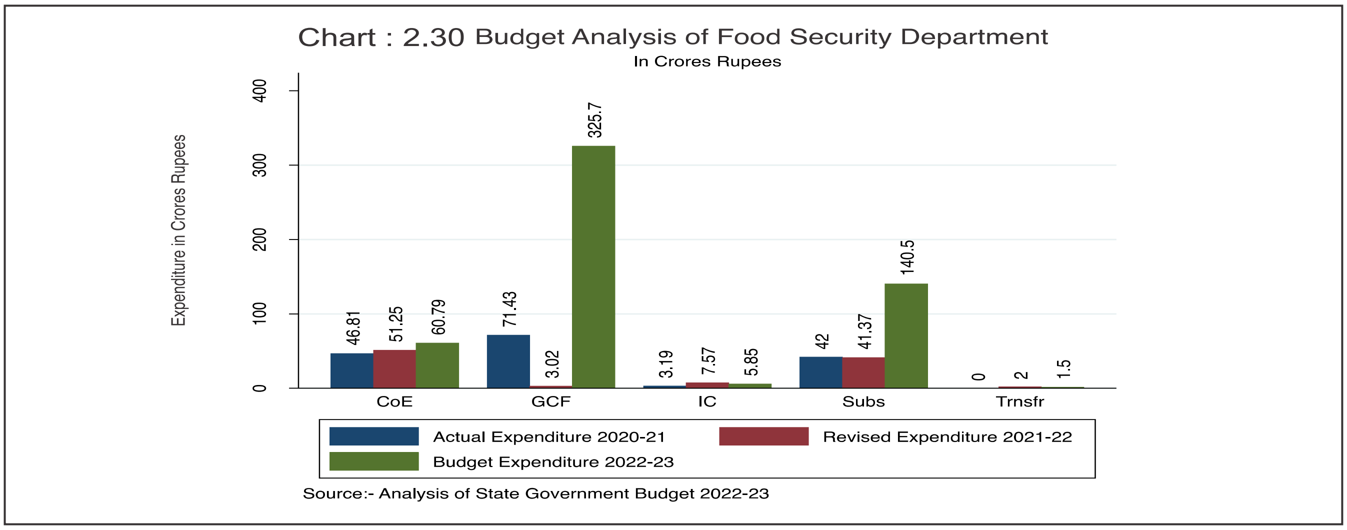

2.40 जलापूर्ति जलापूर्ति विभाग के अन्तर्गत जल संस्थान तथा जल निगम द्वारा व्यय धनराशि को सम्मिलित किया गया हैं। दोनों विभाग स्वायत्त संस्थायें हैं। अपने कर्मचारियों का परिश्रामिक आदि अपने स्तर से प्राप्त धनराशि से आवंटित किया जाता है। निर्माण कार्यो हेतु विभाग को अनुदान के रूप में धनराशि सरकार से प्राप्त होती है। जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त धनराशि के सापेक्ष सकल पूंजी निर्माण (GCF) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 55.79 प्रतिशत, 66.69 प्रतिशत व 56.75 प्रतिशत व्यय किया गया है। पूंजी व पूंजीतर हस्तांतरण (Trnsfr) हेतु – वर्ष 2020–21, वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 में क्रमशः 24.30 प्रतिशत, 18.06 प्रतिशत व 22.56 प्रतिशत व्यय किया गया है। अवशेष धनराशि का व्यय मध्यवर्ती उपभोग (IC) हेतु किया गया है, जिससे निम्न ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है:–

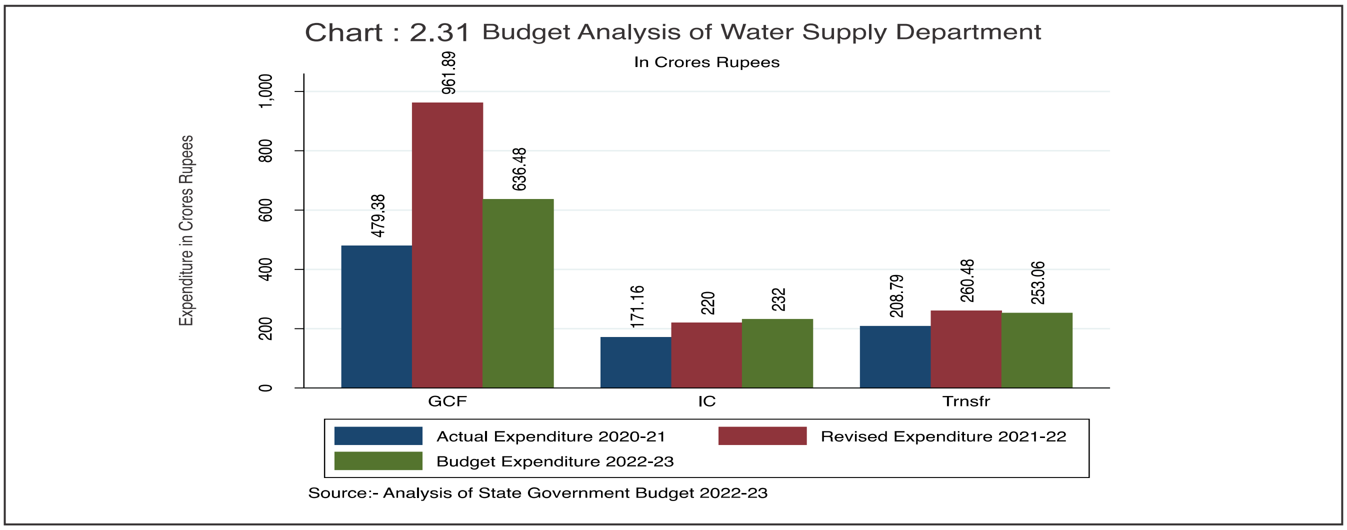

अध्याय—3
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax): राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

3.1 कर संग्रह: दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000—2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2021—22 तक लगभग 56 गुना बढ़कर ₹ 13,073.86 करोड़ (₹ 4,808.04 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 9,327.64 करोड़ (₹ 1,790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा। इसे चार्ट— 3.1 में दर्शाया गया है—

चार्ट 3.1

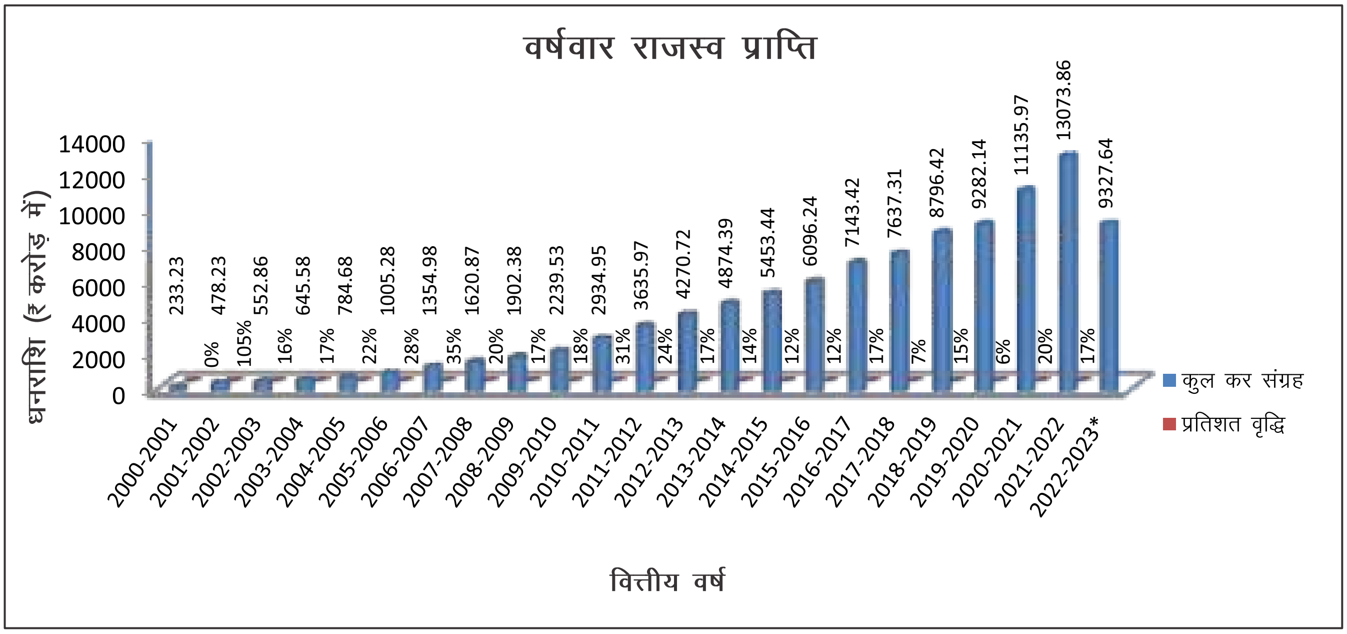

*31 दिसम्बर 2022 तक स्रोत— : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर 2021 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 8359.08 करोड़ (₹ 4212.99 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में दिसम्बर, 2022 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 7418.33 करोड़ (₹ 1790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 प्रतिशत कम हैं, जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है—

तालिका 3.1

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2021—22									वर्ष 2022—23									
	VAT Arear	माह में प्राप्त SGST	माह में प्राप्त IGST Settelement	Advance apportionment From IGST	योग (2+3+4+5)	कुल GST वापसी	कुल संग्रह (6+7)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर व लोन धनराशि	कुल प्राप्त राजस्व (8+9)	VAT Arear	SGST	Tax receive from IGST Settlement	Advance apportionment From IGST	योग (11+12+13+14)	कुल GST वापसी	कुल संग्रह (15+16)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर व लोन धनराशि	कुल प्राप्त राजस्व (17+18)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
अप्रैल	7.59	389.9	160.69	0	558.18	-1.44	556.74	0	556.74	5.07	584.84	177.8	0	767.71	-17.44	750.27	0	750.27	35%
मई	1.98	224.74	88.14	0	314.86	-13.15	301.71	0	301.71	0.68	358.22	175.13	0	534.03	-19.8	514.23	1449	1963.23	551%
जून	2.66	209.14	136.92	0	348.72	-20.76	327.96	260.32	588.28	-0.86	369.99	164.94	166.99	701.06	-26.43	674.63	0	674.63	15%
जुलाई	4.98	331.21	208.61	0	544.8	-0.05	544.75	1572.21	2116.96	10.97	389.22	235.01	0	635.2	-23.1	612.1	0	612.1	-71%
अगस्त	8.45	303.17	137.69	148.53	597.84	-8.07	589.77	0	589.77	-3.31	335.35	234.21	0	566.25	-10.4	555.85	0	555.85	-6%
सितम्बर	10.19	288.42	150.36	0	448.97	-28.39	420.58	349.37	769.95	3.82	362.87	127.03	26.08	519.8	-12.82	506.98	0	506.98	-34%
अक्टूबर	-3.57	355.77	143.34	0	495.54	-21.86	473.68	1760.82	2234.5	7.05	404.58	264.65	136.09	812.37	-20.56	791.81	0	791.81	-65%
नवम्बर	3.35	356.99	190.04	0	550.38	-33.55	516.83	270.27	787.1	0.5	387.54	256.61	0	644.65	-3.19	641.46	341.53	982.99	25%
दिसम्बर	11.13	317.91	116.75	0	445.79	-31.72	414.07	0	414.07	7.82	375.65	225.43	0	608.9	-28.43	580.47	0	580.47	40%
जनवरी	17.66	360.92	179.38	216.50	774.46	-14.19	760.27	288.44	1048.71										
फरवरी	2.81	332.38	204.85	0	540.04	-12.32	527.72	0	527.72										
मार्च	3.69	327.54	175.67	123.71	630.61	-20.29	610.32	306.61	916.93										
योग—	**70.92**	**3798.09**	**1892.44**	**488.74**	**6250.19**	**-205.79**	**6044.40**	**4808.04**	**10852.44**	**31.74**	**3568.3**	**1860.8**	**329.16**	**5790**	**-162.17**	**5627.8**	**1790.5**	**7418.3**	**-11%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

नोटः उल्लेखनीय है कि 30 जून, 2022 को राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है तथा उक्त तिथि तक राज्य को प्राप्त होने वाले प्रतिकर की अवशेष धनराशि ही अग्रिम माह में प्राप्त हुयी है। तुलना हेतु यदि राज्य को प्राप्त कुल राजस्व में प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि को सम्मिलित न किया जाय तो वित्तीय वर्ष 2021—22 (₹ 4146.1 करोड़) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 (₹ 5627.8 करोड़) में राज्य के कुल राजस्व संग्रहण में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर, 2021 तक जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर कुल ₹ 1692.22 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1909.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 13 प्रतिशत अधिक है, जिसे तालिका—3.2 में दर्शाया गया है—

तालिका 3.2

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व (Non-GST) (धनराशि ₹करोड़ में)			
माह का नाम	**वर्ष 2021–22**	**वर्ष 2022–23**	**वृद्धि/कमी का प्रतिशत**
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	216.43	229.78	6%
मई	184.43	216.07	17%
जून	122.41	239.08	95%
जुलाई	170.92	240.77	41%
अगस्त	196.34	196.59	0%
सितम्बर	188.39	192.77	2%
अक्टूबर	197.95	182.22	-8%
नवम्बर	226.97	201.74	-11%
दिसम्बर	188.38	210.29	12%
जनवरी	189.91		
फरवरी	165.76		
मार्च	173.53		
योग	**2221.42**	**1909.31**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2022–23 के माह दिसम्बर 2022 तक की जी0एस0टी0 अवधि में कुल ₹ 9,327.65 करोड़ (₹ 1790.53 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष 2021–22 में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 10051.30 करोड़ (₹ 4213 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) से 7 प्रतिशत कम है, जिसे तालिका–3.3 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.3

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	**वर्ष 2021–22**	**वर्ष 2022–23**	**वृद्धि/कमी का प्रतिशत**
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	773.17	980.05	27%
मई	486.14	2179.31	348%
जून	710.69	913.71	29%
जुलाई	2287.88	852.87	-63%
अगस्त	786.11	752.44	-4%
सितम्बर	958.34	699.75	-27%
अक्टूबर	2432.45	974.03	-60%
नवम्बर	1014.07	1184.73	17%
दिसम्बर	602.45	790.76	31%
जनवरी	1238.62		
फरवरी	693.48		
मार्च	1090.48		
योग	**13073.85**	**9327.65**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

नोटः विदित है कि राज्य को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 4213 करोड़ है, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 22 तकराज्य को प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर की धनराशि ₹ 1790.50 करोड़ रही है। इस प्रकार प्रतिकर की धनराशि को छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त मद में राज्य के राजस्व संग्रहण में वृद्धि परिलक्षित हुयी है।

3.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह

3.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.4 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.4

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अप्रैल	79.24	92.85	172.09	61.1	113.16	174.26	-23%	22%	1%
मई	70.6	89.17	159.77	66.58	122.21	188.79	-6%	37%	18%
जून	49.37	62.99	112.36	73.1	123.86	196.96	48%	97%	75%
जुलाई	68.27	79.16	147.43	76.78	124.33	201.11	12%	57%	36%
अगस्त	80.28	83.66	163.94	62.16	97.53	159.69	-23%	17%	-3%
सितम्बर	78.19	77.33	155.52	68.14	89.04	157.18	-13%	15%	1%
अक्टूबर	79.31	83.76	163.07	60.39	88.25	148.64	-24%	5%	-9%
नवम्बर	87.78	102.94	190.72	66.16	95.09	161.25	-25%	-8%	-15%
दिसम्बर	60.48	93.7	154.18	62.95	105.63	168.58	4%	13%	9%
जनवरी	59.51	92.09	151.60						
फरवरी	50.22	83.13	133.35						
मार्च	51.44	88.26	139.70						
योग	**814.69**	**1029.04**	**1843.73**	**597.36**	**959.10**	**1556.46**			

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.5

शराब पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	वर्ष 2021–22 शराब पर प्राप्त कर	वर्ष 2022–23 शराब पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	36.63	53.08	45%
मई	19.60	24.41	25%
जून	7.10	37.47	428%
जुलाई	17.96	34.64	93%
अगस्त	25.61	33.14	29%
सितम्बर	26.78	31.96	19%
अक्टूबर	28.62	30.50	7%
नवम्बर	29.98	36.89	23%
दिसम्बर	28.62	38.25	34%
जनवरी	31.38		
फरवरी	26.79		
मार्च	28.42		
योग	**307.49**	**320.34**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.6

नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)						
माह का नाम	वर्ष 2021–22 नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	वर्ष 2022–23 नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2021–22 एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	वर्ष 2022–23 एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	2.03	2.05	1%	1.11	0.39	-65%
मई	2.08	2.38	14%	0.73	0.49	-33%
जून	2.03	3.52	73%	0.32	1.13	253%
जुलाई	2.24	3.99	78%	0.67	1.03	54%
अगस्त	2.61	3.23	24%	1.09	0.53	-51%
सितम्बर	1.62	3.16	95%	1.28	0.47	-63%
अक्टूबर	1.77	2.52	42%	1.29	0.56	-57%
नवम्बर	2.34	2.98	27%	0.27	0.62	130%
दिसम्बर	2.13	3.04	43%	0.29	0.42	45%
जनवरी	1.92			0.29		
फरवरी	1.88			0.16		
मार्च	1.93			0.18		
योग	**24.58**	**26.87**		**7.68**	**5.64**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

नोट : उत्तराखण्ड भासन की अधिसचूना संख्या–717, दिनांक 30.09.2021 द्वारा एविएशन टरबाईन फ्यूल (ए0टी0एफ0) पर कर की दर 20 प्रतिशत से कम करते हुए 02 प्रतिशत की गयी है, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में ए0टी0एफ0 पर राज्य को प्राप्त होने वाले कर में कमी प्रदर्शित हो रही है।

3.6 वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non GST) में क्रमशः ₹ 6,232 करोड़ तथा ₹ 2,200 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 8,432 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक जी0एस0टी0 व वैट में क्रमशः ₹ 5,627.80 करोड़ तथा ₹ 1,909.31 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 7,537.11 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हो चुका है।

3.7 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में कुल 1,62,762 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 59,141 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,21,903 हो चुकी है।

Number of Registerd Dealers in GST (Data as of 31st December, 2022)		
Sr. No.	**Dealers**	**Number**
1	**Number of Migrated Dealers (State)**	47,618
2	**Number of Migrated Dealers (Centre)**	11,523
3	**New Registration (State)**	69,740
4	**New Registration (Centre)**	93,022
5	**Total Dealers (State+Centre)**	**2,21,903**
6	**Composition Dealer (State)**	23,763
7	**Composition Dealer (Centre)**	16,205
8	**Total Composition Dealer**	**39,968**

3.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयास– राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 38.05 करोड़ कर/अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में जमा कराये गये लगभग ₹ 29.37 करोड़ से 30 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग की विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 319 सर्वेक्षण करते हुये लगभग ₹ 1,115 करोड़ की अपवंचित टर्नओवर प्रकाश में लाई गई तथा सुनवाई के दौरान ही ₹ 30 करोड़ जमा कराये गये।

3.9 वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल ₹ 12,405.74 करोड़ का कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹ 9,960.50 करोड़ से 25 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.7

वर्ष 2021—22 व वर्ष 2022—23 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

	CGST			IGST			SGST			CESS			Total		
माह	**2021-22**	**2022-23**	**%+/-**	**2021-22**	**2022-23**	**%+/-**	**2021-22**	**2022-23**	**%+/-**	**2021-22**	**2022-23**	**%+/-**	**2021-22**	**2022-23**	**%+/-**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अप्रैल	256.16	426.27	66%	389.9	584.84	50%	761.4	863.93	13%	14.47	11.55	-20%	1421.93	1886.59	**33%**
मई	156.33	257.42	65%	224.74	358.22	59%	503.27	680.9	35%	9.07	12.07	33%	893.41	1308.61	**46%**
जून	154.89	257.79	66%	209.14	369.99	77%	332.49	642.75	93%	5.77	10.39	80%	702.29	1280.92	**82%**
जुलाई	226.84	269.02	19%	331.21	389.22	18%	558.27	722.23	29%	7.3	9.43	29%	1123.62	1389.9	**24%**
अगस्त	213.29	223.87	5%	303.17	335.35	11%	566.18	527.01	-7%	6.84	7.98	17%	1089.48	1094.21	**0%**
सितम्बर	211.78	237.84	12%	288.42	362.87	26%	626.13	688.88	10%	4.33	10.78	149%	1130.66	1300.37	**15%**
अक्टूबर	222.92	280.59	26%	355.77	404.58	14%	678.11	918.38	35%	2.53	9.06	258%	1259.33	1612.61	**28%**
नवम्बर	233.41	243.52	4%	356.99	387.54	9%	665.76	639.08	-4%	7.11	9.89	39%	1263.27	1280.03	**1%**
दिसम्बर	211.9	250.66	18%	317.91	375.65	18%	539.13	616.83	14%	7.57	9.36	24%	1076.51	1252.5	**16%**
जनवरी	242.6			360.92			693.35			9.22			1306.09		
फरवरी	226.34			332.38			613.26			3.63			1175.61		
मार्च	221.13			327.54			697.51			9.15			1255.33		
योग	**2577.59**	**2446.98**		**3798.09**	**3568.26**		**7234.86**	**6299.99**		**86.99**	**90.51**		**13697.53**	**12405.74**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.9.1 वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह दिसम्बर, 2021 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹ 1,332.51 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2022—2023 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹ 1,860.79 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 39.64 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका—3.8 में दर्शाया गया है—

तालिका 3.8

Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing

(Fig in ₹ Crore)

Months	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2020-21 (outward)	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2021-22 (outward)	%+/-	SGST/ UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2020-21 (inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2021-22 (inward)	%+/-	Approtionment of IGST to the State /UT (2020-21)	Apportionment of IGST to the State /UT (2021-22)	%+/-	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2020-21)	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2021-22)	Total 2020-21	Total 2021-22	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(2+11) - (5+8)	(14) =(3+12) -(6+9)	(15)
April	353.91	405.43	15%	446.53	503	13%	68.07	80.23	18%	0	0	-160.69	-177.8	11%
May	179.16	362.34	102%	237.9	472.52	99%	29.4	64.94	121%	0	0	-88.14	-175.12	99%
June	164.34	360.46	119%	265.66	458.95	73%	35.6	66.44	87%	0	0	-136.92	-164.93	20%
July	285.02	383.76	35%	442.41	533.16	21%	51.22	85.61	67%	0	0	-208.61	-235.01	13%
August	311.12	286.78	-8%	390.42	461.67	18%	97.99	59.32	-39%	39.6	0	-137.69	-234.21	70%
September	285.03	380.32	33%	359.91	446.84	24%	75.48	60.51	-20%	0	0	-150.36	-127.03	-16%
October	303.92	375.24	23%	401.14	549.33	37%	46.12	90.57	96%	0	0	-143.34	-264.66	85%
November	319.56	354.99	11%	444.78	502.07	13%	64.82	109.52	69%	0	0	-190.04	-256.6	35%
December	314.09	355.84	13%	381.09	470.74	24%	49.75	110.53	122%	0	0	-116.75	-225.43	93%
January	339.77			448.47			70.68			0	0	-179.38		
February	274.74			421.54			58.05			0	0	-204.85		
March	309.31			416.78			68.2			0	0	-175.67		
Total	**3439.97**	**3265.16**		**4656.63**	**4398.28**		**715.38**	**727.67**		**39.6**	**0**	**-1892.44**	**-1860.79**	

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.10 उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आंकलन :

वित्तीय वर्ष 2021–2022 व वर्ष 2022–2023 में राज्य को संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जितनी राजस्व हानि हुई, उसका माहवार विवरण तालिका–3.9 में दर्शाया गया है :–

तालिका 3.9

उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आंकलन

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	वर्ष 2021–22				वर्ष 2022–2023			
	GST रिफन्ड के उपरान्त कुल राजस्व संग्रह (वैट एरियर को सम्मिलित करते हुये)	संरक्षित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %	GST रिफन्ड के उपरान्त कुल राजस्व संग्रह (वैट एरियर को सम्मिलित करते हुये)	संरक्षित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अप्रैल	556.74	907.41	350.67	39%	750.27	1034.33	284.06	27%
मई	301.71	907.41	605.7	67%	514.24	1034.33	520.09	50%
जून	327.96	907.41	579.45	64%	674.63	1034.33	359.7	35%
कुल	**1186.41**	**2722.23**	**1535.82**	**56%**	**1939.14**	**3102.99**	**1163.85**	**37%**

नोट : 30 जून, 2022 को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है।
स्रोत : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

बिल लाओ ईनाम पाओ योजना

ग्राहकों को खरीद का बीजक/बिल लेने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने एवं बिक्री पर बीजक/बिल नहीं दिये जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग द्वारा बिल लाओ ईनाम पाओ योजना लागू की गयी है। यह योजना 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। उक्त योजना के अन्तर्गत विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से मासिक पुरस्कार दिये जायेंगे तथा योजना की समाप्ति पर मेगा पुरस्कार दिये जायेंगे। योजना के अन्तर्गत ग्राहकों के द्वारा BLIPUK App. के माध्यम से खरीद के बिल अपलोड किये जा सकते है।

3.11 व्यापारी बीमा योजनाः जनहित में शासन द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2021 से दिनांक 18.11.2022 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तत्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 5.00 लाख भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कुल 10 क्लेम प्राप्त हुए है। जिसमें से 05 मामलें में मृतक आश्रित को भुगतान किया गया है तथा 05 मामलों में कार्यवाही गतिमान है। वर्ष 2021–22 हेतु संचालित योजना के अन्तर्गत 01 क्लेम प्राप्त हुआ है, जिसका निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के

अन्तर्गत बीमा की धनराशि ₹ 5.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 10.00 लाख कर दी गयी है।

3.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2022–23 से वर्ष 2024–25 तक आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व व राजस्व अनुमान निम्न तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका– 3.10

Assured revenue and revenue projections for forthcoming years are as below-

(आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

S.N.	Financial year	Assured Revenue (Under GST)	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Projected Tax	Projected Growth If GST was not implemented
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)= (3 + 5) or (4+5)**	**(7)**
1.	2022-23 (3 months)	3,104	1,470	480	**3,854 (3+5)**	
	2022-23 (9 months)	-	4,130	1,440	**5,570(4+5)**	
	2022-23	**3,104**	**5,600**	**1,920**	**9,154**	**19,660**
2.	2023-24	-	6,200	2,200	**8,400(4+5)**	**23,311**
3.	2024-25	-	6,800	2,500	**9,300(4+5)**	**27,621**

स्रोत : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.13 जी0एस0टी0 मित्र : उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छोटे करदाताओं को जी0एस0टी0 प्रणाली से अवगत कराये जाने एवं सहायता प्रदान करने तथा शिक्षित युवाओं हेतु स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य एवं विधिक प्रावधानों को सुविधाजनक बनाने हेतु जी0एस0टी0 मित्र की अवधारणा विकसित की गयी। जिसके अन्तर्गत पूरे राज्य में जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त कुल 1698 जी0एस0टी0 मित्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

3.14 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration):

3.14.1 वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 दिसम्बर, 2021 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹ 1077.34 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त आय ₹ 1454.06 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 34.96 प्रतिशत अधिक है।

3.14.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.11
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	640.00	686.60	107.28	(+) 5.89
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.95
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.61
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1195.00	1035.35	86.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.49	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1249.23	1107.04	88.61	(+) 3.31
9	2021–2022	1200.00	1487.89	123.99	(+)34.40
10	2022–2023	1590.05	**1454.06** (01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त आय)	91.44	गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 01 अप्रैल, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक प्राप्त आय ₹ 1077.34 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक 34.96% की वृद्धि हुई।

3.14.3 सर्किल दरों हेतु GIS Application प्रणाली: आम जनता की सुविधा हेतु विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में G.I.S. Application प्रणाली प्रवृत्त की गयी है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर मूल्यांकन करने से आसानी होगी। इससे आम जन को निम्नलिखित लाभ होंगे–

- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांकः 15.02.2023 से सम्पतियों के मूल्यांकन हेतु पुनरीक्षित सर्किल दर सूची प्रवृत्त की गयी है। उक्त प्रणाली के माध्यम से सम्पत्ति पर पहुंच की सुविधा के माध्यम से सम्पत्ति का सर्किल रेट ज्ञात होगा। उक्त पारदर्शी व्यवस्था से ऐसे बिचौलियों, जो कि आम जनता को सर्किल दरों के सम्बन्ध में भ्रमित जानकारी देते हैं, पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

- सम्पत्ति का सही मूल्यांकन कर उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किये जाने से स्टाम्प की कमी सम्बन्धित अनावश्यक समस्याओं का निराकरण।

- पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों / वेन्डरों को स्वीकृत किये जाने वाले लोन की राशि ₹ 10,000 / – तक के ऋण की स्वीकृति हेतु निष्पादित विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

- ''उत्तराखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 (यथा संशोधित व प्रवृत्त) के अन्तर्गत, उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण क्षेत्र) के अन्तर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें उद्यमियों / विधिक व्यक्ति द्वारा Single Window System पर आवेदन किया गया है, भूमि क्रय किये जाने पर क्षेत्र विशेष की निर्धारित अकृषि दर की 50 प्रतिशत दरें प्रभावी होंगी; परन्तु ऐसे विलेखों के माध्यम से अन्तरित भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आंकलित मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से न्यून / अधिक नहीं होगा।
- अग्रेत्तर यह कि जिन क्षेत्रों में अकृषि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु निर्धारित दरों से न्यून होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमि हेतु निर्धारित सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रवृत्त होगी, परन्तु किसी भी दशा में अकृषि दरों से अधिक नहीं होंगी।''
- शासन की अधिसूचना संख्या 550 / 2022 / XXVII(9)/स्टाम्प–48 / 2008 दिनांकः 27 दिसम्बर, 2022 द्वारा अनुसूचि 1बी के अनुच्छेद 23 खण्ड (क) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तियों के पक्ष में ₹ 25 लाख तक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट किसी भी निःशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3.15 आबकारी (Excise)

चार्ट–3.2

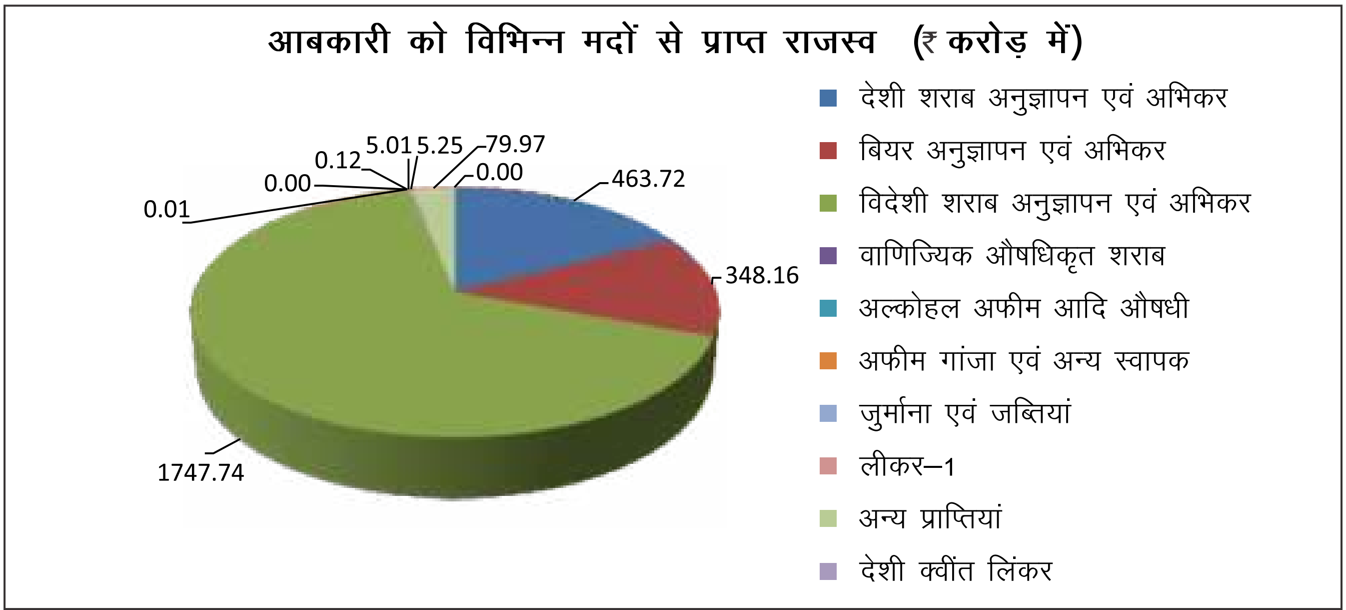

3.16 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2021–22 व वर्ष 2022–23 के लिए आबकारी नीति दिनांक 22.02.2020 को जारी की गयी।

3.17 वर्ष 2021–22 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹ 3,260.35 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,600.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,649.98 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है।

आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

3.17.1 आबकारी विभाग को विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 1,747.742 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.2 देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 463.719 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.3 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 348.160 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.4 लीकर–1 से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 5.249 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.5 वाणिज्यिक औषधिक से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 1.341 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.6 अफीम गांजा एवं अन्य स्वापक से 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 1.157 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.7 जुर्माना एवं जब्तियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 5.008 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.17.8 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2022 तक ₹ 79.972 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

तालिका – 3.12

राजस्व बढ़ोत्तरी आबकारी विभाग

(धनराशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	292.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02
2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21	3461.37	3017.34
2021–22	3202.00	3260.35
2022–23*	3600,00	2649.98

* वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2022 तक।

3.18 वित्तीय वर्ष 2021–22 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,202.00 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹ 3,260.35 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2021–22 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका–3.12 व (चार्ट–3.3) में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3

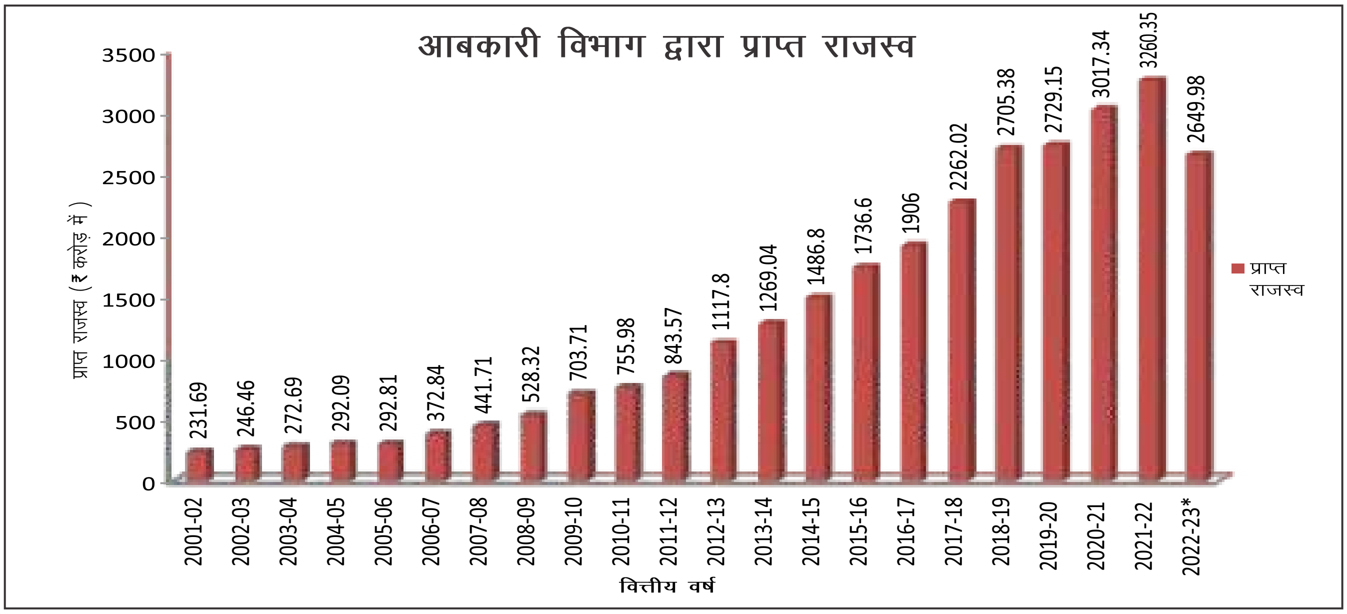

* 31 दिसम्बर 2022 तक।

अध्याय–4
भाव संचलन
Price Movement

4.1 मूल्य सूचकांक (Price Index): मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर (Price Level) या लोगों की जीवन शैली की लागत (Cost of Living) मापने का कार्य करता है। यह विभिन्न समयावधि में अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों के बीच के सापेक्ष मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक निश्चित समयांतराल के दौरान किसी दिए गए समूह की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों के सापेक्ष यह एक सामान्यीकृत औसत (आमतौर पर एक भारित औसत) मूल्य है। इसका उपयोग उत्पादकों के उत्पादक योजना बनाने एवं उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण हेतु किया जाता है।

4.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): थोक मूल्य सूचकांक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के समूह (Basket) के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में यह बास्केट 3 समूहों से बना हैः प्राथमिक वस्तुएं (कुल भार 22.62%), ईंधन और शक्ति (कुल भार 13.15%) तथा विनिर्माण उत्पाद (कुल भार 64.23%)। प्रतिनिधि बास्केट में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से प्राथमिक समूह में 117 वस्तुएं, ईंधन व शक्ति समूह में 16 वस्तुएं तथा विनिर्माण समूह में 564 वस्तुएं सम्मिलित हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index) मुद्रास्फीति के मापन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

4.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) : अप्रैल 2014 से मुद्रास्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (आधार 2012 = 100) को नये मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करने हेतु वस्तुओं के भार निर्धारण करने के लिये Item basket तैयार कर ली गयी है। इसके लिये राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से प्रतिमाह 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित किये गयें।

तलिका 4.1
जनपदवार चयनित ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों की संख्या

क्र0स0	जनपद का नाम	ग्रामीण	नगरीय
1	उत्तरकाशी	2	2
2	चमोली	3	2
3	रूद्रप्रयाग	1	2
4	टिहरी	3	2
5	देहरादून	3	5
6	पौड़ी	4	2
7	पिथौरागढ़	2	2
8	बागेश्वर	1	2
9	अल्मोड़ा	3	2
10	चम्पावत	1	2
11	नैनीताल	3	4
12	यू एस नगर	3	6
13	हरिद्वार	5	7
योग उत्तराखण्ड		**34**	**40**

संग्रहीत 533 वस्तुओं के भावों को आइटम बास्केट तैयार करने में प्रयोग किया गया। तत्पश्चात उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने के लिये नगरीय बाजारों हेतु 190 एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का चयन कर लिया गया है, जिनसे माह अप्रैल 2022 से वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता भाव सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है, जो निम्नानुसार हैः–

तलिका 4.2
माहवार वस्तुओं का भाव सूचकांक

माह–				अप्रैल 22	मई 22	जून 22	जुलाई 22	अगस्त 22	सितम्बर 22	अक्टूबर 22	नवम्बर 22
क0सं0	समूह	उप समूह	भार	भाव सूचकांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**(1) खाद्य वस्तुऐं समस्त**		**44.12**	**137.25**	**137.82**	**139.25**	**141.32**	**141.76**	**140.15**	**141.99**	**139.93**
(1)	**खाद्य वस्तुऐं**		**36.31**	**134.12**	**134.68**	**135.62**	**138.09**	**138.52**	**137.19**	**139.07**	**136.57**
		(I) अनाज, उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवायें	2.46	125.46	129.44	128.06	127.56	131.12	137.30	130.97	131.23
		(II) मांस व मछली	4.54	132.07	134.58	137.62	138.07	135.13	136.95	135.44	135.42
		(III) अण्डा	0.25	107.40	100.19	112.47	111.44	107.93	109.21	114.38	122.10
		(IV) दुग्ध व उसके उत्पाद	2.71	121.99	122.70	122.81	123.54	124.13	121.49	121.80	123.37
		(V) खाद्य तेल	2.17	143.85	144.78	155.21	154.11	152.96	153.13	151.64	152.44
		(VI) फल व मेवा	7.33	124.65	123.58	120.77	128.56	125.00	118.59	126.08	115.07
		(VII) शाक–भाजी, सब्जी / तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	2.56	132.98	129.24	133.61	134.77	148.53	134.16	143.49	135.34
		(VIII) दालें व उसके उत्पाद	0.95	122.48	122.91	129.90	131.41	132.04	133.47	133.48	133.65
		(IX) चीनी, शहद आदि	0.84	116.65	108.69	108.66	111.76	112.12	112.24	112.19	113.27
		(X) नमक व मसाले	0.82	137.84	141.93	142.38	141.77	137.81	143.53	148.81	147.03
		(XI) चाय व काफी	1.92	120.77	126.75	126.84	128.22	129.33	130.18	131.35	133.23
		(XII) चाय–नाश्ता / जलपान	9.76	150.94	151.51	151.43	153.61	154.44	153.99	155.48	154.75
(2)	**धूम्रपान आदि**		**7.80**	**151.95**	**152.56**	**156.23**	**156.36**	**156.62**	**153.54**	**155.26**	**155.31**
(2)	**अखाद्य वस्तुयें**		**55.88**	**174.92**	**171.83**	**170.86**	**171.61**	**173.09**	**173.51**	**159.05**	**163.82**
		(III) वस्त्र, जूते इत्यादि	3.19	106.12	105.68	106.82	107.70	108.79	108.70	108.96	110.68
		(IV) भवन किराया / गैराज किराया आदि	8.84	122.00	121.53	121.63	121.77	123.00	123.00	123.00	123.00
		(V) विद्युत व ईंधन	6.30	156.47	158.18	163.96	166.52	168.58	169.81	170.20	169.90
		(VI) मिश्रित व अन्य	37.55	194.81	190.48	188.53	189.27	190.79	191.29	171.24	177.86
		भाव सूचकांक	**100.00**	**157.92**	**156.48**	**156.61**	**157.99**	**159.09**	**158.69**	**151.38**	**153.05**

4.4 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%); कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10. 07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों/कस्बों में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

4.5 विगत कई वर्षों से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह हुआ है, जो सामान्य जन की क्रय क्षमता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गैर योजना व्यय (Non-plan expenditure) में बढ़ोतरी करता है, जो कि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा केवल क्रय क्षमता एवं मांग में वृद्धि करता है।

पैट्रोल व डीजल के दामों में हो रही दैनिक वृद्धि भी मंहगाई के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि अधिकांश दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं की ढुलाई व आपूर्ति यातायात माध्यमों से होती हैं, जोकि ईधन हेतु पैट्रोल व डीजल पर आधारित है।

राज्य में मंहगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद् में वित्तीय अनुशासन (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा संतुलित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से पारित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुये राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में निरन्तर रखा जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined): राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.01 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2022 माह में अधिकतम स्तर 5.72 प्रतिशत पर अवस्थित रही (तालिका 6.3)।

इसके सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि जनवरी 2022 माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 6.38 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर माह में 6.31 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह अप्रैल 2022 तक इसमें वृद्धि होती रही। माह मई 2022 से माह जुलाई 2022 तक इसमें कमी परिलक्षित हुई। अगस्त 2022 एवं सितम्बर 2022 तक वृद्धि के उपरान्त दिसम्बर 2022 तक कमी दृष्टिगत हुई। उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर माह जनवरी 2022, फरवरी 2022 एवं अगस्त 2022 को छोड़कर समस्त महीनों में राष्ट्रीय दर से कम रही है। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक उत्तराखण्ड राज्य में मुद्रास्फीति की दर में लगातार वृद्धि दर्ज की गयी, मई 2022 में कमी के उपरान्त जून 2022 तक वृद्धि देखी गयी। जुलाई 2022 में कमी के उपरान्त अगस्त 2022 में वृद्धि तत्पश्चात् दिसम्बर 2022 तक कमी नजर आई।

तलिका 4.3
अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) CPI (Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2018		2019		2020		2021		2022		मुद्रास्फीति की दर (2022)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	137	132.2	140	134.9	150	145.4	156	153.5	166	163.3	6	6.38
फरवरी	136	131.3	140	135	149	145	157	153.9	166	164	6.1	6.56
मार्च	137	130.6	140	136	149	145.4	157	154.7	168	165	7	6.66
अप्रैल	137	130.7	141	136.1	151		158	156.5	170	167.1	7.8	6.77
मई	138	131.7	142	137.7	151		160	159	172	168.6	7	6.04
जून	139	132.2	143	138.4	152	150.4	161	158.4	173	169.3	7	6.88
जुलाई	140	134	144	140.2	154	151.6	163	160.4	173	170.2	6.7	6.11
अगस्त	140	134.4	145	141.3	155	152.5	163	160.5	174	172.2	7	7.29
सितम्बर	140	134.7	146	142.4	156	154.2	163	160.9	175	172.6	7.4	7.27
अक्टूबर	141	136.5	147	144.3	158	156.3	166	163.5	177	173.6	6.8	6.18
नवम्बर	141	137.1	149	145.1	159	156.4	167	165	177	174.2	5.9	5.58
दिसम्बर	140	135.6	150	146.1	157	154.4	168	163.4	176	173.5	5.7	6.31

Source: CSO, MoSPI, GoI

चार्ट 4(अ)

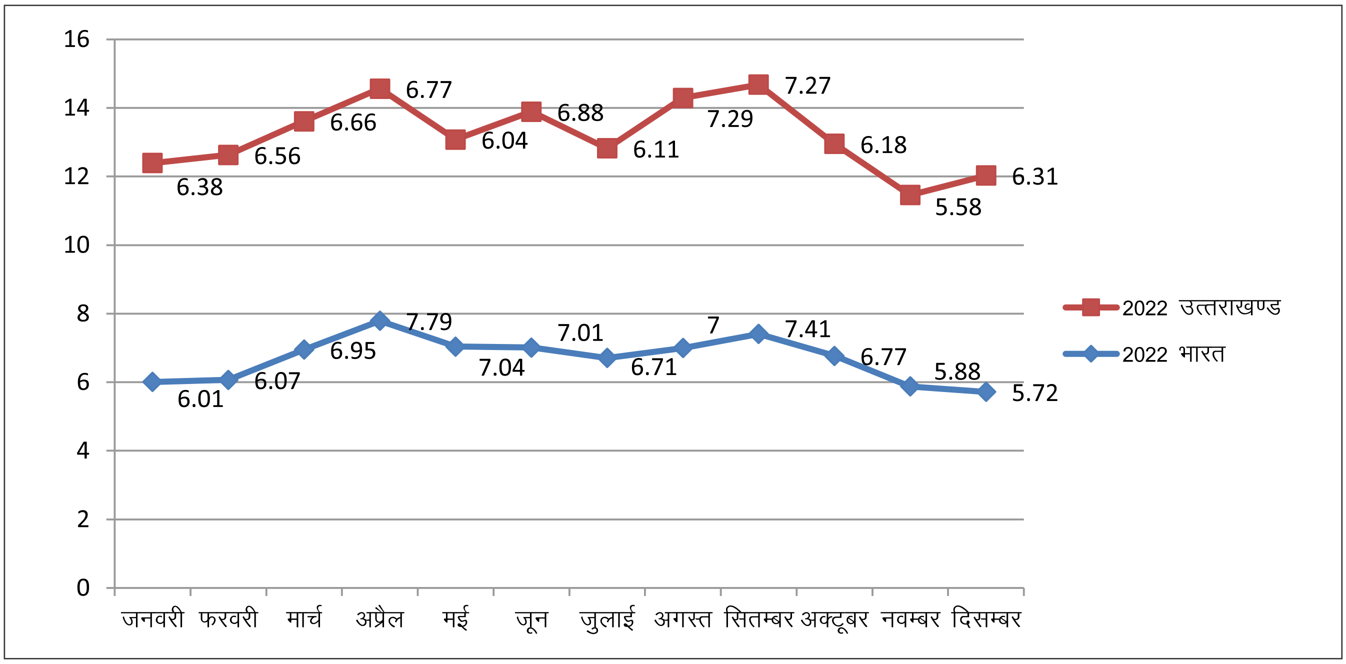

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

अध्याय–5
कृषि, गन्ना एवं उद्यान
(Agriculture, Sugar Cane & Horticulture)

5.1 कृषि (Agriculture)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है कृषि जहां एक ओर प्रमुख रोजगार प्रदाता क्षेत्र है वहीं सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। कृषि की सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी लगभग 22 प्रतिशत है।

राज्य की अर्थव्यवस्था की पद्धति कृषि आधारित होने के कारण कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर में इसकी हिस्सेदारी 90 प्रतिशत है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की आबादी का एक बहुत बडा हिस्सा कृषि पर आश्रित है। कृषि के विकास के लिये नई तकनीकी, मशीनरी तथा नव विकसित बीजों को अपनाकर अधिक उत्पादन स्तर प्राप्त किया जा सकता है। कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

देश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण है तथा कोविड–19 के दौरान अधिकांश शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्धन की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में यदि मात्र कृषि क्षेत्र को ही देखा जाये तो, यहां वर्ष 2001 की तुलना में कुल जनसंख्या के सापेक्ष कुल कार्यबल वर्ष 2011 में 27.48 प्रतिशत से बढकर 30.98 प्रतिशत हुआ है, जो भारत के 30.39 प्रतिशत (2001) तथा 33.24 प्रतिशत (2011) के सापेक्ष कम है।

चूंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र में कृषि जोत छोटी व बिखरी होने के कारण कृषि कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है। 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आजीविका संवर्द्धन तथा अन्य सहवर्गीय क्रियाकलापों यथा उद्यानीकरण, दुग्ध उत्पादन, जडी बूटी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन, जैविक कृषि, संगन्ध पादप, मौन पालन, सब्जी उत्पादन तथा इनसे संबन्धित लधु उद्योगों पर निर्भर करता है। कोविड–19 के दौरान एक रैपिड सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 25% व्यक्तियों द्वारा कृषि तथा सहवर्गीय क्षेत्रों में कार्य करने पर अपनी सहमति जतायी है, जो निश्चित रुप से यह दर्शाता है कि प्रवासी कामगार जो सामान्यतः शहरी क्षेत्रों मे होटल, रैस्टोरेन्ट तथा आतिथ्य (HOSPITALITY) क्षेत्र में कार्य करते थे, इस क्षेत्र में कार्य करने को तैयार है।

5.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदान– चार्ट 5.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2021–22 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 3.80 प्रतिशत से 3.55 प्रतिशत के मध्य रहा है। वर्ष 2021–22 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.77 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की गई है, जो कि निसंदेह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट 5.1

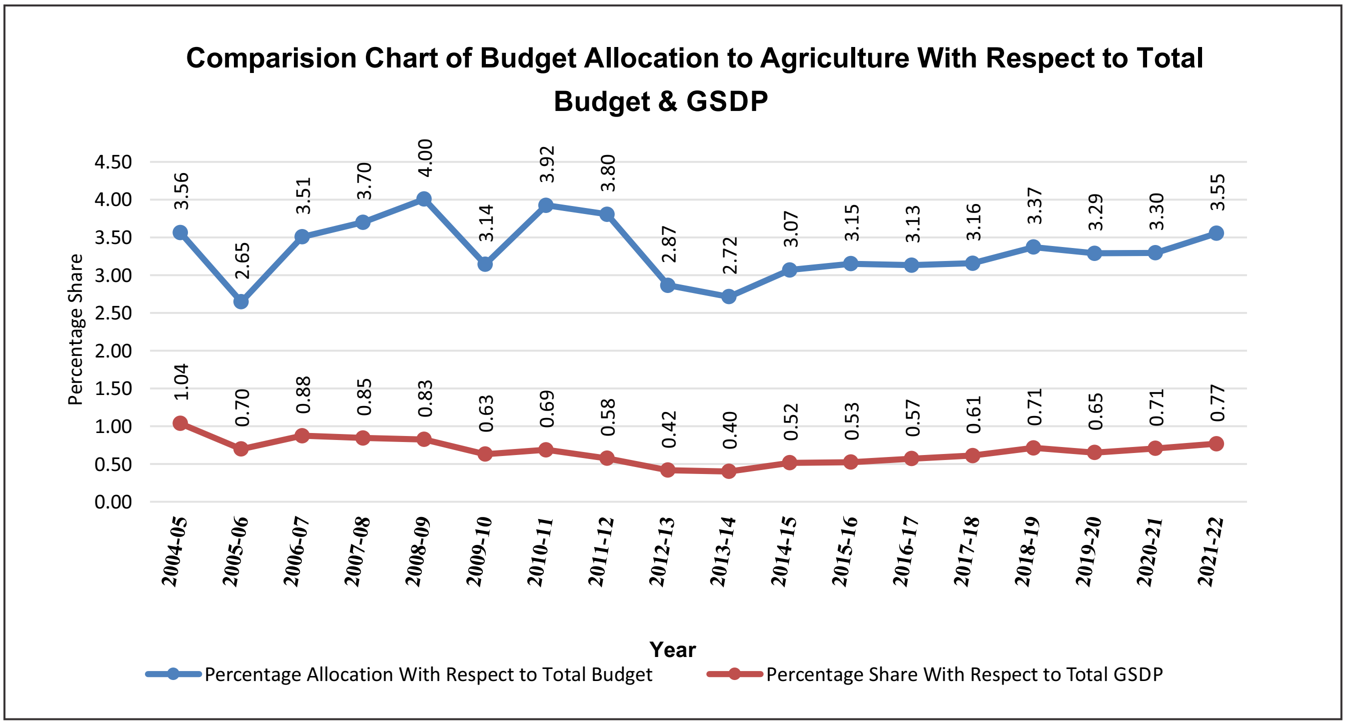

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

5.1.2 कृषि जोतें

वर्ष 2015—16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है—

तालिका 5.1 **क्षेत्रफल— हैक्टेयर में**

क्रियात्मकजोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109266	40279	15878	6081	533920	237081	**659064**	**283442**
लघु (1.0 हे0 से 2.0 हे0 तक)	11182	15299	4374	6348	133261	184582	**148817**	**206228**
सीमान्त व लघु जोतों का योग	120448	55578	20252	12429	667181	421663	**807881**	**489670**
कुलजोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिशत	97.29	85.25	71.98	26.79	91.47	66.33	**91.67**	**65.52**
अर्द्ध—मध्यम (2.0 हे0 से 4.0 हे0 तक)	2997	7714	4570	13097	50473	134721	**58040**	**155532**
मध्यम (4.0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	346	1787	3085	17872	11065	59176	**14496**	**78834**
बृहद (10.0 हे0 से अधिक)	9	114	228	2996	651	20174	**888**	**23284**
कुल योग—	**123800**	**65193**	**28135**	**46394**	**729370**	**635734**	**881305**	**747320**

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 5.2
मानसून वर्ष 2022
वर्षा के सामन्य एवं वास्तविक आंकडे (अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक)

(इकाई–मि0मी0 में)

जनपद		अल्मोड़ा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ़	रूद्रप्रयाग	उ0सिं0नगर	उत्तरकाशी	औसत उत्तराखण्ड	%
अप्रैल, 2022	सामान्य	30.6	30.6	41.8	28.2	25.2	25.6	32.5	16.6	27.1	52.9	61.2	9.5	38.9	36.4	-79
	वास्तविक	1.8	13.4	15.7	2.3	2.4	0	3.8	0	0.1	15.7	10.3	0.3	13	7.7	
मई, 2022	सामान्य	51.4	51.4	68.2	67.2	82.7	39.7	160	26.5	265	105.9	90.5	37.4	82.2	58.9	66
	वास्तविक	73.5	126.2	74.4	55.4	53.4	47.3	185.3	35.4	154.6	216.3	149.6	55.2	105.9	97.6	
जून, 2022	सामान्य	70.9	339.7	167.8	120.9	76.4	56.4	96.8	40.7	119.2	200.1	170.8	133	71.7	167.8	5
	वास्तविक	146.3	146.3	104.7	211.9	193.4	150.8	129.5	134.3	265.8	248.9	220	174.5	176.6	176.8	
जुलाई, 2022	सामान्य	357.5	88.7	212.5	579	671.9	560.4	379.5	441.5	731.4	607.5	623.1	453.2	542.8	428.1	-15
	वास्तविक	181.1	1112.1	564.4	107.6	343.2	211	368.5	127.6	142.5	441	504	195.2	348.8	364	
अगस्त, 2022	सामान्य	240.3	240.3	241.7	392.6	488.9	464.2	324.3	351.2	441.9	471.4	562.1	359	375	408.5	-20
	वास्तविक	158.6	559.6	333.9	196.6	552.4	158.4	263.3	135.5	326.3	367.4	338.1	339.6	412.7	326.2	
सितम्बर, 2022	सामान्य	130	130	105	230.5	217.5	205	152.8	166.2	261.7	235.7	207.6	185.3	168.3	224.7	19
	वास्तविक	176.3	503.8	193.1	343.9	386.6	166.1	240.3	239.8	298.9	324.1	244.5	362.2	235.8	267.2	
अक्टूबर, 2022	सामान्य	20.4	20.4	20.5	43.9	36.4	23.6	22.8	16	39	48.2	20.4	35.3	38	58.5	101
	वास्तविक	167.6	176.6	96.6	214.1	67.6	39.2	29.4	57.8	253.2	180.4	34.4	245.7	54.2	117.6	
नवम्बर, 2022	सामान्य	4.5	4.5	6.6	4.3	11.3	2.6	4	3.5	3.3	0	9.1	1	8.9	9.8	-80
	वास्तविक	0	5.2	3.2	0.3	1.8	0.7	2.8	0	0	1.5	4	0	4	2	
दिसम्बर, 2022	सामान्य	18.3	18.3	20.6	15	21.1	11.5	18.2	13.6	15.8	15.2	21.2	7.9	23.7	21.3	-100
	वास्तविक	0	0	0	0.3	0.5	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0.1	

स्रोत: मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार

कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 के मानसून के मौसम (अप्रैल से दिसम्बर, 2022) में सामान्य से लगभग 54.80 मि0मि0 कम वर्षा हुई।

5.1.3 क्रॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020–21 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 26 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 8 प्रतिशत, गन्ना के अन्तर्गत 9 प्रतिशत, सांवा के अन्तर्गत 5 प्रतिशत, कुल दालों के अंतर्गत 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत, चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

तालिका 5.3
विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (2020–21)

क्र0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1	गेहूँ	30
2	धान	26
3	मंडुवा	8
4	गन्ना	9
5	सांवा	5
6	कुल दालें	6
7	कुल तिलहन	2
8	मक्का	2
9	जौ	2
10	फल एवं सब्जियां	5
11	चारा	3
12	अन्य फसलें	2

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 5.2

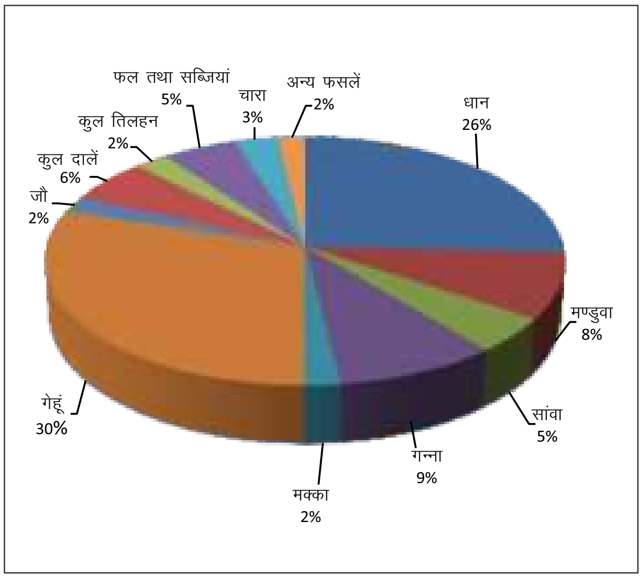

तालिका 5.4
उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

वर्ष	क्षेत्रफल ('000हैक्टेयर)	उत्पादन ('000मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.96	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28
2018–19	814.833	1860.206	2.283
2019–20	806.681	1892.029	2.345
2020–21	782.969	1976.631	2.525
2021–22	788.203	1923.588	2.440

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 5.3

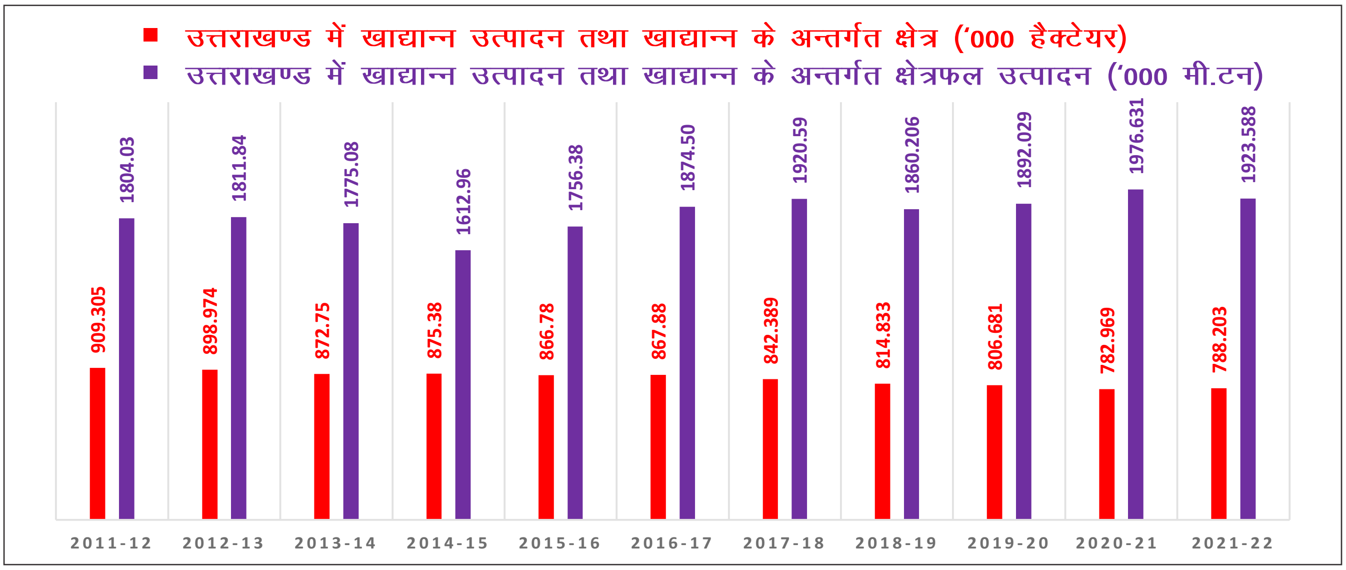

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। सतत् विकास लक्ष्य को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

केन्द्रपोषित योजनायें

5.1.4 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)'' योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष ₹ 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि ₹ 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किश्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है:

- प्रथम किश्त की समयावधि – 01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किश्त की समयावधि – 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किश्त की समयावधि – 01 दिसम्बर से 31 मार्च

पात्र लाभार्थी किसानों को किश्त का भुगतान, लाभार्थी के चिन्हित होने पर पी.एम. –किसान पोर्टल पर डाटा अपलोड होने सम्बन्धी चतुर्मास (4-Monthly Period) के आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश में योजना के संचालन हेतु कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

योजना की प्रगति

प्रदेश में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक 9.70 लाख कृषक पंजीकृत हो चुके है तथा वर्तमान में क्रियाशील कृषकों की संख्या 9.09 लाख को ₹ 1903.68 करोड धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है।

आगामी किश्त (दिसम्बर 2022 से मार्च 2023) हेतु आतिथि तक 4.57 लाख किसानों के 4.65 लाख RFT (Request for Fund Transfer) भुगतान के लिए पी. एम.–किसान पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके है। जिनका जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 5.5

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ रुपयें में)
1.	2018–19	82.82
2.	2019–20	432.03
3.	2020–21	522.16
4.	2021–22	547.77
5.	2022–23	318.90
कुल योग		1903 68

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 5.6
वर्ष 2022–23 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद	Total Active Farmers	आगामी किश्त (दिसम्बर 2022 से मार्च 2023) का विवरण		
			No. of Beneficiaries	RFT's Sign/Uploaded	Amount (in Lakh Rupees)
1	अल्मोड़ा	106761	49522	50105	1002.10
2	बागेश्वर	41059	27454	27804	556.08
3	चमोली	51171	31744	32350	647.00
4	चम्पावत	39797	19502	19846	396.92
5	देहरादून	62647	23277	23497	469.94
6	हरिद्वार	131230	44774	46331	926.62
7	नैनीताल	52727	30587	31015	620.30
8	पौड़ी गढ़वाल	67788	39250	39783	795.66
9	पिथौरागढ़	60685	33933	34475	689.50
10	रूद्रप्रयाग	45068	24927	25461	509.22
11	टिहरी गढ़वाल	116571	63602	65031	1300.62
12	ऊधमसिंहनगर	79844	37657	38066	761.32
13	उत्तरकाशी	53895	30612	31185	623.70
महायोगः–		**909243**	**456841**	**464949**	**9298.98**

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.5 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी. एम.के.एम.वाई.): भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लद्यु एवं सीमान्त किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरु की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। यह योजना 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 2090 कृषक पंजीकृत है।

5.1.6 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 140635 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2022–23 में 27311.47 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत 168.42 करोड़ का बीमा किया गया है। माह जनवरी के अन्त तक बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2022 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2022 से योजना ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही हे।

क्रॉप लोन/टर्म लोनः राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुसार माह सितम्बर, 2022 तक 257932 कृषकों को ₹ 3414.82 करोड़ धनराशि का ऋण वितरण किया गया है।

तालिका 5.7

ऋण के प्रकार	ऋण की संख्या	धनराशि करोड़ रु. में
कॉप लोन	176659	2454.71
टर्म लोन	81273	960.11
कुल योग	257932	3414.82

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 30 सितम्बर, 2022 तक 176659 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए है।

5.1.7 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price): वर्ष 2018–19 के मौसम की रबी फसलों के वर्ष 2022–23 में विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है–

तालिका 5.8

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2020–21	एम0एस0पी0 2021–22	एम0एस0पी0 2022–23
गेहूँ	1975	2015	2125
जौ	1600	1635	1735
चना	5100	5230	5335
मसूर	5100	5500	6000
सरसों/तोरिया	4650	5050	5450
कुसुम (Safflower)	5327	5441	5650

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.8 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM): राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इण्डिया इलैक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है, जो कृषि से सम्बन्धित उपजों के लिए एक एकीकृत बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए0पी0एम0सी0 मण्डी का एक प्रसार है। ई–नाम पोर्टल सभी ए0पी0एम0सी0 (Agriculture Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचनाओं एवं सेवाओं के लिए सेवा प्रदान करता है। कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि व्यवसाय विनियमन द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में कुल 16 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। माह दिसम्बर, 2022 तक 59641 कृषक, 4924 व्यापारियों एवं 2620 कमिशन एजेंटो का पंजीकरण ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अन्तर्गत अभी तक कुल 388 करोड मूल्य की 30.04 लाख कुन्तल कृषि उत्पाद का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 181990 लाट का व्यापार किया गया है एवं 144722 लाट की लैब टेस्टिंग की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल ₹ 110.13 करोड के 20559 ई–भुगतान किये गये हैं।

(अ) ग्रोथ सेन्टर (Growth Centre): उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या–1800, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के द्वारा ग्रोथ सेन्टर के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गयी है। ग्रोथ सेन्टर हेतु MSME विभाग नोडल विभाग घोषित है। वर्तमान में कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में एक ग्रोथ सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

अभिनव प्रयोग

डॉ किशन राणा द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित हितैषी इंडिया, गरूण विकास खंड, बागेश्वर, में स्थित एक गैरसरकारी संगठन (NGO) है। हितैषी इंडिया द्वारा समुदाय के सहयोग से प्रत्येक वर्ष तीन दिवसीय "किर्षाण महोत्सव" का आयोजन किया जाता है। किर्षाण महोत्सव का उद्देश्य कृषि कार्य में संलग्न लोगों का सम्मान करना है। किर्षाण महोत्सव में जैविक उत्पादों के प्रदर्शन, जैविक

बीजों का प्रदर्शन एवं विक्री, स्वस्थ पशुओं (गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि) का प्रदर्शन, लोकनृत्य एवं संगीत आदि के कर्यक्रम आयोजित किये जाते है। महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाते है, किर्षाण महोत्सव जैसे कार्यक्रमों से कृषि एवं श्रम कार्य में संलग्न लोगों को अपने कार्य के प्रति गर्व महसूस होता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेशन में भी कमी देखने को मिली है।

5.1.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): कृषि उत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि करने के प्रयास हेतु भारत सरकार के माध्यम से ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) प्रदेश में संचालित की जा रही है। यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

निम्न कार्यक्रम इस योजना के घटक हैः–

(अ) पर ड्रॉप मोर क्राप (Per Drop More Crop)

''पर ड्रॉप मोर क्राप'' का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई मे निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का कार्य योजना में किया जा रहा है, जिसमें जल संचय हेतु टैंक, तालाब, चैक डैम संरचनाओं के निर्माण स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 मे ₹ 500.00 लाख धनराशि का प्रावधान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके अन्तर्गत कुल 4191 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(ब)हर खेत को पानी

सिंचन क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नये भूमिगत एवं सतही जल स्रोतों का विकास करना, जल स्रोतों का नवीनीकरण, मरम्मत, जीर्णोद्धार करना, परम्परागत जल स्रोतों का विकास, वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, कमाण्ड एरिया को बढ़ाना, प्रक्षेत्र में जल वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करना, जल वितरण एवं जल प्रबन्धन को बढ़ाना कमाण्ड एरिया का कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र माइक्रो/प्रिसिसियन सिंचाई में लाना, विभिन्न स्रोतों से जल संचय को बढ़ाना तथा परम्परागत जल संचय श्रोतों को बढ़ाना।

(स) समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चैकडेम, नाला, बन्ड, तालाब, टैंक आदि, क्षमता विकास ई.पी.ए., रिज क्षेत्र को ट्रीटमेंन्ट, ड्रेनएज का ट्रीटमेंन्ट, भूमि एवं नमी संरक्षण, नर्सरी लगाना, वनीकरण, उद्यानीकरण, बंजर भूमि विकास, लाईवलीहुड एक्टीविटी (समूह गठन, क्षमता विकास आदि), लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये माइक्रो इन्टर प्राईजेस कार्य सम्मिलित हैं।

5.1.10 राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA): वर्षा सिंचित क्षेत्रों मे सतत कृषि उत्पादकता को बढाने के लिय (NMSA) के तहत मुख्य कार्यक्रम/योजनाओं संचालित है–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD): वर्षा सिंचित क्षेत्रों मे सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु कुल 54 क्लस्टर हेतु ₹ 1192.86 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी हैं तथा ₹ 800.00 लाख का केन्द्रांश का आंवटन हुआ है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC) & (90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित): योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच करते हुये उन्हें निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के प्रथम चक्र (वर्ष 2015–2016 से 2016–17) में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। योजना के द्वितीय चक्र (वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) में 8,82,797 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। वर्ष 2020–21 में योजना के लिये ₹ 705.21 लाख का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2020–21 में समस्त जनपदों से कुल 2609 ग्राम चयनित किये गये थे। जिनमें पूर्व में वितरित मृदा

स्वास्थ्य कार्ड में प्रदत्त उर्वरक संस्तुतियों पर आधारित एक–एक फसल प्रर्दशन व कृषकों को मृदा स्वास्थ्य की महत्ता व मृदा स्वास्थ्य से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रदान करने हेतु कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गये। वर्ष 2021–22 से भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन योजनाओं के स्थान पर भूमि पोषण अभियान संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिस हेतु ₹ 633.44 लाख की कार्य–योजना प्रेषित की गयी थी, परन्तु योजना संचालित नही की गयी। वर्ष 2022–23 योजना को आर0के0वी0वाई0 मे सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत ₹ 522.77 लाख की कार्य–योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष मृदा नमूना एकत्रण, विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का कार्य गतिमान है, आतिथि तक 64113 (संख्या) के लक्ष्य के सापेक्ष 39389 (संख्या) मृदा नमूनों का एकत्रण, 26697 मृदा नमूनों का विश्लेषण एवं 5514 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया है परन्तु आतिथि तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY): परम्परागत कृषि को बढावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 7800 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना के सापेक्ष ₹ 13127.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2021–22 में भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि की मांग के सापेक्ष तृतीय चरण हेतु ₹ 3316.11 लाख प्राप्त हुआ है जिसको योजनान्तर्गत क्रियान्वयन हेतु आवंटित कर दिया गया है। वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा गंगा के स्थित क्षेत्रों में परम्परागत कृषि हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

5.1.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR): योजना में कृषि, उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एन0आई0आर0डी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु अनुमोदित परिव्यय / प्रावधान ₹ 6320.00 लाख के सापेक्ष ₹ 1466.67 लाख का उपयोग किया जा चुका है। 15 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है जिसे 5 विभागो द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ अवस्थापना विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

5.1.12 कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):

इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SMAE)
2. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)
3. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)
4. पौध संरक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)

5.1.13 नेशनल ई0– गवरनेंस प्लान एग्रीकल्चर (NeGPA): उक्त योजनान्तर्गत (SMPP) के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित है।

(अ) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE): कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से वर्ष 2022–23 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 1666.67 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है।

(ब) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization-SMAM): इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र / मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 मे भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 2730.29 लाख अवमुक्त हुआ। जिसका उपयोग कर इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10 कस्टम हायरिंग सेन्टर, 129 फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना, 34 ट्रैक्टर, 8 पावर टिलर, 1900 पावर विडर तथा 1310 अन्य पावर चालित एवं 995 मानव चालित आदि यंत्र अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(स) बीज एवं रोपण सामाग्री उप–मिशन (Sub

Mission for Seed Planting material SMSP):

बीज ग्राम कार्यक्रमः वर्तमान में 22648 कुं0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम– हिल सीड बैंक (Hill Seed Bank): पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मण्डुवा, सांवा, गहथ, काला भटट्, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2022–23 में खरीफ सत्र में 166.00 है0 तथा रबी सत्र में 456.05 है0 क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया गया है।

बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification): कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए ''उत्तराखण्ड राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी'' उत्पादकों को पंजीकृत कर रही है।

5.1.14 उर्वरक उपभोगः उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 2002–03 के 1,25,977 मी0 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 161950 मी0 टन हो गया। वर्ष 2020–21 में 158098 मी0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 155643 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2022–23 हेतु 299000 मी0टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष गतिमान वर्ष के माह जनवरी, 2023 तक 220949 मी0टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

5.1.15 राज्य सेक्टर योजनायें:

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के 61 अनुसूचित जाति एवं 15 अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 820 परिवार (4895 कृषक) लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल बजट प्रावधान ₹ 468.70 लाख अनुसूचित जाति एवं ₹ 159.36 लाख अनुसूचित जनजाति हेतु कुल ₹ 628.06 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार अवमुक्त शत–प्रतिशत धनराशि ₹ 628.06 लाख का आवंटन जनपदो को किया गया है जिसके सापेक्ष ₹ 125.91 लाख की धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2022–23 माह दिसम्बर, 2022 तक किया गया है।

5.1.16 स्वच्छता ऐक्शन प्लान– नमामि गंगें क्लीन अभियान : उत्तराखण्ड राज्य में ''स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगें क्लीन अभियान'' का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रथम चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (80 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हित 42 ग्राम पंचायतो मे परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम पंचायतो में पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि का प्रोत्साहित करना है, जिससे की कृषि में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से होने वाले जल प्रदूषण से गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना के क्रियान्वयन स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन नमामि गंगे

ब्रांड के अन्तर्गत किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जैविक कृषि के साथ–साथ औद्यौनिकी, सूक्ष्म–सिचाई एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्यो को भी सम्मिलित कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है।

5.1.17 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनाः राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। जिसके प्रथम वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा ₹ 5603.61 लाख की प्रयोजना स्वीकृत की गयी है, जिस पर ₹ 2000. 00 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

5.2 गन्ना एवं चीनी (Sugar and Cane)

5.2.1 चीनी मिलें : पेराई सत्र 2022–23 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (03 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 03 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022–23 हेतु कुल 89. 50 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 07.69 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2021–22 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 10.12 प्रतिशत है। पेराई सत्र 2022–23 हेतु अध्यावधिक तक ₹ 313.47 करोड़ के सापेक्ष ₹ 109.04 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर (HARC) एक गैर–लाभकारी संगठन है, HARC उत्तराखंड के 11 जिलों में अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हुए सतत (Sustainable) एवं बेहतर कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि कार्य में संलग्न लोगों की आय बढ़ाने पर कार्यरत है। 495 गांवों के 15,000 उत्पादक पिछले पिछले दो वर्षों में HARC की तकनीकी जानकारी से लाभान्वित हुए हैं। इस तकनीकी ज्ञान एवं संसाधनो को अन्य स्वैच्छिक समूहों के साथ साझा कर उनके विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

5.2.2 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 244.50 लाख के सापेक्ष ₹ 109.50 लाख की कार्ययोजना को समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष विभाग को अंकन ₹ 54.75 लाख योजनान्तर्गत नोडल संस्था (कृषि विभाग, उत्तराखण्ड) के द्वारा एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से प्राप्त हुए है। योजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

5.2.3 गन्ना कृषकों को ऋण वितरण : सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में ₹ 1249.44 लाख का नाबार्ड ऋण कृषकों को वितरित किया गया है।

5.2.4 गन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण : गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में अध्यावधिक तक ग्राम स्तरीय 46 कृषक प्रशिक्षण कर 2076 कृषकों को एवं 46 कर्मचारी प्रशिक्षण कर 538 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.5 शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन : वित्तीय वर्ष 2022–23 वास्ते वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक गन्ना बीज की चीनी मिल परिक्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई मांग 14015.00 कुन्तल के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 7690.00 कुन्तल प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।

5.2.6 गन्ना पेराई एवं चीनी उत्पादन : पेराई सत्र 2022–23 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (03 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 03 निजी क्षेत्र) संचालित है। राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2021–22 एवं विगत पेराई सत्र 2020–21 में की गई गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं चीनी परता का

तालिका 5.9

क्र0सं0	विवरण	इकाई	पेराई सत्र 2022–23	पेराई सत्र 2021–22	पेराई सत्र 2020–21
1	2	3	4	5	6
1.	गन्ना पेराई	लाख कुन्तल	89.50	436.42	378.09
2.	चीनी उत्पादन	लाख कुन्तल	7.69	44.18	41.55
3.	औसत चीनी परता	प्रतिशत	–	10.12	10.99

स्रोतः गन्ना विभाग, उत्तराखण्ड

5.3 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागः राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.96 लाख हैक्टेयर भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2. 97 लाख है0 क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए है, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौलें कृषक है। राज्य मे औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹ 3350 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागेदारी है।

राज्य में कुल 2.97 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी फसलें की जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 17. 71 लाख मी0 टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 1.81 लाख है0 क्षेत्रफल में 6.49 लाख मी0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.73 लाख है0 में 6.57 लाख मी0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.27 लाख है0 में 3.67 लाख मै0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.14 लाख है0 में 0.96 लाख मी0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 1609 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 3022 मी0टन खुले पुष्प व 14.42 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्वयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 2200 मी0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 19,500 मी0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है (वर्ष 2020–21 के आंकड़ो के अनुसार)।

तालिका 5.10
जनपदवार फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े (वर्ष 2020–21)

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन–मी0टन में, स्पाईक कटफ्लावर लाख संख्या में)

क्र सं	जनपद	2020–21										
		फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प		
		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	
											स्पाईक	लूज
1.	नैनीताल	11033	101283	5914	60503	1846	26597	1442	8901	42	133	54
2.	उधमसिंहनगर	7647	47674	8367	98256	2820	62617	1254	10250	137	459	210
3.	अल्मोड़ा	24324	159101	4646	43309	2473	51806	1350	9215	25	10	49

4.	बागेश्वर	3703	12744	1578	7969	3510	5647	450	3547	16	4	0
5.	पिथौरागढ़	1621	49581	5700	75501	1850	46064	712	5580	16	10	0
6.	चम्पावत	8332	13778	3223	21455	1110	11712	776	4808	8	2	14
7.	देहरादून	27136	41643	11970	74193	2684	15617	1198	9785	218	555	90
8.	पौड़ी	21767	35795	5045	46853	1080	16102	942	6239	36	126	7
9.	टिहरी	21123	28923	8268	64139	2535	49210	2171	16646	19	113	0
10	चमोली	4549	12832	2150	12336	572	6164	571	2759	62	15	0
11	रूद्रप्रयाग	3403	2594	1270	3560	734	9592	642	2477	80	78	10
12	उत्तरकाशी	15785	38483	10397	56789	3961	307880	1486	4869	143	94	3
13	हरिद्वार	16054	104460	4426	91760	1688	35398	1283	10917	803	1417	1002
	योग	**181070**	**648895**	**72958**	**656628**	**26867**	**367309**	**14280**	**95999**	**1609**	**3022**	**1442**

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

5.3.1 औद्यानिक कलस्टरः

बागवानी मिशन राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गाँवों में कुल 37,435 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 5.11

क्र0 सं0	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	**उधमसिंहनगर**	10	56	590	10	63	307	12	35	187
02	**नैनीताल**	18	140	5106	5	34	785	4	40	315
03	**अल्मोड़ा**	70	670	381	55	576	418	29	332	351
04	**बागेश्वर**	14	128	308	10	107	286	9	87	182
05	**पिथौरागढ़**	35	191	636	33	381	435	32	408	259
06	**चम्पावत**	38	145	821	48	155	736	41	165	415
07	**हरिद्वार**	26	78	603	25	95	833	3	18	177
08	**देहरादून**	19	159	4520	27	155	2577	9	101	731
09	**टिहरी**	8	53	436	10	56	571	2	15	258
10	**पौड़ी**	26	167	651	59	158	642	6	70	161
11	**चमोली**	13	155	453	9	103	378	4	43	219
12	**रूद्रप्रयाग**	26	176	486	24	169	822	20	139	185
13	**उत्तरकाशी**	81	307	4901	122	255	3618	8	82	265
	कुल योग	**384**	**2425**	**19892**	**437**	**2307**	**12408**	**179**	**1535**	**3705**

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0 सं0	जनपद	पुष्प			कुल		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	उधमसिंहनगर	11	28	50	43	182	1134
02	नैनीताल	3	23	30	30	237	6236
03	अल्मोड़ा	3	14	18	157	1592	1168
04	बागेश्वर	1	7	35	34	329	811
05	पिथौरागढ़	.	.	.	100	980	1330
06	चम्पावत	.	.	.	127	465	1972
07	हरिद्वार	6	17	352	60	208	1965
08	देहरादून	10	96	351	65	511	8179
09	टिहरी	1	7	55	21	131	1320
10	पौड़ी	3	15	35	94	410	1489
11	चमोली	1	10	64	27	311	1114
12	रूद्रप्रयाग	10	79	258	80	563	1751
13	उत्तरकाशी	1	0	182	212	644	8966
	कुल योग	**50**	**296**	**1430**	**1050**	**6563**	**37435**

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

5.3.2 परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कलस्टरः कलस्टर अवधारणा अपनाते हुए परम्परागत खेती को बढ़ावा देने हेतु औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत कुल 1241 कलस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें प्रति कलस्टर 20 है0 क्षेत्रफल आच्छादित करते हुए कुल 24820 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया गया है, जिसमें 1724 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 61,543 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित सपोर्ट एजेन्सी के माध्यम से कास्तकारों को 03 चरणों में प्रशिक्षण व भ्रमण से लाभान्वित किया जा रहा है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जनपदवार/फसलवार चयनित कलस्टरों एवं आच्छादित क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 5.12

क0 सं0	जनपद	फल		सब्जी		मसाला	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	24	480	133	2660	77	1540
2	देहरादून	.	.	66	1320	34	680
3	हरिद्वार	2	40	21	420	.	.
4	पौडी	7	140	63	1260	17	340
	कोटद्वार	1	20	39	780	40	800
5	उत्तरकाशी	.	.	65	1300	1	20

6	**रूद्रप्रयाग**	.	.	30	600	5	100
7	**चमोली**	9	180	21	420	9	180
8	**पिथौरागढ**	49	980	52	1040	8	160
9	**अल्मोडा**	14	280	60	1200	37	740
10	**बागेश्वर**	26	520	13	260	11	220
11	**चम्पावत**	8	160	26	520	6	120
12	**नैनीताल**	.	.	37	740	14	280
13	**उ0सिं0नगर**	10	200	13	260	.	.
योग		**150**	**3000**	**639**	**12780**	**259**	**5180**

क0 सं0	**जनपद**	**आलू**		**पुष्प**		**जड़ी–बूटी**		**कुल योग**	
		कलस्टर	**क्षे0 (है0)**	**कलस्टर**	**क्षे0 (है0)**	**कलस्टर**	**क्षे0 (है0)**	**कलस्टर**	**क्षे0 (है0)**
1	टिहरी	66	1320	.	.	.	.	300	6000
2	देहरादून	.	.	.	.	.	.	100	2000
3	हरिद्वार	1	20	1	20	0	0	25	500
4	पौडी	13	260	.	.	.	.	100	2000
	कोटद्वार	14	280	.	.	.	.	94	1880
5	उत्तरकाशी	10	200	.	.	.	.	76	1520
6	रूद्रप्रयाग	5	100	5	100	.	.	45	900
7	चमोली	9	180	6	120	9	180	63	1260
8	पिथौरागढ	1	20	.	.	8	160	118	2360
9	अल्मोडा	16	320	1	20	.	.	128	2560
10	बागेश्वर	3	60	.	.	.	.	53	1060
11	चम्पावत	10	200	.	.	.	.	50	1000
12	नैनीताल	15	300	.	.	.	.	66	1320
13	उ0सिं0नगर	.	.	.	.	.	.	23	460
	योग	**163**	**3260**	**13**	**260**	**17**	**340**	**1241**	**24820**

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

5.3.3 उत्तराखण्ड में फल उत्पादन राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 5000 है0 में बागान स्थापित किये जाते हैं।

5.3.3.1 शीतोष्ण राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आड्, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सेब 2999.00 है0 में खेती करते हुए 64879.00 मी0टन, आडू 8284.00 है0 में खेती करते हुए 52859. 00 मी0टन, प्लम 9016.00 है0 में खेती करते हुए 34837.00 मी0टन, खुबानी 8068.00 है0 में खेती करते हुए 25621.00 मी0टन,, नाशपाती 13250.00 है0 में खेती करते हुए 73780.00 मी0टन व अखरोट 17764.00 है0 में खेती करते हुए 18933.00 मी0टन, उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती तथा आडू को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी, ड्रैगन फ्रूट, पपीता तथा स्ट्रॉबेरी आदि फसलों के लिये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

5.3.3.2 समशीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नीबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता

है, जिनमें मुख्य रूप से आम 36598.00 है0 में खेती करते हुए 150667.00 मी0टन, नीबू वर्गीय फलों की 21750.00 है0 में खेती करते हुए 86852.00 मी0टन, लीची 10718.00 है0 में खेती करते हुए 24721.00 मी0टन, आवंला 995.00 है0 में खेती करते हुए 2395.00 मी0टन, अमरूद 4153.00 है0 में खेती करते हुए 21747.00 मी0टन उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार आदि की नवीनतम प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही गर्म घाटियों में भी समशीतोष्ण फलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही पपीता व ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5.3.4 उत्तराखण्ड में सब्जी उत्पादनः– राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में जब सब्जी उत्पादन किया जाता है उस समय मैदानी क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन बहुत कम होता है। इसलिये पर्वतीय क्षेत्रों की सब्जी मैदानी क्षेत्रों के लिये बेमौसमी सब्जी होती है, जिसका कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कु0 बीज कास्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है।

राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य रूप से सब्जियों के अन्तर्गत मटर की खेती 13615.00 है0 में करते हुए 102978.00 मी0टन उत्पादन, मूली की खेती 5289.00 है0 में करते हुए 60518.00 मी0टन उत्पादन, फ्रासबीन की खेती 6186.00 है0 में करते हुए 42276.00 मी0टन उत्पादन, बन्दगोभी की खेती 6603.00 है0 में करते हुए 69350.00 मी0टन उत्पादन, फूलगोभी की खेती 3384.00 है0 में करते हुए 43414.00 मी0टन उत्पादन, प्याज की खेती 4486.00 है0 में करते हुए 45742.00 मी0टन उत्पादन, सगिया मिर्च की खेती 2816.00 है0 में करते हुए 16537.00 मी0टन उत्पादन, भिण्डी की खेती 3793.00 है0 में करते हुए 27728.00 मी0टन उत्पादन, टमाटर की खेती 9416.00 है0 में करते हुए 110677.00 मी0टन उत्पादन, बैगन की खेती 2748.00 है0 में करते हुए 32116.00 मी0टन उत्पादन व अन्य सब्जियों की खेती 14622.00 है0 में करते हुए 105293.00 मी0टन उत्पादन किया जा रहा है।

राज्य में यूरोपियन वेजिटेबल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से ब्रोकली, ब्रेसेल्स स्प्राउटस, लाल बन्दगोभी, बुश स्केश, चेरी टोमेटो, चायनीज कैबेज, न्यूजीलैण्ड पालक, एस्पररेगर्स, विलायती पालक, व स्टेम लेटयूसे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मांग बडे शहरों में काफी अधिक है तथा कृषकों को इसकी उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। वर्तमान में राज्य में लगभग 80 है0 में यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है।

5.3.5 उत्तराखण्ड में आलू उत्पादनः– राज्य में आलू मुख्यतः दो मौसमों रबी एवं खरीफ में उत्पादित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में रबी मौसम में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खरीफ मौसम में आलू उत्पादन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का आलू मैदानी क्षेत्रों हेतु बेमौसमी होने के कारण कृषकों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। वर्तमान में आलू की खेती 26867.00 है0 में करते हुए 367309.00 मी0टन उत्पादन किया जा रहा है। आलू के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है।

5.3.6 उत्तराखण्ड में मसाला उत्पादनः– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 6500 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है। मसालों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 1791.00 है0 में करते हुए 15196.00 मी0टन उत्पादन, अदरक की खेती 5171.00 है0 में करते हुए 50045.00 मी0टन उत्पादन, मिर्च की खेती 2751.00 है0 में करते हुए 9333.00 मी0टन उत्पादन, लहसुन की खेती 1924.00 है0 में करते हुए 11270.00 मी0टन उत्पादन, धनिया की खेती 1390.00 है0 में करते हुए 3932.00 मी0टन उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 85.00 है0 में करते हुए 90.00 मी0टन उत्पादन, मेथी की खेती 664.00 है0 में करते हुए 3632.00 मी0टन उत्पादन व अन्य मसालों की

खेती 505.00 है0 में करते हुए 2501.00 मी0टन उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार राज्य में मसालों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।

5.3.7 उत्तराखण्ड में पुष्प उत्पादनः— राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। राज्य गठन के समय मात्र 150 है0 में पुष्पों की खेती होती थी, जो वर्तमान में लगभग 1609.31 है0 हो गयी है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अन्तर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जरबेरा की खेती 108.49 है0 में करते हुए 905.91 लाख स्पाईक, कारनेशन की खेती 18.56 है0 में करते हुए 52.37 लाख स्पाईक, ग्लेडियोलाई की खेती 313.26 है0 में करते हुए 466.17 लाख स्पाईक व लिलियम की खेती 8.64 है0 में करते हुए 18.32 लाख स्पाईक उत्पादित की जा रही है। साथ ही लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा की खेती 861.00 है0 में करते हुए 2681.87 मी0टन उत्पादन, गुलाब की खेती 156.00 है0 में करते हुए 173.53 मी0टन उत्पादन, रजनीगंधा की खेती 18.19 है0 में करते हुए 20.03 मी0टन उत्पादन व अन्य पुष्पों की खेती 125.74 है0 में करते हुए 147.47 मी0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.8 संरक्षित खेतीः— कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 17.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पुष्पों के अन्तर्गत व शेष सब्जी के अन्तर्गत आच्छादित हैं। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख वर्गमीटर पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फलों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

5.3.9 उत्तराखण्ड में मौनपालन उत्पादनः— राज्य में शहद उत्पादन तथा पर परागण द्वारा फलों एवं सब्जियों के उत्पादकता बढाने के लिये मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के अन्तर्गत व्यक्तिगत मौनपालकों को फलोत्पादन में वृद्वि हेतु मौनवंशो को परागण हेतु उद्यानों में रखने हेतु राजसहायता दी जा रही है। परपरागण को निजी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने हेतु ज्योलीकोट (नैनीताल) में मौनपालन विधा में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। नई इकाई स्थापित करने के लिये अधिक मधु उत्पादन देने वाली एपीस इण्डिका तथा इटैलियन मधुमक्खी एपिस मैलीफेरा मौनवंश बक्सों को उचित मूल्य पर मौन पालको को उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में 6162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से वर्ष 2022—23 में लगभग 1600 मी0टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.10 उत्तराखण्ड में मशरूम उत्पादनः— राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमाँऊ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट तथा भवाली में 01—01 कम्पोस्ट इकाई स्थापित है एवं गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून के शंकरपुर (सहसपुर) में एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है, जिसके माध्यम से कृषकों को कम्पोस्ट वितरित की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से 170 इकाईयॉ, नियन्त्रित वातावरण में 13 इकाईयॉ तथा ओस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयॉ स्थापित हैं। वर्तमान तक राज्य में लगभग 19500 मी0टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.11 फसल बीमा योजनाः— भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (फसल—आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रैंचबीन) एवं रबी मौसम (सेब, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है। भारत सरकार के

दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुर्नगठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ ;फसल–आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रैंचबीनद्ध एवं रबी मौसम (सेब, आडू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है। जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 130021 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया है।

5.3.12 राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना (HMNEH)– भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजना के अन्तर्गत औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु नर्सरी स्थापना, फल, सब्जी, मसाला, पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, संरक्षित खेती के अन्तर्गत पॉलीहाउस स्थापना, जीर्णोद्धार, सिंचाई सुविधाओं का सृजन, मशरुम उत्पादन, मौनपालन विकास, औद्यानिक यन्त्रीकरण, उत्तर फसल प्रबन्धन, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण आदि घटकों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजसहायता पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत ₹ 3888.88 लाख की कार्य योजना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से एक फल पौधशाला की स्थापना, 970 है0 में फलों, 700 है0 में सब्जियों, 285 है0 में मसाला व 140 है0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, 07 मशरूम उत्पादन इकाईयों की स्थापना, 100 है0 पुराने उद्यानों का जीर्णोद्वार, 85 इकाई जल स्त्रोतों का सृजन, 82000 वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापना, 15.50 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट, 800 है0 क्षेत्रफल में प्लास्टिक मल्चिंग, 262 औद्यानिक यन्त्र, 06 विपणन, 19 मशरूम उत्पादन इकाई, 12 मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन इकाई, 10 मशरूम स्पॉन लैब इकाई, Post Harvest Management घटक के अन्तर्गत 02 कोल्ड रूम स्टेजिंग, 04 राइपनिंग चैम्बर, 09 रेफ्रीजिरेटेड वैन, 05 कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की स्थापना की गयी है। साथ ही बागवानी उत्पादन हेतु विपणन ढांचे की स्थापना के लिए 21 सार्टिंग ग्रेडिंग इकाई एंव 03 रिटेल आउटलेट की स्थापना भी की गई है।

5.3.13 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटकः– भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित इस योजनान्तर्गत सिंचाई की समुचित व्यवस्था करते हुए पौधों की आवश्यकतानुसार पानी व अन्य पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सुनिश्चित करने हेतु उत्तराखण्ड में कृषि, औद्यानिक एवं गन्ना उत्पादकों को ड्रिप इरीगेशन व स्प्रिंगकलर इरीगेशन निर्धारित राज सहायता पर कास्तकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ–साथ कृषकों के प्रक्षेत्रों पर जल संग्रहण व पानी की व्यवस्था हेतु भी Other Intervention घटक के अन्तर्गत भी राज सहायता प्रदान की जाती है। इससे प्रदेश में कृषि/औद्यानिक/गन्ना फसलों की उत्पादकता बढ़ने के साथ–साथ कृषकों का आर्थिक स्तर भी ऊँचा होगा। इसके लिए वर्ष 2022–23 में लगभग 21678.20 है0 क्षेत्र में टपक/फब्बारा सिंचाई की व्यवस्था की गयी।

5.3.14 औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयासः– राज्य में निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹ 2298.38 करोड़ के निवेश हेतु कुल 58 निवेशकों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें से 26 निवेशकों के ₹ 661 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउन्डिंग की गयी है तथा 05 इकाईयों द्वारा व्यवसायिक उत्पादन/कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसमें ₹ 155.00 करोड़ का निवेश हुआ है।

5.3.15 पैक हाउसः– राज्य में औद्यानिक उत्पादों के सग्रंहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1250 पैक हाउस स्थापित किये गये हैं।

5.3.16 कोल्ड चैनः– उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 31 कोल्ड चैन इकाईया (जनपद उधमसिंहनगर में 22, नैनीताल में 03, हरिद्वार में 04 व देहरादून में 02) स्थापित हैं। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 29 इकाईयॅा औद्यानिकी आधारित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 70000 मी0टन है एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लीटर प्रतिदिन है।

5.3.17 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँः— उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता लगभग 01 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान में लगभग 13 प्रतिशत चल रही है। राज्य में औद्यानिकी आधारित HMNEH योजनान्तर्गत 62 खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो चुकी है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 2 लाख मी0टन है। इसके अतिरिक्त राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत कोल्ड चैन घटक में 29 प्रस्ताव स्वीकृत हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां ही है। इसी योजनान्तर्गत हिमालयन काशीपुर में 10 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां PMKSY योजनान्तर्गत से स्वीकृत है।

5.3.18 मेगा फूड पार्कः— राज्य में ₹ 100—100 करोड़ की लागत से पतंजली फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसस्करण इकाईयाँ स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेडा, काशीपुर, उधमसिंहनगर में 25 खाद्य प्रसस्करण इकाईयाँ स्थापित किया गया है। तथा विभाग द्वारा मेगा फूड पार्क में स्थापित इकाईयों के लिए इन्सेंटिव दिये जाने का प्रावधान राज्य योजना से किया गया है।

5.3.19 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकासः— कोविड—19 के दौरान राज्य में वापस आये प्रवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से औद्यानिकी से जुड़े कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ₹ 1700.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत कृषकों को फल—पौध, सब्जी—बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्ब 50 प्रतिशत राजसहायता पर , कीटनाशक रसायन 60 प्रतिशत राजसहायता पर तथा कृषक समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि को नियन्त्रित वातावरण में परिवहन एवं भण्डार हेतु कूल हाउस/रेफ्रिजरेटेड वैन पर 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2022—23 में लगभग 275 कुन्तल सब्जी, मसाला, आलू बीज का वितरण किया गया है।

5.3.20 उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजनाः— आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 526.00 करोड़ लागत की Japan International Cooperation Agency (JICA) के वित्तीय सहयोग से "उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना" स्वीकृत की गयी है।

5.3.21 मधुग्रामः— राज्य में विद्यमान मौनपालन के विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत स्तर पर एक—एक मधुग्राम विकसित कर मौनपालन के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि एवं बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सकेंगें। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में ₹ 100.00 लाख का बजट प्रावधानित है।

5.3.22 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PM FME):— योजनान्तर्गत तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड—होल्डिंग सहायता सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाना है। नये सूक्ष्म उद्योगों को साझा सेवाओं (Common Facilities) का लाभ देने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), स्वयं सहायता समूहों (एस. एच.जी.), मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सरकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता एवं ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला का विकास किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों की स्थापना हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10 लाख की राजसहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.00 लाख प्रति इकाई अतिरिक्त राज सहायता प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत "एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) का चयन करते हुए ODOP आधारित इकाई स्थापना हेतु प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

तालिका 5.13

"एक जनपद एक उत्पाद (ODOP)"

क्र0सं0	जनपद	चयनित उत्पाद
01	हरिद्वार	मशरुम (बटन, मिल्की आदि)
02	उत्तरकाशी	सेब आधारित उत्पाद (जैली, जैम, चटनी, कैण्ड फ्रूट/जूस)
03	देहरादून	बेकरी उत्पाद (बिस्कट, रस्क, ब्रेड, केक आदि)
04	नैनीताल	फलों का जूस व स्कवैश (आडू आदि)
05	चम्पावत	तेजपात एंव मसालें
06	पौड़ी	नीबू वर्गीय फलों पर आधारित उत्पाद (माल्टा)
07	पिथौरागढ़	हल्दी आधारित उत्पाद
08	उधमसिंह नगर	आम आधारित उत्पाद
09	अल्मोड़ा	खुबानी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, आचार आदि)
10	बागेश्वर	कीवी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, स्कवैश, केक, आदि)
11	टिहरी	अदरक आधरित उत्पाद (सौंठ, कैण्डी, अचार आदि)
12	चमोली	मत्स्य आधारित उत्पाद
13	रुद्रप्रयाग	चौलाई आधारित उत्पाद (चौलाई के लडडू आदि)

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

PMFME योजनान्तर्गत 144 इकाईयों का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। साथ ही 01 इन्क्यूबेशन सेन्टर पन्तनगर विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है।

5.3.23 हार्टी–टूरिज्म गतिविधियों का विकासः– राज्य में स्थापित राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान, चम्पावत, जरमोला तथा राजकीय उद्यान गंगालहरी को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स गतिविधियों के अनुरुप विकसित किया जा रहा है।

5.3.24 औद्यानिक विभाग समुख्य उपलब्धियाँः– विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर 2022) ₹ 11.42 लाख फल पौध वितरण, 561.13 कुन्तल सब्जी बीज वितरण, 247.09 कुन्तल आलू बीज वितरण, 35.40 कुन्तल अदरक बीज वितरण, लगभग 5013.28 हैक्टर में पौध सुरक्षा कार्य तथा 3874 व्यक्तियों को औद्यानिक संयत्र वितरण किये गये।

- **मशरूम उत्पादन योजनाः–** योजनान्तर्गत (i) कम्पोस्ट व स्पॉन वितरण पर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 4250.00 प्रति मी0टन अनुदान दिया जाता है। (ii) 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है। (iii) अन्य मशरूम उत्पादन के साथ–साथ गाइनोडर्मा मशरूम पर भी अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन हेतु, 65.90 मी0टन पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन, स्पॉन 1456.00 कि0ग्रा0 वितरण किया गया तथा 722 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **फल सब्जियों का सुखाकर प्रसंस्करण–** राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 636.00 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया ₹ 3.00 लाख कोरोगेटेड बॉक्स वितरण, 4612 प्लास्टिक क्रेट्स वितरण किये गये तथा 1419 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

- **उद्यान कार्ड वितरणः–** विभाग द्वारा औद्यानिक निवेशों के वितरण हेतु लगभग 1306 किसानों को उद्यान कार्डों का वितरण कर पंजीकरण किया गया।

- **रोपण सामग्री का उत्पादनः–** राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के 2.50 लाख फल पौधों का उत्पादन 192.27 कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया गया।

• **मौनपालन योजनाः–** परपरागण योजनान्तर्गत (i) औद्यानिक फसलों में मौनवशों/मौनगृहों को उद्यानों में रखने हेतु यातायात पर ₹ 350.00 प्रति मौनवंश अधिकतम 4 मौनवंश प्रति है0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2500 मौनवंशों हेतु राजसहायता प्रदान की गयी है। (ii) ₹ 800.00 प्रति मौनगृह/मौनवंश राजसहायता के अन्तर्गत 1 व्यक्ति को अधिकतम 10 मौनगृह दिये जाने की योजना है। (iii) मौनपालन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

• **घेरबाड़ योजनाः–** राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर 50 प्रतिशत राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 1.00 लाख प्रति हैक्टर राजसहायता प्रदान करते हुए 86.26 हैक्टर बागानों में घेरबाड़ की गयी है।

• **फल पौध रोपण की योजनाः–** निःशुल्क वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 (वर्षाकाल) एवं शीतकाल में 4.89 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया गया है।

• **ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना–** कृषकों का 5 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण/फटे पॉलीहाउस की पॉलीथीन बदलने हेतु ₹ 50 प्रति वर्ग मी0 का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 4000 वर्ग मी0 तक अनुदान का प्रावधान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 17165 वर्गमीटर पर राजसहायता दी जा चुकी है।

• **मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजनाः–** योजनान्तर्गत कृषकों को पॉलीहाउस में खेती करने हेतु 100 से 500 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस निर्माण हेतु (50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 30 प्रतिशत राज्यांश) 80 प्रतिशत राजसहायता की दर से अधिकतम ₹ 365.70 प्रति वर्ग मी0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। वर्ष 2022–23 में 24300 वर्ग मी0 पर राजसहायता दी गयी है।

• **वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की योजनाः–** राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹ 33.300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई हेतु राजसहायता प्रदान पर 128 इकाईयों की स्थापना की गई है।

• **अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में औद्यानिक विकासः–** इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास हेतु उद्यानों की स्थापना मद में पौंध व औद्यानिक निवेश 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्रति लाभार्थी 0.2 है0 से 2.0 है0 तथा अधिकतम ₹ 30000.00 प्रति है0 अनुदान दिया जाता है साथ ही आलू विकास/उत्पादन हेतु बीज व निवेश 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्रति लाभार्थी 0.1 है0 से 1.0 है0 तथा अधिकतम ₹ 25000.00 प्रति है0 मैदानी क्षेत्र हेतु तथा 40000.00 प्रति है0 पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

• **अखरोट व गिरीदार फलों के सर्वांगीण विकास हेतुः–** राज्य में अखरोट, बादाम तथा पिकननट की खेती को बढ़ावा देने हेतु पौधशालाओं की स्थापना तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु व्यक्तिगत कृषकों को ₹ 15.00 लाख प्रति है0 का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 7.50 लाख एवं राजकीय पौधालयों हेतु शतप्रतिशत तथा क्षेत्रफल विस्तार हेतु ₹ 60.00 हजार प्रति है0 राजसहायता प्रदान की जा रही है।

• **फल पौधशालाओं की स्थापनाः–** राज्य में छोटी (0.2 है0 से 1.0 है0 तक) नई पौधशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु ₹ 15.00 लाख प्रति है0 का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 7.50 लाख समानुपातिक रूप से राजसहायता प्रदान की जा रही है।

• **मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (₹ 7.00 प्रति किग्रा की दर से)ः–** प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मशाला मिर्च(लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.00 प्रति किग्रा0 की दर से कास्तकारो/कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

• **उत्तराखण्ड में उच्च तकनीकी द्वारा सेब उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मिशन एप्पल योजनाः–** उत्तराखण्ड में उच्च तकनीकी द्वारा सेब

उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूलवृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु उद्यानपतियो को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत अधिकतम 01 एकड़ तक राजसहायता प्रदान की जाती है। मिशन एप्पल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 12.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

नये आयाम / पहलें—

- राज्य में औद्यानिक फसलों के उत्पादन को विजन 2025 के अन्तर्गत दोगुना किये जाने हेतु विजन डाक्यूमेन्ट तैयार कर क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत बागवानी मिशन में 85 है0 क्षेत्रफल कीवी व 90 है0 ड्रेगन फ्रूट का क्षेत्रफल विस्तार का लक्ष्य रखा है तथा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत ₹ 16.56 करोड़ कीवी हेतु योजना स्वीकृत की गई है एवं ₹ 5.00 करोड़ अवमुक्त कर क्षेत्रफल विस्तार की कार्यवाही की जा रही है।
- औद्यानिकी के समग्र विकास हेतु ₹ 526.00 करोड़ के कार्यो का दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है।
- नाबार्ड की RIDF योजनान्तर्गत पूर्व में ₹ 45.91 करोड़ की धनराशि के 06 प्रस्ताव का कार्य विभाग द्वारा जनपदों में गतिमान है व वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 15.85 करोड़ धनराशि के प्रस्ताव नाबार्ड को प्रस्तुत किये गये हैं।
- राज्य औद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता योजना (Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2022-23) के अन्तर्गत 04 प्रस्ताव कुल लागत ₹ 99.57 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्य के भूमिहीन / नवयुवकों को मौनपालन एवं मशरूम उत्पादन से जोड़ कर स्वरोजगार दिलाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलायें जा रहें हैं।
- इसके साथ ही नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्ष 2022—23 हेतु 18200 कलस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस 100 वर्गमी0 Natural Ventilated Tubular Structure हेतु ₹ 313.95 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- राज्य में सेब की अतिसघन बागवानी को सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) फण्ड उद्योग विभाग, उद्यान विभाग एवं सहकारिता विभाग के सामंजस्य से बढ़ावा देने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022—23 में 500 बगीचें (01 बगीचा = 05 नाली भूमि तथा ₹ 5.00 लाख प्रति बगीचा लागत) स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

5.4 भेषज विकास इकाई (उद्यान विभाग) उत्तराखण्ड।

5.4.1 जड़ी—बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमः— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषकों को कृषिकरण के लिये अधिकतम 05 नाली भूमि में व वृक्षारोपण के लिये अधिकतम 10 नाली भूमि हेतु चयनित प्रजातियों की रोपण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हुये, वित्तीय वर्ष 2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक) में कुल 2980 कृषकों को 1451480 पौधों का वितरण कर 8771.95 नाली (175.44है0) में कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्य कराया गया।

हरेला कार्यक्रमः— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 (दिसम्बर, 2022) में कुल 66 कृषकों को 46663 औषधीय पौधों का वितरण कर 3277 नाली (63.5 है0) में कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्य कराया गया है।

5.4.2 वन क्षेत्र से जड़ी—बूटी संग्रहण कार्यक्रमः— इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय नागरिकों के संग्रहण अनुज्ञा पत्र जारी करके वित्तीय वर्ष 2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक) में कुल 4780.02 कुन्तल का संग्रहण कराया गया, जिसका विक्रय मूल्य ₹ 1351.83 लाख के सापेक्ष मू0 ₹ 107.71 लाख का राजस्व जमा कराते हुये, ₹ 1200.77 लाख का संग्रहणकर्ताओं को भुगतान किया गया है।

5.4.3 नाप भूमि से निर्गत रवन्ना कार्यक्रमः— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 (दिसम्बर, 2022) में कुल 279 रवन्नों, 3500 कुन्तल ₹ 326.48 लाख जड़ी—बूटियों की बिक्री की गयी।

5.4.4 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमः— इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को जड़ी—बूटियों के कृषिकरण, संरक्षण, संवर्द्धन व विपणन आदि की जानकारी देने के लिये समस्त जनपदों में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022—23 (दिसम्बर, 2022) में कुल 23 प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के माध्यम से 1162 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया व वर्तमान में कार्य जारी है।

5.4.5 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप)

सगन्ध फसलों की खेती को Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के रुप में अपनाया गया है, जिसमें कैप इन्कुबेटर के रुप मे तथा कृषक एवं उद्यमी पार्टनर के रुप में कार्य करतें है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को जोडना तथा उनके बीच नेतृत्व की भावना पैदा करना है। इस व्यवस्था में किसान बहुत छोटे उद्यमी के रुप में कार्य करता है, जिसका काम नर्सरी उगाना तथा फसलों की खेती करना है। इन्ही किसानो में से उन किसानो को चुना जाता है जो कि आसवन संयत्र की मदद से इन फसलों का तेल निकालने के इच्छुक होते है, इन्हे छोटे मध्यम उद्यमी का दर्जा दिया जाता है। इस प्रकार से ये उद्यमी, उद्योगो हेतु कच्चा माल, फूल—पत्ती, आसवन तथा सगन्ध उत्पाद व तेलो के विपणन इत्यादि हेतु धरातल तैयार करने में सहायता करते हैं तथा इस व्यवस्था में आखिरी भूमिका उद्योग की है, जो कैप के माध्यम से किसानों के समूह से जुडकर अपनी आवश्यकतानुसार सुगन्धित तेल खरीदतें है।

5.4.6 एरोमेटिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्यः— सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 21000 कृषकों द्वारा 7652 है0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1708 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। संगन्ध फसलों के प्रंसस्करण हेतु 187 आसवन संयत्रों की स्थापना की गयी। सगन्ध सेक्टर का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः—

तालिका 5.14

क्र0सं0	फसल का नाम	कृषक (संख्या)	क्षेत्रफल (हे0)	उत्पादन (कु0)	टर्न ओवर (₹ करोड़)
1	डेमस्क गुलाब	1249	118	665	1.65
2	सगन्ध घासें	4612	756	576	5.76
3	मिन्ट	6291	6118	5812	69.00
4	तेजपात	7246	461	9120	5.47
5	अन्य सगन्ध फसलें	1611	199	905	3.16
योग		**21009**	**7652**	**17078**	**85.04**

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

जनपद	कलस्टरों की संख्या	स्थापित आसवन सयंत्र	कृषक संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (हे0)	सम्मिलित ग्राम (संख्या)	मुख्य सगन्ध फसल
पौड़ी	11	13	2388	220.00	69	लैमनग्रास, तेजपात एवं अन्य
देहरादून	10	23	2927	393.18	133	लैमनग्रास, डे0 गुलाब, मिन्ट एवं अन्य
हरिद्वार	5	21	2683	496.00	66	लैमनग्रास, मिन्ट एवं अन्य
चमोली	6	15	367	42.50	40	डेमस्क गुलाब
टिहरी	4	12	124	34.38	30	डेमस्क गुलाब एवं अन्य
रूद्रप्रयाग	2	5	259	8.86	13	डेमस्क गुलाब
उत्तरकाशी	2	2	246	15.00	10	डेमस्क गुलाब एवं अन्य
नैनीताल	15	21	5853	401.06	150	तेजपात, लैमनग्रास, डेमस्क गुलाब एवं अन्य
अल्मोड़ा	4	8	607	41.00	23	डेमस्क गुलाब, तेजपात एवं अन्य
ऊधम सिंह नगर	46	57	5291	5971.80	103	मिन्ट एवं अन्य
पिथौरागढ़	2	4	221	26.00	14	डेमस्क गुलाब, तेजपात एवं अन्य
बागेश्वर	1	3	19	1.00	3	डेमस्क गुलाब, तेजपात एवं अन्य
चम्पावत	1	3	24	1.50	6	लैमनग्रास, तेजपात एवं अन्य
योग	**109**	**187**	**21009**	**7652.28**	**660**	

स्रोतः उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

1. सगन्ध फसलों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरणों की स्थापना पर अनुदानः– वर्ष 2022–23 में सगन्ध फसलों के प्रोसेसिंग हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत 07 आसवन सयंत्र की स्थापना पर ₹ 18.28 लाख तथा 08 सोलर ड्रायरों पर ₹ 7.72 का अनुदान 15 कृषकों को उपलब्ध कराया गया है।

2. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):– परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अन्तर्गत जनपद–हरिद्वार, चमोली, पौड़ी एवं नैनीताल, के कुल 07 विकासखण्डों में 45 एरोमा कलस्टरों के अन्तर्गत 411 हैक्टेयर क्षेत्रफल को सगन्ध फसलों यथा लैमनग्रास, तेजपात एवं डेमस्क गुलाब से एवं 489 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पारम्परिक फसलों सहित कुल 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि को जैविक खेती से आच्छादित किया गया है, जिससे 1529 कृषक लाभंवित हुये है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिचांई विकास योजना (PMKSY):– इस योजना के अन्तर्गत लैमनग्रास की 80 हेक्टेयर भूमि में Portable Sprinkler की स्थापना कर 80 कृषकों को लाभांवित किया गया है।

4. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना (MRKVY):– सगन्ध फसलों के विकसित हो रहे कलस्टरों में प्रारम्भिक अवस्था में फसलों के आसवन तथा व्यवसायिक महत्व के जंगली सगन्ध प्रजातियों के स्थानीय स्तर पर आसवन एवं इससे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्‌देश्य से मोबाईल आसवन सयंत्र का क्रय मु0मं0रा0कृषि विकास योजनान्तर्गत किया जा रहा है। इस हेतु ₹ 129.80 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)ः—

- **सगन्ध फसल उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of excellence for Aromatic crop)ः—** RKVY परियोजनान्तर्गत संगध पौधा केन्द्र, सेलाकुई परिसर में Centre of excellence for Aromatic crop की स्थापना की गयी है। इस हाईटेक नर्सरी में आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार की जायेगी, जिन्हे कृषकों को सगन्ध क्षेत्र विस्तार हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

- **सुगन्ध फैक्ट्री (Common Processing Facility) की स्थापनाः—** लैब स्केल आधारित Essential Oil, Extract एवं Aroma Chemicals के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सम्बन्धित शोध कार्यों को पायलेट स्केल एवं कामर्शियल स्केल पर स्केलअप करने हेतु तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से सुगन्ध फैक्ट्री (Common Processing Facility) का शिलान्यास दिनांक 25 अगस्त, 2021 को मा0 मंत्री, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया। इस फैक्ट्री में कृषकों को उनके उत्पाद के मूल्य संर्वधन की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त स्वरोजगार हेतु Skill development कार्यक्रम भी चलाये जायेगे।

6. आधुनिक इत्र एवं सुगन्ध प्रयोगशाला (State of The Art Laboratories)ः— राज्य में सगन्ध सेक्टर को बढ़ावा देने एवं सगन्ध तेलों के मूल्य संर्वधन हेतु प्रासेस तकनीकी एवं मूल्य संवर्धन, पादप विज्ञान, उत्पाद विकास, कोशिका संवर्धन, सुक्ष्म जैविकी, परफ्यूमरी तथा रसायन विज्ञान प्रयोगशालों की स्थापना की गई है, जिसका लोर्कापण मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को किया गया है।

7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (MGNREGA)ः— सगन्ध कृषिकरण को वर्ष 2017—18 में मनरेगा कार्यक्रम से जोड़ा गया है, जिसके अन्तर्गत अब तक कुल 1035 है0 भूमि को लैमनग्रास, तेजपात, डेमस्क गुलाब, रोजमेरी एवं तिमूर से आच्छादित करते हुये, कुल 8549 कृषकों को लाभान्वित करते हुये, 5.06 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया।

8. ऐरोमा पार्क की स्थापनाः— काशीपुर (ऊधमसिंहनगर) में सिडकुल द्वारा विकसित 41 एकड भूमि में ऐरोमा पार्क का लोकार्पण दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इस ऐरोमा पार्क में लगभग 47 ऐरोमा उद्योगों के स्थापित होने की सम्भावना है।

5.5 चाय विकास बोर्डः— उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय विकास की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1993—94 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाय विकास परियोजना कुमांऊ व गढ़वाल मण्डल में मण्डलीय विकास निगमों के माध्यम से प्रारम्भ की गयी। अलग उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात चाय विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का गठन 11 फरवरी, 2004 को किया गया। उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के 9 पर्वतीय जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। दिसम्बर, 2022 तक बोर्ड द्वारा 1441 हैक्टेयर में सफलतापूर्वक चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है।

5.5.1 जैविक चाय की खेतीः— उत्तराखण्ड शासन द्वारा देश—विदेश में जैविक चाय की माँग को दृष्टिगत रखते हुए जैविक चाय की खेती को जितना सम्भव हो सकें प्रोत्साहन दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में नौटी(चमोली) चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल) चाय बागान चम्पावत (चम्पावत) चाय बागान का कुल 586 हैक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त चाय बागानों से

जैविक चाय की हरी पतित्यों का उत्पादन किया जा रहा है, जिनसे जैविक चाय तैयार की जा रही है।

5.5.2 जैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन/निर्मित चायः– बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर 2022 तक चाय बागान चम्पावत से 63423.00 किग्रा0 हरी पत्तियॉं व 14933.00 किग्रा. तैयार चाय तथा चाय बागान नौटी से 56477.00 किग्रा. हरी पत्तियां उत्पादित कर 12204.00 किग्रा. तैयार चाय तथा चाय बागान घोड़ाखाल से 20903.00 किग्रा. हरी पत्तियां उत्पादित कर 4800.00 किग्रा. तैयार चाय का उत्पादन किया गया।

5.5.3 अजैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन/निर्मित चायः– बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर 2022 तक अजैविक चाय बागानों से (बोर्ड द्वारा संचालित, एस.सी.पी. व मनरेगा) से 2,80,061.00 किग्रा. हरी पत्तियों का उत्पादन कर 63,013.00 किग्रा. तैयार चाय का उत्पादन किया गया।

5.5.4 चाय फैक्ट्रियों की स्थापनाः–

(1) बोर्ड द्वारा जैविक चाय पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु चाय बागान घोड़ाखाल (नैनीताल) क्षमता 10000.00 किलोग्राम तैयार चाय एवं चम्पावत, नौटी (चमोली) जिनकी क्षमता 20000 किलोग्राम तैयार करने की छमता वाली चाय की फैक्ट्रियां स्थापित की गई है, जिनसे ब्लैक व ग्रीन आथोडॉक्स चाय निर्मित की जा रही है। बोर्ड द्वारा निर्मित चाय को स्थानीय स्तर पर बिक्री करने के साथ–साथ कोलकाता ऑक्सन मार्केट के माध्यम से भी विक्रय किया जा रहा है।

(2) बोर्ड द्वारा अजैविक चाय बागानों से प्राप्त हरी पत्तियों की प्रोसेसिंग हेतु एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत हरिनगरी विकास खण्ड, गरूड़ में अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्वयं की प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी क्षमता 65000 किलोग्राम तैयार चाय की है, स्थापित की गयी है।

5.5.5 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापनाः– बोर्ड द्वारा वर्तमान में एक आधुनिकतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भवाली (नैनीताल) में की गयी है जिसमें बोर्ड द्वारा चयनित भूमि का मृदा परीक्षण करने के अतिरिक्त अन्य विभागों व संस्थाओं तथा स्थानीय कास्तकारों द्वारा मृदा परीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गई मिट्टी का परीक्षण किया जाता है।

5.5.6 रोजगार सृजनः– बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व संचालित परियोजना, एस0सी0पी0 व मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत 3500 दैनिक श्रमिकों से प्रतिवर्ष लगभग 9.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70–80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। चाय विकास योजना से जहॉ एक ओर कास्तकारों की निष्प्रोज्य पड़ी भूमि का सदुपयोग कर कास्तकारों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है वही दूसरी ओर नवयुवकों का पलायन भी रूका है।

5.5.7 टी टूरिज्म – राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु टी टूरिज्म के रूप में जनपद नैनीताल में बागान भ्रमण पर आने वाले प्रर्यटकों से न्यूनतम शुल्क प्राप्त कर उन्हें बागान, चाय फैक्ट्री भ्रमण करवाने के साथ–साथ चाय उत्पादन के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन नैनीताल के सहयोग से चाय बागान घोड़ाखाल में टी कैफे का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है ताकि बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटक भ्रमण के दौरान जलपान करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा निर्मित चाय का स्वाद प्राप्त कर सकें।

जनपद चम्पावत में टी टूरिज्म का कार्य पूर्ण कर चाय विकास बोर्ड को हस्तातरिंत किया जा चुका है उक्त के अतिरिक्त बागेश्वर व अल्मोड़ा में टी टूरिज्म का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो कार्य प्रगति पर है। तथा अन्य जनपदों में भी टी टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य किये जाने प्रस्तावित है।

भविष्य की रणनीतिः—

- उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भीतर लगभग 5000 हैक्टेयर भूमि चाय प्लान्टेशन हेतु चयनित की गई है। जिसमें आगामी 10 वर्षो में चाय प्लान्टेशन कर 15000 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- बोर्ड द्वारा भविष्य में जनपद/विकासखण्डवार 08 चाय फैक्ट्रियॉ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे उत्तराखण्ड टी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
- जैविक चाय की खेती को बढ़ावा देने हेतु बोर्ड द्वारा नये क्षेत्रों में जैविक चाय प्लान्टेशन किया जा रहा है तथा पुराने चाय बागानों को भी जैविक चाय बागानों में परिवर्तित करने की कार्यवाही की जा रही है।
- देश विदेश में उत्तराखण्ड टी की मॉग को देखते हुए बोर्ड द्वारा चाय की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है तथा इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल कर उनके सुझाव प्राप्त किये जा रहे है।

5.6 रेशम विकासः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर में 1 तथा राज्य सेक्टर में 13 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। केन्द्रपोषित योजना के रूप में सिल्क समग्र—2 का क्रियान्वयन वर्ष 2022—23 से प्रारम्भ किया गया है। कार्यान्वित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

I. रेशम उत्पादन प्रचार प्रसारः— जिला सेक्टर के अन्तर्गत संचालित की जा रही रेशम उत्पादन प्रचार प्रसार योजना के माध्यम से चॉकी कीटपालन केन्द्रों हेतु उच्च कोटि के रेशम कीटाण्डों की आपूर्ति, चॉकी कीटपालन सामग्री की आपूर्ति, विभागीय चॉकी उद्यानों की ट्रीमिंग/प्रूनिंग एवं रखरखाव, उर्वरकों की आपूर्ति, कृषि तथा विशुद्धीकरण उपकरणों की आपूर्ति इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

ii. सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजीः— प्रदेश में पंजीकृत रेशम सहकारी समितियों को शहतूत वृक्षारोपण, शहतूत नर्सरी विकास, रेशम कीटपालन व कोया उत्पादन, रेशम कोया विपणन, कोया बाजारों का संचालन, रेशम रीलिंग तथा बुनाई आदि कार्यों हेतु योजना के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। इन समितियों द्वारा अपने अधीनस्थ कृषकों/कीटपालकों को उपरोक्त योजना के अधीन विभागीय कार्यक्रमों से लाभान्वित करने हेतु योजना संचालित है।

iii. चॉकी भवनों का निर्माण व रिनोवेशनः— योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में स्थापित 72 विभागीय शहतूत उद्यानों पर चॉकी भवनों का निर्माण/मरम्मत, फैन्सिंग तथा बाउन्ड्रीवाल का निर्माण/अनुरक्षण व रेशम कीटपालन कार्य हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है ताकि प्रदेश के रेशम कीटपालकों को वान्छित मात्रा में रोगमुक्त चॉकीकृत कीटों की आपूर्ति की जा सके।

iv. जैविक रेशम विकास कार्यक्रमः— योजना के अन्तर्गत विस्तृत कीटपालन क्षेत्रों में कृषकों/कीटपालकों के निजी बडे शहतूत पेड़ों की मॉडल प्रूनिंग का कार्य करने, अवशेष शहतूत पत्तियों व अन्य जैविक अवशिष्ठ का उपयोग जैविक खाद के उत्पादन हेतु करने तथा उक्त के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि कृषकों की रासायनिक उर्वरकों की प्रति निर्भरता कम करते हुए जैविक कृषिकरण के माध्यम से रेशमोत्पादन का कार्य कराया जा सके। योजनान्तर्गत राजकीय चॉकी रेशम फॉर्मों में जैविक खाद का उपयोग करना जिससे चॉकी कीटपालन हेतु गुणवत्तायुक्त शहतूत की पत्तियां उपलब्ध हो सके।

v. वृक्षारोपण विकास योजनाः— योजना के अन्तर्गत उच्च उत्पादक शहतूत प्रजातियों का राजकीय फॉर्मों एवं कृषकों की निजि भूमि पर रोपण एवं रखरखाव का कार्य कराया जाता है। रेशम कोया

उत्पादन में वृद्धि हेतु पर्याप्त मात्रा में शहतूत पत्तियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः प्रदेश में शहतूत सम्पदा में प्रचुर वृद्धि करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है।

vi. रेशम वस्त्र विकास कार्यक्रमः— प्रदेश में बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों में पात्र बुनकरों के चयन के उपरान्त रेशम ब्लेन्डेड वस्त्रों के उत्पादन का कार्य राज्य सृजन के उपरान्त से रेशम निदेशालय द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिसके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अतः वस्त्र बुनाई कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत रेशम वस्त्र बुनकरों को नये बुनाई करघों की आपूर्ति, पुराने करघों का उच्चीकरण, बुनाई प्रशिक्षण एवं कच्चे माल आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

vii. रेशम प्रशिक्षण योजनाः— योजना का संचालन प्रदेश के रेशम कृषकों, कीटपालकों, स्वैच्छिक संगठनों व स्वयं सहायता समूहों तथा रेशम सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को रेशम विकास सम्बन्धी विविध क्रियाकलापों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है इसके अतिरिक्त विभागीय तकनीकी कार्मिकों को उच्च तकनीकी संस्थानों के माध्यम से भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

यू0सी0आर0एफ0 का सुदृढीकरण : कृषकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये/धागे के प्रभावी विपणन, त्वरित मूल्य भुगतान तथा प्राथमिक रेशम सहकारी समितियों को सुदृढ एवं कार्यक्षम बनाते हुए समितियों के माध्यम से रेशम विकास सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों के साथ रेशम वस्त्र बुनाई आदि कार्य सम्पादित करने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय उत्पादकों/धागाकारों एवं रेशम बुनकरों को वस्त्रोत्पादन हेतु कार्यशाला डिजायनिंग, वीविंग, प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं विक्रय केन्द्र आदि समस्त विविधीकृत सुविधायें एक ही स्थल पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रेमनगर–देहरादून में एक ''सिल्क पार्क'' की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से समस्त कोसोत्तर विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

रेशम कीटाण्ड आपूर्ति हेतु सहायताः— योजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के निकटवर्ती प्रदेशों की शांति रेशम कीटपालकों को रेशम कीटाण्ड आपूर्ति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिससे अल्प आयवर्ग के रेशम कीटपालकों को कीटपालन कार्यक्रम के माध्यम से अधिकाधिक आय अर्जित करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो सके।

x. वन्या रेशम विकासः— प्रदेश में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वन्या सम्पदा का विदोहन करते हुए वनाधारित रेशम कीटपालन कार्यक्रम ''वन्या'' जिसके अन्तर्गत ट्रापिकल टसर, ओक टसर, एरी तथा मूगा रेशम सम्मिलित हैं का संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तथा निकटवर्ती वन क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा रहा है।

xi. कोया उत्पादकों को रेशम फसलों हेतु प्रोत्साहनः— प्रदेश के रेशम कोया उत्पादकों को रेशम फसलों में प्राकृतिक आपदाओं तथा रोगों के कारण होने वाली फसल क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित की जा रही है।

xii. रेशम बीजागार का संचालनः— प्रदेश में बीजागार तथा तत्सम्बन्धी पी1, पी2 आदि सम्पूर्ण बीज संगठन को सुदृढीकृत करते हुए प्रदेश की मांग के अनुरूप रेशम कीटाण्डों का उत्पादन, परिरक्षण तथा संवितरण का कार्य सुनिश्चित करने के लिए योजना संचालित की गई है। योजना के सफल क्रियान्वयन से बाईवोल्टीन बीजागार प्रदेश के जनपदों में वान्छित मात्रा में कीटाण्ड आपूर्ति हेतु समर्थ होगा।

xiii. ग्रोथ सेन्टर में रेशम रीलिंग इकाई का संचालनः— राज्य में रेशम कोया उत्पादकों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए प्रत्येक कीटपालन फसल से पूर्व कच्चे रेशम कोये का न्यूनतम समर्थन मूल्य शासन द्वारा घोषित किया जाता है। कोया बाजारों में बाहरी राज्यों के कोया क्रेताओं/उद्यमियों

द्वारा कम मूल्य पर कोया क्रय किये जाने अथवा अन्य कारणों से कच्चे रेशम कोये का मूल्य घोषित समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में यू0सी0आर0एफ0 द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर कोये का क्रय किया जाता है जिसकी रीलिंग विभागीय ग्रोथ सेन्टर सेलाकुई में की जाती है. इस प्रकार फेडरेशन द्वारा क्रय किये गये कोये की रीलिंग करने हेतु योजना संचालित की गई है।

xiv. कोया बाजारों का उच्चीकरणः— योजना का उद्देश्य प्रदेश में कीटपालकों द्वारा उत्पादित किये जा रहे रेशम कोये का त्वरित निस्तारण तथा कोया उत्पादकों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर मूल्य भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कोया विक्रय केन्द्रों/कोया बाजारों का विकास सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण हेतु योजना संचालित की गई है।

अध्याय– 6
पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
Animal Husbandary, Dairy And Fisheries

राष्ट्रीय तथा उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। छोटे भूमिहीन तथा सीमान्त किसान जिनके पास फसल उगाने एवं बडे पशु पालने के अवसर सीमित है, छोटे पशुओं जैसे भेड़ बकरियों, सूकर एवं मुर्गीपालन रोजी–रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। भारत 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम, अण्डा उत्पादन में विश्व में तृतीय तथा मांस उत्पादन में सातवें स्थान पर है। इस तरह पशुपालन व्यवसाय में ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की अपार सम्भावनायें हैं। उत्तराखण्ड राज्य में लगभग 14 लाख परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, जिनमें से अधिकांश का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है।

नेशनल डिजीटल लाइवस्टॉक मिशन

पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रुप में योजना जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में अप्रैल, 2021 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें गौवंशीय एवं महिशवंशीय पशुओं को शत प्रतिशत यूआईडी ईयर टैग द्वारा Information Network for Animal Productivity and Health में पंजीकरण किया जाना हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं चिकित्सा संबंधी सूचनाओं को डिजिटल रुप में Information Network for Animal Productivity and Health में अपलोड किया जाता है। अब तक दोनों जनपदों में समस्त गौवंशीय एवं महिशवंशीय पशुओं के 580905 यूआईडी ईयर टैग द्वारा शत प्रतिशत चिन्हित कर पंजीकरण किया गया है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान 172017, टीकाकरण–24280, गर्भ परीक्षण अनुश्रवण –65342 उत्पन्न संतति–35155 एवं चिकित्सा–23457 का डिजिटल रिकार्ड कीपिंग करते हुये अनुश्रवण किया जा रहा है।

6.1 वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का विवरण

स्वरोजगार परक योजनायें

1– महिला बकरी पालन योजना (राज्य सेक्टर) परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने हेतु एक इकाई जिसमें 03 बकरी एवं 01 बकरा, 100 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2022–23 में कुल 300 महिला लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 190 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

2– कुक्कुट पालन योजना इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूजें, 01 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है, जिसमें वर्ष 2022–23 में कुल 7410 इकाईयों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 6372 इकाईयॉ स्थापित की जा चुकी है।

3– भेड़ पालन योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु एवं पशुपालन को रोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढ़ा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2022–23 में कुल 120 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 82 को लाभान्वित किया जा चुका है।

4– गौ पालन योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप मे

अपनाने हेतु चतुर्थ व्यात या इससे कम व्यात की दुधारू गाय की इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2022–23 में कुल 617 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 364 को लाभान्वित किया जा चुका है।

5– गौ सदनों की स्थापना उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम–2007 के अंतर्गत उत्तराखण्ड में 43 मान्यता प्रदत्त गौ सदन है। वर्ष 2022–23 में 43 पंजीकृत गौ सदनों को भरण पोषण मद में ₹ 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

6– बकरी पालन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है, जिसमें वर्ष 2022–23 में कुल 1186 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 338 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

6.1.1 बद्री गाय

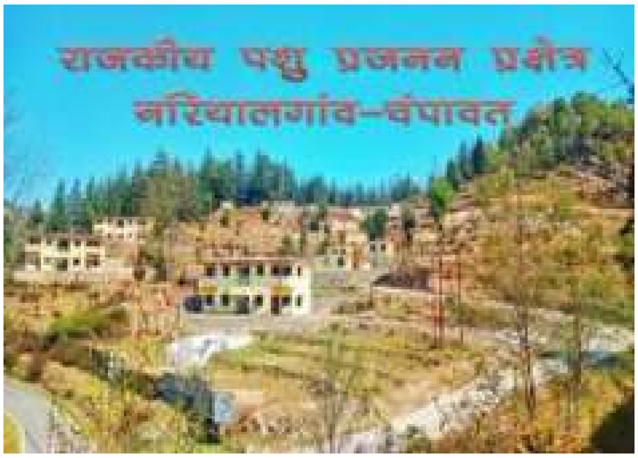

- उत्तराखण्ड की पहली गाय की नस्ल जिसे NBAGR द्वारा मान्यता दी गयी।
- अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता।
- दूध मे A2 प्रोटीन की अधिक मात्रा।
- अधिक ऊचांई वाले क्षेत्रों के उपयुक्त।
- बद्री गाय पालन No Input System में भी कारगर है।
- ब्रदी गाय के दृढ खुर होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में चुगान हेतु उत्तम।
- दूध मे A2 प्रोटीन की अधिकता के कारण भविष्य में औषधीय गुणों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- और्गेनिक पशुपालन के लिए उपयुक्त नस्ल।
- पलायन की समस्या को रोकने में मददगार।

6.1.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 40 मै0टन प्रतिदिन क्षमता के Automatic Compact Fodder Block Manufacturing Unit की स्थापना चारा बैंक, श्यामपुर ऋषिकेश एवं चारा बैंक पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में किया जा रहा है।

प्रदेश में चारे की समस्या को देखते हुये चारा बैंक, पशु प्रजनन फार्म, कालसी, देहरादून, चारा बैंक, श्यामपुर–ऋषिकेश एवं चारा बैंक, ऑचल पशुआहार निर्माणशाला, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में काम्पैक्ट फॉडर ब्लाक मैकिंग यूनिट की स्थापना की गई है।

हीफर रियरिंग फार्म की स्थापना (आरआईडीएफ) पशुपालकों को उत्तम गुणवत्ता की गाय उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पशुलोक–ऋषिकेश में क्रॉसब्रीड हीफर रियरिंग फार्म की स्थापना अन्तिम चरण में है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशनः योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत वित पोषित राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–2 का क्रियान्वयन दिनांक 01.08.2020 से दिनांक 31.07.2021 तक किया गया है। योजनान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत कुल 7.74 लाख कृत्रिम गर्भाधान का सम्पादन किया गया तथा 3.16 लाख वत्स उत्पन्न किये गये।

• मिशन योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत वित्त पोषित राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–3 का क्रियान्वयन दिनांक 01.08.2021 से दिनांक 31.06. 2022 तक किया गया है, जिसके अंतर्गत पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। कुल 7.90 लाख कृत्रिम गर्भाधान का सम्पादन किया गया तथा 3.01 लाख वत्स उत्पन्न किये गये।

• मिशन योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत वित पोषित राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम फेज–4 का क्रियान्वयन दिनांक 01.08.2022 से दिनांक 31.05. 2023 तक किया जाना प्रस्तावित है। पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अब तक 2.23 लाख कृत्रिम गर्भाधान का सम्पादन किया गया तथा 0.73 लाख वत्स उत्पन्न किये गये।

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण क्रियाकलापः

1.1 आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों के माध्यम से Breeding Structure Program के अंतर्गत राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों तथा राज्य के स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम का संचालन।

1.2 राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के भेड़ / बकरी में Heat Synchrnization and Artificial Insemination करते हुये भेड़ों व बकरियों के नस्ल, ऊन व वनज में सुधार।

1.3 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम सहायतित राज्य समेकित सहकारी विकास का संचालन करते हुये राज्य बकरी पालको को संगठित करते हुये बकरी पालन में सहयोग करना तथा मीट के असंगठित क्षेत्र को संगठित करते हुये स्वच्छ, स्वस्थ मीट की बिक्री करना।

1.4 मशीन ऊन कतरन की विधि को प्रोत्साहित करना।

6.1.3 भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय किये गये है तथा गत वर्ष माह दिसम्बर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 338 Pure line एवं 1460 Cross line उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई एवं आयातित मैरीनों के जर्म प्लाज्म को शीघ्रता से व्यापक स्तर पर राज्य के भेड़ पालकों के भेड़ों में प्रसारित करने के उददेश्य से भेड़ों में Heat Synchronization and Artificial Insemination योजना प्रारम्भ की गयी है।

6.1.4 उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजनायें

राज्य के 10 सीमान्त पर्वतीय भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में ऊन ग्रोथ सेन्टर स्थापित कर भेड़ पालको को मशीन रिपेयरिंग, ऊन की ग्रेडिंग, गुणवत्ता की जांच एवं ऊन जैविक प्रमाणीकरण का प्रयास कर ऊन उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाया जा रहा है।

2- Artificial Insemination in Sheep and Goat:

• योजना के अन्तर्गत पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है।

• योजनान्तर्गत आयातित मेरिनो रैम के वीर्य का

उपयोग करके राज्य में हीट सिंक्रनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया है।

• इस योजना से अब तक 74 स्थानीय भेड़ पालकों की 2090 भेड़ों और 52 बकरी पालकों की 555 बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान किया जा चुका है।

3– राजकीय भेड़ बकरी शशक प्रजनन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं Automation योजना

• NABARD-RIDF योजनान्तर्गत राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपड़धार, टि0ग0, राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, खलियानबांगर, रूद्रप्रयाग एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, थलकुंडी, उत्तरकाशी में नाबार्ड योजना के तहत प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं Automation का कार्य किया गया।

• सहकारिता के माध्यम से राज्य के भेड़/बकरी विकास–राज्य के 10000 से अधिक भेड़/बकरी पालकों, जिनमें 5000 से अधिक महिला पशुपालक है को ''प्राथमिक सहकारी समिति'' (PAIS) के रूप में संगठित करते हुये बकरी पालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्यों के साथ Contractural Farming and Buy Back अनुबन्ध पर बकरियां क्रय कर मीट उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का स्वच्छ, स्वस्थ Himalayan Goat Meat – BAKRAW उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही cooperative से जुड़े किसानों को marked linking कर उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिया जा रहा है।

BAKRAW- the Himalayan Goat Meat

1 उत्तराखण्ड के 10 हजार से अधिक भेड़ बकरी पालकों को प्राथमिक सहकारी समितियों में संगठित करते हुए Value Chain System विकसित किया गया है, जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक महिला सदस्य है। इस योजना के द्वारा सीधे बकरी पालकों की आजीविका में सुधार हो रहा है।

2 प्रत्येक बकरी पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा निरीक्षण की जाती है तथा बकरी पालन से लेकर BAKRAW उत्पाद के अंतिम पैकेजिंग तक सभी चरणों में प्रक्रिया पूर्णतः Traceable होती है।

3 BAKRAW- the Himalayan Goat Meat के 10000 से अधिक उपभोक्ता है, जिसमे देहरादून व दिल्ली के नागरिक, LBSNAA Mussourie, 7&5 Star Hotels, Restaurants तथा अन्य राजकीय व निजी संस्थान भी सम्मिलित है।

स्रोतः पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड

• **किसान क्रेडिट कार्ड**

➢ किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत पशुपालक कम ब्याज पर आसानी से ऋण ले सकता है।

➢ इसके अंतर्गत ₹ 50.00 हजार से ₹ 3.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध होता है।

➢ किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपने पशुधन का बीमा भी करा सकते है।

➢ इस योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष तक कवर प्रदान किया जाता है।

• किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति– (माह दिसम्बर, 2022 तक) – किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 68628 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

6.1.5 कुक्कुट विकास

वर्ष 2022–23 में 06 राजकीय प्रक्षेत्रों पर क्रायलर चूजों का उत्पादन कर 5.96 लाख चूजे कुक्कुट पालकों को वितरित किया जा चुका है।

6.1.6 वर्ष 2022–23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरण

1 **राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम** वर्ष 2022–23 में 27.18 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुँहपका रोग के नियन्त्रण हेतु दिसम्बर, 2022 तक 17.83 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

2 **पशुधन बीमा योजना** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 तक के लिए निर्धारित ₹ 1.90 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 68553 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3 **पशु प्रजनन फार्म कालसी** पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 654 गौवंशीय (495 गाय, बछिया एवं 154 सांड / नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

4 भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड को ब्राजील से रेड सिन्धी व गिर पशुओं के जर्मप्लाज्म के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

5 **पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव** पशु प्रजन्न क्षेत्र नरियाल गांव चम्पावत में 479 बद्री नस्ल के गौं वंशीय पशुओं (383 गाय, बच्छियॉ एवं 96 सांड / नर बछड़ें) का प्रबन्धन किया जा रहा है।

10.1.7 उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

तालिका 6.1

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0)
2016–17	1692	4119	284	538
2017–18	1742	4298	294	564
2018–19	1792	4532	292	552
2019–20	1845	4786	253	497
2020–21	1194	3221	117	215
2021–22	2254	5007	320	526
2022–23 (माह अक्टूबर, 2022)	1244	3503	141	219

स्रोतः– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 6.2
राज्य का देश के उत्पादन में अंशदान

क्र0 सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत)
		2019–20	2020–21			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	1845	1797	1576	209960	0.86
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	4786	4924	1111	1220486	0.40
3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	497	436	1482	3631	1.18
4	मांस उत्पादन (हजार टन)	25.30	18.6	4.31	8798.00	0.21

स्रोतः– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 6.1

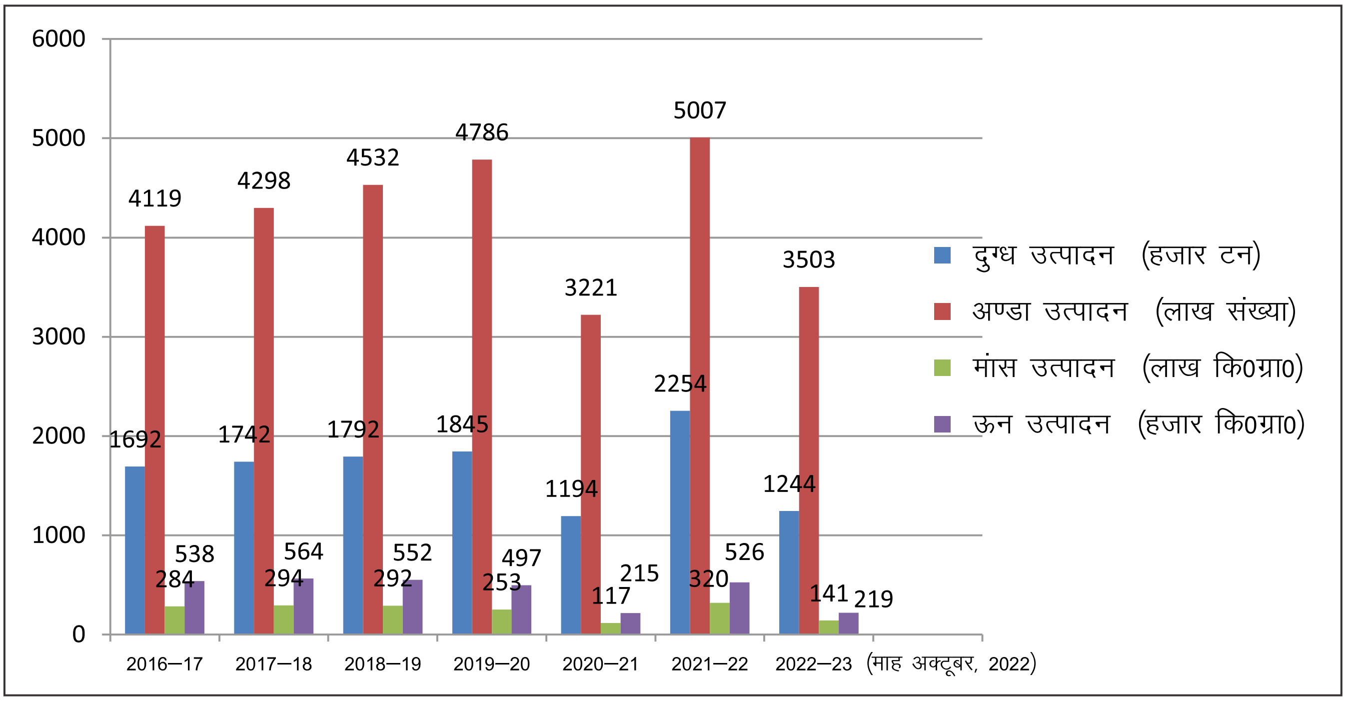

स्रोतः– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

1–अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन वर्ष 2022–23 तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 8. 93 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 7.49 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

2– लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) उत्पादन वर्ष 2022–23 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 3.24 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 2.72 लाख वीर्य स्ट्रा वितरण किया गया।

3–राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम (मोबाईल वैटनेरी यूनिट)

- भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाईल वैटनेरी यूनिट क्रय कर पशु पालको के द्वार पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा पशु पालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाईन नम्बर–1962 का शुभारम्भ किया गया।

तालिका 6.3
वैटनेरी मोबाईल यूनिट की सूचना

1962 MVU DATA FROM 16th NOV 22 TILL 31st DEC 22				
Districts	**Total Calls**	**Enquiry Calls**	**EM Calls**	**Treatment Provided**
Almora	1164	503	465	431
Bageshwar	244	62	128	113
Chamoli	405	117	252	246
Champawat	585	214	311	288
Dehradun	945	380	446	412
Haridwar	1588	661	743	710
Nainital	743	350	303	287
Pauri Garhwal	1260	548	569	542
Pithoragar	394	137	215	224
Rudraprayag	74	14	66	62
Tehri Garhwal	209	54	115	113
US Nagar	1243	570	539	511
Uttarkashi	634	215	336	326
Total	9488	3825	4488	4265

स्रोतः— पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।

सफलता की कहानी

1. श्री पान सिंह परिहार, ग्राम—मझोली, बग्वालीपोखर, अल्मोड़ा को विभाग द्वारा मदर पोल्ट्री योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया था, जिसके द्वारा उन्हें ₹ 80,000.00 का लाभ हुआ। विभाग द्वारा संचालित इनोवेटिव पोल्ट्री योजना के चूजे भी उनके द्वारा एक माह तक अपने फार्म में पालने के पश्चात् लाभार्थियों को वितरित किया गया। पान सिह परिहार जी द्वारा वर्तमान में व्यवसायिक कुक्कुट पालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रतिमाह उनके द्वारा लगभग तीन हजार कुक्कुट पक्षी पाले जा रहे हैं, जिससे उनको लगभग ₹ 25 से 30 हजार मासिक आय की प्राप्ति हो रही है।

2. श्री नरेन्द्र सिंह गोबाड़ी, पुत्र श्री चंचल सिंह गोबाड़ी ग्राम—भटेड़ी जिला—पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम बार मुर्गी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने की कोशिश की गयी। वर्ष 2017 में उनके प्रयासों को देखते हुए पशुपालन विभाग पिथौरागढ़ द्वारा उन्हें एन0एल0एम0 अन्तर्गत मदर पोल्ट्री यूनिट से आच्छादित किया गया। इस योजनान्तर्गत श्री गोबाड़ी द्वारा अपने ग्राम एवं आसपास के ग्रामों के अन्य लोगों को भी इस योजना से जोड़ा गया। वर्तमान में भी श्री गोबाड़ी द्वारा 2000 यूनिट का फार्म

संचालित किया जा रहा है। उनके द्वारा ब्रायलर फार्मिंग के साथ–साथ कड़कनाथ, एवं क्रायलर फार्मिंग की गयी है। इनके द्वारा वर्ष भर 04 से 05 बैच ब्रायलर पाले जाते है, जिससे इनको वर्ष भर में 05 से 06 लाख की आय प्राप्त होती है।

3. श्री रोबिन वर्मा ग्राम लोदन तहसील बडकोट जिला उत्तरकाशी के निवासी को मार्च 2020 में कोविड की वजह से इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तब इन्होने 200 मुर्गियों से कुक्कुट पालन शुरू किया। इसी वर्ष पशुपालन विभाग उत्तरकाशी सघन कुक्कुट विकास परियोजना द्वारा रोबिन जी को विकासखंड नौगाँव के अंतर्गत एससीपी बैकयार्ड योजना से जोड़ा गया, जिसमे इनको 50 मुर्गियां, दाना, जाली एवं दवाईयां मुफ्त में दी गयी। जिससे इन्हें रु 10000 तक का मुनाफा होना शुरू हुआ। इनके द्वारा अपने कुक्कुट फार्म में 600 कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियां और 400 वनराजा प्रजाति की मुर्गियां पाली जा रही हैं। इन मुर्गियों से रोबिन जी को 5 महीने के भीतर नेट आमदनी एक लाख रूपए प्राप्त हो रही है।

6.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT):

भूमिका: दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुये उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दुध की वर्ष पर्यन्त उचित दर विपणन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में सतत् वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशु आहार, पशु स्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

6.2.1 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का विवरण:

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में नई दुग्ध समितियों के गठत हेतु सहायता तकनीकी निवेश कार्यक्रम, पशु औषधि, डिवार्मिंग एवं पशु टीकाकरण, आपातकालीन पशु चिकित्सा, पर्यवेक्षण इकाई एवं दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास कार्यक्रम सम्मिलित है। नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायता के अंतर्गत प्रत्येक समिति के लिए प्रथम वर्ष में ₹ 76200, द्वितीय वर्ष में ₹ 12,000 एवं तृतीय वर्ष में ₹ 5,300 तथा कुल ₹ 93,500 होगी। पशु औषधि, डिवार्मिंग एव पशुटीकाकरण के अंतर्गत सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान की धनराशि का निम्नवत् प्राविधान किया गया है–

(2.1) पशु औषधि – ₹ 150.00 प्रति पशु।

(2.2) डिवार्मिंग – ₹ 60.00 प्रति पशु।

(2.3) पशु टीकाकरण – ₹ 20.00 प्रति पशु।

आपात्कालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई के अंतर्गत वर्तमान में देहरादून में 858, ऊधमसिंह नगर में 960, पौड़ी में 02, रूद्रप्रयाग में 01 व टिहरी में 01 इकाई स्थापित की गयी है। आपालकालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु ₹ 7.32 लाख प्रति युनिट की दर निर्धारित की गयी है।

6.2.2 हैंडलोड अनुदानः पर्वतीय क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन अत्यन्त कम है तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुये व सडक से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दूध प्रतिदिन रोड हैड तक पहॅुचाने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाएं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नही है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित गग्रमों तक पहुंचाने में कठिनाई आ रही है। अतः जिन दुग्ध समितियों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे दूध में कुल ठोस (Total Solid) 11:00 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होगा, मात्र उन ही दुग्ध समितियों को हैंडलोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव निम्नवत् किया गया है–

1. मैदानी क्षेत्र हेतु – 25 पैसा प्रति लीटर/कि0मी0

2. पर्वतीय क्षेत्र हेतु– 75 पैसा प्रति लीटर/कि0मी0

6.2.3 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनायें संचालित की जा रही है–

1. पशुशालाः स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु चयनित दुग्ध समितियों में पशुशाला निर्माण कराया जायेगा। 1 पशु एवं 1 बछड़े हेतु 60 वर्ग फुट एरिया की आवश्यकता होती है। पशुशाला निर्माण हेतु ₹ 250/–प्रति वर्ग फुट की दर से ₹ 15 हजार की आवश्यकता होगी, जिसके समक्ष ₹ 12000/– अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

2. पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्थाः दुधारु पशुओं को खिलाये जाने वाले चारे की हानि को कम करने तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु पशु नाद का निर्माण कराया जायेगा। उन स्थानों पर जहां पशु नाद निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो वहां दुग्ध उत्पादकों को पशु चरी क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगा। पशु नाद निर्माण ₹ 4000/– अनुदान दिया जायेगा तथा पशु चरी हेतु ₹ 2,500/– अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरणः दुग्ध समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु समिति सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट जिसमें नेलकटर, अडर स्प्रे, डिटॉल, साबुन, तौलिया, मैसटाइटिस स्ट्रिप, फिनाइल, आदि सम्मिलित होगा, वितरित की जायेगी। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट हेतु

तालिका 6.4

दुग्ध समितियों की संख्या (माह दिसम्बर, 2022 तक)

क्र0सं0	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2022 तक	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या
1	नैनीताल	585	137
2	ऊधमसिंह नगर	422	112
3	अल्मोड़ा	244	97
4	बागेश्वर	56	97
5	पिथौरागढ़	213	112
6	चम्पावत	191	74
7	देहरादून	193	93
8	हरिद्वार	241	93
9	टिहरी	60	101
10	उत्तरकाशी	68	98
11	चमोली	78	108
12	रूद्रप्रयाग	43	59
13	पौड़ी गढ़वाल	108	87
कुल योग		**2502**	**1268**

स्रोतः– दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड।

₹ 400/– प्रति की दर से अनुदान उपलब्ध किया जायेगा।

4. दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहनः जनपद में दुग्ध समितियों के माध्यम से अधिकतम दूध उपलब्ध कराने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक त्रैमास में दुग्ध मार्गवार कार्यक्रम आयोजित कर संबंधी दुग्ध मार्ग में अधिकतम प्रति लीटर दूध मूल्य प्राप्त करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः ₹ 2000/– ₹ 1500/– एवं ₹ 1000/– अनुदान प्रदान किये जायेंगे।

दुग्ध कक्ष एवं भूसा गोदाम निर्माण हेतु दुग्ध समितियों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः ₹ 4.65 लाख प्रति, ₹ 5.15 लाख प्रति तथा ₹ 5.15 लाख प्रति, ₹ 5.65 लाख प्रति इकाई निर्धारित है।

5. डेरी विकास योजनाः योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 420.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष माह 31 दिसम्बर, 2022 तक ₹ 316.73 लाख की धनराशि उपयोग की गयी।

राज्य सेक्टर की योजनाऐंः–

6.2.4 महिला डेरी विकास योजनाः

- राज्य सेक्टर में महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 420.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31.12.2022 तक ₹ 316.73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 01 जनवरी, 2023 तक 22 महिला दुग्ध समितियों का गठन, 04 समूहों का गठन, 422 समिति गठन/पुर्नगठन की सदस्य, 667 औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन, 213 प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण का कार्य किया गया।

(2) दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरणः

- योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 100.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31.12.2022 तक ₹ 100.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादक राज्य की जलवायु के अनुसार पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में प्रशिक्षित होंगे।

(3) दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाः

- प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 ₹ 2966.67 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31.12.2022 तक ₹ 2928.72 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत 01.01. 2023 तक 59695 दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया।

तालिका 6.5

दुग्ध बिक्री का वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक औसत दैनिक प्रगति विवरण (ली0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 माह दिसम्बर, 2022 तक
1	नैनीताल	80408	86572	84647	85027	83692
2	ऊधमसिंह नगर	27842	28500	21710	21033	19515
3	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	9353	10206	10062	10487	8870
4	पिथौरागढ़	5459	5564	5580	5067	5522
5	चम्पावत	2740	3299	4257	5203	7977
6	देहरादून	20607	20349	17065	16548	16327
7	हरिद्वार	9575	8135	7930	7133	6015
8	उत्तरकाशी	1306	1249	1259	1294	1265
9	टिहरी	1060	720	156	423	180
10	पौड़ी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग	1124	2297	2337	2487	2289
11	चमोली	1701	1694	1849	1786	1850
	कुल योग	**161175**	**168585**	**156852**	**156488**	**153502**

स्रोतः– दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट– 6.2

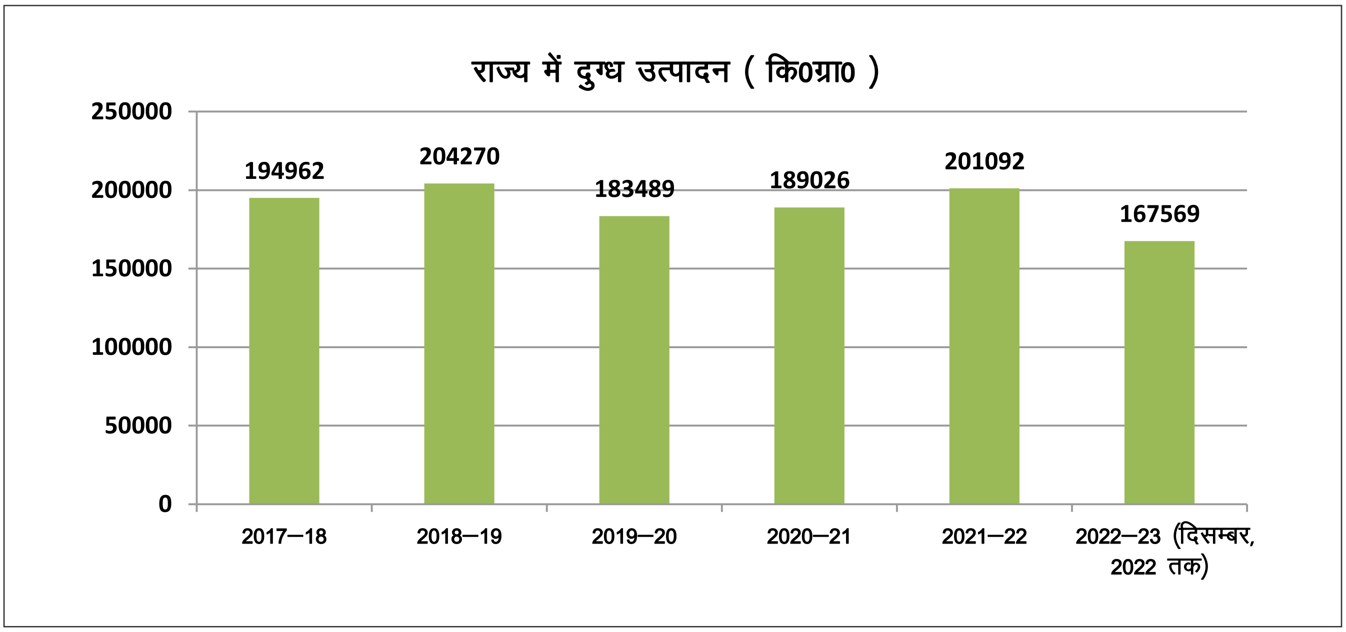

स्रोतः– दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड।

(4) गंगा गाय महिला डेरी योजनाः

- गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु में ₹ 600.00 लाख का बजट अनुमोदित किया गया है। योजनान्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशु बीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

(5) दुग्ध संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

- प्रदेश में घाटे में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना संचालित की गयी है।

6.2.5 केन्द्र पोषित योजना

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना

- डेयरी विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में डेरी विकास हेतु योजनान्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। अवस्थापना संबंधी कार्य हेतु 50.50 प्रतिशत तथा दुग्ध समितियों के गठन, संचालन, प्रशिक्षण तथा अन्य तकनीकी निवेश कार्यक्रमों हेतु 100 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹ 54.70 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत दुग्ध समितियों में डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना आदि के कार्य किये गये है।

(2) नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत

- इस योजना के अंतर्गत राज्य में गठित दुग्ध संघों एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं नये दुग्ध संघों की स्थापना का कार्य किया जाता है। ₹ 1300.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 658.71 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया।

6.3 मत्स्य (Fisheries):

मात्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ–साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समद्धि और भलाई में योगदान दे रहा है तथा जनसमान्य हेतु रोजगार के सुअवसर पैदा कर रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जल एवं वन मुख्य प्राकृतिक संसाधन एवं

औसतन 70 प्रतिशत जनसंख्या जीवकोपार्जन हेतु कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य यथा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य आदि पर निर्भर करती है। राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टेंक एवं पोखरों के रूप में लगभग 879.79 हैक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे है।

सफलता की कहानी
बायोफ्लॉक मछली पालन

श्री कपिल तलवार द्वारा जनपद उधमसिंह नगर में बायोफ्लॉक मछली पालन के लिए 50 बायोफ्लॉक तालाबों का एक मत्स्य फार्म स्थापित किया। बायोफ्लॉक तालाबों में श्री तलवार द्वारा पंगेसियस और सिंगी मछलियों का पालन किया जा रहा है। वर्तमान में तलवार फार्म बायोफ्लोक मछली पालन हेतु नवाचार एवं इनक्यूबेशन सेंटर की भांति कार्य कर रहा है। अपनी लगन एवं कल्पनाशील सोच के माध्यम से श्री तलवार ने मछली पालन में कई नई प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित की हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोग भी बायोफ्लॉक मछली पालन हेतु प्रेरित हो रहे है। बायोफ्लॉक मछली पालन का कार्य अन्य जनपदों में आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अतिरिक्त आय हो सकती है।

तालिका 6.6
उत्तराखण्ड में जनपदवार मत्स्य एवं मत्स्य बीज का उत्पादन (वर्ष 2022—23)

वर्ष	मत्स्य उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)	मत्स्य उत्पादन का मूल्य (लाख ₹ में)
उत्तरकाशी	101.304	324.98
चमोली	162.839	450.653
टिहरी गढ़वाल	130.714	296.936
देहरादून	290.575	321.516
पौड़ी गढ़वाल	82.543	104.458
रूद्रप्रयाग	49.585	142.851
हरिद्वार	1801.883	1907.485
गढ़वाल मण्डल	2619.443	3548.879
पिथौरागढ़	108.438	213.987
अल्मोड़ा	55.288	71.724
नैनीताल	54.009	69.761
बागेश्वर	58.688	166.499
चम्पावत	30.106	42.558
उधमसिंह नगर	3164.397	3358.196
कुमायुँ मण्डल	3470.926	3922.725
उत्तराखण्ड	6090.369	7471.601

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड।

वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजना का विवरण

- वर्ष 2022–23 में भारत सरकार के कार्यक्रम **''प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना''** अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 48.79 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये है, जिसमें नवोन्मेशी कार्य के रूप में 30 बैकयार्ड ऑरनामेंटल रियरिंग यूनिट की स्थापना एवं 04 रेफरीजरेटेड वाहन की स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिनके संचालन से राज्य में जहॉ एक तरफ सजावटी मछली का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा वहीं दूसरी तरफ पर्वतीय क्षेत्रो में मछलियो के समुचित परिवहन की व्यवस्था की जायेगी।

- जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम बूंग बूंग में **ट्राउट हैचरी** के स्थापना कार्य प्रारम्भ किये गये है, जिससे जनपद में स्थानीय रूप से ट्राउट मत्स्य बीज की उपलब्धता होगी।

- पर्वतीय जनपदो में ट्राउट फार्मिंग के प्रचार–प्रसार एवं प्रदर्शन हेतु ट्राउट कलस्टरो में जनपद पिथौरागढ़, चमोली एवं देहरादून में होमस्टे तैयार किये जा रहे है।

- मत्स्य पालको को मछलियो की समुचित मार्केटिंग हेतु जनपद देहरादून में प्रथम प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना प्रारम्भ की गयी है।

- पर्वतीय जनपदो में एंग्लिंग कार्यक्रम का विस्तार किये जाने हेतु उत्तरकाशी में 06 बीटो का आंवटन स्थानीय स्तर पर गठित समूहो को किया गया।

- जनपद नैनीताल के सुयालबाड़ी में पर्यटन विभाग के सहयोग से 01 एंग्लिंग सेन्टर तैयार किया जा रहा है।

- राज्य समेकित सहकारी विकास योजना का विस्तारीकरण करते हुए जनपद ऊधमसिंह नगर में योजना प्रारम्भ की गयी, जिसमें ग्राम समाज के तालाबों का सुधार कार्य किये जा रहे है।

- राज्य में ट्राउट मछलियो के विक्रय हेतु तैयार ब्रॉण्ड ''उत्तराफिश'' का व्यापक प्रचार–प्रसार के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ट्राउट फिश फेस्ट 2.0 का आयोजन किया गया।

- उत्तराखण्ड में ट्राउट विकास – ऊॅचाई पर स्थित सुदूर क्षेत्र जहॉ रोजगार की न्यूनतम सम्भावनायें है, में ट्राउट फार्मिंग एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। ट्राउट फार्मिंग के बेहतर परिणामो हेतु कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग को स्थापित किया गया है एवं वर्तमान में 30 से अधिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियॉ इस व्यवसाय से जुड़ी है।

अध्याय–7
सहकारिता
(Co-operative)

प्रदेश के किसानों को खुशहाल करते हुए व अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने तथा सामाजिक जीवन में जनतान्त्रिक मूल्यों, मान्यताओं एवं परम्पराओं को विकसित करने का सहकारिता ही सशक्त एवं सर्वोत्तम माध्यम है। प्रदेश में सहकारिता विभाग व उससे सम्बन्धित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, अपितु ग्रामीण एवं शहरी निर्बल और निर्धन वर्ग को सशक्त बनाते हुये उनके जीवन स्तर को उन्नत करना भी है। उक्त के दृष्टिगत विगत वर्षो में कई विभागीय सकारात्मक बदलाव व नवान्वेषी योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक राज्य में सहकारिता, प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी संघों/समितियों जैसे संस्थानों के माध्यम से बहुआयामी संरचना में विकसित हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता विभाग द्वारा 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (एमपैक्स), 10 जिला सहकारी बैंकों व उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 की कुल 307 बैंक शाखाओं के माध्यम से सहकारी सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक रुप से सशक्त किये जाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में विभिन्न प्रकार की 2947 सहकारी समितियाँ संचालित हैं, जिनके द्वारा राज्य की आबादी को बहुआयामी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें पी0डी0एस0 के तहत उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, उर्वरकों और अन्य कृषि सम्बन्धी उपकरणों का वितरण, कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद एवं उनका विपणन, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का उत्पादन, मत्स्य पालन, मानव संसाधन उपलब्ध कराना आदि गतिविधियाँ संचालित करते हुए सहकारी समिति/संस्था को लाभप्रद कर उसके सदस्यों के जीवन स्तर को भी ऊँचा उठाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

7.1–राज्य सेक्टर योजनायेंः–

7.1.1–सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदानः–इस योजनान्तर्गत गत वर्ष 2021–22 में मण्डल स्तर पर 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत कर 95 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 20.00 लाख धनराशि का बजटीय प्राविधान किया गया है।

7.1.2–उर्वरक परिवहन पर राज सहायताः–योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में अवमुक्त ₹ 125.00 लाख धनराशि के सापेक्ष शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 80816.40 मै0टन रसायनिक उर्वरक का वितरण किया गया।

7.1.3–पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना–ग्रामीण क्षेत्रों के मिनी बैकों में निक्षेप वृद्दि किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2022–23 में प्राविधानित धनराशि ₹ 20.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 19.19 लाख का व्यय किया गया।

7.2—जिला सेक्टर योजनायें:—

7.2.1—ऋण एवं अधिकोषण योजना—इस योजना के अन्तर्गत पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कॉमन कैडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 606.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक ₹ 554.64 लाख धनराशि व्यय की गयी।

7.2.2—सहकारी उपभोक्ता योजना:— योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 के आय—व्ययक में कुल ₹ 222.95 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 152.89 लाख धनराशि व्यय की गयी।

7.2.3—सहकारी क्रय—विक्रय योजना:— उक्त योजनान्तर्गत पैक्स के क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/मरम्मत तथा क्रय—विक्रय समितियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2022—23 में समितियों द्वारा 926.60 मै0टन गेहूँ व 136799.10 मै0टन धान की खरीद स्थानीय कृषकों से की गयी है। योजना के संचालन हेतु वर्ष 2022—23 में ₹ 9.70 लाख के सापेक्ष ₹ 0.90 लाख धनराशि व्यय की गयी।

तालिका 7.1 में वर्ष 2022—23 के माह दिसम्बर, 2022 तक जनपदवार विवरण निम्नवत है:—

तालिका 7.1 (मात्रा— कुन्तल में)

क्र0 स0	नाम जनपद	वित्तीय वर्ष 2022—23 में की गयी कुल खरीद	
		गेहूँ	धान
1	नैनीताल	1335.50	85740.87
2	उधमसिहनगर	2131.00	1113422.00
3	चम्पावत	0	13607.00
4	देहरादून	1237	60286.97
5	हरिद्वार	4562.50	94934.00
	योग	**9266.00**	**1367991.00**

स्त्रोत: सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.2.4—दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना:—

योजनान्तर्गत वित्त पोषित गतिविधियॉ

ऋण वितरण सीमा

पोषित गतिविधियॉ

* बेमौसमी सब्जी उत्पादन
* औषधीय व सगन्धित पौधे
* बागवानी व फूलों की खेती
* मसाला उत्पादन
* जैविक खेती
* मशरुम उत्पादन
* कृषि प्रसंस्करण
* डेरी, मत्स्य, मुर्गी पालन
* कृषि यंत्रीकरण
* संरक्षित खेती

किसानों को लाभ

* वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुँच
* लाभार्थियों के पास परम्परागत खेती के अलावा आय के अन्य स्त्रोत

स्त्रोत: सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्यो हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनारम्भ से वर्षवार विवरण तालिका–7.2 में निम्नवत हैः–

तालिका–7.2

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि लाख ₹ में)	व्यक्तिगत लाभार्थी (संख्या में)	स्वयं सहायता समूह (संख्या में)
1	2017-18	38087.46	80868	0
2	2018-19	76148.63	162472	1
3	2019-20	71130.88	125161	1246
4	2020-21	76716.15	122802	1317
5	2021-22	80476.35	119889	1167
6	2022-23 (दिसम्बर, 2022 तक)	62484.88	89614	616
कुल योग		**405044.35**	**700806**	**4347**

स्रोत: सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–7.1

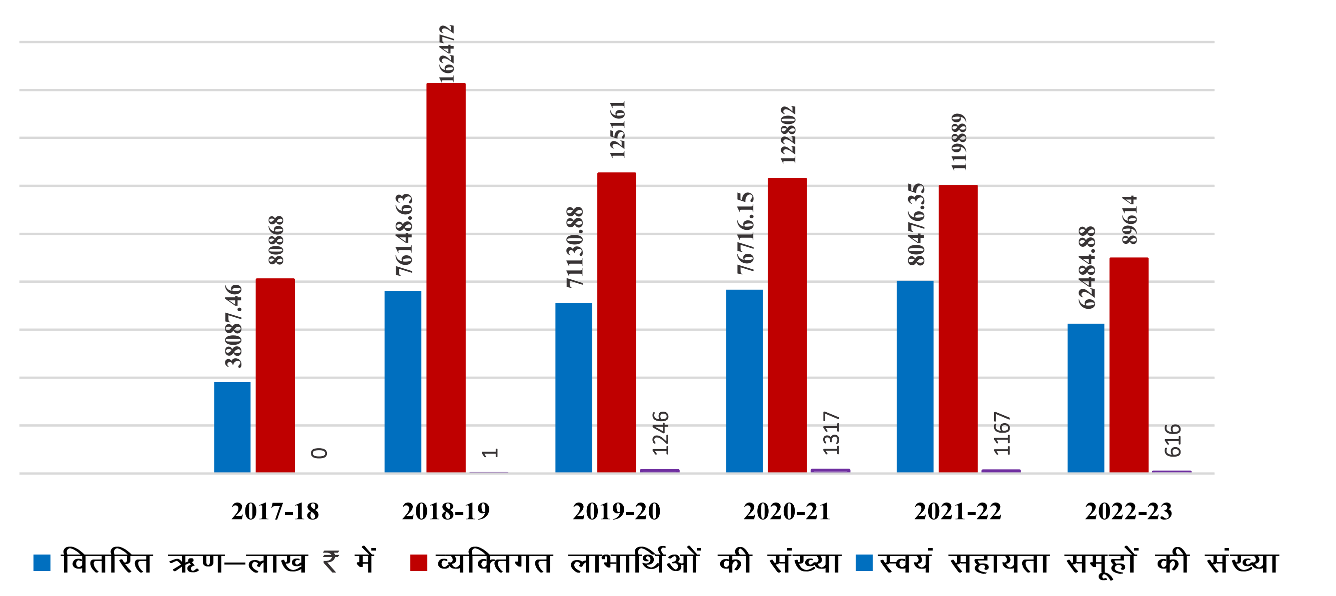

स्रोत: सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से दिसम्बर 2022 तक कुल 700806 लाभार्थियों एवं 4347 स्वंय सहायता समूहों को कुल ₹ 4050.44 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है।

दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियाँ

मुर्गी पालन

दुग्ध उत्पादन

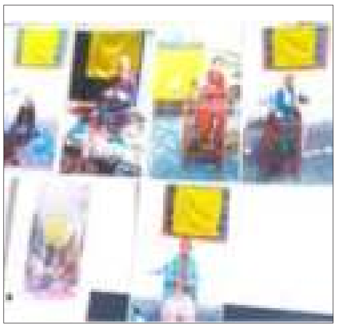

स्वंय सहायता समूह

खच्चर पालन

7.3–अन्य योजनायें

7.3.1–राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनाः–

"संकल्प से सिद्धि" एवं किसानों की आय को दोगुना करने के उद्‌देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक विवरण निम्नवत है।

योजनान्तर्गत क्षेत्रकवार विवरण निम्नवत हैः

- 1363 किसानों के साथ 13500 मै0टन सायलेज का उत्पादन कर 150 सहकारी समितियों द्वारा सायलेज का विपणन किया गया है।

हरी मक्का की खेती

किसानों के खेतों में कटाई

साइलेज गांठें बिक्री हेतु तैयार

- संयुक्त सहकारी खेती के अन्तर्गत 77 सहकारी समितियों से जुड़े 24083 किसानों को संयुक्त सहकारी खेती से जोड़ा गया।

सहकारिता सेक्टरः सामूहिक सहकारी खेती एवं बिक्री केंद्र

उत्पादन एवं बीज बुवाई

बिक्री केंद्र में बेमौसमी सब्जियों का एकत्रीकरण

बिक्री केंद्र थत्यूड़ के माध्यम से बिक्री

➢ सहकारी समिति लालढॉग में 25 लाभार्थियों द्वारा लेमन ग्रास की खेती कर आसवन के माध्यम से प्रसंस्करण कर 446 किलोग्राम तेल उत्पादित कर ₹ 5.74 लाख मूल्य के उत्पादन का विपणन कार्य किया गया।

लेमनग्रास उत्पादन

आसवन संयन्त्र

➢ 06 सहकारी समितियों के उत्पादन को विपणन केन्द्रों के माध्यम से 80 मै0टन सब्जियों एवं 57.76 मै0टन अदरक का उत्पादन कर ₹ 47.54 लाख का विपणन कार्य किया गया।

➢ **मोगी सहकारी समिति,** टिहरी द्वारा 70 एकड़ बंजर भूमि पर इन्टरक्रापिंग द्वारा सब्जी उत्पादन एवं उद्यानीकरण का कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप समिति द्वारा ₹ 1.73 लाख अर्जित किया गया।

अल्पकालिक फसलों की खेती

➢ ढॉचागत विकास के अन्तर्गत 06 मार्केटिंग सोसाइटीज के शॉपिंग कॉम्पलेक्स निर्माण कार्य पूर्ण किये गए साथ ही 16 गोदामों की मरम्मत का कार्य वर्तमान में गतिमान है।

➢ **जनपद देहरादून** की 03 समितियों में कुक्कुट पालन का कार्य कर 12000 कुक्कुटों का समिति के माध्यम से विपणन कर ₹ 28.80 लाख का आय अर्जन किया गया।

➢ जनपद चम्पावत में खाली पड़ी जमीन पर अदरक बीज उत्पादन हेतु अदरक का रोपण किया गया। माह दिसम्बर, 2022 तक 50 मै0 टन अदरक का विक्रय कर लिया गया है।

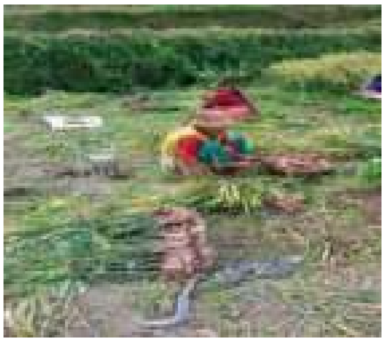

अदरक बीज उत्पादन

डेयरी क्षेत्रक

➢ डेयरी क्षेत्रक 03–05 यूनिट दुधारू पशुओं की स्थापना के सापेक्ष 2188 दुधारू पशु क्रय किये गये, जिसके फलस्वरूप 11066 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उर्पाजन कर 605 उत्पादकों को लाभान्वित किया गया।

➢ 50 दुधारू पशु यूनिट की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 265 लीटर प्रतिदिन दुग्ध संग्रह किया गया।

➢ 13 दुग्ध विकास केन्द्रों की स्थापना की गयी, जिसके परिणामस्वरूप 5721 सदस्यों को लाभान्वित किया गया। जिनका कुल व्यापार 100.00 लाख तक पहुंच गया है।

➢ 21 आँचल मिल्क बूथों/आँचल कैफे की स्थापना की गयी, जिसके माध्यम से आँचल दही, दूध, मक्खन, घी, पनीर, चीज इत्यादि का विक्रय किया जा रहा है।

डेयरी सेक्टर–आंचल पहाड़ी घी और पनीर

भेड़–बकरी क्षेत्रक

➢ 07 एफ0आई0यू0 की स्थापना की गयी। गत 2 वर्षों में लक्षित 4000 बकरी पालकों के सापेक्ष 1289 बकरी पालक एवं यूनिटों की स्थापना की गयी।

➢ 258 प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से 19519 गोट इन्डक्शन, 658 बक इन्डक्शन का कार्य सम्पन्न किया गया है।

➢ **बकरॉ ब्राण्ड** को प्रचलित करने हेतु 05 विक्रय केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹ 2.33 करोड़ का विपणन कार्य किया गया।

भेड़–बकरी पालन सेक्टरः हिमालयन भेड़ और बकरी मीट

एम.ओ.डब्लू वैन देहरादून की सड़कों पर ब्राडिंग सामग्री वितरण

मत्स्य क्षेत्रक

➢ मत्स्य क्षेत्रक 50 कलस्टर विकास के सापेक्ष 25 कलस्टरों की स्थापना कर ट्राउट फार्मिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रति रेसवे 0.03 से 0.07 मी0टन ट्राउट का उत्पादन किया जा रहा है।

➢ कुल लक्षित 125 हैक्टेयर भूमि में इन्टीग्रेटेड फार्मिंग के सापेक्ष 20.75 हैक्टेयर पर पंगास एवं कार्प की फार्मिंग की जा रही है, जिसके फलस्वरूप 02–04 मी0टन प्रति हैक्टेयर पंगास एवं कार्प का उत्पादन किया जा रहा है।

➢ उत्तरा फिश ब्राण्ड का विकास कर 01 रिटेल आउटलेट की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से 429 लाभार्थियों द्वारा 30 मै0टन मछली का विक्रय कर ₹ 28 लाख का विपणन किया गया है।

मत्स्य पालन सेक्टरः ट्राउट फार्मिंग

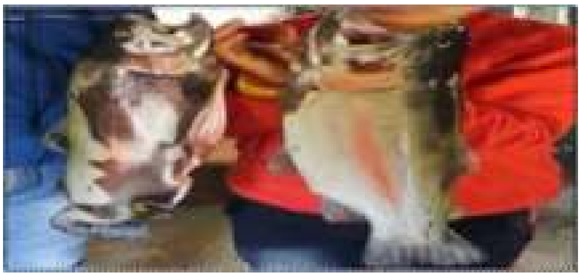

7.3.2–मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजनाः–

उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों के पशुपालकों को उन्नत पशुचारा उपलब्ध कराने एवं पर्वतीय महिलाओं के सिर के बोझ को कम किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में शुरु की गयी उक्त योजनान्तर्गत अनुदानित दर पर पैक्ड सायलेज एवं सम्पूर्ण मिश्रित पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान में राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों के 150 वितरण केन्द्रों के माध्यम से माह दिसम्बर 2022 तक अनुदानित दर पर कुल 10825.00 मै0 टन साइलेज/पशुचारा स्थानीय पशुपालकों को वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक शत–प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

तालिका 9.3 –वर्षवार विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	वितरित पशुचारा (मात्रा मै0टन में)	लाभार्थिओं की संख्या
1	2021–22	5352.00	5580
2	2022–23	5473.00	4962
कुल योग		**10825.00**	**10542**

स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

किसानों के खेतों में हरी मक्का उत्पादन

सायलेज बैग्स

लाभार्थी वितरण

7.3.3 पैक्स कम्प्यूटराईजेशनः— भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम **''डिजिटल इंड़िया''** के क्रियान्वयन हेतु एवं प्रदेश की एमपैक्सों में पारदर्शिता पूर्वक बैंकिग कार्यो के निष्पादन हेतु राज्य की समस्त 670 एमपैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में कुल 660 एमपैक्स लाइव हो चुकी हैं।

तालिका 7.3

क्र0स0	जनपद	कुल पैक्सों की संख्या	30 अप्रैल 2022 तक लाईव पैक्सों की संख्या	दिसम्बर 2022 तक लाईव पैक्सों की संख्या
1	देहरादून	39	4	38
2	उधमसिंह नगर	32	10	29
3	नैनीताल	52	1	51
4	पिथौरागढ़	74	0	74
5	अल्मोड़ा	77	1	77
6	बागेश्वर	18	4	18
7	टिहरी	78	6	78
8	चमोली	48	7	46
9	पौड़ी गढ़वाल	118	7	118
10	रुद्रप्रयाग	34	5	33
11	हरिद्वार	43	3	42
12	उत्तरकाशी	35	9	35
13	चम्पावत	22	0	21
उत्तराखण्ड		**670**	**57**	**660**

7.3.4—मुख्यमंत्री ई—रिक्शा कल्याण योजनाः— राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु **"मुख्यमंत्री ई—रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत"** सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/युवतियों को ई—रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर 2022 तक 198 लाभार्थियों को ₹ 3.20 करोड़ का ऋण

ई–रिक्शा कल्याण योजना के तहत वितरित किया गया। उक्त योजनान्तर्गत अब तक कुल 2706 महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को कुल ₹ 36.48 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

तालिका 7.4
मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनाः– वर्ष 2022–23 में जनपदवार वितरित ऋण

क्र0 स0	नाम जनपद	वितरित ऋण	
		लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)
1	देहरादून	119	185.37
2	नैनीताल	66	118.51
3	हरिद्वार	4	4.00
	योग	**189**	**307.88**
4	UKSCB	**9**	**11.59**
	कुल योग	**198**	**319.47**

स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.5–मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत विभाग द्वारा संचालित **"मोटर साइकिल टैक्सी योजना"** के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु ₹ 60 हजार से 01 लाख 25 हजार तक का 02 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक कुल 139 लाभार्थियों को ₹ 173.34 लाख का ऋण वितरित किया गया है। तालिका 7.5 में वर्षवार व जनपदवार विवरण निम्नवत है–

तालिका 7.5
मोटर साईकिल टैक्सी योजनाः–वर्षवार व जनपदवार वितरित ऋण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वितरित ऋण वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23 (दिसम्बर 2022 तक)		कुल लाभार्थियों की संख्या	कुल धनराशि (लाख ₹ में)
		लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)	लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)	लाभार्थी संख्या	धनराशि (लाख ₹ में)		
1	अल्मोडा	-	-	4	7.26	-	-	4	7.26
2	नैनीताल	2	2.50	40	72.17	139	173.34	181	248.01
3	कोटद्वार	1	3.59	-	-	-	-	1	3.59
कुल योग		**3**	**6.09**	**44**	**79.43**	**139**	**173.34**	**186**	**258.86**

स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.6 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाः– राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत" पात्र सदस्यों को राज्य/जिला सहकारी बैंकों द्वारा 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तालिका 7.6 में वर्षवार विवरण निम्नवत हैः–

तालिका–7.6 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (धनराशि–लाख ₹ में)	लाभार्थी संख्या
1	2021–22	203.50	25
2	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक	92.00	11
कुल योग		**295.50**	**36**

स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

7.3.7—स्टेट मिशन मिलेट्स योजनाः— मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ, लि0 द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोंरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में कुल 2405 लाभार्थियों से कुल 3154.84 कुन्टल उपज का क्रय कर कुल ₹ 87.30 लाख का भुगतान किया गया है।

तालिका 7.7

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	कुल खरीद (कुन्तल में)	कुल खरीद (धनराशि ₹लाख में)	लाभार्थी संख्या
1	2021—22	2211.385	67.81	1852
2	2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक	3154.840	87.30	2405
कुल योग		**5366.225**	**155.11**	**4254**

स्रोतः सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

सफलता की कहानी

बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0 मौगी, जनपद टिहरी गढ़वाल

मौगी बहु0 साधन सहकारी समिति की स्थापना 1977 में किसानों को ऋण और अन्य आवश्यक कृषि इनपुट की सुविधा पहुंचाने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। मौगी सहकारी समिति का कार्यालय टिहरी गढवाल के जौनपुर विकास खण्ड के मौगी ग्राम पंचायत में स्थित है। वर्तमान में कुल 780 किसान मौगी सहकारी समिति के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्य समिति से आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्राप्त करते हुए वहां से प्राप्त लाभों का पुनर्भुगतान भी नियमित तौर पर समिति को कर रहे हैं।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा कृषि योग्य बंजर भूमि को फिर से जीवन्त करने की योजना है। इस कार्यक्रम को कृषि पोषण से जोड़कर एक आदर्श सामूहिक सहकारी कृषि मॉडल के तौर पर विकसित करने की दूरगामी योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अनुपयोगो भूमि से उचित राजस्व प्राप्त करने हेतु फसल कैलेंडर और मिश्रित फसल मॉडल को अपनाते हुए मिट्टी, भूमि, पानी और फसलों के उचित प्रबंधन द्वारा परियोजना हेतु चयनित भूमि के स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक बहु आयामी मॉडल विकसित किये गये हैं।

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के द्वारा विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत बहु0 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 मौगी, तहसील नैनबाग के पन्तवाड़ी कुड़ी रिडकी तोक के मध्य कृषि/औद्यानिक विकास सम्बन्धी कार्य हेतु 661 नाली अनुपयोगी बंजर भूमि पर कृषि उत्पादन कार्य हेतु कृषि योग्य भूमि का विकास कलस्टर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ₹ 128.44 लाख का ऋण स्वीकृत कर सहकारी समिति मौगी के माध्यम से कार्यदायी संस्था नेकॉफ को दिया जा चुका है। इनके द्वारा वर्तमान में 1 एकड़ भूमि पर भिण्डी, तोरी, कद्दू आदि का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। नेकॉफ द्वारा प्रथम चरण में 650 किलो भिण्डी का उत्पादन कर विक्रय किया गया है। वर्तमान मे 5 नाली भूमि पर गोभी एवं बैंगन सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है तथा शेष अन्य भूमि पर सब्जी की बुआई हेतु जुताई का कार्य गतिमान है।

अभिनव प्रयास

हिमगिरी प्राकृतिक उत्पाद सहकारी समितिः 2016 में प्रीति भंडारी ने अपने परिवार की आजीविका जुटाने हेतु मशरूम पर काम करना शुरू किया। 2019 में उन्होंने हिमगिरी नेचुरल कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से सहकारी समिति की स्थापना की जिसमें 150–200 महिलाएं शामिल है। प्रीति बटन मशरूम के उत्पादन हेतु खाद, रसायन, पॉली बैग और अन्य पैकेजिंग सामग्री प्रदान करती हैं। संस्था द्वारा विभिन्न जिलों में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 800 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से वर्तमान में कई समूह मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं।

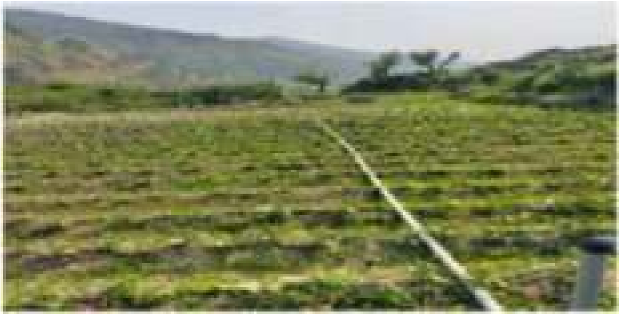

अध्याय–8
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामल
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दो मुख्य कार्य हैः

1. राशनकार्ड धारकों (अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार, राज्य खाद्य योजना) को मासिक रूप से निर्धारित मानक, मूल्य एवं समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

2. राज्य के किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी एवं खरीफ सीजन के अन्तर्गत निर्धारित समय पर फसल की खरीद सुनिश्चित करना।

8.1 लक्षित सार्वजनिक प्रणाली

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन0एफ0एस0ए0) (पात्र गृहस्थियां) तथा नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए0पी0एल0) की श्रेणियों के प्रकारः– **(1)** एन0एफ0एस0ए0, प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) **(2)** एन0एफ0एस0ए0, अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड) **(3)** राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)

• लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में राशन कार्डों की संख्याः–23,15,398 एवं यूनिटः–94,95,692 है।

• राज्य में संचालित की जा रही उचित मूल्य दुकानों की संख्याः– 9,063

• वर्ष 2022–2023 में 31 दिसम्बर, 2022 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गयी हैं :–

तालिका 8.1

क्र0सं0	राशन कार्ड के प्रकार	कार्ड की संख्या	यूनिट
1	प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड)	11,97,017	53,45,145
2	अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)	1,74,871	6,45,934
3	राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)	9,48,243	35,04,613

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 31 दिसम्बर, 2022 तक के खाद्यान्न प्रेषण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

तालिका 8.2

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण 31 दिसम्बर, 2022 तक
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार(गेहूँ)	मी0टन	87846.963
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार(चावल)	मी0टन	143799.98
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	21198.893
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	33733.50
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0टन	9746.112
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	52552.424

स्रोतः खाद्यान आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 31 दिसम्बर, 2022 तक राज्य के 196 खाद्यान्न गोदामों के अवशेष खाद्यान्न का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

तालिका 8.3

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	अवशेष मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहॅू)	मी0टन	11739.437
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0टन	15496.822
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहॅू)	मी0टन	3656.799
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	5059.901
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहॅू)	मी0टन	2085.963
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	3725.199

स्रोतः खाद्यान आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2022–2023 में 31 दिसम्बर, 2022 तक राज्य के खाद्यान्न वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–

तालिका 8.4

क्र0सं0	प्रति राशन कार्ड	उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री की मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहॅू)	2.00 कि0ग्रा0 गेहूॅ प्रति यूनिट प्रति माह 3.00 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट प्रति माह
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहॅू)	21.70000 कि0ग्रा0 गेहूॅ प्रति कार्ड प्रति माह 03 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से 13.300 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड प्रति माह 02 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	
5.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	7.50 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड प्रति माह 11.00 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से
6.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	1.00 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह 13.50 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से

स्रोतः खाद्यान आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी, डायवर्जन को रोकने, जन उपयोगी एव जवाब देही बनाने के उद्‌देश्य से निम्न महत्वपूर्ण कार्य किये गयेः–

8.2 राज्य खाद्य आयोगः राज्य स्तर पर धारा–16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग देहरादून में स्थापित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की

अधिसूचना की क्रम में धारा 15 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। जिसका कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करना एवं राज्य आयोग द्वारा जनपद स्तरीय आदेशों पर प्राप्त अपील सुनना का है।

8.3 शत–प्रतिशत राशनकार्डों को आधार से लिंक किया गया है: वर्तमान में राज्य में प्रचलित समस्त राशनकार्डों को यू0आई0डी0आई0 के माध्यम से आधार से लिंक कर लिया गया है।

8.4 एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन: वर्तमान में राज्य की 9061 राशन की दुकानों को सी0एस0सी / बेसिल के माध्यम से लैपटॉप तथा ई–पॉज उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से राशनकार्ड धारकों को बायोमेट्रिक अथॉन्टिकेशन के उपरान्त राशन का वितरण किया जा रहा है।

8.5 एण्ड–टू–एण्ड कम्प्यूटराईजेशन: राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटेलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। बेस गोदाम से आन्तरिक गोदाम एवं आन्तरिक गोदाम से राशन की दुकान तक व राशन की दुकान से उपभोक्ता तक वितरित की जाने वाले खाद्यान्न की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है।

8.6 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना: इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन की दुकान से आधार ऑथेन्टिकेशन के उपरान्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

8.7 राईस फोर्टिफिकेशन: 1 अप्रैल, 2022 से राज्य के दो जनपदों हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के सभी NFSA के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड राईस का वितरण प्रारम्भ किया गया है। 1 अप्रैल, 2023 से राज्य के सभी एन0एफ0एस0ए0 कार्डधारकों को फोर्टिफाइड राईस वितरण किया जाना है। जिस हेतु सभी तैयारियॉ की जा रही हैं।

8.8 जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी: राज्य के मैदानी जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में 90 प्रतिशत खाद्यान्न गोदामों को जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत अच्छादित कर लिया गया है। शेष जनपदों में जी0पी0एस0 सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ एवं धान की ऑनलाईन खरीद का साफ्टवेयर (E-Khareed Portal) तैयार किया गया है।

8.9 गत वर्षों की अपेक्षा नामित क्रय संस्थाओं (खाद्य विभाग, सहकारिता, नेफेड, एन0सी0सी0एफ0, यू0पी0सी0यू0) के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुये 858 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

8.10 कृषक को घर से ही पंजीकरण करवाने तथा एस0एम0एस0 की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गयी।

गेंहूॅ एवं धान खरीद व्यवस्था में सुधार: ई–खरीद पोर्टल तैयार कर पंजीकृत कृषकों से ही धान / गेंहूॅ का क्रय कर कृषकों के खाते में पी0एफ0एम0एस0 / आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था की गयी है।

रबी खरीद सत्र 2022–23 में दिनांक 30–06–2022 तक कुल 2126.950 मी0टन गेंहूॅ की खरीद 549 कृषकों से की गई है।

गेंहूॅ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 (2015 + 20 बोनस) कुल 2035 प्रति कु0 है। कुल 2637 कृषकों का पंजीकरण ई–खरीद पोर्टल पर किया गया है।

खरीफ–खरीद सत्र 2022–23: भारत सरकार द्वारा धान क्रय का लक्ष्य 9.00 लाख मी0टन0 निर्धारित किया गया है। (कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2040 तथा ग्रेड । का सर्मथन मूल्य 2060 रु0 प्रति कुन्तल)।

दिनांक 21.12.2022 तक 56,110 कृषकों से 8.71 लाख मी0टन0 धान क्रय किया गया है।

8.11 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाः भारत सरकार द्वारा कोविड–19 के दृष्टिगत NFSA के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार राशनकार्ड धारको को राहत दिये जाने के उद्देश्य से माह दिसम्बर, 2022 हेतु प्रति यूनिट निःशुल्क 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (01 कि0ग्रा0 गेहू एवं 04 कि0ग्रा0 चावल) नियमित अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार के आवंटन के अतिरिक्त आवंटित किया गया है।

अन्त्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को वर्ष में तीन गैस सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराना

- उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत लगभग सभी राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 में तीन गैस सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- अन्त्योदय राशनकार्डधारक द्वारा प्रत्येक चार माह में एक निःशुल्क रिफिल प्राप्त करने हेतु पहले गैस का पूरा मूल्य गैस एजेन्सी में जमा कर सिलेण्डर प्राप्त किया जा रहा है।
- तत्पश्चात गैस की धनराशि सीधे उपभोक्ताओं के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है।

8.12 स्टेट कन्ज्यूमर हेल्पलाइन

राज्य में 03 टोल फ्री हैल्पलाईन नंबर क्रियाशील हैंः

• उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु– राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर – 1800–180–4188

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों के समाधान हेतु एन0एफ0एस0ए0 हैल्पलाईन नम्बर– 1967

• "वन नेशन वन राशन कार्ड" के अन्तर्गत शिकायत निवारण हेतु हैल्पलाईन नंबर – 14445

8.13 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के गठन की तिथि अप्रैल, 2002 से दिसम्बर, 2022 तक 8975 वाद दर्ज हुए, इनमें से दिसम्बर, 2022 तक 7422 वाद निस्तारित हो चुके हैं।" माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 314 वाद दर्ज हुए हैं तथा कुल 455 वाद निस्तारित हुए हैं । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में गठन की तिथि से दिसम्बर, 2022, तक 53,452 मामलें दर्ज हुए, इनमें से दिसम्बर, 2022 तक 49,688 मामलें निस्तारित हो चुके हैं। "माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 703 वाद दर्ज हुए हैं तथा कुल 861 वाद निस्तारित हुए हैं"।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/ जिला उपभोक्ता फोरम

तालिका 8.5

dz0l a0	ftyk mi HkksDrk Qksje	nt Z oknksa dh l a[; k	fuLrkfjr oknksa dh l a[; k	yfEcr okn dh l a[; k
1-	nsgjknwu	15366	14022	1344
2-	gfj}kj	11444	10476	968
3-	vYeksM+k	3561	3022	539
4-	m/kefl agxj	4010	3696	314
5-	uSuhrky	6731	6578	153
6-	mRrjdkˇkh	1673	1591	82
7-	ikSM+h x<+oky	2312	2235	77
8-	fiFkkSjkx<+	2618	2542	76
9-	pekSyh	1820	1759	61
10-	fVgjh x<+oky	315	270	45
11-	pEikor	560	518	42
12-	ckxsˇoj	2542	2502	40
13-	: niz; kx	500	477	23
	; ksx	**53452**	**49688**	**3764**

स्रोतः खाद्यान आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

8.14 निःशुल्क गैस कनैक्शनः "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" एवं "राज्य उज्जवला योजना" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में बिना गैस कनैक्शनधारी निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनैक्शन वितरित किये गये हैं, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है :—

तालिका 8.6

क्र0सं0	जनपद का नाम	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	राज्य उज्जवला योजना
1.	चम्पावत	10691	553
2.	रूद्रप्रयाग	7394	3022
3.	उत्तरकाशी	19694	483
4.	बागेश्वर	17525	458
5.	देहरादून	48418	201
6.	नैनीताल	34844	1298
7.	पौड़ी गढ़वाल	20348	2532
8.	पिथौरागढ़	23262	1663
9.	टिहरी	26007	132
10.	ऊधमसिंह नगर	99033	08
11.	चमोली	10819	966
12.	अल्मोड़ा	23381	222
13.	हरिद्वार	107382	221
योग		**448798**	**11759**

स्रोतः खाद्यान आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड

8.15 विधिक माप विज्ञानः ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अन्तर्गत विभाग द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली सभी सुविधायें यथा रजिस्ट्रेशन, लाईसेन्स फीस, नवीनीकरण, सत्यापन आदि कार्य ऑनलाईन प्रारम्भ कर लिया गया है।

ग्रेन ए0टी0एम0: UN-WFP के माध्यम से स्थापित एक अन्नपूर्ति मशीन/ग्रेन ए0टी0एम0 पॉयलट बेस पर जनपद देहरादून में स्थापित किया गया है। जहॉ से उपभोक्ताओं को बायोमैट्रिक के माध्यम से पूर्ण वजन का खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। इसमें दो कुन्टल खाद्यान्न रखने की क्षमता है, जिससे पारदर्शिता तथा सही तौल होने के कारण उपभोक्ता की संतुष्टि होती है।

अध्याय–9
वन तथा पर्यावरण
Forest and Environment

9.1 सामान्य विवरणः राज्य में वानिकी क्षेत्र में आंवटित बजट की स्थिति कुल बजट तथा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ग्राफ संख्या–9.1 में प्रदर्शित है। वर्ष 2004–05 से वर्ष 2021–22 तक वन क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 1.35 प्रतिशत से 3.98 प्रतिशत के मध्य रहा है। विभिन्न वर्षो में बजट आवंटन में उतार–चढ़ाव देखने को मिला है, जबकि वन क्षेत्र में आवंटित बजट जी0एस0डी0पी0 का 0.28 प्रतिशत से 1.05 प्रतिशत के मध्य रहा है।

चार्ट 9.1

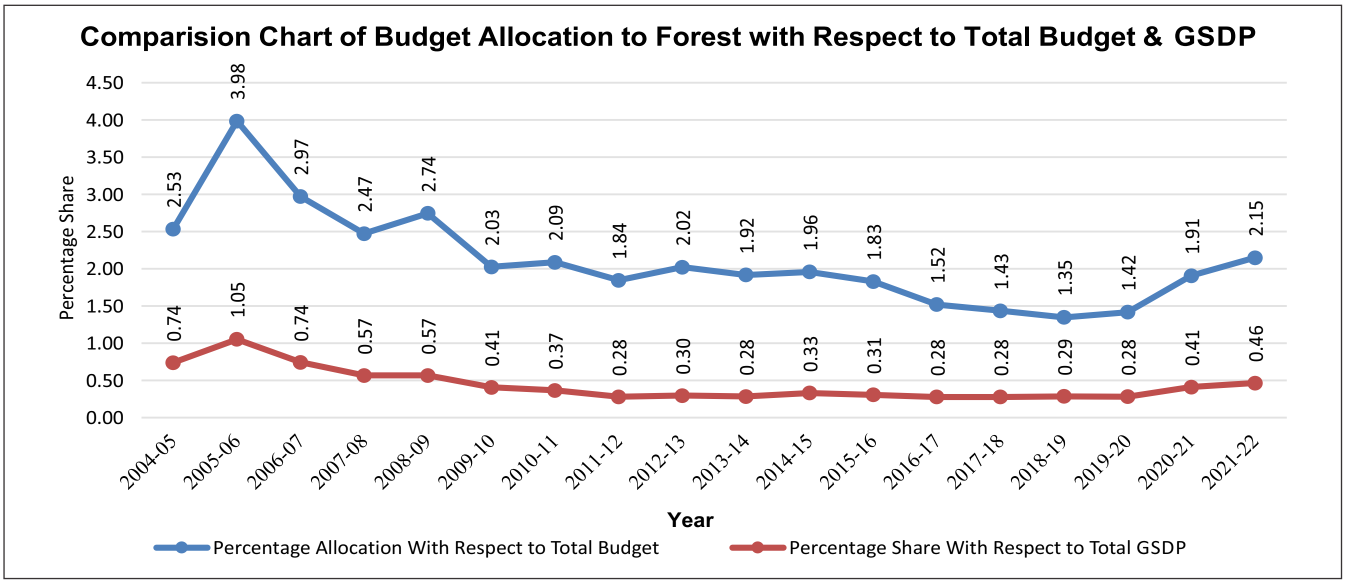

स्रोतः अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड

9.1.1 जनपदवार वनावरणः India State of Forest Report - 2021 के अनुसार प्रदेश में वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी. है, जिसका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:–

तालिका 9.1
प्रदेश में वनों का जनपदवार क्षेत्रफल तथा भौगोलिक के सापेक्ष प्रतिशत

क्र. सं.	जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
			अत्यन्त घने वन	मध्यम घने वन	खुले वन	योग	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	3,144	199.09	837	682.43	1,719.80	54.70
2	बागेश्वर	2,241	161.56	761.61	342.45	1,262.67	56.34
3	चमोली	8,030	443.08	1,580	693.48	2,710.11	33.75
4	चम्पावत	1,766	366.88	593	266.91	1,224.16	69.32
5	देहरादून	3,088	663.25	601.56	351.48	1,611.58	52.19
6	पौड़ी गढ़वाल	5,329	576.62	1,902.03	921.33	3,396.71	63.74
7	हरिद्वार	2.360	74.77	276.42	232.12	583.91	24.74
8	नैनीताल	4,251	772.89	1,728.93	551.74	3,044.49	71.62
9	पिथौरागढ़	7,090	505.54	965	615.04	2,080.75	29.35
10	रूद्रप्रयाग	1,984	251.94	580	311.46	1,142.30	57.58
11	टिहरी गढ़वाल	3,642	272.89	1,084.08	707.33	2,064.39	56.68
12	ऊधमसिंह नगर	2,542	148.17	188.75	91.51	428.08	16.84
13	उत्तरकाशी	8,016	618.63	1,706.86	714.79	3,036.15	37.88
	योग	**53,483**	**5055.31**	**12,805.24**	**6,482.07**	**24,305.13**	**45.44**

स्रोत : India State of Forest Report, 2021

चार्ट 9.2

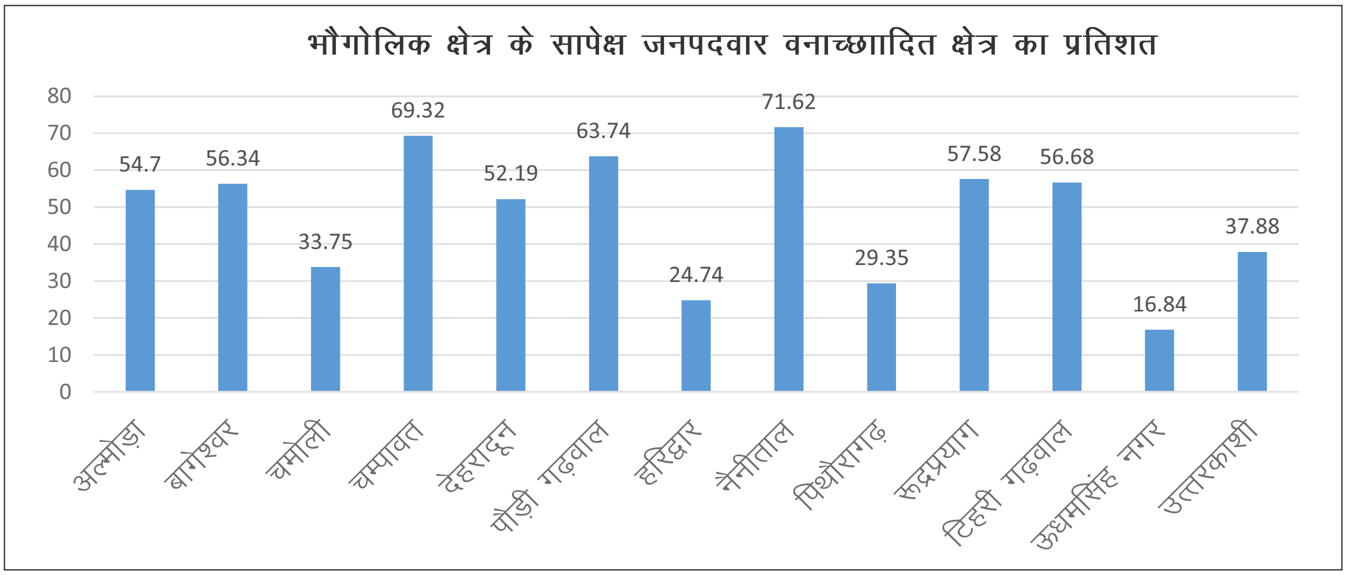

स्रोत : India State of Forest Report, 2021

9.1.2 वनावरण में वृद्धिः वर्ष 2019 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 2 वर्ग किमी0 की वृद्धि पायी गयी है।

9.1.3 वनों की वर्तमान स्थितिः वर्तमान में विधिक एवं प्रबन्धन की दृष्टि से वनों की श्रेणियां आरक्षित वन (मुख्यतः वन विभाग के अधीन), सिविल सोयम वन (मुख्यतः राजस्व विभाग के अधीन), पंचायती वन (वन पंचायतों के अधीन), कैन्टोनमैन्ट वन (सेना के अधीन), नगरपालिका वन (नगरपालिकाओं के अधीन) तथा निजी वन (निजी भूमि मालिकों के अधीन) है।

तालिका 9.2
प्रदेश के मुख्य भौगोलिक आंकड़े

(क)	उत्तराखण्ड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी.
(ख)	उत्तराखण्ड में अभिलिखित कुल वन क्षेत्र	37,999.60 वर्ग किमी.
	i. वन विभाग द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	25,863.18 वर्ग किमी.
	ii. राजस्व विभाग द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	4,768.704 वर्ग किमी.
	iii.वन पंचायतों द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	7,168.502 वर्ग किमी.
	iv. निजी/अन्य संस्थाओं द्वारा प्रबन्धित वन क्षेत्र	156.444 वर्ग किमी.
(ग)	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष अभिलिखित वन क्षेत्र	71.05 प्रतिशत

नोटः वन विभाग कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका 2021–22

तालिका 9.3
अग्नि संवेदनशील वन भूभाग

संवेदनशीलता	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
अति संवेदनशील	49.21	0.20
उच्च संवेदनशील	757.92	3.12
अधिक संवेदनशील	4070.09	16.75
मध्यम संवेदनशील	5887.70	24.22
कम संवेदनशील	13540.08	55.71

स्रोत : India State of Forest Report, 2021

तालिका 9.3 के अनुसार एफएसआई 2021 की रिपोर्ट में 20 फीसद जंगल पर आग का अधिक प्रकोप है। राज्य में ऐसे वनों का क्षेत्रफल 20.07 फीसद भाग पर फैला है। अर्थात 4877.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे प्रभावित है। वही 49.21 वर्ग किलोमीटर ऐसा भाग है, जिसके लिहाज से अति संवेदनशील बताया गया है।

9.1.4 वृक्षारोपण नीति 2005: विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे वृक्षारोपणों की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपण नीति प्रतिपादित की गयी है जिसमें मुख्य रूप से रोजगार एवं आय परक वृक्ष प्रजाति के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा तीनों वितानों (कैनोपी) के रोपण पर बल दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों में वन विभाग की वृक्षारोपण की प्रगति निम्न प्रकार रही।

तालिका 9.4

वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)		
वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
2017–18	18785.00	21397.26
2018–19	19570.00	20713.00
2019–20	21080.00	21508.39
2020–21	30769.23	33548.55
2021–22	39650.00	40678.04

स्रोतः वन विभाग, आउटकम बजट

9.1.5 वन पंचायतें: उत्तराखण्ड राज्य में वन पंचायतें ब्रिटिश काल में उत्तराखण्ड के लोगों के विरोध के बाद जंगल पर हक के रूप में हासिल हुई थी। आजादी से पहले अंग्रेजों ने जंगल को राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दिया और लोगों के जंगल आने–जाने पर पाबंदी लगा दी। उत्तराखण्ड के लोगों ने इसका विरोध किया। जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने फॉरेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी बनाई। इस कमेटी की सलाह पर इडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की धारा 28(2) के तहत, वन पंचायतों का गठन शुरू किया गया था। राज्य के 11 जनपदों में वन पंचायत अधिनियम लागू है। अब तक 12167 वन पंचायतें गठित हैं।

इसका मुख्य उददेश्य वन पंचायतों के संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करना, वन

पंचायतों में रोजगार सृजन एवं आय अर्जन गतिविधियों को कराया जाना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 384.68 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 42.43 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.6 वनों की अग्नि से सुरक्षाः वनों की अग्नि से प्रतिवर्ष अत्यधिक क्षति होती है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़, देवदार, सुरई, मोरिण्डा के वनों में लीसा व इसकी सूखी घास व पत्तियों के कारण आग से अधिक हानि होती है। वनों को आग से क्षति को कम करने तथा वनों में आग के मामलों को त्वरित सूचना के आदान–प्रदान एवं उन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से वनाग्नि सम्बन्धी सैटेलाइट डाटा के लिये वर्ष 2008 से उत्तराखण्ड स्पेस एप्लिकेशन सेन्टर, देहरादून तथा नेशनल रिमोट सैन्सिंग अकादमी, हैदराबाद से सहयोग लिया जा रहा है। विभिन्न वर्षो के वनाग्नि आंकड़े निम्नानुसार हैं:

तालिका 9.5

वर्ष	अग्नि प्रभावित क्षेत्र (है0 में)	अनुमानित क्षति (₹ लाख में)
2017	1244.64	18.34
2018	4520.34	90.57
2019	2981.55	55.93
2020	172.69	4.52
2021	3943.89	106.02

स्रोतः वन विभाग, आउटकम बजट

9.1.7 ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना : उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश के रूप में भारत में ही नहीं विश्व में भी जाना जाता है। जिसमें ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण ईको–पर्यटन योजना प्रारम्भ की गयी जो कि पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परन्तु गत वर्ष के आय–व्ययक प्रावधानों तथा उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति से यह ज्ञात होता है कि इस महत्वपूर्ण योजना पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, जिससे इसका लाभ प्रदेश की आर्थिकी के सुदृढिकरण में किया जा सके। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना में ₹ 25.01 लाख का आय–व्ययक प्रावधान है जो कि योजना की महत्ता को देखते हुए कम है।

9.1.8 वनों की सुरक्षा–वर्तमान स्थिति, समस्या एवं समाधान : प्रकाष्ठ एवं ईंधन की बढ़ती मांग एवं कीमत के कारण वन सम्पदा के संरक्षण को खतरा उत्पन्न हो गया है। वन संरक्षण को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण–अवैध पातन तथा वन क्षेत्रों का अतिक्रमण है।

वनों से अवैध पातन की विगत 05 वर्षो की स्थिति निम्न प्रकार है :

तालिका 9.6

क्र. सं.	वर्ष	अवैध पातन के मामलों की संख्या	अवैध पातित वृक्षों की मात्रा (घ.मी.)	जब्त प्रकाष्ठ की मात्रा (घ.मी.)
1	2016–17	1124	698.585	326.135
2	2017–18	741	891.0133	364.3954
3	2018–19	703	837.1741	340.1628
4	2019–20	648	850.799	314.23
5	2020–21	750	722.044	434.3490

स्रोतः वन विभाग, आउटकम बजट

9.1.9 रिसर्च एवं टैक्नोलॉजी डेवलपमेन्टः विभाग में **वानिकी अनुसंधान** सम्बन्धी यह एकमात्र योजना है। इसके अन्तर्गत वानिकी एवं वन्यजीव क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के वानिकी प्रयोग किये जा रहे हैं। वृक्षारोपण एवं पौधालयो में पौध उगाने हेतु नयी तकनीक विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है तथा योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना, बीज उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना, नर्सरी तकनीक का विकास, कृषि वानिकी हेतु उन्नत

क्लोनों का विकास तथा वृक्षारोपण की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 226.55 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 72.34 लाख व्यय किया गया है।

9.1.10 वन सुरक्षा हेतु प्रयासः अवैध कटान, अवैध शिकार, अतिक्रमण एवं अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने कई कारगर कदम उठाए हैं। वन सुरक्षा हेतु फील्ड स्तर पर तैनात कर्मियों को आग्नेयास्त्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। वाहनों की उपलब्धता बढ़ा दी गई है। वन अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु मुखबिरों की तैनाती कर दी गई है। पूरे विभाग में वायरलेस नेटवर्क की स्थापना कर दी गई है। अवैध आखेट पर नियंत्रण हेतु विशेष एन्टी पोचिंग यूनिट स्थापित कर दी गई है।

शासन द्वारा वनाधिकारियों को वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जिससे लीसा तथा अन्य वन उत्पादों की तस्करी पर रोक लगी है। अवैध कटान, अतिक्रमण तथा वन्य जीवों के शिकार जैसे अपराधों पर नियंत्रण करने में विभाग अधिक सक्षम हुआ है।

9.1.11 मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना : मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से विशेष योजनान्तर्गत मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम नामक एक नई योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रुप से जन जीवन को वन्यजीवों विशेषकर जगंली हाथियों से सुरक्षा के उपाय किये जाने हेतु हाथी रोधक दीवार, हाथी रोधक खाई तथा ''सोलर–फैन्सिग'' के साथ साथ जनता को बन्दरों से सुरक्षा के उद्देश्य बन्दर बाड़ों का निर्माण किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 में एलीफेंट प्रूफ ट्रैंच–1.3 किमी0, सोलर फेंसिंग–6.5 किमी0, सोलर लाईट लागाना–20, सोलर फेंसिंग मरम्मत–21.25 किमी0, लीफेंट प्रूफ ट्रैंच मरम्मत–4 किमी0 कार्य किया है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में सोलर फेंसिंग–12 किमी0, शौचालय अथवा वासियों को हिंसक वन्यजीवों के बचाव हेतु मेसोनरी के आकर्षक एवं फिक्टोरियल साईनेज की स्थापना–31, लैण्टाना / झाड़ी उन्मूलन 3 किमी0, हाथी / अन्य वन्यजीव प्रूफ स्टोन वाल का रखरखाव– 5 किमी0, जयॉगाव में जंगली जानवरों से फसलों की क्षति की रोकथाम हेतु सुअररोधी दीवाल निर्माण कार्य– 1467 मी0 का कार्य किया गया।

9.1.12 गूजर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना : जंगलों में यत्र–तत्र फैले गूजर समुदाय एवं पशुओं की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि से वनों पर जैविक दबाव बढ़ा है और वनों का ह्रास होने लगा है। इनके कारण वन अपराधों में की रोकथाम करने में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत गूजरों के पुनर्वास कार्य के तहत हरिद्वार वन प्रभाग के सब्बलगढ तथा राजाजी टाइगर रिजर्व के पथरी व गेंडीखाता में गुजरो को मूल भूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य जैसे मकान, सम्पर्क मार्गो, हेन्ड पम्प, शौचालय निर्माण, ट्यूबवैल निर्माण, कैटल शेड निर्माण आदि कार्य किये जा रहे है जिससे उनका जीवन स्तर उठाया जा सके। वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 155.00 लाख के आय–व्ययक प्रावधान किया गया है।

9.1.13 उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित) : वर्ष 2014–15 से वाह्य सहायतित योजना उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना (जायका पोषित) प्रारम्भ की गयी। परियोजना की कुल लागत ₹ 807 करोड़ है तथा परियोजना 08 वर्ष में 750 वन पंचायतों में कार्य करेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत Eco-restoration हेतु 37500 है0 (50 है0 प्रति वन पंचायत) क्षेत्र लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के संचालन हेतु ''प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट'' इकाई (पी0एम0यू0) सोसायटी मोड में कार्य कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 9000.00 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 4500.00 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.14 हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना : वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रारम्भ '' हरेला कार्यक्रम में पौध वितरण योजना'' हेतु हरेला जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों हेतु विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ पौध तैयार रहते है तथा अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 112.35 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 65.08 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.15 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा योजना : वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी ''मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजना'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 220.00 लाख किया गया है।

9.1.16 बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन : बुग्याल (मिडो) उच्च पर्वतीय क्षेत्र में **''ट्री–लाइन''** तथा **''स्नो–लाईन''** के बीच में पाये जाने वाले क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में चारे की दृष्टि से व उच्च ''मेडिसिनल'' मूल्य की महत्वपूर्ण अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अत्यधिक चरान–चुगान के कारण बुग्यालों में जड़ी–बूटी प्रजातियाँ कुप्रभावित हुई हैं। इनका संरक्षण किया जाना आवश्यक है यदि इनका संरक्षण नही किया गया तो जैविक दबाव के कारण इनमें क्षति होगी तथा ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होगे। वन विभाग द्वारा ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के प्राकृतिक समूहों को चिन्हित किया जा रहा है तथा इनका संवर्द्धन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 237.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 77.65 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.17 वुमैन कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत नर्सरी विकास कार्य : योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 53.24 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 9.46 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.18 ईको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्यः प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 450.00 लाख किया गया है।

9.1.19 हमारा पेड हमारा धन योजना : इस योजना के अन्तर्गत निजी भूमि पर निजी व्यक्ति, संजायत खातेदार पात्र होगे। आवेदक द्वारा रोपित किये जाने वाले पौध के सापेक्ष प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में पंजीकृत रजिस्टर में आवेदक के नाम ₹ 300/400 प्रति पौध के हिसाब से अंकित एफ0डी0आर0 बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी के नाम Pledge किया जायेगा तथा रोपण के तीन वर्ष बाद रोपित स्वस्थ पौधों की जीवितता प्रतिशत के मूल्याकंन के आधार पर अनुमन्य धनराशि आवेदक को दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 23500 पौधों का रोपण किया गया तथा वर्ष 2021–22 में 4275 पौधों का उगान किया गया। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 29.10 लाख किया गया है।

9.1.20 हमारा स्कूल हमारा वृक्ष : वर्ष 2015–16 से हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा पौध उगाकर स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क पौध रोपण हेतु उपलब्ध कराई जानी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 120.00 लाख किया गया है।

9.1.21 भू–क्षरण की रोकथाम : वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की एक नई योजना ''भू–क्षरण की रोकथाम'' प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 250.00 लाख का बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 249. 98 लाख धनराशि व्यय की गयी। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 400.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 120.90 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.22 वर्षा जल संरक्षण योजना : वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये ₹ 171.56 लाख के आय–व्ययक प्रावधान के सापेक्ष ₹ 167.94 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में जलकुण्ड निर्माण (10000 ली0 क्षमता)–15, जलकुण्ड (20000 ली0 क्षमता)–87, जलकुण्ड (25000 ली0 क्षमता–5, जलकुण्ड (50000 ली0 क्षमता–19, जलकुण्ड (100000 ली0 क्षमता)–16, जलकुण्ड (250000 ली0 क्षमता)–6 एवं भूमि जल संरक्षण कार्य–41 किये गये। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक प्रावधान ₹ 478.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 213.71 लाख का व्यय किया गया है।

9.1.23 उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण दंडित प्रतिपूरक वनीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण/ प्रतिकारात्मक वनीकरण प्राधिकरण (कैम्पा) : वर्ष 2010–11 से कैम्पा परियोजना सोसाइटी मोड में गठित की गयी। वर्तमान में कैम्पा का संचालन उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की ''गाईडलाईन'' के अनुसार ए0पी0ओ0 को ''स्टेयरिग कमेटी'' से अनुमोदित करवाकर राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार की कार्यकारी समिति के अन्तिम अनुमोदन के उपरान्त स्वीकृत करवाये जा रहे हैं।

9.1.24 प्रमुख वन्य जीव गणना : वन्य जीव प्रबन्धन में वन्य जीव गणना व संख्या का अनुमान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही है जिसके द्वारा महत्वपूर्ण वन्य जीवों का आंकलन किया जाता है। कुछ प्रमुख वन्यजीवों के आंकडे निम्नानुसार हैः

बाघ : बाघों की संख्या का आंकलन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा प्रत्येक 04 वर्ष में किया जाता है।

तालिका 9.7

गणना वर्ष	2006	2010	2014	2018
बाघों की संख्या	178	227	340	442

स्रोतः वन विभाग, उत्तराखण्ड

हाथी : हाथी गणना का विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 9.8

प्रभाग/वृत्त	**हाथियों की संख्या (वर्ष वार)**								
	2001	**2003**	**2005**	**2007**	**2012**	**2015**	**2017**	**2020**	**क्षेत्र वर्ग किमी0 में**
रामनगर टाइगर रिजर्व	441	477	560	515	429	850	-	1011	661.62
कालागढ़ टाइगर रिजर्व	149	150	78	107	314	185	-	213	626.73
कार्बेट टाइगर रिजर्व	**590**	**627**	**638**	**622**	**743**	**1035**	-	**1224**	**1288.35**
देहरादून वन प्रभाग	90	85	27	27	26	27	-	89	504.82
लैन्सडौन वन प्रभाग	125	139	157	180	186	160	-	150	433.43
कालसी वन प्रभाग	0	0	0	0	0	2	-	0	233.31
हरिद्वार वन प्रभाग	88	77	130	31	52	59	-	113	390.74
शिवलिक वृत्त	**303**	**301**	**314**	**238**	**264**	**248**	**_**	**352**	**1562.3**

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग	13	12	18	3	0	0	-	0	39.52
भगीरथी वृत्त	**13**	**12**	**18**	**3**	**0**	**0**	**_**	**0**	**39.52**
तराई पूर्वी वन प्रभाग	18	13	28	38	11	21	-	10	824.3
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	7	8	13	7	23	10	-	30	404.97
रामनगर वन प्रभाग	21	36	25	4	116	84	-	16	487.37
हल्द्वानी वन प्रभाग	75	92	29	5	43	55	-	30	595.79
तराई पश्चिमी वन प्रभाग	0	6	20	1	31	27	-	41	384.07
पश्चिमी वृत्त	**121**	**155**	**115**	**55**	**224**	**197**	**_**	**127**	**2696.5**
राजाजी राष्ट्रीय पार्क	**453**	**469**	**416**	**418**	**302**	**309**	-	**311**	**851.62**
चम्पावत वन प्रभाग	27	18	9	10	26	8	-	12	205.21
उत्तरी वृत्त	**27**	**18**	**9**	**10**	**26**	**8**	**_**	**12**	**205.21**
कुल योग	**1507**	**1582**	**1510**	**1346**	**1559**	**1797**	**1839**	**2026**	**6643.5**

स्रोतः वन विभाग, उत्तराखण्ड

जलीय जीवों (Mugger, Ghariyal & Other) की गणना : वर्ष 2020 में प्रदेश में जलीय जीवों की गणना की जिसका विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 9.9

Division	Mugger	Ghariyal	Other
Corbett Tiger Reserve	145	75	133
Rajaji Tiger Reserve	0	01	12
Kedarnath WLS_FD	0	0	11
Champawat_FD	0	0	19
Haldwani_FD	0	0	10
Tarai_East_FD	255	0	03
Ramnagar_FD	0	0	05
Haridwar_FD	51	01	01
Total	451	77	194

स्रोतः वन विभाग, उत्तराखण्ड

9.1.25 वन राजस्व का विवरण : विभाग के विगत 10 वर्षों के राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :—

तालिका 9.10

(धनराशि– लाख ₹ में)

क्र0 सं0	वर्ष	वन राजस्व	व्यय
1	2012—13	23101.92	39155.03
2	2013—14	36403.00	42314.04
3	2014—15	34905.60	53322.35
4	2015—16	35849.62	54776.57
5	2016—17	32221.13	54589.03
6	2017—18	31113.51	61535.54
7	2018—19	36849.00	65888.58
8	2019—20	41040.00	67259.19
9	2020—21	51226.00	84126.00
10	2021—22	52075.00	116788.42

स्रोतः वन विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य में इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण सुधार हेतु निम्न योजनाऍ एवं कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैः–

1. जीवों के वास स्थलों विकास योजना।
2. बांस एवं बायोफ्यूल प्रजातियों का रोपण योजना।
3. औषधीय पौधों का संरक्षण, संबर्द्धन योजना।
4. वनों की सुरक्षा योजना।
5. मुठभेड में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्य हेतु योजना।
6. मानव–वानर संघर्ष (Man- Monkey Conflict) न्यूनीकरण योजना
7. जंगली सुअरों के आखेठ हेतु कारतूसों का वितरण योजना आदि।

महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक कार्य तथा नीतिगत पहल

- उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है। इसकी कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- वन प्रबन्धन में जनता का सहयोग लेने के उद्देश्य से वन पंचायतों, महिला मंगल दलों, महिला एस0एच0जी0 आदि को वृक्षारोपणों के अनुरक्षण कार्यों में लिया जाना प्रस्तावित है।
- वन पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण दे कर वन पंचायतों में अधिक जागरुकता उत्पन्न करना।
- जन सहभागिता से धनौल्टी (मसूरी) में "धरा" तथा "अम्बर " ईको–पार्क का विकास।
- लच्छीवाला (देहरादून) में बटरफ्लाई पार्क की स्थापना।
- पिरुल के चैक–डैम से मृदा एवं जल संरक्षण कार्य किया जा रहा है।
- टाईगर की गणना हेतु ''कैमरा–ट्रैप'' प्रणाली का उपयोग कर गणना करना।
- लालकुआँ तथा बडकोट(देहरादून) के निकट ''कार्बन–इन इन्फलक्स'' (carbon-influx) के मापन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सम्बन्धी अनुसंधान कार्य एवं उत्तराखण्ड के वनों में संचित कार्बन का मात्राकरण किया जा रहा है।
- अमृत सरोवर का निर्माण– विभाग के अन्तर्गत 133 अमृत सरोवरों का निर्माण 15 अगस्त, 2022 तक किया जा चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ0एस0आई0) की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के वनावरण में 2 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है।
- महिला सफारी गाइड– महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनके सशक्तीकरण के उद्देश्य से कॉर्बेट लेण्डस्केप में 40 महिला जिप्सी चालकों को जंगल सफारी में गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर ईको टूरिज्म से जोड़ा गया है।

उभरती हुयी चुनौतियां (Emerging Issues and Risks)

- बढ़ती जनसंख्या से वनों पर दबाव में भारी वृद्धि।
- शहरीकरण के कारण वन्यजीवों के वास स्थलों पर प्रभावों के कारण मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनायें।
- जलवायु परिर्वतन के कारण वनों में प्रजातियों पर प्रभाव तथा जल स्रोतों की कमी।
- ग्लेशियरों का पिघलना।
- आपदा से भू–स्खलन होने से वनों को हानि।

- गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के कारण वनावरण का प्रभावित होना।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में 1000 मीटर से अधिक उचांई पर हरे वृक्षों के कटान पर लगी रोक के कारण की संरचना, विशेषकर चीड़ प्रजाति का विस्तार होना। ज्ञातव्य है कि चीड़ वनों से भी लीसा टिपान आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं।
- वनों के प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय विशेषकर महिलाओं की सहभागिता।
- पंचायती वनों का सर्वेक्षण व सीमा स्तम्भों की स्थापना।
- जनता को गैर प्रकाष्ठ वन उपज (NTFP) के माध्यम से आजीविका के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना।
- विकास कार्यों एवं वनों के संरक्षण में सामंजस्य स्थापित करना।
- वनों एवं वन्यजीवों के प्रबन्धन हेतु कार्ययोजनाओं/प्रबन्ध योजनाओं के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु समुचित बजट की स्वीकृति किया जाना।
- प्रदेश के वनों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त किया जा रहा है, फिर भी इसमें वृद्धि के उपायों पर कार्यवाही किया जाना।

11.1.26 वायु गुणवत्ता की विशेषताएँ : राज्य के चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र स्थापित है। जहाँ पर नियमित रूप से पी0एम0 10, पी0एम0 2.5, सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाईट्रिक्स आक्साईड के पूर्व निर्धारित मानकों के सापेक्ष दैनिक आधार पर वायु की गुणवत्ता का मापन किया जाता है। राज्य में वायु गुणवत्ता के मानक आवासीय तथा औद्योगिक/व्यवसायिक क्षेत्रों हेतु पृथक–पृथक निर्धारित है। राज्य इन केन्द्रों में वर्ष 2022 के औसत वायु गुणवत्ता का विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है:

तालिका 9.11

Standard/Stations	P.M 10 (µg/m3)	S.P.M (µg/m3)	P.M. 2.5 (µg/m3)	SO2 (µg/m3)	NO2 (µg/m3)
Standard(Annual)	60	-		20	30
Standard (24 hours)	100	-		80	80
Clock Tower Dehardun	151.27	-	85.88	19.77	25.49
Rajpur Road Dehradun	142.16	-	83.44	18.30	24.37
Himalayan drug, ISBT	150.41	-	88.54	21.57	25.48
Nagar Nigam, Rishikesh	138.12	-	70.75	20.11	25.06
SPS, Hospital, Rishikesh	137.88	-	71.82	19.48	25.07
Sidcul, Haridwar	124.70	-	98.86	18.22	26.97
Rishikul, Haridwar	131.08	-	105.38	20.78	27.37
Govt. Hospital/Jal Sansthan, haldwani	111.98	174.44	29.81	7.50	25.25
Govt. Hospital, Kashipur	122.93	-	58.64	15.56	19.38
Govt. Hospital, Rudrapur	124.94	-	-	16.37	20.19

Source: Pollution Control Board Uttarakhand.

तालिका 9.12

Forest Carbon Stock of State & UTs

(in'000 tonnes)

S.No.	State/UTs	Area sq km	AGB	BGB	Dead Wood	Litter	SOC	Total
1	Arunchal Pardesh	66,431	3,40,351 (51.23)	1,02,229 (15.39)	9,163 (1.38)	11,802 (1.78)	5,60,298 (84.34)	10,23,843 (154.12)
2	Assam	28,312	87,070 (30.75)	21,495 (7.59)	1,875 (0.66)	4,890 (1.73)	1,56,042 (55.12)	2,71,372 (95.85)
3	Himachal Pardesh	15,443	1,14,269 (73.99)	31,880 (20.64)	2,657 (1.72)	3,328 (2.15)	1,05,937 (68.60)	2,58,071 (167.10)
4	Manipur	16,598	47,590 (28.67)	14,101 (8.50)	880 (0.53)	2,652 (1.60)	1,11,708 (67.30)	1,76,931 (106.60)
5	Meghalaya	17,046	55,241 (32.41)	15,820 (9.28)	1,238 (0.73)	3,075 (1.80)	1,08,014 (63.37)	1,83,388 (107.59)
6	Mizoram	17,820	48,157 (27.02)	10,622 (5.96)	758 (0.43)	3,140 (1.76)	95,961 (53.85)	1,58,638 (89.02)
7	Nagaland	12.251	39.339 (32.11)	10,618 (8.67)	854 (0.70)	2,006 (1.64)	82,115 (67.03)	1,34.932 (110.15)
8	Sikkim	3,341	18,024 (53.95)	5,466 (16.36)	498 (1.49)	607 (1.82)	30,944 (92.62)	55,539 (166.24)
9	Tripura	7722	24,349 (31.53)	5,358 (6.94)	477 (0.62)	1,486 (1.92)	43,304 (56.08)	74,974 (97.09)
10	Uttarakhand	24,305	1,59,674 (65.70)	42,893 (17.65)	3,561 (1.46)	5,184 (2.13)	1,66,847 (68.65)	3,78,159 (155.59)
11	Jammu & Kashmir	21,387	1,63,897 (76.63)	45,864 (21.45)	3.386 (1.58)	4,951 (2.32)	1,52,772 (71.43)	3,70,870 (173.41)
Total - India		**7,13,789**	**23,19,910 (32.50)**	**7,18,852(10.07)**	**47,665 (0.67)**	**1,07,251(1.50)**	**40,10,168 (56.18)**	**72,03,846 (100.92)**

Source: Forest Survey Report 2021) AGB-Above Ground Biomass, BGB- Below Ground Biomass, SOC- Soil Organic Carbon

The above table shows that Arunchal Pardesh has maximum carbon stock of 1,023.84 million tonnes followed by Uttarakhand (378.16 million tonnes), Jammu & Kashmir (370.87 million tonnes) and Assam (271.37 million tonnes). The per hectare carbon stock among different States/UTs indicates that Jammu & Kashmir is contributing maximum per hectare carbon stock of 173.41 tonnes/ha, followed by Himachal Pradesh (167.10 tonnes/ha), Sikkim (166.24 tonnes/ha) and Uttarakhand (155.59 tonnes/ha). At national level 32% of carbon stock is in AGB whereas about 56% in SOC.

सेवा क्षेत्र

अध्याय–10
परिवहन एवं संचार
Transport and Communication

> प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हिमालय की हरी–भरी पहाडियों पर रेलगाडी की आवाज उत्तराखण्ड के विकास की नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। चारधाम ऑलवेदर रोड उत्तराखण्ड के लोगों के साथ–साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रही है, वहीं दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास की नई गाथा लिखेगा।

स्रोतः संकल्प नये उत्तराखण्ड का। उत्तराखण्ड शासन।

एक विद्वान का कथन है कि "परिवहन सभी यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है, जो व्यक्तियों, वस्तुओं तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में सहायता करते हैं।" वर्तमान में बढ़ती आवश्यकताओं के फलस्वरूप पारस्पारिक आदान–प्रदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है, जिसके लिये परिवहन के साधनों की अत्यन्त आवश्यकता हैं। आज की पूर्ण अर्थव्यवस्था भी परिवहन के साधनों पर निर्भर है। वैसे तो परिवहन के मुख्यतः चार साधन है, जल, वायु, रेल व सड़क, किन्तु उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति व अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण सड़क मार्ग ही राज्य का मुख्य परिवहन का साधन है। सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। यहॉ जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़कों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार हैः–

10.1 उत्तराखण्ड परिवहन निगम

उत्तराखण्ड में सड़क यातायात में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की अहम भूमिका है। यह लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर अन्य समीपवर्ती राज्यों में यातायात की सुविधायें प्रदान करता है। देहरादून, नैनीताल तथा टनकपुर में निगम के तीन डिवीजनल कार्यालय तथा 19 डिपो कार्यरत हैं। निगम 359 रूटों पर 915 सेवायें प्रदान कर रहा है। वर्ष 2021–22 में निगम की 1347 बसों द्वारा कुल 1213.10 लाख संचालित किमी0 के द्वारा 346.78 लाख यात्रियों द्वारा यात्रायें की गयी। 2003–04 में परिवहन निगम की 1024 साधारण बसों तथा 40 सेमी डीलक्स बसों में 347.85 लाख सवारियों द्वारा यात्रा की गई वहीं चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2022 तक निगम द्वारा संचालित 1251 यात्री बसों में 1161.78 लाख किमी0 की संचालन से 344.56 लाख यात्रियों ने यात्रायें की। वर्तमान में निगम की 1251 बसों में से 581 बसें पर्वतीय तथा 670 बसें मैदानी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं। इन बसों में साधारण बसें–1174, ए0सी0 बसें–26 एवं वाल्वो 51 बसें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदूषण रहित 7 इलैक्ट्रिक एसी बसों का संचालन देहरादून–दिल्ली के बीच में किया जा रहा है। बसों में कुल 1917 चालक एवं 2428 परिचालक कार्यरत हैं।

> राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 को टनकपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आई0एस0बी0टी0 का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया गया है।

वर्ष 2003–04 में परिवहन निगम का कुल व्यय तथा प्राप्तियां क्रमशः रु 5213.82 लाख तथा 4126.56 लाख रूपये थी, जो वर्ष 2021–22 में क्रमशः रु 54935.42 लाख तथा रु 47455.34 लाख हो गया। तालिका 10.1 में परिवहन निगम की वर्षवार आय, व्यय तथा लाभ/हानि के आंकडें प्रदर्शित किये गये

हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006—07 के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष में परिवहन निगम घाटे की स्थिति में बसों का संचालन करता रहा है। वर्ष 2022—23 में माह नवम्बर तक निगम की कुल हानि ₹ 1804.68 लाख थी।

तालिका 10.1

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वर्षवार प्राप्तियां एवं व्यय एवं लाभ/ हानि (लाख ₹ में)

वर्ष	व्यय	प्राप्तियां	लाभ (+)/हानि(-)
2003-04	5213.82	4126.56	-1087.26
2004-05	12167.27	10656.21	-1511.06
2005-06	15205.98	14116.53	-1089.45
2006-07	16883.49	17158.09	274.60
2007-08	18735.10	18703.60	-31.50
2008-09	21017.83	19550.92	-1466.91
2009-10	22420.75	21268.61	-1152.14
2010-11	26406.25	23570.34	-2835.91
2011-12	28059.64	25383.63	-2676.01
2012-13	33636.40	31101.57	-2534.83
2013-14	40263.25	36464.05	-3799.20
2014-15	43973.91	40480.26	-3493.65
2015-16	44203.90	43146.26	-1057.64
2016-17	48185.40	46250.17	-1935.23
2017-18	53704.98	51403.30	-2301.68
2018-19	61612.88	55607.51	-6005.37
2019-20	60313.89	56036.42	-4277.47
2020-21	42387.55	28415.01	-13972.54
2021-22	54935.42	47455.34	-7490.08
2022-23 Upto Nov 2022	49258.98	47454.31	-1804.68

स्रोतः परिवहन निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2022—23 (माह दिसम्बर तक) में परिवहन निगम की बसों की बस उपयोगिता 333, लोड फैक्टर 74% तथा प्रतिबस प्रतिदिन आय ₹ 16254 रही। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा निम्न सुविधायें भी राज्य की जनता को उपलब्ध कराई जा रही है।

1. हमसफर ऐपः सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु इस अलर्ट एप का प्रयोग करने वाला उत्तराखण्ड, देश का पहला राज्य बन गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बस चालकों द्वारा उक्त ऐप को अपने मोबाइल में इन्स्टॉल किया जाता है जिससे बस संचालन के समय चालक की वाहन चलाने की दक्षता पर नजर रखी जा सकती है। यदि वाहन चलाते समय चालक को नींद आती है तो इस ऐप द्वारा चालक को अलर्ट अलार्म मिल जाता है। उक्त ऐप के माध्यम से चालक को सुरक्षित बस संचालन के आधार पर यात्रियों द्वारा रिवार्ड अंक दिये जाते हैं जिसके आधार पर सम्बन्धित चालक को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2. एच.आर.एम.एस. (Human Resource Management System): इस ऐप को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्मिकों द्वारा अपने मोबाइल फोन में इन्स्टॉल किया जाएगा तथा कार्यालय में पहुँचने पर जिओफैंसिंग क्षेत्र में आने पर कार्मिक द्वार अपनी उपस्थिति इस ऐप में दर्ज की जाएगी तथा इसी प्रकार कार्यालय से वापस जाते समय कार्मिक द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। उक्त ऐप के माध्यम से कार्मिक प्रतिमाह अपने अवकाश, वेतन आदि का विवरण प्राप्त कर सकेगा।

3. जी0पी0एस0 (Global Positioning System): निगम के वाहनों मे जी0पी0एस0 युक्त उपकरण

लगाये जाएंगे जिनके द्वारा वाहनों की वास्तविक स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है एवं निगम के वाहनों को अनाधिकृत मार्गों पर संचालित होने से रोका जा सकेगा। जी0पी0एस0 युक्त उपकरण कुछ डिपो की बसों में लगाये जा चुके हैं।

4. पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए देहरादून–दिल्ली के बीच में वातानुकूलित इलैक्ट्रिक बसों का संचालन पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है।

परिवहन निगम द्वारा संचालित योजनाएंः परिवहन निगम विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों हेतु निम्न योजनायें संचालित करता हैः–

(i) मासिक पास योजनाः परिवहन निगम की बसों में दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों हेतु माह में 30 ट्रिप यात्राओं मासिक पास योजना वर्ष 2011 से लागू है। जारी किये गये पास की वैधता 30 दिन है। वर्ष 2021–22 में 4936 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2022 तक 6990 पास जारी किये गये।

(ii) छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्राः परिवहन निगम की बसों में छात्राओं को अपने घर से विद्यालय तक आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2013 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2021–22 में 202950 छात्राओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2022 तक 332954 छात्राओं को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

(iii) रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्राः महिलाओं को रक्षा बन्धन के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा 2008 में प्रारम्भ की गई है। अगस्त, 2021 में 43604 महिलाओं को तथा चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त 2022 में 41500 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त हुई।

(iv) दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः निगम द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के व्यक्तियों को निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा 2003 से संचालित है। वर्ष 2021–22 में 185892 तथा चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2022 तक 196835 विकलांग यात्रियों को निःशुल्क सुविधा प्राप्त हुई।

(v) वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधाः निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा वर्ष 2015 में प्रारम्भ की गई। वर्ष 2021–22 में 1429212 यात्रियों को तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2022 तक 1484537 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुई।

(vi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा दिवगंत हुये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं एवं उनके प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकरियों को परिवहन निगम की साधारण बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधाः वर्ष 2021–22 में 10063 यात्रियों को सुविधा प्राप्त हुयी तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2022 तक 8736 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

(vii) उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधाः वर्ष 2021–22 में 68371 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2022 तक 65003 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

(viii) मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निःशुल्क यात्राः यह सुविधा वर्ष 2006 मे प्रारम्भ हुयी वर्ष 2021–22 में मा0 सदस्यों द्वारा 8323 तथा चालू वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर 2022 तक 12607 यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

(ix) ऑन लाईन बुकिंग की सुविधाः उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में ऑन लाईन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। जिसमें यात्री बसों के टिकट का आरक्षण ऑलाईन करवा सकते है, सीट की उपलब्धता की जानकारी व बसों की समय सारणी भी देख सकते है। ऑनलाइन बुकिंग हेतु यात्री गेस्ट यूजर, रजिस्टर यूजर एवं लॉगिन कर अपना टिकट बुक कर सकते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme)ः इस योजना के तहत निगम मुख्यालय स्तर के 2 अधिकारियों के अतिरिक्त 12 अन्य कार्मिकों के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लिया गया।.

10.2 परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड :

उत्तराखण्ड राज्य के पुर्नगठन के साथ ही

उत्तराखण्ड परिवहन प्रणाली के तहत राज्य सरकार ने राज्य सड़क परिवहन की शुरूआत की जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों की यात्रा अनुभव को सुगम बनाना है। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को विभिन्न सेवाएं दी जा रही है, जिनका विवरण आगे दिया गया है। परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन करते हुये परिवहन आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त 04 संभागीय परिवहन कार्यालय, 16 उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों एवं 01 संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) कार्यालय के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रदेश में मोटर वाहनों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि एवं उनके नियन्त्रण को दृष्टिगत प्रत्येक उपसम्भाग में प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा कृत कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है–

चार्ट 10.1

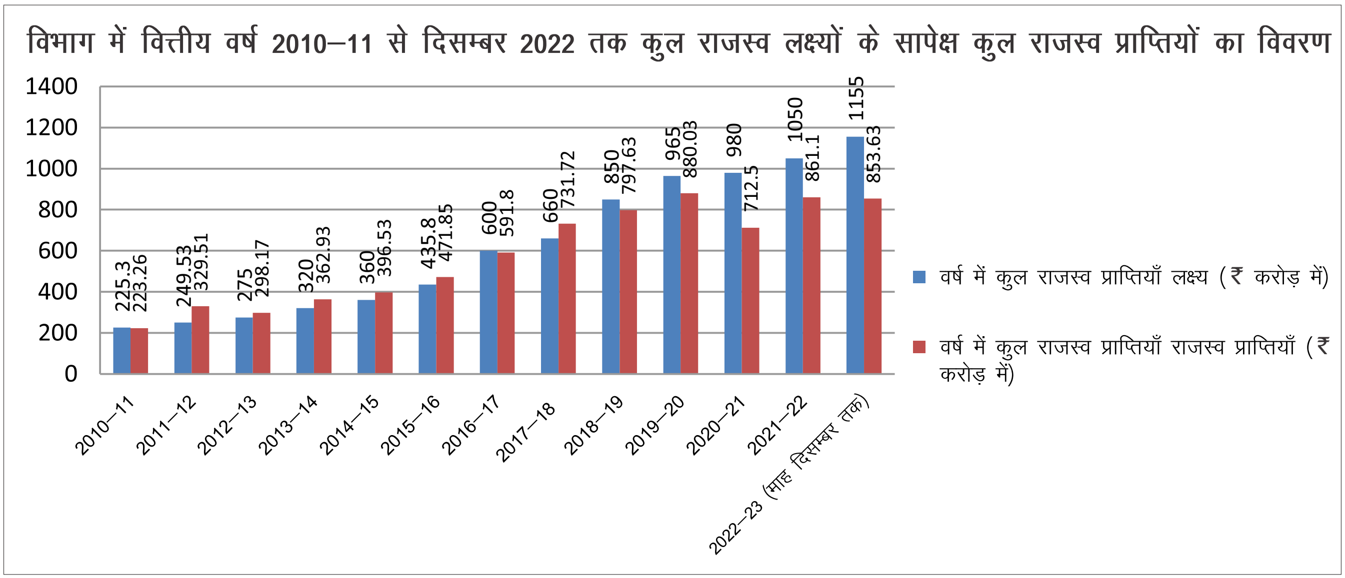

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन विभाग में (वित्तीय वर्ष 2011–12 से दिसम्बर, 2022 तक) कुल पंजीकृत वाहनों का विवरण

चार्ट 10.2

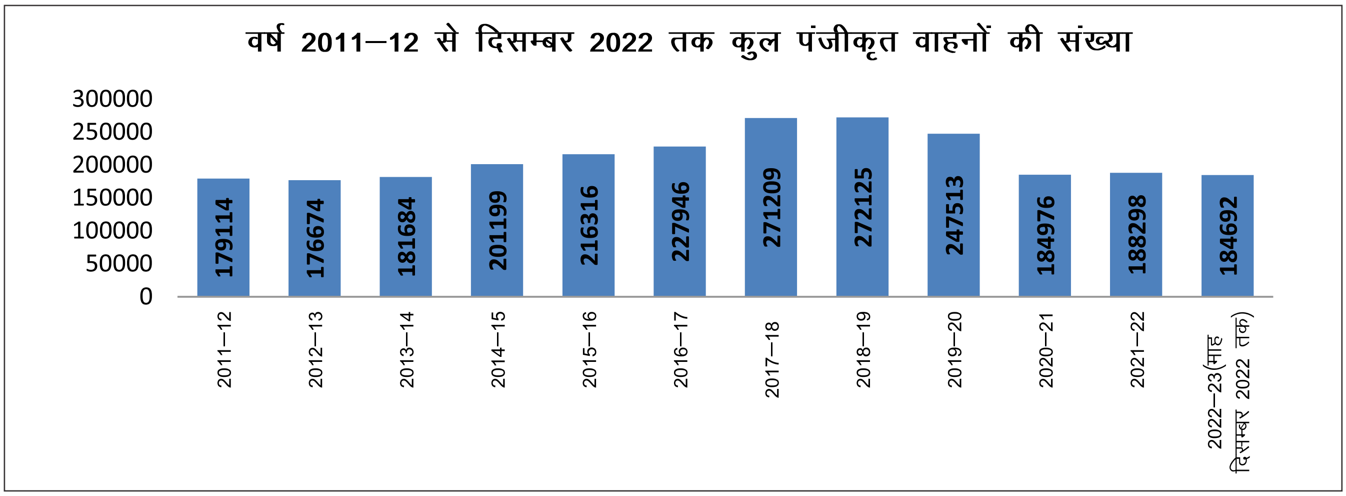

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य

तालिका 10.2

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	कुल चैक किये गये वाहनों की संख्या	चालान किये गये वाहनों की संख्या	थाने में निरूद्ध किये गये वाहनों की संख्या
1	2019–20	1243387	97296	8086
2	2020–21	625262	62912	2722
3	2021–22	956806	92092	4416
4	2022–23 (दिसम्बर 22 तक)	640636	98317	4711

स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 10.3
राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

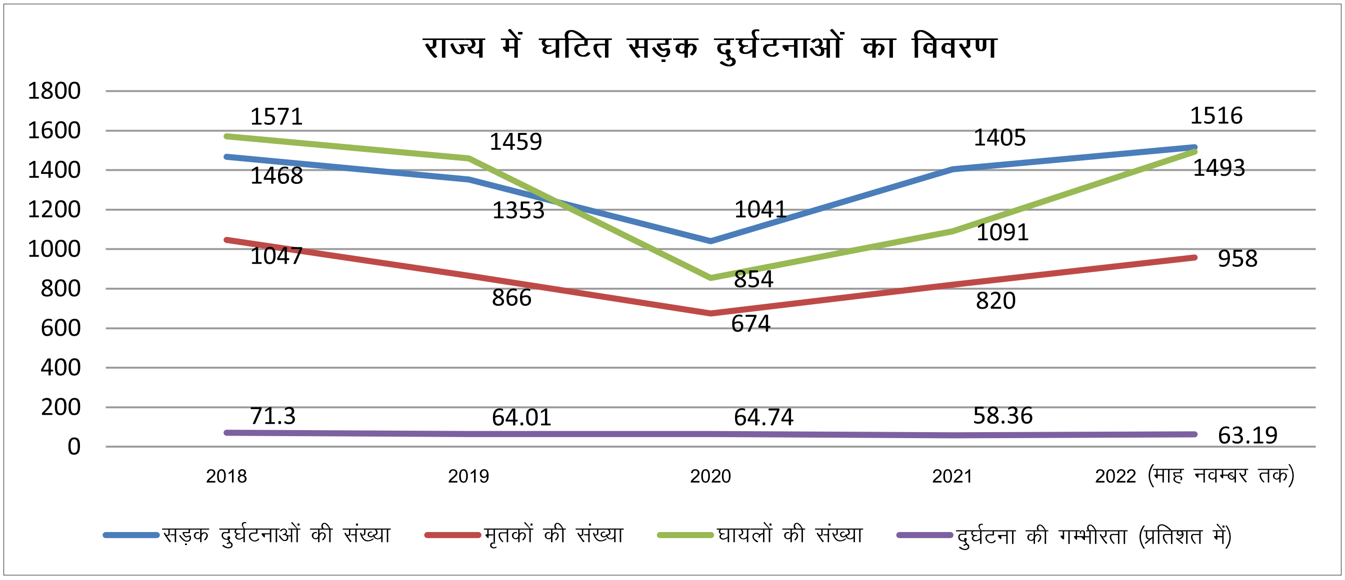

प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं पर मृतकों की संख्या।
स्रोतः परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10.2.1 रोजगार सृजन

- **प्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के माह दिसम्बर–2022 तक 129 नियमित नियुक्तियाँ एवं 20 आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुल 149 नियुक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।
- **अप्रत्यक्ष रोजगार**– वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (माह दिसम्बर–22) में क्रमशः 24498, 23607, 17765, 13487, 18077 एवं 28644 (कुल 126078) परमिट जारी किये गये हैं, जिनके माध्यम से अनुमानतः लगभग 1,90,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

10.2.2 ओवर स्पीडिंग पर नियन्त्रण हेतु वाहनों में स्पीड गवर्नर की स्थापना

• ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यावसायिक वाहनों में Speed Limiting Device की अनिवार्यता की गयी है।

• दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक 1,08,972 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किये जा चुके हैं।

10.2.3 ई–गवर्नेन्स के माध्यम से जनता को ऑनलाईन सेवायें

• सभी 20 संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वैब आधारित 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' रोल आउट कर दिया गया है।

• ऑनलाईन सेवाओं हेतु जन–सुविधा केन्द्रों को अधिकृत किया गया है।

• लाईसेन्स सम्बन्धी समस्त सेवायें ऑनलाईन प्रारम्भ की गयी है।

• वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित निम्नलिखित 13 सेवायें ऑनलाईन हैं–

वाहन का स्वामित्व हस्तान्तरण, पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति, पता परिवर्तन, एचपीए–पृष्ठांकन, एचपीए–निरस्तीकरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, फिटनेस फीस, फिटनेस प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति, पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण, वाहन में परिवर्तन (आल्ट्रेशन), वाहन के पंजीयन विवरण, भार–वाहन को नया परमिट, ऑनलाईन कर भुगतान की सुविधा पूर्व से ही प्रचलित है।

• इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की निम्नलिखित 06 सेवाओं को भी ऑनलाइन किया गया है–

1. स्टेज कैरेज ऑनलाइन टैक्स भुगतान।
2. सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले परमिटों को ऑनलाइन जारी किया जाना।
3. अस्थायी परमिटों को ऑनलाइन जारी किया जाना।
4. ट्रेड सर्टिफिकेट को ऑनलाइन जारी किया जाना।
5. अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से ऑनलाइन उपकर वसूला जाना।
6. ई–चालान सॉफ्टवेयर के अन्तर्गत चालान का प्रशमन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाना।

• डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप पर उपलब्ध अभिलेखों (डी0एल0, आर0सी0, बीमा प्रमाणपत्र, कर भुगतान रसीद) को मूल अभिलेख की भाँति मान्यता प्रदान की गयी है।

• निजी क्षेत्र में स्थापित प्रदूषण जाँच केन्द्रों को भी ऑनलाईन करते हुए वाहन पोर्टल से जोड़ा गया है।

• आकर्षक पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी/बुकिंग की जाती है।

• व्यावसायिक वाहनों को जारी की जाने वाली फिटनेस सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता हेतु एम–फिटनेस ऐप के माध्यम से वाहनों का निरीक्षण प्रारम्भ किया गया है। उक्त ऐप के माध्यम से वाहन की फिटनेस के समय वाहन के फोटो लिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

• वर्तमान में नये वाहनों के प्रपत्रों को डॉक्यूमेन्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम (डी0एम0एस0) के माध्यम से सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। इसी प्रकार पूर्व में पंजीकृत वाहनों के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही गतिमान है।

• परिवहन आयुक्त कार्यालय में दिनांक 16 अगस्त 2022 से ई–ऑफिस व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गयी है तथा समस्त सम्भागीय एवं सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में भी ई–ऑफिस व्यवस्था प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। सभी 20 संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में वैब आधारित 'वाहन 4.0' एवं 'सारथी 4.0' रोल आउट कर दिया गया है।

10.2.4 IDTR, देहरादून में (HAMS) के माध्यम से चालकों की परीक्षा

• चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी के साथ सॉफ्टवेयर (HAMS) Harnessing Automobile Safety विकसित किया गया है।

• उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप से लिये जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु सीसीटीवी की व्यवस्था की गयी है।

• उक्त व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में आई0डी0टी0आर0 देहरादून में माह जुलाई–2019 से प्रारम्भ की गयी है।

• उक्त व्यवस्था को प्रदेश के अन्य कार्यालयों में भी लागू करने की प्रक्रिया गतिमान है।

10.2.5 सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रयास

• दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से प्रवर्तन दलों हेतु 08 इन्टरसेप्टर वाहन तथा नशे में वाहन संचालित करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 40 एल्कोमीटर क्रय कर आवंटित किये गये हैं।

• राज्य की सीमाओं पर स्थापित चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए विभाग द्वारा 29 मोटरसाईकिल प्रवर्तन दल तथा 09 मोबाईल टास्कफोर्स गठित की गयी है जो राउण्ड द क्लॉक संचालित होंगी।

10.2.6 ए0एन0पी0आर0 (Automatic Number Plate Recognition Camera) कैमरों की स्थापना

• वाहनों के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत एवं मानवीय हस्तक्षेप द्वारा प्रवर्तन में कमी करने एवं वाहनों की इलैक्ट्रोनिक मोनिटरिंग के दृष्टिगत लगभग 4.60 करोड़ की लागत से 11 स्थानों पर ANPR कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से प्राप्त डाटा का उपयोग परिवहन विभाग के साथ–साथ जी0एस0टी0, पुलिस, खनन तथा पर्यटन विभाग द्वारा भी किया जायेगा।

10.2.7 सेवा का अधिकार के अन्तर्गत 43 सेवाओं को अधिसूचित किया जाना

• परिवहन विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक केवल 04 सेवाएं अधिसूचित थी। उक्त सेवाओं की संख्या में वृद्धि करते हुए वाहनों के पंजीयन एवं लाईसेन्स से सम्बन्धित 43 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

10.2.8 ऑनलाइन ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड व्यवस्था

• चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यवसायिक यात्री वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले ग्रीन कार्ड एवं ट्रिप कार्ड की व्यवस्था ऑनलाईन कर दी गयी है। जिसमें वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की व्यवस्था है। केवल वाहन को निरीक्षण हेतु एक बार कार्यालय में आने की व्यवस्था है। अनुमोदन के पश्चात ऑनलाईन ग्रीन कार्ड कहीं से भी प्रिंट किया जा सकता है तथा ट्रिप कार्ड हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता नही है।

10.2.9 आई–रैड परियोजना का शुभारम्भ

• दिनांक 24–05–2022 से उत्तराखण्ड राज्य में आई–रैड (Integrated Road Accident Database) परियोजना को लागू कर दिया गया है। उक्त परियोजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर में पुलिस, परिवहन, लो0नि0वि0 एवं चिकित्सा विभाग द्वारा सूचनाएं अंकित की जा रही है।

10.2.10 ई–व्हीकल पॉलिसी

• राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने के लिए एवं स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त वायु उपलब्ध कराने हेतु नई ई–व्हीकल पॉलिसी प्रस्तावित की गई है तथा चार धाम यात्रा मार्ग पर भारत सरकार के सहयोग से ई–चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

10.2.11 रेन्ट ए कैब (स्कीम), 1989

• मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मोटरकैब को उन व्यक्तियों को, जो अपने उपयोग के लिए मोटरकैब चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के

व्यापार और उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमित करने के लिए ''रेन्ट ए कैब (स्कीम), 1989'' बनायी गयी है, जो दिनांक 01—07—1989 से प्रभावी है। उक्त स्कीम को उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किये जाने हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25—11—2022 को प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रैन्ट ए कैब स्कीम, 1989 को अंगीकृत कर दिया गया है।

10.2.12 वाहन प्रपत्र समर्पण नियमावली

- उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियमावली, 2003 में विहित व्यस्थानुसार वाहनों के प्रपत्र समर्पण को कराधान अधिकारी द्वारा एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम छः माह की अवधि तक स्वीकार किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त व्यवस्था में निम्नलिखित संशोधन की कार्यवाही गतिमान है—''यदि विशेष परिस्थिति में वाहन का स्वामी समर्पण की अवधि समाप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर एक सौ रूपये शुल्क के साथ आवेदन करे, यह समाधान हो जाने पर कि छः माह की अवधि के पश्चात भी वाहन का समर्पण में रखा जाना अपरिहार्य है तो परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा छः माह से अधिक अवधि के लिए समर्पण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।''

10.2.13 वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रगति का विवरण

- उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्री या अन्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर या दो अंगो की पूर्ण हानि होने पर या दोनों नेत्रो की दृष्टि की पूर्ण हानि होने पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए मृतक आश्रित को रुपये 2,00,000.00 की राहत राशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

- उत्तराखण्ड में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकत्रित किये गये प्रशमन शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत नियमानुसार अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राविधान कराकर जमा करायी जाती है। उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए इसे 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

- उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011 संशोधन करते हुए ऑनलाईन सेवाओं हेतु प्रति लेन—देन शुल्क (Transaction) ₹ 20 से बढ़ाकर ₹ 50 कर दिया गया है।

10.2.14 भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण

1 ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्टिंग लेन की स्थापना

- राज्य में वाहनों की फिटनेस में गुणवत्ता विकास एवं फिटनेस संबंधी कार्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना कम्प्यूटरीकृत रूप से किये जाने के दृष्टिगत आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना की जा रही है।

- ऋषिकेश एवं कोटद्वार में उक्त लेन की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से की जा रही है, जबकि देहरादून एवं रूद्रपुर में उक्त कार्य निजी क्षेत्र में आंवटित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी उक्त लेन की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है।

2 ऑटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना

- वाहन चालको की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप में लिये जाने हेतु राज्य के सभी जनपदों में आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही हैं। इस हेतु लगभग 07 कार्यालयों में विभाग को भूमि प्राप्त हो गयी है।

- हरिद्वार में रूपये 75.98 लाख से ट्रैक का निर्माण पूरा हो गया है। शीघ्र ही इसके संचालन हेतु संस्था

का चयन कर लिया जाएगा।

- देहरादून में भी रूपये 51.56 लाख की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- ऋषिकेश में ट्रैक निर्माण हेतु रु0 150.44 लाख की DPR अनुमोदन के उपरान्त कार्यदायी संस्था को प्रथम किश्त के रूप में रु0 90.26 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

- अल्मोड़ा में ट्रैक निर्माण हेतु सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा DPR अनुमोदन की कार्यवाही गतिमान है।

3 वाहनों की रीयल टाईम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में वी0एल0टी0 डिवाईस (Vehical location Tracking Device) एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम की स्थापना

- दिनांक 01–01–2019 से पंजीकृत होने वाले सार्वजनिक सेवायानों पर वी0एल0टी0 डिवाईस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसके द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैकएण्ड साफ्टवेयर बनाया गया है।

- दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 तक 31,426 वाहनों में वीएलटी डिवाईस संस्थापित की जा चुकी है।

- उक्त युक्ति से सार्वजनिक सेवायानों के संचालन के समय उनकी यथास्थिति का तत्काल पता लग सकता है।

- वी0एल0टी0 कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर परिवहन मुख्यालय, देहरादून में स्थापित किया गया है।

- वी0एल0टी0 कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का उद्घाटन दिनांक 04–11–2022 को किया गया।

- संभाग स्तर पर वाहनों की मॉनिटरिंग को सशक्त किये जाने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में वी0एल0टी0 कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- परिवहन निगम द्वारा संचालित निगम की बसों हेतु वी0एल0टी0 कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, निगम मुख्यालय स्तर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

4 कोविड–19 के दृष्टिगत विभाग द्वारा प्रदान की गयी छूट– कोविड–19 के दृष्टिगत सभी सार्वजनिक सेवायानों के पात्र चालकों/परिचालकों एवं क्लीनर्स को प्रतिमाह रूपये 2000.00 की दर से 06 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26–09–2021 को उक्त परियोजना का उदघाट्न किया गया। जिसके अन्तर्गत परिवहन विभाग को मुख्यमंत्री राहत कोष से रूपये 4917.24 लाख की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें 40977 पात्र लाभार्थियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से धनराशि वितरित की गयी।

5 जिला चम्पावत में सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) खोले जाने की घोषणा– शासनादेश संख्या–63532/पग–1/2021–545/2003 दिनांक 15–09–2022 के द्वारा चम्पावत में सहायक संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अध्याय–11
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन
Tourism and Civil Aviation

11.1 पर्यटन : देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। पर्यटन क्षेत्र देश के शीर्ष सेवा उद्योगों में से एक है। इसका महत्व आर्थिक विकास और विशेष तौर पर देश के दूर–दराज के क्षेत्रों में रोजगार सृजन के एक माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है और देश के लगभग 5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में लगे हुये है, देश में कम क्षमता और अर्द्धकुशल क्षमता वाले श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा बड़ा क्षेत्र पर्यटन है।

11.1.1 पर्यटन विभाग के बजट परिव्यय का कुल बजट एवं GSDP से प्रतिशतः– वर्ष 2004–05 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का 0.67 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2021–22 में घटकर 0.43 प्रतिशत है GSDP के सापेक्ष पर्यटन विभाग का बजट योगदान **व्ार्ष 2004–05 में 0.19 प्रतिशत था जो कि व्ार्ष 2021–22 में घटकर 0.09 प्रतिशत है।** इसे चार्ट 11.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 11.1

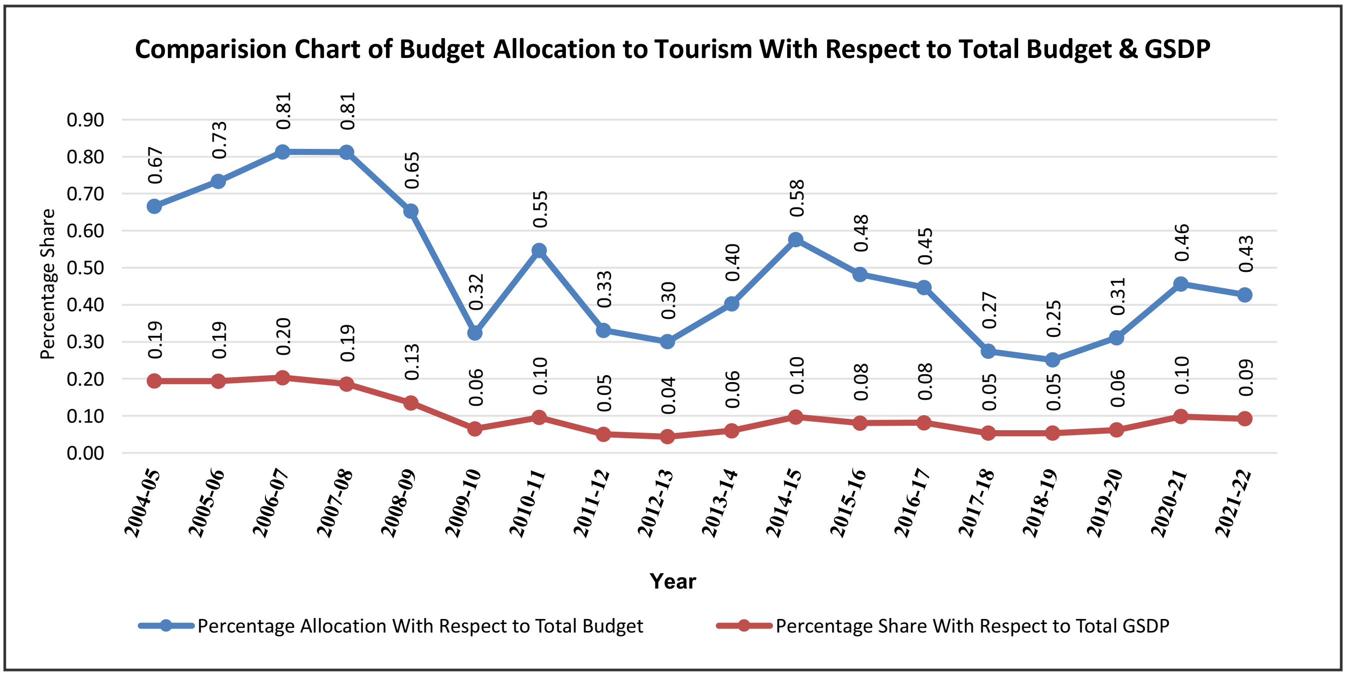

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

11.1.2 पर्यटन स्वरोजगार योजनायें:– प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु गतवर्षो से **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"** तथा **"दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना"** संचालित की जा रही है।

• पं० दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे विकास योजना :— प्रदेश में निरन्तर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना वर्ष 2018 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रूपये) एवं मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी (अधिकतम 7.50 लाख रूपये) प्रदान की जा रही है, जिसके तहत ग्रामीण व बाहरी क्षेत्रों में अब तक 541 लाभार्थियों को योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की गयी है। इस योजना से एक ओर जहाँ खाली हो रहे गाँव से पलायन पर रोक लग रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड की संस्कृति एवं स्थानीय व्यंजनों से देश—दुनिया में ख्याति बढ़ रही है।

• वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना:— इस योजना को 20 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद आज भी बेरोजगार युवाओं की महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना बनी हुई है। जिससे अब तक सात हजार से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इन व्यक्तियों द्वारा सृजित की गई पर्यटन इकाईयों/वाहनों से कई अन्य व्यक्तियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। इस योजना में गैरवाहन मद के लिये राज सहायता की धनराशि को पर्वतीय क्षेत्रों में 33% अधिकतम ₹ 15.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 33.00 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम ₹ 10.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 25.00 लाख किया गया है। वाहन मद में इलैक्ट्रिक्ट/ लग्जरी वाहन हेतु भी राज सहायता 50% अधिकतम ₹ 20.00 लाख की गई है।

तालिका 11.1

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	2021—22 में लाभार्थियों की संख्या	2022—23 में लाभार्थियों की संख्या (दिसम्बर—2022 तक)
1.	देहरादून	07	18
2.	उत्तरकाशी	07	14
3.	हरिद्वार	09	10
4.	टिहरी गढ़वाल	07	14
5.	पौड़ी गढ़वाल	21	17
6.	चमोली	19	07
7.	रूद्रप्रयाग	02	16
8.	अल्मोड़ा	24	22
9.	बागेश्वर	24	16
10.	पिथौरागढ़	23	07
11.	चम्पावत	06	09
12.	नैनीताल	22	27
13.	ऊधमसिंहनगर	05	09
	कुल योग	**176**	**186**

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

11.1.3 अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजनाः— होम स्टे योजना भी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने एवं मुख्य रूप से पहाड़ो से हो रहे पलायन को रोकने में एक प्रमुख रोजगार परक योजना साबित हो रहीहै। इस योजना का मूल उद्देश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिये स्वच्छ एवं किफायती आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक स्थानीय परिवार के साथ रहने, उनकी संस्कृति एवं परंपराओं को समझने और स्वाद से रूबरू होने का उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होता है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक 857 वित्तीय वर्ष 2022—23 (31 दिसम्बर, 2022) 948 होम स्टे पंजीकृत किये गये हैं।

तालिका 11.2

(होम—स्टे) पंजीकरण योजना

क्र0सं0	जनपद	वित्तीय वर्ष (2019—20)	वित्तीय वर्ष (2020—21)	वित्तीय वर्ष (2021—22)	वित्तीय वर्ष (2022—23) दिसम्बर—22 तक
1	देहरादून	220	112	71	148
2	हरिद्वार	5	6	10	08
3	टिहरी	51	42	50	64
4	उत्तरकाशी	195	107	217	93
5	रूद्रप्रयाग	69	38	46	41
6	पौड़ी	76	16	67	33
7	चमोली	195	96	44	80
8	नैनीताल	127	128	114	221
9	अल्मोड़ा	85	37	117	119
10	पिथौरागढ़	177	193	70	92
11	चम्पावत	29	62	36	05
12	ऊधमसिंहनगर	6	00	0	02
13	बागेश्वर	27	43	15	42
योग		**1262**	**880**	**857**	**948**

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 11.3

उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार कुल पंजीकृत होटलों, धर्मशालाओं एवं गेस्टहाउस की संख्या

1.	कुल पंजीकृत होटलों की संख्या	8225
2.	कुल पंजीकृत धर्मशालाओं की संख्या	873
3.	कुल पंजीकृत गैस्टहाउस की संख्या	363

तालिका 11.4

उत्तराखण्ड में उपलब्ध आवासीय सुविधाओं का जनपदवार विवरणः

क्र0सं0	जनपद का नाम	निजी होटल /लॉज/ होम–स्टे आदि		धर्मशाला गुरूद्वारा/ आश्रम आदि		पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य सरकारी विभागों के रेस्टहाऊस/ गेस्टहाऊस		पर्यटक आवास गृह, रैनबसेरा, जनता यात्री निवास व एफ0आर0पी0 हट्स	
		संख्या	शैय्या	संख्या	शैय्या	संख्या	शैय्या	संख्या	शैय्या
1	पिथौरागढ़	724	5263	1	70	22	114	26	410
2	चम्पावत	170	1793	9	4200	22	46	06	202
3	अल्मोड़ा	505	6910	6	142	42	226	17	456
4	बागेश्वर	156	2067	1	15	24	283	05	102
5	नैनीताल	1077	49638	18	1756	39	160	29	639
6	उधमसिंहनगर	132	3735	12	2470	15	98	04	58
7	चमोली	908	25452	44	25116	22	111	31	1741
8	पौड़ी	462	8383	21	12042	27	116	28	934
9	रूद्रप्रयाग	497	10147	14	204	18	205	18	1344
10	देहरादून	1446	36382	43	3456	63	452	09	558
11	हरिद्वार	540	18325	660	96750	21	228	02	78
12	टिहरी	805	17186	28	9660	20	150	15	628
13	उत्तरकाशी	803	15664	16	419	28	82	18	559
	कुल योग	**8225**	**200945**	**873**	**156300**	**363**	**2271**	**208**	**7709**

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

धार्मिक पर्यटनः–

11.1.4 चारधाम यात्रा 2022 का संचालनः– राज्य की प्रमुख यात्राओं में एक चारधाम यात्रा–2022 में इस वर्ष भारी संख्या में यात्रियों ने धामों के दर्शन कर रिकार्ड बनाया। वर्ष 2022 में चारधाम के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 17.52 लाख, केदारनाथ में 15.63 लाख, गंगोत्री में 6.38, यमुनोत्री में 4.86 एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.90 तीर्थयात्रियों द्वारा चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा की गई जो पिछले 02 वर्षो की तुलना में बहुत अधिक रही।

तालिका 11.5
चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में आये घरेलू/विदेशी पर्यटकों की संख्या

क्र0सं0	धाम का नाम	वर्ष 2021 में आये पर्यटकों की संख्या		वर्ष 2022 में आये पर्यटकों की संख्या	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	केदारनाथ	242985	27	1563278	968
2	बद्रीनाथ	199406	03	1752219	194
3	गंगोत्री	33771	00	638244	58
4	यमुनोत्री	33311	00	485688	34
5	हेमकुण्डसाहिब	19909	00	190264	86
	कुल योग	**529382**	**30**	**4629693**	**1340**

चार्ट 11.2
चारधाम एवं हेमकुण्ड साहिब यात्रा में आये घरेलू पर्यटकों की संख्या

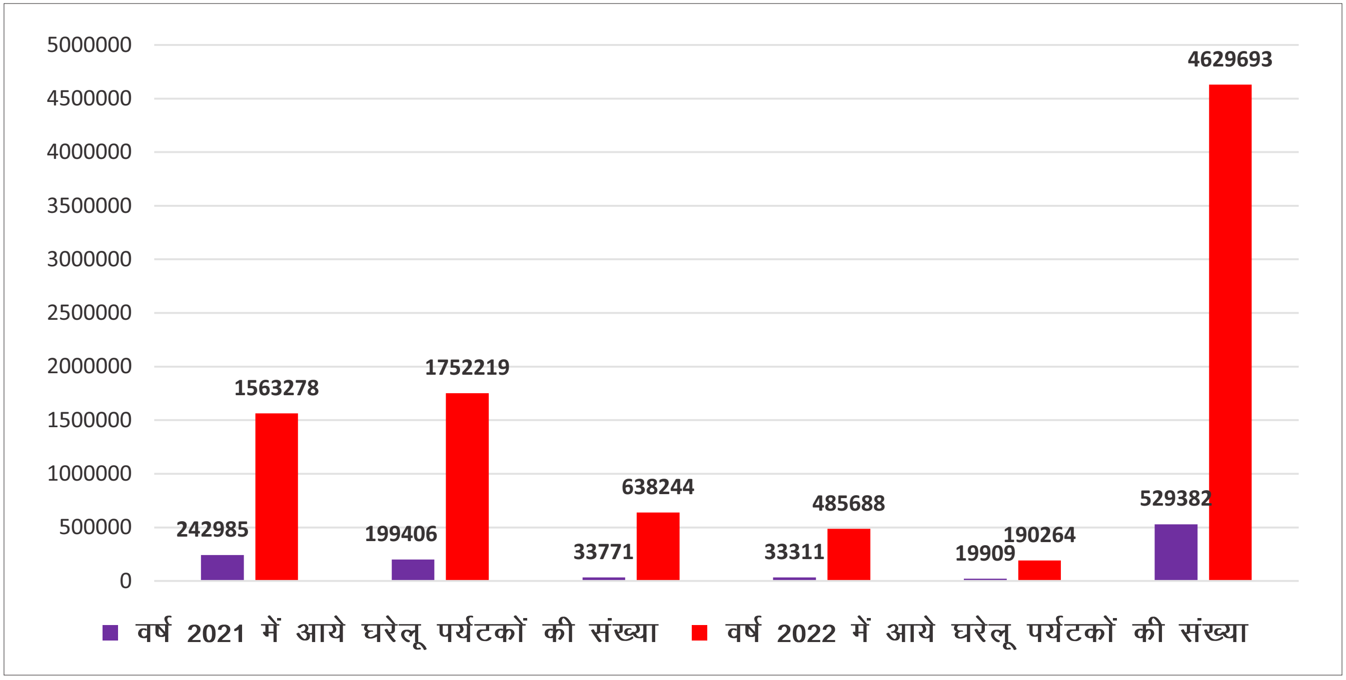

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

11.1.5 बद्रीनाथ धाम का मास्टरप्लानः— बद्रीनाथ क्षेत्र के सुनियोजित एवं समेकित विकास के उद्देश्य से बद्रीनाथ धाम का ₹ 5615.30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। प्रथम चरण में ₹ 2031.28 लाख के कार्य तथा द्वितीय चरण में ₹ 3316.62 लाख के कार्य किये जाने है। श्री

बद्रीनाथ धाम के सुनियोजित विकास हेतु ₹ 2079.18 लाख के कार्य निर्माणाधीन है। बद्रीनाथ धाम में लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।

11.1.6 गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का विकासः– पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसाद योजना हेतु गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के विकास हेतु ₹ 54.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति सहित ₹ 14.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उक्त योजनान्तर्गत गंगोत्री में यात्रियों की सुविधा हेतु प्रवेश द्वार, पार्किंग, लाईटिंग, जनसुविधा आदि एवं यमुनोत्री में एप्रोचरोड़ का निर्माण, घाट निर्माण, लाईटिंग आदि जनसुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

मानसखण्ड मंदिर माला मिशन :– सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गढ़वाल की चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाँऊ के मंदिरों को विकसित करना चाहती है। इसके लिये मानसखण्ड कोरिडोर के नाम से प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। जिसे मंदिर माला मिशन भी कहा जा रहा है। इसके तहत कुमाँऊ के प्रमुख मंदिरों और पर्यटक स्थलों की विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और मंदिरों के साथ ही उन पर्यटक स्थलों को भी विकसित किया जायेगा जिनकी पहचान व्यापक नहीं है। इसके तहत मंदिरों एवं पर्यटक स्थलों को बेहतर सड़क से कनेक्ट किया जायेगा और गढ़वाल और कुमाँऊ के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जायेगी। कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत लगभग 48 प्रमुख मंदिरों तथा पर्यटन स्थलों के महत्वपूर्ण मंदिर को मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष गणतन्त्र दिवस पर मानस खण्ड से सम्बन्धित झाकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

11.1.7 यात्री–पंजीकरण की सुविधाः– विगत दो वर्ष कोरोना महामारी के कारण यात्रियों द्वारा सीमित संख्या में धामों के दर्शन किये जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा रोजगार के संसाधन खत्म हो गये, परन्तु अब कोरोना महामारी लगभग समाप्त हो गयी है और सरकार को आभास हो गया था कि इस बार रिकार्ड संख्या में तीर्थयात्री धामों के दर्शन करेंगें। सरकार द्वारा पंजीकरण की व्यवस्था/स्टॉल बुक व्यवस्था लागू कर दी गयी जिससे एक निश्चित संख्या में तीर्थयात्री धामों में दर्शन कर पायेंगें।

11.1.8 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टीनेशनः– 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टीनेशन योजना के अन्तर्गत राज्य में दीर्घकालीन पर्यटन विकास के दृष्टिगत सभी 13 जनपदों में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ड डेस्टीनेशन विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जनपद अल्मोड़ा में, सूर्य मन्दिर कटारमल, नैनीताल में मुक्तेवर, पौड़ी में सतपुली एवं खैरासैंण झील, देहरादून में लाखामण्डल, हरिद्वार में बावन (52) भाक्ति पीठ, उत्तरकाशी में मोरी हर की दून एवं जखोल सर्किट, टिहरी में टिहरी झील, रूद्रप्रयाग में चिरबटिया, ऊधमसिंह नगर में द्रोणसागर के साथ ही हरिपुरा बौर जलाशय, चम्पावत में पाटी–देवीधुरा, बागेश्वर में गरूड़ वैली, पिथौरागढ़ में मोस्टमानो, चमोली में गैरसैण–भैराड़ीसैंण, को चयनित कर इनमें से कई स्थलों पर आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्तमान तक ₹ 20.88 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

- फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में उभरता उत्तराखण्ड। राज्य बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट (स्पेशल मेनशन) आवर्ड से सम्मानित।
- केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड को बेस्ट टूरिजम डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुस्कार प्रदान किया गया।

स्रोतः संकल्प नये उत्तराखण्ड का

11.1.9 पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धिः– पर्यटन सेक्टर की विभिन्न योजनाओं को पी0पी0पी0 मोड़ में (लोक–निजी–सहभागिता) संचालित करने की कार्यवाही गतिमान है। "सुरकण्डादेवी" रोपवे माह 1 मई, 2022 से चालू हो गया है। जिसका सफल ट्रॉयल भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त देहरादून से मसूरी तक रोपवे पी0पी0पी0 मोड में विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन किया गया है।

11.1.10 भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजनाः– सरकार द्वारा विभिन्न जिलों से प्राप्त 39 रोपवें परियोजनाओं को विकसित किये जाने हेतु दिनांक 26 मई, 2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (NHAI), नियंत्राधीन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंन्ट लि0 (NHLML) को प्रेषित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार हेतु सरकारी–निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम "पर्वतमाला" परियोजना की घोषणा की गई थी। पर्वतमाला परियोजना को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रणाली में शुरू किया जायेगा। पर्वतमाला परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके साथ–साथ यात्रियों की सुविधा में बेहतर सुधार होगा। यह परियोजना वर्तमान में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है।

तालिका 11.6

सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के (पी0पी0पी0) के अन्तर्गत प्रस्तावित/संचालित समस्त योजनाओं का विवरण (वर्ष 2022–23) के आधार परः–

क्र0सं0	योजना का नाम	आवंटन का वर्ष	अनुमानित लागत	लम्बाई	अभियुक्ति
1.	ठुलीगाड से पूर्णा गिरी रोपवे परियोजना (चम्पावत)	2012	35.00 करोड .	903 मी0	कार्यवाही गतिमान।
2.	कद्दूखाल से सुरकण्डा देवी रोपवे परियोजना। (टिहरी गढ़वाल)	2013	5.00 करोड़	502 मी0	1 मई, 2022 से शुभारंभ
3.	देहरादून (पुरूकुल से मसूरी) रोपवे परियोजना	2019	285.00 करोड़	5.5 कि0मी0	कार्यवाही गतिमान।
4.	खरसाली से यमुनोत्री रोपवे परियोजना	2021	167.00 करोड़	3.38 कि0मी0	निविदा कार्यवाही गतिमान।

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

11.1.11 सिद्धपीठ सुरकंडा देवी रोपवे का संचालनः— श्रद्धालुओं को अब सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर के लिये चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी। पर्वतमाला परियोजना के अन्तर्गत कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक बने रोपवे का 01 मई, 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा शुभारंभ किया गया। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिये लगभग 05 करोड़ की लागत से बने रोपवे की लंबाई 502 मीटर हैं। जिसकी क्षमता लगभग 500 व्यक्ति प्रति घंटा है। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा, उत्तराखण्ड राज्य के गठन होने के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है जिसका निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। सुरकंडा रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से मात्र 05 से 10 मिनट में सुगमतापूर्वक साल भर माँ सुरकंडा देवी के दर्शन कर सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्रामीणों को निःशुल्क फुट मसाज थैरेपी प्रशिक्षणः— उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की ओर से उत्तरकाशी में यमुनोत्री क्षेत्र के ग्रामीणों को निःशुल्क फुट मसाज थैरेपी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिससे बेरोजगार युवाओं को चारधाम यात्रा एवं चयनित ट्रैंकिंग सेंटर के पास रोजगार के अवसर सृजित हो सके। फुट मसाज थैरेपी हमारी प्राचीन चिकित्सा है। पैरों के थैरेपी करने से व्यक्ति को काफी आराम एवं शांति मिलती है। चारधाम यात्रा एवं ट्रैंकिंग ट्रैक्शन पर आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों को इससे काफी लाभ होगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन पुलिस का गठनः— पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पर्यटन पुलिस गठन करने पर विचार किया जाने लगा है। पर्यटन पुलिस पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों से जुड़ी सभी गतिविधियों पर न केवल नजर रखेगी बल्कि व्यवस्थायें बनाने का काम भी करेगी। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पर्यटक क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस लगाने का फैसला लिया गया है। राज्य में कई रिजॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है ऐसी सभी जानकारी पर्यटन पुलिस रखेगी तथा पर्यटकों की तमाम समस्याओं का समाधान भी पर्यटन पुलिस के माध्यम से किया जा सकेगा।

कैरवान वाहन का शुभारंभः— अब पर्यटक उत्तराखण्ड के दूरस्थ स्थानों पर आरामदायक और सभी सुविधाओं से युक्त लक्जरी वाहन कैरवान से अपने परिवार और दोस्तों के साथ सफर कर सकेंगे। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैरवान वाहन का शुभांरभ किया। ये वाहन पांच और तीन सीटर में उपलब्ध है। कैरवान वाहन के आने से राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

11.1.12 ईको टूरिज्म विंग का गठनः— उत्तराखण्ड राज्य में ईको टूरिज्म को विकसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अन्तर्गत ईको टूरिज्म विंग का गठन किया गया है।

11.1.13 आध्यात्मिक पर्यटनः— अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन दिनांक 01 से 07 मार्च, 2023 तक ऋषिकेश में होना प्रस्तावित है। उक्तआयोजन से संबंधित समस्त व्यवस्थायें ईवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्यों हेतु इम्पैनलड एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी। उक्त आयोजन पर कुल ₹ 2.00 करोड़ से ₹ 2.50 करोड़ का व्यय होने का अनुमान है।

योग नगरी ऋषिकेश में G-20 सम्मेलनः— हाल ही में इंडोनशिया में हुये ग्रुप ऑफ 20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को 01 दिसम्बर से **G-20** की अध्यक्षता की कमान सौंपी गई है। इसके अन्तर्गत 2023 में 18वाँ शिखर सम्मेलन भारत में होगा। देशभर के 56 स्थानों में होने वाले सम्मेलनों में 02 कार्यक्रम उत्तराखण्ड में योगनगरी के नाम से विख्यात ऋषिकेश शहर में आयोजित किये जायेंगे, जो राज्य एवं राज्यवासियों के लिये गौरव की बात है। ऋषिकेश में आयोजित कार्यक्रमों से राज्य का नाम पूरे विश्व में जाना जायेगा, जिससें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

साहसिक पर्यटनः—

11.1.14 साहसिक पर्यटन एवं इन्जीनियरिंग विंग का गठनः— साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को विकसित किये जाने हेतु पृथक से साहसिक पर्यटन विंग का गठन किया गया तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "इंजीनियरिंग विंग" का गठन भी किया गया है। प्रदेश में वर्ष भर बहने वाली उत्तराखण्ड की नदियों में साहसिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत गंगानदी में वर्ष 2022—23 में कुल 255 रिवर राफ्टिंग फर्मों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

11.1.15 ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु अधिकतम ₹ साठ हजार प्रति कक्ष तथा यदि भवन की मरम्मत की जानी है तो ऐसी दशा में प्रति कक्ष ₹ पच्चीस हजार अधिकतम 06 कक्षों के लिये अनुदान की व्यवस्था है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के 76 गांवों को अब तक अधिसूचित किया गया है तथा 165 व्यक्तियों को योजना के लाभ हेतु चयनित किया गया है। अगोड़ा में ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेन्टर योजनान्तर्गत सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु ₹ 2.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

11.1.16 साहसिक विंग अनुभाग से सम्बन्धित क्रियाकलापों का विवरण

जल क्रीड़ा कियाकलापः—

1. अल्मोड़ा कोसी बैराज में नॉन पावर बोट का संचालन किया गया।
2. नानक सागर में पावर एण्ड नॉन पावर बोट का संचालन किया गया।
3. रिवर राफ्टिंग हेतु टनकपुर में कालीनदी एवं ऋषिकेश में गंगानदी में पुटइन/पुलआउट प्वाइंट में चेजिंग रूम, टॉयलेट, गजीबो, कोल्ड इनफ्लेड/डी फ्लेड एयर कम्प्रेशर बनाये जाने प्रस्तावित हैं।
4. टनकपुर में क्याकिंग सेन्टर को वापस लिया गया है, एवं साहसिक क्रियाकलापों हेतु कार्यवाही गतिमान ।

थलकीड़ा कियाकलाप :—

1. हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में करवायी गयी है।
2. श्री कंठपर्वत तथा बलजूरी पर्वत में पर्वतारोहण अभियान किया गया है।
3. Train the Trainer Course विभाग द्वारा करवाया गया है।
4. औली में एफ0आई0एस0 रेस करवायी जानी प्रस्तावित है।
5. स्कीईंग प्रशिक्षण कोर्स औली एवं उत्तरकाशी में किया जाना प्रस्तावित है।

वायु कीड़ा कियाकलापः—

1. विश्व पर्यटन दिवस अवसर पर एरो मॉडलिंग कार्यक्रम का demonstration करवाया गया है।
2. पैराग्लाइडिंग सुरक्षा के दृष्टिगत पायलटों/ऑपरेटरों हेतु 06 दिवसीय कार्यशाला करायी गयी।

3. एरोमॉडलिंग का प्रशिक्षण स्कूल/कॉलेज स्तरीय पर करवाया जाना प्रस्तावित है।
4. पावर्ड एरोस्पोर्टस के अन्तर्गत पावर हैंग ग्लाईडर एवं पावर्ड पैरामोटर कार्यक्रम का demonstration टनकपुर (चम्पावत) में कराया गया तथा विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
5. हॉट एयर बैलूनिंग किया जाना प्रस्तावित है।
6. टैंडम पायलटों की क्रॉसकन्ट्री एवं थरमलिंग क्लीनिक करवाया जाना प्रस्तावित है।
7. पैराग्लाइडिंग के पी1, पी2, पी3 कोर्स करवाये जाने प्रस्तावित है।
8. टिहरी में एस0आई0वी0 कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका 11.7

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 2022–23 में माह दिसम्बर–22 तक जनपदवार कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्याः–

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष	संख्या	राफ्टों की संख्या
1.	साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म)	2018–19	261	576
2.	साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म)	2019–20	258	562
3.	साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म)	2020–21	253	561
4.	साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म)	2021–22	261	570
5.	साहसिक पर्यटन (गंगा नदी हेतु राफ्टिंग अनुज्ञा प्राप्त फर्म)	2022–23	255	564
	कुल फर्मों की संख्या		**1288**	**2833**

स्रोतः पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 11.8

साहसिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत होने वाले क्रियाकलापों की संख्या

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष	संख्या
1.	साहसिक क्रियाकलाप	2019–20	949
2.	साहसिक क्रियाकलाप	2020–21	00
3.	साहसिक क्रियाकलाप	2021–22	327
4.	साहसिक क्रियाकलाप	2022–23	369

प्रस्तावितः–

- गौरीकुण्ड–केदारनाथ रोपवे परियोजना (लागत ₹ 1267 करोड़, लम्बाई 9.7 किमी) से 6 से 7 घंटे की कठिन यात्रा आधे घंटे में पूरी हो सकेगी।
- गोविन्दघाट–हेमकुण्ड साहिब रोपवे (लागत ₹ 1163 करोड़, लम्बाई 12.40 किमी) से 1 दिन की यात्रा केवल 45 मिनट में पूरी हो सकेगी।
- रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटि से नई टिहरी, खलियाटॉप से मुनस्यारी, ऋषिकेश से नीलकण्ठ औली से गौरसों रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान।

स्रोतः संकल्प नये उत्तराखण्ड का।

11.2 नागरिक उड्डयन

उत्तराखण्ड राज्य मे पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के कारण आवगमन हेतु सडक मार्ग पर ही जनता को निर्भर रहना पडता है, आपदा के समय बचाव कार्य हेतु एवं चारधाम यात्रा तथा पर्यटकों बढावा देने के लिये राज्य में हवाईमार्ग अति आवश्यक है। इस उद्देश्य की दृष्टिगतराज्य में नये हैलीपैडों का निर्माण मौजूदा हैलीपैडों एवं हवाईपट्टी का सुदृढीकरण किया जा रहा है। राज्य में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य मौजूदा हैलीपैडों का सुदृढीकरण, नये हैलीपैडों का निर्माण राज्य के चारधाम यात्रा हेतु पर्यटन के साथ–साथ पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढावा देने एवं हवाई सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना है।

तालिका 11.9

प्रदेश में पांच हवाई पटिटयां विद्यमान है जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार है

क्र0 स0	हवाई पट्टी/एयरपोर्ट	रनवे की लम्बाई एवं चौडाई
1	चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी	1150 मी0 एवं 30 मी0
2	नैनीसैनी, पिथौरागढ	1568 मी0 एवं 30 मी0
3	गौचर, चमोली	1315 मी0 एवं 25 मी0
4	पन्तनगर एयरपोर्ट, उधमसिंह नगर	1372 मी0 एवं 30 मी0
5	जौलीग्राट एयरपोर्ट, देहरादून	2140 एवं 45 मी0

स्रोतः नागरिक एवं उडिडयन विभाग उत्तराखण्ड

11.2.1 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्धारित क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आर0सी0एस0) के अन्तर्गत 13स्थानों यथा फलसीमा (अल्मोड़ा), जोशीमठ (चमोली), गौचर (चमोली) सहस्त्रधारा (देहरादून), मसूरी (देहरादून) हल्द्वानी (नैनीताल), नैनीताल (नैनीताल), रामनगर (नैनीताल), श्रीनगर (पौडी गढवाल), बी0एच0एल0 (हरिद्वार), धारचूला (पिथौरागढ), कोटी कालोनी (टिहरी गढवाल), चिन्यालीसैण (उत्तरकाशी), में हैलीपोर्ट/हैलीपैड निर्माण का कार्य गतिमान है। 13 हैलीपोर्ट में से 03 हैलीपोर्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

11.2.2 उत्तराखण्ड राज्य में आर0सी0एस0 योजना के अन्तर्गत नए रूट का चयन किया गया है:–

प्रस्तावित रूट–

हल्द्वानी–मुनस्यारी–हल्द्वानी

पिथौरागढ–मुनस्यारी–हल्द्वानी

देहरादून–नैनीताल–देहरादून

देहरादून–जोशीमठ–देहरादून

1. सहस्त्रधारा हैलीपोर्ट के परिसर में PTB (Passenger Terminal Building) का कार्य गतिमान है।
2. पिथौरागढ एवं पंतनगर (पंतनगर एयरपोर्ट) का विकास भारतीय विमान पत्तन द्वारा किया गया है।
3. उत्तराखण्ड राज्य के 16 नए हैलीपैडों के लोकेशन को सर्वे का कार्य उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। जिसमें भूमि उपयुक्त पायी गयी है।
4. उत्तराखण्ड राज्य में प्राधिकरण के निर्मित हैलीपैड एवं हैलीपोर्ट पर हैलीकाप्टरों से लैडिंग।
5. आर0सी0एस0 (क्षेत्रीय सर्म्पक योजना) के अन्तर्गत नए रूट चालू किए जाएगें।
6. मुनस्यारी हैलीपैड के अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के सफल संचालन के क्रम में वर्ष 2020 में डवेज Proactive State से सम्मानित किया गया।
- उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS) के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry के माध्यम से आयोजित ग्लोबल ए विएशन समिट (Wings India 2020) में Most Pro-active State Under UDAN Under priority areas से सम्मानित किया गया है।

स्रोत: नागरिक एवं उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड

अध्याय–12
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

भूमिका

उत्तराखण्ड में भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, का संयोजक बैंक है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 03 बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गयी है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक 09 पर्वतीय जिलों, यथाः उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में, पंजाब नेशनल बैंक को 02 मैदानी जिलों – देहरादून एवं हरिद्वार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को 02 मैदानी जिलों – नैनीताल एवं उधम सिंह नगर का कार्य आवंटित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 30.06.2022 से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा आंकड़ों का संकलन Revamp Portal (SLBC India Portal) के माध्यम से किया जा रहा है। एस.एल.बी.सी. के समस्त सदस्य बैंक प्रत्येक त्रैमास के अंत में MIS/CBS से आंकड़े संकलित कर सीधे Revamp Portal में upload करते हैं, तदउपरांत आंकड़ों का संकलन system generated आंकड़ों द्वारा किया जाता है।

बैंकों द्वारा विभिन्न सेक्टरों के लिए राहत स्कीमों के तहत व्यवसायियों एवं कारोबारियों हेतु कारोबार के आकार के आधार पर एम0एस0एम0ई0 में मानक खातों (STANDARD ACCOUNTS) को ECLGS (ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) Phase-1,Phase-2, Phase-3 और Phase-4 में अतिरिक्त ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गयी है। योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 30.09.2022 तक 74,567 व्यवसायों को कुल ₹2425 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

12.1 वर्ष 2022–23 में 30 सितम्बर 2022 तक राज्य में कुल 2,397 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 48.85 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 24.24 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों तथा 26.91 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1171 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 581 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 645 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4208 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11271 है। 30 सितम्बर 2022 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1346 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 403, पी.एन.बी. की 295 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 402 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

12.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें 30 सितम्बर 2022 तक कुल 286 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक का 333 शाखाओं का नेटवर्क हैं। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की

समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए.टी.एम. का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

12.4 जनपदवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 568 बैंक शाखाएं तथा रुद्रप्रयाग में सबसे कम 53 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 30 सितम्बर 2022 तक 2607 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं। राज्य में 30.09.2022 तक बैंकवार एवं जिलावार शाखाओं की संख्या निम्न तालिका–12.1 में दी गयी है–

तालिका 12.1

UTTARAKHAND

BANK WISE BRANCH NETWORK AS ON 30.9.2022

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total	ATMs
1	STATE BANK OF INDIA	277	52	74	403	820
2	PUNJAB NATIONAL BANK	163	71	61	295	477
3	BANK OF BARODA	52	31	51	134	200
	Total Lead Banks	**492**	**154**	**186**	**832**	**1497**
4	UNION BANK OF INDIA	39	35	36	110	140
5	CANARA BANK	44	28	50	122	111
6	CENTRAL BANK OF INDIA	8	13	20	41	16
7	PUNJAB AND SIND BANK	16	12	16	44	32
8	UCO BANK	19	24	14	57	51
9	INDIAN OVERSEAS BANK	20	11	14	45	34
10	BANK OF INDIA	11	16	10	37	25
11	INDIAN BANK	10	18	22	50	21
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	2	6	8	7
	Total Non-Lead Banks	**167**	**159**	**188**	**514**	**437**
	Total N. Banks (A + B)	**659**	**313**	**374**	**1346**	**1934**
13	UTTARAKHAND G.B	216	41	29	286	7
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1	0	0	1	0
	Total R.R.B.	**217**	**41**	**29**	**287**	**7**
15	CO-OPERATIVE BANK	178	89	66	333	89
	Total Cooperative	**178**	**89**	**66**	**333**	**89**
	Total (C+D+E)	**1054**	**443**	**469**	**1966**	**2030**
16	THE NAINITAL BANK LTD	51	24	21	96	0
17	AXIS BANK	12	18	25	55	144
18	ICICI BANK	4	14	20	38	92
19	IDBI BANK	10	13	8	31	56
20	HDFC BANK	21	27	32	80	203
21	J & K BANK	0	0	3	3	2
22	FEDERAL BANK	0	0	1	1	0

23	INDUSIND BANK	4	7	9	20	28
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	4	4	5
26	YES BANK	5	4	8	17	15
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	3	8	11	9
28	BANDHAN BANK	6	18	15	39	6
29	IDFC FIRST BANK	0	0	6	6	3
	Total Private Bank	**113**	**128**	**161**	**402**	**564**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	1	3	4	4
31	UTKARSH SMALL FIN. BANK	4	9	10	23	8
32	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	1
	SMALL FINANCE BANK	**4**	**10**	**15**	**29**	**13**
	Total All Bank	**1171**	**581**	**645**	**2397**	**2607**

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

चार्ट 12.1

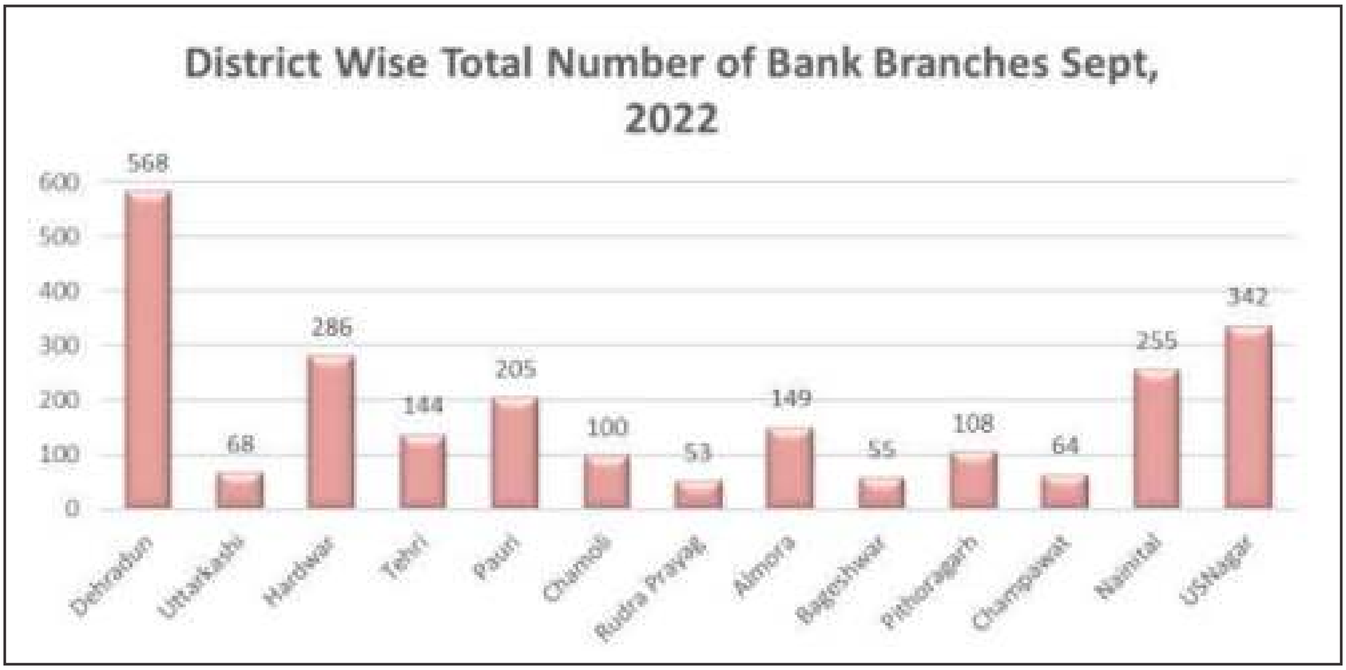

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

12.5 तालिका–12.2 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है तथा जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उत्तरकाशी में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा चमोली में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हैं।

तालिका 12.2

उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋणः जमा अनुपात

2022–23 (सितम्बर 2022 तक)							धनराशि (करोड़ में)
क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या	कुल बैंक शाखाओं की संख्या	प्रति औसत जनसंख्या	जमा धनराशि	कुल ऋण वितरण	ऋण जमा अनुपात
1	Dehradun	1696694	568	2987	75566	27576	36
2	Uttarkashi	330086	68	4855	2553	1225	48
3	Hardwar	1890422	286	6610	25444	17188	68
4	Tehri	618931	144	4298	6260	2130	34
5	Pauri	687271	205	3353	10487	2727	26
6	Chamoli	391605	100	3916	4357	2556	59
7	Rudra Prayag	242285	53	4571	2506	665	27
8	Almora	622506	149	4178	7210	1762	24
9	Bageshwar	259898	55	4725	2250	501	22
10	Pithoragarh	483439	108	4476	5264	2229	42
11	Champawat	259648	64	4057	2640	924	35
12	Nainital	954605	255	3744	21404	10223	48
13	USNagar	1648902	342	4822	18193	18512	102
	RIDF					8599	
	G. TOTAL		**2397**	**4208**	**184134**	**96817**	53

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

चार्ट 12.2

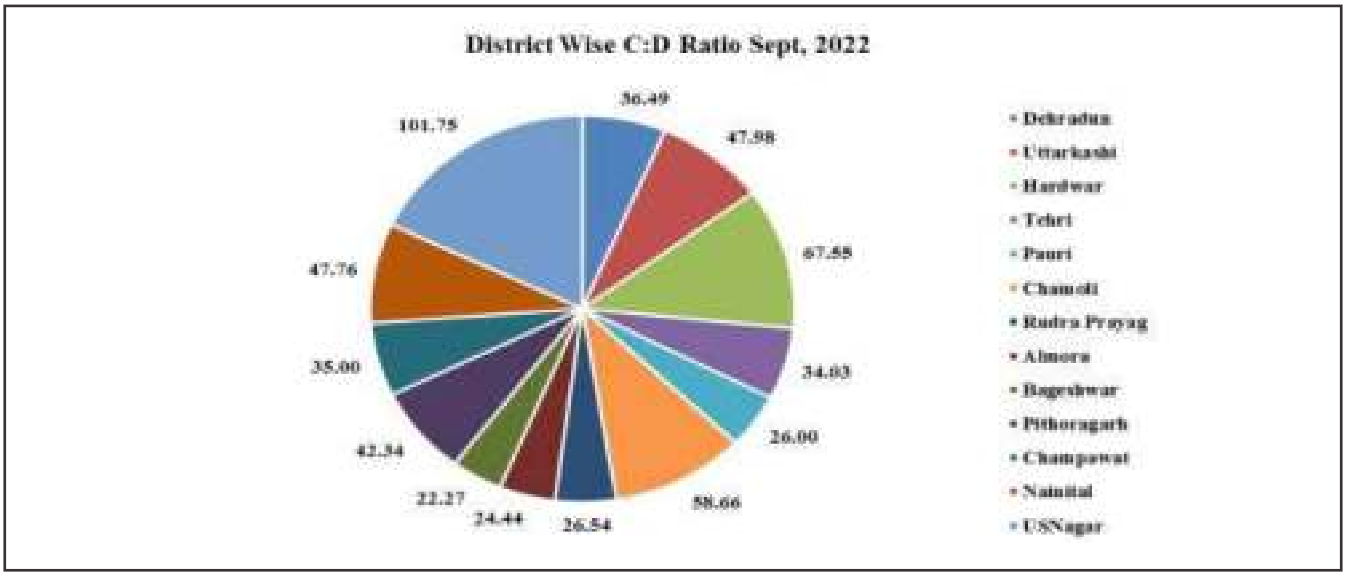

12.6 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ₹ 46225 करोड़ राशि का वितरण किया गया, जो कि कुल ऋण का 52.48 प्रतिशत है। यह प्रतिशत प्राथमिक ऋण के 40 प्रतिशत स्तर से अधिक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर 2022 तक प्राथमिक क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में ₹2535 करोड़ अधिक है, जो कि 5.79 प्रतिशत है।

12.7 बैंकों द्वारा बढ़ाए गए कुल ऋण में से 16.01 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 25.57 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में से 15.67 प्रतिशत सेवा क्षेत्र एवं 9.90 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में ऋण दिया गया है तथा 10.89 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गो तथा महिलाओं को क्रमशः 13.23 प्रतिशत तथा 14.91 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। 30 सितम्बर 2022 तक ऋण–जमा अनुपात 52.58 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–12.3 में दर्शायी गई हैः–

तालिका 12.3
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2021	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2022	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	55	52.48	40
1.1	कृषि ऋण	19.47	16.01	18
1.2	सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण	25.65	25.57	
1.3	निर्माण क्षेत्र	9.88	9.9	
1.4	सेवा क्षेत्र	15.77	15.67	
1.5	अन्य क्षेत्र	9.81	10.89	
2	गैर प्राथमिक क्षेत्र	45.06	47.52	
3	कुल अग्रिम	100	100	10
4	कमजोर वर्ग ऋण	14.71	13.23	
5	महिला ऋण	10.52	14.91	5
6	डी0आई0आर0 ऋण	0.01	0.01	1
7	जमा एवं अग्रिम अनुपात	50.47	52.58	60
8	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)	3.84	4.08	
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	8.42	7.77	

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

12.8 राज्य के सामाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी FI Plan portal के अनुसार वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) : बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ 28.08.2014 से लेकर 30 सितम्बर 2022 तक 54.31 लाख खाते खोले गये है, जिसमें से 2.12 लाख शून्य शेष खाते हैं, 49.42 लाख (58%) खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 44.16 लाख (81%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है। बैंकवार एवं जिलावार स्थिति तालिका संख्या 12.4 (अ) एवं 12.4 (ब) में दर्शायी गयी है:–

तालिका 12.4 (अ)

UTTARAKHAND

DISTRICT WISE Progress under PMJDY AS ON 30.9.2022

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	RUDRA PRAYAG	74580	226	29410	45365	74806	1741	69.58	63408	41056	47080
2	BAGESHWAR	50284	147	20414	29889	50431	2577	37.59	28329	31171	36665
3	PITHORAGARH	63491	12435	42925	45392	75926	4597	59.53	53835	44461	62042
4	DEHRADUN	539907	685051	616755	632347	1224958	46818	896.31	1240921	657496	933708
5	CHAMOLI	83422	30613	55300	62907	114035	3475	100.27	102318	59031	80258
6	ALMORA	140745	14908	65990	97541	155653	5093	159.21	133357	77157	122765
7	HARIDWAR	797632	956699	909102	895690	1754331	60355	881.96	1603203	805776	1412299
8	CHAMPAWAT	44895	46672	39046	58360	91567	3887	74.37	83553	49505	78120
9	NAINITAL	156802	164691	147816	187896	321493	18587	275.71	238341	141102	261362
10	PAURI GARHWAL	110069	31903	67451	87243	141972	8411	126.78	116871	69449	110509
11	TEHRI GARHWAL	142996	12555	67301	93066	155551	5330	138.28	119883	108388	121133
12	UDAM SINGH NAGAR	361360	745687	607564	632185	1107047	58195	562.31	1003058	537079	1041782
13	UTTAR KASHI	142073	21594	72223	94907	163667	3905	105.78	155755	80313	108450
	TOTAL	**2708256**	**2723181**	**2741297**	**2962788**	**5431437**	**222971**	**3487.68**	**4942832**	**2701984**	**4416173**

स्रोत: लीड बैंक, उत्तराखण्ड

तालिका 12.4 (ब)

BANK WISE TOTAL Progress under PMJDY AS ON 30.9.2022

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	Name of Bank	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	STATE BANK OF INDIA	361427	315904	314042	362887	677331	19546	355.38	684718	283989	427497
2	PUNJAB NATIONAL BANK	1456576	1791633	1587812	1660154	3248209	57462	2019.83	3387654	1434176	2575989
3	BANK OF BARODA	202526	231219	294025	315994	433745	23576	465.67	470882	209504	527908
	Total Lead Banks	**2020529**	**2338756**	**2195879**	**2339035**	**4359285**	**100584**	**2840.88**	**4543254**	**1927669**	**3531394**
4	UNION BANK OF INDIA	67090	61237	96009	97574	128327	26830	83.01	38148	556188	149201
5	CANARA BANK	95016	56591	72915	78692	151607	20941	98.17	84467	22030	116339
6	CENTRAL BANK OF INDIA	22527	28891	23934	27484	51418	2564	29.07	23394	23394	34694
7	PUNJAB AND SIND BANK	25775	9773	15650	19886	35548	1842	0	1298	1281	28276
8	UCO BANK	65006	21059	41342	44341	86065	9045	57.8	49922	0	54820
9	INDIAN OVERSEAS BANK	50046	18622	31598	37033	68668	5875	33.11	5238	19524	47716
10	BANK OF INDIA	27602	27296	37972	36201	54898	1816	43.94	55129	51054	67902
11	INDIAN BANK	43779	61991	52267	53471	105770	6941	52.28	27426	11668	72442
12	BANK OF MAHRASHTRA	2099	13379	7829	7649	15478	7497	4.29	12123	12123	13299
	Total Non-Lead Banks	**398940**	**298839**	**379516**	**402331**	**697779**	**83351**	**401.67**	**297145**	**697262**	**584689**
	Total N. Banks (A + B)	**2419469**	**2637595**	**2575395**	**2741366**	**5057064**	**183935**	**3242.55**	**4840399**	**2624931**	**4116083**
13	UTTARAKHAND G.B	222319	19086	98006	143399	241405	16233	189.29	35922	25232	201545
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1320	0	750	570	1320	15	0.56	765	320	1250
	Total R.R.B.	**223639**	**19086**	**98756**	**143969**	**242725**	**16248**	**189.85**	**36687**	**25552**	**202795**
15	CO-OPERATIVE BANK	45717	25005	33281	47996	70722	10859	41.63	22831	20200	57185
	Total Cooperative	**45717**	**25005**	**33281**	**47996**	**70722**	**10859**	**41.63**	**22831**	**20200**	**57185**
	Total (C+D+E)	**2688825**	**2681686**	**2707432**	**2933331**	**5370511**	**211042**	**3474.03**	**4899917**	**2670683**	**4376063**
16	THE NAINITAL BANK LTD	10710	7494	11548	16525	18204	2716	0	4667	4471	20596
17	AXIS BANK	1807	9547	8255	3098	11354	3335	3.49	9387	8156	4042
18	ICICI BANK	4318	1474	3080	2712	5792	1633	0.82	5783	4491	1462
19	IDBI BANK	2019	7051	4800	4270	9070	1067	3.93	7246	0	5507
20	HDFC BANK	767	9495	1795	997	10262	1813	4.71	12287	12287	3917
21	J & K BANK	0	970	594	376	970	91	0.25	710	402	737
22	FEDERAL BANK	0	75	55	20	75	11	0.11	38	29	45
23	INDUSIND BANK	13	890	737	166	903	33	0.24	772	242	882
24	SOUTH INDIAN BANK	0	9	6	3	9	6	0	6	3	6
25	KARNATAKA BANK	0	3946	2742	1202	3946	1129	0	1699	1194	2783
26	YES BANK	23	68	56	35	91	34	0.01	90	22	26
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	248	195	53	248	61	0.09	228	2	106
28	BANDHAN BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Private Bank	**19657**	**41267**	**33863**	**29457**	**60924**	**11929**	**13.65**	**42913**	**31299**	**40109**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	JANA SMALL FIN. BANK	0	2	2	0	2	0	0	2	2	1

स्रोत: लीड बैंक, उत्तराखण्ड

(ख) प्रधान मंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

i) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2022 से 30.09.2022 तक 23.85 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2022 से 30.09.2022 तक 5.96 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) : अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 5.07 लाख ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान द्वारा जो Financial Literacy Centre मे आयोजित करके लक्षित समूहों के आच्छादित को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2022 तक चालू वित्त वर्ष 2022–23 में इस योजना के अन्तर्गत 1,34,313 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1274.00 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता महिला उद्यमियों को ₹10.00 लाख से अधिक और ₹1.00 करोड़ का ऋण, बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। 30.09.2022 तक इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 2607 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹519.95 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

12.9 आर.बी.आई. रोडमैप 2013–20: उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवो में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार सितम्बर, 2020 तक आर.बी.आई. रोडमैप के अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक मित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना है। वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन धन दर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में (30.09.2022) कोई भी गॉव बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं हैं।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा :

12.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा 30.09.2021 से 30.09.2022 तक जमा मे ₹1,66,428 करोड़ से ₹1,84,133 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का योगदान 71.41 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.65 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 6.74 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 17.29 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 10.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में 30.09.2021 से 30.09.2022 तक ₹83,992 करोड़ से ₹96,816 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार 30.09.2022 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.27 प्रतिशत रही।

12.11 30.09.2022 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹ 2,80,949 करोड़ पार कर गया तथा वार्षिक वृद्धि दर 12.19 प्रतिशत रही। राज्य के वित्तीय क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की हिस्सेदारी से 67.49 प्रतिशत है। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 12.5 में दर्शाए गए है–

तालिका 12.5

उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड में)

क.सं.	मद	30.09.2021	30.09.2022	सितम्बर 2021 से सितम्बर, 2022 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा (पी.पी.डी.)**				
1.1	ग्रामीण	43,790	46,325	2,535	5.79
1.2	शहरी / अर्ध शहरी	122,637	137,808	15,171	12.37
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**166,428**	**184,133**	**17,705**	10.64
2.	अग्रिम (ओ / एस)				
2.1	ग्रामीण	27,180	30,750	3,570	13.13
2.2	शहरी / अर्ध भाहरी	56,812	66,066	9,254	16.29
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**83,992**	**96,816**	**12,824**	15.27
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**250,420**	**280,949**	**30,529**	12.19
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़ / प्रतिभूतियों में	5,133	8,598	3,465	67.50
5.	जमा उधार अनुपात (थरोट कमेटी के आधार पर)	50%	50%	0%	0%
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ / एस) जिनमें से:**	**36,068**	**41,321**	**5,253**	**14.56**
	(i) कृषि	12,785	12,608	**-177**	**-1.38**
	(ii) एम.एस.ई.	16,841	20,139	**3,298**	**19.58**
	(iii) ओ.पी.एस.	6,441	8,573	**2,132**	**33.10**
7.	गरीबों को अग्रिम	9,378	10,421	**1,043**	**11.12**
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	8.94	9	**-0.04**	**-0.45**
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	29,587	37,424	**7,837**	**26.49**
10.	शाखाओं की संख्या	2,392	2,436	**44**	**1.84**
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	6,905	7,155	**250**	**3.62**
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	5,529	6,120	**591**	**10.69**
13.	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	2,523	3,220	**697**	**27.63**

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

12.12 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयनः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme) : इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के.वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission) / के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के मार्जिन राशि के दिनांक 30.09.2021 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹25.85 करोड़ के सापेक्ष ₹10.75 करोड़ (41 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी थी,

जबकि दिनांक 30.09.2022 के अर्द्ध वार्षिक लक्ष्य ₹25.85 करोड़ के सापेक्ष ₹11.62 करोड़ (45 प्रतिशत) की प्रगति दर्ज की गयी है।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया है। बैंको को चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत 2330 लक्ष्य से 31 मार्च 2022 तक 1267 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2022 तक 606 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission) : चालू वर्ष में 31 मार्च 2022 तक 10312 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹168.96 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30.09.2022 तक 5559 समूहों को लाभान्वित किया गया है।

घ) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 30.09.2022 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 616370 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष 2022–23 में 176659 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

ड) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) : राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में बैंकों द्वारा 6258 ग्रामीण युवाओं को ऋण सम्बद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिनांक 30.09.2022 तक 3493 ग्रामीण युवाओं को ऋण सम्बद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षित किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

12.13 डिजीटल लेनदेन के अंतर्गत प्रगति : राज्य में बैंकों द्वारा दिनांक 30.09.2022 तक विभिन्न डिजीटल माध्यम से किये गये लेनदेन का विवरण जिलावार एवं बैंकवार स्थिति तालिका संख्या 12.6.A एवं 12.6.B में दर्शायी गयी हैः–

Table - 12.6.B

DISTRICT WISE DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.9.2022

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF DISTRICT	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	RUDRA PRAYAG	41608365	14426.59	1245788	83.22	860	0.64	1192061	2332.10	137869	56.63	214075	32.97
2	BAGESHWAR	37962738	12045.03	1410614	176.65	196	0.10	1009746	3091.12	169385	66.30	194908	31.20
3	PITHORAGARH	42385215	14332.55	1557214	212.57	1396	4.75	1819870	5114.83	230337	107.26	612806	101.00
4	CHAMOLI	32004585	10735.96	2060476	324.80	4568	3.67	1222791	3151.35	260690	102.77	429934	69.42
5	ALMORA	131965262	46593.85	3078991	475.11	2066	5.88	6167635	16099.92	481596	184.67	503398	77.32
6	PAURI GARHWAL	232743083	80972.73	3488224	883.75	9463	17.43	11532845	29306.64	681436	290.22	749713	121.99
7	DEHRADUN	2461260546	797685.83	8100838	1675.99	158504	265.74	152596942	443188.07	6390501	11675.11	3594244	638.05
8	HARIDWAR	2753907083	827377.29	8875204	640.39	51150	113.39	125496972	324154.51	3421234	15486.11	893501	143.26

8	HARIDWAR	2753907083	827377.29	8875204	640.39	51150	113.39	125496972	324154.51	3421234	15486.11	893501	143.26
9	CHAMPAWAT	34773818	12550.03	479212	117.53	2161	1.95	1290395	3028.60	233948	90.79	185448	29.39
10	NAINITAL	678369374	243175.31	8808285	646.42	23950	64.58	44436174	115848.49	2235375	854.70	1059817	183.33
11	TEHRI GARHWAL	73210405	24585.88	2155436	532.16	1283	0.19	3088351	8364.08	405900	192.81	370706	58.85
12	UDAM SINGH NAGAR	3144531606	1084940.48	8762865	1103.28	86351	140.36	176359949	480665.05	3986728	1493.40	740323	127.00
13	UTTAR KASHI	35858109	13051.59	3757712	222.63	366	0.25	1282884	3139.00	263173	104.81	188318	32.08
Total		**9700580189**	**3182473.12**	**53780859**	**7094.50**	**342314**	**618.93**	**527496615**	**1437483.76**	**18898172**	**30705.58**	**9737191**	**1645.86**

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

Table - 12.6.A

BANK WISE TOTAL INVESTMENT CREDIT UNDER DIGITAL TRANSACTION AS ON 30.9.2022

No. in Actual and Amount in Crore

SR.	NAME OF BANK	BHIM/UPI		BHIM Aadhaar		Bharat QR Code		IMPS		Cards (Debit & Credit)		USSD	
		No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.	No.	Amt.
1	STATE BANK OF INDIA	58657508	10561.35	53766331	7090.08	1	0.00	2718	0.43	12890	1.82	9735743	1645.69
2	PUNJAB NATIONAL BANK	54316501	9366.99	3911	0.88	0	0.00	2707957	1645.45	6975726	2629.59	0	0.00
3	BANK OF BARODA	25406999	3318.45	2142	0.51	0	0.00	620853	881.63	3568405	1093.94	1149	0.14
	Total Lead Banks	**138381008**	**23246.79**	**53772384**	**7091.47**	**1**	**0**	**3331528**	**2527.51**	**10557021**	**3725.35**	**9736892**	**1645.83**
4	UNION BANK OF INDIA	13443157	1999.93	3737	1.63	0	0.00	679505	524.85	91844	0.79	22	0.00
5	CANARA BANK	6360808	1260.92	0	0.00	0	0.00	709281	69027.55	541826	168.80	0	0.00
6	CENTRAL BANK OF INDIA	52919	450.12	368	0.08	0	0.00	23225	105.87	30872	87.73	0	0.00
7	PUNJAB AND SIND BANK	2230982	250.93	0	0.00	186892	78.04	7098	9.46	306766	99.81	0	0.00
8	UCO BANK	0	0.00	0	0.00	37	0.01	167340	93.89	388252	168.93	0	0.00
9	INDIAN OVERSEAS BANK	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1154	3.82	16387	15.43	0	0.00
10	BANK OF INDIA	14	0.00	702	0.30	0	0.00	1935	40.03	61516	16.64	0	0.00
11	INDIAN BANK	4199240	488.74	0	0.00	0	0.00	101254	188.63	718967	204.81	0	0.00
12	BANK OF MAHRASHTRA	640	0.19	0	0.00	2896	0.52	239	0.28	0	0.00	0	0.00
	Total Non-Lead Banks	**26287760**	**4450.83**	**4808**	**2.01**	**189825**	**78.57**	**1691031**	**69994.38**	**2156430**	**762.94**	**22**	**0**
	Total N. Banks (A + B)	**164668768**	**17136.27**	**53777192**	**7093.48**	**189826**	**78.57**	**5022559**	**72521.89**	**12713451**	**4488.29**	**9736914**	**1645.83**
13	UTTARAKHAND G.B	121242	687.07	0	0	0	0	7361	58.16	105973	245.28	0	0
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	80	0.01	200	0	0	0	999	0	100	0	0	0
	Total R.R.B.	**121322**	**687.08**	**200**	**0**	**0**	**0**	**8360**	**58.16**	**106073**	**245.28**	**0**	**0**
15	CO-OPERATIVE BANK	0	0	0	0	232	2.38	72956	52.82	584867	320.65	0	0
	Total Cooperative	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**2.38**	**72956**	**52.82**	**584867**	**320.65**	**0**	**0**
	Total (C+D+E)	**164790090**	**17823.35**	**53777392**	**7093.48**	**190058**	**80.95**	**5103875**	**72632.87**	**13404391**	**5054.22**	**9736914**	**1645.83**
16	THE NAINITAL BANK LTD	38585	446.77	0	0	0	0	2	0	22559	28.09	0	0
17	AXIS BANK	117308	2884.92	0	0	40840	20.64	39828	126886.03	88333	296.28	0	0
18	ICICI BANK	106833	1164.95	213	0.13	103186	501.59	42607	888.29	48618	183.76	3	0
19	IDBI BANK	5714442	902.75	3254	0.89	0	0	24900	64.44	1849	0.48	274	0.03
20	HDFC BANK	9581059297	3157596.73	0	0	6745	2.1	521211963	1235333.34	4255226	1270.53	0	0
21	J & K BANK	1095	23.5	0	0	0	0	1202	20.99	1971	19.39	0	0
22	FEDERAL BANK	717	0.2	0	0	0	0	7810	14.9	11383	3.36	0	0
23	INDUSIND BANK	2018800	504.24	0	0	0	0	349610	402.71	1915	0.17	0	0
24	SOUTH INDIAN BANK	44052	8.15	0	0	0	0	1721	5.01	7487	2.22	0	0
25	KARNATAKA BANK	467182	55.56	0	0	0	0	14442	29.22	85490	23.47	0	0
26	YES BANK	1436763	386.74	0	0	1485	13.65	214950	509.85	332440	89.71	0	0
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	0	0	0	0	0	201079	389.43	258275	58.43	0	0
28	BANDHAN BANK	3044207	622.5	0	0	0	0	261943	260.4	267404	86.23	0	0
29	IDFC FIRST BANK	0	0	0	0	0	0	10263	37.44	927	0.5	0	0
	Total Private Bank	**9594049281**	**3164597.01**	**3467**	**1.02**	**152256**	**537.98**	**522382320**	**1364842.05**	**5383877**	**2062.62**	**277**	**0.03**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	327445	39.53	0	0	0	0	0	0	41944	23558.91	0	0
31	UTKARSH SMALL FIN. BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	55892	25.05	0	0

स्रोतः लीड बैंक, उत्तराखण्ड

12.14 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture & Rural Development): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तारीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया गया है।

12.15 ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund&RIDF) भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी।

12.15.1 आरआईडीएफ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है। 1995–96 में शुरुआत से ही आरआईडीएफ राज्य सरकारों के लिए विकास कार्यों के लिए भरोसेमंद स्रोत रहा है। भारत सरकार हर वर्ष केन्द्रीय बजट में आरआईटीएफ के लिए वार्षिक आबंटन करती है। प्रारम्भ में आरआईडीएफ का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 39 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र (सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुधन क्षेत्र आदि) सामाजिक क्षेत्र (प्राथमिक/तकनीकी शिक्षा, पेयजल आदि) तथा ग्रामीण सम्पर्क (सड़कें एवं पुल) सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आरआईडीएफ–1 में ₹2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आरआईडीएफ–XXXVIII में (वर्ष 2022–23) में ₹ 40,000 करोड़ हो गया है।

12.15.2 आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्य को 30 नवम्बर 2022 तक 4515 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹10031.58 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पेयजल शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। 30 नवम्बर, 2022 तक आरआईडीएफ के अन्तर्गत कुल मिलाकर ₹8600.40 करोड़ का ऋण जारी किया जा चुका है।

12.15.3 दिनांक 30 नवंबर 2022 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 23 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी, 14317 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 27042 मीटर स्पॉन पुलों के निर्माण तथा 2.01 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी हो रही है।

12.16 नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (नीडा):

वर्ष 2011–12 से नाबार्ड ने राज्य सरकार के संस्थाओं/निगमों के लिए ऋण की एक अलग व्यवस्था की है। यह व्यवस्था बजट के माध्यम से तथा इसके बिना भी हो सकती है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हेतु इन संस्थाओं का आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अनिवार्य है। ऋण की यह व्यवस्था आरआईडीएफ ऋण की व्यवस्था से बाहर है। इस निधि के आने से गैर परम्परागत क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना तैयार करने हेतु संभावनाएं खुली हैं। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दायरे को बढ़ाने के लिए नीडा के तहत सार्वजनिक व निजी साझेदारी से भी वित्तपोषण किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जिनसे बड़े पैमाने पर

ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिलता है और आरआईडीएफ के तहत भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गतिविधियां .पी.पी.पी. मोड के तहत वित्तपोषण के लिए पात्र हैं। नाबार्ड ने इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पिटकुल को ₹82.32 करोड़ के दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं।

12.17 खाद्य प्रसंस्करण निधि (FPF): भारत सरकार ने वर्ष 2014 में ₹2,000 करोड़ की निधि से नाबार्ड में खाद्य प्रसंस्करण निधि स्थापित की थी जिसके तहत क्लस्टर आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से नामित फूड पार्क की स्थापना और नामित फूड पार्को में खाद्य कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण निधि का प्रमुख उद्देश्य, देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज की बर्बादी को कम करना और रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना है। उत्तराखण्ड राज्य में पतंजलि मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु ₹36.80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

12.18 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF): पीएमकेएसवाई 01 जुलाई, 2015 को लागू की गई थी जिसका उद्देश्य सिंचाई का दायरा बढ़ाने, हर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता बढ़ाना' *Per Drop More Crop* या माइक्रो इरिगेशन फंड, जो नाबार्ड के पास है, का कॉर्पस वर्ष 2022–23 के दौरान बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है। राज्य सरकार इस फंड के अंतर्गत नाबार्ड से ऋण ले सकती है। वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड ने इस फंड के अंतर्गत ₹14.84 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।

12.19 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (Dairy Infrastructure Development Fund): दुग्ध प्रसंस्करण की आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण और उसमें वृद्धि तथा मूल्यवर्धन के उद्देश्य से और साथ ही प्राथमिक उत्पादकों द्वारा इष्टतम मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 में नाबार्ड में ₹8,004 करोड़ की समूह निधि से डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) की स्थापना की। इस निधि का उपयोग पांच वर्षों की अवधि में किया जाना है। इस फंड के उपयोग हेतु उत्तराखण्ड तथा नाबार्ड के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

12.20 मत्स्य पालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund) (FIDF): केंद्रीय बजट 2018–19 में इस निधि के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने कुल ₹7,522 करोड़ की समूहनिधि से मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की थी। इस निधि का कार्यान्वयन पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) की अवधि के दौरान किया जाना है। नाबार्ड ऋण प्रदाता नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और राज्य सरकारों के माध्यम से सार्वजनिक आधारभूत घटकों, जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछलियों को उतारने के केंद्र विकसित करने, राज्य के मछली बीज फार्मों के आधुनिकीकरण, आधुनिक मछली बाजारों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, जलीय संगरोध सुविधाओं और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना के निर्माण जैसी विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए ₹2,600.00 करोड़ तक की निधि प्रदान करेगा। परन्तु उत्तराखण्ड सरकार ने अभी तक इस निधि का उपयोग करने हेतु नाबार्ड के साथ कोई एमओयू निष्पादित नहीं किया है.

12.21 पुनर्वित्त सहायता (Re-Finance Support) : ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह कृषि यंत्रीकरण मुर्गी पालन वृक्षारोपण एव भेड़, बकरी/सुअर पालन, पैकिंग एवं अन्य क्षेत्रों में रोडिंग इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुनर्वित्त सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा बैंकों को ₹210.83 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2022–23 के दौरान 30 नवम्बर, 2022 तक दी गई है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में एक नया फंड दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड शुरू किया था। इस योजना के अधीन, वर्ष 2022–23 में 30 नवम्बर 2022 तक ₹165.74 करोड़ वितरित किए गए हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹1,050 करोड़ की ऋण सीमा एस.टी. (एस.ए.ओ.) (Short Term Seasonal Agriculture Operation) के अन्तर्गत स्वीकृत की है तथा बैंकों द्वारा 30 नवम्बर 2022 तक ₹ 296.40 करोड़ का पुर्नवित्त नाबार्ड से लिया गया है।

12.22 सूक्ष्म ऋण (Micro Finance): स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी बीएलपी) अब पूरे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर पहुँचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराखंड राज्य में 31 मार्च 2022 तक 21.552 स्वयं सहायता समूहों और 6,73,482 संयुक्त देयता समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है। स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 7 वर्षों में आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) अंतर्गत 23 प्रशिक्षण और सूक्ष्म उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत 91 प्रशिक्षण प्रदान किए गए और कुल 5.280 लोगों को विभिन्न रोजगारपरक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण सहबद्धता कार्यक्रम के हितधारकों के लिए राज्य और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एसएचजी के लिए गाँव स्तर पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

12.23 जलागम विकास निधि (Watershed Development Fund): जलागम विकास निधि के अन्तर्गत चल रही दस परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई राशि ₹1250.03 लाख में से ₹1023.08 लाख वितरित किए गए हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 10.577 हेक्टेयर भूमि को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इनसे प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चरागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

12.24 जनजातीय विकास निधि (Tribal Development Fund) नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ने जनजातीय विकास निधि के अन्तर्गत आठ परियोजनाओं में स्वीकृत की गई राशि ₹1,535.21 लाख में से ₹1.184.32 लाख की अनुदान 31 दिसंबर 2022 तक सहायता वितरित की गई है, जिसमें 4,045 परिवारों को समाविष्ट किया गया है। इन गाँवों में छोटे उद्यानों और डेयरी इकाइयों की स्थापना करनी है। इनके अन्तर्गत आम, नींबू और नाशपाती के पौधे लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातीय लोगों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

12.25 किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organization) को प्रोत्साहन: वर्ष 2014–16 के दौरान प्रोड्यूस फंड के तहत ₹468. 22 लाख की अनुदान सहायता के साथ 51 एफपीओ बनाए गए हैं। 2018–19 से 2022–23 (नवम्बर 2022) तक पीओडीएफ– आईडी फंड के तहत 50 एफपीओ को ₹819.98 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान में, राज्य में नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त 101 सक्रिय एफपीओ हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के बजट में 10,000 एफपीओ के बनाने एवं पोषण हेतु केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की घोषणा की थी, जो अगले 05 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु दो अलग– क्रेडिट गारंटी फंड (₹1,000 करोड़ का फंड नाबार्ड के पास एवं ₹500 करोड़ एनसीडीसी के पास) बनाए गए हैं। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए एफपीओ पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत 119 क्लस्टर (नाबार्ड 31, एनसीडीसी 26. नाफेड, 22 और एसएफएसी 40) एफपीओ को बनाया गया है। नाबार्ड की सब्सिडिरी ने किसान फाइनेंस लि. द्वारा एफपीओ को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में 04 एफपीओ को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए हैं।

12.26 ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र (Rural Non & Agriculture sector): नाबार्ड ने ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी (Rural Development and Self Employment Training Institute) जैसी संस्थाएं ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें। वर्ष 2022–23 के दौरान 31.12.2022 तक दो आर. एस. ई.टी.आई. (उधमसिंह नगर एवं चम्पावत जिलों) और एक कार्पोरेट (सीएसआर)– अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन (हरिद्वार जिला) को ₹18.87 लाख की प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता, विभिन्न विषयों के 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्वीकृति दी गई है, जिससे 520 लोग लाभान्वित होगे।

12.27.(क) निवेश ऋण (Investment Credit) – सब्सिडी स्कीम) नाबार्ड 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (SAM) की उपयोजना कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (AMI) के अंतर्गत सब्सिडी का प्रबंधन करता रहा है. भारत सरकार ने विपणन योग्य कृषि संबंधी अधिशेष को प्रभावी रूप से प्रबंधन के लिए विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे के विकास एवं फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाली नवप्रवर्तनशील नई तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु एक नई AMI योजना, 22 अक्तूबर 2018 से 31 मार्च 2023 तक क्रियाशील है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वर्गों के लाभार्थियों हेतु 50 MT से 10000 MT की क्षमता के कृषि गोदामों एवं अन्य कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु 33.33 / 25 प्रतिशत की सब्सिडी (₹1.33 करोड़) का प्रावधान है बिना भंडारण गतिविधियों जैसे ग्रेडिंग, पैकिजिंग, गुणवत्ता परीक्षण प्रणालीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाएं इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्रावधान है। मिनी ऑयल मिल और एक्सपेलर के लिए भी इस योजना में सब्सिडी उपलब्ध है।

12.27.(ख) इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक अन्य योजना कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना भी राज्य में संचालित की जा रही हैं जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध

करवाया जाता है. उत्तराखण्ड राज्य में 31.12 2022 तक कृषि क्लीनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना के अन्तर्गत 47 लाभार्थियों को ₹ 29,672 लाख का अनुदान दिया गया है।

12.28 संस्थागत विकास (Institutional Development): देश में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को एक मजबूत और कुशल ऋण वितरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विस्तारित और विविध ऋण आवश्यकताओं की देखभाल करने में सक्षम हो। ग्रामीण सहकारी बैंक (आरसीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ग्रामीण ऋण वितरण में शामिल दो महत्वपूर्ण संस्थान है।

संस्थागत विकास विभाग (आईडीडी) नाबार्ड की स्थापना के बाद से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर इस दिशा में सबसे आगे रहा है। नाबार्ड, संस्थागत विकास प्रयासों के एक भाग के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) को नीति, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कॉर्पोरेटिव डेवलेपमेंट फंड (सीडीएफ) के माध्यम से सहकारी बैंकों/पैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

12.29 वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion): वित्तीय समावेशन भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है, जिसका उद्देश्य देश में अब तक वित्तीय सेवाएँ प्राप्त न कर पाने वाली बड़ी आबादी के लिए एक किफायती लागत पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। नाबार्ड द्वारा पिछले 03 वर्षों के दौरान राज्य में 7,520 वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता कैंप, 17 डेमो वैन, 815 POS / MPoS-115 माइक्रो एटीएम, आदि स्वीकृत की हैं। वर्ष 2021–22 एवं वर्ष 2022–23 के दौरान (31 दिसंबर 2022 तक) क्रमशः ₹336.71 लाख व ₹389.20 लाख की अनुदान सहायता 'Financial Inclusion Fund' के तहत वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत की गई है।

12.30 नैबकॉन्स (NABARD Consultancy Services NABCONS) नैबकॉन्स नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। यह कृषि ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। नाबार्ड जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वह है– व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्त पोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना आदि। नैबकॉन्स ने उत्तराखण्ड राज्य में उच्चतम गुणवत्ता एवं ग्राहक संतुष्टि के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किए हैं:–

i. उत्तराखण्ड वन विभाग के लिए ''ग्रीन इंडिया मिशन'' के अन्तर्गत परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना।

ii. किसान जैविक प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग यूनिट के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं ट्रेडिंग प्रोजेक्ट का मूल्यांकन।

iii. भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के लिए गोदामों के प्रत्यापन का कार्य ।

iv. हिमालयन फूड पार्क परियोजना, काशीपुर का मूल्यांकन।

v. राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग।

vi. पूर्वोतर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अन्तर्गत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं फील्ड मॉनिटरिंग ।

Vii. उत्तराखण्ड लाइव स्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा कालसी में संकर पशु प्रजनन केन्द्र के अवस्थापना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

viii. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कराये गये निर्माण कार्यो का त्रिपक्षीय मूल्यांकन

ix. उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव फेडेरेशन लिमिटेड द्वारा सोयाबीन व खाद्य तेल प्रसंस्करण केन्द्र, हल्दूचौड हल्द्वानी में प्रकल्पित खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का निर्माण।

x. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के अधिकार में आने वाली 102 पैक्सों के बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों में उन्नयन हेतु बेस लाइन सर्व और डीपीआर का निर्माण।

xi. राज्य में स्थित 1,028 कृषि उपज भण्डारण गोदामों के जीओ टेगिंग का कार्य।

xii- एसजेवीएन (SJVN) द्वारा स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य।

xiii. उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाले खाद्यानों के लिए श्वेत पत्र का निर्माण।

xiv. जिला चमोली, उत्तराखंड में विष्णुगाढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएनईपी) की पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की निगरानी और मूल्यांकन के लिए ₹30,59,891 का अनुबंध किया है। परियोजना को 18 महीने की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा और इसमें 2000 से अधिक हाउस होल्ड शामिल होंगे।

12.31 उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहलः 1. नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (|daptation Fund). एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (National Implementing Agency) तथा ग्रीन क्लाइमेंट फन्ड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (Direct Access Entity) नामितः किया गया है।

2. अनुकूलन निधि के तहत, उत्तराखण्ड में (25.36 करोड़ की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जनपद में एनआईई (National Implementing Entity) नाबार्ड एवं कार्यकारी इकाई बी.ए.आई. द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिससे लगभग 800 परिवार लाभान्वित होने सम्भावित हैं। इस परियोजना के तहत 30.11. 2022 तक लगभग ₹ 4.69 करोड की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

12.32 नाबार्ड द्वारा जारी अन्य महत्वपूर्ण स्कीम

i. पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (PACS as MSC) पैक्स को आत्म निर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प हैं जैसे– कि व्यवसाय का विविधिकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना आदि इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड ने पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को 3%प्रतिवर्ष की दर से (समय समय पर परिवर्तित) तथा पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गए ब्याज से 1% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest Subvention) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 102 पैक्स को एमएससी में परिवर्तित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जिसमें ₹1850 करोड़ की टीएफओ तथा ₹16:55 करोड़ का बैंक ऋण होगा।

ii. एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) भारत सरकार

की आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वाकांक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढाँचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3% प्रतिवर्ष की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के लिए छ वर्षों(2020–21 से 2025–26) हेतु ₹785.00 करोड़ का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। एआईएफ के अंतर्गत भारत/ पूरे देश हेतु ₹1.00 लाख करोड़ के ऋण का प्रावधान किया गया है।

iii. वाटर, सेनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) हेतु पुनर्वित स्कीमः नाबार्ड ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान उच्च जीवन स्तर को सतत रूप से बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 800.00 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु ऋण देता है।

iv. माइको फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमें विशेष फोकस महिला उद्यमियों एवं एसपीरेशनल जिलों पर होगा। यह स्कीम एग्री वैल्यू को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण मिलेगा तथा बैंकों को ऋण के सापेक्ष पुनर्वित सहायता मिलेगी।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

अध्याय–13
विद्युत
Electricity

13.1 सामान्य विवरण: राज्य के आर्थिक विकास एवं जीवन की गुणवत्ता को निरन्तर प्राप्त करने के लिए विद्युत ऊर्जा का आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विगत वर्षों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है परन्तु पिछले दशक में विद्युत उपलब्धता और मांग का अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विद्युत आपूर्ति समस्त आर्थिक गतिविधियों का आधार है तथा पर्याप्त विद्युत आपूर्ति से ही तीव्र एवं समावेशी विकास सम्भव है। राज्य में विद्युत उत्पादन हेतु गैरपारम्परिक स्त्रोतों यथा सौर एवं पवन ऊर्जा की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत्, रखा जाना आवश्यक है।

तालिका 13.1
उत्तराखण्ड में वर्षवार विद्युत–क्षमता, उत्पादन तथा मांग

वर्ष Year	स्थापित क्षमता (मे0वा0) Installed Capacity (MW)	कुल विद्युत उत्पादन (मि0यू0) Total Electricity Production (MU)	कुल विद्युत मांग (मि0यू0) Total Electricity Demand (MU)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011-12	1306.25	5261.82	10571.10
2012-13	1306.25	4812.11	11424.06
2013-14	1288.85	4411.83	11969.21
2014-15	1284.85	4348.95	12440.95
2015-16	1284.85	4942.33	12908.07
2016-17	1284.85	4379.47	13080.91
2017-18	1289.35	4725.66	13455.00
2018-19	1318.56	4663.08	13842.00
2019-20	1318.56	5088.88	13852.00
2020-21	1322.56	5539.00	13135.00
2021-22	1322.56	5157.27	14254.00
Dec 2022	1420.60	4637.73	11801.00

Source: *Uttarakhand Jal Vidhyut Nigam Ltd. & Uttarakhand Power Corporation Ltd. (Compiled in Statistical Diaries)*

चार्ट 13.1

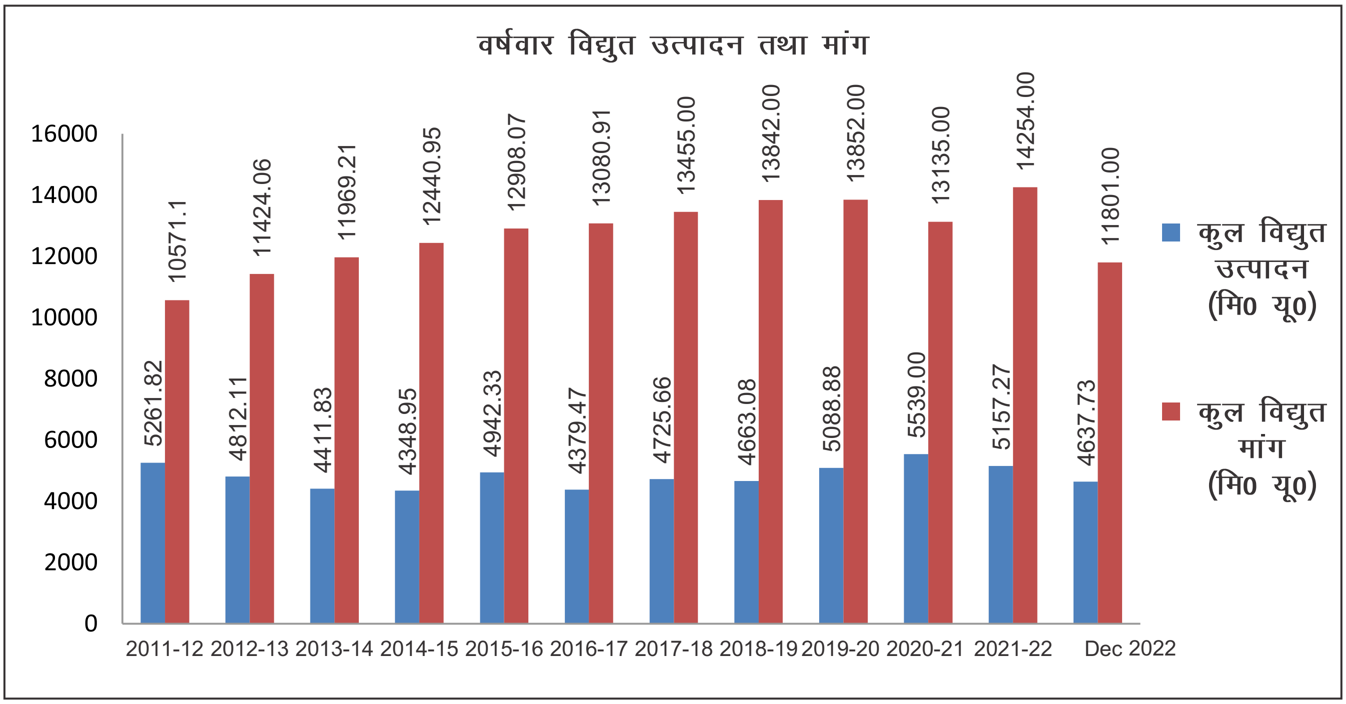

स्रोत: विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य में वर्षवार कुल विद्युत मांग की अपेक्षा कुल विद्युत उत्पादन न्यून है, जबकि विद्युत उत्पादन की दोहन क्षमता लगभग **24,551 मे0वा0** है। कुल विद्युत मांग के सापेक्ष लगभग 42 प्रतिशत उत्तराखण्ड जल विद्युत के द्वारा उत्पादित कर आपूर्ति की जाती है तथा उपरोक्त अन्तर की पूर्ति हेतु विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना एवं केन्द्र से प्राप्त अंश का महत्वपूर्ण योगदान है। इस मद से कुल विद्युत मांग का लगभग 43 प्रतिशत अंश की पूर्ति कर ली जाती है। साथ ही लगभग 12 प्रतिशत की आपूर्ति IEX Drawl से तथा शेष की आपूर्ति अन्य स्रोतों से की जाती है।

तालिका 13.2

विगत वर्षो में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों (Aggregate Technical & Commercial Losses) का विवरण

foÙkh; o"kZ	, Vh0 , .M l h0 gkfu; k
2014 - 15	18.64%
2015 - 16	17.19%
2016 - 17	15.85%
2017 - 18	16.10%
2018 - 19	16.52%
2019 - 20	* 20.44%
2020 - 21	15. 25%
2021 - 22	17. 20%
2022 - 23	13.00%(लक्ष्यान्वित)

*** वर्ष 2019–20 में कोविड–19 के कारण राजस्व वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।**

उपरोक्त तालिका संख्या 13.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014—15 में कुल ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस (वाणिज्यिक एवं तकनीकी हानियां) लगभग 18.64 प्रतिशत, वर्ष 2018—19 में 16.52 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2019—20 में कोविड—19 महामारी के कारण राजस्व वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण * 20.44 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2022—23 में ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस को कम कर 13.00 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

विशिष्ट उपलब्धियाँ:

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2021—22 की रिटर्न तत्काल दाखिल करने और वस्तु एव सेवा कर के ससमय भुगतान के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशंसा प्रमाण—पत्र प्राप्त हुआ है।

यू0पी0सी0एल0 ने वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए डिस्कॉम के 11वें वार्षिक एकीकृत रेटिंग में अनंतिम रूप से **''ए रेटिंग''** हासिल की है, उक्त रेटिंग **'बहुत उच्च वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन'** को दर्शाती है।

13.1.1 उपभोक्ता सेवाऐं:

- 24 X 7 विभिन्न ऑनलाइन मोड के माध्यम से देय बिल, नए कनेक्शन शुल्क और विविध शुल्क का तत्काल भुगतान एवं रसीद प्राप्त की जा सकती है।
- चैक मीटर, स्वामित्व परिवर्तन आदि जैसी सभी शिकायतों / सेवा अनुरोधों का पंजीकरण और ट्रैकिंग किया जाता है।
- एस0 एम0 एस0 अलर्ट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के बिजली खाते के साथ मोबाईल नंबर का पंजीकरण किया गया है।
- नए कनेक्शन, लोड वृद्धि, लोड कम करने के आवेदन के लिए पंजीकरण और उनकी ट्रैकिंग की जा रही है।
- सिंगल लॉग—इन के तहत एकाधिक कनेक्शन से संबंधित सभी सेवाओं की उपलब्धता है।
- सिंगल विंडो, आपणु सरकार, स्मार्ट सिटी, सीएससी पोर्टल और उमंग ऐप के साथ एकीकरण किया गया है।

13.1.2 विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों के ऑनलाईन भुगतान हेतु उपलब्ध विभिन्न माध्यम:

- सभी विद्युत उपभोक्ता 24 X 7, अपने विद्युत बिल, नए कनेक्शन शुल्क और विविध शुल्क का भुगतान उ.पा.का.लि. की वैबसाईट https://www.upcl.org/wss के माध्यम से कर सकते हैं।
- विद्युत बिल का भुगतान मोबाइल ऐप के माध्यम से थर्ड पार्टी एप, आर.टी.जी.एस / एन.ई.एफ.टी, विद्युत बिल संग्रह केंद्रों पर पी.ओ.एस. मशीनों द्वारा किया जा सकता है।
- ऑनलाईन भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु विद्युत उपभोक्ताओं को वर्तमान में ऑनलाईन भुगतान पर 1.25% छूट प्रदान की जा रही है। ऑनलाईन भुगतान की सुविधा के उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- वर्तमान में लगभग 57% विद्युत बिलों का भुगतान एवं लगभग 76% विद्युत राजस्व ऑनलाईन माध्यमों से प्राप्त हो रहा है।

चार्ट 13.2

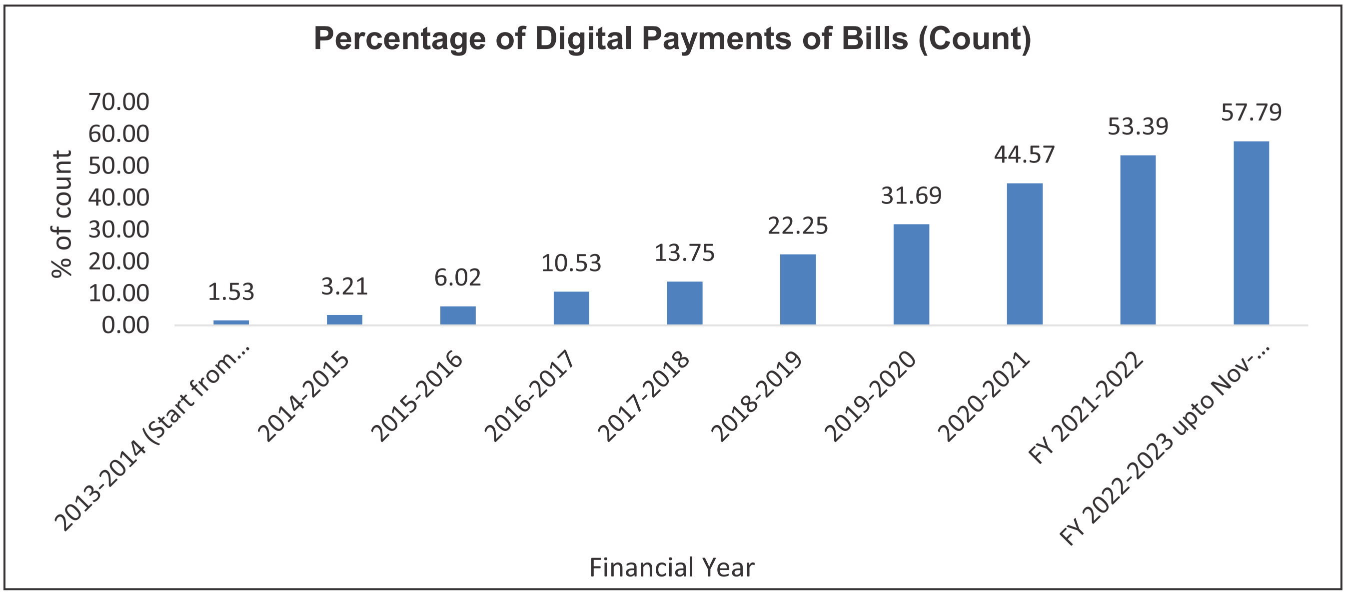

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 13.2

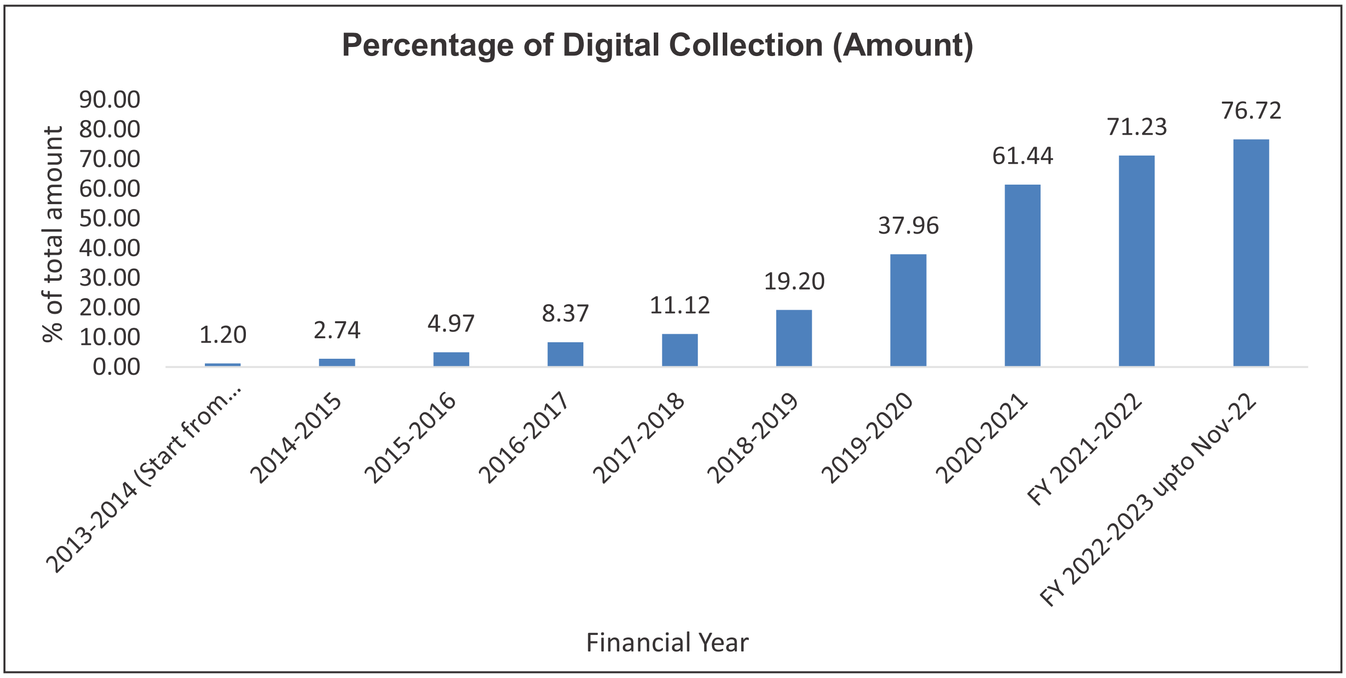

स्रोतः विद्युत विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पिटकुल तथा उरेडा विभागों के माध्यम से निम्नानुसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः—

13.2 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited):

13.2.1 33/11 के.वी. उपसंस्थानों का निर्माणः वित्तीय वर्ष 2022—23 में 31 दिसम्बर, 2022 तक 12 एम0वी0ए0 क्षमता के कुल 02 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थानों एवं 67.28 कि.मी. नयी 33 के0वी0 लाइनों का निर्माण किया जा चुका है।

13.2.2 पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS):

केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक 05 वर्षों की अवधि में विद्युत वितरण के लिये एक पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) (RDSS) हेतु शासनादेश जुलाई, 2021 को जारी किया गया। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार करना है। यह एक सुधार और परिणाम आधारित योजना है।

विद्युत वितरण क्षेत्र के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने हेतु DISCOM को सशक्त वित्तीय सहायता का प्राविधान किया गया है। यह वित्तीय सहायता पूर्व अर्हता मानदण्डों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बैंचमार्क की उपलब्धि पर आधारित होगी। अखिल भारतीय स्तर पर योजना का परिव्यय ₹ 3,03,758 करोड़ है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमानित ₹ 97,631 करोड़ का Gross Budgetary Support (GBS) निर्धारित किया गया है। योजना की एक प्रमुख विशेषता Prepaid Smart Metering को सार्वजनिक–निजी– साझेदारी (PPP) मोड में लागू कर उपभोक्ता सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। Smart Meter उपभोक्ताओं को मासिक आधार के स्थान पर नियमित आधार पर अपनी बिजली की खपत की निगरानी की अनुमति देगा जो उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार और उपलब्ध संसाधनों के सन्दर्भ में बिजली के उपयोग में मदद कर सकेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं विद्युत हानियों को कम करने के कार्य प्रस्तावित है। System Meter, Prepaid Smart Meter सहित IT/OT उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न डेटा के विश्लेषण हेतु Artificial Intelligence का उपयोग संभव है। चिन्हित शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण किये जाने हेतु परियोजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पर्यवेक्षी नियन्त्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली की स्थापना प्रस्तावित है। योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखण्ड, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्ष्यद्वीप के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में चिन्हित है जिसमें Smart Prepaid Metering, वितरण, ट्रांसफार्मर, मीटरिंग एवं प्रणाली मीटरिंग के लिये स्वीकृत लागत का 22.5 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 1350.00 (परिचालन लागत सहित) अनुदान अनुमन्य हैं। विद्युत अवसंरचना कार्य, DMS, AB Cable, फीडर पृथक्कीकरण एवं स्काडा हेतु स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत (पूर्व अर्हता मानदण्डों को पूरा करना एवं बुनियादी बैंचमार्क की उपलब्धि पर) अनुदान के रूप में अनुमन्य होगा।

मै0 आर0ई0सी0, नई दिल्ली एवं मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राज्यों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित है। मै0 पी0एफ0सी0, नई दिल्ली उत्तराखण्ड राज्य हेतु नोडल एजेंसी नामित की गई हैं।

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य:

- 15.84 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना।
- 1686 नग फीडर मीटरिंग।
- 38016 नग वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग।
- 4837 किमी LT केबिल को AB केबिल से बदलना।
- 10 नग फीडरों का पृथक्कीकरण।
- 469 नग DTR Structure तथा 8828 नग क्षतिग्रस्त पोलों को बदलने का कार्य।

- हल्द्वानी एवं नैनीताल शहर की विद्युत लाईनों को भूमिगत करने का कार्य।
- 24 नग नये उपस्थानों का निर्माण कार्य।
- 396 नग नये वितरण परिवर्तकों 102 नग नये मोबाईल वितरण परिवर्तकों का कार्य।
- 71 नग पावर परिवर्तकों की तथा 1809 नग वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि।
- 07 शहरों मे SCADA तथा 483 नग SCADA enable VCBs का कार्य।

13.2.3 एशियन विकास बैंक (ADB) पोषित योजनाः— योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

• देहरादून शहर में उच्च गुणवत्ता एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिये देहरादून शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित एच0टी0 एवं एल0टी0 लाईनों को भूमिगत किये जाने हेतु रु0 750.00 करोड़ के कार्य।

• 07 नग नये 33/11 के0वी0 उपस्थानों का निर्माण तथा 25 नग निर्मित 33/11 के0वी0 उपस्थानों की क्षमता वृद्धि हेतु ₹ 81.86 करोड़ के कार्य।

योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में मुख्य मार्गों पर स्थित एच0टी0 एवं एल0टी0 लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्यों के आवंटन हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी हैं। योजना के कार्य वर्ष 2025—26 तक पूर्ण किये जाने लक्ष्यान्वित हैं।

13.3 उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (Uttarkhand Jal Vidhut Nigam Limited): अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ—साथ विद्युत राजस्व उत्पादन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन—सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में विद्युत क्षेत्र अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जल विद्युत क्षेत्र में आर्थिक विस्तार के साथ—साथ पर्यावरण एवं सामाजिक पक्ष पर भी बल देने के साथ ही सम्मिलित हरित व सतत् विकास की दिशा में जलवायु परिवर्तनशील पगों को बढ़ावा देने में एक मुख्य घटक हैं। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत के 24380 मे0वा0 क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन, बढ़ावा व विकास करने की दिशा में अनुकूल नीतियों का निर्धारण पर्यावरण नीति के अनुसार करना है। राज्य जल विद्युत का विकास सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से चलते बहाव, चाहे नदियों का संगम हो या जल प्रपात हो, पर बल देते हुए किया जा रहा है।

राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की कुल दोहन क्षमता 24380 मे0वा0 है, जिसमें परिचालन के अंतर्गत 4201 मे0वा0, निर्माणाधीन के अंतर्गत 2151 मे0वा0, डी0पी0आर0 अनुमोदित/स्वीकृति प्राप्त/प्रक्रियाधीन के अंतर्गत 7596 मे0वा0, सर्वे एवं इनवेस्टीगेशन के अंतर्गत 6459 मे0वा0 की परियोजना तथा 4084 मे0वा0 की रूकी हुई परियोजनाये शामिल हैं।

तालिकाः 13.3
यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत के उत्पादन का विवरण

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य (मि0यू0)	उत्पादन (मि0यू0)
2017—18	5001	4730
2018—19	4700	4663
2019—20	4822	5058
2020—21	5050	4754
2021—22	4837	5157

स्रोतः यू.जे.वी.एल, उत्तराखण्ड

राज्य पोषित जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अंशपूंजी एवं ऋण प्रदान किया जा रहा है। राज्य योजना के अंतर्गत, वृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण, पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं का जीर्णोधार शामिल है। राज्य योजना में लखवाड (300 मे0वा0) पर अंशपूंजी के द्वारा सर्वे, अनुसंधान एवं निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड (120 मे0वा0), सेला उर्थिंग (114 मे0वा0) पर भी अनुसंधाान एवं नियोजन का कार्य तथा डी0पी0आर0 बनाने का कार्य गतिमान है।

13.3.1 लखवाड परियोजना (300 मे0वा0) राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा इस परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माह दिसम्बर, 2021 को किया गया है। परियोजना निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

13.3.2 किशाऊ परियोजना (660 मे0वा0) एक अन्य राष्ट्रीय परियोजना है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना की लागत, जल घटक एवं विद्युत घटक का निर्धारण कर दिया गया है, जिसकी संशोधित लागत 11500 करोड है। परियोजना के जल घटक का 90 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है। यह परियोजना उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जिसके निर्माण हेतु 50—50 प्रतिशत की सहभागिता के आधार पर एम0ओ0यू0 दोनो राज्यों के बीच हो चुका है एवं एक अन्य कम्पनी **''किशाउ कारपोरेशन लिमिटेड''** के नाम से गठित कर उसके निदेशक मण्डल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13.3.3 बावला नंदप्रयाग (300 मे0वा0) की डी0पी0आर0 के सभी अध्यायों का सी0ई0ए0/सी0डब्ल्यू0सी0 से अनुमोदन प्राप्त हो गया है, परंतु शेष तकनीकी एवं आर्थिक स्वीकृतियों को मई 2022 में सी0डब्ल्यू0सी0 द्वारा लम्बित किया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन प्रारम्भ करने हेतु Term of Reference (ToR) निर्गत किया जाना लंबित है।

13.3.4 वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत पीएनबी से वित्त पोषित कालीगंगा—।। (4.5 मे0वा0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसका लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा माह दिसम्बर, 2022 को किया गया एवं पी0एन0बी0 से वित्त पोषित मध्यमहेश्वर (15 मे0वा0) लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि कालीगंगा—। से उत्पादन जुलाई 2020 से शुरू हो गया है।

13.3.5 वाह्य सहायतित योजनाओं में DRIP-2&3 (Dam Rehabilitation Improvement Program) के द्वारा पुराने बैराज एवं बांधों का सुरक्षा की दृष्टि से पुर्नोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनेरी डैम, इछाडी डैम, वीरभद्र बैराज, डाकपत्थर बैराज, जोशियाड़ा बैराज एवं आसन बैराज शामिल है।

13.3.6 पूर्ण परियोजनायें: निगम की ऐसी परियोजनायें जो कि अपनी आयु पूर्ण कर चुकी हैं, को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से किये जाने के कारण परियोजनाओं में लगभग 20 प्रतिशत की उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी क्रम में 90 मेगावाट के तिलोथ विद्युत गृह के आर0एम0यू0 के कार्य वर्ष 2022 में पूर्ण कर लिये गये जबकि 51 मेगावाट ढालीपुर एवं 33.75 मे0वा0 के ढ़करानी विद्युतगृहों के आर0एम0यू0 के कार्य जारी हैं। साथ ही 144 मे0वा0 के चीला विद्युत गृह के आर0एम0यू0 कार्यों हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में शिलान्यास किया गया है।

यूजेवीएन लि0 द्वारा अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में 26 मे0वा0 की सोलर परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो डाकपत्थर, ढ़करानी तथा पथरी में अवस्थित है एवं वर्ष 2021—22 में 37.01 मि0यू0 का विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त 17 मेगावाट की सोलर परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

कुमाऊँ क्षेत्र में भविष्य की योजनाऐं	गढ़वाल क्षेत्र में भविष्य की योजनाऐं
1. 12 मे0वा0 की तांकुल, 15 मे0वा0 की पेनागाड, 12 मे0वा0 की जिम्मागाड़, 4 मे0वा0 की कंचोटी एवं 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रक्रिया गतिमान हैं। 2. 120 मे0वा0 की सिरकारीभ्योल रूपसियाबगड़ एवं 114 मे0वा0 की सेलाउर्थिंग जल विद्युत परियोजनायें अनुसंधान एवं नियोजन चरणों में हैं।	1. भिलंगना द्वितीय–A 24 मे0वा0 क्षमता की परियोजना की परिकल्पना गतिमान है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। 2. भिलंगना द्वितीय–B 24 मे0वा0, गुप्तकाशी 1.5 मे0वा0, तपोवन 2.0 मे0वा0 परियोजनाओं का डीपीआर प्रगति पर है। 3. आराकोट–त्यूनी (81 मे0वा0) तथा त्यूनी–प्लासू (72 मे0वा0) जल विद्युत परियोजना यूजेवीएनएल को आवंटित कर निर्माण कार्यों हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

प्रमुख नवोन्मुखी (Inovative) परियोजना का विवरण

- यूजेवीएन लिमिटेड एवं वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूडकी के मध्य सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें कैनालों एवं नहरों में सतही टरबाईन लगाकर उत्पादन किया जायेगा। सतही परियोजनाओं के विकास हेतु स्थायी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान होता है। प्रथम चरण में चीला विद्युत गृह के डाउन स्ट्रीम में 100 कि0वा0 की हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाना प्रस्तावित है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है।
- जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु समस्त कार्मिकों हेतु मुख्य प्रगति संकेतक आधारित मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान।
- पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये निगम में समस्त कार्यों हेतु शैड्यूल ऑफ रेट्स (Schedule of Rates) लागू किया गया।
- विभिन्न कार्यों के लिये निविदाओं में समरूपता हेतु मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bid Documents) लागू किये गये।

13.3.7 योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरणः जल विद्युत परियाजनाओं के निर्माण से जहाँ परियोजना के आस पास के क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा भी क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप 120 मे0वा0 की व्यासी परियोजना के निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है वहीं पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति जोकि 28 जून 2013 को निर्गत की गयी है, से स्थानीय लोगों जिनकी जमीनें परियोजना में निहित की गयी हैं, को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस नीति के अंतर्गत 57 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है एवं अपरोक्ष रूप से स्थानीय बेराजगारों को छोटी निविदाओं के माध्यम से, स्थानीय समितियों के द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ है। अन्य लघु जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों तथा ठेकेदारी के माध्यम से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्ष 2021–22 में 65 कार्मिकों की भी विभिन्न पदों पर भर्ती की गई हैं।

विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरणः

- राष्ट्रीय गंगा नदी वेसिन प्राधिकरण के दिनांक 01.11.2010 के निर्णय के अनुसार लगभग 1461 मे0वा0 की परियोजनायें रोक दी गयी हैं।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6736/2013 अनुज जोशी बनाम अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड एवं अन्य प्रकरण में दिनांक 13.08.2013 को दिये गये निर्णय के कारण अलकनंदा एवं भगीरथी नदी घाटी में 24 जल विद्युत परियोजनाओं कुल क्षमता 2945 मे0वा0 के क्रियान्वयन में रोक लगी हुयी है।
- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गंगोत्री तक के क्षेत्र को इको संेसेटिव जोन घोषित किये जाने से प्रस्तावित 15 जल विद्युत परियोजनायें कुल क्षमता 1743 मे0वा0 का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
- उपरोक्त निर्णयों में कुछ परियोजनायें समान होने के कारण लगभग 4084 मे0वा0 की 34 परियोजनाओं के निर्माण कार्य रूके हुये हैं। जिससे उक्त क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। राज्य को आर्थिक रूप से हानि हो रही है तथा कार्यरत स्थानीय लोग रोजगार की सुविधा से वंचित हो रहें हैं।

13.3.8 रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेश, तकनीकी तथा नवाचार (Investment, Technology and Innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः विश्व बैंक सहायतित ड्रिप के अन्तर्गत विभिन्न बॉध एवं बैराज के मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य गतिमान हैं, जिससे 40 वर्ष पूर्व स्थापित डैम एवं बैराज को सुरक्षा एवं जीवन वृद्धि प्राप्त होगी। निगम की पुरानी परियोजनाओं को नवजीवन प्रदान करने हेतु आर0एम0यू0 के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। निगम द्वारा एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (IMS) (गुणवत्ता हेतु ISO-9001:2015] स्वास्थ्य, सुरक्षा प्रबंधन हेतु ISO-45001 एवं पर्यावरण हेतु ISO-14001) भागीरथी वैली, गंगा वैली एवं निगम मुख्यालय हेतु प्राप्त कर ली गयी है तथा यमुना वैली एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रक्रिया गतिमान है।

13.4 उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (Uattarakhand Renewable Energy Development Authority): राज्य के विभिन्न शहरो/कस्बों /गाँवों में सौर ऊर्जा का विशेष योगदान परिलक्षित हो रहा है जिसके अर्न्तगत विद्युत उत्पादन हेतु सोलर प्लान्ट लगाने का कार्य, सौर लाईटों का प्रयोग, सोलर कुकर तथा सोलर गीजर का उपयोग निरन्तर प्रगति कर रहा है। इसके अतिरिक्त होटलों, हाउसिंग सोसाईटियों एवं सरकारी भवनों की छतों पर सौर संयत्र स्थापित किये जा रहे है। अक्षय स्रोतों यथा सौर, बायो, लघु जल विद्युत आदि के समुचित दोहन हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रम राज्य में निरन्तर संचालित हैः

13.4.1 सोलर वाटर हीटिंग संयत्र (Solar Water Heating System):– वर्ष 2022–23 में राज्य के शासकीय भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आवासीय छात्रावासों इत्यादि भवनों में 85300 ली0 प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयत्रों की स्थापना की गयी है।

13.4.2 लघु जल विद्युत परियोजना (Establishment of Small Hydro Power Projects):– 02 मे0वा0 क्षमता तक की सूक्ष्म एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये जाने हेतु 75 परियोजनाओं (कुल क्षमता 35.55 मे0वा0) की डी0पी0आर0 तैयार करायी गयी है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में 19 लघु जल विद्युत परियोजनायें एस0पी0वी0 भागीदार के रूप में एवं 04 परियोजनायें ग्राम पंचायतों को निर्माण हेतु आवंटन की जा चुकी है।

13.4.3 ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमः Agriculture Demand Side Management (AuDSM), Municipal Demand Side Management (MuDSM), E-vehicle, ECBC एवं स्टार लेवल उपकरण इत्यादि विषयों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन कराया जा रहा है। साथ ही पम्प सेंटों एवं शासकीय भवनों का ऊर्जा आडिट कार्य किया गया है। जनपद उधमसिंह नगर एवं ऊर्जा पार्क परिसर, पटेल नगर में Internet Of Thing (IOT) आधारित कृषि पम्प की स्थापना का कार्य कराया गया है।

13.4.4 सोलर स्ट्रीट लाईटः प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामों में एम0एन0आर0ई0 (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से 15268 सोलर स्ट्रीट लाईटों की स्थापना की गई है।

13.4.5 सौर ऊर्जा नीति (संशोधित) –2018 के प्रकार–1 परियोजनाः प्रदेश में 200 मे0वा0 क्षमता की परियोजनाऐं स्थापित की जा रही हैं, जिसके अर्न्तगत 283 विकासकर्ताओं को परियोजनाऐं आवंटित की गई हैं। इनमें से 95.50 मे0वा0 क्षमता की 162 परियोजनायें स्थापित हो चुकी हैं एवं शेष 121 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

13.4.6 मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाः प्रदेश के युवाओं, लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में अपनी स्वंय की भूमि अथवा भूमि लीज पर लेकर 25 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना की जा सकती है। इस योजना के अन्तर्गत संयत्र की कुल लागत का 70% अंश 8 प्रतिशत ब्याज दर पर राज्य/जिला सहकारी बैंक से 15 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 25 किलोवाट संयत्रों से 38000 यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन सम्भावित है, जिससे लगभग ₹ 176000 वार्षिक आय अर्जित की जा सकेगी। 25 किलोवाट के संयत्र पर ₹ 40000/– प्रति किलोवाट के आधार पर ₹ 10.00 लाख का व्यय सम्भावित है। इस योजना से सूक्ष्म/लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) के अर्न्तगत अनुदान/मार्जिन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। माह अक्टूबर 2022 से प्रारम्भ इस योजना के अर्न्तगत 890 आवेदनकर्त्ताओं का पंजीकरण ऑनलाईन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 120 परियोजनायें स्थापित हो चुकी है।

13.4.7 सोलर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड कार्यक्रमः विभिन्न जनपदों में स्थित 14 शासकीय भवनों में कुल 191 कि0वा0 क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट्स की स्थापना की गयी है शेष 20 भवनों में 275.8 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

13.4.8 बायोगैस संयंत्र (Small Size) एवं बायोगैस से विद्युत उत्पादन कार्यक्रमः लाभार्थी के पास प्रतिदिन उपलब्ध पशुओं के अनुसार उपलब्ध गोबर का अनुमान लगा कर, संयंत्र का संचालन किया जाता है।

(I) पारिवारिक बायोगैस संयंत्र (Small Size) कार्यक्रमः– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु एम.एन.आर.ई., भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 100 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जानी है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 01 घन मी0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 17,000/–, 02–04 घन मी0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 22,000/–, 06 घन मी0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 29,250/– की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ii) **बायोगैस से विद्युत उत्पादन कार्यक्रमः** वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बायोगैस से विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना की जानी है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 03–50 कि0वॉ0 क्षमता के संयंत्र हेतु ₹ 45,000/– प्रति कि0वॉ0 की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

13.5 पावॅर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लिमिटेड़ (PTCUL): पावॅर ट्रांसमिशन

कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड का उद्देश्य विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत कर विद्युत उत्पादन केन्द्रों एवं पारेषण लाईनों का निर्माण करते हुये प्रदेश के मास्टर पारेषण संचार प्लान लागू करना है। वर्तमान मे पिटकुल द्वारा 45 उपकेन्द्रों (कुल 8925 एम0वी0ए0) क्षमता एवं 3268 सर्किट कि0मी0 पारेषण लाईनों का निबार्ध संचालन किया जा रहा है।

13.5.1 पूर्ण योजनाओं का विवरण वित्तीय वर्ष (2022–2023) में वर्तमान तक पारेषण तन्त्र को विस्तारित करते हुए निम्न परियोजनाओं को पूर्ण कर ऊर्जीकृत किया जा चुका हैः–

1. 220 केवी व्यासी–देहरादून लाईन (लागत ₹ 136 करोड़)।
2. 132 केवी चिला–नजीबाबाद लीलो लाईन पदार्था (लागत ₹ 33 करोड़)।
3. 132 केवी उपसंस्थान, पदार्था (लागत ₹ 50 करोड़)।
4. 132 के0वी0 उपकेन्द्र पुरकुल की 40 एम0वी0ए0 क्षमता वृद्धि (लागत ₹ 4 करोड़)।
5. 132 के0वी0 उपकेन्द्र सितारगंज की 40 एम.वी ए. क्षमता वृद्धि (लागत ₹ 4 करोड़) का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है।

13.5.2 132 के0वी0 पुरकुल–बिन्दाल लिंक लाईन (10.73 कि0मी0): इस पारेषण लाईन का मार्ग देहरादून के शहरी क्षेत्र में बिन्दाल नदी के किनारे सेना की भूमि, अनारवाला, गुच्चुपानी से पुरूकुल के मध्य आवासीय, व्यावसायिक एवं पर्यटन स्थलों के आस–पास से निकल रहा है। माह नवम्बर 2022 तक रु0 1488.57 लाख व्यय कर 96 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.3 132 के0वी0 डबल सर्किट पिथौरागढ़ (पी0जी0सी0आई0एल0) लोहाघाट लाईनः परियोजना की कुल लम्बाई 41.35 सर्किट कि0मी0 है जिसमें लगभग 38.36 कि0मी0 तार खिंचाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 5832.89 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.4 220 के0वी0 बरम पर 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) लाईन का लीलो कार्यः परियोजना की कुल लम्बाई 21.96 सर्किट कि0मी0 है। कुल 39 लोकेशनो में से 20 लोकेशनों पर टावर फाउन्डेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 450.26 लाख व्यय कर 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.5 220 के0 वी0 डबल सर्किट लाईनः (सिंगोली भटवाडी जल विद्युत परियोजना के इन्टर कनेक्शन प्वांइट से प्रस्तावित रूद्रपुर (ब्रहमवारी) उपसंस्थान तक) वर्तमान में पारेषण लाईन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना की कुल लम्बाई 31 सर्किट कि0मी0 है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 7978.46 लाख व्यय कर 66 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.6 220 के0वी0 उपस्थान बरम जौलजीवी पिथौरागढः 220 के0वी0 जी.आई.एस. उपसंस्थान बरम में लगभग समस्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 7077.24 लाख व्यय कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.7 400 के0वी0 डबल सर्किट पीपलकोटी कर्णप्रयाग श्रीनगर लाईनः परियोजना की कुल लम्बाई 173 सर्किट कि0मी0 है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 2271.63 लाख व्यय कर 52 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.8 400 के0वी0 तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी लाईनः– तपोवन–विष्णुगाड–पीपलकोटी लाईन की कुल लम्बाई 36 सर्किट कि0मी0 है। माह नवम्बर 2022 तक ₹ 2347.09 लाख व्यय कर 34 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

13.5.9 आगामी प्रस्तावित परियोजनाएंः पिटकुल द्वारा कुल 10 परियोजनाओं का निर्माण ए0डी0बी0 पोषित योजनाओं से वर्ष 2026 तक प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 843.72 करोड़ है। विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र0 सं0	परियोजना का विवरण	क्षेत्र	अभ्युक्ति
1.	400 के0वी0 उपसंस्थान (01 नग)	लण्ढ़ौरा	06 परियोजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है व अनुबन्ध जून, 2023 तक लक्षित है। 02 परियोजनायें (लण्ढ़ौरा व सरवरखेड़ा) हेतु भूमि चयन/अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।
2.	220 के0वी0 उपसंस्थान (02 नग)	सेलाकुई, मंगलौर	
3.	132 के0वी0 उपसंस्थान (05 नग)	लोहाघाट, आराघर, धौलाखेड़ा, खटीमा एवं सरवरखेड़ा	
4.	सम्बन्धित पारेषण लाईनें	उपरोक्त उपसंस्थानों हेतु सम्बन्धित 400, 220 एवं 132 के0वी0 लाईन	अन्य परियोजनायें (सम्बन्धित लाईन सहित) की डीपीआर पूर्ण कर ली गयी है।

अध्याय–14
जल संसाधन एवं प्रबन्धन
Water Resources & Management

जल के बिना जीवन की कल्पना नही की जा सकती है। जीवन की उत्पत्ति ही जल से हुई है। हर जीवन के सृजन में जल का विशेष योगदान है। प्राणियों में 65 प्रतिशत तथा पेड़–पौधों में 65 से 99 प्रतिशत तक जल अंश मिलता है। जल प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसका कोई दूसरा विकल्प नही है। जल का विविध उपयोग है और जल विकास की धूरी भी है।

भारत में पेयजल उपलब्धता तथा उपयुक्तता की दृष्टि से सीमित है। जल का वितरण असमान होना भी एक प्रमुख समस्या है साथ ही जल की गुणवत्ता भी निरन्तर खराब होती जा रही है। जल की मांग और आपूर्ति में समन्वय के साथ–साथ जल संसाधनों के स्रोतों के बीच ताल–मेल अनिवार्य है। अतः जल संसाधनों का संरक्षण भी अनिवार्य है।

जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। यह आपूर्ण और असमाप्त होने वाला संसाधन है परन्तु यह संकटग्रस्त संसाधन भी है। पानी की मांग सतत बढ़ रही है और जलापूर्ति निरन्तर घट रही है। विश्व में भारत के पास कुल 4 प्रतिशत जल है जबकि जनसंख्या 16 प्रतिशत है, अर्थात विश्व की औसत की तुलना में हमारे यहॉ प्रति व्यक्ति के हिस्से में मात्र चौथाई जल ही प्राप्त होता है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देश का आठंवा हिस्सा बाढ़ ग्रस्त है तथा छठा हिस्सा सूखे से ग्रस्त है। इस सबके लिये मानसून की प्रकृति उत्तरदायी है। बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों और अन्य कृषि उपजों की अधिक आवश्यकता होने के कारण फसलों के लिए सिंचाई के रूप में जल का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। नगरीकरण, औद्योगीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण नगरों में जल की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

राज्य में निरन्तर शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण आम जनमानस को शुद्ध एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने के साथ–साथ जल शक्ति मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय आबादी को पर्याप्त जल आपूर्ति करने एवं प्रधान मंत्री कृषि सिचांई योजना द्वारा सिंचाई के साधनों में वृद्धि एवं सिंचित क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।

14.1 ग्रामीण पेयजल जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित JJM-MIS वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2022 को कुल 38,681 बस्तियां हैं, जिसमें 19,549 बस्तियां पेयजल से आंशिक सेवित (Partially Covered), 19,129 बस्तियां पूर्णतः सेवित (Fully Covered), तथा 03 बस्तियां जल गुणता प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही हैः–

14.1.1 जल जीवन मिशन : भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना **''जल जीवन मिशन''** में ''हर घर नल से जल'' के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को **क्रियाशील घरेलू जल संयोजन FHTCs (Function Household Tap Connection) उपलब्ध कराना लक्षित है।** कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14,94,414 परिवारों को माह दिसम्बर 2023 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS–10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है। JJM-MIS पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुरूप दिनांक 31.03.2022 तक 9,24,393 परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 में निर्धारित लक्ष्य 2,80,632 के सापेक्ष दिनांक 31.12.2022 तक 1,25,241 FHTCs दिए जा चुके है। इस प्रकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कुल 10,49,634 FHTCs (70.24%) प्रदान किए जा चुके है तथा 4,44,780 परिवारों को FHTCs से जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराना शेष है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु परियोजना पर कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 1831.78करोड़ (केन्द्रांश–₹ 1612.50 करोड़ व राज्यांश–₹ 219.27 करोड़) के सापेक्ष दिनांक 31.12.2022 तक पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ₹ 978.33 करोड़ की धनराशि परियोजना पर व्यय की जा चुकी है।

वर्तमान तक कुल 10,49,634 (70.24%) परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं।

तालिका 14.1
जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् नल संयोजन की प्रगति

Sl	District	Total Rural household as on (1/4/22)	Households with tap water connections as on 15 Aug 2019	Remaining households as on 15 Aug 2019	Cumulative Household Connections with PWS as on			
					01 April, 2020	01 April, 2021	01 April, 2022	Upto 31.12.22
1	Dehradun	127731	12841	114890	37927	109011	120613	121947
2	Haridwar	266743	15321	251422	24580	39076	103823	160822
3	Pauri Garhwal	116444	3954	112490	6997	50567	72070	82051
4	Tehri Garhwal	135110	10270	124840	17039	68282	88336	102478
5	Uttarkashi	71810	1937	69873	9496	47039	56320	58169
6	Chamoli	77650	23556	54094	28429	63030	71634	72369
7	Rudraprayag	56779	10725	46054	12742	31704	40040	44233
8	Almora	128792	10920	117872	17059	40319	66848	74443
9	Bageshwar	55030	3135	51895	5344	46751	49319	49881
10	Champawat	47993	7069	40924	9071	25329	33724	35708
11	Nainital	113624	24910	88714	32963	51433	65446	68243
12	Pithoragarh	95479	5612	89867	12354	52043	66434	74654
13	US Nagar	201229	75	201154	3119	24837	89786	104636
	Total	**1494414**	**130325**	**1364089**	**217120**	**649421**	**924393**	**1049634**

स्रोत: पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

14.1.2. भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,249 विद्यालय दर्शाये गयें हैं, जिनके सापेक्ष दिनांक 31.12.2022 तक 19,117 विद्यालयों में नल संयोजन प्रदान किये जा चुके हैं, जो 99.31% है। इसी प्रकार 16,473 आंगनवाडी केन्द्र दर्शाये गये हैं जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 16,405 आंगनवाडी केन्द्रों में नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है, जो 99.59% है।

14.1.3. जल जीवन मिशन शुभारम्भ पश्चात् मिशन अन्तर्गत हर घर जल (100% FHTCs Coverage) में राज्यान्तर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार दिनांक 01.04.2022 को जनपदवार कुल 7,778 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 15,041 राजस्व ग्राम दर्शाये गये है, जिसके सापेक्ष जेजेएम के अन्तर्गत दि0 31.12.2022 तक जनपदवार 2526 राजस्व ग्रामों को एवं 703 ग्राम पंचायतों के 100% FHTCs से आच्छादित किया जा चुका है। हर घर जल के अन्तर्गत इन ग्रामों को Online Certified किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

तालिका 14.2

Sl	District	Schools			AWCs		
		Total	Schools with tap water supply	Schools with tap water supply (%)	Total	AWCs with tap water supply	AWCs with tap water supply (%)
1	Dehradun	1409	1381	98.01	1155	1100	95.24
2	Haridwar	1826	1783	97.65	2450	2450	100
3	Pauri Garhwal	2125	2125	100	1643	1643	100
4	Tehri Garhwal	2163	2163	100	1923	1923	100
5	Uttarkashi	1265	1265	100	962	962	100
6	Chamoli	1385	1385	100	953	953	100
7	Rudraprayag	907	907	100	655	655	100
8	Almora	2032	1971	97	1860	1860	100
9	Bageshwar	848	848	100	793	789	99.5
10	Champawat	752	752	100	643	634	98.6
11	Nainital	1289	1289	100	979	979	100
12	Pithoragarh	1778	1778	100	1050	1050	100
13	U S Nagar	1470	1470	100	1407	1407	100
	Total	**19249**	**19117**	**99.31**	**16473**	**16405**	**99.59**

स्रोत: पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

तालिका 14.3

Har Gahr Jal Status (Har Ghar Jal implies 100% FHTC coverage in that area)							
		Total as on 01.04.2022		No. of Har Ghar Jal Panchayat		No. of Har Ghar Jal Village	
Sl.	**District**	**Panchayats**	**Villages**	**Reported**	**Certified**	**Reported**	**Certified**
1	Dehradun	401	638	52	0	118	0
2	Haridwar	300	494	6	0	28	0
3	Pauri Garhwal	1173	2988	35	0	353	0
4	Tehri Garhwal	1034	1739	35	4	120	8
5	Uttarkashi	508	664	68	0	121	0
6	Chamoli	610	1116	139	0	343	0
7	Rudraprayag	336	636	60	0	197	0
8	Almora	1160	2131	111	1	377	1
9	Bageshwar	403	825	66	1	231	11
10	Champawat	313	652	26	0	107	0
11	Nainital	479	1008	9	1	74	5
12	Pithoragarh	686	1543	82	7	421	38
13	U S Nagar	375	607	14	1	36	1
	Total	**7778**	**15041**	**703**	**15**	**2526**	**64**

स्रोतः पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

14.2. बाहय सहायतित योजनायें (अर्द्ध नगरीय क्षेत्र)ः केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य के 22 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु विश्व बैंक सहायतित परियोजना (अनुमानित लागत ₹ 975 करोड़) आरम्भ हो गई है। परियोजना अवधि 06 वर्षों (कार्यक्रम की प्रभावी तिथि 08 मार्च 2018) की है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न पांच जनपद चयनित किए गये हैं।

कार्य क्षेत्रः जनपद टिहरी गढवाल–ढालवाला, जनपद देहरादून–जीवनगढ, नथनपुर, मेंहूवाला माफी, नथुवावाला, ऋषिकेश देहात, गुमानीवाला, प्रतीत नगर एवं खडक माफी।

जनपद नैनीताल–हल्द्वानी, तल्ली, कुसुमखेडा, गौझाजाली उत्तर।

जनपद हरिद्वार–सैदपुरा, भंगेडी मेहवतपुर, नगला इमरती, ढंढेरा, मोहनपुर मौहम्मदपुर, बहादराबाद, जगजीतपुर।

जनपद उधमसिंह नगर–उमरू खुर्द, महोलिया एवं बंडीया।

उक्त क्षेत्रों की 22 योजनाओं को पूर्ण करने की समय–सीमा दिसम्बर 2023 निर्धारित है।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 15 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जबकि 7 योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उत्तराखण्ड जल संस्थान के अन्तर्गत है। उत्तराखण्ड पेयजल निगम की 15 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 05 योजना पूर्ण कर ली गई है तथा नवम्बर, 2022 तक 13059 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके

है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 07 योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कर 03 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है तथा 9306 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किए जा चुके है। इस परियोजना के द्वारा कुल 87757 व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन प्रदान किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु परियोजना पर अनुमोदित परिव्यय ₹ 385.00 करोड़ की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा ₹ 301.13 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

अभिनव प्रयोग

नैनीताल के सुपीगांव की रहने वाले बच्ची सिंह बिष्ट ने पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे रामगढ़ और धारी गाँवों (इस क्षेत्र कोफलबेल्ट के रूप में जाना जाता है) के लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाया। बच्ची सिंह बिष्ट ने छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए समुदाय समर्थित अभियान के तहत 500 से अधिक मिट्टी के टेंक तैयार किये तथा प्रत्येक टेंक में पानी के भंडारण के लिए प्लास्टिक की चादर से बना एक जलाशय का रूप दिया गया। प्रत्येक पानी के टेंक में 10,000 से 25,000 गैलन जल संग्रहण की क्षमता है। इस प्रकार इन पानी की टंकियों में 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी का संग्रह किया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू कार्यों, फसलों की सिंचाई और अन्य कामों के लिए किया जाता है। पानी कि उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में फलों का उत्पादन बढ़ा है, तथा लोगों कि आय में वृद्धि देखने को मिली है।

14.3. नगरीय पेयजलः— स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक शहरी क्षेत्र में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) है। उत्तराखण्ड में कुल 103 स्थानीय निकाय है, इनमें से 78 नगरों में जलापूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (litre Per Capita Daily- LPCD) से कम है, जिस हेतु नियोजित रूप से नगरों को पेयजल सुविधा से संतृप्ति किये जाने की कार्ययोजना है। भारत सरकार से वित्त पोषित अमृत 2.0 कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 18 नगरों में ₹ 233.74 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत की गयी हैं एवं इन नगरों की डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृत कराने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा 38 नगरों हेतु बाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत ₹ 1600.00 करोड लागत की पेयजल योजनायें प्रस्तावित है एवं जायका (JICA) से वित्त पोषण हेतु ऋण प्राप्त किये जाने के लिए कार्यवाही गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त ए0डी0बी0 द्वारा भी राज्य के नगरों में पेयजल योजनाओं के कार्य गतिमान / प्रस्तावित हैं।

14.4. नगरीय जलोत्सारणः— उत्तराखण्ड के कुल 100 नगरो में से 25 नगरों में कुल 397.21 एम.एल.डी.(मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के 67 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित है। जिनका उपयोग कर लगभग 263.01 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 179.87 एम.एल.डी. क्षमता के 34 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन / प्रस्तावित है।

तालिका 14.4
प्रदेश के अन्तर्गत जलोत्सारण व्यवस्था हेतु सीवेज शोधन संयत्र

सीवर शोधन सयंत्र (STP)						
क्र० सं0	नगर	चालू एस0टी0पी0 की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (एम.एल.डी.)	शोधित की जा रही मात्रा (एम.एल.डी.)	निर्माणाधीन एस.टी.पी. की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (एम.एल.डी.)
01	हरिद्वार	5	145.00	150.62	1	7.00

02	देहरादून	7	115.14	48.49	4	53.50
03	रूड़की	1	33.00	6.00	0	0.00
04	ऋषिकेश	1	26.00	20.80	1	5.00
05	मसूरी	5	7.32	1.55	5	3.25
06	श्रीनगर	4	4.63	3.10	0	0.00
07	स्वर्गाश्रम (पौड़ी)	1	3.00	2.12	2	4.50
08	कीर्तिनगर	2	0.06	0.04	0	0.00
09	देवप्रयाग	3	1.63	0.20	0	0.00
10	उत्तरकाशी	1	2.00	1.78	0	0.00
11	गंगोत्री	1	1.00	0.20	0	0.00
12	नैनीताल	3	1.70	1.04	1	17.50
13	भीमताल	1	1.25	0.81	0	0.00
14	अल्मोड़ा	1	2.00	1.65	1	1.50
15	नई टिहरी	1	5.00	2.50	0	8.30
16	मुनि की रेती	2	12.50	9.95	2	0.00
17	तपोवन	1	3.50	1.25	0	0.00
18	कर्णप्रयाग	5	0.35	0.11	0	0.00
19	गोपेश्वर	5	4.37	2.12	0	0.00
20	जोशीमठ	1	1.08	0.30	1	2.70
21	श्री बद्रीनाथ	3	1.27	0.64	0	0.00
22	काशीपुर	0	0.00	0.00	6	31.80
23	हल्द्वानी	0	0.00	0.00	1	28.00
24	रामनगर	2	8.50	3.40	0	0.00
25	पिथौरागढ़	2	6.25	4.00	0	0.00
26	रूद्रप्रयाग	6	0.525	0.22	0	0.00
27	नंदप्रयाग	2	0.15	0.12	0	0.00
28	तिलवाड़ा	0	0.00	0.00	5	0.32
29	सुल्तानपुर	0	0.00	0.00	1	0.50
30	किच्छा	0	0.00	0.00	1	3.00
31	सितारगंज	0	0	0	1	3.00
32	बाजपुर	0	0	0	1	10.00
	योग	**66**	**387.225**	**263.011**	**34**	**179.87**

स्रोतः पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

14.4.1 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम)– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित 15 नगरों क्रमश हरिद्वार, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, तपोवन, मुनि–की–रेती, कीर्तिनगर, श्रीनगर, श्रीकोट, नन्दप्रयाग, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर–चमोली, जोशीमठ, बद्रीनाथ एवं उत्तरकाशी में गंगा नदी की स्वच्छता एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृत ₹ 1045.03 करोड़ की 24 योजनाओं में से 19 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 03 योजनाओं की (₹ 126.03 करोड़) निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इन 22 योजनाओं में 131.87 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के प्रस्तावित 32 नये सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के सापेक्ष 129.17 एम0एल0डी0 क्षमता के 31 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। पूर्व से स्थापित 57 एम0एल0डी0 क्षमता के 06 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के उच्चीकरण के कार्य पूर्ण किये गये एवं 01 योजना स्लज प्रबन्धन संयंत्र 05 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के कार्य पूर्ण किये गये है। निर्माणाधीन योजनाओं में से जोशीमठ में 2.7 एम0एल0डी0 क्षमता के अवशेष 01 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य माह दिसम्बर–2022 में पूर्ण कर लिया गया है, जिसका परीक्षण कार्य प्रगति पर है। ऋषिकेश में अवशेष सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के कार्य जनवरी–2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 61 नालों के सापेक्ष 61 नालों को भी टैप कर लिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 03 योजनाओं (रामनगर, देहरादून एवं 06 पोल्यूटेड रिवरस्ट्रेचेज) ₹ 321.80 करोड़ की योजनाओं में से रामनगर में गंगा की सहायक नदी कोसी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु नालो की टैंपिग तथा 8.5 एम0एल0डी0 क्षमता के 02 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। देहरादून में रिस्पना तथा बिन्दाल नदी में प्रदूषण की रोकथाम हेतु 177 नालों में से 145 नालों की टैंपिग के कार्य किये गये तथा 19.50 किमी0 सीवर नेटवर्क के कार्य पूर्ण कर लिये गये। शेष कार्य प्रगति पर है तथा वर्तमान में 01 नग 06 पोल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज योजना स्वीकृत है जिसके निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुके है तथा डिजाईन एवं ड्राईंग की कार्यवाही प्रगति में है।

उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में प्रदेश एवं देश में प्रथम ''हाईब्रिड एन्यूटी पी.पी.पी. मॉडल'' के आधार पर 68 एवं 14 एम.एल.डी. क्षमता के एस0टी0पी0 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त मुनीकीरेती क्षेत्र में 7. 50 एम.एल.डी. क्षमता के 4 मंजिला एस.टी.पी. का निर्माण किया गया, जिसकी सराहना एवं उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।

14.5 ग्रामीण स्वच्छताः

14.5.1 खुले में शौच मुक्त के स्थायित्वता को सुनिश्चित किये जाने में मुख्य कार्य क्षेत्र

(अ) गांव की ओ0डी0एफ0 स्थिति का भौतिक सत्यापन

राज्य के शौचालय विहीन परिवारों के लिए शौचालय निर्मित कर माह जून, 2017 में खुले में शौच की प्रथा से मुक्त घोषित कर देश में राज्य द्वारा चौथा स्थान प्राप्त किया गया। जिसके सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय चरण के भौतिक सत्यापन का कार्य शत–प्रतिशत गांवों में पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–फेज 2 का संचालन ओ0डी0एफ0 स्थायित्व हेतु किया जा रहा है।

(ब) बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 के सापेक्ष पूर्ण आच्छादन के उपरान्त शौचालय आच्छादन की स्थितिः

बेसलाईन सर्वेक्षण 2012 के उपरान्त भी कतिपय परिवार ऐसे थे जो कि बेसलाईन सर्वेक्षण में विभिन्न कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाये थे। ऐसे परिवार यथा छूटे हुये परिवार (LoB), कोई भी परिवार शौचालयविहीन न रहना (NoLB), जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़े हुए परिवारों को समय–समय पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 तक शौचालय सुविधा से आच्छादित किया गया। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक क्रियान्वयन योजना में जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़े हुए परिवारों को लक्षित किया गया है जो कि लगभग 12326 है।

(स) सामुदायिक स्वच्छता काम्पलेक्सों का निर्माण

प्रत्येक गांव में सीमान्त भूमिहीन, प्रवासियों एवं आगुन्तकों के लिये शौचालय सुविधा सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक गांव में आवश्यकतानुसार कम से कम एक सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलैक्स का निर्माण किया जाना है। सामुदायिक स्वच्छता कॉम्पलैक्स का निर्माण गाँव/ग्राम पंचायतों में उपलब्ध सार्वजनिक स्थानों में किया जा सकता है तथा इनके रखरखाव व संचालन ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना है।

पैन हिमालयन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन– पैन हिमालयन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो ग्रासरूट्स के नाम से लोकप्रिय है, की स्थापना एक गैर–लाभकारी स्वैच्छिक संगठन के रूप में की गई थी। ग्रासरूट्स ग्रामीण स्तर पर सतत, आत्मनिर्भर विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिमालयी जनपदों में काम करता है। संस्था ने हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के 12 जिलों के 58 विकास खंडो के 484 गांवों में 648 रिसावदार कुओं का निर्माण कराया गया है इनके माध्यम से इस क्षेत्र के 95 प्रतिशत लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इन रिसावदार कुओं की तकनीक का लाभ लगभग 25,000 से अधिक परिवारों को मिल रह है। अतः 1,15,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 30 लीटर पानी प्रति दिन के उपलब्ध हो रहा है. रिसावदार कुओं के तकनीक का मूल्यांकन से स्पष्ट है कि किफायती तथा सतत है, इसका समुदाय दवारा आसानी से पबंधन किया जा सकता है रिसावदार कुओं के आसपास जैव विविधता पूर्ण हरित क्षेत्र विकसित हुआ है, तथा भूजल में भी वृद्धि हुई है।

14.5.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि

1. व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वार्षिक क्रियान्वयन योजना के अनुसार कुल 12326 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 3472 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

2. सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण

राज्य में कुल 15041 ग्राम हैं जिनमें से वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में कुल 1148 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 232 के निर्माण कार्य पूर्ण एवं 129 में कार्य गतिमान है।

3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन

वर्तमान में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)– फेज ।। का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभिवर्धन गतिविधियों के स्थायित्व हेतु किया जा रहा है। स्थायित्व हेतु पूर्व निर्मित घरेलू शौचालयों का निरन्तर प्रयोग एवं स्वच्छता हेतु समुदाय को प्रेरित किया जाना है। इसके अन्तर्गत तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्य तथा ग्राम पंचायत स्तरीय बैठकें,

जन–जागरूकता कार्यक्रम, ग्राम पंचायतों/समितियों/आशा/आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण, वृक्षारोपण इत्यादि सम्मिलित हैं।

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रा0 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विगत वर्षों सहित कुल 6791 ग्रामों की डी.पी. आर. तैयार की गयी हैं, जिसके सापेक्ष क्रमिक 5441 ग्रामों में कार्य पूर्ण, 1241 ग्रामों में निर्माणाधीन, 109 ग्रामों में कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल 3468 ग्रामों को लक्षित किया गया है, जिसके सापेक्ष 988 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गये हैं। उक्त कार्य मनरेगा, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, उरेडा एवं कृषि विभाग इत्यादि के साथ केन्द्राभिसरण (Convergence) के माध्यम से भी करवाया जा रहा है।

प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई– ब्लाक स्तर पर पंचायती राज विभाग के समन्वय से समस्त 95 विकासखण्डों में प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन इकाई स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान तक कुल 86 विकासखण्ड चिन्हित किए गये हैं जिनमें से 76 विकासखण्डों की डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है। उक्त में से 58 विकासखण्डों हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिए गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 13 विकासखण्डों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शेड निर्माण पूर्ण कराया गया है। उक्त में शीघ्र ही पंचायती राज विभाग के माध्यम से कॉम्पैक्टर स्थापना कर इन्हें संचालित किया जायेगा। 27 विकासखण्डों में कार्य गतिमान है। 10 में कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर लिया जायेगा। विस्तृत प्रगति विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 14.5

जनपद	प्रगति
बागेश्वर	02 (बागेश्वर, एवं गरूड) में कार्य गतिमान
चमोली	06 (जोशीमठ, कर्णप्रयाग, गैरसैंण, घाट, थराली एवं पोखरी) में कार्य गतिमान
चम्पावत	02 (चम्पावत एवं लोहाघाट) में कार्य पूर्ण 02 (पाटी एवं बाराकोट) में कार्य गतिमान
देहरादून	02 (विकासनगर एवं चकराता) में कार्य पूर्ण 03 (रायपुर, सहसपुर एवं डोईवाला) में कार्य गतिमान
हरिद्वार	06 (रूडकी, बहादराबाद, लक्सर, खानपुर, भगवानपुर एवं नारसन) में कार्य पूर्ण
नैनीताल	04 (भीमताल, बेतालघाट, धारी एवं ओखलकाण्डा) में कार्य गतिमान
पौड़ी	06 (दुगड्डा, यमकेश्वर, पोखडा, पाबो, नैनीडांडा एवं द्वारीखाल) में पूर्ण 04 (थलीसैंण, कोट, कल्जीसैण एवं पौडी) में कार्य निर्माणाधीन
पिथौरागढ़	05 (मूनाकोट, डीडीहाट, बिण, गंगोलीहाट एवं बैरीनाग) में कार्य गतिमान 03 (कनालीछीना,, मुन्स्यारी एवं धारचुला) कार्य प्रारम्भ होना है।
रूद्रप्रयाग	01 (जखोली) में कार्य पूर्ण 01 (उखीमठ) में कार्य गतिमान
टिहरी	02 (जाखनीधार एवं भिलंगना) में कार्य प्रारम्भ होना है
उधम सिंह नगर	05 (रूद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज एवं बाजपुर) में कार्य प्रारम्भ होना है

स्रोतः पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

14.5.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 की वित्तीय प्रगति वित्तीय वर्ष 2021–22 में 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' हेतु ₹ 101.314 करोड़ का बजट प्राविधानित किया गया है जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के स्तर को बनाये रखे जाने हेतु ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के माध्यम से आधार–भूत ढॉचों को निर्मित कराये जाने, आई0ई0सी0 एवं प्रशासनिक व्ययों हेतु अनुमन्य धनराशि तथा शौचालय निर्माण एवं ओ0डी0एफ0 सस्टैनेबिलिटी से सम्बन्धित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गत वर्ष 2021–22 की अवशेष धनराशि ₹ 1555.340 लाख, तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में अवमुक्त केन्द्रांश ₹ 1413.600 लाख, अवमुक्त राज्यांश ₹ 157.07 लाख तथा अन्य प्राप्ति ₹ 632.008 लाख सहित कुल उपलब्ध ₹ 3758.018 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक कुल ₹ 2602.127 लाख (ग्राम पंचायतों को दिए गये अग्रिम सहित) व्यय किए जा चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु ₹ 198.69 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है जिसमें ₹ 12.00 करोड़ की मांग पी0एम0यू0 स्वजल निदेशालय एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु की गयी है तथा ₹ 186.69 करोड़ की मांग 4775 ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं 4775 ग्रामों में ही तरल अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु ₹ 90. 87 करोड़ के कार्य, 34990 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 41.99 करोड़, 1574 सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण हेतु ₹ 33.05 करोड़, गोबर्धन योजना में 10 इकाईयों की स्थापना हेतु ₹ 5.15 करोड़, ब्लाक स्तरीय 51 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन इकाई की स्थापना हेतु ₹ 8.16 करोड, आई0ई0सी0 हेतु ₹ 5.60 करोड़ तथा प्रशासनिक व्यय ₹ 1.87 करोड़ सम्मिलित है।

14.5.4. स्वजल 2.0 के अन्तर्गत अभिलाषी जनपदों (Aspirational Districts) में चयन

उत्तराखंड के दो जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर चिन्हित अभिलाषी जनपद हैं। इन दो जनपदों की कुल 12 सौर ऊर्जा चलित मिनी पम्पिंग पेयजल योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिनकी प्रगति निम्नानुसार है–

तालिका 14.6

क्रं सं	जनपद	पेयजल योजना का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	प्राक्कलन की लागत (₹ लाख में)	समुदायिक अंशदान (₹ लाख में)	योजनाओं की प्रगति					टिप्पणी
							नलकूप का कार्य	पम्प हाऊस	उच्च जलाशय	वितरण प्रणाली	वित्तीय प्रगति	
1	हरिद्वार	नन्दपुर	रायसी	लक्सर	49.99	5.00	100%	100%	100%	100%	36.14	लगभग पूर्ण।

2	हरिद्वार	चन्द्रपुरी खादर	चन्द्रपुरी खादर	खानपुर	49.98	5.00	100%	100%	100%	100%	40.15	उत्तराखण्ड जल संस्थान/ निगम द्वारा जे0जे0एम0 के अन्तर्गत घरेलू संयोजन दिये जायेंगे।
3	हरिद्वार	शिश्तीपुर	हरजोली जोझा	रूड़की	49.91	4.99	100%	100%	100%	100%	36.28	
4	हरिद्वार	नाजिमपुर पनियाली	नगडा/ कुबडा	रूड़की	49.97	5.00	100%	100%	100%	100%	39.94	
5	हरिद्वार	पोडोवाली	पोडोवाली	खानपुर	49.99	5.00	100%	100%	100%	100%	40.28	
6	हरिद्वार	कंवलपुर	चन्द्रपुरी खादर	खानपुर	47.59	4.76	100%	90%	90%	100%	25.49	गतिमान
		योग			**297.43**	**29.743**					**218.28**	
1	उधम सिंह नगर	बखपुर	बखपुर	रूद्रपुर	49.50	4.95	100%	100%	100%	100%	37.87	उत्तराखण्ड जल संस्थान/ निगम द्वारा जे0जे0एम0 के अन्तर्गत घरेलू संयोजन दिये जायेंगे।
2	उधम सिंह नगर	नजीमाबाद	नजीमाबाद	रूद्रपुर	48.97	4.90	100%	100%	100%	100%	38.48	
3	उधम सिंह नगर	जफरपुर	जफरपुर	गदरपुर	48.42	4.84	100%	100%	95%	95%	38.55	
4	उधम सिंह नगर	डौंकपुरी	डौंकपुरी	गदरपुर	48.31	4.83	100%	95%	5%	90%	28.31	
5	उधम सिंह नगर	सकेनिया	सकेनिया	गदरपुर	48.82	4.88	100%	100%	95%	95%	38.86	
6	उधम सिंह नगर	खेडा लक्ष्मीपुर	खेडा लक्ष्मीपुर	जसपुर	48.19	4.82	100%	60%	80%	90%	28.58	
		योग			**292.21**	**29.221**					**210.65**	
		महायोग			**589.64**	**58.964**					**428.93**	

स्रोतः पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

1. नलकूपों का स्वचालितीकरण (Automation of Tubewells and SCADA):- संस्थान द्वारा आधुनिकतम तकनीक SCADA अपनाकर कुल 974 नलकूप/मिनी नलकूपों का स्वचालितीकरण किया गया है, जिससे मानवीय भूल एवं अन्य विद्युत सम्बन्धी त्रुटियों के कारण जलापूर्ति व्यवस्था के व्यवधान को अत्यन्त न्यून किया जा सका है।

2. जल गुणवत्ता मैनेजमेंट (Water Quality Management):- राज्य में पेयजल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद मुख्यालय में दो–दो (कुल 27) पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालायें क्रियान्वित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2021–22 में 78065 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 48687 रासायनिक एवं जैविक पेयजल के नमूनों की जॉच की गयी है। कुल 27 प्रयोगशालाओं में से 27 प्रयोगशालाओं को NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) से मान्यता प्राप्त कराया जा चुका है।

3. ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड एवं क्लेक्शन सिस्टम (Online billing demand and collection System):- विभाग में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऑनलाईन बिलिंग डिमाण्ड कलैक्शन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता को अपने बिलों की जानकारी, देयक के ऑनलाईन भुगतान एवं नये कनेक्शन के लिए ऑलाईन आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है।

4. शिकायत निवारण केन्द्र (Complain Centre) :– विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित है। इस शिकायत निवारण केन्द्र पर Toll free Number 1800–180–4100 है। उपभोक्ता से प्राप्त होने

वाली शिकायत को दर्ज करने एवं निराकरण के सम्बन्ध में जानकारी सम्बन्धित उपभोक्ता के मोबाईल पर SMS से भी प्रेषित की जाती है। उपभोक्ता स्वयं भी विभागीय वैबसाईट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

5. हैण्ड पम्पः एक सफल वैकल्पिक रणनीति (Hand Pump: A Successful alternative Plan):- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प स्थापित कर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 39 हैण्ड पम्पों की स्थापना की गयी है।

6. मिनी नलकूपः न्यून लागत, त्वरित उपचार (Mini Tubwell: Low Cost, Accelerated Treatment):- नलकूपों के खनन में लगने वाले व्यय एवं समय की बचत एवं छोटी बस्तियों के पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु कम श्राव के नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर 'न्यूमेटिक खनन' विधि से तैयार किया जाता है। वर्तमान तक 299 मिनी नलकूप स्थापित किये गये हैं।

7. चाल–खालः परम्परा का पुनर्जीवन (Movement: Revival of the Traditional water source):- ग्राम समाज के सहयोग से संस्थान द्वारा विगत चार वर्षों में वर्तमान तक 1514 चाल–खाल का निर्माण किया गया है।

8. रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना (Rain Water Harvesting): वर्षा जल को एकत्र कर, संचय करने तथा उसको मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू–जल को रीचार्ज करना वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वर्षा जल के संग्रहण हेतु प्रथम प्रयास उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्यालय, ''जल भवन'' देहरादून में किया गया है जो सफल रहा है। वर्षा जल संग्रहण हेतु विभाग द्वारा शासकीय विभागों एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ एक मार्ग निर्देशिका भी प्रकाशित की गयी है जिसमें वर्षा जल संग्रहण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 114 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी हिमोत्थान संस्था, टाटा वाटर मिशन के सहयोग से जल संरक्षण एवं संवर्धन सम्बन्धी मुद्दों पर काफी समय से कार्यरत है, जो बड़े पैमाने पर जल सुरक्षा, उपयोग के बिंदु को बढ़ावा देने, गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) करने, स्कूलों में जल, सफाई एवं स्वच्छता (Water, Sanitation and Hygiene & WASH), मुद्दों पर व्यवहार परिवर्तन हेतु ध्यान केंद्रित कर रही है। हिमालय के दूरदराज के गांवों में स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच और उपयोग की सुविधा के लिए राज्य, केंद्र सरकार और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रहे हैं। हिमोत्थान स्प्रिंग–फेड, ग्रेविटी फ्लो कम्युनिटी वाटर सप्लाई एंड सेनिटेशन वॉश को लागू कर रहा है, जिससे 200 ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीमों के माध्यम से उत्तराखंड के 133 गांवों में फैले 40,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

14.6. भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाएंः वाह्य सहायतित कार्यक्रम (ई0ए0पी0) के अंतर्गत 38 नगरों को नगरीय मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित नगरीय पेयजल परियोजना ₹ 1600.00 करोड़ के ऋण की सैद्धान्तिक सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है। हरिद्वार एवं ऋषिकेश में शत–प्रतिशत जलोत्सारण आच्छादन हेतु के.एफ. डब्ल्यू., जर्मनी द्वारा वित्त पोषित ₹ 1200.00 करोड़ लागत की परियोजना के निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

उपलब्धियाँ

- दिनांक 27 सितम्बर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 51 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में समस्त 51 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रपति महोदया एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी की उपस्थिति में 02 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में निम्न छः श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- **राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पर्वतीय क्षेत्र में प्रथम स्थान**
- **ओ0डी0एफ0 प्लस–बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।**
- **ओ0डी0एफ0 प्लस–गोबरधन पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।**
- **ओ0डी0एफ0 प्लस–प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।**
- **ओ0डी0एफ0 प्लस–ग्रे वाटर पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।**
- **ओ0डी0एफ0 प्लस–फीकल स्लज प्रबन्धन पर दीवार चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान।**

स्रोतः पेयजल निर्माण निगम, उत्तराखण्ड

राजकीय सिंचाई

14.7 राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्य कार्य नहरों, पम्प नहरों, नलकूपों के निर्माण एवं जलाशय निर्माण व रखरखाव तथा बाढ सुरक्षा कार्यो का सम्पादन करना है। राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। दिसम्बर 2022 तक विभाग के अधीन 3071 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1706 नलकूप व 282 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.065 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.600 लाख है0 व 2.223 लाख है0, कुल 4.823 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.230 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में वास्तविक सींच में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। राज्य में सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल लगभग 6.905 लाख है0 है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधीन सिंचित क्षेत्रफल 3.230 लाख है0 है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में विभाग को कुल ₹ 1838.00 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक विभाग को कुल ₹ 1838.70 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

राज्य गठन के समय विभाग में 2104 नहरें, 84 लघुडाल नहर व 667 नलकूप निर्मित थे, जिनका कमाण्ड क्षेत्र 2.609 लाख हैक्टेयर, सिंचन क्षमता 2.850 लाख हैक्टेयर तथा वास्तविक सींच 2.278

लाख हैक्टेयर थी।

राज्य गठन के बाद अब तक 967 नहरों, 198 लघुडाल नहरों एवं 1039 नलकूपों का निर्माण कर 1.973 लाख हैक्टेयर और सिंचन क्षमता सृजित की गई है, जिससे 0.952 लाख हैक्टेयर सींच में वृद्धि हुई है, जो एक सराहनीय कदम है।

राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है। नई नहरों, लघुडाल नहरों एवं नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिससे आगामी भविष्य में सिंचाई सुविधाओं का और विस्तार होगा, जिसका राज्य के कृषकों को लाभ मिलेगा।

तालिका 14.7
उत्तराखण्ड में वर्षवार सिंचाई अवस्थापना

वर्श Year	नहरों की लम्बाई (कि०मी०) Length of Canals (Km)	लघुडाल नहरों की संख्या Number of Lift Canals (No)	ट्यूबवेल (संख्या) Tubewells (No.)	सिंचाई राजस्व संग्रहण (लाख ₹) Revenue Collection By Irrigation (Lakh ₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014-15	12215	195	1376	1788.819
2015-16	12421	211	1503	2126.303
2016-17	12578	220	1529	10687.792
2017-18	12626	226	1628	23789.179
2018-19	13205	234	1679	18326.900
2019-20	13239	245	1686	1537.899
2020-21	13276	268	1700	1790.791
2021-22	13292	282	1704	1838.00
2022-23 (31.12.2022 तक)	13297	282	1706	1838.70

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

चार्ट 14.1

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 14.8
वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता

(लाख हेक्टेयर)

वर्ष year	सिंचन क्षमता						उपभोग					
	कुल राजकीय सिंचाई Total Sate Irrigation			बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large & Medium irrigation (Total State Irrigation Incuded)			राजकीय सिंचाई State Irrigation			बृहद एवं मध्यम सिंचाई (कुल राजकीय सिंचाई में भी सम्मिलित है) Large& Medium irrigation (Total state irrigation incuded)		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
2014–15	2.150	1.841	3.991	0.422	0.326	0.748	1.467	1.438	2.905	0.319	0.307	0.626
2015–16	2.296	1.970	4.266	0.422	0.326	0.748	1.462	1.572	3.034	0.319	0.307	0.626
2016–17	2.407	2.041	4.448	0.422	0.326	0.748	1.523	1.691	3.142	0.319	0.307	0.626
2017–18	2.422	2.061	4.483	0.422	0.326	0.748	1.599	1.645	3.244	0.319	0.307	0.626
2018–19	2.482	2.092	4.574	0.422	0.326	0.748	1.541	1.605	3.146	0.320	0.308	0.628
2019–20	2.567	2.164	4.731	0.422	0.326	0.748	1.634	1.588	3.222	0.320	0.308	0.628
2020–21	2.576	2.175	4.751	0.422	0.326	0.748	1.638	1.593	3.231	0.322	0.309	0.631
2021–22	2.599	2.222	4.821	0.422	0.326	0.748	1.644	1.581	3.225	0.323	0.310	0.633
2022–23 (31.12. 2022 तक अनुमानित)	2.600	2.223	4.823	0.422	0.326	0.748	1.646	1.584	3.230	0.324	0.311	0.635

स्रोतः राजकीय सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड (सांख्यिकीय डायरियों में संकलित)।

तालिका 14.9
गत सात वर्षो के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	विवरण	वर्षवार क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्यो /योजनाओ का विवरण						
		वर्ष 2016–17	वर्ष 2017–18	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23 (31.12. 2022 तक अनुमानित)
1	वर्षवार निर्मित नहर (सं0 में)	46	26	8	34	46	18	2
2	वर्षवार निर्मित नहरों की लम्बाई (कि0मी0)	157.226	48.616	577.72	34.508	37.11	15.83	5.00
3	वर्षवार निर्मित नलकूप (सं0 में)	26	99	51	7	14	4	2
4	वर्षवार निर्मित लघुडाल नहर (सं0 में)	9	6	9	11	23	14	–
5	कमाण्ड क्षेत्र में वर्षवार वृद्धि (लाख है0)	0.170	0.040	0.059	0.007	0.092	0.050	0.005
6	वर्षवार सृजित सिंचन क्षमता (लाख है0)	0.182	0.035	0.091	0.157	0.020	0.070	0.002
7	वास्तविक सींच (लाख है0) खरीफ	1.523	1.599	1.541	1.634	1.638	1.644	1.646

8	वास्तविक सींच (लाख है0) रबी	1.619	1.645	1.605	1.588	1.593	1.581	1.584
9	वर्ष के अंत में कमाण्ड क्षेत्र (लाख है0)	3.815	3.855	3.914	3.921	4.013	4.063	4.065
10	वर्ष के अंत में सिंचन क्षमता (लाख है0)	4.448	4.483	4.574	4.731	4.751	4.821	4.823

स्रोतः राजकीय सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

14.7.1 सिंचाई सुविधाओं में आधुनिक तकनीकों का प्रयोगः– सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के क्रम में नलकूप निर्माण एवं लघुडाल निर्माण की योजनाओं स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई किये जाने हेतु जनपद देहरादून, चमोली एवं जनपद पौडी में स्प्रिंकलर आधारित Lift Scheme से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने (लागत ₹ 22.79 करोड़) हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है।

14.7.2 वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन– राज्य के पर्वतीय जनपदों में प्राकृतिक स्त्रोतों को पुर्नजीवित एवं वर्षा जल का पेयजल एवं सिंचाई में प्रयोग को बढावा देने हेतु जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये है, जिसके अन्तर्गत अल्मोड़ा में बैराज निर्माण कर जनपद अल्मोड़ा शहर की जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। जनपद अल्मोड़ा के मोहनारी गदेरे में मोहनारी वियर का निर्माण, सौगड गदेरे में वियर का निर्माण, जनपद बागेश्वर में बैजनाथ झील का निर्माण, जनपद देहरादून के अम्बीवाला गाँव में बहुद्देशीय जलाशय तथा जनपद देहरादून में जाखन नदी में सूर्यधार बैराज का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

चम्पावत के लोहाघाट में कोलीढ़ेक में बहुउददेशीय जलाशय के निर्माण का कार्य जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण का कार्य, जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी में जलाशय तथा जनपद पौड़ी में ल्वाली झील का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद पौड़ी के अंतर्गत पुण्डेरी, मारखोला, पापड़तोली, पैठाणी, स्यूंसी, खैरासैण, सतपुली व सकमुण्डा कुल आठ स्थानों पर एवं देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी (मालडुंग) जलाशय, जनपद चमोली के गैरसैण में रामगंगा नदी में जलाशय जनपद अल्मोडा में तडागताल झील, जनपद चम्पावत में दीप्तेश्वर झील, कुर्म सरोवर जलाशय, श्यामलाताल के निर्माण हेतु डी0पी0आर0 गठन का कार्य किया जा रहा है।

1 जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना :– अनुमानित लागत ₹ 2584.00 करोड़

- जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर हेतु 117 MLD पेयजल सुविधा।
- 14 मेगावॉट विद्युत उत्पादन (63.4 Million Unit)
- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के 150027 हैक्टेयर कमाण्ड में उत्तर प्रदेश में 47,607 हैक्टेयर एवं उत्तराखण्ड में 9,726 हैक्टेयर कुल 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन।

2 सौंग बाँध पेयजल परियोजना :– अनुमानित लागत ₹ 1580.00 करोड़

- देहरादून एवं उप नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी हेतु 150 MLD पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- योजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त।

निर्मित / निर्माणाधीन जलाशय

- जनपद चम्पावत के कोलीढेक झील का निर्माण (लागत ₹ 30.76 करोड़)–
- लोहाघाट भाहर को पेयजल हेतु 3.375 एम0एल0डी0 स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोलीढेक झील का कार्य निर्माणाधीन है।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 29.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- जनपद पिथौरागढ़ में थरकोट झील का निर्माण (लागत ₹ 32.01 करोड़) : –
- पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने हेतु बैराज निर्माण गतिमान।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 18.41 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं सवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- जनपद अल्मोडा में गगास नदी में जलाशय का निर्माण (लागत ₹ 31.27 करोड़) :–
- जनपद अल्मोड़ा में गगास नदी पर जलाशय का निर्माण कार्य गतिमान है।
- योजना की स्वीकृति माह मार्च 2018 में प्रदान की गई।
- योजना के निर्माण से रानीखेत क्षेत्र को पेयजलहेतु 15 एम0एल0डी0 जल उपलब्धता व 96 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी।
- योजना में वर्तमान तक ₹ 13.40 करोड का व्यय किया जा चुका है।
- योजना का निर्माण जून, 2023 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के निर्माण से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- **नमामि गंगे योजना**
- नमामि गंगे योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य विगत वर्षों में सर्वाधिक योजनायें पूर्ण कर देश में प्रथम स्थान पर है।
- **पूर्णकार्यः–**

  नमामि गंगे योजना में 09 स्नान एवं 13 शमशान घाट का निर्माण कार्य–पूर्ण।

  योजना की कुल लागत– ₹ 58.57 करोड।

  जनपद हरिद्वार में हर की पैडी के पुनरूदार का कार्य लागत– ₹ 34.00 करोड़।
- **निर्माणाधीन कार्यः–**
- जनपद उत्तरकाशी में स्थित मनेरी में सरस्वती शिशु मन्दिर के समीप नदी के दाहिने तट पर, स्नान घाट एवं मोक्ष घाट का निर्माण कार्य लागत– ₹ 7.13 करोड़।

लघु सिंचाई

14.8 लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाले अप्रयुक्त सतही पानी को रोक कर सिंचाई हेतु उपयोग में लाने, राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप सिंचाई हेतु भू–जल, सतही प्रवाह एवं सतही लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, सिंचाई लागत को कम करने हेतु सोलर चालित पम्पसेट के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

विभाग द्वारा कृषकों की इनपुट लागत कम करने तथा उनकी आय बढ़ाने हेतु सोलर पम्पसेटों की स्थापना, आर्टीजन कूपों का निर्माण, डीजल पम्पसेट को सोलर पम्पसेट में परिवर्तित करने का कार्य, जल संरक्षण एवं संबर्द्धन को बढ़ावा देने हेतु रिचार्ज शाफ्ट एवं छोटे चैक डेम का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पानी की बचत एवं जल उपयोग दक्षता के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप / स्प्रिंकलर) की स्थापना का कार्य भी किया गया है।

लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2022 तक 46 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 21 सोलर लिफ्ट योजना, 41085 सिंचाई हौज, 1433 हाईड्रम, 56,565 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम / गहरी बोरिंग, 31609 कि0मी0 सिंचाई गूल, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,48,941 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 16 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजना, 137 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 35 बोरिंग पम्पसेट, 170 कि0मी0 सिंचाई गूल, 288 सिंचाई हौज एवं 1 आर्टीजन कूप का निर्माण / स्थापना कर 2881 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

तालिका 14.10
उत्तराखण्ड में निजी लघु सिंचाई कार्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ

वर्ष Year	बोरिंग पम्प सेट / Boring Pump sets (No.)	गहरे / मध्यम नलकूप Deep/Medium Tubewells (No.)	हाईड्रम Hydrums (No.)	सोलर लिफ्ट योजना Solar Lift Schemes (No.)	बोरिंग पम्पसेट– सोलर Solar Boring Pumpsets (No.)	हौज Tanks (No.)	सिंचाई गूल Irrigation Gule (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017–18	55784	731	1448	–	–	38784	30711
2018–19	55979	731	1448	–	–	39471	30951
2019–20	56217	731	1433	–	–	40003	31212
2020–21	56431	731	1433	–	–	40549	31449
2021–22	56565	731	1433	21	46	41085	31609

स्रोतः लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

14.8.1 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. सोलर पम्प आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण : राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि भूमि, उपलब्ध जल स्रोतों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है,

में सोलर पम्प से पानी को अपलिफ्ट कर, कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 227.02 लाख लागत की 18 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 18 सोलर लिफ्ट योजनाओं का निर्माण प्रस्तावित हैं।

2. भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण : राज्य के मैदानी जनपदो में भूजल स्तर के पुनर्भरण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भू–कटाव को रोकने, जल संरक्षण व संबर्द्धन हेतु भूजल संरक्षण/संबर्द्धन हेतु पुनर्भरण व संग्रहण योजनाओं का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये ₹ 223.54 लाख लागत की 28 योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जिसके अन्तर्गत 12 छोटे चैक डेम, 12 छोटे तालाब तथा 42 रिचार्ज भााफ्ट का निर्माण प्रस्तावित है।

3. नाबार्ड वित्तपोशित योजनाः– नाबार्ड वित्तपोषित, लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण मद में सोलर लिफ्ट योजना, सोलर बोरिंग पम्पसेट, छोटे चैक डेम, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पाईप लाईन योजना आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नाबार्ड वित्तपोषित योजना RIDF-XVII के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2022 तक 56 छोट चैक डेम का निर्माण किया गया है।

4. आर्टीजन कूपों का निर्माण :– ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर्टीजन कूपों के निर्माण हेतु ₹ 60.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2022 तक 01 आर्टीजन कूप का निर्माण किया गया है।

5. स्पेशल कम्पोनेट सब प्लान–एस.सी.एस.पी.:– अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2022–23 में एस0सी0एस0पी0 मद में ₹ 400.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर, 2022 तक 328 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

6. ट्राईबल सब प्लान–टी.एस.पी:– अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल एवं हौज पाईप लाईन आदि का निर्माण कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में टी0एस0पी0 मद में ₹ 90.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। माह दिसम्बर 2022 तक 70 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

14.8.2 केन्द्रपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित योजनायें

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी :– केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना–हर खेत को पानी (सतही लघु सिंचाई योजना) मद में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–24 हेतु ₹ 34939.33 लाख लागत की 422 कलस्टर/योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजनान्तर्गत 19524 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक 2105 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल):– केन्द्रपोषित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–हर खेत को पानी (भूजल) मद के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 1589.20 लाख लागत की 206 पम्पसेट योजनायें स्वीकृत की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में 188 सोलर पम्पसेट तथा 18 विद्युत पम्पसेट योजनाओं का निर्माण/स्थापना करते हुए 1030 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 9424.24 लाख

लागत की 24 योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेशित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 1022 सोलर पम्पसेट योजनाओं के निर्माण से 4643 हैक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का प्रस्ताव है।

3. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम (पी0एम0कुसुम)ः— कम्पोनेन्ट—बी के अन्तर्गत जैविक ईधन आधारित ऊर्जा पर निर्भरता को कम किये जाने एवं सौर ऊर्जा में अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में कृषकों के व्यक्तिगत संचालित डीजल सिंचाई / पम्पस के स्थान पर 10.00 एच0पी0 तक के सोलर पम्पस स्थापित किये जाने है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1838 डीजल पम्पस् के स्थान पर सोलर पम्पस स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर 2022 तक 311 डीजल पम्पसेटों को सोलर पम्पसेटों में परिवर्तित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 953.33 लाख का व्यय करते हुए 51 सोलर पम्पसेट एवं 18 इलैक्ट्रिक टयूबवैल का निर्माण करते हुए 255 हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

जलागम प्रबन्धन

14.9 जलागम विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पतियों का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। परियोजना कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर उत्पादकता एवं ग्रामीण समुदाय की क्षमता का विकास करते हुये आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते है।

सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र का जलागम के आधार पर उपचार हेतु सम्पूर्ण विकास की योजना का निर्माण किया गया जिसमें हरिद्वार को छोडकर प्रदेश के भोश भू—भाग को 1110 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में विभक्त किया गया जिनका उपचार भानैः—भानैः किया जाना है। इन 1110 सूक्ष्म जलागमों में से 188 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र हिमाच्छादित अथवा अभ्यारण्य क्षेत्र में हैं, जिनमें उपचार नहीं किया जा सकता है। अवशेष 922 सूक्ष्म जलागम में से विभागीय वाह्य सहायतित तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 464 सूक्ष्म जलागम का उपचार जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा तथा 291 सूक्ष्म जलागम का उपचार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मार्च 2019 तक किया गया है। वर्तमान में जलागम प्रबन्ध की विभागीय केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत 25 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जा रहे हैं तथा वाह्य सहायतित परियोजनाओं में 56 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जलागम विकास के कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। उक्त उपचारित एवं वर्तमान में उपचार किये जा रहे सूक्ष्म जलागम में से 148 सूक्ष्म जलागमों को पुनः उपचारित किया गया। वर्तमान में 433 सूक्ष्म जलागमों का उपचार किया जाना अवशेष है। जिसका विवरण निम्नवत है—

तालिका 14.11
जलसमेट क्षेत्र, जलागम, उप जलागम एवं सूक्ष्म जलागमों का विवरण

क्र0 सं0	जलसमेट क्षेत्र का नाम	जलागमों की संख्या	उप जलागमों की संख्या	सूक्ष्म जलागमों की संख्या
1	यमुना	5	19	161
2	गंगा ''अ''	2	5	56
3	गंगा ''ब''	2	12	88
4	भागीरथी	2	18	159

5	अलकनन्दा	5	22	207
6	रामगंगा	3	11	87
7	कोसी	4	13	117
8	काली	3	16	235
	कुल	26	116	1110

स्रोतः जलागम विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 14.12
जनपदवार सूक्ष्म जलागमों की अध्यावधिक स्थिति

क. सं.	जनपद	सूक्ष्म जलागम संख्या	सूक्ष्म जलागम जिनका उपचार सम्भावित नहीं	उपचार योग्य सूक्ष्म जलागम सं0	जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा उपचारित सूक्ष्म जलागम*					अन उपचारित सूक्ष्म जलागम
					वर्ष 2000 से पूर्व	वर्ष 2000 के उपरान्त	वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही पी0एम0के0एस0वाई WDC 2-0	कालम 6 में से पुनः उपचारित	कुल उपचारित + कार्यान्वित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**अल्मोड़ा**	99	1	98	4	28	10	2	40	58
2	**बागेश्वर**	59	2	57	0	41	0	0	41	16
3	**चमोली**	139	36	103	2	30	0	0	32	71
4	**चम्पावत**	41	0	41	4	20	0	4	20	21
5	**देहरादून**	94	12	82	0	60	0	1	59	23
6	**नैनीताल**	71	8	63	8	38	0	0	46	17
7	**पौड़ी गढवाल**	126	18	108	43	43	6	18	74	34
8	**पिथौरागढ**	129	42	87	0	35	9	0	44	43
9	**रुद्रप्रयाग**	45	4	41	5	23	0	0	28	13
10	**टिहरी गढ़वाल**	131	17	114	37	25	0	0	62	52
11	**उधमसिंहनगर**	11	0	11	0	2	0	0	2	9
12	**उत्तराकाशी**	165	48	117		41	0	0	41	76
	योग	**1110**	**188**	**922**	**103**	**386**	**25**	**25**	**489**	**433**

स्रोतः जलागम विभाग, उत्तराखण्ड।

*** वित्तीय वर्ष 2022–23 में जलागम विभाग हेतु स्वीकृत विश्व बैंक वित्त पोषित नवीन वाह्य सहायतित ''उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना'' के अन्तर्गत चयनित 56 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों को उपचारित किया जाना प्रस्तावित है।**

14.9.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 में संचालित की जा रही परियोजनाओं का विवरण–

1. केन्द्र वित्त पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0ः– जलागम विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबन्धन के माध्यम से वर्षा आधारित/निम्नकोटी भूमि की उत्पादक क्षमता में सुधार करना है तथा ग्रामीण समुदायों का संस्थागत सुदृढीकरण एवं क्षमता विकास करते हुए उनकी सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा आजीविका सम्बन्धित गतिविधियों के माध्यम से आय में वृद्धि करना है। योजना के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षो हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (माह जनवरी 2021 से प्रभावी) तक राज्य के तीन जनपदों पौड़ी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ हेतु 12 परियोजनाए स्वीकृत की गयी हैं। तीनों जनपदों के 11 विकासखण्डों के 25 सूक्ष्म जलागमों के 70231 हैक्टर क्षेत्रफल में क्रियान्वित की जायेगी। परियोजना से 370 ग्राम पचायतों के 918 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना लागत धनराशि ₹ 196.65 करोड़ (90ः केन्द्रांश धनराशि ₹ 176.98 करोड़ एवं 10ः राज्यांश ₹ 19.67 करोड़) है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 हेतु निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ₹ 98.97 करोड़ (अवमुक्त धनराशि ₹ 12.29 करोड़) के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 7.05 करोड़ का व्यय हुआ है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजनाः– केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है इनमें अनुसूचित जाति उप योंजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कराया जायेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास घटक 2.0 के अन्तर्गत चयनित 25 सूक्ष्म जलागमों में से ऐसे 143 राजस्व ग्राम अनुसूचित जाति उप योजना से आच्छादित है।

2. जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना (वाह्य सहायतित परियोजना)ः– सामुदायिक सहभागिता से जलागम विकास की अवधारणा पर वैश्विक पारिस्थितिकी/पर्यावरण लाभ और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन भू–दृश्य के संरक्षण के लिये कृषि क्षेत्रों में सुधार/प्रोत्साहन के दृष्टिगत जनपद पौडी गढवाल के राजाजी कार्बेट वन्य जीव कोरिडोर तथा कार्बेट वन्य जीव परिदृश्य क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 3,73,290 हैक्टेयर में 5.87 मिलियन अमेरिकन डॉलर (लगभग रु0 41 करोड़) लागत की जैफ वित्त पोषित जैफ–6 ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2019–20 से किया जा रहा है, जो वर्ष 2025–26 में पूर्ण होगी। परियोजना की राष्ट्र स्तरीय क्रियान्वयन संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) है। परियोजना से पौड़ी जनपद के 07 विकासखण्डों (दुगड्डा, द्वारीखाल, जहरीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, बीरोखाल, यमकेश्वर) की 504 ग्राम पंचायतों के 1131 राजस्व ग्राम लाभान्वित होंगे। परियोजना में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर 36 ग्राम पंचायतों के 99 राजस्व ग्रामों के चयन को अंतिम रूप दिया गया है, जहां परियोजना कार्य किया जा रहा है। परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति शत–प्रतिशत अनुदान के माध्यम से होगी। आतिथि तक जैफ संस्था से परियोजना कार्यों हेतु ₹ 367.34 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में माह दिसम्बर, 2022 तक धनराशि ₹ 101.34 लाख तथा परियोजना प्रारम्भ से कुल धनराशि ₹ 196.26 लाख का व्यय हुआ है।

परियोजना के घटक

घटक—1: भारत के कृषि क्षेत्र में जैव विविधता (BD), सतत भूमि प्रबन्धन (SLM), जलवायु परिवर्तन शमन (CCM) एवं सतत वन प्रबन्धन (SFM) नीतियों, प्राथमिकताओं और प्रथाओं को सक्षम करने के लिये सक्षम ढांचे एवं संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करना।

आउटकम— 1.1: राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थागत, नीति और कार्यक्रम ढांचे को कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को एकीकृत करने के लिए मजबूत करना।

आउटकम— 1.2: राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर क्रॉस—सेक्टोरल ज्ञान प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रणाली में वृद्धि।

घटक—2: स्थायी उत्पादन, आजीवन आजीविका प्रगति, निवास स्थान में सुधार तथा मूर्त जैव विविधता, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन शमन, और सतत् वन प्रबन्धन लाभ का प्रदर्शन करते हुये कृषि व संरक्षण प्रथाओं में सुधार।

आउटकम— 2.1: ग्रीन लैंडस्केप योजना और प्रबंधन में निर्णय लेने के लिए जिला और ग्राम स्तर पर संस्थागत ढांचे, तंत्र और क्षमता को मजबूत करना।

आउटकम— 2.2: परिवारों और समुदायों को कृषि—पारिस्थितिकी प्रथाओं में संलग्न होने में सक्षम एवं प्रोत्साहित करना।

घटक—3: परियोजना प्रबन्धन समर्थन।

3. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (नवीन वाह्य सहायतित परियोजना):— उत्तराखण्ड राज्य में विस्तृत बारानी कृषि क्षेत्र पर स्थानीय कृषकों की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए ''राज्य के चयनित भू—परिदृश्य क्षेत्रों में वर्शा आधारित पर्वतीय कृषि प्रणाली को जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणाली के रूप में विकसित करने'' के उददेश्य से जलागम प्रबन्ध विभाग हेतु एक नवीन परियोजना ''उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना'' के प्रस्ताव पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा सैद्वान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। छः वर्शीय इस परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2023 से प्रारम्भ होगा। परियोजना राज्य के आठ जनपदों यथा अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर के 13 विकासखण्डों के 56 सूक्ष्म जलागमों में संचालित की जायेगी। परियोजना से उक्त आठ जनपदों के 2,55,336 हैक्टेयर क्षेत्रफल में व्यवस्थित 1138 राजस्व ग्रामों के लगभग 73,922 परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना की कुल लागत 131.10 मिलियन यू0एस0 डालर है (लगभग ₹ 1,000 करोड़), जिसमें विश्व बैंक का अंश 100 मिलियन यू0एस0 डालर, राज्य का अंश 26.25 मिलियन यू0एस0 डालर तथा लाभार्थी अंश 4.85 मिलियन यू0एस0 डालर है। कुल परियोजना लागत लगभग ₹ 1000 करोड़ में से लगभग ₹ 762 करोड़ की धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य होगी।

14.9.2 जलागम प्रबन्धन विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में संचालित परियोजनाओं का विवरण—

1. विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना द्वितीय चरण–

• परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करना है। 7 वर्षीय यह परियोजना दिनांक 15 जुलाई, 2014 से प्रभावी हुयी तथा 31 जनवरी, 2022 में पूर्ण हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में परियोजना का समेकन कार्य पूर्ण किया गया।

• परियोजना की कुल लागत 156 मिलियन यू0 एस0 डॉलर (लगभग ₹ 1070 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक का अंश 109.2 मिलियन यू0 एस0 डॉलर, राज्यांश 40.2 मिलियन यू0 एस0 डॉलर तथा लाभार्थी अंश 6.6 मिलियन यू0 एस0 डॉलर है।

• परियोजना प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपदों (देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़) के 18 विकासखण्ड के 82 सूक्ष्म जलागम के 2,63,837 हैक्टर क्षेत्र में कार्यान्वित की गई, जिसमें 527 ग्राम पंचायतों के 1057 राजस्व ग्रामों के लगभग 66,000 परिवार लाभान्वित हुये।

• परियोजना प्रारम्भ से परियोजना समाप्ति तक किये गये कार्यों में लाभार्थी अंश ₹ 55.11 करोड़ सहित, कुल धनराशि ₹ 1074.86 करोड़ प्रगति/व्यय किये गये, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 754.36 करोड़ (107.28 मिलियन यू.एस. डालर) की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की गई।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण वाह्य मूल्यांकन एजेंसी, सूत्रा लि0 के अनुसार परियोजना की उपलब्धियां–

परियोजना विकास उद्देश्य सूचक	प्राप्त परियोजना प्रगति
सूचक–1 जल स्रोतों में जल उपलब्धता वृद्धि – 25%	हाईड्रोलौजिकल कन्सल्टैन्सी के आंकलन के अनुसार परियोजना अन्तर्गत उपचारित 2054 जल स्रोतों में जल उपलब्धता में मॉनसून पूर्व– 13.3% से 25.5% एवं मॉनसून पश्चात– 13.8% से 33.7% वृद्धि हुई।
सूचक–2 जैवभार में वृद्धि– 20%	जैवभार में वृद्धि– 20.7%
सूचक–3 बारानी क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि– 5262 हे0 से बढकर 7800 हेक्टेयर	बारानी क्षेत्र में 5359 है0 क्षेत्रफल वृद्धि से कुल सिंचित क्षेत्रफल बढ़कर 10621.30 हे0 हुआ।
सूचक–4 सिंचन क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि – 50% एवं असिंचन क्षेत्र उत्पादकता में वृद्धि– 20 %	सिंचित फसल– 60% बारानी फसल– 33%
सूचक–5 परियोजना से सीधे लाभान्वित परिवार - 45,000 परिवार, जिसमें से महिलाओं का प्रतिशत	लाभान्वित परिवार– 50,866 महिलाओं का प्रतिशत– 17.3%

स्रोतः जलागम विभाग, उत्तराखण्ड।

1. सूक्ष्म जलागमों की जल उत्पादकता एवं जल स्रोतों का पुनर्भरण/जलस्तर में वृद्धि

• चिन्हित जल स्रोतों में से 2034 जल स्रोतों में प्री मानसून डिस्चार्ज 13.3% से बढ़कर 25.0% हो गया है। मानसून के बाद की अवधि में वाटर डिस्चार्ज में प्रतिशत वृद्धि 13.8% से 33.7% तक हुई है।

• 8 प्रतिनिधि सूक्ष्म जलागमों में बंजर भूमि में औसत कमी 1.77% है।

• प्रतिनिधि सूक्ष्म जलागमों में कृषि और वन में औसत वृद्धि क्रमशः 5.1% तथा 0.37% है।

• सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की औसत जल उपलब्धता में लगभग 21 लाख घन मीटर की वृद्धि।

2. जल संरक्षण, सम्भरण एवं जल स्रोतों का उपचार

• 10,05,589 घन मी0 क्षमता की विविध परकुलेशन संरचनायें, यथा डगआउट पॉण्ड, चाल खाल, रिचार्जपिट, खन्तियॉ आदि निर्मित होने से चिन्हित 2054 प्राकृतिक जल स्रोतों में से 2034 जल स्रोतों के जल उत्सर्जन में सकारात्मक वृद्धि।

3. बारानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा विकास एवं उत्पादकता वृद्धि

• सिंचाई हेतु विविध संग्रहण संरचनायें निर्मित कर 90,651 घन मी0 जल संग्रहण क्षमता अर्जित की गई।

• बारानी कृषि क्षेत्रों में उन्नत बीजों एवं नवीन कृषि तकनीकों के अंगीकरण से कृषि उत्पादकता में 33.1 प्रतिशत वृद्धि हुई।

4. सिंचाई सुविधा हेतु सौर ऊर्जा का प्रयोग

• परियोजना के माध्यम से 24 सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किये जा चुके है, जिनके माध्यम से इन ग्रामों में लगभग 241.68 हे0 बारानी कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई।

5. परती भूमि का पुनरुद्धार

• परियोजना के अंतर्गत लगभग 2530 हेक्टेयर परती भूमि में कृषि तथा उद्यान स्थापना गतिविधियों के माध्यम से कृषिमय भूमि में परिवर्तित गई।

6. कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन

• परियोजना के अन्तर्गत 17,488 कृषकों को 1,488 इच्छुक कृषक समूहों में संगठित किया गया।

• कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु 1259 समूहों के 13,938 कृषकों को 21 कृषक संघों में संगठित कर, स्वायत्त सहकारिता के रूप में पंजीकृत किया गया।

• उक्त कृषक समूहों/संघों द्वारा लगभग ₹ 106.958 करोड़ के कृषि उत्पादों का व्यवसाय किया गया है तथा ₹ 3.403 करोड़ की बचत अर्जित की गयी।

7. कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना

उत्तराखण्ड सरकार की दूरगामी सोच के अनुरूप परियोजना के अंतर्गत दूरस्थ गांवों के सीमांत किसानों, छोटे कारीगरों और लघु उद्यमियों को बाजार की मांग के अनुरूप, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण आदि की जानकारी, आवश्यक सामग्री एवं सुविधाओं आदि के साथ–साथ क्रेताओं से संपर्क जैसी सभी सुविधाएं, एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है।

ग्राम्या–2 परियोजना के अंतर्गत 10 कृषिव्यवसाय ग्रोथ सेंटर यथा टिहरी प्रभाग में ख्यार्सी, पी.एम.यू. प्रभाग में ककनावा मयचक तलाई, बागेश्वर प्रभाग में शामा, पिथौरागढ़ प्रभाग में नाचनी, देहरादून प्रभाग में पुनाह पोखरी, अल्मोड़ा प्रभाग में फल्याट, पौडी प्रभाग में सिमारखाल, पौडी प्रभाग में अमोठा गूंठ, रुद्रप्रयाग प्रभाग में डोबलिया तथा उत्तरकाशी प्रभाग में धिवरा ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

8. अन्य आय अर्जक गतिविधियाँ

• निर्बल वर्ग कोष गतिविधि के अन्तर्गत 8615 एकल तथा 1040 समूहों, इस प्रकार कुल 14,148 निर्बल वर्ग परिवारों को गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता दी

गयी तथा प्रति परिवार ₹ 20,000 से 23,000 की वार्षिक औसत आय प्राप्त हुयी।

• विभिन्न गतिविधियों से परियोजना क्षेत्रों में 89,82,164 मानव दिवस सृजित गये।

2. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि वित्त पोषित (IFAD) एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

• परियोजना का उद्देश्य चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता में वृद्धि तथा कृषकों से सम्बन्धित कृषि, चारा, पशुपालन, उद्यान इत्यादि के अन्तर्गत उत्पादकता/क्षमता में वृद्धि कर आजीविका विकास करना है, जिसके अनुरूप परियोजना क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया गया।

• परियोजना 2012 में प्रारम्भ होकर मार्च 2021 में पूर्ण हो गई है। जिसका कार्यान्वयन पौड़ी, नैनीताल एवं चम्पावत जनपदों के सात विकासखण्डों के अंतर्गत 22 सूक्ष्म जलागमों के 70,194 हैक्टर में किया गया, जिससे 190 ग्राम पंचायतों के 381 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक परियोजना समेकन कार्य किया गया।

• परियोजना की कुल लागत ₹ 286.94 करोड़ है, जिसके सापेक्ष परियोजना प्रारम्भ से माह दिसम्बर 2021 तक कुल ₹ 282.18 करोड़ व्यय किया गया।

• परियोजना मूल्यांकन एवं अनुश्रवण संस्था के अनुसार उपलब्धियां

• परियोजना के अन्तर्गत संस्थागत सुदृढ़ीकरण व क्षमता विकास के कार्यक्रमों द्वारा परियोजना की कार्यदायी समिति जल एवं जलागम प्रबन्ध समिति में 66% महिलाओं की भागीदारी रही।

• ग्राम एवं जलागम विकास कार्यक्रमों द्वारा वनीकरण, औद्यानिकीरण मृदा एवं जल संरक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विकास तथा नवीन कृषि तकनीकों के उपयोग में कृषि सुधार हेतु अनुकूल परिस्थितयॉ निर्मित की गयी।

• जिसके अन्तर्गत क्षेत्रों के 306 प्राकृतिक जल स्रोतों का उपचार किया गया। जिससे जल उत्सर्जन में मानसून से पूर्व 7% से 10% व मानसून के उपरान्त 13% से 20% की वृद्वि हुई।

• जैव–भार (बायोमास) में 12% की वृद्वि हुई।

• मृदा क्षरण में 10% से 17% की कमी प्राप्त हुई।

• जल संरक्षण व सिंचाई सुविधाओं के विकास से 2139 हे0 अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई।

• परियोजना क्षेत्रों में उर्जा संरक्षण के दृष्टिगत 44 ग्राम पंचायतों में 44 सोलर वाटर पम्प द्वारा जल उपलब्धता प्रदान की गई, जिससे 90 हे0 भूमि अतिरिक्त सिंचित की गयी।

• विभिन्न कृषि एवं सिंचाई के उन्नत तकनीको के प्रयोग से 271 हे0 बंजर/अकृष्य भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया।

• परियोजना के अन्तर्गत नवीन कृषि तकनीको द्वारा 79ः परिवारों को भी लाभान्वित किया गया।

• परियोजना द्वारा क्षेत्रों में समान वर्गो को प्रतिनिधित्व देते हुए खाद्य सुरक्षा एवं सम्बर्द्धन तथा कृषि व्यवसाय गतिविधियों को प्रोत्साहित कर भारत सरकार के "किसानों की आय को दोगुना" करने के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखते हुए अनेक अभिनव प्रयास किये गये।

• जिस हेतु परियोजना क्षेत्रों में 1949 उत्पादक समूहों एवं निर्बल उत्पादक समूहों का गठन किया गया। परिणामस्वरूप परियोजना में 98ः परिवारों हेतु खाद्य उपलब्धता में कमी नहीं हुई।

• ग्रामीणों को व्यवसाय हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रों में 30 आजीविका संघों को गठन किया गया।

• बाजार उपलब्धता के अवसर विकसित कर कृषि उत्पादों के संग्रहण एवं विपणन हेतु 30 संग्रहण केन्द्र, 90 लघु संग्रहण केन्द्र एवं 7 एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर यथा नैनीताल में अमेल, बोहराकोट व मल्लाकोट, चम्पावत में गोशनी व कालचक्र देवता तथा पौड़ी में कोटली व पिनानी का निर्माण किया गया, जिससे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणों द्वारा आजीविका में संवर्द्धन किया गया। इसका परिणाम यह रहा कि 80% परिवारों को कृषि उत्पादों की आय में वृद्धि प्राप्त हुई, 89% परिवारों द्वारा संग्रहण केन्द्रों का उपयोग कर अपने कृषि उत्पादों हेतु बाजार उपलब्ध होने पर विपणन किया जाता है। परियोजना समाप्ति पर आजीविका सघों द्वारा औसतन कुल 350 लाख का टर्न ओवर सहित धनराशि ₹ 514 लाख का शेयर कैपिटल उपलब्ध थी, जिससे स्पष्ट है कि परियोजना द्वारा कृषकों में सुदृढ़ता और स्वयं में संगठित होकर व्यवसाय करने की प्रेरणा जागृत हुई।

• पर्वतीय क्षेत्रों में मानव–वन्यजीव संघर्ष के अन्तर्गत घेरबाड़ कार्यक्रम–चेनलिंक फेन्सिंग को भी रोजगारपरक कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया गया, जिसमें चेनलिंक फेन्सिंग को विभाग द्वारा आजीविका सघों के माध्यम से 1.64 लाख रनिंग मीटर चेनलिंक फेन्सिंग को किराये पर संचालित किया गया। जिसके द्वारा 371 हे0 कृषि भूमि को सुरक्षित किया गया। परिणामस्वरूप 50 से 55% कृषि उत्पादों में वृद्धि प्राप्त हुई व मात्र चेनलिंक फेन्सिंग के किराये से ही कुल ₹ 13.23 लाख की आय आजीविका संघों को प्राप्त हुई।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

• समेकित जलागम प्रबन्ध कार्यक्रम (IWMP) को वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जलागम विकास घटक के रूप कार्यान्वित किया गया, जिसका वित्त पोषण 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया गया। आपदाग्रस्त जनपदों यथा बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी के 08 विकासखण्डों हेतु स्वीकृत कुल 07 परियोजनाओं के अन्तर्गत 47 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र में परियोजना कार्य किये गये। जिससे 264 ग्राम पंचायतों के 466 राजस्व ग्राम लाभान्वित हुये।

• कुल परियोजना लागत ₹ 150.41 करोड़ है, जिसके सापेक्ष कुल ₹ 38.97 करोड़ व्यय किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2021 को परियोजना की समेकन अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त अवशेष धनराशि केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार को एवं राज्यांश राज्य सरकार को समर्पित किया जा चुका है।

1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास अन्तर्गत अनुसूचित जाति उप योजना

ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक थी, उनमें अनुसूचित जाति उप योंजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत 59 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति उप योजना से आच्छादित थी। योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 7.40 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया।

2 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– जलागम विकास के अन्तर्गत जन जाति उप योजना

केन्द्र पोषित् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत ऐसे राजस्व ग्राम जिनमें जन जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक थी, उनमें जनजाति उप योजना के अन्तर्गत परियोजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलागम विकास के अन्तर्गत 12 ग्राम पंचायतें जनजाति उप योजना में आच्छादित हुईं। योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 1.17 करोड़ का वास्तविक उपयोग किया गया।

अध्याय–15
सड़क एवं रेल
Road and Train

''परिवहन उद्योग देश की लाइफ लाइन है''

परिवहन अवसंरचना देश के विकास की धमनी है। यह आर्थिक विकास के स्तम्भों में से एक है, हर विकास एक अच्छी और कुशल परिवहन प्रणाली पर निर्भर करता है और निसंदेह, सड़क परिवहन का मुख्य आधार है जिस पर परिवहन के सभी साधन निर्भर करते है।

भारतीय सड़क परिवहन प्रणाली उत्पादन और खपत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रदान करती है। इसलिए इसे देश की अर्थव्यवस्था के नियंत्रक के रूप में देखा जाता है। एक अच्छी परिवहन अवसंरचना एक अच्छी आर्थिक क्षमता को सशक्त और प्रकट करती है, सड़कों पर चलने वाले यातायात की मात्रा से किसी राष्ट्र की प्रगति और विकास को देखा और समझा जा सकता है।

भारत में मौजूदा परिवहन प्रणाली में रेल, वायु, सड़क और तटीय शिपिंग परिवहन शामिल है। भारत का परिवहन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। वास्तव में परिवहन ने दूरी के साथ–साथ सिस्टम के आउटपुट दोनों के संदर्भ में काफी वृद्धि दर्ज की है।

एक कुशल परिवहन प्रणाली नौकरियों, वस्तुओं, सेवाओं और गतिविधियों तक पंहुचने के लिए जनता और व्यवसायों की पहुंच को बढ़ाकर विकास को सशक्त बनाती है तथा किसी राष्ट्र में व्यवसायों एवं लोगों की उत्पादकता भी बढ़ाती है।

सरकार द्वारा देश तथा राज्य में विकास कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रकार के मंत्रालय तथा विभाग बनाये गये है यह विभाग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कार्य करते है। इन विभागों/ मंत्रालयों द्वारा सरकार देश तथा राज्य का विकास सुनिश्चित करती है। राज्य के समस्त विभाग विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है किन्तु कतिपय विभाग ऐसे है जिनके बिना देश अथवा राज्य का आर्थिक विकास किया जाना सम्भव नही है। इन्ही में से एक लोक निर्माण विभाग है। लोक निर्माण विभाग का मुख्य कार्य सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत करना है। उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य मे जहां रेल मार्ग, जल मार्ग तथा वायुमार्ग हेतु अत्यन्त सीमित सम्भावनायें है वहां लोक निर्माण का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सुदूरवर्ती गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु भी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को विपणन केन्द्रों तथा पहुँचाना चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सभी कार्यों हेतु सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़कें ही परिवहन का प्राचीनतम माध्यम है तथा मानव बसाव के प्रत्येक भाग तक सड़कों द्वारा पहुँचा जा सकता है। सड़कें परिवहन का सबसे सरलता से उपयोग किया जाने वाला माध्यम है। इसके अतिरिक्त सड़कें ही परिवहन के अन्य सभी माध्यमों का आधार है क्योकि सड़कों द्वारा परिवहन के अन्य माध्यमों तक पहुंचा जा सकता है।

सड़कों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता हैः–

1. **एक्सप्रेस वेः**– इनका निर्माण व रखरखाव का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय राजमार्गः**– इन राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

3. **राज्य राजमार्गः**– इन राजमार्गों के संचालन व रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य व केन्द्र सरकार की होती है।

4. जिला सड़केः— यह सड़कें विभिन्न जिलों को आपस में तथा मुख्य राज मार्गों से जोड़ती है।

5. ग्रामीण सड़केः— विभिन्न गांव को आपस में तथा अन्य उच्च श्रेणी की सड़कों से गांव को जोड़ती है।

6. सीमान्त सड़केः— इन सड़कों की मरम्मत व देखभाल का कार्य Border Roads Organisation द्वारा किया जाता है।

15.1 लोक निर्माण विभाग —

लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 तक 40457 किमी0 वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवं ट्रैक भी सम्मिलित हैं), का निर्माण कर लिया गया है। वर्ष 2022—23 के लिए इस हेतु ₹ 2720.82 करोड़ का प्राविधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2022—23 का लक्ष्य एवं दिसम्बर 2022 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा तालिका संख्या 15.1 में दर्शाया गया हैः—

तालिका 15.1

क्र0 सं0	मद	इकाई	लक्ष्य 2021—22	वर्ष 2021—22 की उपलब्धियां (माह मार्च 2022 तक)	लक्ष्य 2022—23	31.12.2022 तक की वास्तविक उपलब्धियां/31.03.2023 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
राज्य क्षेत्र	वाहन चलने योग्य सड़क	किमी0	621.08	737.06	552.77	401.75/552.77
	जल निकास	किमी0	621.08	737.06	552.77	401.75/552.77
	पक्की तथा विरालित सड़के	किमी0	583.46	799.53	967.93	785.83/967.93
	जीप चलने योग्य सड़क	किमी0	-	-	-	-
	पुल	सं0	34	29	28	10/28
	गॉव जुड़े	सं0	97	116	65	49/65

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

15.1.1 उत्तराखण्ड में दिनांक 31.12.2022 तक 13585 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा तालिका संख्या 15.2 में दर्शाया गया हैः—

तालिका 15.2

क्र0 सं0	सड़कों से जुड़े गॉव	31 मार्च की संख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)			31.12.2022 तक की वास्तविक उपलब्धियां/ 31.03.2023 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां (दिसम्बर, 2022 तक)
		2020	2021	2022	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1500 से अधिक आबादी वाले गॉव	839	839	839	848/848
2	1000–1499	564	564	567	568/568
3	500–999	1707	1726	1738	1763/1764
4	250–499	2990	3035	3078	3114/3119
5	250 से कम	7059	7092	7150	7292/7302
	कुल योग	**12345**	**13159**	**13372**	**13585/13601**

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 15.1

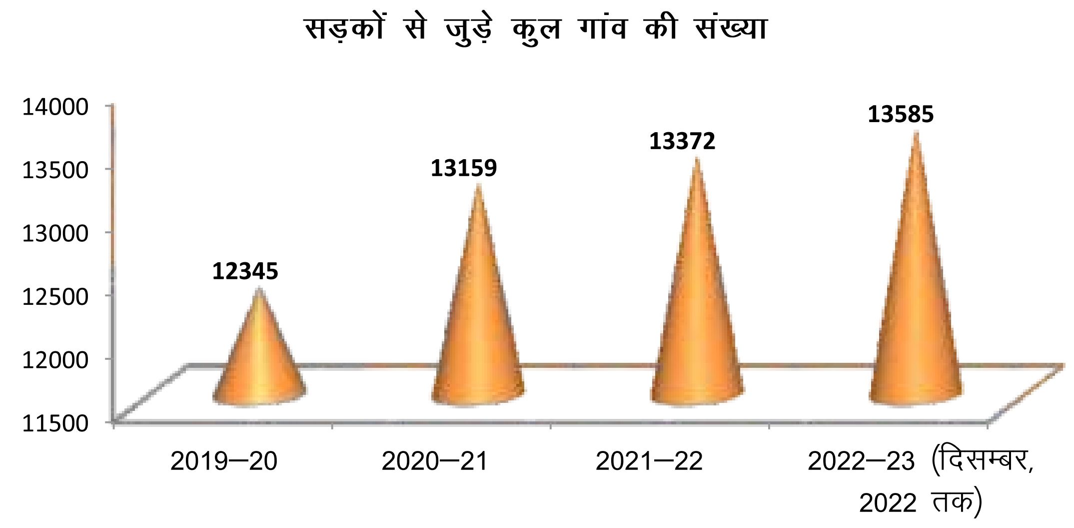

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

तालिका 15.3

राज्य में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0 में)

क्र0 सं0	मार्ग का श्रेणी	2000	2010	31 मार्च 2022 तक	2022–23 के लक्ष्य	31.12.2022 तक की वास्तविक उपलब्धियां / 31.03.2023 तक की प्रस्तावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	526	1345	2068	-	-
2	प्रादेशिक राजमार्ग	1233	3665	5755	-	-
3	मुख्य जिला मार्ग	1270	3040	3547	-	-
4	ग्रामीण मार्ग	5051	8954	20147	968	786/968
5	हल्का वाहन मार्ग	-	96	79	-	-
कुल योग		**8080**	**17100**	**31596**	**968**	**786/968**

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

चार्ट 15.2

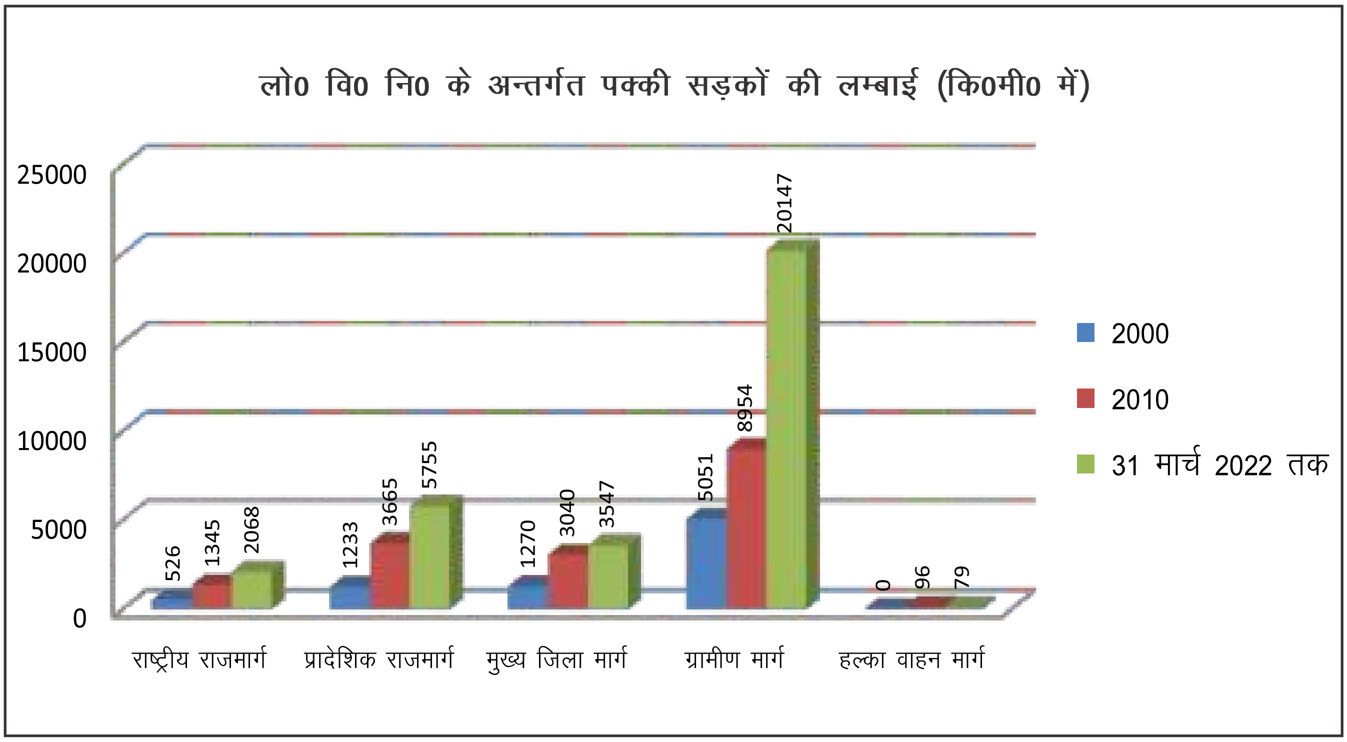

स्रोतः लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रदेश में वर्तमान तक 3608 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2068 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनके सुधार के कार्य वर्ष 2022–23 में भी जारी रहे, जिन पर दिसम्बर 2022 तक ₹ 146.46 करोड़ का व्यय किया गया है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का विवरण निम्नवत हैः–

1. ऑल वैदर रोडः– भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 43 कार्य, 696 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 9399 करोड़ के स्वीकृत हैं। स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष कार्यो का दायित्व निम्न विभागों के पास हैः–

लोक निर्माण विभाग (PWD)

पी.आई.यू., मोर्थ (Project Implementation Unit-Ministry of Road Transport and Highway)

बी.आर.ओ. (Border Road Organisation)

एन.एच.आई.डी.सी.एल.(National Highway and Infrastructure Development Corporation Ltd.)

इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 889 किमी0 लम्बाई में मार्गो का 02 लेन चौड़ाई में पक्के शोल्डर सहित निर्माण कार्य किया जाना है। जिसके अन्तर्गत 15 दीर्घ सेतुओं, 02 सुरंग मार्गो (चम्बा एवं राडी टॉप) एवं 03 एलिवेटेड मार्ग (सोनप्रयाग– लम्बाई 775 मी0, मरीन ड्राइव– लम्बाई 575मी0 एवं मनेरी–लम्बाई 400मी0) का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2022 तक 21 कार्य, लम्बाई 274 किमी0, जिनकी लागत ₹ 3089 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं, एवं 18 कार्य, लम्बाई 392 किमी0, लागत ₹ 5535 करोड़ के प्रगति पर है। परियोजना की पूर्णता की अवधि वर्ष 2022–23 तक लक्षित है।

2. सेतु भारतम् योजनाः– सेतु भारतम् योजना के अन्तर्गत देश में राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निदान हेतु आर.ओ.बी. (रेलवे ओवर ब्रिज) के निर्माण का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश में निम्न रेलवे क्रासिंग पर आर. ओ.बी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिनको वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण किया जाना लक्षित हैः–

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–74 पर काशीपुर के निकट दो लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 56.76 करोड़।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–121 पर काशीपुर के निकट चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण – लागत ₹ 76.52 करोड़।

3. श्री केदारनाथ धाम के पुनरोद्वार कार्यः– सी. एस.आर. (corporate social responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 21 कार्य, लागत ₹ 186.34 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 4 कार्य, लागत ₹ 3.77 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। शेष 17 कार्य, लागत ₹ 182.57 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें अगस्त 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. श्री बद्रीनाथ धाम के कार्यः– सी.एस.आर. (corporate social responsibility) के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 20 कार्य, लागत ₹ 359.23 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 14 कार्य, लागत ₹ 264.51 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें अक्टूबर 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष 6 कार्य, लागत ₹ 94.72 करोड़ पर निविदा प्रक्रिया/अनुबन्ध गठन किया जा रहा है।

5. लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये जा रहे अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यः–

देहरादून शहर में यातायात के दबाव को कम करने हेतु रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर एलीवेटेड रोड का कार्य प्रस्तावित किया गया है। रिस्पना एवं बिन्दाल नदी पर प्रस्तावित एलीवेटेट रोड की लागत क्रमशः ₹ 2515.33 करोड़ एवं ₹ 3474.75 करोड़ आयेगी। उक्त मार्गो का फिजिबिलिटी कार्य पूर्ण हो चुका है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

जनपद देहरादून के भण्डारी बाग में 02 लेन आर.ओ.

बी. लागत ₹ 43 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

ऋषिकेश शहर में गंगा नदी पर प्रसिद्व लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प के तौर पर उत्तराखण्ड राज्य का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेन्शन सेतु का निर्माण कार्य लागत ₹ 69 करोड़ का प्रगति पर है, जिसे माह जुलाई 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

अजबपुर आर.ओ.बी से मोहकमपुर आर.ओ.बी. तक एलीवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस रोड के निर्माण से रिस्पना पुल, विधानसभा एवं जोगीवाला चौक में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

15.2 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)–

PMGSY-I & II:

• योजना का शुभारम्भ पूर्व मा0 प्रधानमंत्री स्व0 श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा वर्ष 2000 में किया गया।

• योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में 250+ बसावटों को संयोजित किये जाने का लक्ष्य है।

• उत्तराखण्ड राज्य में PMGSY-I & II के अन्तर्गत 2781 कार्य, लं0–20283 किमी0, लागत ₹ 10374 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है।

• आतिथि ₹ 8774 करोड़ व्यय एवं 19164 किमी0 मार्गों का निर्माण कर 2288 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

• मार्गों के निर्माण से 250+ की स्वीकृत 1866 बसावटों के सापेक्ष 1836 बसावटें संयोजित की गई हैं।

• वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 905 करोड़ के व्यय एवं 571 किमी0 मार्गों के निर्माण से 24 बसावटें संयोजित की गई हैं।

PMGSY-III:

• PMGSY-III के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 2288 किमी0 लम्बाई के सापेक्ष पात्र लम्बाई–2000 किमी0 में से 1123 किमी0, लागत ₹ 858 करोड़ की DPR की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिन पर दिनांक 17.10.2022 को प्री–इम्पावर्ड कमेटी की बैठक सम्पन्न हो चुकी है।

• अवशेष 877 किमी0 की डी0पी0आर0 भी गठित कर ली गई हैं, जिनके सापेक्ष 400 किमी0 की डी0पी0आर0 स्क्रूटनी हेतु एस0टी0ए0 (स्टेट टैक्निकल एजेन्सी) को प्रेषित की गई हैं।

• भारत सरकार स्तर से प्रेषित टीम द्वारा डी0पी0आर0 का नमूना परीक्षण किया गया है। टीम के Observations के उपरान्त उपरोक्त समस्त डी0पी0आर0 संशोधित कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जायेंगी।

• 150 से 249 की जनसंख्या वाली बसावटों के सम्बन्ध में :

• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 150 से 249 तक जनसंख्या की 407 बसावटें असंयोजित है।

• इन 407 असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु लगभग 3200 किमी0 लम्बाई एवं अनुमानित लागत ₹ 2900 करोड़ की आवश्यकता होगी।

• 05 वर्ष की अनुरक्षण अवधि पूर्ण कर चुके मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में :

• PMGSY के अन्तर्गत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् इन मार्गों एवं सेतुओं के रखरखाव हेतु कोई व्यवस्था PMGSY/राज्य स्तर पर न होने के कारण इन मार्गों का उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है।

• PMGSY के ऐसे मार्गों एवं सेतुओं को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

• शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में 360 कार्यों (306–मार्ग एवं 54 सेतु) के सापेक्ष 286 कार्य (262–मार्ग एवं 24 सेतु) लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये गये हैं।

चार्ट 15.3

योजनारम्भ (वर्ष 2000) से वर्ष 2016–17 तक एवं वर्ष 2017–18 से अद्यतन प्रगति का तुलनात्मक विवरण

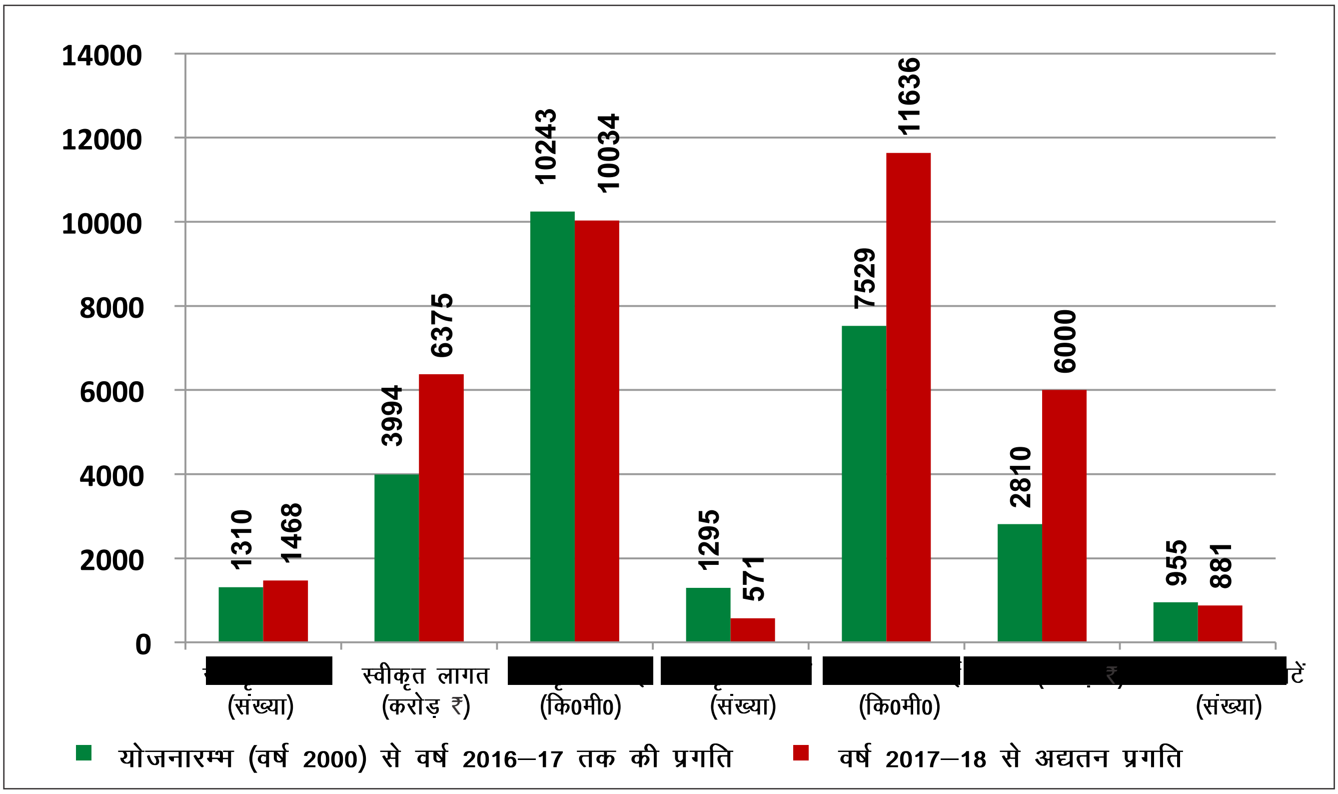

तालिका 15.4

वर्ष 2022–23 में बजट का विवरण (करोड़ ₹ में)				
मद का नाम	01 अप्रैल को अवशेष धनराशि	वर्ष में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5
प्रोग्राम फण्ड (90:10)	207.06	1388.33	1595.39	913.55
एनपीवी, प्रतिकर, क्षतिपूरक वृक्षारोपण	41.34	0	41.34	16.96
व्ययाधिक्य	0	55.71	55.71	11.32
पूर्ण मार्गों का अनुरक्षण	51.19	55.7	106.89	38.17
पीएमसी/एसक्यूसी/सैन्टेज	6.94	39	45.94	26.09
आपातकालीन निधि	10.85	8	18.85	7.1

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

नोट–व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है तथा पूर्ण कार्यो में बैकलॉग भी जुड़ा है।

विगत 05 वर्षों का प्रगति विवरण

FY	Financial in Cr.		Physical in Km.		Habitations in Nos.	
	Target	Achievement	Target	Achievement	Target	Achievement
1	2	3	4	5	6	7
2022-23 (As on date)	1800	914	1470	572	54	24
2021-22	1400	1218	2500	2103	160	150
2020-21	1500	1494	3800	3365	150	144
2019-20	1150	1081	2500	2036	225	154
2018-19	1200	698	2510	1756	225	202
2017-18	552	608	1500	1839	300	207

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

दणगाण गांव पहली बार पहुंची बस ग्रामीणों ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

15.3 रेल यातायात

15.3.1 पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखण्ड में रेलवे का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। राज्य में कुल लम्बाई 344.91 किमी० की संचालित रेल लाइनें है। प्रदेश में रेलवे यातायात को बढ़ाने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों प्रयासरत है। जिसके फलस्वरूप 125.20 किमी० की ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना, 27.45 किमी० लम्बाई की देववन्द–रुड़की रेलवे लाईन का कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त मा० प्रधानमंत्री ने चारों धामों को रेल मार्ग से जोड़ने का विचार 2014 में दिया था, जिससे चारों धामों की यात्रा सुरक्षित, सुगम आरामदायक व सस्ते में हो सके तथा पर्यावरण को भी नुकसान न पहुॅचे इन रेल परियोजनाओं के पूर्ण होने पर राज्य के विकास को गति मिलेगी।

15.3.2 ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच नई ब्रॉडगेज (Broad Gauge & 1676 mm) रेल लाइन उत्तराखंड राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। इस परियोजना उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य में स्थित तीर्थस्थलों तक पहुँच को आसान बनाने, नए व्यापार केन्द्रों को जोड़ने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली आबादी को सेवायें प्रदान करना है। इस लिंक परियोजना से उम्मीद है कि यात्रा के समय और लागत में काफी कमी आएगी क्षेत्र में औद्योगिक विकास तथा कुटीर उद्योगो के लिए अवसर उत्पन्न होंगे, राज्य की आर्थिकी तीव्र होगी तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्तावित रेल लाइन 5 जिलों एवं देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर और कर्णप्रयाग जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी 16216 करोड़ रुपये के प्राजेक्ट लागत की इस परियोजना की लम्बाई 125.20 कि०मी० है, जिसमें 104 कि०मी० रेलवे लाईन भूमिगत होगी। परियोजना अंतर्गत 18 पुलों एवं 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। पुलों तथा सुरंगो का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।

15.3.3 इस रेल परियोजना के तहत ऋषिकेश (वीरभद्र) तथा कर्णप्रयाग के मध्य योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू (सुरंग में), मलेथा, श्रीनगर, धारी देवी, तिलनी, घोलतीर, गौचर तथा सिवाई सहित कुल 12 रेलवे स्टेशन बनाये जायेगे। इनमें से रेलवे स्टेशन योगनगरी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

तालिका 15.5

SN	Station		No. of High Level Platforms	Total No. of Lines
	No	Name		
1	0	Virbhadra (Existing station)*	01	04
2	1	Yog Nagari Rishikesh*(New)	03	18
3	2	Shivpuri	02	03
4	3	Byasi	02	03
5	4	Devprayag	02	02
6	5	Janasu (Auxiliary)	01	02
7	6	Maletha	02	03
8	7	Srinagar	3 Passenger + 2 Goods	07
9	8	Dhari Devi	02	04
10	9	Tilani	02	03
11	10	Gholtir	02	03
12	11	Gauchar	02	04
13	12	Sivai (Karnaprayag)	3 Passenger + 1 Goods	10

स्रोतः रेलवे विभाग, उत्तराखण्ड।

15.3.4 परियोजना की वर्तमान स्थिति–

1. परियोजना के अन्तर्गत वीरभद्र तथा योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन (PK-1A) के मध्य 5.7 कि०मी० के प्रथम ब्लॉक सेक्शन का 17 मार्च 2020 को सी०सी०आर०एस० निरीक्षण हो गया। इसके तहत ऋषिकेश के बाईपास में एक रेलवे अन्डर ब्रिज तथा ऋषिकेश–देहरादून मार्ग में एक रेलवे ओवर ब्रिज का निमार्ण कार्य शामिल है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन में ट्रेनों की मरम्मत की सुविधाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 17 सुरंगों का निर्माण किया जाना है। यह कार्य 10 पैकेज में विभाजित है। टोटल टनलिंग प्रोग्रेस (मेन टनल, एस्केप टनल एडिट्स और क्रॉपैसेज सहित) 213 कि०मी० (एमटी–104 कि०मी० ईटी– 97.5 कि०मी० एडिट–4.5 कि०मी० और सीपी–7 कि०मी०) के कुल दायरे के मुकाबले 87 कि०मी० पूरा हो गया है।

2. **रेलवे/रोड़ ब्रिज** चन्द्रभागा नदी पर एक महत्वपूर्ण रेल ब्रिज का कार्य पूर्ण हो गया है तथा अलकनन्दा नदी में लक्ष्मोली तथा श्रीनगर में कार्य प्रगति पर है। गोचर तथा सिबई में कार्य स्थल तक पहुंच हेतु बड़े रोड ब्रिज का निमार्ण कार्य पूर्ण हो गया है साथ ही श्रीनगर में रोड़ ब्रिज का कार्य प्रगति पर है।

3. वर्ष 2015 की लागत के अनुसार परियोजना की लागत ₹ 16216 करोड स्वीकृत है. जिसका विवरण निम्न तालिका संख्या– 15.6 में दिया गया है–

तालिका 15.6

Financial Year	Fund Requirements (Cr.)
Expenditure up to **31.03.2022**	7242.71/-
Fund allocated during **2022-23**	4611/-
The Project cost is **Rs. 16216/- cr.** Based on cost of 2015.	

स्रोतः रेलवे विभाग, उत्तराखण्ड।

तालिका 15.7

SALIENT FEAURES

1	Total Length of Project	125.20 (Km)
2	No. of Main Tunnels	17 (Nos.)
3	No. of Escape Tunnels	13 (Nos.)
4	No. of Adits/Shaft	08/01 (Nos.)
5	Total Length of Main Tunnels	104.00 (Km)
6	Total Length of Escape Tunnels	97.70 (Km)
7	Total Length of Adits/Shafts	4.82 (Km)
8	Total Length of Cross-passages	7.05 (Km)
9	Total Length of Tunneling involved	213.57 (Km)
10	Max Length of the Tunnel	14.58 (Km)
11	Percentage of route Tunnel length	83.07%
12	No. of Important/Major Rail Bridges	05/13 (Nos.)
13	Total Length of Important and Major Rail Bridges	2767.75 (m)
14	Max Height of Imp/Major Rail Bridge (Gauchar Br-15)	46.99 (m)
15	Max Length of Rail Bridge (Srinagar Br-09)	489.00 (m)
16	Longest Span in Rail Bridge (Devprayag Br-06)	125 (m)

17	Percentage of Imp/Major Rail Bridge Length	2.21%
18	No. of Road Bridges	06 (Nos.)
19	No. of Road Over Bridges	02 (Nos.)
20	No. of Road Under Bridges/LHS	01/04 (Nos.)
21	No of Minor Bridge	34 (Nos.)
22	Total No. of New Stations	12 (Nos.)
23	Length of Open Cutting/ Embankment	18.43 (Km)
24	Percentage of Open Cutting/ Embankment	14.72%

स्रोतः रेलवे विभाग, उत्तराखण्ड।

15.3.5 चारधाम रेलवे– भारत के उत्तर में पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में स्थित चारधाम रेल परियोजना में कुल 327 किमी लम्बाई वाली चार अलग–अलग रेल लाईन शामिल है। यह रेल लाईन गंगोत्री यमनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों से जुड़ेगी जो हिन्दु धर्म के चार पवित्र मंदिर है। प्रथम पैकेज के रूप में 153 कि0मी0 लम्बी चारधाम एवं चारधाम यात्रा (गंगोत्री तथा यमनोत्री) सिंगल ब्राडगेज (Broad Gauge-1676 mm) लिंक रेल कनेक्टिविटी तथा द्वितीय पैकेज के रूप में 174 कि. मी. लम्बी चारधाम एवं चारधाम यात्रा (बद्रीनाथ तथा केदारनाथ) सिंगल ब्राड गेज लिंक रेल कनेक्टिविटी का निर्माण प्रस्तावित है। वीरभद्र से योगनगरी ऋषिकेश तक रेल लाइन में 20 मार्च 2020 को कार्य आरम्भ कर दिया है परियोजना दिसम्बर 2024 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रस्तावित नई रेल परियोजना का उद्देश्य चीन की सीमा के निकट स्थित पवित्र मंदिरों में तीर्थयात्रियों का आरामदायक और सुरक्षित परिवहन, नए व्यापार केन्द्रों से कनेक्शन और पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के अलावा क्षेत्र में रहने वाली आबादी की सेवा करना है। इस परियोजना से गंगा/अलकनन्दा घाटी में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय—16
उद्योग
Industry

16.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत एमएसएमई एक गतिशील क्षेत्र के रूप में स्थापित हुआ है जिससे अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी महत्ता के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया, जिसकी भूमिका समावेशी विकास प्रक्रिया में अत्यंत महत्तवपूर्ण है। राज्य में अब स्थापित इकाईयां की संख्या 77,997 हो गई हैं। पिछले 20 वर्षों में लगभग 5 गुना की वृद्धि के सापेक्ष निवेश में 20 गुना तथा रोजगार में 8 गुना की वृद्धि हुई है। राज्य के कुल सकल घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) में द्वित्तीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 1999—2000 में 19.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021—22 (पुनरीक्षित) में लगभग 46.21 प्रतिशत हो गया है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग कुल 34.17 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

चार्ट—16.1

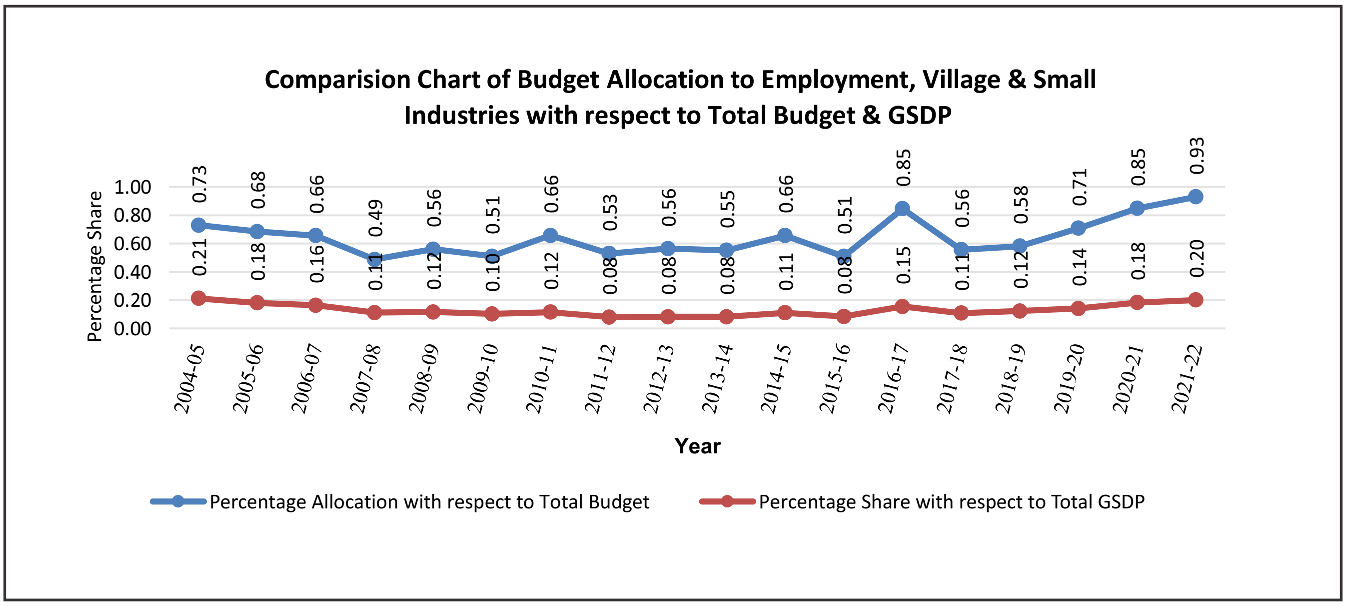

Source: (Directorate of economics and statistics)

चार्ट–16.2
Share of industry in Total GROSS STATE VALUE ADDED (GSVA)
(Rs. In crore)

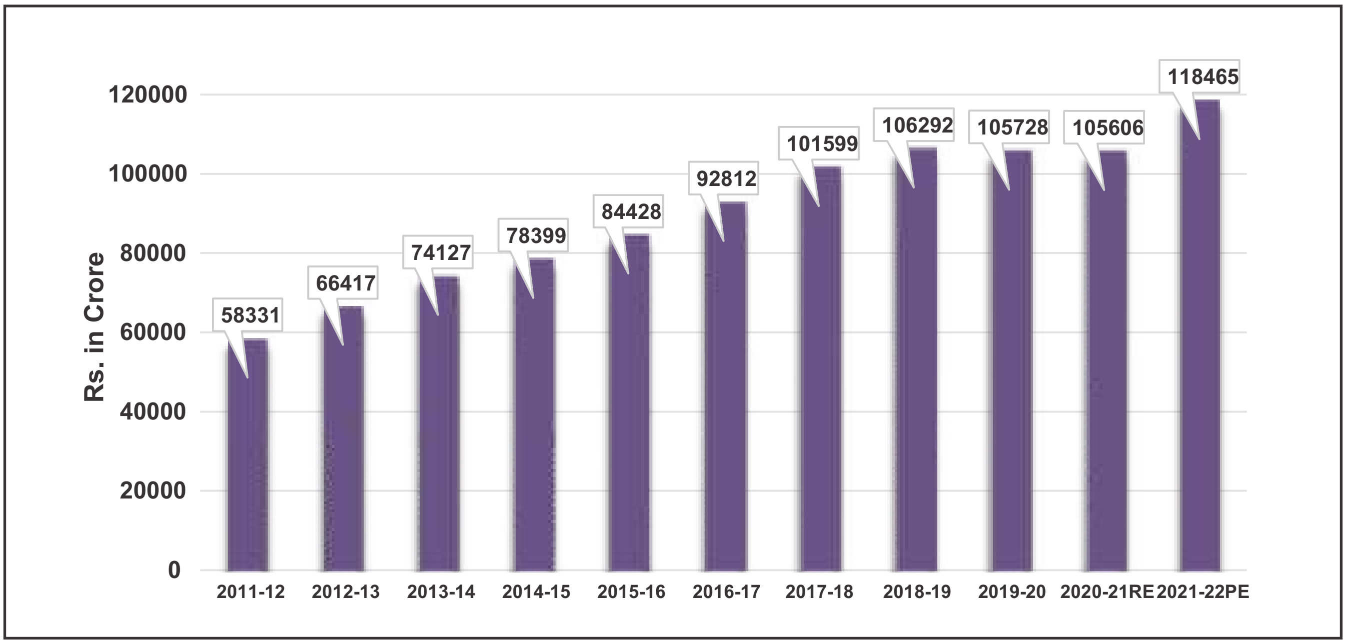

Source: (Directorate of economics and statistics)

16.2 प्रदेश में लघु स्तरीय उद्योग (SSIs) के अन्तर्गत पंजीकृत तथा एमएसएमईडी एक्ट के तहत ईएम पार्ट–2, उद्योग आधार ज्ञापन तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन दाखिल करने वाले कुल उद्यमों की संख्या कुल 77997 है, जिनमें ₹ 15733.00 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 398911 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 16.1
उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों की स्थिति

वर्ष	उद्योगों की संख्या					पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार (संख्या)
	बृहद उद्योग	मध्यम उद्योग	लघु उद्योग	सूक्ष्म उद्योग	योग		
2018–19	7	29	446	3165	3647	1536.47	20894
2019–20	28	35	501	3595	4131	1731.15	28700
2020–21	2	29	250	3990	4271	909.48	22387
2021–22	0	106	252	4715	5073	871.50	35990
2022–23	0	0	15	4021	4036	398.44	16480

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.2

विवरण	स्थापित औद्योगिक इकाईयों की संख्या		पूंजी निवेश (करोड़ ₹ में)		सृजित रोजगार	
	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत	एमएसएमई	बृहत
दिनांक 8–11–2000 तक पंजीकृत लघु–लघुत्तर इकाईयां	14163	39	700.29	8369.78	38509	29197
9–11–2000 से माह दिसम्बर, 2022 तक पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों	63834	290	15032.71	29588.16	360402	82254
योगः–	**77997**	**329**	**15733.00**	**37957.94**	**398911**	**111451**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.3 उत्तराखण्ड से निर्यात की स्थितिः– निर्यात को बढावा देने के लिये 15 दिसम्बर, 2021 को राज्य की नई निर्यात नीति लागू की गई है। वर्ष 2015–16 में लगभग ₹ 11 हजार करोड़ के निर्यात के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में ₹ 16 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया। वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स ईज एक्रास डिफ्रेन्ट स्टेटस में राज्य का प्रदर्शन शीर्ष इम्प्रूवर की श्रेणी में रहा है और राज्य की रैकिंग 19 वें स्थान से 13 वें स्थान पर आ गयी है।

ऑटोमोबाइल एवं फार्मा क्षेत्र में उत्तराखण्ड एक महत्वपूर्ण मन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है। औद्योगिकी, पुष्पकृषि, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हैल्थ टूरिज्म, संगन्ध एवं औषधीय पौध आधारित उद्योगों, जैव–प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प आदि राज्य के लिए निर्यात सम्भावनाओं हेतु अन्य थ्रस्ट सेक्टर हैं।

तालिका 16.3
निर्यात का विवरण

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रूपये में)
2011–12	3530
2012–13	6071
2013–14	6782
2014–15	8509
2015–16	7350
2016–17	6011
2017–18	10837
2018–19	16285
2019–20	16971
2020–21	15915
2021–22	14414
2022–23 (अप्रैल से दिसम्बर, 22 तक)	8327

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.4

Uttarakhand Export Figures for FY 2022 (November, 2022)				
S.No	**HS Codes**	**Commodity Section**	**Value In INR (In Crore)**	**% of Total Exports**
1	01-05	Animals And Animals Products	142.97	1.72
2	06-14	Vegetable Products	168.28	2.02
3	15	Animals Or Vegetables Fats	2.32	0.03
4	16-24	Prepared Foodstuffs	238.80	2.87
5	25-27	Mineral Products	143.91	1.73
6	28-38	Chemical Products	1996.70	23.98
7	39-40	Plastics & Rubber	1028.79	12.35
8	41-43	Hides & Skins	7.37	0.09
9	44-46	Wood & Wood Products	22.21	0.27
10	47-49	Wood Pulp Products	314.79	3.78
11	50-63	Textiles & Textile Articles	249.18	2.99
12	64-67	Footwear, Headgear	31.14	0.37
13	68-70	Articles Of Stone, Plaster, Cement, Asbestos	87.07	1.05
14	71	Pearls, Precious Or Semi-Precious Stones, Metals	39.88	0.48
15	72-83	Base Metals & Articles Thereof	1993.82	23.94
16	84-85	Machinery & Mechanical Appliances	984.37	11.82
17	86-89	Transportation Equipment	632.47	7.60
18	90-92	Instruments - Measuring, Musical	128.57	1.54
19	93	Arms & Ammunition	28.22	0.34
20	94-96	Miscellaneous	86.49	1.04
21	97-98	Works Of Art	0.04	0.00
22	99	Others	0.00	0.00
Grand Total			8327.37	100.00

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में की गई विशिष्ट पहलें:—

राज्य की लॉजिस्टिक नीति—2022 की प्रमुख लॉजिस्टिक गतिविधियाँ यथा लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक वाहन, कोल्ड स्टोरेज एवं इनलैण्ड कन्टनेर डिपा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन निम्नानुसार उल्लेखित हैः—

क्र. सं.	इकाईयां	मानदण्ड	प्रोत्साहन
A.	सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधायें 1. ₹ 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹ 8 करोड़ होगी। 2. ₹ 50 करोड़ से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, सब्सिडी ₹ 24 करोड़ तक सीमित होगी। 3. ₹ 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सब्सिडी ₹ 32 करोड़ तक सीमित होगी।		

B.	वेयरहाउसिंग सुविधायें	पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी + और सी) में न्यूनतम ₹ 2.5 करोड़ निवेश के साथ 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की सुविधा और गैर–पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी–डी) के लिए ₹ 5 करोड़ के निवेश के साथ न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
C.	ट्रक टर्मिनल	₹ 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल में स्थापित ट्रक टर्मिनल।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत
D.	ट्रक मालिक / फ्लीट ऑपरेटर / एग्रीगेटर	कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी पिकअप ट्रक/रेफर वैन की खरीद (एक्स–शोरूम कीमत)।	बड़े ट्रकों पर 10 और छोटे और मध्यम पर 15 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 10 लाख
E.	कोल्ड स्टोरेज	5,000 वर्ग फुट का न्यूनतम क्षेत्रफल।	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान सब्सिडी के अतिरिक्त
F.	बुनियादी सुविधायें	विकसित आंतरिक परिवहन प्रणाली, बिजली लाइन, संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि सुविधाएं, सीवेज और जल निकासी लाइनें, अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, फायर टेंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, चिकित्सा केंद्र।	परियोजना लागत का 20 प्रतिशत

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.5 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति–शक्ति मास्टर प्लानः पी0एम0 गति शक्ति मास्टर प्लान परियोजना निष्पादन में समय बचाने, पुर्नकार्य/पूंजीगत निवेश को कम करने और राज्य/केन्द्र सरकार के निवेश को अनुकूलित करने के लिए एंड–टू–एंड परिप्रेक्ष्य से सभी विभागों को एकीकृत करने के लिए एक बहुमॉडल कार्यक्रम है। राज्य ने ₹ 110.72 करोड़ की राज्य वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर वाणिज्य मंत्रालय की शीर्ष निकाय डी0पी0आई0आई0टी0 (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) को सौंप दी है। माह फरवरी, 2022 में राज्य स्तरीय संस्थागत तंत्र को अधिसूचित किया गया हैः–

(i) सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस)

(ii) नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी)

(iii) तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू)

प्रत्येक समिति की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। सभी इन्फ्रा–परियोजनाओं की लागत ₹ 1 करोड़ से अधिक है, जिसे राज्य गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और जिस परियोजना की लागत ₹ 25 करोड़ से अधिक है, उसे गति शक्ति संस्थागत तंत्र के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अन्तर्गत राज्य के 18 विभाग सम्मिलित हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने माह अक्टूबर 2022 में राज्य रसद नीति मंजूर की गई है। उत्तराखंड एकीकृत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान पर 27 अनिवार्य लेयर्स अपलोड की गई हैं। 4 अक्टूबर 2022 को अनिवार्य लेयर्स (पेट्रोल/डीजल आउटलेट और गांव बसावट) में दो अतिरिक्त लेयर जोड़े गए हैं। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कुल मिलाकर 260 लेयर्स बी0आई0एस0एजी0–एन (Bhaskharacharya Institute For Space Application & Geoinformatics) के साथ साझा की गई हैं। कई हितधारकों के साथ समन्वित तरीके से परियोजनाओं की पहचान और योजना बनाने के लिए एक क्यू0जी0आई0एस0 (Quantum Geographic Information System) आधारित योजना मंच बनाया

गया है। राज्य और जिला स्तर पर पीएम गति शक्ति डाटा सेन्टर बनाए जा रहे हैं। ये डेटा सेन्टर जिला स्तर पर पोर्टल में डेटा बनाने और अपलोड करने में सहायता करेंगे। लेयर्स की पहचान और निर्माण के लिए विभागों को जिला स्तरीय केन्द्र हैंडहोल्डिंग प्रदान करेंगे जो कि परियोजनाओं की पहचान और योजना/विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। यह प्रक्रिया सूचना प्रसार और विभागों की क्षमता को मजबूत करने में सहायता करेगी।

16.6 औद्योगिक विकास योजना–2017

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये 1 अप्रैल, 2017 से 5 वर्षों के लिये ''औद्योगिक विकास योजना'' लागू की गई, जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गयी है। इसमें पूंजी निवेश उपादान पर 30 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 5 करोड़ तक का उपादान एवं 5 वर्ष तक प्लाण्ट एवं मशीनरी पर बीमा प्रीमियम की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्राविधान है। माह दिसम्बर, 2022 तक एसएनओ स्तर पर 1088 इकाईयों के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें से 299 इकाईयां भारत सरकार द्वारा पंजीकृत की गई हैं। माह दिसम्बर, 2022 तक उत्पादन में आने वाली 128 इकाईयों के सापेक्ष 97 इकाईयों के उपादान दावें राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये गये है एवं 4 इकाईयों के उपादान दावें इम्पावर्ड कमेटी, डीपीआईआईटी, भारत सरकार को अग्रसारित किये गये हैं।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एमएसएमई के लिये लागू ''इमरजेंसी क्रेडिट लाईन गारण्टी स्कीम'' का लाभ अधिकाधिक पात्र इकाईयों को पहुंचाने के लिये राज्य सरकार, एसएलबीसी, बैंकों एवं औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है।

तालिका 16.5

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) %

(Progress as on 30.09.2022) (Rs. in crores)

Eligible loan A/Cs		No of Accounts		Amount		Coverage Percentage
		Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	Cum. Sanctioned	Cum. Disbursement	
Phase-I up to Rs. 25 Crores						
142283	2675.48	74186	49195	2255.90	1746.97	52.14
Phase-II Above Rs. 25 to 50 Crores						
1192	328.09	104	100	243.42	253.77	8.72

Source: *RBI*

तालिका 16.6

Stressed Assets Subordinate Debt Fund Scheme (SASDFS)

(Progress as on 30.09.2022) (Rs. in lacks)

No. of MSME Borrowers which are Stressed (i.e. SMA-2 and NPA)	No. Eligible Borrowers under CGSSD	Sanctioned under CGSSD	
		No.	Amt.
6823	1274	21	131.12

Source: *RBI*

16.7 एम0एस0एम0ई0 नीति–2015ः– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, रोजगार सृजन के अवसर, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015'' लागू की गई है। यह नीति 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपादान प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा। इस नीति में प्रदेश को पाँच श्रेणियों ए, बी, बी+, सी एवं डी में वर्गीकृत करते हुये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथाः पूंजी निवेश उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति, विशेष राज्य परिवहन उपादान सहित संस्थागत सुविधा के रूप में अवसंरचनात्मक सहयोग एवं सुगमता, विनियमन व सरलीकरण आदि महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं।

तालिका 16.7
निवेश प्रोत्साहन सहायता (प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन)/अनुदान/छूट

क्र.सं.	श्रेणी	निवेश प्रोत्साहन	अनुदान की मात्रा/सीमा	छूट सीमा
1	श्रेणी–ए	40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शत् प्रतिशत
2	श्रेणी–बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शत् प्रतिशत
3	श्रेणी–सी	30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)	06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	शत् प्रतिशत
4	श्रेणी–डी	15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15 लाख)	शून्य	50 प्रतिशत

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.8
विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी–''ए'' प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	श्रेणी–''बी'' व ''बी+''
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष हेतु शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 5 वर्ष हेतु शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	60%	50%

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.9
विशेष राज्य परिवहन उपादान

क्र.सं.	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा/तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
3	श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चा /तैयार माल के परिवहन भाड़े का वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.8 एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत/संवितरित दावों का विवरण

तालिका 16.10

क्र0सं0	जनपद	कुल इकाई	धनराशि (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पौड़ी गढ़वाल	75	135401985
2	हरिद्वार	1	318820
3	चम्पावत	25	6698333
4	उधमसिंह नगर	2	1465752
5	अल्मोड़ा	18	23216501
6	चमोली	22	24770417
7	टिहरी गढ़वाल	45	199131858
8	पिथौरागढ़	78	28351391
9	नैनीताल	99	144291093
10	देहरादून	21	38830516
11	उत्तरकाशी	32	41364916
12	रूद्रप्रयाग	9	5731892
13	बागेश्वर	7	330247
कुल योग		**434**	**649903721**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.9 महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजनाः– सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में महिलाओं की पर्याप्त भागेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के लिए उद्यमशील महिलाओं को बैंकों से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 से प्रारम्भ ''महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना'' के अर्न्तगत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगेः–

1. **पूंजीगत् उपादान सहायताः–** कुल स्थिर पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹ 25 लाख।

2. **ब्याज उपादान सहायताः–** बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज में 6 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

तालिका 16.11

वर्ष 2022—23 में राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत/संवितरित दावों का विवरणः—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल इकाई	धनराशि (रूपये में)
1	हरिद्वार	**82**	**15697416**
2	उधमसिंहनगर	**90**	**22509845**
3	नैनीताल	**11**	**1648149**
4	देहरादून	**28**	**10144590**
योग		**211**	**50000000**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.10 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्थाः— ''उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन व्यवस्था" संयुक्त पोर्टल (www.investmentuttarakhand.com) के अन्तर्गत उद्यमी सभी सूचनायें अनापत्तियॉ, स्वीकृतियॉ एवं अनुज्ञायें निर्धारित समय—सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कर रहे हैं। ''निवेशक सुविधा एवं सहायता केन्द्र'' के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई है।

16.11 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक—2022ः— राज्य विधियों के अधीन प्राप्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुज्ञापनों, अनुज्ञप्तियों, अनुमतियों में शिथिलीकरण करते हुये सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त तीन वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के लिये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक—2022 पारित किया गया है।

तालिका 16.12

Year	Unit Type	Unit Approved	Investment (in Crore)	Employment
2016 - 17	MSME	468	631.95	5422
	LARGE	15	1639.64	3134
2017 - 18	MSME	549	1144.81	9195
	LARGE	17	1412.16	3809
2018 - 19	MSME	1075	3593.74	24354
	LARGE	48	5554.96	8823
2019 - 20	MSME	1562	4350.05	35735
	LARGE	56	7656.65	8448
2020 - 21	MSME	1495	2776.00	26412
	LARGE	41	1888.46	4417
2021 - 22	MSME	1791	4740.56	32901
	LARGE	63	4088.38	13911
2022 - 23 upto dec 22	MSME	1614	6924.73	31354
	LARGE	16	3072.50	3369
GRAND TOTAL FOR MSME UNITS		**8554**	**23768.65**	**165366**
GRAND TOTAL FOR LARGE UNITS		**256**	**25312.75**	**45911**
GRAND TOTAL (MSME + LARGE)		**8810**	**49081.40**	**211277**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.12 उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा–14 के अन्तर्गत अनुकूलित पैकेज हेतु दिशानिर्देश (कस्टमाईज्ड पैकेज):– बड़ी परियोजनाओं के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य केस–टू–केस बेसिस पर अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखण्ड के संदर्भ में, इन परियोजनाओं को अल्ट्रा मेगा या विशेष श्रेणी की परियोजनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे बृहत उद्योगों की राज्य में स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा–14 के अन्तर्गत अनुकूलित पैकेज स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

यद्यपि उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 की धारा–14 के तहत अनुकूलित पैकेज प्रदान करने का प्राविधान है, किन्तु इन प्राविधानों के कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचित प्रक्रिया न होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अन्य प्रदेशों की तरह उत्तराखण्ड में भी बृहत परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन के प्राविधान को क्रियान्वित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जायें। अतः राज्य में ₹ 200 करोड़ अथवा इससे अधिक अचल पूंजी निवेश की नई परियोजनाओं की स्थापना अथवा विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार हेतु अनुकूलित पैकेज प्रदान करने तथा इस प्रावधान के प्रभावी और सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए यह दिशानिर्देश प्रख्यापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, आवेदक पात्रता मानदंड के अनुसार भारत में पंजीकृत एक इकाई होनी चाहिए, जो राज्य में माल/वस्तुओं के निर्माण या राज्य से सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव करता है और इन दिशानिर्देशों के तहत अनुकूलित प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है। आवेदक को राज्य में किसी भी ग्रीनफील्ड या ब्राउन फील्ड परियोजना में विस्तार/विविधीकरण में एक प्रारंभिक निश्चित निवेश करना होगा।

इन दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंड के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अन्तर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम अचल पूंजी निवेश ₹ 200 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए तथा उद्यम प्रचालन के पहले वर्ष से आवेदक इकाई 500 व्यक्तियों को वर्ष में प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो।

अनुकूलित पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले आवेदक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नीतियों के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

पात्र आवेदक, निश्चित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कुल अनुमन्य प्रोत्साहन सहायता के अध्याधीन, भारत सरकार की किसी अन्य योजना में प्रदत्त प्रोत्साहन सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन दिशानिर्देशों के तहत आवेदनों की समीक्षा एवं जांच के लिए सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया जायेगा। महानिदेशक/आयुक्त उद्योग तथा निदेशक उद्योग संभावित आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने, अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने में सहायता, परियोजना के बारे में वित्तीय जानकारी को समझने और अवगत कराने आदि के लिए सचिव, उद्योग को सहायता प्रदान करेंगे। परियोजना समीक्षा समिति अपनी संस्तुति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति को प्रस्तुत करेगी।

परियोजना समीक्षा समिति द्वारा अग्रेसित आवेदनों की प्राधिकृत समिति द्वारा जांच की जायेगी और इस समिति में अपने विवेक के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर अस्वीकार/संशोधन/सिफारिश करने की शक्ति होगी। तदोपरान्त यह आवेदन अनुमोदन के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकृत समिति को विचार/निर्णय के लिए अग्रेसित किया जा सकेगा।

चूंकि ऐसे अनुकूलित पैकेजों को प्रदान करने से पहले अन्य राज्य सरकारों द्वारा गैर–प्रकटीकरण समझौता किया जाता है और परियोजनाओं को दी जा रही प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी सरकार और इकाई के बीच में ही रहती है। यदि इकाई

अनुबन्ध का उल्लंघन करती है, तो इकाई प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी। इस प्रक्रिया का पालन उत्तराखण्ड में भी किया जायेगा।

ईज आफ डूईंग बिजनेस के सुधार कार्यक्रमों से राज्य की रैंकिंग में आशातीत सुधार के परिणामस्वरूप उत्तराखण्ड अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। अनुपालन भार कम किये जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया के अन्तर्गत अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को हटाये जाने हेतु एक कमेटी गठित की गई है। ऐसे अप्रासंगिक विधियों/उपविधियों, जिनसे निवेश प्रभावित हो रहा है, उन्हें हटाये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

एमएसएमई नीति में आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन के साथ समुचित इको सिस्टम विकसित करने हेतु 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' के माध्यम से आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सार्वजनिक इंटरफेस में पारदर्शिता लाकर मंजूरी के लिए समय–सीमा में कमी कर एकल खिड़की व्यवस्था, व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए अपेक्षित सभी लाईसेंस और अनुमोदनों हेतु ''वन स्टॉप शॉप'' प्रारम्भ की गयी है।

16.13 स्टार्ट–अप एवं स्टैण्ड–अप उद्यमिता विकास योजनाः– फरवरी, 2018 में लागू स्टार्ट–अप नीति का उद्देश्य उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर समुचित ईको सिस्टम विकसित किया गया है। राज्य में 144 स्टार्टअप को मान्यता तथा 34 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु अनुमति जारी की जा चुकी है। माह जनवरी–फरवरी, 2023 में आयोजित कराये जा रहे बूट कैम्पों में सर्वश्रेष्ठ 10 आईडियाज चयनित कर ₹ 50 हजार का पुरूस्कार प्रदान किया जायेगा। जनपदवार स्टार्टअप्स का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 16.13

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप
1.	देहरादून	94
2.	हरिद्वार	15
3.	ऊधमसिंहनगर	11
4.	नैनीताल	9
5.	पौड़ी	8
6.	अल्मोड़ा	4
7.	चमोली	2
8.	टिहरी	1
योग		**144**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

मिशन स्वावलम्बन के अंतर्गत सिडबी द्वारा पीएमयू की स्थापना उद्योग निदेशालय में कर सिडबी व राज्य सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।

क्लस्टर आधारित एप्रोच पर पर्वतीय क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माणक एवं सेवा क्षेत्र के उद्यमों के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों के 112 ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत हैं।

16.14 उत्तराखण्ड स्टार्टअप नीति–2022ः–

राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकि तंत्र के विकास, विश्व स्तरीय संस्थागत बुनियादी ढांचे के निर्माण और इन्यूबेशन परामर्शी नेटवर्क की स्थापना, पूंजी तथा बाजार तक पंहुच को बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति–2022 प्रख्यापित की गई है।

नई स्टार्टअप नीति के तहत पांच वर्षों में 1000 स्टार्टप्स को बढ़ावा देना, प्रत्येक जनपद में कम से कम एक इन्क्यूबेशन सेंटर के साथ राज्य भर में 30 नए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना लक्ष्य है।

स्टार्टअप नीति–2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन देय हैं:–

1. मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स या छात्र उद्यमियों के स्टार्टप्स को ₹ 15,000 प्रतिमाह का एक वर्ष तक मासिक भत्ता। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नावाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को ₹ 20,000 प्रतिमाह का मासिक भत्ता।

2. मान्यता प्राप्त स्टार्टप्स को ₹ 10 लाख तक की एक मुश्त सीड फण्डिंग। अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/ट्रांसजेन्डर या ग्रासरूट नावाचारों पर आधारित स्टार्टप्स को ₹ 12.50 लाख तक की सीड फडिंग सहायता।

3. पेटेंट के लिए प्रति पेटेंट ₹ 01 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹ 05 लाख की प्रतिपूर्ति सहायता।

4. ट्रेडमार्क तथा औद्योगिक डिजाइन के लिए आवेदन दाखिल करने पर ₹ 10 हजार की प्रतिपूर्ति सहायता।

5. एमएसएमई नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन, यथाः विशेष पूंजी उपादान, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क में छूट, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति सहायता।

6. प्री–इन्क्यूबेशन सपोर्ट, इन्क्यूबेशन सपोर्ट के लिए एक मुश्त निःशुल्क सहायता।

7. नए इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना के लिए रू. 01 करोड़ तक तथा विद्यमान इन्क्यूबेशन सेंटर के विस्तार के लिए ₹ 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान।

8. वेंचर फण्ड की स्थापना के लिए ₹ 200 करोड़ का प्राविधान।

16.15 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):– भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पीएम0ई0जी0पी0 के अधीन पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से मार्जिन मनी संवितरित किया जाता है।

तालिका 16.14

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वितरित मार्जिन मनी (करोड़ ₹ में)	सृजित रोजगार
2018–19	2168	40.83	17344
2019–20	1815	34.00	15420
2020–21	2237	45.13	17576
2021–22	1832	39.60	14656
2022–23	853	20.64	6824
योग	**8905**	**180.20**	**71820**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 16.15
जनपदवार प्रगति विवरण

(18 जनवरी, 2023 तक)

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य		बैंकों द्वारा स्वीकृत		बैंकों द्वारा वितरित	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	अल्मोड़ा	131	395.00	131	278.13	77	158.89
2	बागेश्वर	131	395.00	123	191.82	81	127.19
3	चमोली	131	395.00	114	236.7	55	112.37

4	चम्पावत	131	395.00	122	270.82	65	121.17
5	देहरादून	139	419.00	163	408.41	85	219.47
6	हरिद्वार	137	413.00	124	346.69	43	125.91
7	नैनीताल	137	413.00	213	545.35	82	203.25
8	पौड़ी	131	395.00	133	282.91	56	120.43
9	पिथौरागढ़	129	389.00	125	202.96	56	98.26
10	रूद्रप्रयाग	129	389.00	133	281.47	48	91.17
11	टिहरी	127	383.00	151	338.33	89	203.25
12	ऊधमसिंहनगर	139	419.00	114	621.35	78	398.7
13	उत्तरकाशी	122	368.00	127	285.94	38	83.75
	योग	1714	5168.00	1773	4290.88	853	2063.81

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

उद्यमिता एवं रोजगार की समग्र समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति'' का गठन किया गया है।

16.16 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः– कोविड–19 के पश्चात् विभिन्न देशों/प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु ''मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना'' में विनिर्माणक, सेवा तथा व्यवसाय की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर स्वीकृत परियोजना पर 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी के रूप में अनुदान सहायता का प्राविधान है। उक्त योजना में कोई नकारात्मक सूची (Negative List) नहीं है और विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय के संचालन के लिए सभी व्यवहार्य गतिविधियां पात्र हैं। यद्यपि सीधे कृषि कार्य (फसल उगाना) पर योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु कृषि आधारित क्रियाकलापों एवं संरक्षित कृषि (Agriculture allied activities & Protected Agriculture)] जैसे मशरूम उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, पॉली हाऊस में साग–सब्जियों, हर्बल और सगन्ध पौध की खेती, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, भेड–बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन (क्ंपतल) आदि पात्र गतिविधियों में सम्मिलित हैं।

तालिका 16.16

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY)

(18 जनवरी, 2023 तक)

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत (संख्या में)	बैंकों द्वारा वितरित (संख्या में)
1	अल्मोड़ा	450	393	241
2	बागेश्वर	400	352	280
3	चम्पावत	450	355	306
4	चमोली	450	718	595
5	देहरादून	500	492	235
6	हरिद्वार	450	425	235
7	नैनीताल	500	624	531

8	पौड़ी	500	675	536
9	पिथौरागढ़	450	497	390
10	रूद्रप्रयाग	400	355	241
11	टिहरी	450	556	327
12	उधम सिंह नगर	500	502	316
13	उत्तरकाशी	500	687	357
	योग	**6000**	**6631**	**4730**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.17 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यमः–

कोविड–19 के कारण ग्रामीण तथा शहरी छोटे व्यवसायी / उद्यमी / पथ विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में अक्टूबर, 2021 से लागू मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना के अंतर्गत ₹ 50 हजार तक का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में अति सूक्ष्म उद्यमों / व्यवसाय (Nano Enterprise)] जैसे सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अण्डे आदि की बिक्री, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज प्वाइंट, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्रॉयड्री, सिलाई–बुनाई, बुक बाईंडिंग, स्क्रीन पिंटिंग, चूड़ी वाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप / अगरबत्ती निर्माण, झाडू निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैण्डिल निर्माण, देसी गाय पालन, मशरूम की खेती, साग–सब्जी उगाना, मत्स्य पालन, मशीन रिपेयरिंग, फूल विक्रेता, कार वाशिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूबर, बार्बर, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, डेयरी, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन / मीट शॉप, छोटी बेकरी, कारपेन्ट्री, लौहारगिरी, लॉण्ड्री आदि गतिविधियां कोविड–19 के कारण अत्यधिक प्रभावित हुई हैं।

परियोजना लागत में न्यूनतम 20 प्रतिशत आवेदक का मार्जिन मनी हैं। अनुसूचित जाति / जनजाति, महिला तथा दिव्यांगजन के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत हैं अर्थात कुल परियोजना लागत के सापेक्ष ₹ 10,000 का बैंक ऋण स्वीकृत किये जाने पर मार्जिन मनी की कुल राशि ₹ 1000 से अधिक नहीं होगी।

अनुदान / ग्राण्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विकसित पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा किया जायेगा।

तालिका 16.17

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम
(18 जनवरी, 2023 तक)

क्र0सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत संख्या	बैंकों द्वारा वितरित संख्या
1	अल्मोड़ा	800	378	235
2	बागेश्वर	600	288	244
3	चम्पावत	600	350	273

4	चमोली	800	64	49
5	देहरादून	900	52	42
6	हरिद्वार	900	177	15
7	नैनीताल	900	410	3 29
8	पौड़ी	900	51	37
9	पिथौरागढ़	700	31	24
10	रूद्रप्रयाग	600	178	48
11	टिहरी	700	63	51
12	उधम सिंह नगर	900	221	66
13	उत्तरकाशी	700	383	232
योग		**10000**	**2646**	**1645**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

उपलब्धियॉं

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, (Ease Of Doing Business)—वर्ष 2021 में उत्तराखण्ड को एचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई।
- नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रिपेयडनेस इंडैक्स में वर्ष 2021 में रैकिंग उत्तराखण्ड को हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- लगभग 600 नये उद्योग कोविड के उपरान्त स्थापित हुए।
- व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि ₹ 10.00 लाख की गई।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना के तहत बैकों के माध्यम से ₹ 50.00 हजार तक का ऋण।

16.18 एक जनपद दो उत्पादः— बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, रॉ—मेटेरियल बैंक की स्थापना, विपणन तथा वैज्ञानिक सोच व नवोन्मेश के आधार पर नया रूप दिये जाने की संभावनाओं के दृष्टिगत एवं उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का यथोचित उपयोग करते हुये, राज्य के प्रत्येक जनपद से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुये, उनके उत्पादन को बढावा दिये जाने हेतु एवं प्रदेश के समग्र एवं समावेशी आर्थिक विकास तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी के उन्नयन के उद्देश्य से एक जनपद दो उत्पाद योजना सितम्बर, 2021 में लागू की गयी है।

16.19 योजना का कियान्वयनः— उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट (PMU) की स्थापना की जायेगी। योजना के विभिन्न अवयवों की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन सहायता निम्न प्रकार हैंः—

मार्जिन मनी सहायताः— प्रत्येक जनपद में चिन्हित ओडीटीपी उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए नयी एवं पूर्व से कार्यरत इकाईयों के विस्तारीकरण पर विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, एमएसएमई नीति—2015, महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना आदि से डवटेलिंगं की जायेगी।

सामान्य सुविधा केन्द्र सहायताः— केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, जैसे क्लस्टर विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना, स्फूर्ति योजना, डीसी हैण्डलूम एवं डीसी हैण्डीक्राफ्ट की सामान्य सुविधा केन्द्र योजना/राज्य की ग्रोथ सेन्टर योजना से डवटेलिंग करते हुए किया जायेगा।

कौशल/उद्यमिता विकासः— जनपदवार चिन्हित किये गये उत्पादों के निर्माण में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सामान्य उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उत्पाद में गुणात्मक सुधार करना एवं उत्पादक में उद्यमिता का संचार करना है जिससे उत्पाद की बाजार मांग में वृद्धि हो तथा उत्पादक को मूल्य वृद्धि का लाभ पहुॅचे।

डिजाइन विकासः— चिन्हित हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के डिजाइन विकास हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से डवटेलिंग करते हुए प्रोटोटाइप विकास किया जायेगा।

पैकेजिंग एवं लैबलिंगः— पैकेजिंग एवं लैबलिंग पर हुए व्यय भार की प्रतिपूर्ति हेतु एक बार में 90 प्रतिशत तक एक मुश्त सहायता दिये जाने हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

विपणन सहायताः— जनपद/राज्य/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मेला, प्रदर्शनी एवं सेमिनार/ बायर—सेलर मीट में प्रतिभाग पर स्टाल किराया/ आने जाने का व्यय प्रतिपूर्ति तथा आवास के लिए सामूहिक व्यवस्था आनलाइन मार्केटिंग/पोर्टल के माध्यम से व्यवसाय पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/ राज्य सरकार की मार्केटिंग योजना के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

ब्राण्डिंगः— बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी गेस्ट हाउस, अदि स्थानों पर ODTP लोगो युक्त ग्लो साइन बोर्ड, होर्डिग्स, फ्लैक्स बैनर आदि के माध्यम ब्रान्डिंग की जायेगी तथा शोरूम/ विक्रय केन्द्र खोले जायेंगे और विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, भारत सरकार की योजनाओं से डवटेलिंग कर सहायता प्रदान की जायेगी।

पात्र गतिविधियांः— राज्य के सभी 26 उत्पादों के व्यवसाय से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल है।

तालिका 16.18
एक जनपद दो उत्पाद की चिन्हित सूची

क्र. सं.	जिला	जिलो में बनने वाले मुख्य उत्पाद	जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा चिन्हित अग्रणी उत्पाद	एमएसएमई विभाग द्वारा चिन्हित एक जिला दो उत्पाद
1.	अल्मोडा	1. ट्वीड 2. बाल मिठाई 3. ऐपण 4. वेलनेस पर्यटन	1. वेलनेस पर्यटन 2. हैंडलूम, हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पाद	1. ट्वीड (Tweed) 2. बाल मिठाई (Bal Mithai)
		5. हैंडलूम, हथकरघा एवं हस्तशिल्प 6. ताम्र उत्पाद, नेचुरल फाइबर		
2.	बागेश्वर	1. ताम्र शिल्प, हस्तशिल्प उत्पाद 2. मण्डुवा बिस्कुट, बेकरी 3. हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पाद 4. पर्यटन, पैट ब्रीडिंग	1. पर्यटन 2. हस्तशिल्प उत्पाद	1. ताम्र शिल्प उत्पाद (Copper Artefacts) 2. मण्डुवा बिस्कुट (Manduwa Biscuits)

3.	चम्पावत	1. लौह शिल्प उत्पाद 2. हाथ से बुने उत्पाद 3. दुग्ध, शहद उत्पाद 4. कृषि एवं सह उत्पाद	1. लौह शिल्प उत्पाद 2. दुग्ध उत्पाद	1. लौह शिल्प (Iron Crafts Products) 2. हाथ से बुने उत्पाद (Hand Knitted products)
4.	चमोली	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद 2. बिच्छु घास के उत्पाद, नेचुरल फाइबर 3. राजमा, हर्बल ग्रीन टी 4. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद 5. फल आधारित उत्पाद 6. शहद, गुलाब जल	1. राजमा 2. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद	1. हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद (Handloom and Handicrafts Products) 2. एरोमेटिक हर्बल उत्पाद (Aromatic Herbal Products)
5.	देहरादून	1. बेकरी उत्पाद 2. मशरूम, लींची उत्पाद, बासमती 3. फार्मा प्रोडक्टस 4. रेडीमेड गारमेंटस	1. बासमती 2. फार्मा प्रोडक्टस	1. बेकरी उत्पाद (Bakery Products) 2. मशरूम (Mushroom)
6.	हरिद्वार	1. जगरी, खांडसारी, हनी 2. आटोमूवील्स 3. पाटरी 4. फार्मा प्रोडक्टस	1. फार्मा प्रोडक्टस 2. आटोमूवील्स	1. जगरी (Jaggery) 2. हनी (Honey)
7.	नैनीताल	1. कैंडल क्राफ्ट 2. ऐपन क्राफ्ट 3. प्रोसेसड फ्रूट 4. लेमन ग्रास प्रोडक्ट्स	1. प्रोसेसड फ्रूट 2. ऐपण क्राफ्ट	1. ऐपण क्राफ्ट (Aipan Craft) 2. कैंडिल क्राफ्ट (Candle Craft)
8.	पिथौरागढ़	1. मंडुवा रागी, मुंस्यारी राजमा 2. ऊनी कारपेट्स 3. अमेश उत्पाद 4. नमकीन चाय	1. मंडुवा रागी 2. मुंस्यारी राजमा	1. ऊनी कारपेट्स (Woolen Carpets) 2. मुंस्यारी राजमा (Munsyari Rajma)
9.	पौड़ी	1. हर्बल मेडीसिन 2. एग्री एव एलाइड प्रोडक्टस 3. वुडन फर्नीचर 4. लेमनग्रास आयल	1. हर्बल मेडीसिन 2. एग्री एव एलाइड प्रोडक्ट्स	1. हर्बल उत्पाद (Herbal Products) 2. वुडन फर्नीचर (Wooden Furniture)
10.	रूद्रप्रयाग	1. हैंडीक्राफ्ट मंदिर उत्पाद 2. मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प उत्पाद 3. प्रसाद, रामदाना उत्पाद 4. एग्री एलाइड प्रोडक्ट्स	1. हैंडीक्राफ्ट उत्पाद 2. रामदाना उत्पाद	1. मंदिर अनुकृति (Mandir Imitation Handicrafts) 2. प्रसाद (Prasad Products)
11.	टिहरी	1. नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स 2. टिहरी नथ 3. एडवेंचर टूरिज्म 4. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स 5. अदरक उत्पाद	1. एडवेंचर टूरिज्म 2. हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स	1. नेचुरल फाइबर प्रोडक्ट्स (Natural Fiber Products) 2. टिहरी नथ (Tehri Nath)

12.	उधमसिंह नगर	1. मेंथा आयल, मूंज ग्रास उत्पाद 2. ब्लाक पिंटेड उत्पाद 3. फूड प्रोडक्ट्स 4. राइस एवं लींची 5. आटोमूवील्स	1. राइस एवं लींची 2. आटोमूवील्स	1. मेंथा आयल (Mentha Oil) 2. मूंज ग्रास उत्पाद (Moonj Grass Products)
13.	उत्तरकाशी	1. ऊनी हस्तशिल्प (बैंडी उत्पाद) 2. एप्पल फ्रूट बेस उत्पाद 3. राजमा 4. वूलन प्रोडक्ट्स	1. एप्पल 2. राजमा 3. वूलन प्रोडक्ट्स	1. ऊनी (बैंडी उत्पाद) { Woolen (Bandy Products)} 2. एप्पल फ्रूट बेस उत्पाद (Apple Fruit based Products)

स्त्रोत: उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.20 सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति–2023:– उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें किसी भी आकार, मोटाई, माप व रंग के प्लास्टिक कैरी बैग (हैण्डल के साथ अथवा बिना हैण्डल के) और नॉन–वोवन पॉली प्रोपाईलिन बैग, थर्मोकोल (पॉलीस्टायरीन), पॉलीयुरेथेन, स्टायरोफोम और इसी तरह किसी भी आकार व प्रकार के बने एकल उपयोग के डिसपोजेबल कटलरी या प्लास्टिक जैसे प्लेट ट्रे, कटोरे, कप, गिलास, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, चाकू, स्ट्रिर आदि, के उत्पादन, क्रय–विक्रय, आयात, भण्डारण, उपयोग व आपूर्ति सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिबन्धित की गयी है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को भी प्रतिबन्धित किया गया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से राज्य में इन उत्पादों का उत्पादन कार्य बन्द हो गया है और सृजित रोजगार भी इससे प्रभावित हुआ है। इसके दृष्टिगत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण से निपटने और एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) के विकल्प (Alternatives) के रूप में अनुलग्नक–1 में दिये गये उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त टॉप–अप सहायता के रूप में प्रोत्साहन देय होंगे।

प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक की प्रभावित इकाईयों को वैकल्पिक या गैर–प्रतिबन्धित उत्पादों की नई इकाईयों की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विविधीकरण (Diversification) को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु नीति प्रख्यापित की गई है।

नीति में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादों के विनिर्माण हेतु एमएसएमई नीति–2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों के अतिरिक्त निम्नानुसार अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान किया गया है:–

i. निवेश प्रोत्साहन सहायताः— उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर एमएसएमई नीति में वर्गीकृत श्रेणियों में अनुमन्य निवेश प्रोत्साहन सहायता के अतिरिक्त टॉप—अप के रूप में तालिका में निम्नानुसार स्तम्भ—4 में किये गये प्राविधानानुसार अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन सहायता दी जायेगीः—

तालिका 16.19

क्र. सं	जनपद/क्षेत्र का वर्गीकरण	एमएसएमई नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम सीमा/मात्रा	प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली नई/विस्तारीकरण की एमएसएमई इकाईयों को टॉप—अप सहायता के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	2	3	4
1	श्रेणी— ए	40 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 40 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
2	श्रेणी— बी व बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 35 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
3	श्रेणी— सी	30 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 30 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)
4	श्रेणी—डी	15 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 15 लाख)	10 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 10 लाख)

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

ii. ब्याज उपादानः— उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय संस्था/बैंक से लिए गये सावधि ऋण पर देय ब्याज में एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज उपादान के अतिरिक्त टॉप—अप के रूप में निम्नानुसार अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता दी जायेगी —

तालिका 16.20

क्र. सं	श्रेणी	एमएसएमई नीति में प्रदत्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की अधिकतम मात्रा/सीमा	प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों का विनिर्माण करने वाली नई/विस्तारीकरण की एमएसएमई इकाईयों को टॉप—अप सहायता के रूप में दी जाने वाली अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1.	श्रेणी— ए	10 प्रतिशत अधिकतम ₹ 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	—
2.	श्रेणी—बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	—
3.	श्रेणी— सी	06 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	एमएसएमई नीति—2015 (यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम ₹ 01 लाख/प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।
4.	श्रेणी— डी	05 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 03 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	एमएसएमई नीति—2015 (यथासंशोधित) में निर्धारित ब्याज उपादान दर की सीमा में, अधिकतम ₹ 02 लाख/प्रतिवर्ष/प्रति इकाई।

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

iii. एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति : उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 16.02.2021 तथा भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 से प्रभावित इकाईयों को वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण हेतु विद्यमान उद्यम के विविधीकरण अथवा नये उद्यम की स्थापना हेतु क्रय किये गये नये प्लाण्ट व मशीनरी पर प्रभार्य एसजीएसटी में से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले कुल सकल एसजीएसटी (आईटीसी के समायोजन के उपरान्त) का 20 प्रतिशत, प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जायेगी।

उक्त सभी सुविधाओं का लाभ मात्र उन इकाईयों को उपलब्ध होगा, जो केन्द्र/राज्य सरकार के प्रतिबन्ध आदेश के कारण प्रभावित अथवा बन्द हो गयी है।

नीति आयोग द्वारा "प्लास्टिक और उनके अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी" में परिभाषित उद्यम :–

तालिका 16.21

उत्पाद हेतु कच्चा माल	पॉलीमर	सामान्य बायोमास श्रोत	सामान्य उपयोगों के उदाहरण
कपास	सेल्यूलोज	कपास का पौधा (गॉस्पियम एसपी.)	वस्त्र, अन्य कपड़े
हैम्प	सेल्यूलोज	हैम्प (कैनेबिस सेटीवा)	वस्त्र, अन्य कपड़े
फ्लैक्स/लिनेन	सेल्यूलोज	फ्लैक्स/लिन्सीड (लिनम यूसीटेटीसिमम)	वस्त्र, अन्य कपड़े
जूट	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	(कॉरकोरस एसपी.)	बोरे, कालीन, कपड़े, रस्सी, अन्य कपड़े
कॉयर फाइबर	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	नारियल (बाहरी खोल)	चटाई, ब्रश, बोरी, रस्सी, मछली पकड़ने के जाल
रैमे	सेल्यूलोज	चाइना ग्रास (बोहमेरिया नीविया)	वस्त्र, अन्य कपड़े, औद्योगिक सिलाई धागा
अबाका/मनीला हैम्प	सेल्यूलोज, लिग्निन एवं पेक्टिन	केला (मूसा टेक्सटीलिस, अखाद्य)	टी बैग, बैंकनोट, चटाई, रस्सी
पिना	सेल्यूलोज एवं लिग्निन	अनानास का पत्ता (अनानास कोमोसस)	वस्त्र, अन्य कपड़े
सिसल		(अगावे सिसलाना)	कपड़ा, बैग, रस्सी, सुतली
अन्य वैकल्पिक उत्पादः जैव–प्लास्टिक्स, बायो–डिग्रेडेबल प्लास्टिक, कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, ऑक्सो–डिग्रेडेबल/ ऑक्सी–डिग्रेडेबल/ ऑक्सी– बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, कृषि अवशेषों, गत्ते और कागज से बनी कटलरी, राम बांस से बनी वस्तुएं, प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तुएं, केले की पत्तियों से बनी वस्तुएं।			

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.21 अवस्थापना विकासः– राज्य में उद्योग विभाग/यूपीएसआईडीसी (U.P State Industrial Development Corporation) द्वारा 2116.62 एकड़ भूमि में 46 बृहत/मिनी/औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैः–

तालिका 16.22

क्र.सं.	औद्योगिक आस्थान	संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान	30	148.56
2.	यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र	16	1968.06
	योगः	**46**	**2116.62**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

सूक्ष्म व लघु विनिर्माणक उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये भूमि की उचित दरों पर व्यवस्था हेतु भूमि बैंक तथा नये औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के दृष्टिगत सूक्ष्म व लघु उद्योगों को अवस्थापना सुविधाओं युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिये प्रथम चरण में 5 मिनी औद्योगिक आस्थानों यथाः रानीपोखरी एवं लॉघा रोड (देहरादून), किच्छा (ऊधमसिंहनगर), विण (पिथौरागढ़) एवं भीमताल (नैनीताल) में से 3 मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण तथा किच्छा व भीमताल में गतिमान है।

तालिका 16.23
मिनी एवं वृहद औद्योगिक आस्थानों का विवरण

क्र0स0	जनपद	मिनी	क्षेत्रफल (एकड में)	वृहद	क्षेत्रफल (एकड में)
1	देहरादून	रानीपोखरी	2.55	पटेल नगर,	10.00
		लॉघारोड, छरबा	2.55	विकास नगर	4.00
		रगवाड	3.22		
2	पौड़ी	बुवाखाल	2.15	सिताबपुर	7.00
3	टिहरी	लक्ष्मोली, देवप्रयाग	1.71		
		सरोठा छाम	2.17		
4	चमोली	कालेश्वर जयकन्डी	2.50		
5	रूद्रप्रयाग	भटवाड़ी सैण	2.50		
6	उत्तरकाशी	मौरी खरसाड़ी	2.68		
		डूण्डा	1.11		
		गवाणा	1.10		
		पुरोला	1.60		
7	हरिद्वार	लक्सर पिपली	2.50	रूड़की	30.227
8	नैनीताल	बैताल घाट	2.50	भीमताल	7.00
9	उधमसिंह नगर	किच्छा	2.45	काशीपुर	19.99
				रूद्रपुर	11.26
10	चम्पावत	पुनेठी	2.50		
11	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	2.798	पातालदेवी	4.27
		चिलियानौला ताड़ीखेत	2.118		
		भिकियासैंण	2.35		
12	बागेश्वर	गरूड़	2.50		
13	पिथौरागढ़	मुनस्यारी, घोर पटट्ा	1.906	विण	7.00
योग			47.862		100.697

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.22 उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के प्रबन्धन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये वर्ष 2003 में गठित सिडकुल द्वारा 7939 एकड़ भूमि पर निम्नांकित औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई हैः–

तालिका 16.24

क्र.सं.	जनपद	औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र	भूमि (एकड़ में)
1.	देहरादून	फार्मासिटी, सेलाकुई	50
2.		आई.टी.पार्क, सहत्रधारा रोड	67
3.	हरिद्वार	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, बी.एच.ई.एल., हरिद्वार	1695
4.	ऊधमसिंह नगर	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पंतनगर	3234
5.		एल्डिको सिडकुल औद्योगिक आस्थान, सितारगंज	1093
6.		सितारगंज, सिडकुल फेज–2	1700
7.	पौड़ी	विकास केन्द्र, सिगड्डी, कोटद्वार	100
		कुल	**7939**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.23 सिडकुल के नये औद्योगिक पार्कः– हरिद्वार में 96 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाईसेस पार्क, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में अरोमा पार्क तथा हरिद्वार फार्मासिटी के समीप 75 एकड़ भूमि में एक और फार्मासिटी के विस्तारीकरण की कार्यवाही सिडकुल द्वारा की जा रही है। इस पार्क में फार्मा क्षेत्र की इकाईयों से समन्वय करते हुये स्थानीय जरूरतों के लिये स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों के निर्माण पर बल दिया गया है। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में अत्याधुनिक कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सेंटर, प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं का विकास, प्रोटोटाईपिंग और थ्री–डी डिजाईनिंग, बायों मेटेरियल टेस्टिंग, इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाईन, पैकेजिंग व इन्क्यूबेशन सेंटर की सुविधा उपलब्ध होगी। रक्षा क्षेत्र में निवेश के प्रोत्साहन हेतु एरोस्पेस एण्ड डिफेन्स पॉलिसी प्रख्यापित की गई है।

सिडकुल द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों में सीमित भूमि होने के कारण निजी क्षेत्र को भी औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु प्रोत्साहित किया गया है। कुल 3774.81 एकड़ भूमि पर 50 निजी औद्योगिक आस्थान विभिन्न जनपदों में विकसित किये गये हैं। बड़े निवेशकों को भूमि की उपलब्धता में सहयोग करने के लिये भारत सरकार से विशेष औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि में रू. 50 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की बृहत परियोजनाओं (Mega Projects) की स्थापना के लिये आवश्यकता के अनुरूप भूमि क्रय की सुविधा देने तथा विशेष पैकज की अनुमन्यता के लिये दिसम्बर, 2006 में विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने की नीति घोषित की गई, जिसके तहत 464.42 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 26 बृहत परियोजनाओं के लिये अधिसूचित किये गये हैं।

16.24 निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/ क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति–2023:– उत्तराखण्ड राज्य में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र की भागीदारी में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 2004 में नीति प्राख्यापित की गयी थी। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा/ आवश्यकता मैदानी क्षेत्र के लिए 30 एकड़ तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिए 02 एकड़ निर्धारित की गयी है।

उक्त नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा 49 निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। चूंकि इन सभी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्र की भूमि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में उत्तराखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए अधिसूचित की गयी थी और इस नीति में किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया गया था।

वर्ष 2008 में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति –2008 में पर्वतीय क्षेत्रों में निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये आस्थान के प्राथमिक अवस्थापना सुविधाओं जैसे आंतरिक सड़कें, नालियां, प्रकाश व्यवस्था आदि पर किये गये कुल व्यय पर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 50 लाख तक का उपादान दिये जाने का प्राविधान किया गया। इस प्राविधान को एम.एस.एम.ई. नीति 2015 में भी सम्मिलित किया गया।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष औद्योगिक पैकेज समाप्त होने तथा सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक आस्थानों में उद्योगों के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र हेतु नई नीति प्रख्यापित की गयी है।

नई नीति के प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से हैं:

1. निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्र में कम से कम 30 एकड़ और पर्वतीय क्षेत्र

में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक भूमि होनी आवश्यक है।

2. निजी क्षेत्र में आईटी पार्क/बायोटैक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना आवश्यक है।

3. इस नीति के तहत विनिर्माणक उद्योगों के साथ–साथ सैक्टर विशेष के उद्योगों, जैसेः परिधान/वस्त्र उद्योग पार्क, फूड पार्क, अरोमा पार्क, ऑटामोबाइल एंसिलरी उद्योग पार्क, आईटी/सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, एयरोस्पेस एवं रक्षा पार्क, नॉलेज पार्क, फिल्म सिटी/क्षेत्र, मेडिसिटी, एजुसिटी आदि के विकास के लिए औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4. निजी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र के लिए निवेशक/प्रवर्तक अपने श्रोतों से स्वयं भूमि की व्यवस्था करेगा। यदि निवेशक सिडकुल से भूमि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भूमि की आवश्यकता के लिए सिडकुल को प्रस्ताव देना होगा, ताकि सिडकुल बोर्ड प्रस्ताव पर नियम व शर्तों के साथ निर्णय ले सके।

5. निजी क्षेत्र के आस्थानों के विकास के लिए सीडा के मानदण्डों का पालन करना आवश्यक होगा।

6. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों के विकास के लिए सीडा/यूनीफाइड बिल्डिंग बॉय–लॉज का पालन करना होगा और सीडा नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

7. ऐसे औद्योगिक आस्थनों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, आन्तरिक सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सामान्य सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व आस्थान की प्रवर्तक संस्था/कम्पनी/स्वामी की होगी।

8. मैदानी क्षेत्र के बृहत औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 10 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयां तथा पर्वतीय क्षेत्र के मिनी औद्योगिक आस्थानों में न्यूनतम 05 स्वतन्त्र एमएसएमई इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि दी जानी आवश्यक होगी।

9. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/विनियमन की प्रक्रिया दो चरणों की होगी। प्रथम चरण में औद्योगिक आस्थान की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जायेगी। दूसरे चरण में आस्थान के लिए अर्जित भूमि पर सीडा द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

10. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के बाहर आवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये ₹ 100 करोड़ की निधि से आवस्थापना विकास कोष बनाया जायेगा। इस कोष का संचालन सिडकुल द्वारा किया जायेगा। कोष में रखी गई उक्त निधि में से औद्योगिक आस्थान में किये जा रहे कुल पूंजी निवेश के सापेक्ष 2 प्रतिशत धनराशि आस्थान के बाहर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु दिया जायेगा।

11. निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों के विकास के लिए आवेदकों को औद्योगिक आस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास पर ₹ 10 लाख प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत उपादान भी दिया जायेगा। कुल स्वीकृत पूंजीगत उपादान में से 10 प्रतिशत धनराशि प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि के अर्जन, स्थल विकास/ले–आउट की स्वीकृति का कार्य पूर्ण होने पर अवमुक्त की जाएगी। तत्पश्चात 25 प्रतिशत धनराशि, अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण होने पर, 40 प्रतिशत धनराशि, कुल बिक्री योग्य भूखण्डों में से 60 प्रतिशत भूखण्डों की बिक्री होने तथा 25 प्रतिशत धनराशि, औद्योगिक आस्थान के पूर्ण रूप से संचालन तथा 50 प्रतिशत उद्योगों की स्थापना होने पर देय होगी।

12. निजी औद्योगिक आस्थानों में सीईटीपी की स्थापना पर भी सीईटीपी संयंत्र पर किये गये अचल

पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 01 करोड़ तक का उपादान दिया जायेगा।

13. स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों का संवितरण सिडकुल द्वारा बनाए गए एस्क्रो एकाउण्ट के माध्यम से किया जायेगा।

14. प्रस्तावित नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

16.25 एमएसएमई ग्रामीण हाटः– नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अन्तर्गत चार एमएसएमई हाट क्रमशः भीमतल्ला (चमोली), देहरादून, पिथौरागढ़ व काशीपुर (ऊधमसिंहनगर) में बनाये गये हैं। इनमें से प्रथम हाट ''दून हाट'' के नाम से आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून में है, जिसमे में प्रदेश के शिल्पियों एवं परम्परागत सूक्ष्म/लघु उद्यमियों को अपने उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध है।

16.26 राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कय वरीयताः– यह नीति उन सूक्ष्म व लघु उद्यमों तथा स्टार्टप्स पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग विभाग से लघु उद्योग स्थायी पंजीकरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 (MSMED Act-2006) के अन्तर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (E.M. Part-II) की अभिस्वीकृति अथवा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से उद्योग आधार प्राप्त किया हो या जिनको औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप कॉउंसिल से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता मिली हो।

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए निष्पक्ष, समान, पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। क्रय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प, स्टार्टप्स सहित) को प्रदेश के मध्यम व बृहत उद्यमों और प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें, न्यूनतम दर (L1) से अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत हो। परन्तु एम0एस0एम0ई0 नीति–2015 में वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिये अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

निविदा में प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित), जिसने L1+10 प्रतिशत (श्रेणी ए व बी के वर्गीकृत जनपदों/क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिये L1+15 प्रतिशत) मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है और ऐसी परिस्थिति में जहां प्रदेश के सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा हस्तशिल्प व स्टार्टप्स सहित) के अतिरिक्त L1 दरें किसी अन्य इकाई की हों, वहां सहभागी सूक्ष्म व लघु उद्यमों की मूल्य की दरें L1 मूल्य के स्तर पर लाकर उन्हें आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे। ऐसे एक से अधिक प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गई मात्रा तक) बांटा जायेगा।

सामग्री/सेवाओं के उपापन के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विभाग/संस्थान/उपक्रम/निकाय के लिये प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा–हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) से न्यूनतम 25 प्रतिशत उपापन करना आज्ञापक (Mandatory) होगा। सूक्ष्म व लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य के अन्दर महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से खरीद के लिये 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

16.27 संव्यवहार लागत में कमीः– संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म व लघु उद्यमों

(कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को निशुल्क निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराकर निविदा हेतु निश्चित अग्रिम राशि (EMD) में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी। सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी एव स्टार्टप्स सहित) को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर, विनिर्माण/सेवा का अनुभव/आपूर्ति की मात्रा, परिचालन अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की पूर्व अर्हता (Pre-qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में, जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण सुरक्षा ऑपरेशन्स और उपकरण जहाँ पर विनिर्माण/सेवा का अनुभव, आपूर्ति की मात्रा व परिचालन का अनुभव/प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपरिहार्य हो, सालाना टर्नओवर तथा पूर्व अनुभव की शर्त में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत पंजीकृत इकाईयों की जनपदवार विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 16.25

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पंजीकृत इकाईयाँ
1	देहरादून	19
2	हरिद्वार	2
3	ऊधमसिंहनगर	5
4	टिहरी	1
5	नैनीताल	10
6	अल्मोड़ा	3
7	बागेश्वर	1
योग		**41**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.28 एमएसएमई क्लस्टर विकासः– भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों यथाः एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग एवं संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, रसायन व पेट्रो रसायन विभाग द्वारा कलस्टर विकास से संबंधित योजनायें लागू की गयी है। राज्य में एमएसएमई इकाईयों की दक्षता बढ़ाने व लागत कम करने हेतु आरंभिक रूप से 5 कलस्टर– मेंथा कलस्टर, काशीपुर, पेट कलस्टर, भगवानपुर, गुड एवं खाण्डसारी कलस्टर, रूडकी, फार्मा कलस्टर, सेलाकुई व गोल्ड कलस्टर, हल्द्वानी की डायाग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार कर डीपीआर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। मैंथा क्लस्टर की डीपीआर तैयार है।

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एमएसई–सीडीपी योजना में ₹ 20.00 करोड़ तक के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं। हिमालयी राज्यों हेतु योजना के वित्त पोषण में 90:10 के अनुपात में व्यय वहन किये जाने का प्राविधान है।

ये परियोजनायें एसपीवी के माध्यम से चलाई जायेंगी, जिनमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तालिका 16.26

क्र0 सं0	(सेक्शन 8 कम्पनी)	परियोजना लागत (लाख ₹ में)	केन्द्रांश (लाख ₹ में)	एसपीवी का अंश (लाख ₹ में)	राज्यांश (लाख ₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पेट कलस्टर, भगवानपुर, हरिद्वार **एसपीवी– बीजेन लिबा पैकिंग फाउंडेशन**	2169.07	1800.00	344.07	**25.00**

2	जेगरी एण्ड खाण्डसारी कलस्टर, हरिद्वार **एसपीवी– निखालस ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर फेडरेशन**	1943.15	1514.34	169.29	**259.52**
3	गोल्ड कलस्टर, हल्द्वानी **एसपीवी– पीताम्बरी ऑरनामेंट फेडरेशन**	1144.7 3	882.09	212.64	**50.00**
4	मेन्था कलस्टर, एरोमा पार्क, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर **एसपीवी–एल्कन लाईफ सांईसेज फाउण्डेशन**	2054.25	1800.00	229.25	**25.00**

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.29 एमएसएमई टैक्नोलॉजी सेन्टरः– एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राज्य में इलेक्ट्रानिक टूल रूम कानिया, रामनगर, नैनीताल व सिडकुल सितारगंज में 20 एकड़ में एमएसएमई टूल रूम की स्थापना की गयी है। टैक्नोलॉजी सेन्टर विशेषतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निम्न रूप से सहयोग देते हैंः–

स्कूल छोड़ने वालों से लेकर स्नातक इंजीनियरों तक विभिन्न स्तरों पर युवाओं के तकनीकी कौशल का विकास/विस्तार करने के लिये अवसर प्रदान करके श्रम शक्ति को कुशल बनाना।

एमएसएमई और उद्यमियों को तकनीकी और व्यवसायिक परामर्श उपलब्ध कराना।

उद्यमों की तकनीकी एवं कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं के दृष्टिगत एमएसएमई टैक्नोलॉजी सेन्टर के नेटवर्क का विस्तार तथा उसे आधुनिक बनाने के उद्देश्य से देश भर में 15 नये प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 200 मिलियन अमरिकी डालर की विश्व बैंक की ऋण सहायता सहित ₹ 2200 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिक केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

15 नये स्थापित होने वाले प्रौद्योगिक केन्द्रों में एक केन्द्र की स्थापना सितारगंज में करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क 20 एकड़ भूमि का आवंटित की है। सितारगंज में स्थापित होने वाले केन्द्र की अनुमानित लागत ₹ 125 करोड़ है, जिसमें जनरल इंजीनियरिंग और ऑटो सैक्टर पर आधारित है।

इस केन्द्र में टूल डिजाइन और विनिर्माण, सीएनसी विनिर्माण, रख–रखाव, एडवान्स बिल्डिंग, मैकाट्रॉनिक्स, इण्डस्ट्रियल एण्ड प्रोसेस ऑटोमेशन आदि पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

निर्माण प्रबन्ध परामर्शदाता मैसर्स टाटा कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग द्वारा परियोजना स्थल के लिये जीयोटैक्नीकल सर्वेक्षण किया गया है।

प्रौद्योगिक केन्द्र के आरम्भ होने के फलस्वरूप विभिन्न एमएसएमई इकाईयॉ तथा इस क्षेत्र में कार्यरत श्रम एवं बेरोजगार लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने में मदद मिलेगी।

16.30 टैक्नोलॉजी सेन्टर सिस्टम्स प्रोग्राम के 4 घटक होंगेः–

1. भौतिक बुनियादी ढॉचे की स्थापना और विद्यमान तकनीक का उच्चीकरण/आधुनिकीकरण।

2. विनिर्माण प्रौद्योगिकी भागीदारों का समावेश।

3. एमएसएमई क्षेत्र में शिक्षाविदों, बड़े उद्यमियों, शोध संस्थानों आदि प्रमुख स्टेक होल्डरों के बीच समन्वय हेतु क्लस्टर नेटवर्क मैनेजरों को शामिल किया जाना।

4. एमएसएमई क्षेत्र में पारस्परिक संवाद तथा आवश्यक सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु पोर्टल विकास।

16.31 हथकरघा एवं हस्तशिल्प सैक्टरः– राज्य के परंपरागत शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समूचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किये गये। बी0पी0एल0 श्रेणी के ऐसे शिल्पी जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा समाज कल्याण विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे है को प्रोत्साहन रूप में विभाग द्वारा शिल्पियों हेतु "शिल्पी पेंशन योजना" प्रारंभ की गयी है।

हथकरघा कताई–बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता के रूप में अब तक 46 महिला बुनकरों को हथकरघे एवं सहवर्ती उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

थारू बोक्सा एवं अन्य जनजाति की महिलाओं हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दो माह का विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने शिल्प के संवर्द्धन एवं विपणन करते हुये आर्थिक स्तर में वृद्धि कर सकें। अब तक 15 महिला समूहों को आच्छादित किया जा चुका है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ग्राम मटेना जनपद अल्मोड़ा में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के तकनीकी विकास, प्रशिक्षण व शोध इत्यादि के कार्यो के लिए "नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैण्डलूम एण्ड नेचुरल फाईबर" का संचालन वर्तमान में हंस फाउण्डेशन के सहयोग से किया जा रहा है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों में राज्य में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों के सृजन एवं पर्यटन के साथ शिल्पों के विपणन को सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के माध्यम से कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के उत्कृष्ट उत्पादों को ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नेम के साथ विपणन किया जा रहा है। कोविड काल में बुनकर/शिल्पियों को ऑनलाईन विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पोर्टल अमेजान, फ्लिपकार्ट पर शिल्प उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।

राज्य के पॉच हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों– भोटिया दन, ऐंपण, रिंगाल क्राफट, ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जीयोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किये गये है। इस प्रकार वर्ष 2021 में 05 हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ हैं। वर्ष 2022 में नेटल (बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैन्डल, चमोली से मुखौटा एवं रूद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति के जी0आई0 प्रमुख है। जी0आई0 प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुॅच बनाने एवं वेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।

नैशनल हैण्डलूम एक्सपोः– उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा देश के बुनकरों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ''नैशनल हैण्डलूम एक्सपो'' का आयोजन किया गया। देश के बुनकरो एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियो द्वारा जो उच्च स्तरीय हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करते हैं, माह मई–जून, 2022 के एक्सपो में प्रतिभाग किया गया।

विगत वर्षों में इस एक्सपो का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष देहरादून में आयोजित एक्सपो में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त जम्मू–कश्मीर, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगना एवं कर्नाटक आदि राज्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक्सपो में सम्पूर्ण भारत वर्ष से आये हुये विशिष्ट हथकरघा उत्पादों यथा उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियां, दरी तथा कालीन, राजस्थान की जयपुरी चादरें, बिहार

की टसर एवं भागलपुरी ड्रेस मैटिरियल एवं साड़ियां, कर्नाटक की कांजीवरम सिल्क साड़ियां, पश्चिमी बंगाल की जमदानी बालचौरी साड़ियां, जम्मू कश्मीर के हथकरघा उत्पाद, आन्ध्र प्रदेश की सिल्क साड़ियां, मध्य प्रदेश की चन्देरी एवं महेश्वरी साड़ियां, बेडशीट / बेड कवर एवं उत्तराखण्ड की कॉटन बेडशीट / बेड कवर, स्कार्फ, मफलर, खादी, ड्रेस मैटिरियल, ट्वीड आदि हथकरघा उत्पाद पसन्द किये गये।

राज्य के उत्कृष्ट हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों को हिमाद्रि मण्डप के अन्तर्गत प्रदर्शन एवं विपणन किया गया। इस वर्ष नैशनल हैण्डलूम एक्सपो में 80 बुनकर समितियों / व्यक्तिगत बुनकर एवं हथकरघा समूहों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसके अन्तर्गत लगभग 110 स्टॉल उत्तराखण्ड राज्य के बुनकरों के लिये आरक्षित किये गये हैं। एक्सपो में इस वर्ष कुल बिक्री लगभग ₹ 1,71,55,095.00 रही।

16.32 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2022ः– प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से दिनांक 27 नवम्बर, 2022 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2022 का आयोजन किया गया, जिसमे 43 बुनकरों द्वारा अपने उत्पादों सहित प्रतिभाग किया गया। प्रर्दशनी के दौरान दिनांक 22–11–2022 को उत्तराखण्ड के अवसर पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी में शिल्पियों द्वारा कुल बिक्री ₹ 1,00,14,575 / – रही।

16.33 उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडः–

विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में कुल 104 इकाईयों को 119.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई जिसके द्वारा राज्य में 1697.11 करोड़ रूपयों का पूँजी निवेश एवं लगभग 8416 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा।

पी0एम0 गति शक्ति के अन्तर्गत स्टेट माल्टीमॉडल पोर्ट कनेक्टिविटी क्रियान्वयन हेतु सिडकुल को नोडल नामित किया गया है।

माह फरवरी 2022 में ओवर ऑल लैण्ड बैंक के सम्बन्ध में सिडकुल को लैण्ड बैंक बनाने के लिये नोडल नामित किया गया है।

निजी क्षेत्रों के औद्योगिक सम्पदाओं / क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के उददेश्य से निवेशकों को आर्कषित करने हेतु ''प्राईवेट इण्डस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी'' प्रख्यापित करने की कार्यवाही गतिमान है।

एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर में 41 एकड़ भूमि में एरोमा पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 23 इकाईयों को प्लॉट आवंटित किये जा चुके हैं।

भारत सरकार की ''प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना'' के अर्न्तगत एकीकृत औद्योगिक आस्थान सितारगंज फेज–2, जिला ऊधमसिंहनगर में 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 16 इकाईयों को प्लॉट आवंटित किये जा चुके है।

काशीपुर में विकसित किये जा रहे इलैक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर में मै0 समृद्धि ऑटोमेशन प्रा0 लि0 को एन्कर यूनिट के रूप में भूमि आवंटित की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगभग 175 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है।

छरबा, विकासनगर में फार्मा सिटी फेज–2 की 73 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

तालिका 16.27
औद्योगिक आस्थानों की स्थिति (2021–2022)

क्र0 सं0	औद्योगिक आस्थान	कुल क्षेत्रफल (एकड़)	आवंटन योग्य क्षेत्रफल (एकड़)	आवंटित क्षेत्रफल (एकड़)	निवेश (प्रस्तावित) (₹ करोड़ में)	औद्योगिक इकाईयों की संख्या	प्रस्तावित रोजगार
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार।	1695	1194	1194	7500	713	120325
2.	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर।	3234	2690 -45	2626 -15	16225	526	85717
3	फार्मासिटी सेलाकुई, देहरादून।	50	37-51	37-51	250	39	2774
4	ग्रोथसेन्टर, कोटद्वार।	100	58-55	53-31	610-05	120	4556
5	आई0टी0 पार्क, देहरादून।	72-35	59-08	59-08	676	60	124 26
6	ई0एस0आई0पी0एल0 सितारगंज।	1093	658-8	617-85	2200	367	12828
7	सिडकुल फेज–2, सितारगंज।	1763 -57	1022	480-59	2297 -9	11	8229
8	एकीकृत औद्योगिक आस्थान, काशीपुर।	310	196	2	28	1	80

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.34 खादी एवं ग्रामोद्योगः खादी ग्रामोद्योग परिषद को सहायता योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों को कलस्टर की चेन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर के चिन्हीकरण से लेकर कारीगरों के कौशल विकास, उत्पादन के चिन्हीकरण, स्थानीय स्तर पर प्राप्त होने वाले स्थानीय संसाधनों एवं प्रतिभा का अधिकतम् उपयोग एवं बाजार की व्यवस्था को सुदृढ किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पारम्परिक कास्तकारों एवं दस्तकारी के संरक्षण हेतु ऊनी कताई–बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध सुविधाओं जैसे– कताई चरखे, बुनाई लूम आदि को आधुनिक बनाया जाना प्रस्तावित है, ताकि इससे जुड़े कास्ताकरों को स्वरोजगार के अवसर के साथ–साथ उनकी आर्थिक आय में वृद्धि हो सके। उत्तराखण्ड की संस्कृति के अनुरूप उत्पाद, कला और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

वर्तमान बाजार माँग के अनुसार खादी वस्त्रों को तैयार कर खादी वस्त्रों की पहुँच आम आदमी तक उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष श्री गाँधी जयन्ती के शुभ अवसर पर 60 खादी संस्थानों से लगभग 200 ब्रिकी केन्दों के माध्यम से 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त खादी कास्तकारों को नियमित रूप से बाजार उपलब्ध कराने हेतु उनके विपणन/प्रचार–प्रसार हेतु मेले–प्रदर्शनियों का आयोजन/प्रतिभाग कराया जा रहा है।

16.35 उत्तराखण्ड ऊन योजनाः–

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ 04 क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग ऊन अल्मोड़ा, चम्बा, श्रीनगर, जसपुर में स्थापित हैं।

इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीनस्थ 20 उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से धागा कताई एवं वस्त्र बुनाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

08 केन्द्रों के माध्यम से कताई, बुनाई का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। 10 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से खादी वस्त्रों की बिक्री का कार्य संचालित किया जाता है।

तालिका 16.28

वर्ष 2021–22 की प्रगति

वर्ष	उत्पादन (लाख ₹ में)	बिक्री (लाख ₹ में)	रोजगार व्यक्ति
2020–21	84.24	184.87	363
2021–22	149.83	203.99	240

स्त्रोतः उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड

16.36 भूतत्व एवं खनिकर्मः–

उत्तराखण्ड एक हिमालयी पर्वतीय राज्य है जहाँ मुख्य खनिज एवं उपखनिज का भण्डार प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। मुख्य खनिज के रूप में मैग्नेसाइट, लाईमस्टोन, बेसमेंटल (सोना, चांदी, लेड आदि) इत्यादि तथा उपखनिज में स्वस्थानें चट्टानें किस्म के खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट आदि तथा नदी तल उपखनिज के रूप में बालू, बजरी, बोल्डर आदि उपलब्ध हैं। वन क्षेत्रान्तर्गत नदी तल खनन क्षेत्रों में खनन/चुगान का कार्य उत्तराखण्ड वन विकास निगम तथा राजस्व नदी क्षेत्रों मे गढ़वाल मण्डल विकास निगम व कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के द्वारा तथा निजी नाप भूमि क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों के द्वारा खनन कार्य किया जाता है। राज्य में मैग्नेसाइट की 03 खदानें, लाईमस्टोन की 03 खदानें, खनिज सोपस्टोन की 145 खदानें, आर०बी०एम० की 87 खदानें वर्तमान में स्वीकृत हैं। उपखनिज सोपस्टोन पर आधारित कुल 23 पल्वराईजर प्लांट्स तथा उपखनिज आर०बी०एम० पर आधारित कुल 418 स्टोनक्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स स्वीकृत/संचालित हैं। भारत सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में लाईमस्टोन ब्लॉकों (चौरा–08 वर्ग कि०मी० एवं गंगकोट–09 वर्ग कि०मी०) को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है, जिसकी ई–नीलामी की कार्यवाही गतिमान है।

विगत वित्तीय वर्ष 2021–22 में खनिजों से कुल ₹ 575.01 करोड़ का राजस्व अर्जन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित 825 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक कुल ₹ 314.08 करोड़ का राजस्व अर्जन हुआ है।

विभाग का मुख्य कार्य खनिज अन्वेषण, भू–अभियांत्रिकी कार्य एवं खनिज प्रशासन है। खनिज अन्वेषण एवं भू–अभियांत्रिकी सम्बन्धी कार्य विभाग में कार्यरत भू–वैज्ञानिकों एवं खनन प्रशासन से सम्बन्धित कार्य खनन अभियंताओं के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार खनिज अन्वेषण से सम्बन्धित कार्य प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, भारत सरकार में पंजीकृत के द्वारा भी किया जा सकता है। भारत सरकार में पंजीकृत प्राईवेट एक्सप्लोरेशन एजेन्सी, जियोवेल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा राज्य क्षेत्रान्तर्गत छः खनन ब्लॉकों में मुख्य खनिज बेसमेंटल के अन्वेषण कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कार्यवाही गतिमान है। राष्ट्रीय खनिज खोज न्याय (NMET) के कोष में मुख्य खनिजों के अन्वेषण कार्यों हेतु मुख्य खनिज के पट्टाधार से रायल्टी का 2 प्रतिशत धनराशि/अंशदान जमा कराया जाने का प्राविधान है जिसमें माह नवम्बर, 2022 तक उक्त कोष में ₹ 5,11,860.00 की धनराशि जमा हो चुकी है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के अनुसार खनिज अन्वेषण कार्यों में किया जायेगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–15 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा उपखनिज की खनन संक्रियाओं हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2001 तथा उपखनिज नीति 2016 प्रख्यापित है तथा उक्त अधिनियम की धारा–23 सी के अन्तर्गत प्रदेश में अवैध खनन/ परिवहन/ भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण) 2021 प्रख्यापित है।

अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु Mining Digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। खनिज परिवहन, खनन सर्विलांश हेतु प्रचलित ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन के सुचारू क्रियान्वयन के दृष्टिगत ई–रवन्ना पोर्टल को उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य गतिमान है। खनन प्रशासन कार्य कलापों के अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के आवंटन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान हैं।

वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 हेतु विजन तथा रणनीति का विवरणः– वर्ष 2025–26 तक खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य लगभग ₹ 1500 करोड़ होने का अनुमान है तथा खनन प्रशासन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षण कार्यो एवं अवैध खनन भण्डारण, परिवहन के 6000 प्रकरणों के निष्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–9 बी के अन्तर्गत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित है, जिसमें प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना की योजनायें (PMKKY) भी सम्मिलित हैं। राज्य के प्रत्येक जनपदों में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की स्थापना की गयी है जिसमें उपखनिजों की रॉयल्टी का 25 प्रतिशत, मुख्य खनिजों की रॉयल्टी का 10 प्रतिशत धनराशि अंशदान के रूप में जमा कराया जाता है जो जनपदों मे खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों में उपयोग में लायी जाती है। जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में अंशदान के रूप में माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 309.30 करोड़ जमा हुआ है। जनपदों में विकास से सम्बन्धित कुल 732 योजनायें स्वीकृत की गई हैं और योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु लगभग ₹ 26.64 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है।

अध्याय–17
श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास
Labour-Employment and Skill Development

17.1 सामान्य विवरण–श्रमः सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा नीतियों के माध्यम से अवैतनिक घरेलू कार्य करने वाले लोगों के योगदान को मौद्रिक रूप में मापने, महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करने, बाल श्रम के निषेध और तत्काल उन्मूलन के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने हेतु श्रम विभाग द्वारा प्रभावी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.1.1 श्रम में रोजगार की संरचनाः जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में से 38.43 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है, अर्थात 60 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या अनुत्पादक श्रेणी में है।

तालिका 17.1
राज्य में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

क्र0सं0	मद	श्रेणी	दैनिक मजदूरी दर ₹ में
1	2	3	4
1	57 अनुसूचित नियोजन	अकुशल	370.00
2		अर्द्धकुशल	393.00
3		कुशल	416.00
4		अतिकुशल	455.00
5	कृषि नियोजन	अकुशल	287.00
6	अभियन्त्रण नियोजन (50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	388.00
7		अर्द्धकुशल	426.00
8		कुशल	472.00
9	अभियन्त्रण नियोजन (500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन)	अकुशल	407.00
10		अर्द्धकुशल	447.00
11		कुशल	488.00

स्रोतः श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

17.1.2 बंधुवा श्रमिक पुनर्वास योजनाः बंधुवा श्रम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधुवा श्रमिकों को अवमुक्त करने एवं उनका पुर्नवास किए जाने तथा नियोजकों के विरूद्ध दण्ड का प्राविधान है।

17.1.3 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) प्रारम्भ की गई है। असंगठित क्षेत्र के विभिन्न नियोजनों एवं कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिक, जिनकी मासिक आय

₹ 15,000/– है, अपना नामांकन करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 40 वर्ष हो, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। श्रमिक द्वारा न्यूनतम ₹ 55 से अधिकतम ₹ 200 का मासिक नियमित योगदान करने पर अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण होने के उपरांत न्यूनतम धनराशि रूपया 3,000/– की मासिक पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। श्रमिक पति एवं पत्नी दोनों द्वारा नामांकन कराया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी (पति/पत्नी) द्वारा नियमित योगदान करने पर योजना को जारी रखा जा सकता है। माह दिसम्बर, 2022 तक PM-SYM में 38,677 श्रमिकों द्वारा अपना नामांकन कराया गया है।

17.1.4 एन0पी0एस0–ट्रेडर्सः राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत लघु एवं खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को उनकी वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक एवं आवधिक योगदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) प्रारम्भ की गई है। वे समस्त व्यापारी, जिनका वार्षिक टर्न ओवर ₹ 1.50 करोड़ से कम हो, अंशदाता द्वारा न्यूनतम ₹ 55 से अधिकतम ₹ 200 का मासिक नियमित योगदान करने पर अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण होने पर न्यूनतम धनराशि ₹ 3,000/– की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है। इसमें पति एवं पत्नी दोनों द्वारा नामांकन कराया जा सकता है। लाभार्थी की मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी (पति/पत्नी) द्वारा नियमित योगदान करने पर योजना को जारी रखा जा सकता है। माह दिसम्बर, 2022 तक 896 लाभार्थियों का नामाकंन कराया गया है।

17.1.5 ई–श्रम योजनाः भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का नेशनल डाटा बेस तैयार किये जाने हेतु ई–श्रम पोर्टल वर्ष 2021 में प्रारम्भ किया गया। पोर्टल के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकत्री, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट–भट्टा मजदूर, मछुवारे, लघु एवं खुदरा दुकानदार आदि जिनकी न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा अधिकतम आयु 59 वर्ष के मध्य हो, अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी आय प्रतिमाह ₹ 15000/– से कम है, जो पी0एफ0 अथवा ई.एस. आई. के लाभार्थी नहीं है तथा आयकर नहीं देते है, जन सुविधा केन्द्रो के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिक वैबसाईट (www.eshram.gov.in) तथा मोबाईल ऐप (उमंग) द्वारा भी स्व–पंजीकरण कर सकते है। माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 29,70,519 असंगठित श्रमिकों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया है। राज्य द्वारा पंजीकरण में देश–भर में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर माननीय केन्द्रीय श्रम मंत्री जी द्वारा सम्मान–पत्र प्रदान किया गया है।

ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत ₹ 02 लाख की दुर्घटना सहायता राशि का प्राविधान है। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जांएगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में इस डेटाबेस का उपयोग विभिन्न प्रकार की सहायता दिए जाने के लिए भी किया जा सकता है।

तालिका 17.2

जनपद	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन	राष्ट्रीय पेंशन योजना में नामांकन	ई–श्रम योजना में पंजीकृत कामगार
अल्मोड़ा	2169	16	196847
बागेश्वर	874	6	86646
चमोली	1894	9	123614
चम्पावत	2884	102	88923
देहरादून	6587	288	394661
हरिद्वार	5712	60	509268
नैनीताल	4494	55	275898
पौड़ी गढ़वाल	2679	41	174003
पिथौरागढ़	2931	07	128469
रूद्रप्रयाग	1064	02	78612
टिहरी गढ़वाल	2876	15	224537
ऊधमसिंह नगर	3419	287	568292
उत्तरकाशी	1094	8	120749
योग	**38,677**	**896**	**29,70,519**

स्रोतः श्रम विभाग, उत्तराखण्ड

17.1.6 औद्योगिक सम्बन्धः औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के कारण प्रदेश में श्रम विभाग, औद्योगिक विवादों के समाधान, औद्योगिक शान्ति तथा समन्वय आदि हेतु कार्यरत है। समझौता प्रकिया असफल होने पर विवादों/मामलों को श्रम न्यायालयों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वर्तमान में 01 औद्योगिक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय हल्द्वानी में तथा 03 श्रम न्यायालय क्रमशः देहरादून, हरिद्वार तथा काशीपुर में स्थित है।

राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कानूनः केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संविदा श्रम अधिनियम 1970, कारखाना अधिनियम 1948, ब्वायलर अधिनिमय 1923, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम 1961, वेतन संदाय अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, आनुतोशिक भुगतान अधिनियम 1972, स्थाई आदेश अधिनियम 1946, उत्तराखण्ड दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन) अधि. 1996, बाल श्रम अधिनियम 1986, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधि0 1979, वर्किंग जर्नलिस्ट अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965, मातृका हितलाभ अधिनियम 1961 तथा उ0प्र0. औद्योगिक विवाद अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।

17.1.7 विभागीय उपलब्धियाँः

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखानों तथा वाणिज्यिक अधिष्ठानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण कार्य ऑनलाईन किये गए हैं।
- राज्य में स्थापित कारखानों के निरीक्षण का कार्य प्रत्येक माह कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा रेण्डम आधार पर किया जाता है। जिसकी रिपोर्ट 48 घण्टों के अन्तर्गत पोर्टल पर अपलोड किये जाने का प्राविधान है।
- कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस का नवीनीकरण 10 वर्ष तक

किये जाने की व्यवस्था है, जिससे कारखानों को व्यापार की सुगमता हुई है।

• कारखाना अधिनियम–1948, ठेका श्रम, (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1979 तथा अर्न्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेंस स्वतः नवीनीकरण किए जाने का प्राविधान है।

• प्रदेश में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण माह मार्च, 2019 को 57 अलग–अलग नियोजनों हेतु किया गया, जिसमें वर्ष 2013 में घोषित न्यूनतम वेतन के सापेक्ष 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

• संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत स्थापनों/ठेकेदारों में 20 से अधिक कर्मकारों के नियोजित होने पर पंजीयन एवं लाईसेंस की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुए, उक्त संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार वाले स्थापनों/ठेकेदारों हेतु पंजीयन एवं लाईसेंस की बाध्यता समाप्त हो गयी है, जिससे व्यापार में सुगमता आयी है।

• राज्य में स्थापित कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिससे महिला कर्मकारों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहें हैं।

• भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटा बेस (National Data Base for unorganized worker) (NDUW) तैयार कराये जाने हेतु ई–श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है। माह दिसम्बर, 2022 तक 29,70,519 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है।

• प्रदेश में 3,615 कारखाने पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 6.99 लाख श्रमिक नियोजित है।

• ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत उद्योगों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों का 01 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर 2022 तक 95 यूनियनों का पंजीकरण किया गया है।

• विभागीय वेबसाईट को "ईज ऑफ डूईग बिजनेस" के अन्तर्गत उद्योग विभाग के सिंगल विंडों पोर्टल तथा भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

17.1.8 बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान/ईज ऑफ डूईंग बिजनेसः

1. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत उद्योगों/अधिष्ठानों के पंजीयन एवं लाईसेंसीकरण का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है, जिससे नियोजकों/आस्थानों को व्यापार प्रारम्भ करने में सुगमता हुई है। उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा–शर्त), अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निम्न कार्य किए गए हैः

I. दुकानों/अधिष्ठानों को अनिवार्य साप्ताहिक बन्दी के प्राविधानों से छूट प्रदान कर सतत व्यापार को बढ़ावा दिया गया है।

II. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट संबंधी संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त संशोधन से महिलाओं के नियोजन में वृद्धि होगी साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी प्राविधान रखे गये हैं ताकि उनके नियोजन में सुरक्षा संबंधित मानकों का अनुपालन नियोजक द्वारा किया जा सके।

III. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) नियमावली, 2020 के नियम–11 उप नियम–4 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत दुकानों एवं स्थापनों, रेस्टोरेण्ट, मॉल, थिएटर इत्यादि जो दुकान एवं स्थापनों की परिभाषा से आच्छादित हैं, में नियोजक द्वारा सभी कार्यरत कर्मकारों को कार्य करते समय कार्यस्थल में बैठने हेतु उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है, जिससे कर्मकारों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव होगा एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

IV. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार, विनियमन और सेवा–शर्त), अधिनियम, 2017 की धारा–21 में संशोधन प्रस्ताव ("इस अधिनियम में

अभिव्यक्त रूप से उपबंधित या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उल्लंघन को दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गम्भीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु या दुर्घटना हुई है, जुर्माने, जो 2–10 लाख रु0 तक हो सकता है, से दंडनीय होगा।) को माननीय कैबिनेट द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है।

2. Ease of Doing Business के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में औचक निरीक्षण व्यवस्था के स्थान पर ऑनलाईन निरीक्षण व्यवस्था प्रचलित की गयी है, जिससे संबंधित प्रतिष्ठान को विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानित नियमानुसार अनुपालन करने में सुगमता हुई है।

3. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों में महिलाओं को राज्य में रात्रि पाली (रात्रि 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक) में कार्य करने की छूट दी गयी है, इसमें उनकी सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाएं रोकने हेतु प्रावधान किए गए हैं, साथ ही उन्हें आवागमन सुविधा, आवागमन हेतु पृथक से सुरक्षा गार्ड, महिलाओं के छोटे बच्चों हेतु क्रेच आदि की अनिवार्यता से महिला कामगारों के अनुकूल वातावरण बनाने में अत्यधिक बल मिला है।

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाइसेंस नवीनीकरण 10 वर्ष तक की अवधि तक किये जाने का प्राविधान किया गया है।

5. Low risk वाले कारखानों के लिए स्व–प्रमाणीकरण योजना शुरू की गई है।

6. कारखाना अधिनियम, ब्वॉयलर अधिनियम तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत थर्ड पार्टी ऑडिट की योजना प्रचलित की गयी है।

7. विभागीय वेबसाईट को **''मेक इन इण्डिया''** के तहत उद्योग विभाग के सिंगल विंडों सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है।

8. विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को सेवा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवर्त्त किया गया है तथा प्रत्येक कार्य हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

9. कारखाना अधिनियम, 1948, संविदा श्रम अधिनियम, 1970 तथा अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अंतर्गत जारी किये जाने वाले लाईसेंसों हेतु स्वतः नवीनीकरण (Deemed Renewal) का प्राविधान कर आस्थानों /प्रतिष्ठानों को व्यापार में सुगमता की व्यवस्था की गई है।

10. संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा–1 में संशोधन कर 20 कर्मकार के स्थान पर 50 कर्मकार किया गया है, जिससे 50 से कम कर्मकार नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को उक्त अधिनियम के प्राविधानों से छूट प्राप्त हुई है। अतएव प्रदेश के श्रमिकों सेवायोजकों, हित धारकों के समावेशी विकास, व्यापार सुगमता, श्रमिक हितों को केन्द्र में रखते हुए नवीन व्यवस्थाएँ, तकनीकी का अधिकतम उपयोग एवं सरलीकरण एवं समायोजन का कार्य किया जा रहा है।

11. भारत सरकार द्वारा जारी 04 श्रम संहिताओं के अन्तर्गत नियमावली प्रख्यापित कर राज्य में लागू किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

17.2 सेवायोजन (Employment): युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने हेतु सेवायोजन कार्यालय स्थापित किये गये है जिसकी सक्रिय पंजिका (Live Register) में कुल 868641 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 121 रोजगार मेलों का कुल 9278 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 2299 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

17.2.1 रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (Employment Market Information Programme): प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की संख्या 206783 है, वही निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 98703 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजको की संख्या 3096 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 870 है।

17.2.2 कैरियर काउन्सिलिंग प्रोग्राम (Career Counselling Programme): समस्त सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से स्कूल/कालेज के छात्र–छात्राओं को अपनी योग्यता/अभिरूचि के अनुसार कैरियर चयन सहायतार्थ कैरियर काउन्सिलिग वार्ताओं के माध्यम से छात्रों को

विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि वे अपनी रूचि के क्षेत्र में भविष्य बनाने हेतु यथा आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। प्रत्येक जनपद में सभी ब्लाकों में स्थित कालेजों/शिक्षण संस्थानों में कैरियर कार्नर की स्थापना की जा चुकी है। राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 362 कैरियर वार्तायें आयोजित की गयी। इस प्रकार आयोजित कैरियर वार्ताओं में 20152 अभ्यर्थियों द्वारा भाग लिया गया।

17.2.3 प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण (Training for Preparation of Competitive Examinations): वर्ष 2022–23 में राज्य के 16 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपि, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान, सचिवालय पद्धति, बुक कीपिंग एवं एकाउन्टेन्सी तथा सामान्य गणित आदि विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस वर्ष 329 छात्र–छात्राओं एवं बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

17.2.4 रोजगार पंजीयन सेवायें (Employment Registration Services): सेवायोजन विभाग द्वारा पंजीयन, नवीनीकरण एवं शैक्षिक योग्यता अपडेट किये जाने सम्बंधी सेवायें "अपणि सरकार" पोर्टल पर उपलब्ध है। इस ऑनलाइन पंजीयन कार्य से दूरस्थ क्षेत्र के युवाओं को Common Service Center से पंजीयन हेतु विभागीय सेवाऐं सुलभता से उपलब्ध है।

17.2.5 व्यवसायिक मार्ग निर्देशन/स्वतः नियोजन (Vocational Guidance/Self-Employment): इसके अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों में आने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बेहतर रोजगार चुनने हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है तथा सार्वजनिक/सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के सीमित अवसरों को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वतः रोजगार अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु जानकारी दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण Online platform zoom meet, google meet आदि के द्वारा अभ्यर्थियों को councelling प्रदान की गयी।

17.2.6 योजनाओं की वित्तीय स्थितिः

1. रोजगार अधिष्ठान (Employment Establishment): वर्ष 2022–23 में मतदेय मद में 03 सेवायोजन कार्यालयों हेतु ₹ 1207.52 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 739.84 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय की गयी।

2. शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र (Teaching & Guidance Centre): समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी एवं निजी सेवाओं में उनकी योग्यता बढ़ाने के उद्देश्य से 08 नगरों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन किया जाता है। वर्ष 2022–23 में स्वीकृत ₹ 108.61 लाख की धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 64.86 लाख व्यय किया गया है।

3. कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों परामर्श कार्यः उत्तराखण्ड के समस्त 22 सेवायोजन कार्यालयों/विश्वविद्यालय एवं मत्रंणा केन्द्रों को रोजगार दिशा केन्द्रों के रूप में 2003 से विकसित किया गया है तथा तब से लगातार दिशा केन्द्रों का सुदृढीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 8.21 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिस हेतु व्यय संबंधी प्रक्रिया गतिमान है।

4. निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्थाः इस योजना के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के प्रतिभाशाली छा्त्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग व्यवस्था हेतु संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, हरिद्वार हेतु प्रतिभाशाली युवाओं को बैंक एसएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के लिये वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 03.45 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष धनराशि व्यय करने की प्रक्रिया गतिमान है।

5. मॉडल कैरियर सेन्टरः जनपद–अल्मोड़ा, हरिद्वार एवं देहरादून को मॉडल कैरियर सेन्टर बनाने हेतु वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 35.30 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 10.50 लाख व्यय की गयी।

6. स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लानः शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र टिहरी, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत का संचालन मतदेय पक्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 85.61 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 53.91 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय की गयी।

7. ट्राइबल सब प्लानः शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कालसी, धारचूला, दिनेशपुर का संचालन मतदेय पक्ष में ट्राइबल सब प्लान योजना के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 46.94 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 34.10 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय की गयी।

8. जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशेष सेवायोजन कार्यालय कालसीः इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कालसी में एक विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय (जनजाति हेतु) की स्थापना की गयी है। वर्ष 2022–23 में मतदेय पक्ष में ₹ 31.51 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 21.23 लाख की धनराशि माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय की जा चुकी है।

9. विदेश रोजगार प्रकोष्ठः आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कैरियर सेन्टर (MCC) सहसपुर, देहरादून में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस हेतु ₹ 1.0 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

17.3 कौशल विकास (Skill Development):

तकनीकी और व्यावसायिक कौशल, रोजगार, सेवाएं और उद्यमिता आदि को बढ़ावा देने के लिये 75 प्रतिशत युवाओं और वयस्कों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु योजनायें संचालित की जा रही है।

चार्ट संख्या 17.1

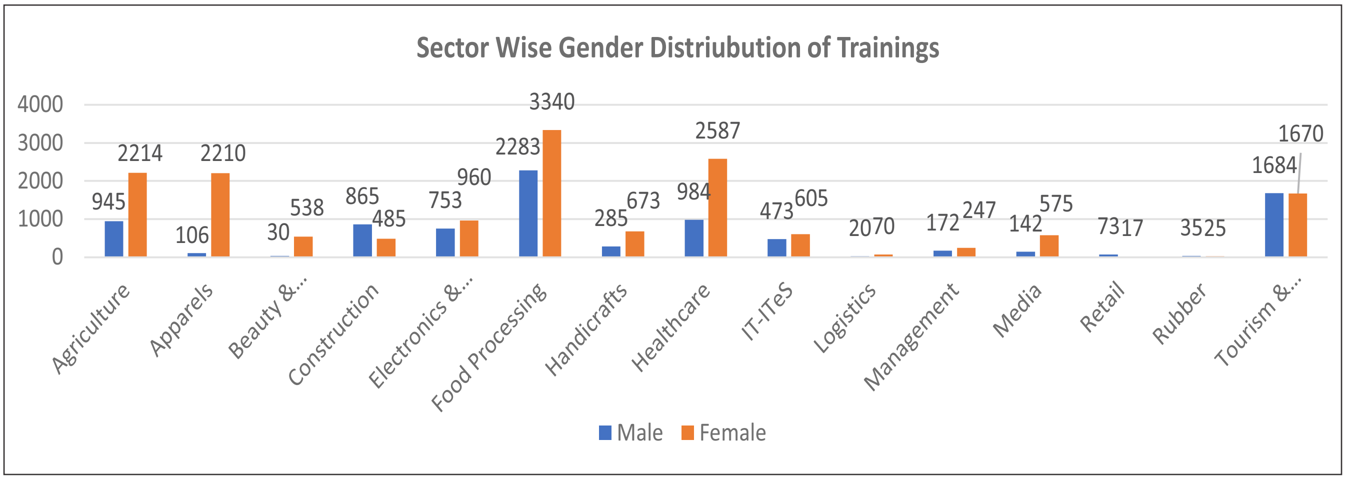

स्रोतः सेवायोजन एवं कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

17.3.1 उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशन (Uttarakhand Skill Development Mission): वर्तमान में मिशन द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पूरक के रूप में राज्य सरकार पोषित रोजगार एवं कौशल विकास योजना तथा विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपदवार चार्ट संख्या– 17.2 में है:

1. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2020 से प्रारम्भ की गई है। मार्च 2023 तक 32,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 36,868 अभ्यर्थियों को विभिन्न जॉबरोल में पंजीकृत किया जा चुका है, पंजीकृत युवाओं के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 26,347 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित

किया जा चुका है। उक्त में से 8306 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये तथा शेष प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में 3,670 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 141 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें से वर्तमान में 24 कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2. **राज्य पोषित मुख्यमंत्री रोजागर एवं कौशल विकास योजनाः** राज्य के युवाओं को उनकी रूचि एवं योग्यता के अनुसार रोजगारपरक जॉबरोल्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें बाजार की माँग के अनुरूप तैयार करने हेतु रोजगार एवं कौशल विकास योजना जैसी महत्वकांक्षी परियोजना का प्रारम्भ किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2022–23 में 7,721 युवाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित किया जा चुका है। प्रमाणित अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

चार्ट संख्या 17.2

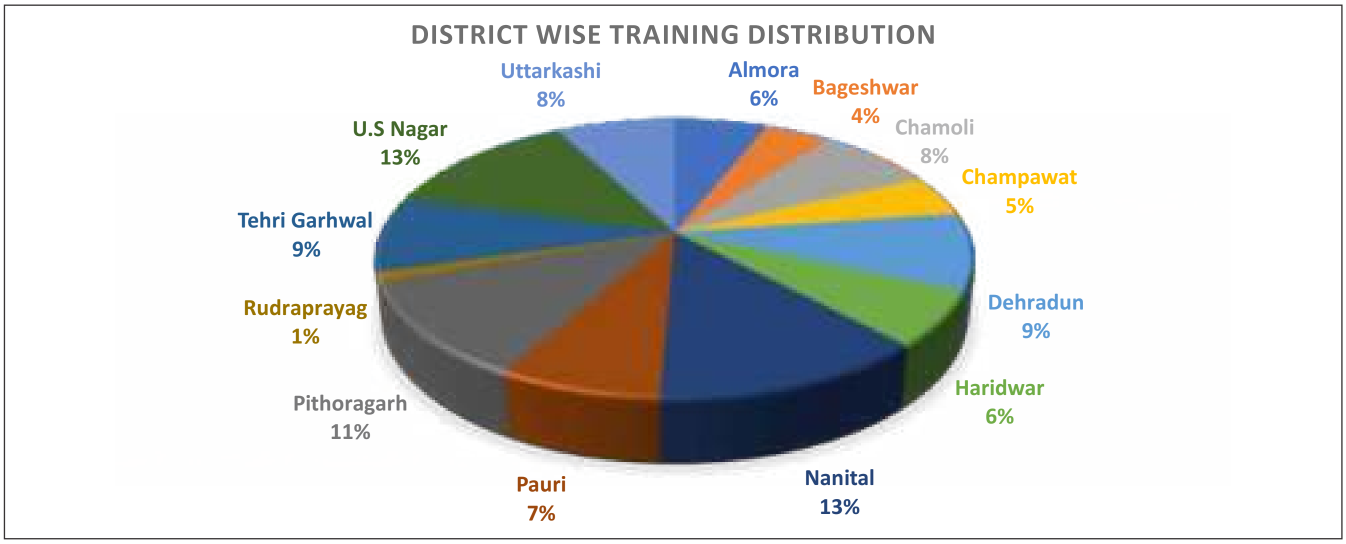

स्रोतः सेवायोजन एवं कौशल विकास विभाग, उत्तराखण्ड

17.3.2 स्किल प्रतियोगिताः उत्तराखण्ड कौशल विकास मिशना द्वारा युवाओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से स्किल प्रतियोगिता – इण्डिया स्किल्स 2021 के अर्न्तगत 16 कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता प्रथम चरण में राज्य स्तर पर आयोजित की गई जिसके विजेताओं द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया। राज्य के 5 युवाओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया गया। जनवरी 2022 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3डी एवं साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में राज्य के 2 युवाओं द्वारा रजत पदक प्राप्त किया गया। दोनो विजेताओं द्वारा माह अक्टूबर, 2022 मेंचीन के शंघाई नगर में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया गया, जिसमें अभिनव वर्मा द्वारा 3डी डिजिटल गेमिंग आर्ट में **Mendelian of Excellence** प्राप्त किया।

17.3.3 Domain Expert के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण रोजगार/स्वरोजगारपरक प्रशिक्षण तथा उत्तराखण्ड की विशेषता तथा मूल क्षमता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो का उन्मुखीकरण करते हुए जैविक कृषि, पर्यटन (होम स्टे) से जुडे विभिन्न विषय, औद्यानिकी पशुपालन, सोलर एनर्जी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे है।

ग्रामीण एवं शहरी विकास

अध्याय–18
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
Rural Development & Panchayati Raj

''आने वाला दशक उत्तराखण्ड का होगा।''
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

इस वाक्य को चरितार्थ करती हुई राज्य के चहुमुखी विकास में योगदान दे रही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाये जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना, अमृत सरोवर योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं तथा प्रधानमंत्री के कथन को सार्थक करती दिख रही हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

18.1 केन्द्र पोषित योजनायें

18.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission-NRLM)– देश की गांव में रहने वाली जनता को उनके ही क्षेत्र में आजीविका चलाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रोजगार दिया जाता है, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमे से एक NRLM है। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को रोजगार के अवसर प्रदान कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

मिशन के अन्तर्गत वर्तमान तक 52645 स्वयं सहायता समूह द्वारा 3.92 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 5535 ग्राम संगठन तथा 336 क्लस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। 38890 समूहों को अब तक कुल ₹ 4067.32 लाख परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) के रूप में उनकी छोटी जरूरतों की पूर्ति तथा आपसी लेन–देन करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है। 50921 समूहों द्वारा समूहों की सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करते हुये कुल 23957 समूहों को सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0 फण्ड) के रूप में ₹ 15038.44 लाख आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 129.69 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें कुल 20000 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 18000 स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है (गत वर्षो की तुलना में स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य 5 गुना किया गया है)। कुल ₹ 196 करोड ऋण के रूप में प्रदान किए जाने हैं, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक कुल 10236 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 91.96 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया है।

चार्ट 18.1
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक जिलावार भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ (संख्या में)

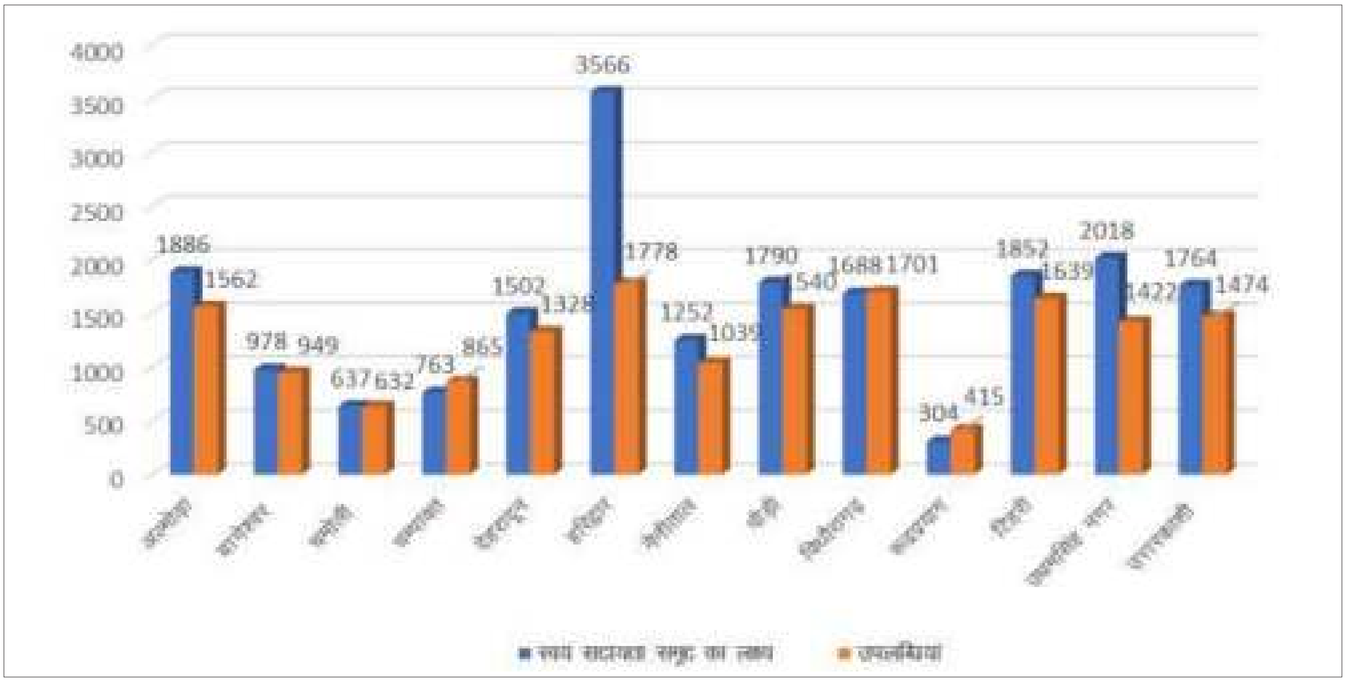

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 18.2
एन0आर0एल0एम0 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक जिलावार वित्तीय ऋण लक्ष्य के सापेक्ष ऋण वितरण का विवरण (रू0 लाख में)

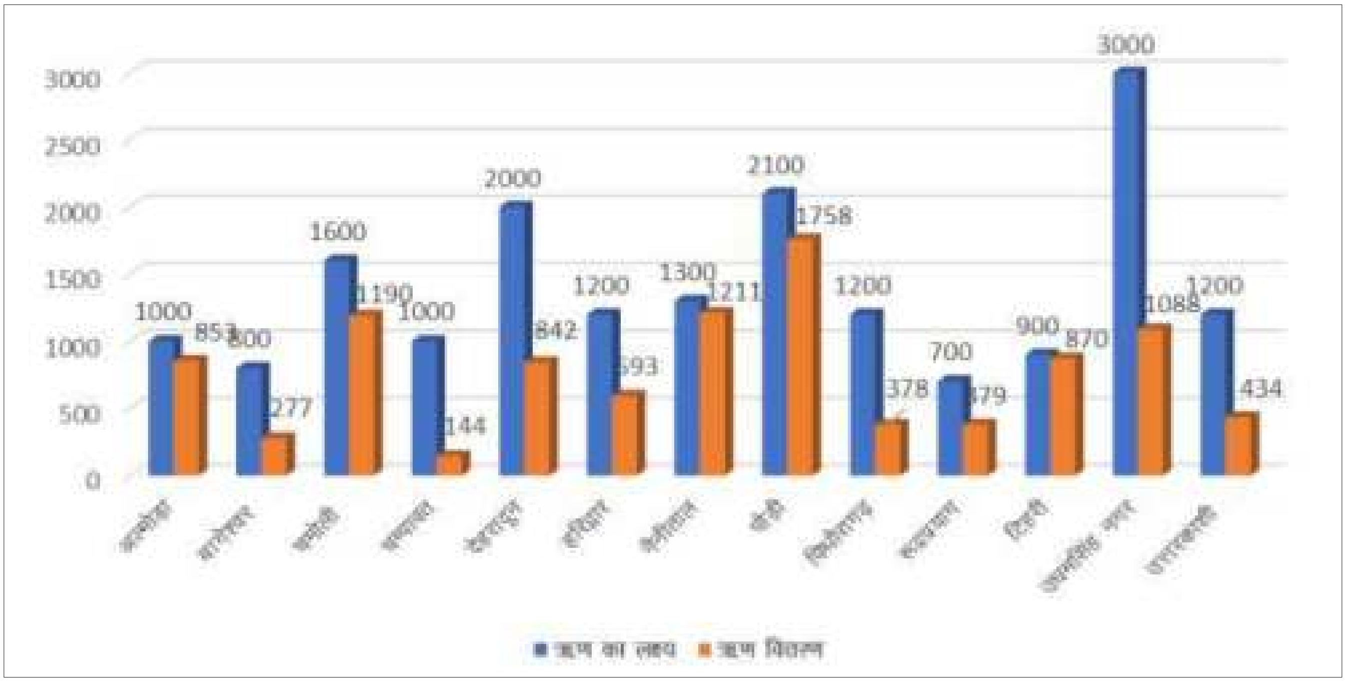

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

अभिनव प्रयोग

राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में ऐपण चित्रकला का विशेष महत्व है। कुमाऊं का हर त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठान ऐपण के बिना अधूरा माना जाता है। इस कला को विस्तार देने के लिए अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल जनपदों से 50 से अधिक महिलाएं इंदिरा अधिकारी से प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण लेने के उपरान्त महिलाओं ने स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदिरा अधिकारी ने अल्मोड़ा के करीब 20 गांवों में सरकारी लघु उधम ऋण योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित एवं सहयोग प्रदान कर रही हैं।

18.1.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना–

''अब कुशल ग्रामीण भारत, करेगा विश्व का नेतृत्व'' इसकी संरचना प्रधानमंत्री के अभियान 'मेक इन इंडिया' के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में की गई है। गरीबी कम करने के लिए परिवारों को नियमित रूप से मजदूरी के माध्यम से लाभकारी और स्थायी रोजगार का उपयोग करने के लिए तथा गरीबों को सक्षम करने हेतु यह करने हेतु यह ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों में से एक है। भारत सरकार की इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2023 तक 25000 ग्रामीण गरीब युवाओं को विभिन्न कौशल विकास के सेक्टरों में प्रशिक्षित किया जाना है। दिसम्बर, 2022 तक 25000 अभ्यर्थियों के सापेक्ष कुल 4756 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रगति पर है, 13556 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जिसमें से 5510 अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है।

18.1.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण

इस योजना का कदम सभी आवासरहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत द्वितीय फेज में आवास प्लस सूची में वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 हेतु कुल 16472 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 16177 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति उपरान्त माह दिसम्बर, 2022 तक 15264 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।

तालिका 18.1

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्षवार लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण आवासों की संख्या

क्र0सं0	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण आवास
1	2020–21	13399	13174	12497
2	2021–22	3073	3003	2767
3	2022–23 (दिसम्बर, 22 तक)	18602	15357	–
योग		**35074**	**31534**	**15264**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक क्रमशः 94.86 प्रतिशत एवं 92.14 प्रतिशत आवासों का कार्य पूर्ण किया गया। राज्य में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 18602 प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष 15357 आवास माह दिसम्बर के अन्त तक स्वीकृत किए गए हैं।

18.1.4 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranty Act-MNREGA):– यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है। इस योजना द्वारा गांवो से हो रहे पलायन को रोकने में तथा स्थानीय स्तर पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 670.66 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश के रूप में ₹ 86.18 करोड़ अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष ₹ 665.70 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। 12009 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 153.57 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में कुल 11.8 लाख (07 जनवरी, 2023 तक) जॉब कार्ड जारी किये गये, जिनमें से सक्रिय जॉब कार्डो की संख्या 8.23 लाख (07 जनवरी, 2023 तक) है। राज्य में वर्ष 2022–23 में 7 जनवरी, 2023 तक प्रति परिवार औसत लगभग 36.42 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 18.2
मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित मानव दिवस का विवरण

क्रं0सं0	वर्ष	कुल व्यक्ति जिनके द्वारा कार्य की मांग की गयी	कुल व्यक्ति जिन्हें कार्य दिया गया	कुल सृजित मानव दिवस	कुल सृजित मानव दिवस (महिला)
1	2019–20	734557	661269	20625216	11677147
2	2020–21	874484	791092	22067314	11997614
3	2021–22	864523	792160	24322052	13445270
4	2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	641629	569308	15357262	8532874

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका 18.2 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को मांग के सापेक्ष कार्य दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 98 प्रतिशत व्यक्तियों को मांग के सापेक्ष कार्य दिया जा चुका है। सृजित मानव दिवस में महिलाओं का योगदान वर्ष 2019–20 से वर्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 54 प्रतिशत से अधिक है।

चार्ट 18.3
मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं सुधार कार्य के लिए पूर्ण कार्यो की संख्या एवं व्यय धनराशि (₹ लाख में)

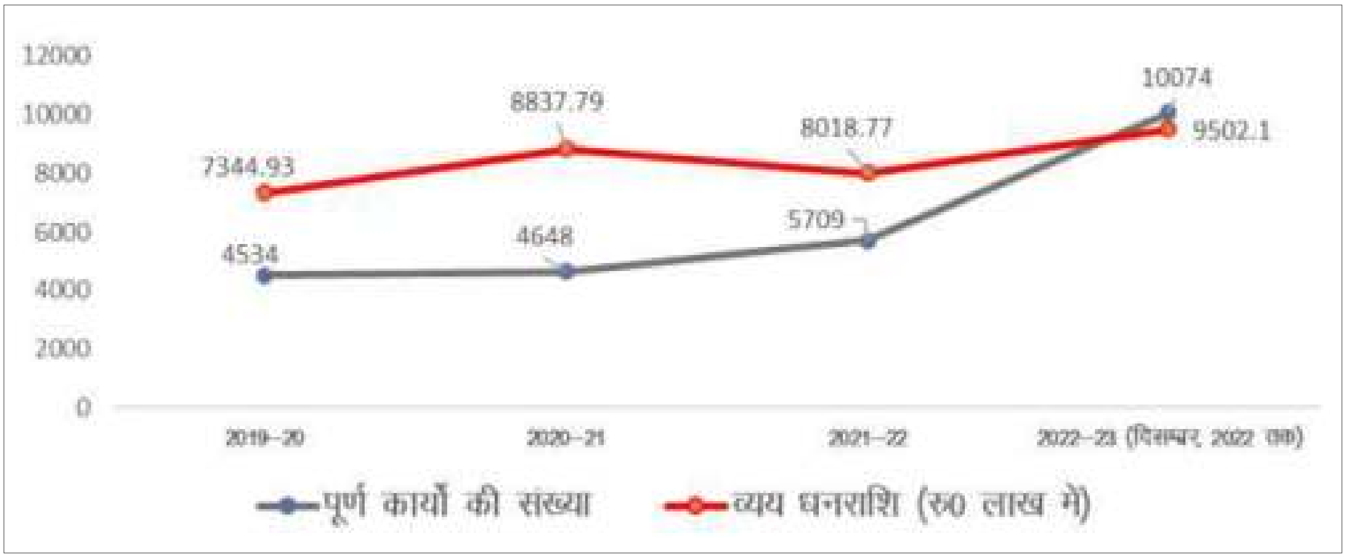

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

चार्ट 18.4
मनरेगा के अन्तर्गत 07 जनवरी 2023 तक जाबकार्डो एवं श्रमिकों की संख्या (लाख में)

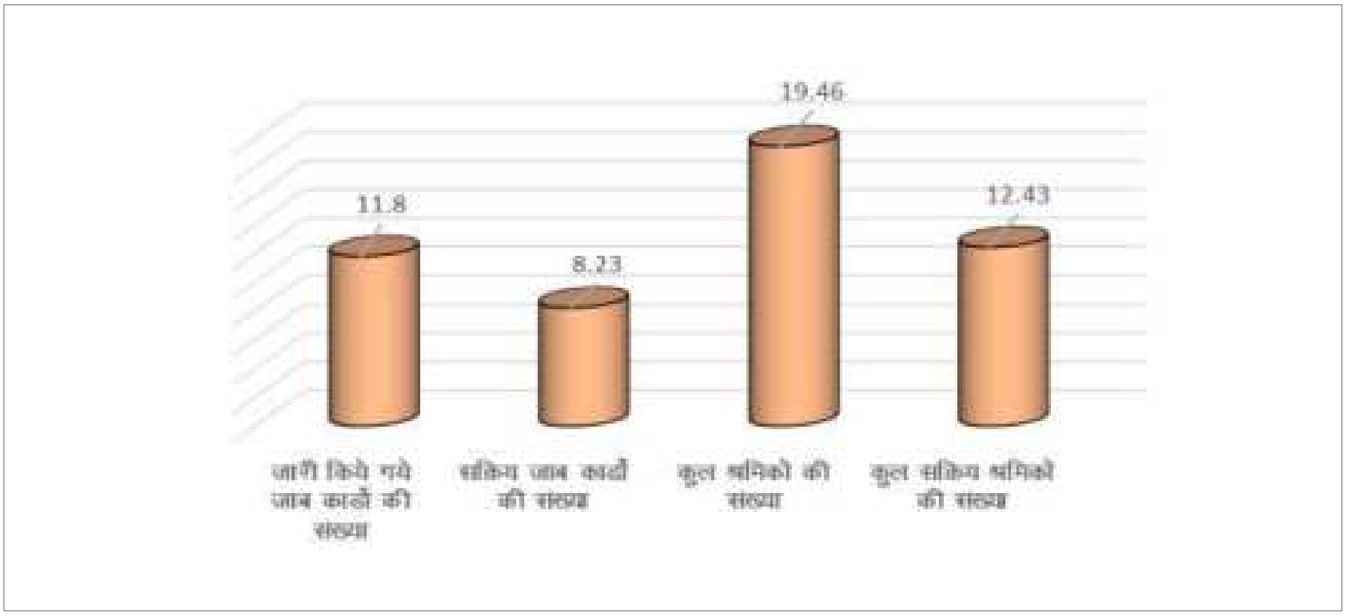

स्रोतः मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)।

चार्ट 18.5
मनरेगा के अन्तर्गत 07 जनवरी 2023 तक पूर्ण कार्यो की संख्या

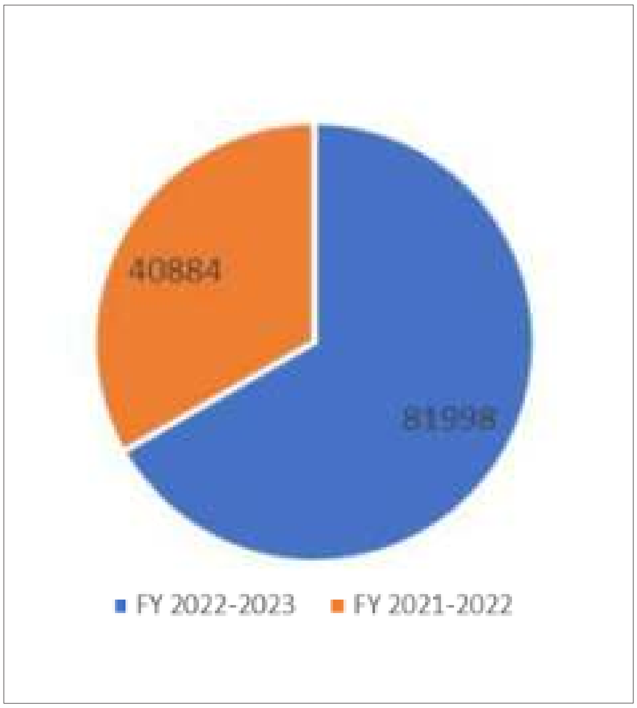

स्रोतः मनरेगा
(ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)।

> **नवोन्मेषी योजना**
>
> **अमृत सरोवर योजनाः**— ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जल संरक्षण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य द्वारा लक्ष्य 975 के सापेक्ष 1296 सरोवर स्थलों को चिह्नित किया गया जिनमें से दिसम्बर, 2022 तक 1116 सरोवर स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर 1038 सरोवरों को पूर्ण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण किये जाने के मानक में राज्य प्रारम्भ से ही अग्रणी राज्यों में सम्मिलित रहा है। वर्तमान में प्रारम्भ कार्यों के सापेक्ष कार्य पूर्ति में **राज्य का देश में प्रथम स्थान है।** माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा राज्य के टिहरी जनपद के जड़गांवधार अमृत सरोवर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साँझा किया है।
>
> राज्य द्वारा अभिनव पहल करते हुए जल संरक्षण के साथ इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने हेतु 370 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालन से जोड़ने हेतु मत्स्य पालक ग्रुप बनाये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में मनरेगा के अन्तर्गत एक तुलनात्मक अध्ययन दिनांक 07 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत मजदूरी दर, एन0आर0एम0 के अन्तर्गत किये गये कार्य पर व्यय का प्रतिशत एवं कृषि संबंधी कार्यों पर व्यय का प्रतिशत निम्नवत् ग्राफ के रूप में दर्शाया गया हैः—

चार्ट 18.6
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन मजदूरी दर (₹ में)

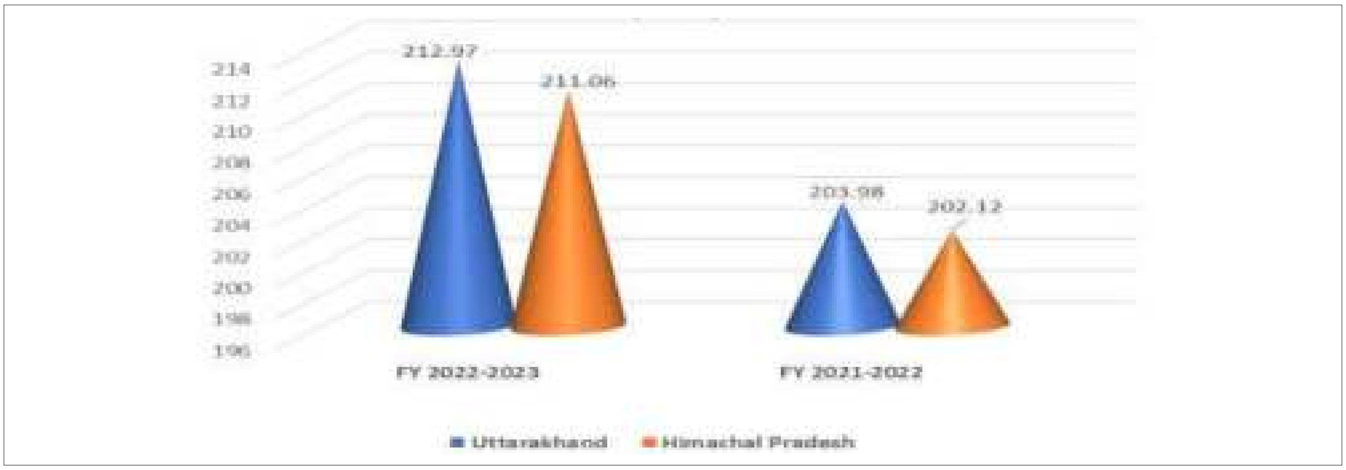

स्रोतः मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)।

चार्ट 18.7
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कुल कार्यो में से एन0आर0एम0 अन्तर्गत किये गये कार्य पर व्यय का प्रतिशत (सार्वजनिक+व्यक्तिगत)

स्रोतः मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)। (*एन0आर0एम0 – नेचुरल रिर्सोस मैनेजमैन्ट)

चार्ट 18.8
मनरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कुल कार्यो में से कृषि एवं कृषि सम्बद्ध कार्य पर व्यय का प्रतिशत

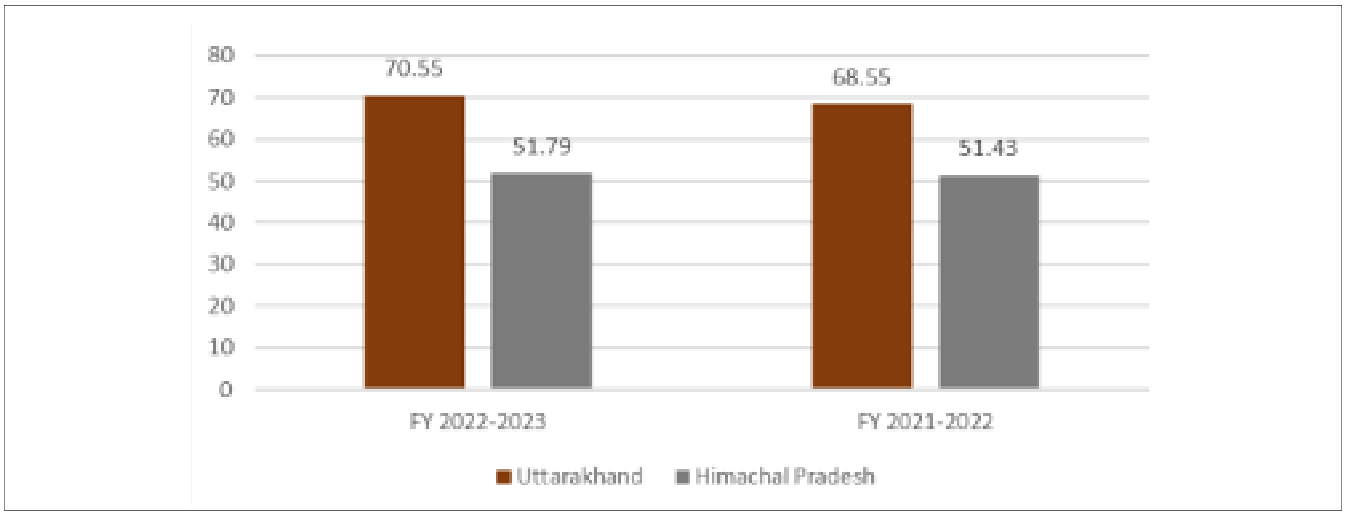

स्रोतः मनरेगा (ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)।

18.1.5 प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)– गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत मैदानी इलाकों में 500 से अधिक की आबादी वाले एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी की बसावटों के संयोजन हेतु यह योजना संचालित है। नवीन तकनीक के द्वारा वर्ष 2017–18 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 3276 किमी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कराया गया है। वर्षवार योजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 18.3
पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

	वित्तीय प्रगति (रु0 करोड़ में)		भौतिक प्रगति					
			कार्यो की संख्या		लम्बाई (किमी0 में)		बसावटों की संख्या	
वित्तीय वर्ष	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	स्वीकृत लम्बाई	निर्मित लम्बाई	स्वीकृत	जोड़े गये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019—20	566.45	1080.48	112	148	905.83	2036.49	0	154
2020—21	0.00	1493.50	0	223	0.00	3365.00	0	144
2021—22	1077.81	1218.45	284	296	1156.77	2103.27	0	150
2022.23 (दिसम्बर, 2022 तक)	—	866.26	—	417	—	558.24	—	18
कुल योग	**1644.26**	**4658.69**	**396**	**1084**	**2062.6**	**8063**	—	**466**

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
नोट—व्यय धनराशि में गत वर्ष की अवशेष धनराशि सम्मिलित है तथा पूर्ण कार्यो में बैकलॉग भी जुडा है।

18.1.6 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM): SPMRM को ''आत्मा गांव की सुविधाएँ शहर की'' भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और इसके अन्तर्गत स्थानीय आर्थिक विकास को बनाये रखना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

तालिका 18.4
श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन चरणों में कुल 07 कलस्टर चयनित किये गये हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रसं	जनपद का नाम	चयनित कलस्टर का नाम	चरण	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	हरिद्वार	भगतनपुर— आबिदपुर	1	7
2	देहरादून	रानीपोखरी	1	11
3	टिहरी गढ़वाल	धनौल्टी	2	10
4	उत्तरकाशी	डुण्डा	2	5
5	ऊधमसिंह नगर	पहेनिया	3	7
6	बागेश्वर	कौसानी	3	12
7	पिथौरागढ (मूनस्यारी)	मल्लाघोरपट्।	3	7

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

मिशन के अन्तर्गत राज्य में तीन चरणों में कुल 06 कलस्टरों का चयन किया गया है, तथा **01 नवीन जनजातीय कलस्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को आवंटित किया गया है।** कुल चिन्हित 6 क्लस्टरों के लिये अब तक कुल प्राप्त धनराशि ₹ 96.10 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 93.17 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा 64.49 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

18.1.7 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.):– प्रधानमंत्री के शब्दों में ''सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है''। सीमा पर बसे लोग देश के सशक्त प्रहरी हैं। राज्य के सीमान्त जनपदों में अवस्थापना सृजन हेतु चल रहे इस कार्यक्रम द्वारा 5 सीमान्त जनपदों के 9 विकासखण्डों में आवासित आम–जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है।

तालिका 18.5

सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित जनपद एवं विकासखण्ड का विवरणः–

क्र.सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	चम्पावत	चम्पावत
		लोहाघाट
2	चमोली	जोशीमठ
3	पिथौरागढ	धारचूला
		मुनस्यारी
		मुनाकोट
		कनालीछिना
4	ऊधमसिंहनगर	खटीमा
5	उत्तरकाशी	भटवाड़ी

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष कुल धनराशि ₹ 9469.39 लाख अवमुक्त किये गये जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 8675.71 लाख की धनराशि का व्यय विभिन्न कार्यों में किया जा चुका है।

18.2 राज्य पोषित योजनायें

18.2.1 मेरा गांव मेरी सड़क योजना – राज्य के दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोडने, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़क को आन्तरिक सड़को से जोड़ने की अत्यन्त आवश्यकता होने के कारण, अन्य लोगों के सम्पर्क में आसानी से आने हेतु, गांव की पैदावार को बाजार में उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार करने तथा गावों से हो रहे पलायन को रोकने हेतु यह योजना क्रियान्वित की गयी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 2994.33 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 2219.00 लाख व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत 102 सड़कों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 50 सड़कें पूर्ण एवं 47 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है तथा 3 सड़कों का कार्य अभी अनारम्भ है जिसमें 57.45 कि०मी० सड़क निर्मित की गई हैं।

18.2.2 इन्दिरा अम्मा भोजनालय– राज्य के गरीब एवं जरूरतमन्द वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में इन्दिरा अम्मा भोजनालय संचालित है। कैन्टीनों का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹ 66.14 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। 529265 व्यक्तियों द्वारा इन्दिरा अम्मा भोजनालयों में भोजन किया गया।

18.2.3 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना

(एम.बी.ए.डी.पी.) मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सत्त आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 1418.62 लाख की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर जनपदों को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी हैं। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1389.49 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु ₹ 2000.00 लाख की धनराशि स्वीकृत कर जनपदों को योजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष ₹ 1355.35 लाख व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 20.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है ।

18.2.4 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना राज्य पोषित इस योजना का उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत पलायन प्रभावित 474 गांवों में आवासित परिवारों/बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढावा देना है। इसके अन्तर्गत कृषि, उद्यान तथा पशुपालन से सम्बन्धित स्वरोजगारपरक/ कौशल विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 25.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर, 2022 तक गत अवशेष के सापेक्ष ₹ 1164.44 लाख व्यय किया गया।

18.2.5 ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर (आर0बी0 आई0):– ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, व्यवसाय तथा आजीविका सम्बन्धी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गठित समूहों के सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा देकर उनके रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु वातावरण तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नई पहल के रुप में ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूबेटर की स्थापना क्रमशः जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में हो चुकी है। इसके तहत वर्ष 2022–23 के माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1000 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

18.3 बाहय सहायतित परियोजनाः– आइफैड द्वारा वित्त पोषित ''ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (Rural Enterprise Acceleration Project-REAP)''का शुभारम्भ करते हुये राज्य के 13 जनपदों के सभी 95 विकास खण्डों में उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के अन्तर्गत 50,000 SHGs तथा एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) अन्तर्गत गठित 10,000 उत्पादक समूहों, कुल 60,000 समूहों तथा 601 आजीविका संघ/क्लस्टर लेवल फैडरेशनों के माध्यम से 5,60,000 ग्रामीण गरीब परिवारों की उद्यम आधारित आजीविका में वृद्वि करना।

परियोजना की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैंः–

- REAP परियोजना आइफैड वित्त पोषित एक नयी परियोजना है।
- आइफैड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हेतु आगामी सात सालों के लिए परियोजना लागत के अंतर्गत ₹ 771.00 करोड़ का ऋण अनुबन्ध पत्र दिनांक 2 जून 2022 को हस्ताक्षर हो गया है।
- परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 30 जून 2022 को

किया गया।

- REAP हेतु 13 जनपदों में जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित कर HR (Human Resources) Agency के माध्यम से 340 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विकासखंड एवं जिलास्तर पर नियुक्त किया जा चुका है एवं परियोजना क्रियान्वयन कार्य गतिमान है।
- REAP परियोजना के संचालन हेतु Management Consulting Firm (MCF) की चयन प्रक्रिया गतिमान है।
- हिलांस ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण उत्पादों के गिफ्ट पैक भारत सरकार द्वारा आईफैड संस्था के सदस्य देशों में से 22 देशों को उपहार स्वरूप भेंट किए।

परियोजना क्रियान्वयन की तिथि– परियोजना का क्रियान्वयन 2 जून 2022 से किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत व्यय– वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 50.00 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत प्राविधान के सापेक्ष ₹ 47 करोड़ की धनराशि की कार्ययोजना स्वीकृत कर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) एवं जनपद परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) को योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 6.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन का विवरणः–

- प्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 200.00 लाख मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 155.55 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं जो कि 77.77% है।
- अप्रत्यक्ष रोजगार (स्वरोजगार) हेतु कुल कार्य के 32.44% कार्य व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कराये गये हैं।

वर्ष 2022–23 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों के क्रियान्वयन से आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरणः–

- योजनान्तर्गत सामग्री एवं प्रशासनिक मद की धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण न ही कार्मिकों को समय पर मानदेय दिया जा रहा है और न ही सामग्री मद का भुगतान समय पर हो रहा है जिस कारण योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- योजनान्तर्गत अधिकांश क्रियाकलाप यथा– मस्टर रोल जारी करना, NMMS (National Mobile Monitaring System), जियोटैगिंग आदि नेटवर्क आधारित हैं परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण निरन्तर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत कार्मिक ही शासकीय एवं आउटसोर्स संस्था के माध्यम से योजनान्तर्गत तैनात हैं। कार्मिकों की कमी के कारण योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है।

पंचायती राज

ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लोगों की लोकतंत्र में अधिकतम भागीदारी दर्ज कराने एवं स्थानीय विकास के लिए भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाया गया है। गांवो के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायतीराज के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, कि ''पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी राज व्यवस्था है, जो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई गई शासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।''

18.4 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

18.4.1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान– वर्ष 2022–23 में शत–प्रतिशत केन्द्र पोषित इस योजना को रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में पुनर्गठित करते हुए प्रशिक्षण एवं आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित मदों को 90:10 के अनुपात में केन्द्रांश व राज्यांश के तहत जबकि केन्द्र की पुरस्कार योजनाओं तथा ई–पंचायतीराज से सम्बन्धित योजनाओं को शत–प्रतिशत केन्द्रांश के माध्यम से आच्छादित किया जा रहा है।

योजनान्तर्गत मुख्यतः क्षमता विकास के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ऑनलाईन और ऑफ लाईन दोनों माध्यमों से पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों, पंचायतों में लागू योजनाओं, विकास योजनाओं के निर्माण आदि के सम्बन्ध में सत्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत ₹ 116.717 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में ₹ 42.48 करोड़ आवंटित हुआ है। उक्त आवंटन के सापेक्ष कुल ₹ 18.00 करोड़ का व्यय/उपभोग किया गया है। मदवार स्वीकृत धनराशि का विवरण तालिका 18.7 में प्रदर्शित है।

तालिका 18.7

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत मदवार आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में) का विवरण

क्रम सं0	मद	आवंटित धनराशि (₹ करोड़ में)
1	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	72.237
2	संस्थागत बुनियादी ढाचा (आवर्ती लागत)	1.656
3	SATCOM या IP आधारित तकनीक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की सुविधा	2.425
4	पंचायत बुनियादी ढांचे के लिए (PI)	25.00
5	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU)	6.228
6	अन्य अवयव	5.225
7	आईईसी (Information Education and Communication) (स्वीकृत योजना आकार का 2% तक)	2.255
8	पीएमयू (स्वीकृत योजना आकार का 1.5% तक)	1.691

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

- वर्ष 2022–23 के सापेक्ष जनपद, विकास खण्ड एवं न्याय पचांयत स्तर पर ''सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण'' एवं ''ग्राम पंचायत विकास योजना/क्षेत्र पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना निर्माण'' विषयों पर दो दिवसीय ऑफ लाईन/भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत् जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पूर्ण किया जा चुका है।
- पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चम्पावत व टिहरी गढ़वाल एवं बागेश्वर में D.P.R.C. **(जिला पंचायत संसाधन केन्द्र)** निर्मित किये जा चुके हैं, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं रेखीय विभागों के अधिकारी/कार्मिकों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- **राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC)**– राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र निर्मित हो चुका है, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
- जैम पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधनों की तैनाती हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी का चयन किया जा चुका है। एजेन्सी के द्वारा विकास खण्डों में ब्लॉक कॉडिनेटर एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की तैनाती की जा चुकी है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से राज्य के 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है, यह कार्य माह मार्च, 2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसायकलिंग प्लान्टः–''उत्तराखण्ड पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति, 2017'' के क्रम में केन्द्र पोषित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार (मुजाहीदपुर, सतीवाला खालसा ब्लाक भगवानपुर हरिद्वार) में ₹ 6.00 करोड़ की धनराशि से कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग फैसिलिटी' के रूप में सयंत्र/मशीनरी की स्थापना, पैनल, रोड एवं अन्य व्यवस्थाएं की जा चुकी है।

- रिसाइक्लिंग फैसिलिटी 0.3193 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित है।
- कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल के द्वारा उक्त निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, दिनांक 04.09.2022 को जिला पंचायत, हरिद्वार को हस्तान्तरित कर दिया गया है। हस्तान्तरण की कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 18.10.2022 को उक्त रिसाइक्लिंग फैसिलिटी का लोकार्पण मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया गया, जिसके पश्चात जिला पंचायत, हरिद्वार द्वारा उपरोक्त रिसाइक्लिंग फैसिलिटी का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के साथ–साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है।
- निर्मित रिसाइक्लिंग फैसिलिटी को पूर्ण क्षमता (24 घंटे) से उपयोग किये जाने पर प्रतिदिन 3 टन प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जायेगा। इसमें 30 प्रतिशत क्षय उपरान्त 70 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रित होगा और पुनर्चक्रण प्रक्रिया में अन्य रसायनों के संविलियन से अंततः 2 टन भार क्षमता का प्लास्टवुड उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, जिससे लगभग 80 क्यूबिक फुट प्लास्टवुड तैयार किया जा सकेगा। 80 क्यूबिक फुट लकड़ी के प्रयोग में लगभग 3 वृक्षों का

पातन होता है, जो उक्त रिसाइक्लिंग फैसिलिटी की स्थापना से रुकेगा। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विभाग की ओर से की गई अभिनव पहल के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

- प्लास्टवुड उत्पाद के रूप में दरवाजे के चौखट, मेज, कुर्सी, बैंच, अलमारी एवं टाईल आदि तैयार किये जायेंगे।

नवोन्मेषी योजना–

ग्राम पंचायत क्यारकुली भट्टा, जनपद देहरादून में राज्य द्वारा अनुमोदित की गई कार्य योजना अन्तर्गत नई परियोजना के रूप में Parking with Cafeteria and Waiting Lounge with Toilet की विस्तृत परियोजना विवरण (DPR) पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

18.4.2 राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत धनराशि आवंटन एवं उपयोग– राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को प्रतिवर्ष धनराशि आवंटित की जाती है, जो पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्यो पर व्यय की जाती है। उक्त धनराशि से पंचायतों द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विकास/निर्माण कार्य कराये जाते हैं। राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों हेतु मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायतों हेतु 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों हेतु 30 प्रतिशत तथा जिला पचांयतों हेतु 35 प्रतिशत राशि वितरण के मानक निर्धारित किये गये हैं। मानकों के अनुरूप संक्रमित धनराशि से प्रथमतः निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय का भुगतान किया जाता है। शेष धनराशि से 50 प्रतिशत धनराशि जलापूर्ति पर तथा अवशेष राशि सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सैप्टेज प्रबंधन सहित जल निकासी एवं स्वच्छता, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव, स्ट्रीट लाईट, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष इत्यादि का निर्माण एवं सामुदायिक भवन निर्माण आदि विकास कार्यों पर व्यय की जाती है।

तालिका 18.8

वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित/व्यय धनराशि (करोड़ ₹ में) का विवरण

मद	आवंटित धनराशि (करोड़ ₹ में)	व्यय धनराशि (करोड़ ₹ में)
ग्राम पंचायत	248.20	80.00
क्षेत्र पंचायत	96.52	75.00
जिला पंचायत	155.10	105.00

स्रोतः पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।

18.4.3 15वॉ वित्त आयोगः– (वर्ष 2020–21 से 2025–26) 15वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियॉ एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार **वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 15वे वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए ₹ 440.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा धनराशि आवंटित की जानी है।**

15वे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को मूल अनुदान (40 प्रतिशत) एवं आबद्ध अनुदान (टाईड फण्ड) (60 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(क) मूल अनुदान (Untied Fund)– मूल अनुदान के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतें अपनी स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मूलभूत सेवाओं हेतु, मानदेय अथवा अन्य स्थापना व्ययों को छोड़कर, उपयोग कर सकेंगी।

(ख) आबद्ध अनुदान (Tied Fund)– टाईड फण्ड के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से (1) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को कायम रखने तथा (2) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण हेतु उपयोग कर सकेगे।

18.4.4 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना– इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में समस्त 7795 ग्राम पंचायतों में बैठके आहूत करते हुए योजनाऍ प्लान प्लस पर अपलोड़ कर दी गयी है।

18.4.5 पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना– वर्ष 2011–12 से पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना पर कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ''संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण के माध्यम से किसी को पीछे नहीं छोडना'' के आदर्श वाक्य के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक दृष्टि, प्राथमिकता और कार्यान्वयन पद्वतियों के साथ काम कर रही है। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर जारी रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढने की दिशा में स्थानीय (ग्राम पंचायत) स्तर पर कार्यवाही के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत कर 9 विषयों की पहचान की है। पंचायतों को विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके कार्य–निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार निम्नानुसार दिए जाएंगेः

तालिका 18.9

क्र.स.	विषयगत पुरस्कार श्रेणी	पंचायत का स्तर जिसके लिए पुरस्कार लागू है	क्र. सं.	पुरस्कार की विषय–वस्तु
1	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार	ग्राम पंचायत प्रखंड पंचायत जिला पंचायत	I.	गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव
			ii.	स्वस्थ गांव
			iii.	बाल हितैषी गांव
			iv.	पर्याप्त पानी वाले पंचायत
			v.	स्वच्छ और हरित गांव

			vi.	आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना वाले गांव
			vii.	सामाजिक रूप से संरक्षित गांव
			viii.	सुशासन वाले गांव और
			ix.	महिला हितैषी पंचायत (पूर्व में इसे पुरस्कार की विषय वस्तु)
2	नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार	ग्राम पंचायत 01	संयुक्त सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल/औसत स्कोर वाले शीर्ष 3 ग्राम पंचायत के लिए।	
		प्रखंड पंचायत	देश भर में शीर्ष तीन ब्लॉक पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ।	
		जिला पंचायत	देश भर में शीर्ष तीन जिला पंचायतों के लिए सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत उच्चतम कुल स्कोर के साथ।	

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष श्रेणियों के पुरस्कार भी दिए जाएंगेः

i. **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कारः** यह पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके कार्य–निष्पादन के लिए दिया जाएगा। यह पुरस्कार संबंधित मंत्रालय/विभाग/उद्योग द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है।

ii. **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कारः** यह पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा जिन्होंने शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है। ग्राम ऊर्जा स्वराज पुरस्कार की तरह यह पुरस्कार भी संबंधित मंत्रालय/विभाग/उद्योग द्वारा प्रायोजित किया जाएगा।

iii. **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कारः** कोई ग्राम पंचायत जो बाद के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए अर्हता प्राप्त करता है और लघु सूचीबद्ध किया जाता है, उसे भी व्यक्तिगत विषयगत पुरस्कार के बदले यह पुरस्कार दिया जाएगा।

iv. **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कारः** यह पुरस्कार देश भर के 3 संस्थानों को दिया जाएगा जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

v. **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी (राज्य/जिला पंचायत)ः** ग्राम पंचायतों की भागीदारी के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्य–निष्पादन के लिए मान्यता दी जाएगी और इसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। साथ ही, जिला पंचायतें, जहां >=90% ग्राम पंचायतें इस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, उनके कार्य–निष्पादन के लिए मान्यता दी जाएगी और इसके लिए उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा।

अध्याय–19
शहरी विकास एवं आवास
Urban Development & Housing

19.1 सामान्य विवरण : शहरीकरण ग्रामीण क्षेत्र से शहरी निवास की ओर जनसंख्या पलायन को सन्दर्भित करता है। शहरीकरण से शहरों की बुनियादी ढांचे–सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, कानून–व्यवस्था, शिक्षा आदि पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 36.24 प्रतिशत (2023 में अनुमानित) शहरों में निवास कर रही है। वैश्विक मानदण्ड जिसे राज्य सरकार द्वारा "सतत विकास लक्ष्य 2030" के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। राज्य सरकार लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। "सतत विकास लक्ष्य सं0 11, के अन्तर्गत शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाने को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार, पार्कों की स्थापना, शौचालयों का निर्माण, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, रैन बसेरों का निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी योजना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है।

वर्तमान में राज्य के स्थानीय निकायों की स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 19.1

क्र. सं.	मद	वर्ष 2001	वर्ष 2011	2023 / वर्तमान
1	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	63	72	102
1.1	नगर निगम (संख्या)	01	06	09
1.2	नगर पालिका परिषद (संख्या)	31	28	42
1.3	नगर पंचायत (संख्या)	31	38	51
2	कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	21.72	26.55	36.24

स्रोतः शहरी विकास

जनगणना 2011 के आधार पर स्थानीय नगर निकायों तथा सेंसस टाउन में जनसंख्या की संचयी वार्षिक दर 3.42 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की संचयी वार्षिक दर मात्र 1.10 प्रतिशत है जिसका मुख्य कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता विस्थापन है।

वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम, 42 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायतों सहित कुल 102 शहरी स्थानीय नगर निकाय हैं। राज्य के शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 1193.42 करोड धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1042.71 करोड का व्यय हुआ। स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित हैः–

तालिका 19.2

स्थानीय नगर निकायों के आय–व्यय का वर्गीकरण

धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	वर्ष	आय		व्यय
		स्वयं के स्त्रोत से	राज्य / केन्द्र से प्राप्त	
1	2018-19	13007.10	87085.00	76767.00
2	2019-20	13994.60	89440.00	72198.00
3	2020-21	13600.00	131785.10	73802.00
4	2021-22	13165.64	111593.79	69542.50
4	2022-23 प्रस्तावित	13823.92	117173.48	73019.62

स्रोतः शहरी विकास

चार्ट 19.1
स्थानीय निकायों का आय का विश्लेषण

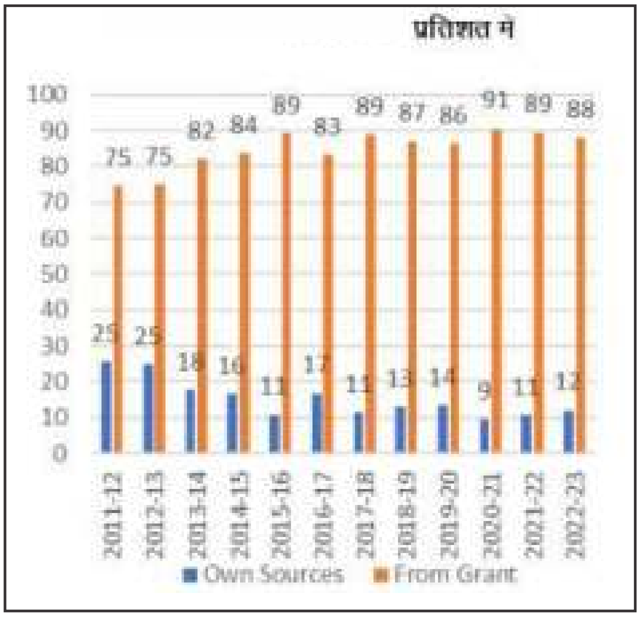

स्रोतः शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 19.2 एवं चार्ट 19.1 से स्पष्ट है:–

- स्थानीय नगरीय निकाय का अन्य स्रातो के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय अपेक्षाकृत (वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 (प्रस्तावित) हेतु क्रमशः 9%, 11% एवं 12%) कम है।
- गत 12 वर्षों में स्थानीय नगरीय निकायों में स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2022–23 तक वृद्धि हुई हैं साथ ही राज्य/केन्द्र से प्राप्त धनराशि में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक स्वयं के स्रोतों से आय में गत वर्षों की अपेक्षा वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 में कोविड–19 के कारण निकायो की स्वयं के श्रोतों की आय में कमी दर्ज की गयी है।

तदोपरान्त 2021–22 से स्वयं के स्रोतो से आय में वृद्धि हुई है परन्तु अभी भी यह न्यून बनी हुई है। वर्तमान परिपेक्ष्य में स्थानीय नगर निकायों के अपने स्रोतों से भी भविष्य में आय बढ़ाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है।

अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष उत्तराखण्ड के नगरीय निकायों के लेखा का विवरण प्राप्त कर विश्लेषण किया जाता है। जिसके आधार पर उत्तराखण्ड राज्य की वर्ष 2020–21 में कुल आय (चालू एवं पूँजीगत हेतु प्राप्ति सम्मल्लित) के सापेक्ष कुल व्यय (चालू एवं पूँजीगत व्यय सम्मल्लित) का प्रतिशत 82 है। चार्ट 19.2 के माध्यम से जनपदवार उक्त विश्लेषण को दर्शाया गया है।

चार्ट 19.2
वर्ष 2020–21 में नगरीय निकायों का कुल प्राप्ति के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत

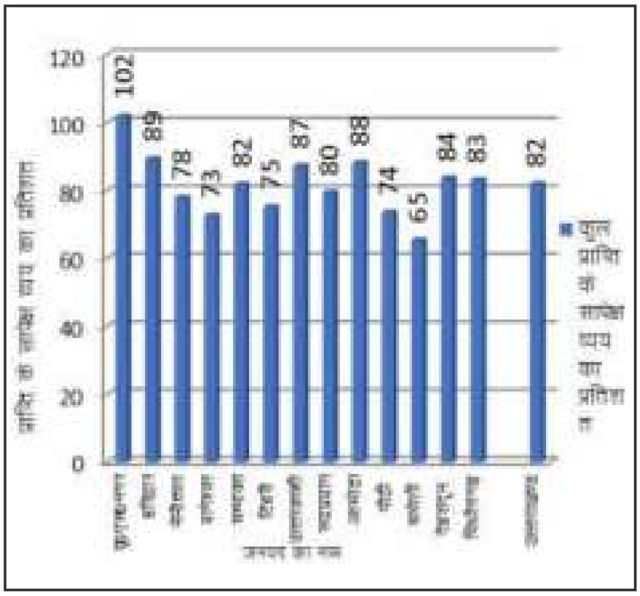

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड

ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट है कि जनपद ऊधमसिंह नगर में आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत 102 है जो कि सबसे अधिकतम है तथा जनपद चमोली मे आय के सापेक्ष कुल व्यय का प्रतिशत मात्र 65 है जो कि सबसे कम है। व्यय में पूंजीगत व्यय सम्मिलित होने के कारण कतिपय जनपदों में 100 प्रतिशत से अधिक व्यय दृष्टिगत है।

चार्ट 19.3 में जनपदवार पूंजी निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2020–21 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सकल पूँजी निर्माण पर ₹ 42461.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

चार्ट 19.3
नगरीय स्थानीय निकायों पर वर्ष 2020–21 में सकल पुंजी निर्माण पर व्यय (लाख ₹ में)

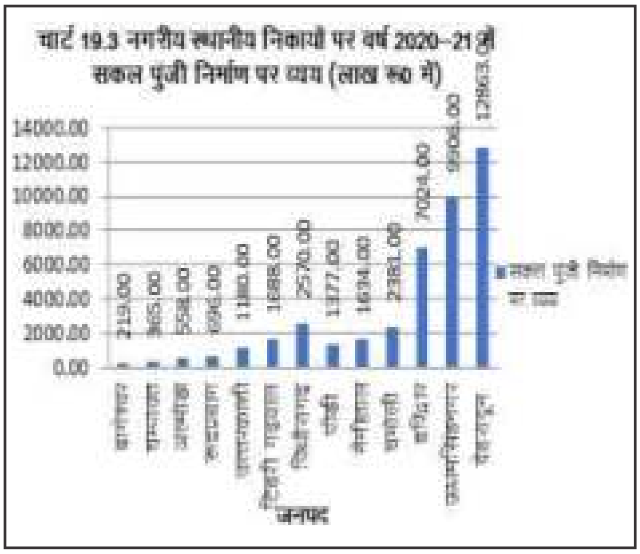

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

जनपदवार विश्लेषण में इंगित है कि जनपद बागेश्वर में पूँजी निर्माण पर व्यय सबसे कम तथा जनपद देहरादून में सबसे अधिक है।

सतत विकास लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः–

केन्द्र सहायतित योजना

केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022.23 में ₹ 84689.99 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है और दिसम्बर, 2022 तक ₹ 28856.62 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। केन्द्र सहायतित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

19.2– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (National Urban Livelihoods Mission, NULM) योजना का उद्देश्य निम्नवत है :–

- शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर विकसित हो सके।
- शहरी निराश्रितों को सुसज्जित एवं आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध कराना।
- शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल उपलब्ध कराना।

मिशन के प्रमुख घटक

- **सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 308 लक्ष्य के सापेक्ष 612 महिला स्वयं सहायता समूहों व 22 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन एवं ₹ 77.20 लाख की आवर्ती निधि अद्यतन निर्गत की गयी तथा 5000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन किया गया।
- **स्व–रोजगार कार्यक्रम** अन्तर्गत 750 लक्ष्य के सापेक्ष 890 लाभार्थियों को ₹ 1234.26 लाख के ऋण की स्वीकृति की गयी।
- **शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता** के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित कर स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप 20885 स्ट्रीट वेण्डरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुये रोजगार में संवर्द्धन किया गया है।
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 27907 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैकों द्वारा 17684 आवेदन पत्रों को ₹ 22.89 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है।
- **कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार योजना के** अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 308 का लक्ष्य के सापेक्ष 180 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

• वर्ष 2022–23 में ₹ 1000.00 लाख का बजट में प्रावधान है जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक ₹ 628.48 लाख का व्यय हुआ है।

19.3–स्वच्छ भारत मिशन :– यह मिशन 2 अक्टूबर, 2014 से संचालित किया जा रहा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य हैः–

- खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- मैला ढ़ोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन।
- आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- स्वच्छता से सम्बन्धित जनव्यवहार में परिवर्तन।
- स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता।

मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैः–

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण।
- सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों एंव यूरिनल का निर्माण।
- वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।
- सूचना शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) एवं जनजागरूकता।

प्रति यूनिट शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशिः– भारत सरकार द्वारा ₹ 10800.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 1200.00 कुल ₹ 12,000.00 प्रति यूनिट प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि (₹ में) भारत सरकार द्वारा ₹ 39200.00 तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम् ₹ 58800.00 कुल ₹ 98,000.00 प्रति सीट अनुदान राशि दी जाती है।

1– व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27640 के सापेक्ष 25701 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 1939 शौचालय निर्माणाधीन है।

2– सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के कुल लक्ष्य 2798 के सापेक्ष 2137 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 661 सीट के सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालय निर्माणाधीन है।

3– सार्वजनिक मूत्रालय के कुल लक्ष्य 1000 सीट के सापेक्ष 692 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित तथा 308 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय निर्माणाधीन है।

4– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management)

- Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत GIZ के तकनीकी सहयोग से राज्य के 14 कलस्टरों (24 निकायों) के Liquid & Solid Waste Management हेतु City Sanitation Plan(CSP) निर्मित की जा चुकी है।
- कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ तथा 1052 वार्डों में सोर्स सेग्रीगेशन का कार्य प्रारम्भ। जिसमें 09 कैन्ट बोर्ड सम्मिलित है।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की ₹ 33324.21 लाख की डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा 89 निकायों हेतु 62 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डी0पी0आर0 पर तकनीकी स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है।
- नीति आयोग के तकनीकी सहयोग से रूड़की के आस–पास के शहरों–मंगलौर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर–के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कुल ₹ 5121.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक ₹ 1343.31 लाख अवमुक्त हुआ है जिसका व्यय कर लिया गया है।

अटल निर्मल नगर पुरस्कार

यह पुरस्कार तीन श्रेणियों—नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत—में प्रदान किया जाता है। इनके चयन का आधार स्वच्छता सर्वेक्षण को बनाया जाता है। वर्ष 2022 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्रेणीवार नगर निम्न प्रकार है—

निकाय	श्रेणी	पुरस्कार राशि
नगर निगम		
• देहरादून	प्रथम	20.00 लाख
• रूड़की	द्वितीय	15.00 लाख
• ऋषिकेश	तृतीय	10.00 लाख
नगर पालिका परिषद		
• मुनि की रेती	प्रथम	15.00 लाख
• नरेन्द्र नगर	द्वितीय	10.00 लाख
• डोईवाला	तृतीय	08.00 लाख
नगर पंचायत		
• नन्द प्रयाग	प्रथम	10.00 लाख
• सुल्तानपुर	द्वितीय	07.00 लाख
• गूलरभोज	तृतीय	05.00 लाख

स्रोतः शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड

19.4—अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission For Reduvenation and Urban Transformation, AMRUT):-

सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के स्थान पर उक्त अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है, जो 6 नगर निगमों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी—काठगोदाम, काशीपुर, रूद्रपुर) 01 नगर पालिका परिषद् (नैनीताल) में संचालित की जा रही है।

अमृत योजना के मुख्य उद्देश्य एवं वर्तमान स्थितिः—

- प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ कराना।
- हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना।
- अमृत योजना 1.0 की कुल लागत ₹ 593.02 करोड़ के सापेक्ष कुल 151 योजनाओं की स्वीकृती भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष कुल ₹ 591.02 करोड़ अवमुक्त धनराशि से 108 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 4337.38 लाख बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 2296.27 लाख धनराशि अवमुक्त कर व्यय किया गया है । योजना प्रारम्भ सें दिसम्बर 2022 तक अमृत योजना में अवमुक्त कुल धनराशि ₹ 59102.00 लाख के सापेक्ष ₹ 48032.00 लाख व्यय किया गया।
- योजनान्तर्गत जलापूर्ति में लक्ष्य 47 के सापेक्ष 29 पूर्ण एवं 18 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
- सीवरेज में लक्ष्य 44 के सापेक्ष 37 योजनायें पूर्ण एवं 07 योजनाओं पर कार्य चल रहा है।
- ड्रेनेज में लक्ष्य 16 योजनाओं के सापेक्ष 11 योजनायें पूर्ण एवं 05 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- Green Space में पार्क की कुल 44 योजनाओं के सापेक्ष 41 पूर्ण एवं 03 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।
- अमृत उपयोजना के अन्तर्गत 7 नगरों को चयनित कर जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस पर स्वीकृत व्यय ₹ 3.67 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.07 करोड़ अवमुक्त हुआ है जिसमें से ₹ 0.71 करोड़ की धनराशि अवशेष है।
- अमृत 2.0— अमृत 2.0 के अन्तर्गत ₹ 646.66 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

योजना के ट्रेंच–1 के अन्तर्गत 19 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं जिसके लिए ₹ 233.74 करोड़ के सापेक्ष ₹ 42.07 करोड़ की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

- जी0आई0एस0 आधारित मास्टर प्लान के अन्तर्गत श्रेणी–2 के 10 शहरों (जनसंख्या 50000 से 99999 तक) का चयन किया गया है। जिनके लिए ₹ 8.55 करोड़ की लागत की योजनायें प्रस्तावित हैं जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 1.14 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

19.5–प्रधानमंत्री आवास योजनाः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

- भागीदारी में किफायती आवास घटक अन्तर्गत 21 परियोजनायें 17304 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। जिनमें से 464 आवासों पर कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं शेष आवासों पर कार्य प्रगति पर है।

- निजी/सार्वजनिक तथा पैरास्टेटल एजेन्सियों की भागीदारी में किफायती आवास प्रति ई0डब्ल्यू0एस0 आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1.50 लाख की केन्द्रीय सहायता उन परियोजनाओं को उपलब्ध करायी जाती है जिसमें 35 आवास ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी हेतु आरक्षित हों इस योजना के अन्तर्गत 21 परियोजनाओं में 17304 आवासों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृती प्राप्त है जिनमें से 464 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है।

- वर्ष 2022–23 में ₹ 13628.00 लाख का बजट में प्रावधान है दिसम्बर, 2022 तक ₹ 6758.41 लाख अवमुक्त हुए है, जिसके सापेक्ष ₹ 4587.72 लाख का व्यय किया गया है।

19.6–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देहरादून नगर के चयनित वार्डो के सम्पूर्ण विकास के लिए ₹ 1000.00 करोड़ प्राविधानित है, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा वर्तमान मे परियोजना के अर्न्तगत इन्ट्रीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर जो शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबन्धन, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं यथाः स्मार्ट स्कूल, वाटर ए0टी0एम0, स्मार्ट रोड़, दून एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर, स्मार्ट टॉयलेट, पेयजल आपूर्ति संवर्द्धन, परेड ग्राउन्ड जीर्णोद्धार, पलटन बाजार पैदल मार्ग का विकास, मॉर्डन दून लाईब्रेरी, स्मार्ट पोल, सीवर लाइन कार्य, राष्ट्रीय ध्वज स्मारक, ग्रीन बिल्डिंग एवं इलैक्ट्रिक बस संचालन जैसे कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 ₹ 1000.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें से ₹ 595.50 करोड़ अवमुक्त किये गये हैं तथा ₹ 512.88 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

19.7 स्मार्ट सिटी CITIIS Project के अर्न्तगत स्मार्ट सिटी विजन के संदर्भ बिंदुओं के रूप में सतत् विकास लक्ष्यों के मापदंडों के साथ स्वस्थ और सुरक्षित नागरिकों के साथ एक ग्रीन स्वच्छ और आर्थिक रूप से जीवंत शहर की परिकल्पना की गई है। छोटे बच्चों की रक्षा और सुरक्षा को संबोधित करने के लिए शहर के बच्चों के लिए अनुकूल एक व्यापक गतिशील योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 ₹ 1164.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है।

बाह्य सहायतित योजना

19.8– बाह्य सहायतित योजनाओं के संचालन के लिए शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेन्सी (यू0यू0एस0डी0ए0) का गठन 2008 में किया गया। यह एजेन्सी विभिन्न वित्त पोषित परियोजनाओं के माध्यम से नगरीय

अवस्थापना विकास की कार्य सम्पादित करती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत कुल ₹ 8469 करोड़ की परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड एंड रेसिलिएन्ट अर्बन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट :– उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (UUSDA) की नवीन परियोजना ''उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड एंड रेसिलिएन्ट अर्बन डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट (UIRUDP)'' एशियन विकास बैंक के वित्तीय पोषण के माध्यम से संचालित की जा रही है। परियोजना के द्वारा देहरादून तथा नैनीताल नगरों में ₹ 801.20 करोड़ की लागत से पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, बरसाती जल प्रबन्धन आदि से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं।

परियोजना के द्वितीय चरण में लगभग ₹ 1948 करोड़ की लागत से देहरादून, विकासनगर, कोटद्वार, चम्पावत, टनकपुर, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, जैसे टीयर–2 के शहरों में पेयजल, सावरेज, सड़क सुदृढ़ीकरण जैसे कार्य करवाये जाने हैं।

भारत सरकार द्वारा पोषित इन्टीग्रेटेड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेल्पमेंट इन हल्द्वानी परियोजना जिसकी कुल लागत ₹ 2160.00 करोड़ की लागत है वित्तीय वर्ष 2022–23 में परियोजना पर ₹ 510.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है।

उत्तराखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेल्पमेंट इन सेकेण्डरी टाउन (यू0आई0डी0एस0टी0) इस परियोजना के अन्तर्गत टीयर–2 के शहरों में आगामी 30 वर्षो के आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गयी है। परियोजनाओं के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत आमजन के स्वास्थ्य व साामजिक कल्याण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता में सुधार करना, नवाचार व बुनियादी ढ़ांचा विकसित करने, असमानता कम करने, लैंगिक समानता को लागू करने, सतत् शहरों और समुदायों को संगठित करने, व्यवस्थित जलवायु कार्यो, जल जैविकी को विकसित करने, भूमि पर जीवन विकास, गरीबों को निःशुल्क सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है।

राज्य वित्त पोषित योजनायें

राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹ 7209.40 लाख धनराशि प्राविधानित की गई है तथा दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1222.20 लाख धनराशि उपयोग में लाई गयी है। राज्य सैक्टर द्वारा संचालित योजनाओं पर किये गये व्यय का विवरणः–

19.9–उत्तराखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि (Urban Reform Incentive Programme, UA-URIF):– इस योजना में दीनदयाल उपाध्याय शहरी पुरस्कार योजना के अन्तर्गत स्वच्छता के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा श्रेष्ठतम 09 स्थानीय निकायों को प्रत्येक वर्ष अवस्थापना स्थापित करने हेतु पुरस्कृत किया जाता है, वर्ष 2022–23 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है।

19.10–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास (Urban Infrastructure Development)- इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधायें यथा– ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नवगठित हो रही नगर निकायों को निकाय के गठन, कार्यालय स्थापना तथा अन्य विकास कार्यो हेतु अनुदान भी इसी के तहत स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2022–23 में ₹ 2650.00 लाख का बजट में प्रावधान है। दिसम्बर, 2022 तक दो नगर निकायों क्रमशः नरेन्द्र नगर तथा हल्द्वानी को ₹ 486.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

19.11 श्वान पशु बन्ध्याकरण के लिए

ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण एवं संचालन (Animal Birth Control) योजना के अन्तर्गत आवारा श्वान पशुओं के बन्ध्याकरण हेतु नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में (एनिमल बर्थ कन्ट्रोल) ए0बी0सी0 कैम्पसों का निर्माण एवं उक्त कैम्पस में श्वान पशु बन्ध्याकरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। वर्तमान में एबीसी कैंपस तीन नगर निकायों देहरादून, मसूरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में संचालित है तथा हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रुड़की, काशीपुर, में कार्य निर्माणाधीन है। वर्ष 2022—23 में ₹ 300.00 लाख का बजट में प्रावधान है, ₹ 146.39 लाख नगर निगम काशीपुर, रूद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार एवं नगर पालिका परिषद विकासनगर को अवमुक्त किया गया।

19.12 रैन बसेरों का निर्माण योजना हेतु वर्ष 2022—23 में ₹ 100.00 लाख का बजट में प्रावधान है, जिसमें से ₹ 23.68 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को अवमुक्त की गयी है।

19.13 नगर पालिकाओं में पार्को की स्थापना योजना का उद्देश्य नगर निकायों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को को सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 100.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है इसी प्रकार समस्त निकायों में ओपन जिम पार्क निर्माण हेतु धनराशि ₹ 187.50 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है।

19.14 सड़क पर रेड़ी, फेरी, शिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनने वाले सपेरा आदि को राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार सड़क पर फेरी व रेड़ी लगाने वाले दुकानदारों के लिए एक स्थान निर्धारित करते हुए स्थल विकास किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 10.00 लाख का परिव्यय है। निर्धारित किया गया है।

19.15 हाईटेक शौचालयों का निर्माण— यात्रामार्ग एवं पर्यटक स्थलों पर स्थापित नगर निकायों में यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु नगर निकाय नई टिहरी, रूडकी, बडकोट, चम्बा, गंगोत्री, धनसाली, टनकपुर में हाईटेक शौचालय निर्माण पूर्ण हो गया है वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 108.32 लाख नगर निकायों क्रमशः ऋषिकेश, चमियाला, गोचर, खटीमा, कर्णप्रयाग एवं दिनेशपुर में निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है।

19.16—सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता से सम्बन्धी सामग्री व स्वास्थ्य जांच आदि कराना है। वित्तीय वर्ष 2022—23 मे ₹ 100.00 लाख के बजट प्राविधान किया गया है।

19.17—सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को नगर की सफाई व्यवस्था में सर्वोच्च योगदान देने पर पुरूस्कृत किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 20.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है।

19.18 वाहन पार्किंग परियोजनायें :— प्रदेश के अधिकांश शहरों में वाहन पार्किंग एक बड़ी समस्या रही है जिसके निराकरण के लिए राज्य के 158 स्थानों पर भूतल पार्किंग, 50 मल्टीलेवल कार पार्किंग, 88 ऑटोमेटेड कार पार्किंग, 09 टनल पार्किंग 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिसमें से 91 स्थानों की डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है तथा 33 परियोजनाओं में ₹ 5286.07 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वाहन पार्किंग परियोजनाओं के अन्तर्गत

जनपद अल्मोड़ा में 22, बागेश्वर में 08, चमोली में 16, चम्पावत में 07, देहरादून में 04, हरिद्वार में 05, नैनीताल में 12, पौड़ी में 17, पिथौरागढ़ में 16, रूद्रप्रयाग में 08, टिहरी में 25, उत्तरकाशी में 16 तथा ऊधमसिंह नगर में 02 पार्किंग परियोजनायें चिन्हित हैं। जनपद देहरादून के मसूरी में 100, चम्पावत में 20, ऊधमसिंह नगर के नानकमता में 112 वाहनों हेतु पार्किंग परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं।

19.19 प्रधानमंत्री आवास योजनाः— उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 21 आवासीय परियोजनायें निर्माणाधीन हैं जिनमें 17,304 आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

- वर्तमान में 19 आवासीय परियोजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर, 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराकर सम्बन्धित लाभार्थियों को आवास आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

- मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत दो परियोजनायें जिनमें 464 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

- हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण की एक परियोजना जिसमें 528 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों को निर्माण कार्य गतिमान है। इसी प्रकार ऊधमसिंह नगर में एक परियोजना के अन्तर्गत 1872 ई0 डब्ल्यू0एस0 आवासों का निर्माण कार्य गतिमान है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 8 परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश ₹ 1660.80 लाख प्राप्त हो चुका है।

19.20—मेट्रो रेल योजनाः— प्रदेश में बढ़ते शहरी जनसंख्या तथा विश्वस्तरीय, पर्यावरण अनुकूल प्रदूषणमुक्त, वातानुकूलित एवं आरामदायक परिवहन तथा यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रदेश के देहरादून एवं हरिद्वार में मेट्रो रेल परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।

सैधान्तिक रूप से निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैः—

1— हरिद्वार में पी0आर0टी0 (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) इस परियोजना को **''हरिद्वार दर्शन''** के नाम से विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में चार कॉरिडोर हैं जिनकी कुल लम्बाई 21 किमी0 तथा इसमें 21 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत ₹ 1664 करोड़ की लागत प्रस्तावित है।

2— हर—की—पैडी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना पी0पी0पी0 मोड पर तैयार की जाने वाली यह परियोजना की कुल लंम्बाई 2.3 किमी एवं कुल लागत ₹ 150 करोड़ है जिसमे कुल 02 स्टेशन एवं 13 टावर है।

3— ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना

- परियोजना की कुल लम्बाई 6.5 किमी0 है जिसमें 4 स्टेशन एवं 36 टावर पर तैयार किये जायेगें। परियोजना का संचालन पी0पी0पी0 मोड पर किया जाना प्रस्तावित है।

- राज्य सरकार द्वारा मेट्रो परियोजना की संचालन हेतु वर्ष 2022—23 के बजट में ₹ 9,480 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें से माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 1023 लाख अवमुक्त किया गया था जिसके सापेक्ष नवम्बर, 2022 तक ₹ 507.22 लाख व्यय किया जा चुका था।

मानव विकास

अध्याय–20
शिक्षा
Education

शिक्षा राष्ट्र के मानव संसाधनों का निर्माण करती है, गरीबी कम करती है और आय में वृद्धि करती है, जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होती है। सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत शिक्षा संबंधी लक्ष्य (लक्ष्य संख्या 04) सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। शिक्षा समाज को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जो उनकी उत्पादकता में सुधार करता है, और उन्हें उच्च आय अर्जित करने का बेहतर अवसर प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को आधुनिक तरीकों और आधुनिक तकनीकों को आसानी से स्वीकार करने में मदद करता है, जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। यही नहीं अपितु यह देश के मानव संसाधन या मानव पूंजी की आय सृजन क्षमता में वृद्धि करके आय मे असमानता को कम करता है एवं व्यक्तियों के बीच नवीन कौशल प्राप्त करने एवं नवीन तकनीक का अविष्कार करने की क्षमता विकसित करता है ताकि कार्य अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

20.1 प्राथमिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य प्रारम्भिक विद्यालयों की व्यवस्था, उनका संचालन, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि के द्वारा विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है। प्रदेश में 14226 राजकीय विद्यालय हैं, जिनमें 519462 विद्यार्थी नामांकित है तथा 31852 शिक्षक कार्यरत है, जबकि निजी / प्राइवेट विद्यालय 4090 हैं, जिनमें 485160 विद्यार्थी नामांकित है तथा 29465 शिक्षक कार्यरत है।

तालिका 20.1

विवरण	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या			विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	पुरूष शिक्षक	महिला शिक्षक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय विद्यालय	14226	257008	262454	519462	16878	14974	31852
निजी / प्राइवेट विद्यालय	4090	268916	216244	485160	7958	21507	29465

स्रोतः UDISE 2021 & 22

20.1.1 प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति

असर 2021 में बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन पर सर्वे किया गया है।

यह सर्वेक्षण राजकीय विद्यालयों में नामांकित 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों एवं उनके माता–पिता के शिक्षण के आधार पर किया गया।

तालिका 20.2

% Children enrolled in government schools by sex & grade

Std	ASER 2018		ASER 2020		ASER 2021	
	BOYS	GIRLS	BOYS	GIRLS	BOYS	GIRLS
Std I-II	57.9	65.1	61.1	66.7	72.0	74.1
Std III-V	62.7	71.2	65.6	73.3	70.9	77.1
Std VI-VIII	65.8	73.3	68.3	77.0	73.4	79.2

स्रोतः असर–2021

तालिका 20.3

% Children aged 6-14 enrolled in government schools by State and sex.
2018, 2020, 2021

State	ASER 2018			ASER 2020			ASER 2021		
	BOYS	GIRLS	ALL	BOYS	GIRLS	ALL	BOYS	GIRLS	ALL
UTTARAKHAND	50.9	57.2	53.9	43.4	59.0	50.3	47.3	54.4	50.5
ALL INDIA	60.7	68.0	64.3	62.6	69.4	65.8	67.9	73.0	70.3

स्रोतः असर–2021

तालिका 20.4

Distribution of enrolled children by parents education.
2018, 2020, 2021

Parent's Education	**% Children**		
	ASER 2018	**ASER 2020**	**ASER 2021**
Low	30.8	22.5	22.1
Medium	48.8	49.9	47.5
High	20.4	27.6	30.4
Total	100	100	100

स्रोतः असर–2021

20.1.2 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण)ः– पी0एम0 पोषण योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाला एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय विद्यालय/राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा–कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना है।

वर्ष 2022–23 में अद्यतन प्रत्येक विद्यालय को कुकिंग कास्ट की धनराशि तथा खाद्यान्न के रूप में मानकानुसार चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में कुल 16865 विद्यालयों में 711435 बच्चे नामांकित है विद्यालयों में भोजन पकाये जाने हेतु वर्तमान में कुल 24928 भोजन मातायें कार्य कर रही हैं। वर्ष 2022–23 के लिये भारत सरकार के द्वारा कुल 17733.15 मी0ट0 खाद्यान आवंटित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹ 235.64 करोड की धनराशि का अनुमोदन किया गया है जिसमें केन्द्रांश के रूप में ₹ 134.88 करोड तथा राज्यांश के लिये ₹ 100.76 करोड की धनराशि का अनुमोदन किया गया है।

राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए

समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ एवं गतिविधियाँ संचालित की जाती रही है, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ ही अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में स्कूली शिक्षा की सार्वभौम पहुँच में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुये हैं तथा अद्यतन प्राथमिक स्तर पर 97.5%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 98.4% एवं माध्यमिक (कक्षा 10 तक) स्तर पर 91% बस्तियों में शिक्षा की पहुँच निर्धारित मानकों के अन्तर्गत उपलब्ध है।

20.2 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा विभाग का मुख्य कार्य माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना, उसका संचालन करना, उपलब्ध करायी जा रही शिक्षा का मूल्यांकन करना तथा उसके स्तर में अभिवृद्धि के लिए प्रशिक्षणादि के माध्यम से विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप करना एवं पश्चपोषण करना है। इसके अतिरिक्त विद्यालय से बाहर छूट गये बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु प्रयास करना है। राज्य में 1407 राजकीय इण्टर कालेज, 338 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 911 राजकीय हाईस्कूल, 61 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 1135 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3852 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा–9–12) में कुल 698090 छात्र नामांकित हैं। माध्यमिक स्तर पर शालात्यागी दर (Dropout Rate) 4.85 तथा जेण्डर पेरिटी दर (GPI) 0.90 है।

तालिका 20.5

जातिवार तथा कक्षावार छात्र नामांकन (समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय)

श्रेणी	कक्षा–9	कक्षा–10	कक्षा–11	कक्षा–12	कुल योग
सामान्य	94471	93636	95619	85092	**368818**
अनु0जाति	41815	40480	40129	32012	**154436**
अनु0जनजाति	5113	4975	5017	4305	**19410**
अ0पि0 वर्ग	43690	41516	37366	32854	**155426**
योग	**185089**	**180607**	**178131**	**154263**	**698090**

स्रोतः यू–डायस 2021–22

20.2.1 राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना– प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों के समतुल्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के उदे्श्य से प्रदेश में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में प्रत्येक जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। ये विद्यालय पूर्णतः आवासीय व सहशिक्षा के केन्द्र हैं। इस मद में 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अधिष्ठान संबन्धी व्यय निहित हैं। वर्ष 2022–23 में राजस्व मद में दिसम्बर, 2022 तक ₹ 3110.45 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 1910.68 लाख व्यय किये जा चुके हैं। पूंजीगत मद में ₹ 400.00 लाख धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष अद्यतन ₹ 56.30 लाख की स्वीकृत हुई है।

20.2.2 राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय– प्रदेश के दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं के सर्वागीण विकास हेतु प्रदेश में निम्न 04 जनपदों (बेतालघाट–नैनीताल, बेरीनाग–पिथौरागढ, जोशीमठ–चमोली एवं जयहरीखाल–पौड़ी) में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु राजस्व मद में ₹ 129.10 लाख एवं पूंजीगत मद में ₹ 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, इसमें से राजस्व मद में ₹ 68.52 लाख

स्वीकृति के सापेक्ष ₹ 30.58 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

20.2.3 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकः– विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा–01 से कक्षा–12 तक CBSE पाठ्यक्रम हेतु एन.सी.आर.टी. द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तके सभी विद्यालयों में लागू की गयी है। विगत वर्ष तक माध्यमिक स्तर पर कक्षा–09 से 12 तक मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए उनके खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाती रही है। प्रदेश में प्रथम बार शैक्षिक सत्र वर्ष 2022–23 में कक्षा–09 से कक्षा–12 तक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् 319015 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की गयी। आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्रओं को निःशुल्क पाठय्–पुस्तकें प्रदान की जायेंगी।

20.2.4 साईकिल योजना– माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल योजना) का शुभारम्भ दिनांक 04 अप्रैल, 2013 में किया गया, इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 08 उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में मैदानी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को साईकिल खरीद पर अधिकतम ₹ 2850 की प्रतिपूर्ति व पर्वतीय क्षेत्रों में बालिकाओं के नाम पर समतुल्य धनराशि राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि जमा की जाती है। वर्ष 2022–23 में कक्षा–9 में अध्ययनरत् 50852 छात्राओं को लाभान्वित किया गया, जिस हेतु ₹ 14.49 करोड़ की धनराशि जनपदों हेतु स्वीकृत की गयी।

20.2.5 कमला नेहरू पुरस्कार– प्रदेश के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की माताओं को स्व0 कमला नेहरू पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति प्त्र एवं ₹ 1000 की धनराशि का वितरण किया जाता है। वर्ष 2022–23 में उक्त योजनान्तर्गत 9959 छात्र–छात्राओं की माताओं को लाभान्वित किया गया। जिस हेतु ₹ 99.59 लाख की धनराशि जनपदों हेतु स्वीकृत की गयी।

20.2.6 छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न छात्रवृति योजनाएं– होनहार एवं उत्कृष्ट छात्र–छात्राओं के प्रोत्साहनार्थ वर्तमान में निम्नांकित छात्रवृति योजनाएं संचालित की जा रही है। वर्ष 2022–23 में आर.आई.एम.सी. छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 10, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 02, श्री देव सुमन योग्यता छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 712 एवं डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 108 छात्र–छात्रायें लाभान्वित हुये हैं।

20.2.7 मॉडल स्कूल– शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहें है। वर्ष 2022–23 में राजकीय माध्यमिक मॉडल विद्यालयों की खिड़की दरवाजों की मरम्मत, फर्श मरम्मत, फर्नीचर की मरम्मत, लघु निर्माण कार्य एवं अन्य व्यय हेतु ₹ 290.00 लाख़ की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी।

20.2.8 अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः– उत्तराखण्ड के छात्र/छात्राओं को भविष्य में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने तथा प्रतिस्पर्धा के लिए सुदृढ़ रूप से तैयार किये जाने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ''अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना'' संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य के 189 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित कर उन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किया गया है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के

अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में राजस्व मद में ₹ 1228.10 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसमें से ₹ 1228.10 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष अद्यतन ₹ 1208.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

अभिनव पहल

• शैला बृजनाथ ने देहरादून शहर के अति वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने एवं उनमें कुपोषण कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में में आसरा ट्रस्ट की स्थापना की। आसरा ट्रस्ट देहरादून में वर्ष 2009 से झुग्गी–झोपड़ियों तथा मलिन बस्तियों के बच्चों के साथ काम कर रहा है। ट्रस्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। "स्ट्रीट स्मार्ट प्रोग्राम" के अंतर्गत झुग्गी–झोपड़ियों तथा मलिन बस्तियों के बच्चों को विभिन्न माध्यमों से शिक्षित करने के उपरान्त औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु तैयार करता है, तदोपरांत ऐसे बच्चों को स्कूल में औपचारिक स्कूली शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाने में सहायता प्रदान की जाती है।

• जोगिंदर रोहिला ने वर्ष 2007 में पुस्तकालयों की स्थापना एवं बच्चों को करियर हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति नामक संस्था की शुरुआत की। संस्कृति पहल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पुस्तकालय खोले गये हैं, जहां अच्छी, आकर्षक, तथा उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें उपलब्ध है। पुस्तकालय में छात्रों को पढ़ने के लिए सुविधायुक्त जगह प्रदान की गयी है, जहां बच्चे एकाग्राचित होकर अपनी पढ़ाई कर सकते है। श्री रोहिल्ला द्वारा विभिन्न स्थानों पर 30 से अधिक निःशुल्क पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5000 से अधिक बच्वें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे है। श्री रोहिल्ला का उद्देश्य उत्तराखंड के सभी बच्चों को निशुल्क पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराना है।

20.3 समग्र शिक्षा योजना

भारत सरकार द्वारा संसाधनों के सुनियोजित उपयोग, बच्चों को विद्यालयी शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सके, विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत संसाधनों पर व्यय कम किया जा सके आदि के दृष्टिगत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक–शिक्षा का एकीकरण करते हुये समग्र शिक्षाा योजना प्रारम्भ की गयी है। समग्र शिक्षा के तीन घटक – प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा हैं। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की भागीदारी 90:10 के अनुपात में निर्धारित की गयी है। योजना के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहॅुच, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का प्रावधान एवं छात्रों के 'सीखने के प्रतिफल' (Learning Outcomes) सुनिश्चित करना, विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत सामाजिक एवं लैंगिक भेद समाप्त करना, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशन (Inclusion) एवं समता (Equity) सुनिश्चित करना आदि हैं।

तालिका 20.6

Gross Enrollment Ratio- 2021-22

Sr. No.	Districts	Primary			Upper Primary			Elementary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	ALMORA	102.77	104.70	103.69	84.34	85.52	84.90	94.61	96.18	95.36
2	BAGESHWAR	101.16	102.86	101.95	91.78	87.12	89.48	97.34	96.02	96.71
3	CHAMOLI	103.24	102.76	103.01	97.31	95.43	96.40	100.98	99.91	100.47

4	CHAMPAWAT	103.69	102.23	103.01	91.98	90.24	91.14	98.91	97.24	98.12
5	DEHRADUN	105.08	106.66	105.81	93.45	94.77	94.06	100.46	101.92	101.14
6	HARDWAR	105.01	103.29	104.20	97.35	97.25	97.31	102.42	101.23	101.86
7	NAINITAL	98.80	99.14	98.95	88.47	87.87	88.19	94.64	94.54	94.59
8	PAURI	105.39	101.94	103.73	94.56	91.56	93.10	100.83	97.49	99.22
9	PITHORAGARH	102.73	103.95	103.30	100.09	99.38	99.77	101.67	102.12	101.88
10	RUDRAPRAYAG	99.78	97.57	98.70	89.31	83.76	86.57	95.41	91.70	93.60
11	TEHRI GARHWAL	101.22	101.77	101.48	89.80	86.51	88.19	96.59	95.39	96.01
12	US NAGAR	103.07	103.09	103.08	92.86	90.08	91.52	99.36	98.18	98.80
13	UTTARKASHI	104.31	105.10	104.68	93.79	91.00	92.42	100.27	99.39	99.85
Total		**103.42**	**103.28**	**103.35**	**93.21**	**92.06**	**92.66**	**99.52**	**98.91**	**99.24**

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–20.1

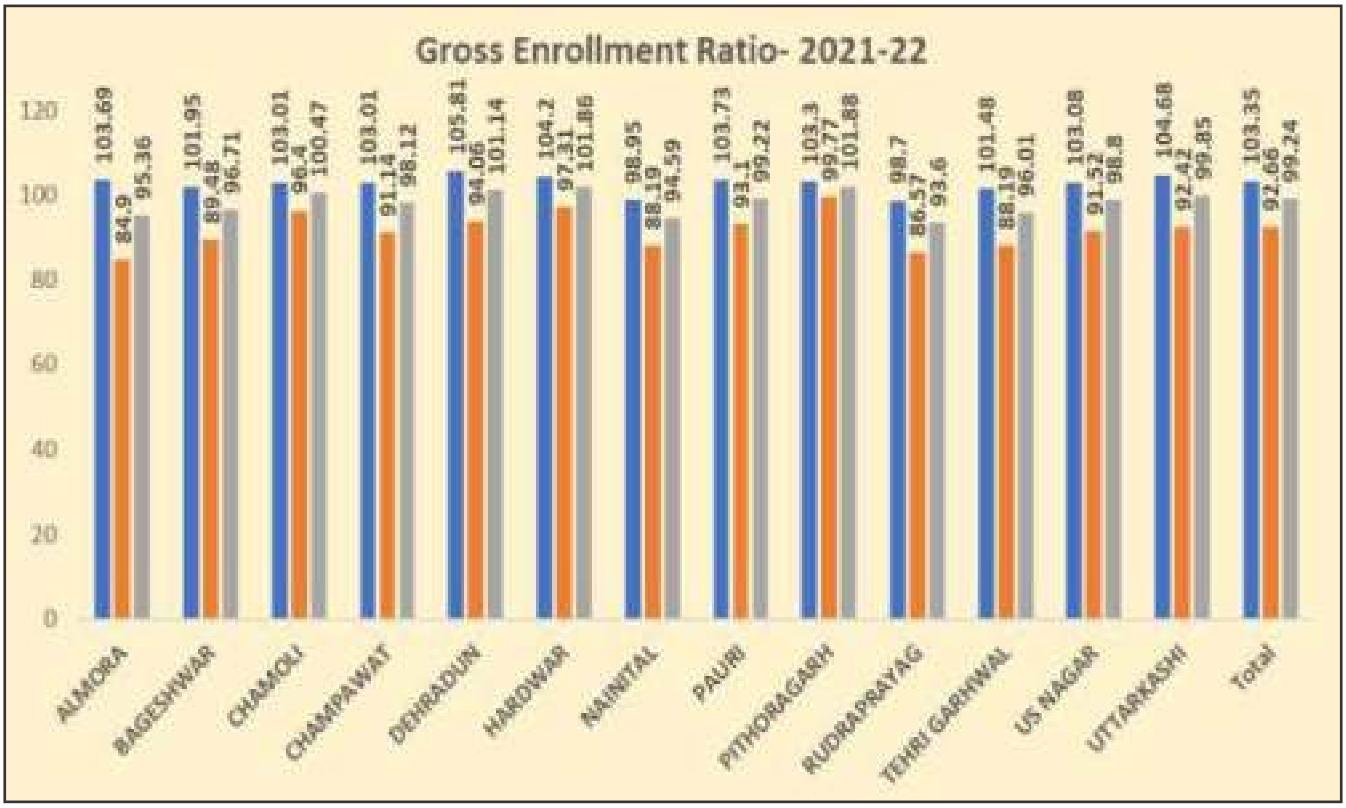

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 20.7
Net Enrollment Ratio - 2021-22

Sr. No.	Districts	Primary			Upper Primary			Elementary		
		Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1	ALMORA	93.75	95.87	94.76	71.31	72.13	71.70	87.56	88.95	88.22
2	BAGESHWAR	94.12	96.90	95.42	79.41	75.53	77.49	91.33	90.29	90.83
3	CHAMOLI	94.83	95.18	94.99	82.99	80.92	81.99	94.16	93.02	93.61
4	CHAMPAWAT	94.57	93.92	94.26	78.96	76.91	77.98	92.27	90.60	91.48
5	DEHRADUN	88.22	89.64	88.87	73.26	73.36	73.30	90.40	91.29	90.81

6	HARDWAR	85.97	84.62	85.34	71.33	69.94	70.67	91.05	89.43	90.29
7	NAINITAL	84.75	85.27	84.99	70.49	70.08	70.30	85.61	85.56	85.59
8	PAURI	94.67	92.17	93.47	78.49	76.48	77.51	92.64	89.78	91.26
9	PITHORAGARH	95.21	97.54	96.29	87.90	86.87	87.42	95.45	95.89	95.65
10	RUDRAPRAYAG	90.13	88.70	89.44	73.99	69.31	71.68	87.06	84.04	85.58
11	TEHRI GARHWAL	89.71	90.59	90.13	70.52	69.03	69.79	87.25	86.72	86.99
12	US NAGAR	87.76	88.25	87.99	68.52	66.36	67.48	88.93	87.73	88.36
13	UTTARKASHI	91.37	92.39	91.84	74.18	71.47	72.85	91.34	90.33	90.85
Total		**88.65**	**88.91**	**88.78**	**72.91**	**71.60**	**72.28**	**89.92**	**89.20**	**89.58**

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–20.2

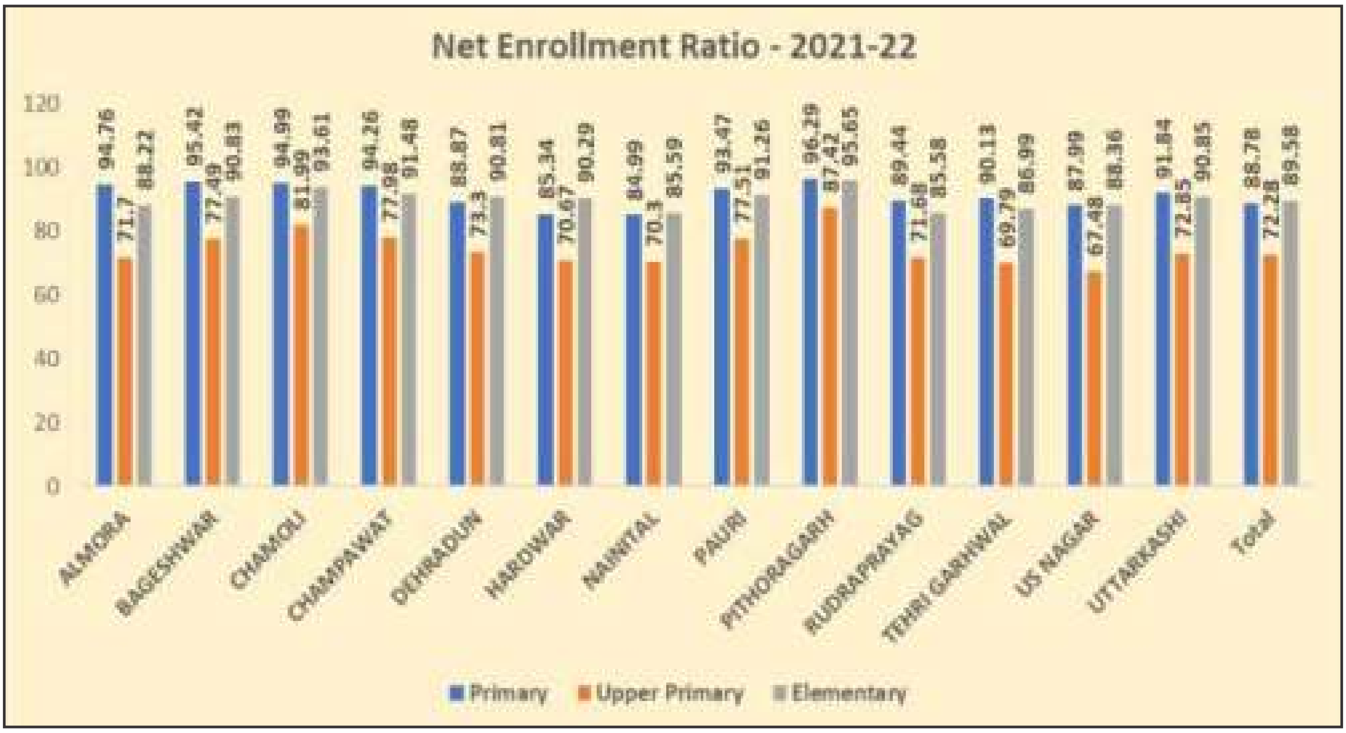

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

20.3.1 Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. Inclusive and equitable education - while indeed an essential goal in its own right - is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive, and contribute to the nation. The education system must aim to benefit all of India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of the circumstances of birth or background.

चार्ट–20.3

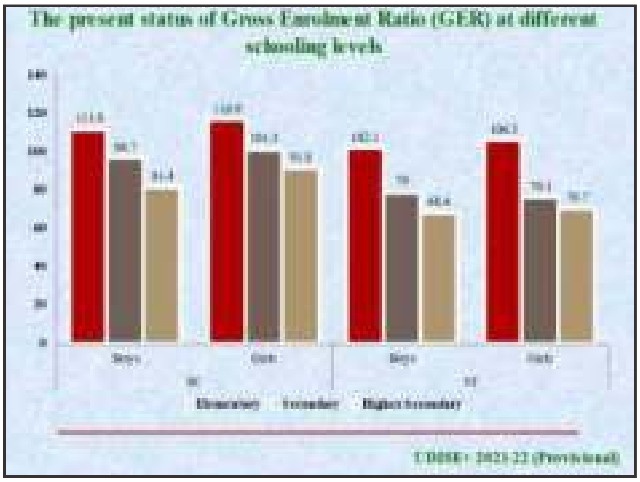

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–20.5

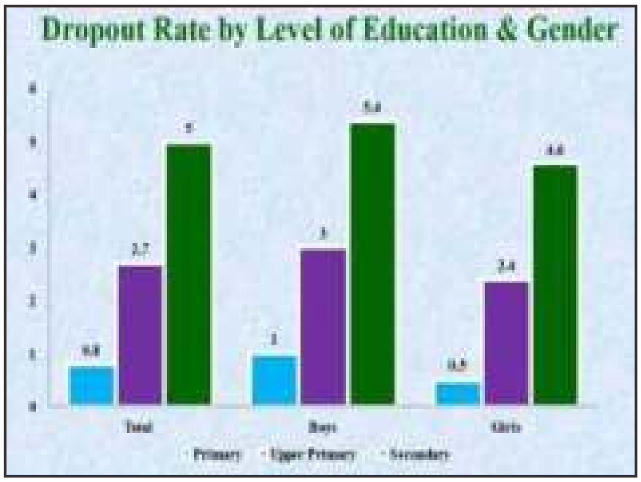

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–20.4

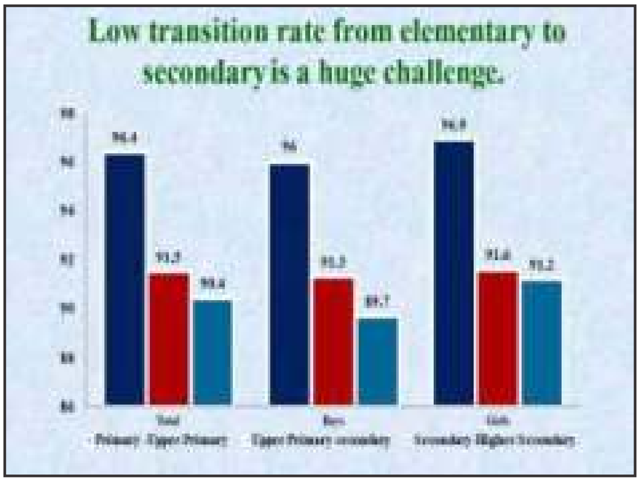

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

20.3.2 समग्र शिक्षा के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि – समग्र शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा पर ₹ 167353.40 लाख तथा माध्यमिक शिक्षा हेतु ₹ 57236.97 लाख व्यय किया गया।

तालिका 20.8
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का विवरण–

विभाग	भवन	कक्षा–कक्ष	प्रयोगशाला	पेयजल	शौचालय	विद्युतीकरण	रैम्प
समग्र शिक्षा प्रारम्भिक	433	323	0	119	1088	660	2834
समग्र शिक्षा माध्यमिक	16	176	305	2	188	181	0
योग	**449**	**499**	**305**	**121**	**1276**	**841**	**2834**

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

20.3.3 शिक्षा का अधिकार अधिनियम– शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1)(C) के अन्तर्गत कमजोर एवं अपवंचित वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या एवं प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि–

तालिका 20.9

क्र0 सं0	वर्ष	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या	प्रतिपूर्ति की धनराशि (₹ लाख में)
1	2017-18	100473	5000.00
2	2018-19	104147	6000.00
3	2019-20	104732	16240.98
4	2020-21	97772	20065.61
योग			**47306.59**

चार्ट–20.6

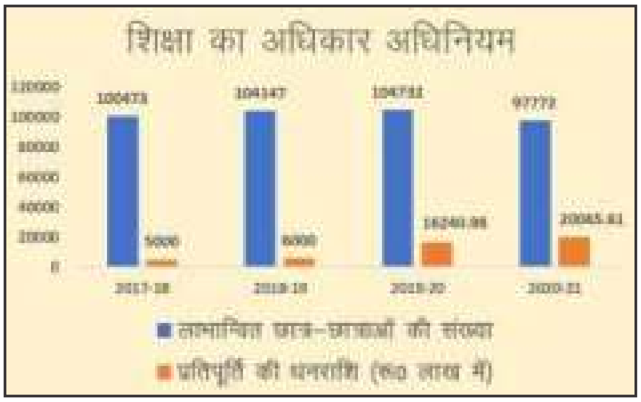

स्रोतः शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

20.3.4 कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास/आवासीय छात्रावास– कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय छात्रावासों के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग एवं बी0पी0एल0 परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षा व्यवस्था के लिए 40 के0जी0बी0वी0 संचालित हैं। वर्ष 2022–23 हेतु के0जी0बी0वी0 में 3694 छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास एवं शिक्षा व्यवस्था की गयी है। विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिये जाने का प्राविधान है।

20.3.5 आवासीय एवं गैर आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम– विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु गैर आवासीय एवं आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 2911 बच्चों को आयु आधारित कक्षा में प्रवेश हेतु तैयार किया जा रहा है।

20.3.6 एस्कॉर्ट सुविधा– जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने वाले 3198 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

राज्य के चहुंमुखी विकास में योगदान देने वाली योजनाओं–रणनीतियों, नवाचारों, नवप्रवर्तनों तथ्यों उच्चानुभावों, बेस्ट प्रैकिटसेज, शोध परिणाम एवं अध्ययनः–

- डिजिटल लर्निंग के प्रचार–प्रसार हेतु 500 माध्यमिक स्तर के राजकीय विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएँ एवं 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएँ संचालित किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- राज्य में माध्यमिक स्तर पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बच्चों को व्यावसायिक/वाणिज्यिक पाठ्यक्रम से जोड़ने तथा उनके विद्यालयों में ठहराव को सुनिश्चित किये जाने हेतु 200 विद्यालयों में 08 ट्रेड (कृषि, आटोमोटिव, ब्यूटी एण्ड वैलनेस, पर्यटन, इलैक्ट्रानिक एण्ड हार्डवेयर, रीटेल, आई0टी0, प्लम्बर) प्रारम्भ किये गये हैं।
- राज्य में वर्तमान में कुल 14947 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 6031 केन्द्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं। माह जुलाई 2022 से कुल 4457 आंगनवाड़ी केन्द्रों जो कि प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, में बालवाटिका प्रारम्भ की गयी हैं। बालवाटिका संचालन से सम्बन्धित शिक्षक संदर्शिका एवं बच्चों के लिए तीन गतिविधि पुस्तिकाएँ– स्वास्थ्य, सृजन एवं संवाद विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी हैं। बालवाटिका से सम्बन्धित अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया गया है।

परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई (2020–21)

उत्तराखंड को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, रूड़की, हरिद्वार समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शिक्षा के कई प्रतिष्ठित संस्थान है। देश ही नहीं विदेश में उत्तराखंड के एजुकेशन का डंका बजता आ रहा है। बावजूद इसके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, पीजीआई, 2020–21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी है। इस इंडेक्स में देशभर में उत्तराखंड को कुल 37 में से 35 वां स्थान मिला है। उत्तराखंड को 1000 अंकों में से 719 अंक प्राप्त हुए हैं, उत्तराखंड के बाद सिर्फ मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ही हैं।

उक्त के दृष्टिगत् स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा के स्तर को उत्तखण्ड राज्य में बढाए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे कि अगले परफॉरमेंस ग्रेडिंग इन्डेक्स में सुधार परिलक्षित हो सके व राज्य प्रथम स्थान प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सके।

20.4 उच्च शिक्षा

वर्तमान में राज्य में 119 राजकीय महाविद्यालय संचालित है जिनमें से अधिकांश महाविद्यालय पिछड़े एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं साथ ही प्रदेश में 21 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी संचालित हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 05 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं हेतु एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लागू की गयी है। वर्ष 2022–23 में 03 भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर महाविद्यालयों को हस्तान्तरित किये गये हैं और 15 नये भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये है। उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने एवं गुणवत्ता लाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहें है। राज्य सरकार द्वारा एडुसैट/ई–लर्निग/ई–ग्रन्थालय योजना को प्रारम्भ किया गया है ताकि दूरस्थ महाविद्यालयों के छात्र–छात्राऐं महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रम और नई जानकारियों से लाभान्वित हो सकें।

20.4.1 उच्च शिक्षा हेतु लागू छात्रवृत्ति योजनाऍ– वर्ष 2022–23 हेतु महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओ को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे वितरित की जाती हैं।

20.4.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA):– राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर नियोजित विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु राज्य के योग्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वित्तपोषण प्रदान करना है। रूसा की परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने दिसंबर 2014 में उत्तराखण्ड हेतु 90:10 के आधार पर रूसा प्रथम चरण में ₹ 158.46 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश ₹ 142.614 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 15.846 करोड़ स्वीकृत किया गया है तथा द्वितीय चरण में ₹ 137.00 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्राश ₹ 123.30 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 13.70 करोड़ स्वीकृत किया गया है। अभी तक अनुमोदित एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत है।

तालिका 20.10

रूसा फेज–1

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	मदें / परियोजना	परियो0 की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	अभी तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगिता धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1.	विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान	4	70.98	63.882	63.432	8.385	71.818	65.862
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	1	10.29	9.261	9.261	1.2118	10.4728	10.4728
3.	वर्तमान कॉलेज का मॉडल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण	4	12.86	11.574	11.574	1.2843	12.8583	12.6318
4.	महाविद्यालयों के संरचनात्मक अनुदान	31	61.84	55.656	54.305	6.287	60.592	59.462
5.	संकाय सुधार	1	2.49	2.241	2.241	0.2506	2.4916	2.4916
कुल		41	**158.46**	**142.614**	**140.814**	**17.419**	**158.233**	**150.921**

स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 20.11

रूसा फेज–2

(करोड़ ₹ में)

क्र0 सं0	मदें / परियोजना	परियोजना की संख्या	कुल अनुमोदित धनराशि	केन्द्रांश	अभी तक अवमुक्त धनराशि			उपयोगित धनराशि
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	
1.	विश्वविद्याल यों को संरचनात्मक अनुदान	2	40.00	36.00	0	0	0	0
2.	नये मॉडल महाविद्यालय हेतु	2	24.00	21.60	21.60	2.40	24.00	19.50
3.	वर्तमान कॉलेज का मॉडल कॉलेज के रूप में उच्चीकरण	2	8.00	7.20	7.20	0.80	8.00	6.00
4.	न्यू प्रोफेशनल कॉलेज	1	26.00	23.40	23.40	2.60	26.00	25.674
5.	महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान	17	34.00	30.60	30.60	3.437	34.037	32.149
6.	समता हेतु पहल	2	5.00	4.50	3.375	0.375	3.75	2.50
कुल		26	**137.00**	**123.30**	**87.30**	**9.612**	**95.787**	**85.823**

स्रोतः उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2022—23 द्वारा प्रमुख नवोन्मेशी योजना का विवरणः—

- **एस0सी0एस0पी0 योजनाः—** वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश राजकीय महाविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र के दूर—दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। केन्द्र पुरोनिधानित एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत भाासकीय महाविद्यालयों में प्रस्तावित योजना प्रदेश के 13 जनपदों में अवस्थित महाविद्यालयों में से एक—एक महाविद्यालयों जैसे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, लोहाघाट, रानीखेत, अगस्तयमुनि, नईटिहरी, चुड़ियाला, काशीपुर, कोटद्वार, डाईवाला एवं एम0 बी0 हल्द्वानी में संचालित की जा रही है। वर्ष 2022—23 में ₹ 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

- **प्रधानमंत्री जन विकास योजनाः—** प्रदेश के तीन शासकीय महाविद्यालयों को उनके विविध प्रस्तावों के सापेक्ष प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा 90:10 के अनुपात के आधार पर कुल ₹ 2305.05 लाख की योजनाएं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड हेतु स्वीकृत जिसमें ₹ 1037.27 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा आवंटित हुई हैः—

क्र0सं0	महाविद्यालय	प्रस्ताव	स्वीकृत राशि (लाख ₹ में)
1	शहीद भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रूद्रपुर	कॉमर्स ब्लॉक का निर्माण	₹ 1436.68 लाख
2	राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर	अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	₹ 358.16 लाख
3	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,	मिनी ऑडिटोरियम एवं ए0सी0 आर0 लैब	₹ 510.21 लाख

राज्य सेक्टर अंतर्गत संचालित योजनाएंः— उच्च शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जिनमें प्रमुख योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः—

- **भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजनाः—** उच्च शिक्षा में कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रोत्साहित करने एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा, राज्य के प्रख्यात शिक्षाविद भक्तदर्शन जी के नाम पर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षकों को ₹ 50000/— (₹ पचास हजार मात्र) की पुरस्कार धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार पांच विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है।

- **मेधावी छात्र पुरस्कार योजनाः—** राज्य के विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के लिए मेधावी छात्र पुरस्कार योजना भाुरू की गयी है। इस योजना के तहत स्नातकोत्तर कक्षाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं को ₹ 75000/— (₹ पचहत्तर हजार मात्र) द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं को ₹ 60000/— (₹ साठ हजार मात्र) एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं को ₹ 30000/— (₹ तीस हजार

मात्र) तथा स्नातक कक्षाओं में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को ₹ 50000/– (₹ पचास हजार मात्र), द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को ₹ 30000/– (₹ तीस हजार मात्र) एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को ₹ 15000/– (₹ पंद्रह हजार मात्र) प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

- **एन0डी0ए0/आई0एम0ए0:**– राज्य के ऐसे युवा जो एन0डी0ए0/आई0 एम0ए0 के माध्यम से सैन्य सेवाओं में अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं, उनको ₹ 50000/– मात्र की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को सैन्य सेवाओं हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना है।
- **एक भारत श्रेष्ठ भारत:**– इस योजना के अन्तर्गत दो राज्य कर्नाटक एवं उत्तराखण्ड के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र– छात्राओं की अधिक से अधिक भागीदारी संभव होगी तथा स्थानीय ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त छात्र अपने राज्य में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उक्त योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 20,00,000/– (बीस लाख मात्र) का वार्षिक प्राविधान किया गया है।
- **एडुसेट:**– ऑन लाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 47 राजकीय महाविद्यालयों में एडुसैट स्थापित हैं जिसमें 29 विशयों के 998 व्याख्यान प्रदेश के महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अपलोड हैं। जिनका प्रसारण विभागीय समय–सरणी के अनुसार छात्र–छात्राओं की सुविधानुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यू–ट्यूब के माध्यम से भी इन व्याख्यानों का लाभ एक लाख से अधिक छात्र–छात्रायें प्राप्त कर रहे हैं।
- **मुख्यमंत्री नवाचार योजना:**– नवाचार को बढ़ावा देने हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के अन्तर्गत ₹ 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। महाविद्यालय स्तर पर रोजगार–परक नवाचार आधारित यथा हिमालयी औषधीय ज्ञान, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, पशुपालन, जैविक कृषि, काष्ट कला, धातु कला एवं ऐंपण कलाकारी पाठ्यक्रम इत्यादि योजनायें चलाई जा रही हैं।
- **शोध एवं विकास कार्ययोजना:**– शोध एवं विकास कार्ययोजना हेतु ₹ 10 लाख का प्राविधान किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों का अकादमिक एवं शैक्षणिक वातावरण उत्कृष्ट बनाने हेतु प्रत्येक जनपद में एक महाविद्यालय में वर्चुअल लैब की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। 04 महाविद्यालयों राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, रुद्रपुर, उत्तरकाशी एवं डाकपत्थर में वर्चुअल लैब की स्थापना की जा चुकी है। वर्चुअल लैब के माध्यम से अनुसंधान, खोज एवं नवोन्मेश को बढ़ावा मिलेगा एवं राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों एवं छात्र–छात्राओं को देश विदेश के विषय विशेषज्ञों से ज्ञान वर्धक विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होगा।

20.4.3 वर्ष 2022–23 में गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा हेतु विभागीय कार्ययोजना:–

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन किये जाने की दिशा में प्रयास:–

   1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा इसी सत्र से पठन–पाठन हेतु स्वीकृत पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। जो राज्य विश्वविद्यालयों की वैबसाइट में देखे जा सकते हैं तथा समस्त महाविद्यालयों हेतु सेमेस्टर प्रणाली लागू की गयी है।

2. राज्य के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरुप प्रवेश किये जा रहे है। सत्र 2022—23 में 01 सितम्बर, 2022 से अध्यापन कार्य नई शिक्षा नीति के आधार पर किया जा रहा है।

2. रोजगारपरक शिक्षा (Employment Oriented Education):—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधानों के अनुरूप रोजगार परक और उद्यम शीलता को बढ़ावा देने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में वर्तमान में राज्य के कुल 69 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार परक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ—साथ प्रदेश व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु एक राजकीय व्यवसायिक महाविद्यालय पैठाणी की स्थापना की गयी है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी का विकास (Development of Information Technology):—

1. ऑन लाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत डिजिटल एवं ऑन लाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों एवं वि वविद्यालयों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी/विडियो कॉन्फ्रेन्सिग की सुविधा के अन्तर्गत 4G इन्टरनेट कनेक्टिविटी कुल एवं वाई—फाई कुल 112 में से 83 लोकेशनों (79 महाविद्यालयों, 02 विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी एवं क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
2. राज्य के प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय में ई—ग्रंथालय की स्थापना की गयी है, जिससें छात्र—छात्राओं को पठन—पाठन में सुलभ सुविधा उपलब्ध हो रही है।
3. उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिका के समस्त सेवा अभिलेखों का शत—प्रतिशत डिजिटाईजेशन कार्य किया जा चुका है ।
4. वर्ष में प्रदेश में अवस्थित राजकीय महाविद्यालया में अध्ययनरत् 1,05,000 विद्यार्थियों को कुल ₹ 1,26,00,00,000/— की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से टैबलेट क्रय किये जाने हेतु निर्गत की गयी।

4. सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

1. राज्य के प्रत्येक जनपद के एक राजकीय महाविद्यालयों में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य किया जायेगा के आलोक में प्रत्येक जनपदों के राजकीय महाविद्यालयों में महिला छात्रवास का निर्माण कार्य गतिमान है।
2. प्रदेश के महाविद्यालयों में मादक पदार्थों के प्रचलन को रोकने/समाप्त किये जाने हेतु नशा उन्मूलन समिति का गठन किया गया है तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को एन0एस0एस0 एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से समय—समय पर जन—जागरुकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
3. शासकीय/अशासकीय/उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्थागत रुप से अध्ययनरत उन छात्र—छात्राओं जिनकी उम्र 18 से 21 हो तथा माता/पिता/संरक्षक की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गयी है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अन्तर्गत स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में महाविद्यालयी प्रवेश में सभी छात्र निधियों से शुल्क मुक्ति की जा रही है।

5. पर्यावरण संरक्षण:— स्वच्छ भारत अभियान

के तहत प्रदेश के महाविद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन का मिशन मोड में क्रियान्वयन किया जा रहा है साथ ही शराब, धूम्रपान, देहज निषेध कार्यक्रम कराकर सामाजिक जागरुकता अभियान चला जा रहा है। विभिन्न महाविद्यालयों में स्पर्श गंगा (नमामि गंगे) कार्यक्रम, एडस जागरुकता एवं ब्लड डोनेशन कैम्प का कार्य संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालयों में Fit India Movement एवं आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जा रहा है।

20.4.4 वर्ष 2022—23 में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत नये तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः—

क्र0सं0	कार्य का नाम	विवरण
1.	**समर्थ ई—गवर्नेस पोर्टल**	➢ दिनांक 29 अगस्त 2022 को समर्थ पोर्टल का शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कुल 3600 कार्मिकों के Login Credential तैयार किये गये। ➢ समर्थ ई—गवर्नेस पोर्टल के माध्यम से समस्त कार्मिकों की सूचनाऐं ऑन लाईन उपलब्ध करायी जा रही है।
2.	**राज्य हेतु Reformation and Development Cell**	➢ राज्य में NEP 2020 के अनुसार प्रभावी क्रियान्वयन तथा वर्ष 2035 तक आवश्यक सुविधाओं के सृजन एवं अनुश्रवण, शोध कार्य, नैक ग्रेडिंग सुधार हेतु आवश्यक योजना तथा आई0सी0टी0 कार्यों के दृष्टिगत Reformation and Development Cell प्रस्तावित है।
3.	**Apprenticeship Training Programme**	➢ राज्य के कुल 12 (प्रथम चरण) राजकीय महाविद्यालयों हेतु Mahendra Pride Classrooms के Apprenticeship Training Programme को निःशुल्क आयोजित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने हेतु कार्य किया जा रहा है।
4.	**विद्या ज्योति छात्रवृत्ति**	➢ उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत विद्या ज्योति छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया है इसमें प्रथम चरण में पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत 51 छात्राओं के लिए आवेदन मॉगने की कार्यवाही की जा रही है।
5.	**नेशनल अप्रैन्टिस प्रमोशन स्कीम (NAPS)**	➢ नेशनल अप्रैन्टिस प्रमोशन स्कीम (NAPS) द्वारा प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत/अध्ययन प्राप्त कर चुके छात्र—छात्राओं को शिशिक्षु प्रशिक्षण लाभों के बारे में प्रचारित करने हेतु जागरुकता अभियान एवं कार्यशालाओं का आयोजन महाविद्यालयों में किया जा रहा है। रोजगार मेला भी आयोजित किया जा रहा है।
6.	**भारत सरकार के अन्य डिजिटल इनिशियेटिव**	➢ NEP 2020 हेतु आवश्यक Academic Bank of Credit, National Depository System, DigiLocker इत्यादि जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा है।

20.5 प्राविधिक / तकनीकी शिक्षा

किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृतियों की शिक्षा देना तकनीकी शिक्षा है। तकनीकी शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा रुप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। जो शिक्षा विशेष व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, उसे तकनीकी शिक्षा के रूप में जाना जाता है। यह छात्रों को कृषि, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, ड्राइविंग आदि क्षेत्रों में कुशल बनाती देती है। तकनीकी शिक्षा किसी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शिक्षा विशेष प्रकार के वृत्तिमुखी एवं तकनीकी कार्य करने के लिए परिकल्पित मानव संपदा की सृष्टि में भाग लेती है, इसलिए इस शिक्षा को वृत्तिमुखी तथा तकनीकी शिक्षा कहा जाता है अर्थात जो शिक्षा शिक्षार्थी को किसी विशेष वृत्ति के समन्वय में ज्ञान एवं कुशलता अर्जित करने में सहायक होती है और पूर्व एवं नव अर्जित दक्षता का प्रयोग कर उस वृत्ति को सुंदर ढंग से संपन्न करने में सक्षम होता है, उसे ही वृत्तिमूलक एवं तकनीकी शिक्षा कहते है।

नवगठित उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी शिक्षा के विकास पर विशेष बल देने, प्रशिक्षित बेरोजगारों को अधिक आधुनिक तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब कराये जाने के उद्‌देश्य से प्राविधिक शिक्षा विभाग की स्थापना श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) में की गई।

प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्रों को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक संगठनों से अर्न्तसम्बंध बनाने, राज्य में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं समय–समय पर उनका निरीक्षण, राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं एवं अध्ययन–अध्यापन, प्रशिक्षण आदि सूचनाओं को संकलित कर डाटाबेस तैयार करना, राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना, उनका सुदृढ़ीकरण एवं संचालन, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार के लिये समस्त शैक्षिक सदस्यों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे–एन0आई0टी0टी0टी0आर0चन्डीगढ, ए0टी0आई0नैनीताल, आई0आई0टी0रुडकी एवं आई0आर0डी0टी0 देहरादून में प्रशिक्षण प्रदान कराना एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना तथा अनुश्रवण करना है।

तालिका 20.12

राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे राजकीय पालीटेक्निक, सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक एवं निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थाओं का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	जनपद में कुल संचालित राजकीय / सहा0प्राप्त संस्थान	जनपद में कुल संचालित निजी संस्थान
1	पौड़ी	07	00
2	चमोली	06	00
3	रूद्रप्रयाग	03	00
4	उत्तरकाशी	04	01
5	टिहरी गढ़वाल	08	01
6	देहरादून	08	23
7	हरिद्वार	03*	25

8	ऊधमसिंहनगर	05	12
9	अल्मोड़ा	09	00
10	बागेश्वर	03	00
11	नैनीताल	05	05
12	पिथौरागढ़	08	00
13	चम्पावत	03	02
कुल योग		**72**	**69**

स्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

’जनपद हरिद्वार में एक सरकारी सहायता प्राप्त पालीटेक्निक सम्मिलित है।

चार्ट–20.7

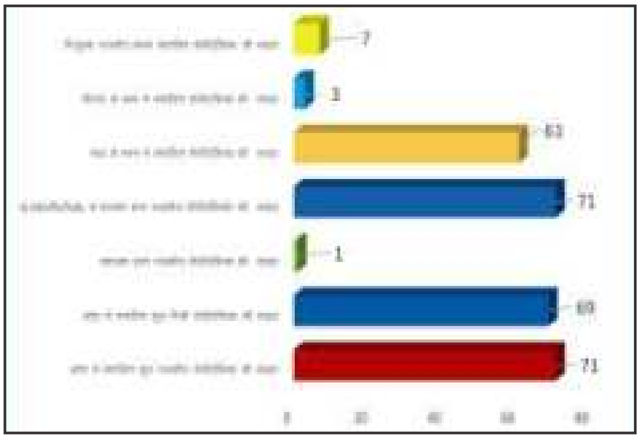

स्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–20.8

स्रोतः तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

20.5.1 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के रोजगार की स्थितिः– संस्थाओं के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेन्ट इकाई के प्रयास से विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य के उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी छात्र/छात्राओं को कैम्पस साक्षात्कार/रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। वर्तमान में निदेशालय द्वारा आनलाईन ट्रेनिंग–प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जिसके माध्यम से छात्रों को नये सत्र में आनलाईन प्लेसमेन्ट की सुविधा प्रदान की जायेगी।

विगत 05 सत्रों में 33 पाठ्यक्रमों में रोजगार का औसत 47.92 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2021–22 में रोजगार का प्रतिशत 69.2 रहा।

भावी योजनाएं

विभाग एवं संस्थाओं के विभिन्न कार्यों का डिजिटलाइजेशन करन, ई–आफिस संचालन हेतु कार्यवाही करना विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थाओं में उद्योगों की मांग के अनुसार नये पाठ्यक्रमों का समावेश, तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रों हेतु नवाचार/नवअन्वेशण योजनाओं को प्रारम्भ किया जाना, केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत संस्थाओं का अपग्रेडेशन, महिला छात्रावासों का निर्माण कार्य एवं असेवित जिले पिथौरागढ़ में स्थिति पालीटेक्निकों का सुदृढीकरण किया जाना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन, राज्य के 06 पॉलीटेक्निको (नरेन्द्रनगर, देहरादून, श्रीनगर, काशीपुर, खटीमा एवं नैनीताल) को मॉडल पॉलीटेक्निक के रुप में विकसित करना, वर्ष 2022–23 से राजकीय पॉलीटेक्निक,

अमावाला, देहरादून/आई0आर0डी0टी0 देहरादून में Aircraft Maintenance Engineering में डिप्लोमा कोर्स का संचालन एवं प्रदेश के सभी पॉलीटेकिनक संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0के मानको के अनुसार आधारभूत सुविधाये उपलब्ध कराना है।

20.6 चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत 04 राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर/हल्द्वानी/देहरादून/अल्मोड़ा संचालित किये जा रहें है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ में 03 नये राजकीय मेडिकल कॉलेजों को खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। साथ ही निदेशालय द्वारा राजकीय नर्सिंग कॉलेजों (कुल 07), राजकीय नर्सिंग स्कूल (कुल 03) इस प्रकार कुल 10 नर्सिंग कॉलेजों/स्कूलों एवं 03 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त राज्य में निजी मेडिकल/डेण्टल कॉलेजों (02–02 कुल 04), निजी नर्सिंग कॉलेज/स्कूल (कुल 32) तथा निजी पैरामेडिकल संस्थान संचालित किये जा रहे है, जिनमें प्रवेश एवं अन्य विभिन्न प्रकरणों के कार्यों का अनुश्रवण भी निदेशालय स्तर से किये जाते है।

20.6.1 चिकित्सा शिक्षा विभाग के आधीन संचालित राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थितिः–

1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल

वर्तमान तक संस्थान से कुल 11 बैच एम0बी0बी0एस0 के पासआउट हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में 07 विभिन्न विषयों (पैथोलॉजी, ऑप्थलमोलॉजी, एनाटॅमी, फिजियोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन) में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की 24 सीटें उपलब्ध हैं, साथ ही मरीजों को स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 07 विशेषज्ञताओं (Anaesthesia, obstetrics & Gynaecology, Radiodiagnosis, Paediatric, Ophthalmology, ENT, Family Medicine) में 02 वर्षीय Post MBBS Diploma कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

2. राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी

कुमॉऊ क्षेत्र के निवासियों को उच्च चिकित्सीय सुविधाओं के लिए हल्द्वानी में आधुनिक और विशिष्ट सुविधाओं युक्त चिकित्सालयों की नींव रखी गयी। कालान्तर में जिसे डॉ0 सुशीला तिवारी जी के नाम पर ''डॉ0 सुशीला तिवारी स्मारक वन चिकित्सालय, हल्द्वानी'' नाम दिया गया। प्रारम्भ में ट्रस्ट के तत्वावधान में स्थापित उक्त चिकित्सालय की शुरूआत 140 शैय्याओं के साथ हुई थी और वर्तमान में इसकी क्षमता 750 शैय्याओं की हो गयी है।

वर्तमान में संस्थान मे 125 एम0बी0बी0एस0 की सीटें स्वीकृत है तथा कॉलेज के विभिन्न/पैरा–क्लीनिकल/प्रि–क्लीनिकल विषयों कुल 65 एम0डी0/एम0एस0 सीटें स्वीकृत है।

वर्तमान में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत इस संस्थान को 'स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट' के रुप में विस्तारित किया जा रहा है। 'स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट' हेतु राज्य सरकार द्वारा 152 पदों का सृजन कर दिया गया है।

3. राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून

संस्थान के टीचिंग चिकित्सालय को कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु नोबल कोविड–19 (Dedicated) स्पेशिलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, जिस हेतु 130 आई0सी0यू0 बैडों, 94 वेंटीलेटर, 12 एक्सरें मशीन, 01 अल्ट्रासाउन्ड मशीन तथा 01 सीटी मशीन की

सुविधाऐं प्रदान की गई है। कोविड–19 संक्रमण की सैम्पलिंग तथा टेस्टिंग हेतु RT-PCR Lab, VRDL Lab (क्षमता 1800–2000) स्थापित की गयी है। मरीजो के लिए ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था की गई है। कोविड–19 संक्रमित रोगियों हेतु प्लाजमा थेरेपी की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है, MDR TB Ward की स्थापना भी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण की जांच हेतु संस्थान द्वारा Whole Genome Squencing Machine का भी क्रय किया जा चुका है।

4. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान अल्मोड़ा

ौक्षणिक सत्र 2021–22 से 100 एम0बी0बी0एस0 सीटों के संचालन हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा LOP प्रदान की जा चुकी है।

संस्थान के टीचिंग चिकित्सालय को कोविड–19 से ग्रसित रोगियों के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु नोबल कोविड–19 (Dedicated) स्पेशिलिस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है, जिस हेतु 36 आई0सी0यू0 बैडों, 24 वेंटीलेटर, 01 एक्सरें मशीन, 250 नये शैय्याऍ की सुविधाऐं प्रदान की गई है। कोविड–19 संक्रमण की सैम्पलिंग तथा टेस्टिंग हेतु RT-PCR Lab, VRDL Lab (क्षमता 200–300) स्थापित की गयी है। मरीजो के लिए ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कोरोना संक्रमण की जांच हेतु संस्थान द्वारा Whole Genome Squencing Machine का भी क्रय किया जा चुका है।

5. पं0 राम सुमेर शुक्ला स्मृति राजकीय मेडिकल कालेज, रूद्रपुर

जिला चिकित्सालय रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर के सुदृढ़ीकरण जो कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रथम फेज में 120 शैय्याओं को उच्चीकृत करते हुये 300 शैय्यायुक्त किये जाने की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। उपरोक्त कार्य हेतु शासन की व्यय वित्त समिति द्वारा ₹ 5926.34 लाख की स्वीकृति प्राप्त है एवं सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। केन्द्रीय सहायतित योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कुल लागत ₹ 336.89 करोड़ अनुमोदित है। वर्तमान तक ₹ 50.00 करोड़ अवमुक्त किया गया है।

6. राजकीय मेडिकल कालेज, हरिद्वार (मिस्सरपुर / जगजीतपुर)

केन्द्रीय सहायतित योजना के अन्तर्गत जिला हरिद्वार के ग्राम मिस्सरपुर / जगजीतपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कुल लागत ₹ 325.00 करोड़ अनुमोदित है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु वर्तमान तक निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹ 75.00 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 7.50 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

7. स्व0 जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जन जाति योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु कुल लागत ₹ 455.59 करोड़ अनुमोदित है है। केन्द्रीय सहायतित योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु वर्तमान तक निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹ 75.00 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 7.50 करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपलब्धियॉः—

1. सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं भाोध संस्थान, अल्मोड़ा में 100 एम0बी0बी0एस0 सीटों के संचालन हेतु एल0ओ0पी0 (L.O.P) प्रदान की जा चुकी है।

2. राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों को अधिक से अधिक आकर्षित किये जाने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित कॉलेजों में 50 प्रतिशत पर्वतीय मेडिकल कॉलेज शिक्षण भत्ता अनुमन्य किये हेतु सत्र 2022—23 के आय—व्ययक में बजट व्यवस्था के लिए लेखा शीर्षक खुलवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

3. राज्य की जनता को बेहतर तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाए प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राजकीय मेडिकल कॉलेजों यथा— श्रीनगर, हल्द्वानी तथा देहरादून में सुपरस्पेशियलिटी विभागों यथा— नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी तथा कार्डियोलॉजी विभाग का सृजन किया गया है।

4. राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल/देहरादून में टेली—मेडिसिन की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

20.7 संस्कृत शिक्षा

वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 75 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 14 अशासकीय असहायताप्राप्त/मान्यताप्राप्त संस्कृत विद्यालय/महाविद्याल, 06 राजकीय संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय, 01 भारत सरकार द्वारा अनुदानित संस्कृत महाविद्यालय तथा 01 प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदानित प्राथमिक विद्यालय इस प्रकार कुल 97 विद्यालय संचालित है।

20.7.1 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तराखण्डः— उत्तराखण्ड राज्य में संस्कृत शिक्षा की परीक्षाओं की शुचिता, शैक्षिक गुणवत्ता, प्रभावी मूल्यांकन की व्यवस्था तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किए जाने एवं परीक्षाओं का आयोजन किए जाने हेतु उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई है। परिषद् द्वारा प्राथमिक से उत्तर मध्यमा पर्यन्त (कक्षा 01 से 12 स्तर) तक संस्कृत विद्यालयों की मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने, परीक्षा एवं परीक्षा मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्धारण तथा पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करने तथा संस्कृत भाषा, संस्कृत विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यार्थियों के सामयिक विकास हेतु रूचि उत्पन्न करने से सम्बन्धित कार्य किया जाता

अध्याय–21
स्वास्थ्य
Health

21.1 राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितिः– कुछ दशकों पूर्व स्वास्थ्य अधिकतम जनमानस के लिए प्राथमिकता का विषय नही था। किन्तु वर्तमान समय में जीवन शैली में हो रहें लगातार बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य सभी के जीवन का मुख्य पहलू है। यही ध्यान में रखते हुये, सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक मुख्य पहलू है। कतिपय मुख्य संकेतांको के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य स्थिति को निम्न तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 21.1.1
स्वास्थ्य क्षेत्र के मुख्य संकेतांक

Sl No	Indicators	2016-17	2020-21	अद्युनान्त स्थिति
1	IMR	38 per 1000	27 per 1000	24 SRS-2020
2	MMR	201 per 1,00,000 Live birth	99 per 1,00,000 Live birth	103 SRS-2018-19
3	Institutional Delivery	69%	83.20%	91% (HMIS Data)83.2% NFHS-5 (2019-21)
4	Children (12-23 Month) fully vaccinated	71%	88.60%	88.6% NFHS-5 (2019-21)
5	4 ANC Visits	30.90%	61.80%	85% HMIS April to Nov (2022-23)
6	All women age 15-49 Years anemic	46.40%	40.90%	42.6% NFHS-5 (2019-21)
7	Sex Ratio (children)	888	984	984 NFHS-5 (2019-20)

Source : Sample Registration System (SRS) Bulletin 2021.

21.1.2 चिकित्सा अवस्थापनाएं– राज्य में लोगों को प्रभावी एवं सुगम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 जिला चिकित्सालयों, 21 उप जिला चिकित्सालय, 79 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–बी, 525 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप–ए, 25 अन्य चिकित्सा इकाईयॉ तथा 1896 उपकेन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

- सरकार द्वारा दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए टेली मेडिसिन एवं टेली रेडियोलॉजी सेवाओं को देना प्रारम्भ कर दिया हैं। वर्तमान में यह सुविधा को राज्य के प्रमुख चिकित्सालयों एवं चिन्हित चिकित्सा इकाईयों पर दी जा रही हैं।
- जनसामान्य की सुविधा के लिए राज्य के सभी प्रमुख चिकित्सालयों में ऑन लाईन रोगी रजिस्ट्रेशन सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अब रोगी को घर बैठे ही चिकित्सक

का Appointment प्राप्त हो सकेगा और उन्हें लाईन में लगकर इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं होगी।

21.1.3 उत्तराखण्ड में वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है।

21.1.4 स्वास्थ्य उत्तराखण्ड़ राज्य की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य पर बजट निरन्तर बढ़ाती जा रही हैं वर्ष 2020–21 में राज्य का स्वास्थ्य (एलोपैथी) का बजट प्रावधान ₹ 183777.60 लाख था, जो कि 2021–22 में ₹ 272723.96 लाख एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 350034.45 लाख हो गया हैं। उक्त बढ़ते हुये परिव्यय को राज्य के कुल बजट व कुल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निम्न चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है :–

तालिका 21.1.3
उत्तराखण्ड में वर्ष 2022–23 में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

सूचक	उत्तराखण्ड
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	577
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	79
जिला चिकित्सालय /उप जिला चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सालयों की संख्या	59

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 21.1.4

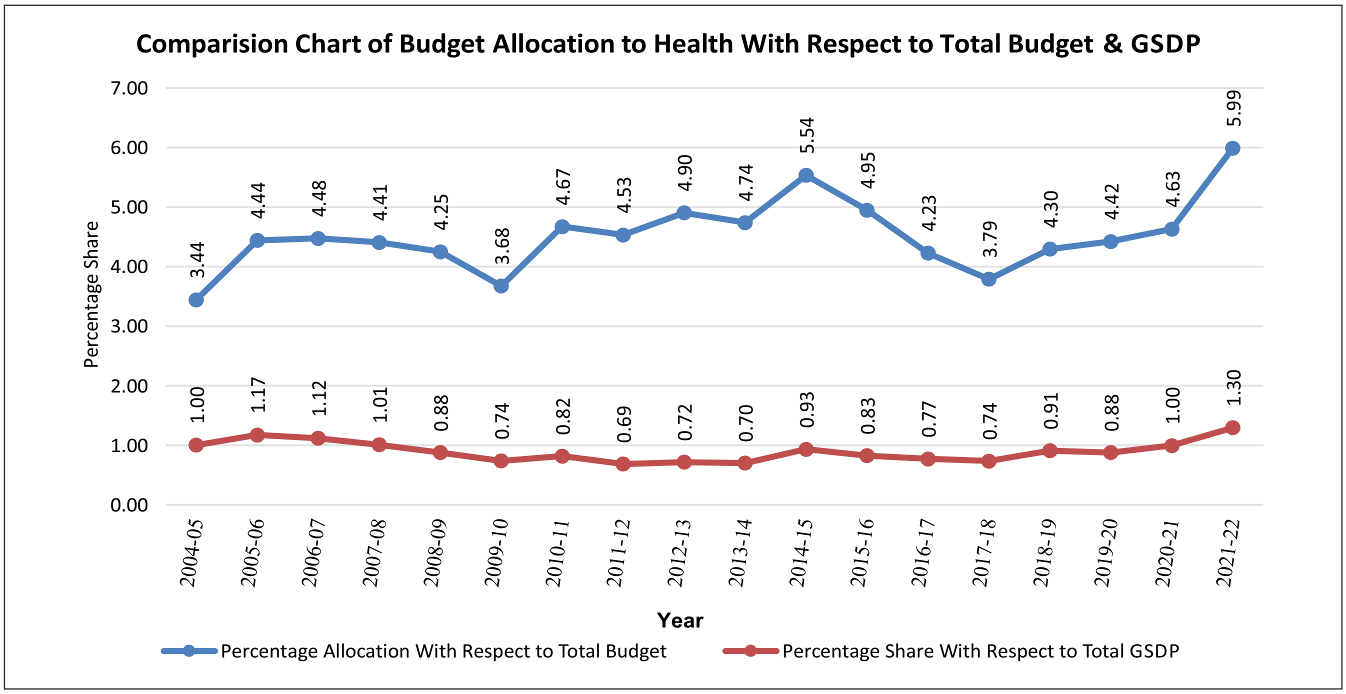

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

21.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission, NHM):– वर्ष 2021–22 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

21.2.1 राष्ट्रीय वैक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम:– वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर 2022 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 695700 रक्तपट्टिकाओं का परीक्षण किया गया और इस अवधि में कोई भी मृत्यु

का मामला प्रकाश में नहीं आया। इस वर्ष मलेरिया के 19 केस रिपोर्ट हुये हैं।

21.2.2 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः— राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापकता दर दिसम्बर, 2022 में 0.25 प्रति दस हजार रह गई है। वर्ष 2022—23 (माह दिसंबर 2022) तक कुल 263 नए कुष्ठ रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 250 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 324 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफ्त में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

21.2.3 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम):— कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 13 जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र, 95 टी0बी0यूनिट, 154 माईक्रोस्कोपिक केन्द्र और 99 NAAT Machine कार्यरत हैं। वर्ष 2022 में 27160 क्षय रोगियों को नोटिफाई किया गया है। राज्य के सभी जनपदों में कार्यक्रम संचालित है। वर्ष 2022 में अधिसूचना लक्ष्य दर 237 प्रति लाख आबादी के सापेक्ष 230 प्रति लाख प्राप्त हुई है।

21.2.4 राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः— यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर 2022 तक 6769 बन्ध्याकरण, 27038 लूप निवेश तथा 29145 ओ.सी. पी व 41360 सी.सी. प्रयोगकर्ता हैं।

21.2.5 टीकाकरण कार्यक्रमः— वर्ष 2022—23 में कार्यक्रम की प्रगति निम्न तालिका—19.5 में प्रदर्शित हैः—

तालिका 21.2.5

वर्ष 2022—2023

क्र.सं.	मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या) माह दिसंबर, 2022 तक	प्रतिशत
1	टी0टी0 (गर्भवती मातायें)	161646	134130	83
2	पोलियो (O.P.V.)	144783	127078	88
3	पेटावेलेंट	144783	127152	89
4	बी0सी0जी0	144783	128032	88
5	हैपाटाइटस—बी	100532	90241	90
6	मीजिल्स रूबेला	144783	137744	95

Source: HMIS माह दिसंबर, 2022 तक 95% प्रतिशत किया गया है।

21.2.6 रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः— प्रदेश में 55 रक्तकोष (ब्लड बैंक) और 19 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं कार्यशील हैं। दिसंबर 2022 तक राज्य में स्थापित रक्तकोषों द्वारा कुल 141076 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 71.51 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किया गया, तथा कुल 1031 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

21.2.7. कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS): कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में 31 दिसम्बर तक 67675 मधुमेह, 83631 उच्च रक्तचाप रोग से पीड़ित रोगी पाये गये। जिनको उपचार, परामर्श एवं संदर्भण की सुविधा प्रदान की गयी।

21.2.8. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन एन0सी0डी0 (गैर संचारी रोग):– राज्य के समस्त 13 जनपदों में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों की जॉच हेतु Universal Screening For Common NCDs योजना का संचालन किया जा रहा है। जनपदों में समस्त चिकित्सकों, स्टाफनर्स, ए0एन0एम0 एवं आशाकार्य कर्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घर–घर जाकर 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में गैर संचारी रोग से सम्बन्धित लक्ष्णों की पहचान कर CBAC प्रपत्र में अंकित किया जा रहा है। जिसके पश्चात उन्हें स्क्रीनिंग हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र (Health & Wellness Centre) पर लाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर तक आशा कार्यकर्तियों द्वारा 1889824 व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र भरे गये हैं जिनकी MLHP द्वारा गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग की गयी तथा स्क्रीनिंग में 83534 उच्च रक्तचाप, 67610 मधुमेह, 384 कैंसर के रोग से ग्रसित व्यक्ति पाये गये, जिन्हें उपचार हेतु उच्च चिकित्सा ईकाई पर संदर्भित किया गया।

21.2.9. बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE):– वृद्ध नागरिकों को बेहतर In-patient Departments (IPD) सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य के 13 जनपदों में 10 बैड के Geriatric Ward तक की स्थापना की गयी है। राज्य के 66 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपी यूनिट की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 17 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपी यूनिट की स्थापना का कार्य गतिमान है। वर्ष 2022–23 सितम्बर 2022 तक की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जिरिएटिक क्लीनिक में 80400 वृद्ध नागरिकों को ओ0पी0डी0 तथा 9699 वृद्ध नागरिकों को आई0पी0डी0 तथा 3810 वृद्ध नागरिकों को फिजियोथेरिपी की सेवायें प्रदान की गई।

21.2.10 राष्ट्रीय ओरल हेल्थ प्रोग्राम (NOHP):– वर्ष 2018–19 में राज्य के समस्त जिला चिकित्सालयों में डेन्टल यूनिटस् का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 37 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंटल यूनिट का सुदृढीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 31 दिसम्बर तक 35,000 से अधिक मरीजों के मुख से संबंधित रोगों की जाँच की गई तथा 22,000 से अधिक मरीजों की मुख तथा दंत रोग संबंधित बीमारियों का इलाज किया गया एवं 10,000 से अधिक मरीजों की विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जांच की गई।

21.2.11 मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)– राज्य के समस्त 13 जनपदों से कुल–33 चिकित्सकों को NIMHANS, Banglore के सहयोग से AIIMS Rishikesh में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही जनपद में एन0सी0डी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ (कुल–100) को AIIMS Rishikesh में NIMHANS, Banglore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तथा वर्ष 2018–23 में 30 नये चिकित्सकों को AIIMS Rishikesh एवं NIMHANS, Banglore के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य में एक वर्षीय Training Program में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। चिकित्सकों द्वारा अपने सम्बन्धित जनपद में मानसिक रोग से पीड़ित रोगियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। वर्श 2022–23 में 13498 रोगियों को ओ0पी0डी0 की सेवायें प्रदान की गयी हैं जबकि 8752 का फॉलोअप किया गया।

21.2.12 बहरेपन के निवारण एवं रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPPCD):– वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर 2022) में 8213 व्यक्तियों के बहरेपन का परीक्षण किया गया तथा 101 व्यक्तियों के बधिरता हेतु सर्जरी की गयी।

21.2.13 राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB):– वर्ष 2022–23 में नवम्बर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार मोतियाबिन्द आपरेशन के लक्ष्य 59,800 के सापेक्ष 38,709 आपरेशन किये गए।

निःशुल्क चश्मा वितरण के अन्तर्गत स्कूल के छात्रों को 2,033 व वृद्ध नागीरकों को 2,350 चश्मे वितरित किये गये हैं।

21.2.14 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रमः– वर्ष 2015 में जनपद टिहरी गढवाल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया तथा वर्ष 2018 में मसूरी शहर को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा प्राप्त अध्यादेश 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 को राज्य में E-Cigaretee को प्रतिबन्धित किया गया है कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों के जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू उन्मूलन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सितम्बर 2022 तक की त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार COTPA 2003 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हुए पाये गये 30070 व्यक्तियों का चालान किया गया है, कोटपा जिसमें ₹ 23,47,863.00 की धनराशि वसूल की गयी। इसके अतिक्ति तम्बाकू नशा उन्मूलन केन्द्र में धूम्रपान की लत से छुटकारा दिलाने हेत कुल 45581 व्यक्तियों को परामर्श प्रदान किया गया तथा 1,574 व्यक्तियों को निकोटेक्स गम वितरित की गयी।

21.2.15 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमः– राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क व न्यूनतम दरों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022–23 में कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, मेला चिकित्सालय, हरिद्वार, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर, बेस चिकित्सालय, अल्मोडा, जिला चिकित्सालय, बागेश्वर, ट्रामा सेंटर, कर्णप्रयाग, संयुक्त चिकित्सालय, रुडकी, जी0बी0 पंत चिकित्सालय, नैनीताल, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग, उप जिला चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, उप जिला चिकित्सालय, खटीमा, जिला चिकित्सालय, चंपावत, जिला चिकित्सालय, पौडी गढवाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी एवं जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ में कुल 18 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। संयुक्त चिकित्सालय, विकासनगर एवं उप जिला चिकित्सालय, धारचुला में भी कुल 02 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना का कार्य गतिमान है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 988 रोगियों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गयी। कुल 54,567 डायलिसिस सेशन किये गये हैं।

21.3. हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर (Health and Wellness Center) : भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में उच्चीकरण किया जाना है। इस हेतु प्रत्येक हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर में एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर को तैनात किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 13 जनपदों में कुल 1820 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटरों का उच्चीकरण सम्पन्न किया गया है, एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 2032 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटरों को स्थापित किया जाना है। एन0एच0एम0 के अन्तर्गत कुल 1594 उपकेन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलने ससैन्टर के रूप में वर्ष 2023.24 तक उच्चीकृत करने की प्रक्रिया गतिशील है। माह जनवरी 2023 तक कुल 1382 मिड लेवल हैल्थ प्रोवाईडर (CHO- Community Health Officer) कार्यरत हैं। वर्तमान में 12 सर्विसेज प्रदान की जा रही हैं।

21.3.1 आशा कार्यक्रम : वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्रियों के सापेक्ष 11994 कार्यरत है। आशा सर्पोट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 जिला कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है। आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त आशा कार्यकत्रियों व आशा फैसिलिटेटरों को स्र्माटफोन उपलब्ध कराए गये हैं जिससे कि आशा के द्वारा आशा संगिनी ऐप में अपने कार्यों को अंकित किया जा सके व समुदाय को लोगों को ई–संजीवनी के द्वारा घर पर ही ओ0पी0डी0 की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

21.3.2 वी0एच0एस0एन0सी0 : राज्य के अन्तर्गत 14915 वी0एच0एस0एन0सी0 (ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति) का गठन किया गया है। एक ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति में कम से कम 15 सदस्य रखे गये हैं। समिति की अध्यक्ष गांव की महिला पंचायत प्रतिनिधि व सदस्य सचिव आशा कार्यकत्री को बनाया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य कार्ययोजना तैयार की जाती है, एवं स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धित कार्य किये जाते हैं तथा समुदाय एवं जरूरत मंदलोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

21.4 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (National Urban Health Mission-NUHM)– नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। इससे नगरीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में रोगियों का दबाव कम हुआ है तथा उन्हें निकटतम स्थान पर बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कुल 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर (27 यू0पी0एच0सी0 पी0पी0पी0 मोड, एवं 11 गवर्नमेंट मोड) निम्नलिखित स्थानों पर 01 जून 2019 से संचालित किए गए हैं–

तालिका 21.4
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का संचालन केन्द

क्र0 स0	शहर	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) राज्य के 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–
1	देहरादून	1. नालापानी (डी0एल0रोड) 2. भगत सिंह कॉलोनी 3. खुरबुडा 4. दीपनगर 5. बकरालवाला 6. चूना भट्टा (अधोईवाला) 7. गॉधीग्राम 8. जाखन/काठबंगला 9. कारगी 10. माजरा 11. रीठा मंण्डी 12. सीमाद्वार।
2	ऋषिकेश	1. आदर्शग्राम 2. शान्ति नगर।
3.	हरिद्वार	1. ज्वालापुर–1, 2. ज्वालापुर–2, 3. टिबडी 4. कनखल 5. भूपतवाला 6. रामधाम कालोनी
4.	रूडकी	1. आदर्शनगर 2. चन्द्रपुरी 3. गणेशपुर 4. माहीग्राम 5.पुरानी तहसील 6.सेलमपुर ।
5.	हल्द्वानी	1.काठगोदाम 2. राजपुरा 3.सैनी बाजार 4.वनभुलपुरा।
6.	रामनगर	1.रामनगर
7.	रूद्रपुर	1.टी0 कैम्प 2. रमपुरा 3. खेरा
8.	काशीपुर	1.महेश पुरा 2. अली खान
9.	जसपुर	1.जसपुर
10	कोटद्वार	1.गढीघाट

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 01 अप्रैल, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक कुल यू0पी0एच0सी0 की संख्या 38, कुल उपचारित व्यक्तियों की संख्या 374753, कुल पंजीकृत ए0एन0सी0 की कुल संख्या 20116, कुल जाँच पड़ताल की संख्या 160375 तथा यू0एच0एन0डी0 की कुल संख्या 4631 हैं।

21.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः– राज्य के सभी 13 जनपदों में 148 मोबाईल हैल्थ टीमें कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा

समाज कल्याण के समन्वय से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों के तृतीयक स्तरीय शल्य चिकित्सा की व्यवस्था के तहत हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट, जौली ग्रान्ट, एम्स चिकित्सालय, ऋषिकेश, श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली, दून चिकित्सालय, देहरादून, मिशन स्माइल एवं स्माइल ट्रेन देहरादून, क्योर इंडिया देहरादून/हल्द्वानी में निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर तक 16 बच्चों के दिल का आपरेशन, 18 बच्चों का न्यूरल टयूब डिफेकट, 65 बच्चों को कानों की मशीन, 15 बच्चें को आंखों में मोतियाबिंद, 75 बच्चों को कटे होठ एवं तालु, 183 टेडे पैर वाले बच्चों को special shoes देकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

तालिका 21.5

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयोंएवं आंगनबाडियों में पंजीकृत बच्चों की स्क्रीनिंग की प्रगति वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से नवम्बर 2022)

संस्था	लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत
पाठशाला	1085918	732887	67
आंगनबाड़ी	1457812	663438	46

21.6 राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएंः–

21.6.1 निजी लोक सहभागिता (Public Private Partnership, PPP)ः– राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक सुलभ व प्रभावी बनाने हेतु लोक निजी सहभागिता (Public Private Partnership,PPP) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नांकित हैं–

21.6.2 नेफ्रोडायलिसिस यूनिट :– राज्य में 02 चिकित्सालयों पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून एवं बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी) में नफ्रोडायलिसिस यूनिट अनुबंध के अनुसार संचालित की जा रही हैं। अनुबन्ध के अुनसार बी0पी0एल0 एवं एच0आई0वी0 के मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में दोनों चिकित्सालयों में कुल 30240 डायलिसिस की जा चुकी हैं, जिसमें 349 मरीजों को लाभ प्राप्त हुआ है।

21.6.3 आपातकालीन 108 सेवा/ खुशियों की सवारी :– राज्य में आपातकालीन सेवा के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में कुल 272 (54 ए0एल0एस0, 217 बी0एल0एस0 व 01 बोट एम्बुलैन्स) एम्बुलैन्स का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर 2022 तक कुल 127121 लाभार्थियों द्वारा एम्बुलैन्स सेवा प्राप्त की गई जिसमें 38413 गर्भवती महिलाएं भी सम्मिलित हैं। 607 बच्चों का जन्म इन एम्बुलेन्सों में हुआ। सडक दुर्घटना के 11023 केस हुए है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 41250 गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात नवजात शिशु सहित खुशियों की सवारी सेवा के 128 के माध्यम से चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क पहुँचाया गया है।

21.6.4 कार्डियक केयर यूनिट :– राज्य के 03 चिकित्सालयों (पं0 दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा व एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर) में कार्डियक केयर यूनिट संचालन किया जा रहा हैं। पं0 दीन दयालय उपाध्याय चिकित्सालय देहरादून में कार्डियक सर्जरी भी की जाती हैं। एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर में कार्डियक सुविधायें प्रदान की जा रही है। उक्त यूनिट का संचालन दिनांक 22 नवम्बर, 2018 से किया जा रहा हैं।

21.6.5 राज्य व्याधि सहायता निधि योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 से उत्तराखण्ड़ अटल आयुष्मान योजना में समाहित कर ली गयी है।

21.6.6 रैन बसेराः– जिला चिकित्सालयों/बेस चिकित्सालयों/संयुक्त चिकित्सालयों के द्वारा रैफर

किये गये रोगियों को प्रदेश से बाहर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आर्युविज्ञान चिकित्सा संस्थान, सफदरगंज चिकित्सालय, जी0बी0 पन्त चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में उपचार कराये जाने हेतु उनके साथ उनके तीमारदारों को उचित ठहरने की व्यवस्था है।

21.7 स्वास्थ्य बीमा योजनाः— राज्य में निम्न बीमा योजना संचालित की जा रही हैंः—

21.7.1 अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना की महत्वपूर्ण जानकारीः—

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त परिवारों को बीमारी के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹ 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार (भर्ती होने की दशा में) उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिनांक 01 जनवरी 2021 से उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु भी ''राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना'' संचालित है जिसके अंतर्गत असीमितप्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या को इस योजना में शामिल करते हुए 'Universal Health Coverage' प्रदान की है।

21.7.2 गोल्डन कार्ड बनाये जाने की व्यवस्था

राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नियमानुसार चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 18 नवम्बर 2020 से SGHS गोल्डन कार्ड बनाए जाने का कार्य वर्तमान तक गतिमान है।

21.7.3 गोल्डन कार्ड बनाये जाने में उत्तराखंड राष्ट्रीय औसत से कई गुना आगे

- सम्पूर्ण देश में 17 करोड़ गोल्डन कार्ड बने हैं। उत्तराखंड में 43 लाख कार्ड बने हैं। प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 1 प्रतिशत है। अतः इस दृष्टि से प्रदेश में बने कार्ड राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।
- इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में 6 करोड़ परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में 18 लाख परिवार गोल्डन कार्ड से आच्छादित हैं। प्रदेश में परिवारों की संख्या देश के कुल परिवारों की संख्या का 1 प्रतिशत है। इस दृष्टि से प्रदेश में आच्छादित परिवार राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक हैं।

• 21.7.4 चिकित्सालयों में उपचार व्यवस्था

- नवजात शिशुओं को उनकी माँ के गोल्डन कार्ड पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
- राज्य के बाहर इलाज कराने हेतु नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा अब आयुष्मान भारत— प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/अटल आयुश्मान उत्तराखण्ड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के समस्त पात्र लाभार्थियों हेतु अनुमन्य है।
- अस्पताल में भर्ती होने के लिए ''आरोग्य मित्र'' के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

• 21.7.5 लाभार्थियों को उपचार सुविधा

- लाभार्थियों को 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर के रूप में अस्पताल में भर्ती होने पर अथवा (डे केयर पैकेज के लिए) Cash में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। वहीं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय कार्मिकों/ पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों हेतु असीमित चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के लिए 1670 पैकेज निर्धारित हैं।
- यदि इन 1670 पैकेज के अतिरिक्त अन्य कोई बीमारी है तो उसके लिए 1.0 लाख रूपये की सीमा तक Unspecified Package का भी प्राविधान है। साथ ही राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिवारों हेतु Unspecified Package की कोई सीमा नहीं है।

• पैकेज के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक की दवाइयों सहित भर्ती के दौरान अस्पताल के सभी उपचार संबंधी खर्चे (रोगी के भोजन सहित) सम्मिलित हैं।

योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड का प्रयोग सर्वप्रथम राज्य के हंस फाउंडेशन जनरल चिकित्सालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल द्वारा किया गया।

अस्पतालों को क्लेम की धनराशि का भुगतान करने की दृष्टि से उत्तराखंड संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है।

21.8 उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना –

उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड ₹) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है। उक्त क्रम में भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार तथा विश्व बैंक द्वारा दिनांक 23 मार्च 2017 को अनुबन्ध हस्ताक्षर किया गया।

उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना की कार्य योजना निम्न प्रकार तैयार की गई है।

21.8.1 प्रदेश के पर्वतीय तथा असेवित क्षेत्रों में विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध कराना–

(अ) टिहरी क्लस्टर– जनपद टिहरी के दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालय के संचालन हेतु निविदा के आधार पर चयनित हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रान्ट के सहयोग से जिला चिकित्सालय बौराड़ी मार्च 2019 से संचालित किया जा रहा है।

1. जिला चिकित्सालय बौराड़ी जिसके क्रम में सामान्य शल्य चिकित्सा में पी0पी0पी0 मोड में चिकित्सालय के आने से पूर्व की अवधि में 175 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 1328 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1748 एवं माह अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक 1431, वित्तीय वर्ष 2019–20 में 3 सीजेरियन प्रसव की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 173 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 275 एवं वित्तीय वर्श 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक 127 सिजेरियन प्रसव हुये हैं।

जिला चिकित्सालय बौराड़ी, टिहरी में सी0टी0 स्कैन जैसी अत्याधुनिक जांच सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 397 सी0टी0 स्कैन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में 704 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 810 एवं माह अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक 632 सी0टी0 स्कैन किये जा चुके हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग एवं बेलेश्वर अप्रैल 2019 से प्रारम्भ किये गये।

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर में वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम बार 36 सिजेरियन प्रसव, तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च तक 21 सिजेरियन प्रसव कराये गये हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलेश्वर में पी0पी0पी0 मोड में आने से पूर्व शून्य अल्ट्रासाउन्ड के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2375 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 935 एवं माह अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक 755 अल्ट्रासाउन्ड किये गये हैं।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग में भी प्रथम बार 45 सीजेरियन प्रसव वित्तीय वर्ष 2020–21 में तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च तक 31 सीजेरियन प्रसव कराये गये हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवप्रयाग में भी पी0पी0पी0 मोड में आने से पूर्व शून्य

अल्ट्रासाउन्ड के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में 381 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में 228 एवं माह अप्रैल से दिसम्बर, 2022 तक 204 अल्ट्रासाउन्ड किये गये हैं।

(ब) रामनगर क्लस्टर– रामनगर क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में शुभम सर्वम मेडिकल प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 को चयनित किया गया।

1 उक्त क्लस्टर के अन्तर्गत राजकीय संयुक्त चिकित्सालय रामनगर को माह जुलाई 2020 से क्रियाशील किया जा चुका है। इस क्रम में आर0डी0 जोशी, सयुक्त चिकित्सालय के पी0पी0पी0 मोड में आने से पूर्व की अवधि में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 311 शल्य चिकित्सा के सापेक्ष जुलाई 2021 से माह जून 2021 तक 1663 सामान्य शल्य चिकित्सा एवं माह जुलाई 2021 से मार्च 2022 में कुल 1523 शल्य चिकित्सा, संस्थागत प्रसव में माह जुलाई 2019 से जून 2020 में कराये गये 758 सामान्य प्रसव के सापेक्ष जुलाई 2020 से माह जून 2021 तक 946 सामान्य प्रसव एवं माह जुलाई 2021 से जून, 2022 तक कुल 907 एवं जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक 461 सामान्य प्रसव, पी0पी0पी0 मोड में आने के बाद प्रथम बार माह जुलाई 2020 से माह जून 2022 तक कुल 313 सीजेरियन प्रसव तथा जुलाई 2021 से जून 2022 तक कुल 355 एवं जुलाई से दिसम्बर, 2022 तक 195 सीजेरियन प्रसव किये गये हैं।

2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भिकियासेंन का लोक निजी सहभागिता के आधार पर दिनांक 28 जनवरी 2021 से क्रियाशील किया जा चुका हैं। जनवरी 2021 से दिसम्बर, 2022 तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में 44412 ओ0पी0डी0, 1481 आई0पी0डी0, 215 मेजर तथा 348 माइनर सर्जरी, 296 सामान्य प्रसव, 68 सीजेरियन प्रसव, 5650 एक्स–रे तथा 53716 लैब जांच की जा चुकी हैं।

3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीरोंखाल का संचालन दिनांक 29 मार्च 2021 से किया जा रहा है। 29 मार्च 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक 23695 ओ0पी0डी0, 719 आई0पी0डी0, 2766 एक्स–रे एवं 29797 लैब जांच एवं प्रथम बार मार्च 2021 से दिसम्बर, 2022 तक 664 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके हैं।

(स) पौड़ी क्लस्टर– पौड़ी क्लस्टर के संचालन हेतु निविदा प्रक्रिया के आधार पर सेवा प्रदाता के रूप में श्री गुरू राम राय चिकित्सा संस्थान को चयनित कर दिनांक 17/06/2020 अनुबन्ध को हस्ताक्षरित किया गया। उक्त क्लस्टर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पौड़ी तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र पाबौ का संचालन लोक निजी सहभागिता के आधार पर 01 फरवरी 2021 से तथा सामु0 स्वा0 केन्द्र घण्डियाल का संचालन दिनांक 05 फरवरी 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

1 जिला चिकित्सालय पौड़ी में माह फरवरी 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक में 167806 ओ0पी0डी0, 6210 आई0पी0डी0, 667 मेजर तथा 1055 माईनर सर्जरी, 1010 सामान्य प्रसव, 146 सीजेरियन प्रसव, 25703 एक्स–रे तथा 269850 लैब जाँच, 14552 अल्ट्रासाउन्ड तथा 1014 सी0टी0 स्कैन किये जा चुके है।

2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाबौ में माह फरवरी 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक 31425 ओ0पी0डी0, 1173 आई0पी0डी0, 465 सामान्य प्रसव एवं दिसम्बर, 2022 तक 6 सिजेरियन प्रसव, 3291 एक्स–रे तथा 16514 लैब जांच एवं प्रथम बार 702 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घण्डियाल में माह फरवरी 2021 से माह दिसम्बर, 2022 तक 17432 ओ0पी0डी0, 455 आई0पी0डी0, 10234 लैब जांच तथा 433 ई0सी0जी0, 4185 एक्स–रे एवं प्रथम बार 509 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउन्ड किये जा चुके है।

21.8.2 स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण–

इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की परिचारक क्षमता बढ़ाने हेतु शासकीय संस्थागत ढांचों में एन0ए0बी0एच0 गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवा प्रदान तथा राज्य के मानव संसाधन की क्षमता के विकास को बढ़ाने पर केन्द्रित होगा ताकि आवश्यक कौशल क्षमताओं की राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उपलब्धता हो सकें। इसके अतिरिक्त राज्य की आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा प्रबन्धन तंत्र, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा अन्य सहायक शोध, साक्ष्य उत्पत्ति तथा तद्नुसार रणनीतिक नियोजन हेतु साक्ष्य के उपयोग, डाटा जनरेशन और आवश्यक प्रबन्धन आदि भी उक्त उपघटक का महत्वपूर्ण अंग होंगे।

1. जिला चिकित्सालयों में गुणवत्ता संवर्द्धन **National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) -**

इस घटक के अन्तर्गत चयनित पाँच जनपदीय स्तर चिकित्सालयों (अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़) NABH गुणवत्ता मानकों की प्राप्ति के लिये उपरोक्त चिकित्सालयों को NABH स्तरीय मानकों तक लाने के लिये Gap Assessment के आधार पर डी0पी0आर0 का अनुमोदन शासन द्वारा प्राप्त कर प्रोक्योरमेंट हेतु प्रक्रिया गतिमान है। उक्त NABH प्रमाणन एवं चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 74.4 करोड रूपये की लागत से 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

- चिकित्सालयों की Gap Assessment
- NABH Accreditation की कार्य योजना।
- विस्तृत परियोजना रिर्पोट (डी0पी0आर0)
- Project Interim Report
- Project Draft Report

Gap Analysis Report के आधार पर NABH Accreditation तक पहुँचाने के लिये Turn Key Basis पर कार्य गतिमान है। इस क्रम में प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 10 विशेषज्ञ चिकित्सक, 10 स्टाफ नर्स, 2 लैब टैक्नीशियन, 1 एक्स–रे टैक्नीशियन एवं 1 मात्रिका (मैट्रन) तैनात किये जाने का प्रावधान है जिसके सापेक्ष अद्यावधि तक तैनात किए जा चुके मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टॉफ का विवरण निम्नवत है।

जिला चिकित्सालय– अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय –बागेश्वर, जिला चिकित्सालय– पिथौरागढ़ जिला महिला चिकित्सालय– पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय –गोपेश्वर तथा जिला चिकित्सालय –रूद्रप्रयाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 50 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 29 पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है। इसी प्रकार मैट्रन 05 / 05 एवं एक्स–रे टेक्नीशियन के स्वीकृत सभी 05 / 05 पदों के सापेक्ष कार्मिकों की पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। स्टाफ नर्स के स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। लैब टेक्नीशियन के 10 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 10 पदो पर पूर्ण तैनाती की जा चुकी है। इन समस्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निरन्तर कार्यवाही गतिमान है साथ ही भौतिक सुदृढ़ीकरण एवं प्रशिक्षण किया जाना है जिससे यह चिकित्सालय गुणवत्ता के उच्चतम मानक NABH प्रमाणन को प्राप्त कर सके। उक्त चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों का एन0ए0बी0एच0 मानकानुसार विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा एन0ए0बी0एच0 एसेसर्स द्वारा जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय बागेश्वर, जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, जिला चिकित्सालय गोपे वर तथा जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग का प्री एसेसमेंट प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिसकी CAPA (Correvtive Action & Preventive Action) का कार्य गतिमान है।

2. प्रशिक्षण— ट्रेनिंग नीड एसेसमेन्ट पूर्ण किया गया। इस क्रम में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबन्धन प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। ट्रेनिंग आवश्यकता आकलन के आधार पर स्वास्थ्य तन्त्र के सभी कैडर की क्षमता संवर्धन हेतु वृहत्तर प्रशिक्षण के क्रम में एक ट्रेनिंग एजेन्सी का चयन पूर्ण कर लिया गया है, उक्त प्रशिक्षण लगभग 19 करोड रूपये की लागत से जुलाई 2023 तक पूर्ण किया जाना है।

3. शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण - स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक पदों (cmo, cms, acmo आदि) के प्रबंधन कौशल संवर्धन हेतु शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान IIHMR Jaipur तथा ASCI Hyderabad के माध्यम से 52 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4. कम्यूनिकेशन कार्य योजना – कम्यूनिकेशन कार्य योजना चयनित संस्था के माध्यम से लोक निजी सहभागिता के अंतर्गत संचालित समस्त चिकित्सा ईकाईयों में पूर्ण की जा चुकी है।

5. डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अपडेटः इस हेतु संस्था चयन की दिशा में निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

5. कोविड—19 पैकेज —

इस पैकेज के अन्तर्गत कोविड—19 प्रबंधन में सहायता हेतु विश्व बैंक के स्तर से निम्नलिखित पैकेज में सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 02/06/2020 को प्राप्त हुई। इस पैकेज में कुल अनुमोदन 14850 लाख रूपय का प्राविधान हैं।

5.1 टेलीमेडिसिन

इस हस्तक्षेप के अन्तर्गत रूपयें 19.6 करोड़ की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (हब) एवं 400 चिन्हित CHC/PHC (स्पॉक) की माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। टेलीमेडिसिन हेतु एजेन्सी का चयन कर दिया गया है एवं ऐजेन्सी द्वारा 400 स्पोक्स का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज में इसका हब विकसित किया जा चुका है। उक्त 400 पी0एच0सी0 तथा 4 मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण (टैबलेट, प्रिंटर तथा इण्टरनेट व्यवस्था) एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त 400 पी0एच0सी0 तथा 4 मेडिकल कॉलेज हब के माध्यम से ट्रायल फेज में दिनांक 08 अगस्त से आतिथि तक 3462 कन्सलटेशन सफलतापूर्वक किये जा चुके हैं।

5.2 प्राईवेट लैब द्वारा कोविड— 19 जाँच की प्रतिपूर्ति उक्त के क्रम में DGHS द्वारा चयनित/ ईम्पैनल्ड पाँच लैब के साथ अनुबन्ध कर प्राईवेट लैब में RT PCR टेस्टिंग प्रतिपूर्ति का कार्य जारी है। इस क्रम में अब तक 05 प्राईवेट लैबों कोर डाईनोस्टिक प्राईवेट लि0, डॉ0 आहूजा पैथौलॉथी एण्ड इमेजिंग सेन्टर, पैथ काइन्ड प्राईवेट लि0, हिमालयन इंस्टीट्यूट तथा प्रोगनोसिस लैब के साथ अनुबन्ध के सापेक्ष 68856 टेस्ट कर लगभग ₹10,90,32,630/— का भुगतान किया जा चुका है।

विश्व बैंक तथा प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित ₹ 20.24 करोड़ के सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी हरिद्वार की अनुशंसा पर 2 निजी प्रयोगशालाओं नोवस पाथ लैब तथा प्रैफर्ड पाथ लैब के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 जांच किये जाने के सापेक्ष ₹ 11 करोड़ मूल्य के अनुबंध हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। उक्त के सापेक्ष लगभग ₹ 4.74 करोड़ के बिल प्राप्त हुये हैं जो कि भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

5.3 बायो सेफटी लैब (BSL) लैब स्थापना : उक्त हेतु भारत सरकार की संस्था एच0एल0एल0 लाइफ केयर लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। BSL-III (संख्या—1) का स्थान पूर्व में चिन्हित स्थल IDH, सेलाकुई से प्रत्यावर्तित कर राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में लगभग 17 करोड़ रूपये की लागत से किया जा रहा हैं। उक्त की डी0पी0आर0 दून मेडिकल कॉलेज से सहमति

हेतु साझा की जा चुकी है। इसी क्रम में लगभग 12.58 करोड रूपये की लागत से दो BSL-(II) स्तर की लैब का रिफरबिशमेन्ट कार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर तथा बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। जिसकी DPR TAC से अनुमोदित होने के उपरांत एच0पी0सी0 के सम्मुख प्रस्तुत की जानी शेष है।

5.4 गहन चिकित्सा इकाई (ICU) की स्थापना–

विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मैडिकल कॉलेजों में कुल 60 करोड़ रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोंपरान्त HLL द्वारा कुल 10 स्थानों पर कुल 170 शैयाएँ ICU को विकसित किया जा रहा है जिसमें 07 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

राजकीय चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या

क्र0सं0	जनपद का नाम	जिला चिकित्सालय	उप जिला चिकित्सालय	अन्य चिकित्सालय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	टाईप–बी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	टाईप–ए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	शैय्याओं का कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पौड़ी	162	354	0	250	36	336	1138
2	देहरादून	220	323	30	110	12	176	871
3	चमोली	93	45	48	130	20	136	472
4	रूद्रप्रयाग	60	0	0	60	4	148	272
5	टिहरी	100	50	0	190	20	196	556
6	उत्तरकाशी	173	0	0	80	12	120	385
7	हरिद्वार	100	215	0	174	8	108	605
8	नैनीताल	128	306	543	240	20	160	1397
9	ऊधमसिंह नगर	200	221	0	130	4	132	687
10	अल्मोड़ा	143	366	0	170	28	236	943
11	बागेश्वर	75	0	0	70	12	104	261
12	पिथौरागढ़	182	50	0	100	46	184	562
13	चम्पावत	60	90	0	0	4	68	222
योग		1696	2020	621	1704	226	2104	8371

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति

वार्षिक प्रगति आख्याः 2022–23 (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः–

- **एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच केन्द्र** :– एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच हेतु प्रदेश में कुल 172 केन्द्र स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022) में उक्त केन्द्रों में कुल 3,38,074 व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श एवं जांच

सुविधा प्रदान की गयी जिसमें से 841 व्यक्ति एच.आई.वी. सक्रमित पाये गये। उत्तराखण्ड में एक मोबाईल वैन भी कार्यरत है।

- **यौन रोग नियंत्रण क्लीनिकः**— प्रदेश में एस.टी.आई./आर.टी.आई. सर्विसेज कार्यक्रम के अन्तर्गत यौन जनित संक्रमण/प्रजनन तंत्र संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु 29 क्लीनिकों की स्थापना की गयी है, जहां यौन रोगों की रोकथाम एवं उपचार के अन्तर्गत लक्षणों के आधार पर उपचार प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक लक्षण हेतु नाको, भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार ही औषधि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022) में उक्त केन्द्रों में कुल 45,451 व्यक्तियों को उपचार सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया।

- **रक्त सुरक्षा कार्यक्रमः**— उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत रक्तकोषों का सुदृढ़ीकरण एवं स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है, जिस हेतु राज्य के समस्त जिलों में समय–समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में 55 रक्तकोष (ब्लड बैंक) स्थापित एवं कार्यशील है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022) में राज्य में स्थापित रक्तकोषों में कुल 1,41,000 रक्त यूनिटों को एकत्रित किया गया जिसमें से 75 प्रतिशत यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान द्वारा प्राप्त किये गये तथा कुल 1005 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया।

- **एंटी रेट्रोवायरल उपचार कार्यक्रमः**— प्रदेश में 06 ए.आर.टी. सेन्टर (एंटी रेट्रो वायरल थैरपी केन्द्रों) की स्थापना की गयी है। जहां एच.आई.वी. सक्रमित व्यक्तियों को नियमानुसार एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्तमान में केन्द्रों में 5,656 व्यक्ति दवा प्राप्त कर रहे है।

- **लक्ष्यगत हस्तक्षेप कार्यक्रमः**— उत्तराखण्ड में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 27 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही है।

- **प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमः**— उत्तराखण्ड में एच0आई0वी/एड्स के नियन्त्रण, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई0ई0सी0) की अहम भूमिका है।

क्र.स.	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र कार्यक्रम	172 निःशुल्क एच.आई.वी परामर्श एवं परीक्षण केन्द्र स्थापित एवं कार्य ील		
	(क) एच.आई.वी. जांच किये गये व्यक्ति	172	3,84,000	3,38,074
	(ख) एच.आई.वी. अनुकूल पाये गये व्यक्ति	172	–	841
2.	यौन रोग नियंत्रण (सुरक्षा क्लीनिक)	29	66,761	45,451
3.	रक्त सुरक्षा कार्यक्रम	55	1,24,000	1,41,000
4.	एंटी रेट्रोवायरल दवा एवं उपचार कार्यक्रम	06	6,000	5,656
5.	लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाए	27	1,52,575	1,20,229

रेड क्रॉस सोसाईटी

रक्त सुरक्षा कार्यक्रम–वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 55 (26 राजकीय रक्तकोष तथा 29 निजी हॉसपिटल आधारित एवं चैरिटेबल) रक्तकोश और 19 रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2022 से नवम्बर 2022 तक राज्य में भारत सरकार द्वारा दिये गये लक्ष्य 1,24,000 यूनिट रक्त के सापेक्ष कुल 1,35,182 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया तथा 850 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के सापेक्ष 977 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक रक्तकोश आवश्यक रूप से स्थापित एवं क्रियाशील किये जाने का लक्ष्य था जो कि पूर्ण कर लिया गया है।

21.7 उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19: एक दृष्टि में

• प्रदेश में वर्तमान समय तक (06.01.2023 तक) कुल 449418 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 431612 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 96.04 प्रतिशत है।

• वर्तमान में (06.01.2023 तक) कोविड–19 संक्रमण के 34 सक्रिय मरीज है जिनका उपचार होम आइसोलेशन में हो रहा है। आतिथि तक कोविड मृत्यु मामलों की संख्या 7753 तथा माइग्रेटेड मामलों की संख्या 10019 है।

• राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में कुल 7,703 ऑक्सीजन सर्पोट बैड, 852 आई.सी.यू. बैड एवं 1165 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं।

• राज्य में कुल 23,959 ऑक्सीजन सिलेण्डर, 9,995 ऑक्सीजन कॅनसेनट्रेटर एवं 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्ट कार्यशील है।

• उत्तराखण्ड राज्य में (दिनांक 06.01.2023 तक) उत्तराखण्ड राज्य में (कुल 11 Government Lab, 26 Private empanelled Lab, 75 TrueNAT Machines तथा कोविड–19 के लिए 532 एम्बुलेन्स है।

21.8 होम आइसोलेशन

अन्य संसाधन एवं दवाओं की उपलब्धता

• राज्य के कोविड चिकित्सालयों में एन–95 मास्क, पी0पी0ई0 किट राज्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

• कोविड के उपचार हेतु आवश्यक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

• राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में एन–95 मास्क, पी0पी0ई0 किट, ग्लव्ज, सेनिटाइजर इत्यादि राज्य की आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षणः– चिकित्सालयों में आई0सी0यू0 एवं वैन्टीलेटर के संचालन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश में मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें चिकित्सक, स्टाफ नर्स, टैक्नीशियन, आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी, ए0एन0एम0, पुलिस / एस0डी0आर0एफ, पी0आर0डी / होमगार्ड, होटल स्टाफ जी0एम0वीएन0 / के0एम0 वीएन0, स्वीपर / सफाईकर्मी व अन्य स्टाफ सम्मिलत है।

21.9 कोविड–19 वैक्सीनेशन कवरेज

• भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार वर्तमान में 12 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पात्र लाभार्थियों का कोविड–19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राज्य द्वारा दिनांक 03–01–2023 तक 20054601 वैक्सीन डोज़ लगायी जा चुकी है। जिसमें 102.0 प्रतिशत प्रथम डोज. 95.7 प्रतिशत द्वितीय डोज एवं 25.4 प्रतिशत प्रीकॉशन डोज लगायी जा चुकी है।

कोविड–19 वैक्सीन हेतु कोल्ड चेन प्वाइंट का विवरणः– राज्य में कोविड–19 वैक्सीन हेतु कुल 319 कोल्ड चेन प्वाइंट उपलब्ध है जो निम्नलिखित संरचना के अनुसार हैंः–

1.	SVS (स्टेट वैक्सीन स्रओर)	1
2.	RVS (रीजनल वैक्सीन स्रओर)	3
3.	DVS (जनपद वैक्सीन स्टोर)	13
4.	BVS (ब्लॉक वैक्सीन स्टोर)	26
5.	Peripheral CCPs (कोल्ड चेन प्वाइंट)	276

• समस्त जनपदों में कोल्ड चेन सिस्टम को मजबूत बनाने हेतु जनपद स्तर पर कोविड 19 वैक्सीन के भण्डारण एंव वितरण हेतु अतिरिक्त स्थान पहचान की जा चुकी है ।

• राज्य में वर्तमान में ILR (Ice Line Refrigerators), Deep Freezers, Walk in Cooler and Walk in Freezers की निम्नवत उपलब्धता है–

• ILR (Ice Line Refrigerators)	583
• Deep Freezers	642
• Walk in Cooler	07
• Walk in Freezers	04

• वर्तमान में राज्य में 87 पी0एस0ए0 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित है, जिनकी उत्पादन क्षमता 44203 ली0प्रति0मि0 / 82,67 MT है।

• राज्य में 11 LMO टैंक स्थापित है, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 121.8 MT है।

• राज्य में 23959 ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा 9954 ऑक्सीजन सन्सन्ट्रेटर उपलब्ध है।

• राज्य चिकित्सालयों में एवं मेडिकल कॉलेजो में 7703 ऑक्सीजन बैड्स् 852 आई0सी0यू0 बैड्स 1165 वैन्टीलेटर उपलब्ध है।

21.10 होम्योपैथिक चिकित्साः–

• होम्योपैथिक पद्धति से समुचित विकास एवं पद्धति के माध्यम से जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश स्तर पर होम्योपैथिक स्थापित है। जनपद स्तर पर 13 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत निम्नवत क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं :–

• सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में कुल **111 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा** संचालित हैं।

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल **28 होम्योपैथिक चिकित्सालय प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों** संचालित किए जा रहे हैं।

• केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित 0**5 मातृ एवं बाल स्वास्थ्य होम्योपैथिक चिकित्सालय (आर0सी0एच0 विंग)** संचालित हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2022–23 में आतिथि तक कुल 34364 रोगियों का उपचार किया गया।

• केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत संचालित कुल **04 त्वचा विज्ञान केन्द्र** संचालित हैं जिसमें कई चर्म रोग जैसे–एक्जिमा, वार्टस, कार्न, स्केबीज, आर्टिकेरिया, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस एवं अन्य चर्म रोगों के कुल 67499 रोगियों को लाभान्वित किया गया।

• वित्तीय वर्ष 2022–23 में आतिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा सामान्य बीमारियों, तीव्रगति से फैलने वाले रोग, असाध्य, गम्भीर बीमारियों, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कारगर है, में मुख्यतः निम्नलिखित बीमारियों से ग्रसित लाभार्थियों को लाभान्वित किया गयाः–

क्र0 सं0	रोग का विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	श्वास रोग संक्रमण	49524
2	पेट से सम्बन्धित बीमारियां	45167
3	गुर्दे की पथरी एवं रोग	23423
4	महिलाओं से सम्बन्धित बीमारिया (गाईनोक्लोजिकल डिजीजेस)	39771

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

• **राष्ट्रीय आयुष मिशनः**– राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम चरण में 10 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर होम्योपैथिक हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जा चुका है एवं वर्तमान में संचालित कर रोगियों का उपचार किया जा रहा है।

• वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों में उच्चीकृत किया जा रहा है, उक्त हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों के माध्यम से आमजनमानस को होम्योपैथिक हैल्थ वैलनेस केन्द्रों में विभिन्न प्रकार के साथ–साथ सामान्य जांचों की सुविधा हेतु लैबोरेटरी की स्थापना भी की जा चुकी है जिसमें सामान्य जांचों की सुविधा जैसे–उच्च रक्त चाप, शुगर, मलेरिया, हैपेटाइटिस, हिमोग्लोबिन, टाइफाईड, ओरल एवं सर्विक्स कैंसर सम्बन्धी स्क्रीनिंग के साथ–साथ योगा की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है साथ ही आम जनमानस हेतु हर्बल

गार्डन भी विकसित किया जा चुका है जिसके माध्यम से उन्हें होम्योपैथिक औषधि पादपों की जानकारी प्राप्त होगी।

- **वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनपदों में डेंगू, चिकनगुनिया एवं अन्य स्वास्थ्य परीक्षण हेतु 737** आउटरीच शिविर लगाये गये जिसमें **लगभग 75,985** आमजनमानस का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार एवं रोगों से बचाव हेतु परामर्श के साथ–साथ निशुःल्क होम्योपैथिक औषधि वितरित की गयी।

- कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर भारत सरकार की गाईड लाईन तथा मा0 मंत्रीमण्डल के निर्णयों के अनुपालन में **कोविड–19 की प्रथम चरण में 13,34,181 (तेरह लाख चौतीस हजार एक सौ इकासी), द्वितीय लहर में 11,78,912 तथा तृतीय लहर में 3,98,338 व्यक्तियों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30** का वितरण किया गया। वैश्विक महामारी कोविड–19 से आमजनमानस की सुरक्षा हेतु वृहद स्तर पर अभियान चलाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि आर्सेनिक अल्बम–30 वितरण का कार्य निरन्तर किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश भर में होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से (दिसम्बर, 2022 तक) 8,93,339 रोगियों का उपचार किया गया।

- **Super Specialist Clinic** आगामी वित्तीय वर्ष हेतु केरला मॉडल ऑफ होम्योपैथी की तर्ज पर अति विशिष्ट क्लीनिकल (त्वचा रोग, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं वृद्धजनों हेतु) गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में रैफरल केन्द्र के रूप में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

सेवा इंटरनेशनल

विधा युक्त मोबाइल हेल्थवैन (MHV) का संचालन करता है, जो प्रदेश के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों के 200 से अधिक गांवों में लोगों को स्वस्थ्य सुविधा प्रदान करती है। दोनों जनपदों में सर्वेक्षण तथा समुदाय से विचार–विमर्श के उपरान्त 24 शिविर स्थानों का चयन किया गया है, जहाँ प्रत्येक माह लगभग 1300 ग्रामीणों को प्राथमिक तथा कुछ जरूरतमंद लोगों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। मोबाइल हेल्थ वैन में कुशल डॉक्टरों, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियनों को तैनात किया गया है, जो जरूरतमंद लोगों को आवश्यकतानुसार स्वास्थय सेवाएं प्रदान कर रहे है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि मोबाइल हेल्थवैन द्वारा दी जा रही सेवाएं काफी कारगर है।

उत्तराखंड एसोसिएशन फॉर पीपल लिविंग विद एचआईवी / एड्स, जिसे यूकेएनपी+ के नाम से भी जाना जाता है, एक समुदाय आधारित, गैर–लाभकारी संगठन है, जो राज्य में एचआईवी से पीड़ित लोगों की जरूरतों का पूरा करने के साथ एचआईवी से ग्रस्त लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। संस्था पिछले 8 वर्षों से इस कार्य में संलग्न है। वर्तमान में, यूकेएनपी+ गढ़वाल मंडल के 2573 एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रही हैं, जो एंटी रिट्रोवायरल (एआरवी) उपचार पर हैं। संस्था द्वारा COVID–19 के दौरान प्रत्येक एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को घर–घर जाकर ARV दवाई देने का काम किया गया जो अत्यंत जरूरी था क्यों कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को जीवित रहने के लिए नियमित ARV दवाई लेना आवश्यक होता है।

• **राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना**— उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के स्थापना हेतु जनपद देहरादून विकास खण्ड डोईवाला में कार्यवाही गतिमान है।

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत जनपद स्तर पर चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के स्वीकृत/ कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरणः—

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्साधिकारी	111	84	27
02	भेषजिक	111	106	05
03	वार्ड ब्वाय	79	60	17
04	स्वच्छक कम चौकीदार	32	27	03
05	अर्दली	08	05	03
06	चपरासी	13	11	02

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

भारत सरकार की केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत स्थापित 05 आर0सी0एच0 एवं 04 त्वचा रोग केन्द्रों में स्वीकृत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का विवरणः—

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	09	09	0
02	भेशजिक	09	08	01
03	वार्ड ब्वाय	09	08	0
04	स्वच्छक कम चौकीदार	09	05	0

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

होम्योपैथिक विभाग में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजनान्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का विवरणः—

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त
01	चिकित्सक	28	26	02
02	भेषजिक	28	27	01

स्रोतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड

21.11 आयुर्वेदिक चिकित्साः— भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तराखण्ड राज्य में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदत्त करने के लिये 13 जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी हैं। जिनके पर्यवेक्षण में कुल 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 26—जिला चिकित्सालय, 180—आयुष विंग तथा 29—सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) सेवा प्रदान की जा रही है।

21.11.1 राज्य की एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुष विंगों की स्थापनाः— सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में (जहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित नहीं हैं) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एलोपैथिक चिकित्सालयों में 180 आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

21.11.2 जिला चिकित्सालयों की स्थापनाः— जिला मुख्यालय में जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु एक पुरूष विंग एवं महिला विंग इस प्रकार कुल 26 आयुष विंग पर संचालित है।

21.11.3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों की स्थापनाः— भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 29 सी0एच0सी0 एवं 154 पी0एच0सी0 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार हेतु आयुष विंगों की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2020—21 में कुल 60 एवं वित्तीय वर्ष 2021—22 में 213 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टरों की

स्थापना की जा रही है। जिनमें से आतिथि तक 174 हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर संचालित हो रहे हैं। शेष सेन्टरों को क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

21.11.4 राष्ट्रीय आयुष मिशनः– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुष मिशन भारत सरकार द्वारा 544 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 05 यूनानी चिकित्सालय एवं 02 सीजनली आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 26–जिला चिकित्सालय, 180–आयुषविंग तथा 29–सी0एच0सी0 एवं 154–पी0एच0सी0 में (एन0एच0एम0 के अन्तर्गत आयुष विंगों में) औषधियों के क्रय हेतु धनराशि प्राप्त होती है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय (सरस मार्केट हल्द्वानी) में स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में चिकित्सालय संचालित हो रहा है।

जनपद–टिहरी के ग्राम–जलेम, पट्टी जाखणीधार, में 50 शैय्यायुक्त समन्वित चिकित्सालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को ₹ 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है भवन निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद–चम्पावत के टनकपुर में 50 शैययायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना नवीन कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 02 जनवरी 2023 को पत्र प्रेषित किया गया है। आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद पौड़ी के कोटद्वार में किये जाने हेतु 50 शैययायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आगणन ₹ 1519.98 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमाह है।

जनपद हरिद्वार के पथरी में 10 शैययायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड को आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। आगणन गठित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जनपद नैनीताल के भीमताल में 10 शैययायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन विकास एवं निर्माण निगम उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित आगणन ₹ 695.05 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमाह है।

21.11.5 यूनानी चिकित्सा पद्धतिः– राज्य में मात्र 05 यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं। यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु पिरान कलियर, जनपद–हरिद्वार में 50 शैययायुक्त यूनानी चिकित्सालय स्थापना की जा रही है। शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के द्वारा ₹ 1575. 60 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमाह है।

21.11.6 राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसीः– हरिद्वार जिलान्तर्गत ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित है। फार्मेसी के माध्यम से रोगियों को मुफ्त वितरण हेतु आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन किया जा रहा है।

21.11.7 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाः– हरिद्वार जनपद में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। जिसके द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है।

तालिका 21.11
आयुर्वेदिक विभाग में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0स0	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक	758	518 (490 नियमित, 28 संविदा)	240
2.	चिकित्साधिकारी यूनानी	05	03	02
3.	चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य MOCH	90	65 संविदा	25
4.	चिकित्साधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	01	0	01
5.	चीफ फार्मेसिस्ट	77	72	05
6.	फार्मेसिस्ट (आयुर्वेदिक)	692	668	24
7.	फार्मेसिस्ट (यूनानी)	05	04	01
8.	सिस्टर	01	0	01
9.	स्टाफ नर्स/सिस्टर	19	19	0
10.	पंचकर्म सहायक	76	74	02
11.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक	13	13	0

अध्याय–22

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

Women Empowerment & Child Development

''नारीशक्ति शक्तिशाली समाजस्य निर्माणं करोति''

22.1 सामान्य विवरणः—विश्व के हर देश में महिलाओं की प्राथमिकता बच्चों व परिवार की देखभाल करना है। इस प्रकार महिलाओं के सार्थक प्रयास से एक अच्छे समाज व अच्छे परिवार की परिकल्पना सार्थक होती है व राष्ट्र सामाजिक व आर्थिक विकास की ओर उन्मुख होता हैं। अतः महिलाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षित माहौल प्रदान करना समाज का दायित्व है। समय के साथ–साथ आधुनिक समाज में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक क्षेत्र के साथ–साथ राजनैतिक, वाणिज्य, कला, खेल सहित रक्षा क्षेत्र की गतिविधियों में भी हो रही हैं तथा महिलाएं पूरी क्षमता के साथ अपना योगदान दे रही हैं। यद्यपि समय के साथ महिलाओं की शिक्षा तथा निर्णय लेने की क्षमता में भी गुणात्मक सुधार हुआ है तथापि बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एन0एफ0एच0एस0–5 (2019–21) की रिपोर्ट के अनुसार 10 पर्वतीय राज्यों का महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित 9 संकेतकों पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

तालिका 22.1
10 पर्वतीय राज्यों में महिलाओं से सम्बन्धित संकेतकों का विवरण

संकेतक		राज्य									
		उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	जम्मू–कश्मीर	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	06 वर्ष से उपर की महिलाए जो कभी स्कूल गयी हो (%)	75.2	81.0	71.2	70.1	84.0	85.9	93.2	85.2	83.7	81.8
2	(15–49) आयु वर्ग की साक्षर महिलाएं (%)	79.8	90.7	71.3	74.3	93.4	83.2	97.0	83.4	87.1	78.3
3	(20–24) वर्ष की महिलाएं जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ है (%)	9.8	5.4	18.9	4.5	16.3	16.9	8.0	5.6	10.8	40.1
4	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म)	39.1	25.6	12.9	16.3	25.0	32.3	21.3	23.4	11.2	37.6
5	संस्थानिक जन्म (%)	83.2	88.2	79.2	92.4	79.9	58.1	85.8	45.7	94.7	89.2
6	(15–49) आयु की महिलाएं जिनका बॉडी मास इन्डेक्स सामान्य से कम है (BMI < 18.5 kg/m^2) (%)	13.9	13.9	5.7	5.2	7.2	10.8	5.3	11.1	5.8	16.2

7	(15–49) आयु वर्ग की महिलाएं जो एनीमिक है। (%)	42.6	53.0	40.3	65.9	29.4	53.8	34.8	28.9	42.1	67.2
8	वर्तमान में विवाहित महिलाएं (15–49) वर्ष जो आमतौर में 3 घरेलू निर्णयों में भाग लेती हो (%) (स्वयं की देखभाल के बारे में निर्णय, प्रमुख घरेलू खरीदारी, व अपने परिवार व रिश्तेदारों से मिलने का निर्णय)	91.0	93.9	87.0	81.6	94.8	92.3	98.8	99.2	89.7	90.9
9	(18–49) आयु की विवाहित महिलाएं जिन्होने कभी भी घरेलू हिंसा का अनुभव किया हो (%)	15.1	8.3	24.8	9.6	39.6	16.0	10.9	6.4	12.1	20.7

स्रोतः एन0एफ0एच0एस0–5 (2019–21), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनान्तर्गत प्रथम बच्चे के जन्म पर आई0एफ0ए0 (आयरन फोलिक एसिड) टेबलेट सेवन हेतु धनराशि दी जा रही है। प्रदेश में (15–49) आयु वर्ग की 42.6% महिलाएं एनीमिक व 13.9% महिलाओं का बॉडी मास इन्डेक्स (BMI) सामान्य से कम है। महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए महिला हेल्पलाईन संचालित है। 10 राज्यों के आंकडों पर दृष्टि डालें तो मणिपुर में सर्वाधिक 39.6% महिलाओं ने घरेलू हिंसा का अनुभव किया है जबकि नागालैंड में सबसे कम 6.4% महिलाओं ने मामले घरेलू हिंसा का अनुभव किया है। उत्तराखण्ड़ राज्य में 15.1% महिलायें घरेलू हिंसा के कटु अनुभव से गुजरी है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/घरेलू हिंसा की रोकथाम की दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

तालिका 22.2

Programm Activities and Intervention Coverage–WCD & Health Coverage–WC& Health

S. No.	Indicators	State						
		Uttarakhand	Himachal Pradesh	Jammu & Kashmir	Meghalaya	Mizoram	Sikkim	Tripura
Women & Child Development								
1	% of pregnant women who received THR for 21 + days	>75%	>75%	25%-50%	>75%	>75%	>75%	>75%
2	% of lacting women who recived THR for 21 + days	>75%	>75%	50%-75%	>75%	>75%	>75%	>75%

3	% of children 6-36 months who received THR for 21 + days	>75%	>75%	50%-75%	>75%	>75%	>75%	>75%
4	% of children 0-5 years who were weighed	-	50%-75%	50%-75%	50%-75%	50%-75%	>75%	>75%
Health								
5	% of children (12-23) months fully immunized	>75%	>75%	>75%	>75%	-	50%-75%	>75%
6	% of pregnant women who registered for ANC in the first trimester	50%-75%	>75%	50%-75%	25%-50%	-	>75%	<25%

Source- Preserving Progress on Nutrition In India: POSHAN ABHIYAN July 21

नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा Preserving Progress on Nutrition In India: POSHAN ABHIYAN (July 21) प्रकाशित की गयी है। प्रकाशित रिपोर्ट महिलाओं व बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेती है। तालिका–22.2 के अनुसार देश के पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्येनजर उत्तराखण्ड व अन्य 6 पर्वतीय राज्यों में से जम्मू व कश्मीर को छोड़कर उत्तराखण्ड सहित सभी 6 राज्यों में पंजीकृत (06–36) माह के बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं के सापेक्ष 75% से अधिक लाभार्थियों को टेक होम राशन प्राप्त हो रहा है। वजन निगरानी में सिक्किम व त्रिपुरा अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। प्रदेश में (12–23) माह के 75% से अधिक बच्चे पूर्ण प्रतिरक्षित है, सिक्किम को छोडकर अन्य राज्यों में भी समान स्थिति हैं। प्रदेश में 50%–75% गर्भवती महिलाएं पहली तिमाही में ANC के लिए पंजीकृत है, जो हिमाचल प्रदेश व सिक्किम से पीछे है परन्तु अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं।

चार्ट 22.1

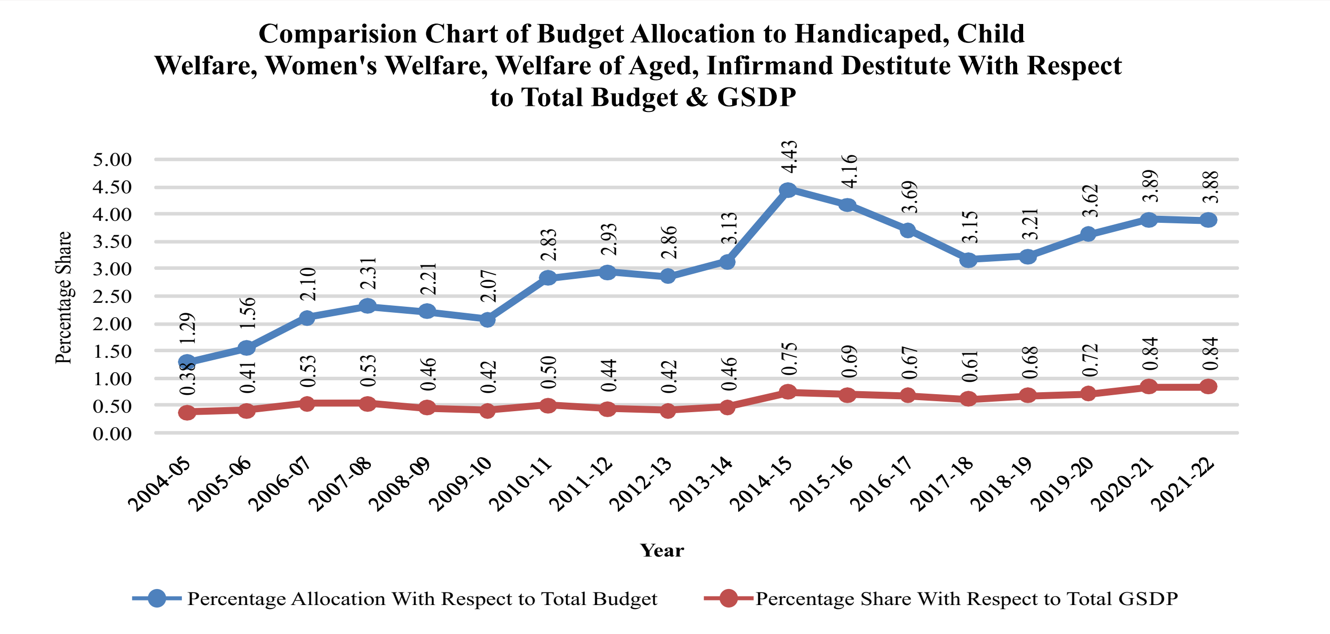

स्रोत:- अर्थ व संख्या निदेशालय

राज्य द्वारा वर्ष 2004–05 से लगातार बाल विकास, महिला कल्याण, दिव्यांग वृद्ध व निराश्रित कल्याण हेतु कुल बजट में लगातार वृद्धि की जाती रही है, जबकि वर्ष 2021–22 में सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष भी बजट की स्थिति विभिन्न वर्षो में 0.38% से बढ़कर 0.84% हो गयी है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण, मृत्यु दर और ड्रॉपआउट दर को कम करने, माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार व महिलाओं, बालिकाओं को सुरक्षित समाज तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने हेतु प्रदेश में कई योजनायें संचालित की गयी है। इस क्रम में प्रदेश के विजन 2030 के कार्यान्वयन में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास द्वारा निम्न सामयिक प्रयास किये जा रहे है।

22.2 अवस्थापना सुविधायें:– वर्तमान में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 95 विकासखण्डों में 97 ग्रामीण परियोजनाएँ, 8 नगरीय परियोजनाएँ, कुल 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अन्तर्गत कुल 20067 आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों में से 1249 शहरी क्षेत्रों में व 18818 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है।

तालिका–22.3

क्र०सं०	जनपद	बाल विकास परियोजनायें	आंगनबाड़ी केन्द्र (संख्या)	मिनी आंगनबाड़ी (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में कार्यकत्री (संख्या)	आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका (संख्या)
1	अल्मोड़ा	6	1190	670	1833	1161
2	बागेश्वर	9	558	276	820	543
3	चमोली	9	724	354	1068	713
4	चंपावत	7	397	284	651	383
5	देहरादून	15	1657	250	1838	1585
6	हरिद्वार	3	3056	123	2922	2721
7	नैनीताल	11	1032	384	1382	1004
8	पौड़ी	11	1082	771	1810	1052
9	पिथौरागढ़	3	656	455	1078	629
10	रुद्रप्रयाग	9	460	232	680	448
11	टिहरी	10	1278	739	2023	1230
12	ऊ0सि0नगर	8	2191	196	2260	2031
13	उत्तरकाशी	4	666	386	1022	622
उत्तराखण्ड राज्य		**105**	**14947**	**5120**	**19387**	**14122**

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

तालिका – 22.3 के अनुसार राज्य में 20067 आंगनबाड़ी/मिनी केन्द्रों में कुल 33509 कार्यकत्री/सहायिकाएँ कार्यरत है।

तालिका 22.4

राज्य में गर्भवती/धात्री महिलाओं का वर्षवार विवरण

वर्ष	लाभान्वित गर्भवती महिलायें	लाभान्वित धात्री महिलायें
2018–19	83943	90730
2019–20	80919	93341
2020–21	88989	93149
2021–22	73155	83570
2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	68456	67447

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

तालिका 22.4 के अनुसार वर्ष 2022–23 में कुल 82613 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक 68456 गर्भवती व कुल 92613 पंजीकृत धात्रियों के सापेक्ष 67447 धात्री महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

22.3 कुपोषण की स्थिति– तालिका 22.5 से स्पष्ट है कि राज्य में गत 5 वर्षों में कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आयी है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 952 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए हैं, जिन्हें सामान्य श्रेणी में लाने के लिए ''ऊर्जा'' (स्थानीय आधारित खाद्यान्न) पोषण आहार वितरित किया जा रहा हैं।

तालिका 22.5

राज्य के कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्षवार विवरण

श्रेणी	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)
कुपोषित बच्चे	15765	11409	8856	7658	6499
अतिकुपोषित बच्चे	1454	1370	1129	1119	952

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु वर्ष 2022–23 में प्रविधानित धनराशि ₹ 1729.499 करोड़ के सापेक्ष ₹ 822.77 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक ₹ 691.76 करोड़ व्यय किया गया। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

22.4 केन्द्र पोषित योजनाएं–

22.4.1 अनुपूरक पोषाहारः– योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, किशोरियों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को वर्ष में 300 दिवस अनुपूरक पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुपूरक पोषाहार की राशि केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है। वर्ष 2022–23 में पंजीकृत 8,47,567 लाभार्थियों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 5,29,562 को लाभान्वित किया गया है।

22.4.2 कुक्ड फूडः– इस योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में कुल 2,23,648 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक 1,45,597 बच्चों को कुक्ड फूड दिया गया है।

तालिका 22.6
राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र में अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने वाले 06 माह से 06 वर्ष के बच्चो का वर्षवार विवरण :–

वर्ष	लाभान्वित	
	6 माह–3 वर्ष के बच्चे	3–6 वर्ष के बच्चे
2018–19	427291	171141
2019–20	437155	169677
2020–21	444690	238925
2021–22	392264	213527
2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)	248062	145597

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

22.4.3 टेक होम राशन :– 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की अतिरिक्त पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शक्तिवर्धक पोषाहार ''टेक होम राशन'' के रुप में दिया जाता है। माह में कुल 25 दिन के लिए एकमुष्त साप्ताहिक राशन के रुप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। अति कुपोषित श्रेणी के बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के परामर्श पर दोगुना पोषाहार एवं ऊर्जा आधारित– Ready to Use Therapeutic Food (RUTF) पोशाहार दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2022–23 में 06 माह से 3 वर्ष के पंजीकृत 4,48,584 बच्चों के सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक 248062 बच्चों को टेक होम राशन दिया जा रहा है।

22.4.4 स्वास्थ्य जाँच एवं टीकाकरणः–इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेडिसिन किट हेतु ₹ 1500 एवं मिनी केन्द्र पर मिनी मेडिसिन किट हेतु ₹ 750 का वार्षिक मानक भारत सरकार से निर्धारित है। मेडिसिन किट में सामान्य रोगों की दवायें उपलब्ध करवायी जाती है।

22.4.5 वृद्धि निगरानी एवं संदर्भ सेवाएंः– इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का वजन लेकर उनकी वृद्धि की निगरानी की जाती है। वजन मापन हेतु वजन मशीन, वजन के अंकन हेतु ग्रोथ चार्ट बुकलैट तथा महिलाओं को सही वजन के विषय पर परामर्श हेतु सामुदायिक ग्रोथ चार्ट आंगनबाडी केन्द्र पर उपलब्ध है।

22.4.6 स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षाः– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 3,25,849 महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण की जानकारी दी गयी है।

22.4.7 स्कूल पूर्व शिक्षाः– योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल 2,23,678 पंजीकृत बच्चों को आगंनवाडी केन्द्र में प्री–स्कूल की शिक्षा दी जा रही है।

22.4.8 प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना (90%के0सहा0) PMMVY:– मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना राज्य के समस्त जनपदों में लागू है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 39,019 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। योजनान्तर्गत गत वर्ष 2021–22 की अवशेष धनराशि ₹ 1207.62 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 6.34 करोड़ धनराशि का व्यय किया गया है।

22.4.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन 'पोषण अभियानः– योजना भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त जनपदों में संचालित है। योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2021–22 की अवशेष धनराशि ₹ 24.60 करोड़ के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 11.40 करोड़ धनराशि का व्यय किया गया है।

22.4.10 स्कीम फॉर एडोलसेन्ट गर्ल्स– इस योजना का राज्य के आकांक्षी जनपद– हरिद्वार एवं ऊधमसिंहनगर की किशोरी बालिकाओं हेतु संचालन किया जाना है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल 185341 किशोरियों को

चिन्हित किया गया है।

22.4.11 वन स्टॉप सेन्टरः— योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विभागों यथा—गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, न्याय विभाग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था से समन्वयन कर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध/दुर्व्यवहार के प्रति एक ही परिसर में उचित चिकित्सीय सुविधा, कानूनी सलाह, परामर्भा एवं प्राथमिकी दर्ज करने से सम्बन्धी अन्य आवभयक एवं त्वरित कार्यवाही करने के उद्देश्य से समस्त जनपदों में संचालित किये जा रहे हैं।

चार्ट— 22.2

वन स्टाप सेन्टर व महिला हेल्प लाईन के पंजीकृत/निस्तारित वर्षवार मामले

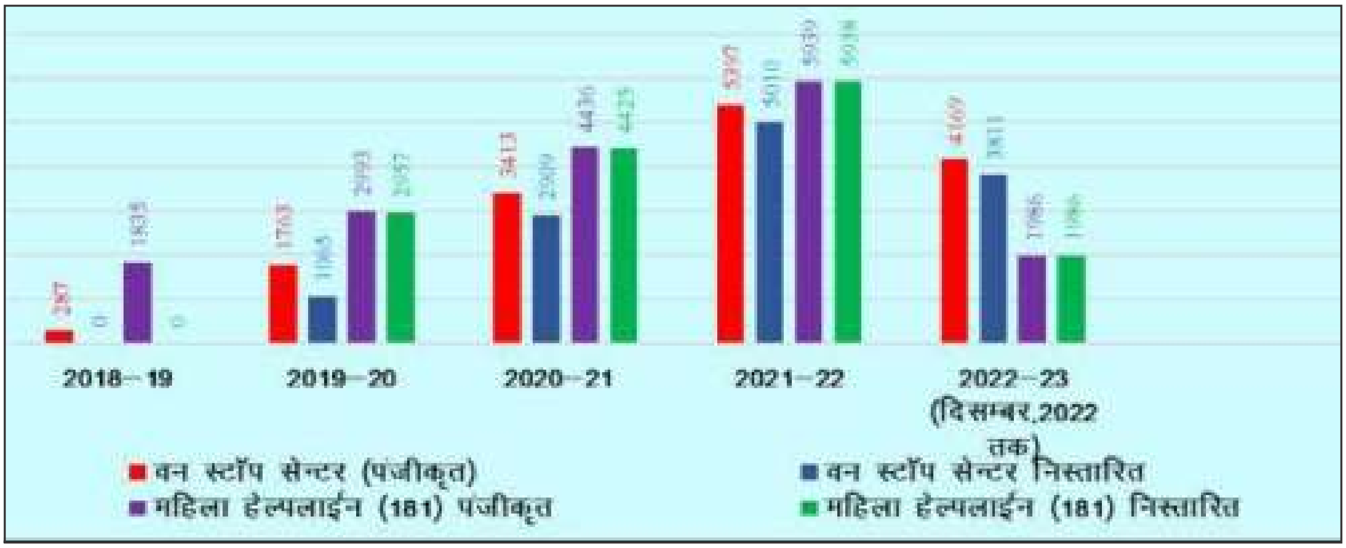

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

चार्ट 22.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर 2022 तक महिलाओं के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार/अपराध के अन्तर्गत वन स्टॉप सेन्टर में पंजीकृत 4169 मामलों के सापेक्ष 3811 व महिला हेल्पलाईन (108) में पंजीकृत 1986 मामलों के सापेक्ष सभी मामले निस्तारित कर दिये गये है।

22.4.12 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण/उच्चीकरण/अनुरक्षण— योजना के अन्तर्गत कुल ₹ 7.50 लाख धनराशि का प्राविधान है। वर्ष 2022—23 में 5303 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

22.5 राज्य सेक्टर की योजनायें—

22.5.1 उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजनाः—योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण **तालिका—22.7** में निम्नवत् हैः

तालिका—22.7

वर्ष	महिला स्वयं सहायता समूह	महिला लाभार्थी
2017—18	50	3201
2018—19	—	—
2019—20	141	1092
2020—21	—	—
2021—22	18	253
2022—23 (दिसम्बर, 2022 तक)	—	—

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

22.5.2 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनाः वित्तीय वर्ष 2022—23 में कुल 09 संस्थाओं के प्रशिक्षण प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें कुल 2725 महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करते हुए 08 प्रशिक्षण ट्रेड यथाः—डेरी मैनेजमैन्ट, मधुमक्खी पालन, हस्तकला, खाद्य प्रसंस्करण, कताई बुनाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, जड़ी बूटी उत्पादन में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है । वर्तमान तक कुल 3159 किशोरी/महिलाएं लाभान्वित हुई है।

22.5.3 कामकाजी महिला छात्रावास पर स्टाफ की व्यवस्थाः— इस योजनान्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, सस्ता एवं सुविधायुक्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है।

22.5.4 नन्दा गौरा योजनाः योजनान्तर्गत वर्ष 2022—23 में ₹ 334.962 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक शत—प्रतिशत धनराशि का व्यय कर 82601 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण चार्ट—22.3 में निम्नवत् है।

चार्ट 22.3
नंदा गौरा योजना

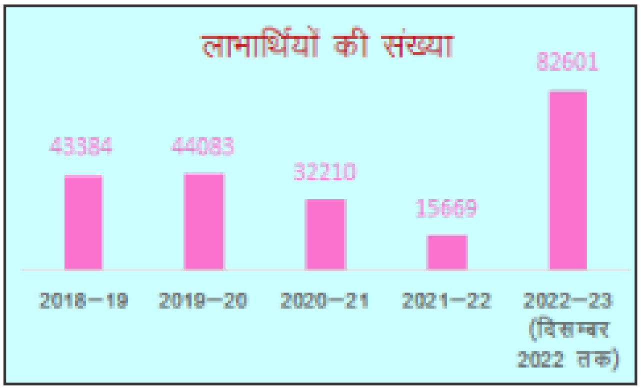

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

22.5.5 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना— विभाग के तहत राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत गर्भवती महिला के प्रथम/द्वितीय एवं जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर सुरक्षित मातृत्व के दृष्टिगत वर्ष 2021—22 में **''मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना''** आरम्भ की गयी। योजनान्तर्गत महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अब तक कुल 85035 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 8.75 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 8.329 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों का वर्षवार विवरण तालिका—22.8 में निम्नवत् है

तालिका—22.8

क्र0 स0	वर्ष	लाभान्वित लाभार्थी
1	2021—22	75000
2	2022—23	10035

स्रोतः- महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग

22.5.6 किशोरी बालिकाओं हेतु सैनेटरी नैपकीन की व्यवस्था— किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा वर्ष 2022—23 में धनराशि ₹ 6/— की सब्सडाईज दर से महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन पैकेट (6 पैड प्रति पैकेट) उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्तमान तक कुल 99.56 लाख सेनेटरी नैपकीन पैकेट समस्त जनपदों को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये हैं।

22.5.7 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम (कम्प्यूटर टैबलेट का वितरण): राज्य पोषित योजना बाल कल्याण निधि के अन्तर्गत संचालित

''**बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम**'' के तहत् माह दिसम्बर, 2022 तक 1385 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य बाल कल्याण परिषद' के माध्यम से मलिन बस्तियों के निर्धन परिवारों के किशोर एवं किशोरियों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में कुशल बनाने के लिये निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत वर्तमान तक 210 किशोर एवं किशोरियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि ₹ 1.00 करोड़ कार्पस फण्ड के रूप में प्राप्त हुई है। जिसकी ब्याज धनराशि से उक्त योजना का सफल संचालन किया जा रहा है।

22.5.8–''मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना''– योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के 223648 बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। योजना के संचालन हेतु वर्ष 2022–23 में ₹ 6.57 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

22.5.9 मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना'' – योजनान्तर्गत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं में एनीमिया एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दृष्टिगत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 1,75,247 गर्भवती एवं धात्री माताओं को सप्ताह में 02 दिन अण्डा, 02 दिन केला/खजूर दिया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 16.80 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 16.73 करोड़ की धनराशि का व्यय किया गया।

22.5.10 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान–बाल पलाश– योजना के अर्न्तगत राज्य में बच्चों के वजन एवं पोषण में सुधार, शारीरिक विकास, आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चों की संख्या में वृद्धि एवं निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों के 03–06 आयु वर्ष के पंजीकृत 223648 बच्चों को सप्ताह में दो दिन अण्डा एवं दो दिन केला/केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 19.80 करोड़ की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 19.80 करोड़ की शत–प्रतिशत धनराशि का व्यय की गई है।

विभागीय प्रयास

- **तीलू रौतेली पुरस्कार**–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत **12** किशोरी/महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार**–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत **35** आंगनवाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **पोषण अभियान**– पोषण माह (सितम्बर 2022) के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों मे जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु जागरुक किया गया। **1315** आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों हेतु **पोषण वाटिका** स्थापित की गई। पोषण माह 2022 के दौरान आमजन को पोषण के प्रति जागरुक करने हेतु पोषण रैली, पोषण मेला, नुक्कड़ नाटक, स्वास्थ्य शिविर एवं अन्य गतिविधियों का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

पोषण वाटिका

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह पंजीकृत लाभार्थियों हेतु दिये जाने वाला टेक होम राशन के स्थान पर अब भारत सरकार द्वारा जारी नये नियमानुसार गेहूं एवं फोर्टिफाइड चावल दिया जायेगा।
- **गेहूॅं आधारित पोषाहार कार्यक्रम (WBNP)**— वित्तीय वर्ष 2022—23 में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में अनुपूरक पोषाहार के अन्तर्गत गेहूॅं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के संचालन के संबंध में गेहूॅं, फोर्टीफाईड चावल एवं मण्डुवे की मांग का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। राज्य में गेहूॅं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के संचालन की कार्यवाही गतिमान है।

अध्याय–23
सतत् विकास लक्ष्य
Sustainable Development Goal

23.1 सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासः सतत् विकास लक्ष्य, विकास का एक ऐसा वैश्विक मॉडल प्रस्तुत करते है, जिसका विजन एक ऐसा विश्व बनाना है जो गरीबी, भुखमरी, बीमारियों आदि से मुक्त हो एवं जहां सभी व्यक्तियों के लिए प्रगति की उच्चतम सीमाओं को छूने के लिए अवसर प्राप्त हों। एक ऐसा विश्व जहां सार्वभौमिक साक्षरता हो एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा तक सभी की पहुंच हो। एक ऐसा विश्व जिसमें सुरक्षित जल एवं स्वच्छता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार हो, एवं जहां भोजन सभी के लिये उपलब्ध हो तथा पोषण युक्त भोजन तक सबकी पहुंच हो। एक ऐसा विश्व जहां बस्तियां एवं शहर सुरक्षित एवं संवहनीय तथा विश्व सनीय हों, तथा जिनमें ऊर्जा के स्त्रोत स्वच्छ एवं किफायती हो। एक ऐसा विश्व जिसमें सभी महिलाएं एवं जेण्डर के लोग समान हो तथा जहां जेण्डर समानता के उच्चतम मानक स्थापित हों, जिसमें महिलाओं एवं कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिये बाधक सभी सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों व प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया गया हो। एक ऐसा विश्व जिसमें बच्चों की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त किया गया हो, ताकि वे जीवन के अधिकतम उचाईयों को छू सके। एक ऐसा विश्व, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रो के मध्य की असमानताओं को दूर किया गया हो। एक ऐसा विश्व जिसमें धरती एवं प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाएं समावेशी एवं संवहनीय आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया जा सके तथा सम्मान जनक कार्य व रोजगार सभी के लिए उपलब्ध हो और अन्त में एक ऐसा विश्व जहां विकास की दौड़ में कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। सतत् विकास लक्ष्यों का यह महत्वकांक्षी विजन सिर्फ कोई आकांक्षा नहीं है, अपितु यह एक 17 सतत् विकास लक्ष्यों एवं 169 टारगेट का विस्तृत विकास का मॉडल है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अंगीकृत किया है एवं इस ऐजेण्डे को 2030 तक प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है।

23.2 उत्तराखण्ड की सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तरोतर प्रगति : उत्तराखण्ड सरकार सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध है। राज्य एवं जनपद स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयल एवं अनुश्रवण के लिए अलग–अलग कमेटियां बनाई गई हैं जिनमें उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल है। राज्य में विभिन्न SDGs की ग्रुपिंग करते हुए निम्नानुसार थीम/समूह बनाए गये हैः–

तालिका 23.1

समूह	**सतत विकास लक्ष्य**
समूह 1: मानवविकास (Human Development)	**SDG 3 :** स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा (Health and Well Being)
	SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education)
	SDG 6: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation)

समूह 2: **सतत आजीविका** **(Sustainable Livelihood)**	**SDG 1** : गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति (No Poverty)
	SDG 2 : शून्य भुखमरी (Zero Hunger)
	SDG 8 : पूर्ण, उत्पादक एवं बेहतर कार्य तथा आर्थिक विकास (Decent Work and Economic Growth)
	SDG 9 : उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढ़ांचा (Industry, Innovation and Infrastructure)
समूह 3: **सामाजिक विकास** **(Social Development)**	**SDG 5** : जैण्डर समानता (Gender Equality)
	SDG 10: असमानता कम करना (Reduced Inequalities)
	SDG 16: शांति, न्याय एवं जिम्मेदार संस्थान (Peace, Justice and Strong Institutions)
समूह 4: पर्यावरणीय संवहनीयता (Environmental Sustainability)	**SDG 7:** किफायती एवं साफ उर्जा (Affordable and Clean Energy)
	SDG 11: संवहनीय शहर एवं मानव बस्तियां (Sustainable Cities and Communities)
	SDG 12: जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन (Responsible Consumption and Production)
	SDG 13: जलवायु परिवर्तन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना (Climate Action)
	SDG 15: स्थलीय पारिस्थिति की प्रणालियों और सुरक्षित जंगलों को हो रहे नुकसान को रोकना तथा भूक्षरण एवं जैव विविधता को हो रहे नुकसान को कम करना (Life on Land)

लक्ष्य 17: सतत विकास लक्ष्यों के लिए वैश्विक साझेदारी (Partnership for the Goals), चूंकि overarching है इसलिए इसे उपरोक्त समूहों में नहीं रखा गया है।

स्रोत: CPPGG, उत्तराखण्ड

विजन 2030 में एस.डी.जी. लक्ष्यों की वर्तमान स्थिति ही नहीं अपितु वर्ष 2030 के लक्ष्य भी स्पष्ट रूप से इंगित किए गए हैं। एस.डी.जी. वार कुछ संकेतकों की बेसलाइन स्थिति एवं वर्तमान स्थिति तालिका–2 में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 23.2

	SDG 3: Good Health and Wellbeing				
	Indicator	**Baseline (2016-17)**	**Updated Status**	**current updated status**	**Vision 2030**
	lopment) Maternal Mortality Ratio	**165**	**101**	**SRS Bulletin 2022, MMR in India 2017-19**	**70**

Grop1: Human Development	Infant mortality rate (per 1,000 live births) (Total)	**39.7**	**24**	**SRS Bulletin 2022, Reference Year 2020**	**25/1,000**
	Under-five mortality rate (per 1,000 live births) (Total)	**47**	**45.6**	NFHS 2019-21	**25/1000**
	Immunization of children (fully immunized) (0-5 years) (%)	**79.6**	**62**	**Health Department 2022**	**>95**
	Prevalence of HIV and AIDS across different types of high - risk categories	0.11	0.11	PIB.gov.in, 2019	0
	Road Accidents, Deaths, Injuries	**Road Accidents - 1342, Deaths- 801, Injuries – 1497 (January to October)**	**520 (deaths)**	**NCRB 2021**	**Road Accidents - 168, Deaths- 100, Injuries – 175,**
Grop1: Human Development	**Current use of modern family planning methods (currently married women aged 15 –49 years) (Total)**	**49.3**	**57.8**	**NFHS 2019-21**	**65.96**
	Mothers who had at least four antenatal care visits (%) (Total)	**30.9**	**61.8**	**NFHS 2019-21**	**100**
	Institutional delivery (%) (Total)	**68.6**	**83.2**	**NFHS 2019-21**	**100**
	Mothers who received postnatal care from a doctor/nurse/ LHV/ANM/midwife/other health personnel within two days of delivery (%) (Total)	**54.8**	**78**	**NFHS 2019-21**	**100**
	Total Fertility Rate (TFR) (births per women) (Total)	2.1	1.9	SRS 2022 data 2019	2.1
	SDG 4: Quality Education				
Grop1: Human Development	**Indicator**	**Baseline (2016-17)**			**Vision 2030**
	Net enrolment rate in primary education (%) (Class 1-5)	**89.18**	**99.8**	**U-dise 2020 - 21**	**100**
	Net enrolment rate in secondary education (%)	**51.28**	**56.1**	U-dise 2020-21	**80**
	School with access to basic drinking water facilities — Primary (%)	98.2	95.16	U-dise 2020-21	100
	School with access to basic drinking water facilities Upper Primary (%)	94.5			100

	School with access to basic toilet facilities—Primary (%)	97	98.47	U-dise 2020-21	100
	School with access to basic toilet facilities—Upper Primary (%)	96			100
	School with access to basic electricity facilities—Primary (%)	73.2	89.68	U-dise 2020-21	100
	School with access to basic electricity facilities —Upper Primary (%)	82.5			100
	School with ramp and material for students with disability — Primary (%) 66.1 100	66.1	36.6	U-dise 2020-21	100
	School with ramp and material for students with disability — Upper Primary (%)	59.5			100
	Drop-out at the primary level (%)	**3.16**	1.64	Education Department 2020-21	**0**
	Drop-out at the upper primary level (%)	1.69	2.1	Education Department 2020-21	0
	Drop-out at the secondary level (%)	**12.65**	**9.1**	U-dise 2020-21	**0**
	Gross Enrolment Ratio (GER) at higher education	**33.9**	**39.1**	**AISHE 2018-19, Department of Higher Education taken from SDG India Index**	**60**
	Employability ratio (percentage)	40	48.7 (WPR)	PLFS 2019-20	60
	Gender Parity Index (GPI) (primary school) (Class 1-5)	0.89	1.03	U-dise 2020-21	1.00
	Gender Parity Index (GPI) (secondary school) (Class 9-10)	0.92	1	U-dise 2020-21	1.00
	Literacy rate of youth 15 -29 years (women) (%)	93.6	86.93	Census 2011	100.0
	SDG 6 (Clean Water and Sanitation)				
	Indicator	**Baseline (2016-17)**			**Vision 2030**
	Total rural habitations using safe drinking water (%)	**64.3**	**61.27**	**100**	**Total rural habitations using safe drinking water (%)**
	SC-dominated rural habitations using safe drinking water (%)	70.8		100	SC-dominated rural habitations using safe drinking water (%)

Grop1: Human Development	ST-dominated rural habitations using safe drinking water (%)	100		100	ST-dominated rural habitations using safe drinking water (%)
	Households with access to piped water supply (number)**	**5,82,621**		**All households**	**Households with access to piped water supply** (number)**
	Households with access to piped water supply (no.) (Rural)	2,79,964		All households	Households with access to piped water supply (no.) (Rural)
	Households with access to piped water supply (number) (Urban)	3,02,657		All households	Households with access to piped water supply (number) (Urban)
	Population living in households with an improved drinking-water source (%)	93.6	95.9	All households	Population living in households with an improved drinking-water source (%)
	Population living in households with an improved drinking-water source (%)-Rural	89.5	94.2	All households	Population living in households with an improved drinking water source (%)-Rural
	Population living in households with an improved drinking-water source (%)-Urban	98.9	99.6	All households	Population living in households with an improved drinking-water source (%)-Urban
	ULBs with partial sewerage (%)	**28.6**	**15.93**	**100**	**ULBs with partial sewerage (%)**

स्रोतः CPPGG, उत्तराखण्ड

तालिका 23.3

Livelihood Sustainable	**SDG 1: No Poverty**				
	Indicator	Baseline			Vision 2030
	Households (No.) that are deprived (SECC) (lakhs) rural	**429888**		**Not Found**	**0**
	Population below US $1.25 per day (PPP value) (%)	**11.26**	**11.26**		**0**
	Per capita state domestic product (in Rs.) (at 2011 -12 prices)	140405	158239 RE	DES, 2020-2021	217562
	Population below state poverty line (%)	**11.26**	**9.2**	**DES, 2020-21**	**Reduce to at least 5.63%**
	Beneficiaries (no.) under Old age pension scheme	**4,25,962**	**464140**	**Social Welfare 2021-22**	**5,55,000**
	Beneficiaries (no.) under Widow pension scheme	1,39,381	190568	**Social Welfare 2021-22**	1,80,000
	Beneficiaries (no.) under Disability pension scheme	64,921	82,827	**Social Welfare 2021-22**	80,000
Sustainable Livelihood	Number of Jan Dhan Yojana accounts opened	21,70,963	2859104	SLBC, 2021	Cover all unreached households
	SDG 2: Zero Hunger				
	Indicator	Baseline (2016-17)			Vision 2030
Sustainable Livelihood	**Total foodgrain production (mt)**	**18,43,785**	**18,33,769**	**Agriculture Department, GOUK**	**20,76,303***
	Prevalence of underweight children <5 years (-2SD) (%)	**26.6**	**21**	**NFHS 2019-21**	**<5**
	Prevalence of stun ted children <5 years (-2SD) (%)	**33.5**	**27**	**NFHS 2019-21**	**<5**
	Prevalence of wasted children <5 years (-2SD) (%)	**19.5**	**13.2**	**NFHS 2019-21**	**<5**
	Prevalence of anaemia among women of reproductive age (15 49 years) (%)	**45.2**	**42.6**	**NFHS 2019-21**	**<10**
	Prevalence of anae mia among children (6-59 months) (%)	59.8	58.8	**NFHS 2019-21**	<5
	Productivity(per hectare production of cereals)	21.69	24.59	Agriculture, Department	24.02
	Productivity(per hectare production of pulses)	10.48	9.57	Agriculture, Department	12.93
	Productivity(per hectare production of millets)	16.17	15.17	Agriculture, Department	17.39
Sustainable Livelihood	**SDG 8: DecentWork**				
	Indicator	Baseline (2016-17)			Vision 2030
	GSDP at 2011 -12 prices (Rs crore)	**173444 Rs cr (2017-18 advance estimate**	**192203 (PE)**	**DES 2021-22**	**367607 Rs cr**

Sustainable Livelihood	Per capita GDP growth (%)	7.1% annual average (2012-18)	5.91 (PE)	DES 2021-22	>7.1%
	Share of bottom quintile consumption in total consumption (%)	9.7% in 2011-12	9.65	DES, 2021	>9.7%
	Growth of the agricultural sector (%)	1.4% annual average (2011-12 to 2017-18)	3.67 (PE)	DES, 2021-22)	>1.4%
	Growth of construction sector (%)	7.7% annual average (2011-12 to 2017-18)	21.40 (PE)	DES, 2021-22)	Maintain the growth rate
	Growth of manufacturing sector (%)	7.3% annual average (2011-12 to 2017 -18)	10.06 (PE)	DES, 2021-22	>7.3%
	Labour productivity in agriculture sector	**Rs. 93,439**	**38297**	**Calculated by CPPGG**	**> Rs. 93,439**
	Labour productivity in non - agriculture sector	**Rs. 359,542 (2011-12)**	**857285**	**Calculated by CPPGG**	**>Rs. 359,542**
	Labour productivity in construction sector	Rs. 198,343	356486	**Calculated by CPPGG**	> Rs. 198,343
	Labour productivity in manufacturing sector	Rs. 1,310,968	1710341	**Calculated by CPPGG**	Maintain the productivity
	(%) of regular employment	**19.9% in 2011-12**	**26.1**	**PLFS 2019-20**	**>19.9%**
	(%) of formal employment	10.5% in2011-12	NA		>10.5%
	Share (%) of Regular Workers in (Public/Government Sector)	44.6% (2011 - 12)	34%	**PLFS 2020-221**	
	Unemployment (15-59 years) (%)	**4.2% in 2011-12**	**7.1**	**PLFS 2019-20**	**<4.2%**
	Share (%) of women employment (15 -59 years) in total	**26.8% in 2011-12**	**30.2**	**Calculated by CPPGG**	**>26.8%**
	Youth unemployment (15 -29 years) rate (%)	**14.3% in 2011-12**	**19.7**	**PLFS 2019-20**	**<14.3%**
	Unemployment per cent for high educated youth (secondary and above)	17.2% in 2011-12	12.6	**PLFS 2019-20**	<17.2 %
	Share (%) of youth (15 -29 years) not in education, training or employment.	**24% in 2011 - 12**	**28**	**Department of RD, Uttarakhand**	**<24%**
	Development of new homestays (no.)	**256**	**3107 (till 2021)**	**Tourism Department, Uttarakahand**	**5000**

Sustainable Livelihood	**SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure**				
	Indicator	**Baseline (2016-17)**			**Vision 2030**
	Road length per lakh population (km)	**322.93**	**515.25**	**Numerator, Uttarakhand Statistical Diary 2020-21. Denominator-Census 2011**	**461.29.**
	Industry share in GSDP (%)	48.36	44.62 (PE)	DES, 2021-22	
	Number of MSMEs	**53000**	**4.17 lakhs**	Annual Report MSME 2021, GOI	**170000**

स्रोतः CPPGG, उत्तराखण्ड

तालिका 23.4

	SDG 5: Gender Equality				
Social Development	**Indicator**	**Baseline (2016 - 17)**	**Current Status (Year)**		**Vision 2030**
	Ratio of girls to boys in primary level education	0.89	0.88	U-dise 2020-21	1
	Ratio of girls to boys in Secondary level of education	0.92	0.89	U-dise 2020-21	1
	Sex ratio at birth (female to male)	888	984	**NFHS 2019-21**	1000
	Sex ratio at birth (female to male) (Rural)	924	937	**NFHS 2019-21**	1000
	Sex ratio at birth (female to male) (Urban)	817	1094	**NFHS 2019-21**	1000
	Ever married women who have experienced spousal violence (15 -49 years) (%)	12.7	15.1	**NFHS 2019-21**	<12.7
	Seats held by women in Panchayat bodies (%)	50	56.17	Panchayat Department, Uttarakhand	
	SDG 10: Reduced Inequalities				
	Indicator	**Baseline (2016 - 17)**	**Current Status (Year)**		**Vision 2030**
	Ratio of male and female at panchayat level (percent)		56.27	Panchayat Department, Uttarakhand	
	SDG 16: Peace Justice and Strong Institutions				
Social Development	**Indicator**	**Baseline (2016 - 17)**	**Current Status (Year)**		**Vision 2030**
	Crime against women^^ per 100,000 population	**28.2**	**34.0**	**NCRB, 2021**	
	Crime against Scheduled Castes per 100,000 population	4.9	1.22	**NCRB, 2021**	
	Crime against Scheduled Tribes per 100,000 population	2.1	0.06	**NCRB, 2021**	
	Number of Common Service Centres	**4000**	**7791**	**ITDA, Uttarakhand 2021-22**	**7950**
	Percentage of births registered (%)	100	100		100

स्रोत: CPPGG, उत्तराखण्ड

तालिका 23.5

	SDG 7: Affordable and Clean Energy				
Environmental Sustainability	Indicator	Baseline (2016 - 17)	Current Status (Year)	Source Current Status	Target 2030
	Households using clean fuels (electricity, LPG/Natural gas, bio -gas) for cooking (%) (Rural)	**31.1**	**42.9**	**NFHS 2019-21**	
	Households using clean fuels (electricity, LPG/Natural gas, bio -gas) for cooking (%) (Urban)	86.6	92.9	**NFHS 2019-21**	
	Households with electricity (%) (Rural)	96.5	99.6	**NFHS 2019-21**	100
	Households with electricity (%) (Urban)	99.4	99.7	**NFHS 2019-21**	100
Environmental Sustainability	**SDG 11: Sustainable Cities and Communities**				
	Indicator	Baseline (2016-17)			Vision 2030
	Percentage Reduction in the Level of Air Pollution	**20**			**70**
	Concentration of particulate matter (PM 10) Dehradun Clock Tower	180.05	153.61	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of particulate matter (PM 10) Dehradun ISBT	288.12	151.34	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
Environmental Sustainability	Concentration of particulate matter (PM 10) Haridwar SIDCUL	127.88	11.98	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of sulphur dioxide Dehradun Clock Tower	25.07	21.46	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of sulphur dioxide Dehradun ISBT	27.1	22.12	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of sulphur dioxide Haridwar SIDCUL	24.96	12.61	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of nitrogendioxide Dehradun Clock Tower	28.66	25.55	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of nitrogendioxide Dehradun ISBT	30.05	25.42	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Concentration of nitrogen dioxide Haridwar SIDCUL	27.78	20.11	Pollution Contro Board, Uttarakhand, 2021	
	Percentage of waste water treated to generated	**30**			**90**
	SDG 15: Life on Land				
	Indicator	**Baseline (2016-17)**			**Vision 2030**
	Forest cover as a percentage of total geographical area %	34	45.44 (forest cover) 9.45 very dense forest	State Forest Report, 2021, FSI	35.5

स्रोतः CPPGG, उत्तराखण्ड

23.3 उत्तराखण्ड में एस.डी.जी. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

सतत विकास लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्त करने के लिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य द्वारा 2020 में State Indicator Framework एवं District Indicator Framework बनाया गया है। राज्य ने 2020 से ही सतत् विकास लक्ष्यों की जनपदों की प्रगति का अनुश्रवण कार्य शुरू कर दिया था। राज्य के जनपदों द्वारा 2018–19 से 2021–22 तक की प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका–3 में दिया गया है।

तालिका 23.6

Uttarakhand Composite Index: District Scores and Ranks Across the Years 2018-19 to 2021-22								
	2018 -19		**2019 -20**		**2020 -21**		**2021-22**	
	Score	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**	**Score**	**Rank**
Uttarakhand	61		64		65		69	
Almora	62	**3**	64	**5**	66	**3**	67	**7**
Bageshwar	61	**4**	67	**3**	69	**1**	68	**6**
Champawat	56	**7**	63	**6**	67	**2**	71	**3**
Chamoli	60	**5**	66	**4**	66	**3**	69	**5**
Dehradun	71	**1**	70	**1**	67	**2**	73	**2**
Haridwar	59	**6**	62	**7**	53	**9**	59	**10**
Nainital	62	**3**	68	**2**	65	**4**	74	**1**
Pauri Garhwal	59	**6**	61	**8**	67	**2**	64	**9**
Pithoragarh	63	**2**	58	**9**	63	**6**	66	**8**
Rudraprayag	61	**4**	63	**6**	65	**4**	71	**3**
Tehri Garhwal	63	**2**	58	**9**	59	**7**	64	**9**
Udham Singh Nagar	53	**8**	54	**10**	58	**8**	54	**11**
Uttarkashi	61	**4**	63	**6**	64	**5**	70	**4**

स्रोतः CPPGG, उत्तराखण्ड

23.4 सतत् विकास लक्ष्य गोलकीपर एवार्ड 2022

एस.डी.जी. गोल कीपर अवार्ड समारोह दिनांक 10 जून, 2022 को आयोजित किया गया था। एस.डी.जी. गोल कीपर अवार्ड का उद्‌देश्य नवाचारों एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस को एक पहचान देना था जिसके लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं की पहचान की गई।

सी0पी0पी0जी0जी0 ने एस.डी.जी. गोल कीपर अवार्ड के लिये अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, कम्युनिटी रेडियो आदि के माध्यम से व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये।

जिन 27 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को यह अवार्ड दिया गया है। उनका विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 23.7

आजीविका		
	एस0डी0जी0	**पुरस्कार विजेता**
1	एस0डी0जी0 1: शून्य गरीबी	श्री कपिल तलवार
2	एस0डी0जी0 1: शून्य गरीबी	HARC (हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर)
3	एस0डी0जी0 2: शून्य भुखमरी	श्री बची सिंह बिष्ट
4	एस0डी0जी0 2: शून्य भुखमरी	हितैशी संस्था
5	एस0डी0जी0 8: आर्थिक वृद्धि	पर्वतीय चाय उत्पादन स्वायत सहकारिता (बेरीनाग चाय)
6		श्री कैलाश पुष्पवान
7		श्रीमती नमिता तिवारी
8	एस0डी0जी0 9: उद्योग और नवाचार	श्री मनमोहन भारद्वाज
9	**एस0डी0जी0 9 –**	**Young Achiever** श्री सिदार्थ माधव

सामाजिक विकास		
	एस0डी0जी0	**पुरस्कारविजेता**
10	एस0डी0जी0 5: लैंगिक समानता	श्रीमती इंदिरा अधिकारी
11	एस0डी0जी0 5: लैंगिक समानता	हिमगिरी नैचुरल को–ऑपरेटिव सोसाइटी
12	एस0डी0जी0 10: असमानताओं में कमी	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड
13	एस0डी0जी0 16: शांति और न्याय के लिये संस्थान	श्री संतोष मासीवाल
14		REEDS (ग्रामीणपर्यावरणऔर शैक्षिक विकास सोसायटी)
15	एस0डी0जी0 17: लक्ष्य प्राप्तिमें सामूहिक साझेदारी	SHEG (सोसाइटी फॉर हिमालयन इन्वायरोमैंट एण्ड जियोलॉजी)
16		उम्मीद नेटवर्क

पर्यावरणीय सहवनीयता		
	एस0डी0जी0	**पुरस्कारविजेता**
17	एस0डी0जी0 7: साफ और स्वच्छ ऊर्जा	के.बी. सिस्टम
18	एस0डी0जी0 12: उपभोग और उत्पादन	वेस्ट वॉरियर्स
19	एस0डी0जी0 13: जलवायु परिवर्तन	श्री अमित कुमार जैन
20	एस0डी0जी0 15: भूमि पर जीवन	श्री दिनेश गुरूरानी

मानव विकास		
	एस0डी0जी0	**पुरस्कार विजेता**
21	एस0डी0जी0 3ः उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली	सेवा
22		उत्तराखण्ड एसोशियेशन फॉर HIV/AIDS
23	एस0डी0जी0 4ः गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा	श्रीचन्दन सिंह घुग्त्याल
24		श्री जोगिंदर रोहिला
25		आसरा ट्रस्ट
26	एस0डी0जी0 6ः साफ पानी एवं स्वच्छता	हिम्मोथान सोसाइटी
27		PAN हिमालयन ग्रास रूट डेव्लेपमैंट फाउंडेशन

स्रोतः CPPGG, उत्तराखण्ड

सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण

1. E-Governance:- राज्य की आम जनता को विभिन्न सेवाओं, प्रक्रियाओं को सरलीकरण कर तथा समय पर जनता को प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैः–

I) अपुणु सरकार पोर्टल (Apnu Portal)

ii) सी0एम0–डैशबोर्ड (CM-Dash Board)

iii) सी0एम0 हेल्प लाईन (CM-Helpline)

iv) ई–ऑफिस (E-Office)

v) ऑन लाइन ए0सी0आर0 (Online ACR)

vi) सेवा का अधिकार (Right to Service)

vii) सीमान्त जनपदों में इनर लाइन पास हेतु ऑन लाईन व्यवस्था।

viii) चार धाम यत्रियों हेतु ऑन लाईन पंजीकरण।

2. नीतिगत निर्णयः– राज्य में विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत निर्णय लिये गये है। जिनसे जनता को उक्त योजनओं से भी लाभ प्राप्त हो सके।

i) सिचाई व्यवस्था हेतु HDPE पाइप की प्रयोग पर सहमति।

ii) नदी किनारे बसे नागरिकों हेतु पुर्नवास नीति / दिशा–निर्देश।

iii) पर्यटकों को मौसम, सड़क अवरोध, स्थानीय होम–स्टे, स्थानीय पर्यटन व्यवस्था, स्थानीय लोक संस्कृति एवं आपदा प्रबन्धन की जानकारी प्रदान करने हेतु कम्यूनिटी रेडियों (Community Radio) की प्रोत्साहन।

iv) राज्य में अवस्थित अवसंरचना सम्बन्धी परियोजना के अनुश्रवण हेतु ड्रोन का उपयोग।

v) राज्य में टेलीमेडीसन का अधिक से अधिक प्रयोग, चिकित्सा सुविधाओं में ड्रोन का उपयोग।

vi) समस्त विभागों के योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु मासिक एवं वार्षिक कलेन्डर का निर्धारण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था।

vii) वानिकी सेक्टर के वन क्षेत्र में अप्रयुक्त (Unused) संसाधनों का चिन्हीकरण तथा आजीविका एवं राजस्व वृद्धि की सम्भावना पर कार्य।

viii) जल प्रबन्धन हेतु राज्य में अमृत सरोवर योजना प्रारम्भ।

ix) राज्य में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।

x) वर्श 2025 तक प्रत्येक 100 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना।

xi) राज्य में शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण प्रणाली से मजबूत कर प्रतिष्ठित संस्थानों आई0आई0एम0, विदेशी विश्वविद्यालयों से एम0ओ0यू0 हेतु सैहातिक सहमति।

xii) राज्य में पोषण सम्बन्धी परिणामों में सुधार हेतु मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा।

xiii) राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रानिक कचरे की समस्या के समाधान हेतु ई–वेस्ट नीति तैयार की जायेगी।

अध्याय–24
खेल एवं युवा कल्याण
Sports and Youth Welfare

खेल (Sports)

24.1 खेल अवस्थापना सुविधाएं–राज्य में खेल विभाग की स्थापित अवस्थापना सुविधाओं का विवरण निम्न तालिका 24.1 में प्रस्तुत हैः–

तालिका 24.1

क्र. सं.	खेल अवस्थापना का नाम	खेल अवस्थापना की संख्या
1	2	3
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम	02
2	राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम	26
3	बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल	10
4	इंडोर क्रीड़ा हॉल	20
5	तरणताल	05
6	आईस स्केटिंग रिंक	01

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड

उक्त तालिका में से 3 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम (यथा–चम्पावत, ऊधमसिंह नगर, देहरादून), 06 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल (यथा–पिथौरागढ़–2, देहरादून–1, हरिद्वार–1 एवं ऊधमसिंह नगर–2 तथा 03 इंडोरहॉल यथा–नैनीताल, ऊधमसिंह नगर एवं देहरादून में तथा 01 एक्वेटिक सेंटर (तरणताल), नैनीताल में निर्माणाधीन हैं।

24.2 जिला सैक्टर की योजनायें

24.2.1 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजनः– योजनान्तर्गत माह मार्च, 2022 तक 9200 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹141.50 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹76.44 लाख की धनराशि व्यय कर 14992 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.2 खेल प्रशिक्षण शिविर योजनाः– माह मार्च, 2022 तक लगभग 3541 बालक एवं बालिकाएं लाभान्वित हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 298.92 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 181.11 लाख की धनराशि व्यय कर तक 7640 खिलाड़ी लाभान्वित हो चुके हैं।

24.2.3 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास योजनाः– खेल विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास खोले गये हैं। छात्रावासों के संचालन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 235.96 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 104.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। खेल विभाग द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों तथा उसमें प्रशिक्षणरत छात्रों की संख्या निम्न तालिका 24.2 में प्रस्तुत हैः–

तालिका—24.2
आवासीय खेल छात्रावास

क्र. सं.	आवासीय क्रीड़ा छात्रावास	खेल	वर्ग	स्वीकृत सीट	भरी गयी सीट
1.	पौड़ी	बैडमिंटन	बालक	20	10
2.	कोटद्वार (पौड़ी)	बॉक्सिंग	बालक	25	23
3.	चमोली	वॉलीबॉल	बालक	20	12
4.	देहरादून	फुटबॉल	बालक	25	25
5.	हरिद्वार	हॉकी	बालिका	25	16
6.	टिहरी	क्रिकेट	बालक	20	11
7.	उत्तरकाशी	फुटबॉल	बालिका	20	19
8.	रूद्रप्रयाग	एथलेटिक्स	बालिका	25	20
9.	नैनीताल	फुटबॉल	बालक	25	23
10.	बागेश्वर	ताईक्वांडो	बालिका	20	—
11.	चम्पावत	बॉक्सिंग	बालक	20	16
12.	अल्मोड़ा	बैडमिंटन	बालिका	20	13
13.	पिथौरागढ़	बॉक्सिंग	बालिका	20	18
14.	ऊधमसिंह नगर	एथलेटिक्स	बालक	25	25
कुल योग				**310**	**231**

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड

24.3 राज्य सेक्टर योजनायें

24.3.1 नकद पुरस्कार योजनाः— इस योजना के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्द्धन तथा भविष्य में होने वाले प्रतियोगिताओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/ प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। खेल नीति—2021 के प्राविधानों के आधार पर वर्ष 2022 में पुरस्कार की धनराशि में पूर्व देय धनराशि के सापेक्ष 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 500. 00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष ₹ 20.17 लाख की धनराशि नकद पुरस्कार स्वरूप 04 खिलाड़ियों को प्रदान की गयी है। अन्य खिलाड़ियों हेतु पुरस्कार दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसकी कार्यवाही गतिमान है।

24.3.2 खेलकिट योजनाः— राज्य की टीम द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को ₹ 5000.00 तक के ट्रैकसूट, जूते, मोजे तथा खेल किट प्रदान किये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु ₹ 60.00 लाख बजट प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड राज्य से **श्री लक्ष्य सेन (बैडमिंटन खेल)** द्वारा कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक एवं डैफ ओलम्पिक खेल में **श्री अभिनव देशवाल (निशानेबाजी खेल)** द्वारा स्वर्ण पदक एवं **श्री शौर्य सैनी (निशानेबाजी खेल)** द्वारा कांस्य पदक अर्जित किया गया, जो राज्य की उपलब्धि है।

24.3.3 खेल संघों आदि को प्रतियोगिता आयोजन हेतु अनुदान योजनाः— इस योजनान्तर्गत खेल संघों, क्लबों एवं अन्य खेल संघों को जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराये जाने एवं खेलकूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹ 50.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 16.37 लाख की धनराशि व्यय कर प्रतियोगिता के आयोजन एवं खेल कूद उपकरण क्रय हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

24.3.4 विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेलरत्न व द्रोणाचार्य अवार्ड योजनाः— इस योजनान्तर्गत राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखण्ड खेलरत्न पुरस्कार तथा प्रशिक्षक को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं खेलों के प्रति

दिये गये योगदान हेतु लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु ₹ 28.32 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

24.3.5 नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अनुदान योजनाः– उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम.ओ.आई. कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2021–22 में 542 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 1079.61 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 682.47 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है व 897 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान कर चुके हैं।

24.3.6 स्पोर्ट्स कॉलेज को अनुदान योजनाः– देहरादून तथा पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करने के साथ–साथ 380 प्रशिक्षणरत् खिलाड़ियों के लिए कक्षा 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं। इन बालकों को भोजन, खेल प्रशिक्षण, शिक्षा, खेलकिट एवं खेल उपकरण आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 987.95 लाख का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 446.13 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

24.3.7 खेल प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु योजनाः– योजनान्तर्गत राज्य स्तर की प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से पूर्व विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 40. 00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान तक हॉकी, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, क्यांकिंग एंडकैनोईंग, कबड्डी, सैपकटाकरा (Sepaktakraw) खेल की विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर 232 बालक / बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं। इस हेतु माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 8.66 लाख का उपयोग किया गया।

24.3.8 पं0 नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण योजनाः– पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पर्वतारोहण, स्पोर्टस, क्लाईम्बिंग तथा अन्य साहसिक क्रियाकलापों के प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु पं0 नैनसिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 63.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 3.87 लाख धनराशि का व्यय किया जा चुका है। माह जनवरी / फरवरी, 2023 तक बेसिक स्की कोर्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 60 प्रशिक्षु लाभान्वित होगें।

24.3.9 राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति योजना– विभाग द्वारा राज्य के 08 से 14 वर्ष के 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिमाह ₹ 1500 / – की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 तक ₹ 175.50 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही 14 से 23 वर्ष के 2600 खिलाड़ियों हेतु भी प्रतिमाह ₹ 2000 / – छात्रवृत्ति के साथ ही वर्ष में एक बार खेल उपकरण क्रय हेतु ₹ 10000 / – की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 5.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2022 तक ₹ 188.81 लाख का व्यय किया गया है।

24.3.10 खिलाड़ियों को खेल इंजरी व आकस्मिकता के दृष्टिगत बीमा / आर्थिक सहायता– राज्य के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण शिविरों के दौरान दुर्घटना एवं चोटिल हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान किये की

व्यवस्था की गयी है, जो निम्नानुसार है—

(1) मृत्यु होने की दशा में— ₹ 5.00 लाख प्रति खिलाड़ी।

(2) स्थाई दिव्यांगता —

(क) 40 प्रतिशत या अधिक

दिव्यांगता— ₹ 4.00 लाख।

(ख) 40 प्रतिशत से कम

दिव्यांगता—₹ 2.00 लाख।

(3) गम्भीर चोट का उपचार—₹ 5,000.00

प्रतिदिन, अधिकतम ₹ 1.00 लाख।

(4) बीमारी / साधारण चोट—

₹ 50,000.00 अधिकतम अथवा वास्तविकता पर।

24.3.11 स्टेडियम एवं इंडोर हॉल निर्माण योजनाः— वर्तमान में 02 अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 23 राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम, 04 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 17 इंडोर क्रीड़ा हॉल, 04 तरणताल तथा 01 आईस स्केटिंग रिंक स्थापित है, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 10000 बालक एवं बालिकाएं खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं के नवीन निर्माण कार्यों हेतु ₹ 11599.11 लाख बजट के सापेक्ष ₹ 3157.13 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.3.12 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः— राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियाँ तथा अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक निम्न कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में प्रस्तावित 200 मी0 सिंथैटिक एथलेटिक प्रैक्टिस ट्रैक का निर्माण।
2. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में इंडोर क्रीड़ा हॉल नवीनीकरण का निर्माण कार्य।
3. जनपद देहरादून के अन्तर्गत परेड ग्राउण्ड में इंडोर क्रीड़ा हॉल के नवीनीकरण का कार्य।
4. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद में इंडोर क्रीड़ा हॉल के नवीनीकरण तथा 200 कि0ली0 क्षमता के ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य।
5. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु चाहर दीवारी का निर्माण कार्य।
6. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के क्रिकेट मैदान में चैंजिंग रूम का निर्माण कार्य।
7. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में नवनिर्मित एथलेटिक्स सिंथैटिक ट्रैक में 3000 क्षमता का दर्शक दीर्घा का निर्माण।
8. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की पश्चिमी दिशा की चाहरदीवारी का निर्माण कार्य।
9. रोशनाबाद हरिद्वार के हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य।
10. जनपद देहरादून स्थित परेड ग्राउण्ड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य।
11. परेड ग्राउण्ड देहरादून में निर्मित की गई खेल अवस्थापना सुविधाओं में खिलाड़ियों तथा दर्शकों की सुविधा हेतु अतिरिक्त कार्य।
12. देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन परेड ग्राउण्ड के फिनीशिंग कार्य।
13. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के चाहर दीवारी के उच्चीकरण का कार्य।

वर्तमान में ₹ 20616.15 लाख की लागत धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं—

1. 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत देहरादून में शूटिंग रेंज का निर्माण कार्य।
2. देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के रूद्रपुर एवं गदरपुर में 01—01 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण।

3. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के रोड इंटरकनेक्शन, बाईडनिंग एवं पार्किंग के कार्य।

4. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के बैडमिंटन हॉल के अनुरक्षण कार्य।

5. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के बॉक्सिंग हॉल के उच्चीकरण के कार्य।

6. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में एथलेटिक्स पवेलियन भवन के उच्चीकरण के कार्य।

7. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में क्रिकेट ग्राउण्ड का अनुरक्षण।

8. राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 200 बैड का छात्रावास निर्माण कार्य।

9. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एथलेटिक पवेलियन भवन में स्टीलट्रस व कैनोपी (Canopy) एवं दर्शकों हेतु सीट निर्माण कार्य।

10. स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी स्थित मिनी स्टेडियम में दर्शक दीर्घा में टिन शैड का निर्माण कार्य।

11. नैनीताल के अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के अतिरिक्त निर्माण कार्य।

12. स्पोर्ट्स स्टेडियम रोशनाबाद, हरिद्वार में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य।

13. स्पोर्ट्स स्टेडियम, रोशनाबाद, हरिद्वार में दर्शक दीर्घा (Spectator stand), Parking, External drainage system का निर्माण कार्य।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु ₹ 6100.00 लाख की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 1788.25 लाख की धनराशि निर्माण कार्यों हेतु व्यय की जा चुकी है।

24.4 केन्द्र पोषित योजनायें

24.4.1 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु योजनाः– राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन तथा अवस्थापना सुविधाओं का नवीन तकनीक के आधार पर विकास किया जा रहा है।

24.4.2 खेलो इंडिया योजनाः– इस योजना हेतु राज्य में बहुउद्देशीय क्रीड़ाहॉल के निर्माण तथा विभाग में पूर्व निर्मित एथलेटिक्स, हॉकी एवं फुटबॉल मैदानों में एस्ट्रोटर्फ/सिंथैटिक बिछाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

मुख्य उपलब्धियां
(Major Achievements)

- श्री लक्ष्य सेन द्वारा कॉमन वेल्थ खेल 2022 में बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक अर्जित किया गया। इनके द्वारा थॉमस उबेर कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस उल्लेखनीय सफलता के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा श्री सेन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- डैफ ओलम्पिक खेल 2022 में निशानेबाजी खेल में श्री अभिनव देशवाल द्वारा स्वर्ण पदक तथा श्री शौर्य सैनी द्वारा कांस्य पदक अर्जित किया गया है, जिसके फलस्वरूप खेल विभाग द्वारा श्री देशवाल को ₹ 2.00 करोड़ तथा श्री सैनी को ₹ 1.00 करोड़ की पुरस्कार धनराशि से सम्मानित किया गया।

- विश्व कप तीरदांजी खेल में श्री मोहन रामस्वरूप भारद्वाज द्वारा रजत पदक अर्जित किया गया, जिस हेतु श्री भारद्वाज को विभाग द्वारा ₹ 5.00 लाख की पुरस्कार धनराशि प्रदान की गयी।

- गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में राज्य ने 18 पदक प्राप्त किये।

- मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत राज्य के 08 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका अर्थात् 3900 बालक/बालिका को ₹ 1500/–प्रतिमाह की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया।

भावी योजनाएं

राज्य में खेल विश्वविद्यालय स्थापित करना।	खिलाड़ियों को उनके खेलों में उच्चस्तर के शोध कार्य आदि किये जाने हेतु राज्य में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण
राज्य के खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण	इससे खिलाड़ी खेल कोटे के आधार पर राज्याधीन सेवाओं के सीधी भर्ती के पदों पर 04 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकता है।
राज्य में महिला स्पोट्र्स कॉलेज खोलना।	महिला खिलाड़ियों को उनके खेलों में और अधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण एवं साथ–साथ शैक्षिक गतिविधियों को भी बनाये रखने हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में महिला स्पोट्र्स कॉलेज का निर्माण
राज्य खेल विकास संस्थान एवं खेल विज्ञान केन्द्र की स्थापना।	संस्थान की स्थापना से खिलाड़ियों को तकनीकी, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा एवं इस क्षेत्र में शोध कार्य से राज्य के खिलाड़ियों को उनके कौशल विकास में सहायता प्राप्त होगी।
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन	उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया जायेगा।
राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं	राष्ट्रीय खेलों में 34 खेलों में प्रतियोगिताएं देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, गुल्लरभोज, ऋषिकेश, नैनीताल, रूद्रपुर में 14 दिनों तक आयोजित की जायेंगी।
खेलगांव	देहरादून व हल्द्वानी में एक–एक खेलगांव बनाया जाना प्रस्तावित है।
राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विदेशी प्रशिक्षक को अनुबंध के आधार पर तैनात किया जायेगा।
राज्य के खिलाड़ियों को आउट ऑफटर्न नियुक्ति	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के राज्य के खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी–2 से श्रेणी–3 तक आउट ऑफटर्न नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
राज्य के खिलाड़ियों को राज्य परिवहन बसों में प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के दौरान निःशुल्क यात्रा	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता खिलाड़ी राज्य की परिवहन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेगें।
महाविद्यालयों / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 05 प्रतिशत का उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटा प्रदान किये जाने की योजना	इस योजना से राज्य के खिलाड़ी, उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु खेल कोटे के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर पायेगें।

तालिका 24.3

खेल विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रदान किये गये पुरस्कारों का विवरण

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	खेल का नाम	पदक	देय धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
2	राष्ट्रीय स्तर पर पदक	एथलेटिक्स	16	10,64,375.00
		बॉक्सिंग	10	3,80,000.00
		तीरंदाजी	01	1,50,000.00
		कुश्ती	05	87,500.00
		निशानेबाजी	06	4,89,998.00
		कबड्डी	10	78,120.00
		एथलेटिक्स (पैरा)	20	10,93,500.00
		आईस स्केटिंग	02	37,500.00
		क्याकिंग एंडकैनोईंग	29	18,15,625.00
		सेपकटाकरा	03	1,12,500.00
		बैडमिंटन	08	88,250.00
		क्रिकेट	01	13,122.00
		योग	**111**	**54,10,490.00**

स्रोतः खेल विभाग, उत्तराखण्ड

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल
Youth Welfare & PRD

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग राज्य के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी कार्य कर रहा है। प्रदेश में युवाओं के कल्याणार्थ, स्वरोजगार परक प्रशिक्षण, खेल गतिविधियों एवं खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक गतिविधियों में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य हो रहा है। इसी के तहत जिला सैक्टर एवं केन्द्र/राज्य सैक्टर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

24.5 जिला सेक्टर योजनायें :–

24.5.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता– योजना के अंतर्गत न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, विजेता खिलाड़ियों को

राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 174.89 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक ₹ 115.82 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 578 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है।

24.5.2 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन– वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 45.56 लाख की धनराशि स्वीकृति हुई है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 तक वर्तमान तक ₹ 26.89 लाख की धनराशि व्यय कर 349 युवक एवं महिला मंगल दलों, महिला संगठिकाओं, क्षेत्र युवक समिति तथा जिला युवक समिति के प्रोत्साहन/सुदृढ़ीकरण हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

24.5.3 समाजसेवा/सुरक्षा कार्य– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों से समय–समय पर होने वाले मेलों, तीर्थयात्रा, दैवीय आपदाओं, निर्वाचन ड्यूटियों एवं अन्य शासकीय कार्यों के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं समाज सेवा सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। इस हेतु योजना में सामान्य, अनुसूचित जाति व जनजाति योजना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल ₹ 5120.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिससे स्वयं सेवकों को विभिन्न शासकीय कार्यों में तैनात कर उनके मानदेय हेतु ₹ 3439.90 लाख की धनराशि व्यय करते हुए 364588 मानव दिवस सृजित किये गये।

24.5.4 विवेकानन्द यूथ अवार्ड– युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा किय गये उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर अलग–अलग तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर विवेकानन्द यूथ एवार्ड के तहत नगद पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। योजना में वर्ष 2022–23 में कुल ₹ 5.09 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2022 तक ₹ 2.02 लाख धनराशि व्यय करते हुए 198 युवा दलों को यूथ अवार्ड प्रदान किया।

24.5.5 युवा केन्द्र की स्थापना/रख–रखाव– युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण संचालित करने, जनपद में सांस्कृतिक/साहसिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, खेलकूद के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपदों में युवा केन्द्र स्थापित किये जाते हैं। इस योजना में वर्ष 2022–23 में ₹ 19.00 लाख की अवमुक्त धनराशि अवमुक्त के सापेक्ष ₹ 6.47 लाख व्यय किया गया जिससे 6 युवा केन्द्रों में अनुरक्षण आदि कार्य किया गया।

24.5.6 ग्रामीण व्यायामशालाओं का संचालन– इस योजना के अंतर्गत युवाओं के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर व्यायामशालाओं का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2022–23 में स्वीकृत ₹ 22.44 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 4.98 लाख धनराशि व्यय करते हुए 04 व्यायामशालाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

24.5.7 व्यावसायिक प्रशिक्षण– इस योजना में युवाओं, महिला मंगल दलों एवं अन्य लोगों को स्वरोजगार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना में वर्ष 2022–23 में ₹ 63.70 लाख स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 15.67 लाख व्यय करते हुए 137 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

24.5.8 युवा महोत्सव–वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत कुल ₹ 65.20 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान है। जिसके सापेक्ष ₹ 38.70 लाख व्यय करते हुए 21 दलों को लाभान्वित किया गया। विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करवाया गया।

24.6 राज्य / केन्द्र पोषित योजनायें:–

24.6.1 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन– राज्य में दूरस्थ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु' **''खेल महाकुम्भ''** का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से न्याय पंचायत, विकास खण्ड व जनपद स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में प्रत्येक वर्ष औसतन 2.25 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में न्याय पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर लगभग 3.00 लाख खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है। योजनान्तर्गत ₹ 996.54 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। वर्तमान तक ₹ 526.55 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, इससे युवाओं को खेल कोटे के अंतर्गत सेवा में भी लाभ प्राप्त हो रहा है।

24.6.2 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के विकास हेतु खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल निर्माण हेतु ₹ 450.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है जिसके सापेक्ष उधमसिंह नगर, नैनीताल व देहरादून में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है। जिस पर कुल ₹ 171.91 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। मिनी स्टेडियम / खेल मैदान निर्माण हेतु ₹ 1500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। वर्तमान तक कुल 12 खेल अवस्थापनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 38 मिनी स्टेडियम / खेल मैदानों का निर्माण प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 800.808 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 691.695 लाख व्यय किये गये।

24.6.3 राज्य एवं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन– राज्य में युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर पर विजयी प्रतिभागियों एवं सांस्कृतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर युवा महोत्सव में प्रतिभाग करवाया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 520.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। महोत्सव का आयोजन स्वामी विवेकानन्द जी के जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें राज्य के लगभग 450 कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। विजेता टीमों को हुबली–धारवाड़ कर्नाटक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग हेतु भेजा जाएगा।

24.6.4 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना– राज्य में निर्मित खेल मैदानों, मिनी स्टेडियमों, व्यायामशालाओं, बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल के रख–रखाव, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखण्ड में 02 खेल प्रशिक्षक तैनात किये जाने की योजना स्वीकृत की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रत्येक विकासखण्ड में 01 खेल प्रशिक्षक की तैनाती की गयी है। इस हेतु ₹ 115.881 लाख की धनराशि आबंटित की गयी है।

> युवाओं के शारीरिक विकास हेतु मा0 मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा स्वास्थ्य संवर्द्धन केन्द्र योजना प्रारम्भ की गयी है। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत (कुल 7796) में ओपन जिम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में 6878 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम (Parallel & Horizontal Bar) की स्थापना की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में 910 ग्राम पंचायतों में उपकरण स्थापित किये जाने हैं। योजना का क्रियान्वयन युवक / महिला मंगल दलों के माध्यम से किया जायेगा, जिस हेतु प्रति मंगल दल ₹17960 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.6.5 पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को अर्द्ध सैनिकों का प्रशिक्षण– प्रान्तीय रक्षक दल स्वयं सेवकों को 15 दिवसीय अर्द्ध सैन्य पुर्न प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण उपरान्त इन्हें विविध जनोपयोगी कार्य, निर्वाचन कार्य, धार्मिक पर्वों, यात्रा सीजन, मेला एवं आपदा प्रबंधन आदि कार्यों में ड्यूटी उपलब्ध करवा कर रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022–23 में इस योजना में कुल ₹ 9.95 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष लगभग 173 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

राज्य में प्रथम बार 11 दिसम्बर, 2022 को प्रान्तीय रक्षक दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समस्त जनपदों से लगभग 230 पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों द्वारा भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया जिसमें विभागीय मंत्री द्वारा परेड की सलामी ली गयी।

24.6.7 निर्वाचन एवं कुम्भ मेला में पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की तैनाती– वर्ष 2022–23 में हुए चारधाम यात्रा में राज्य के लगभग 2000 पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया, जिसमें उनके द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों का पंजीकरण, सुरक्षा ड्यूटी, विभिन्न चैक पोस्टों में ड्यूटी की गयी। इस हेतु कुल ₹ 1111.377 लाख की धनराशि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी है।

24.6.8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण– राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 95 विकासखण्डों में 1425 तथा समस्त जनपदों में 260 इस प्रकार कुल 1685 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है तथा ₹ 60.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

24.6.9 युवा दलों को आर्थिक सहायता– युवक मंगल दल/महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु शासकीय नीतियों के तहत स्वावलम्बन सम्बन्धी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में कुल ₹ 35.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। इसके सापेक्ष जनपद पिथौरागढ़ के 06, हरिद्वार के 15 एवं उत्तरकाशी के 15 मंगल दलों को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कुल ₹ 20.725 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

24.6.10 महिला मंगल दल/युवक मंगल दलों का क्रियान्वयन– राज्य के सभी मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल स्वावलम्बी योजना प्रारम्भ की गयी। विगत वर्ष योजना के अंतर्गत राज्य के 13531 युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के क्रियान्वयन हेतु उनके बैंक खातों में ₹ 14,268 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 2045 दलों को ₹ 310.280 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

24.6.11 अनुसूचित जाति के युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम– योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2022–23 में ₹ 400.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। शासन से ₹ 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है, इसके सापेक्ष 1880 युवाओं को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट (हैल्थकेयर मल्टीपरपज वर्कर), सेल्फइम्पलॉई डटेलर (कटिंग टेलरिंग–सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण),

असिस्टेन्ट इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर जनरल (प्लम्बिंग एवं फिटिंग) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

24.6.12 अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम निर्माण– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जनजाति योजना में जनपद पिथौरागढ़ के सोसा में मिनी स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून के कालसी में खेल मैदान निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु योजना में ₹ 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

24.6.13 राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य शिविर विशेष कार्यक्रम– इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य को आबंटित 59100 स्वयं सेवियों द्वारा 9 प्रकाष्ठों के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य शिविरों तथा विशेष शिविरों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा एक मुक्त धनराशि एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाती है।

भावी योजनाएं

- ग्राम पंचायत स्तर अथवा विकास खण्ड स्तर पर युवाओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी एक स्थान पर प्राप्त करने एवं मंगल दलों के उपयोगार्थ मिलन केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) की आवश्यकता महसूस की जा रही है अतः विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये जाने का उद्देश्य है।
- उत्तराखण्ड में प्रतिवर्ष आने वाली आपदाओं के मध्येनजर पी0आर0डी0 के युवाओं का एक आपदा राहत दल स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक जिला, तहसील एवं ग्रामों तक प्रथम राहतकर्ता का कार्य करेंगे तथा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित एवं राहत उपकरणों से परिपूर्ण होंगें। प्रारम्भिक रूप से प्रत्येक जनपद में इनकी 20–25 युवाओं की यूनिट गठित की जाएगी।
- ग्रामीण युवाओं को राज्य के विकास एवं गवर्नेंस में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उन्हें संगठित एवं चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित करना आवश्यक है इस हेतु युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण एवं सुदृढ़ीकरण की विस्तृत कार्य योजना पर विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- वर्तमान में विभाग के कार्यों के विस्तार एवं युवाओं के विकास हेतु बढ़ती भूमिका के मध्येनजर विभाग के पास मानव संसाधन की अत्याधिक कमी है। प्रत्येक ब्लॉक में एक मात्र क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 अधिकारी (वी.ओ.) कार्यरत है। को समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु बी0ओ0 के सहायतार्थ स्वयंसेवक/युवा मित्रों की तैनाती का भी प्रस्ताव है।
- युवाओं के सर्वागींण विकास हेतु नयी युवा नीति का निर्माण किया जाना प्रस्तावित।
- दृष्टिपत्र के अनुसार भविष्य में युवा आयोग के गठन हेतु कार्य किया जायेगा।

अध्याय—25
समाज कल्याण
Social Welfare

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की कुल जनसंख्या 10086292 में से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1892516 व अनुसूचित जाति की जनसंख्या 291903 हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 19 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 03 प्रतिशत है।

समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य

समाज कल्याण विभाग का उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, मानसिक रोगी एवं समाज के असहाय व्यक्तियों सहित सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्तियों एवं समूहों को विभिन्न योजनाओं से सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। आश्रित वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि को हर सम्भव सहायता प्रदान करना तथा वित्तीय सहायता (पेंशन, अनुदान, छात्रवृत्ति) और सामग्री सहायता (दिव्यांगों तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिये उपकरण आदि) राज्य की लक्षित आबादी को प्रदान करना है। समाज में व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर कर वंचित वर्ग को सामान्य वर्ग के स्तर पर लाना है।

राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्गों के अन्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं असहाय, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों एवं महिलाओं हेतु संचालित की जा रही है, जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्नानुसार हैः—

25.1 समाज कल्याण पेंशन योजनाएंः— विभाग द्वारा वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, किसान पेंशन एवं दिव्यांग भरण—पोषण अनुदान योजना संचालित की जा रही हैं, जिसकी दिसम्बर, 2022 तक की प्रगति चार्ट 25.1 एवं 25.2 में निम्न प्रकार हैः—

चार्ट 25.1

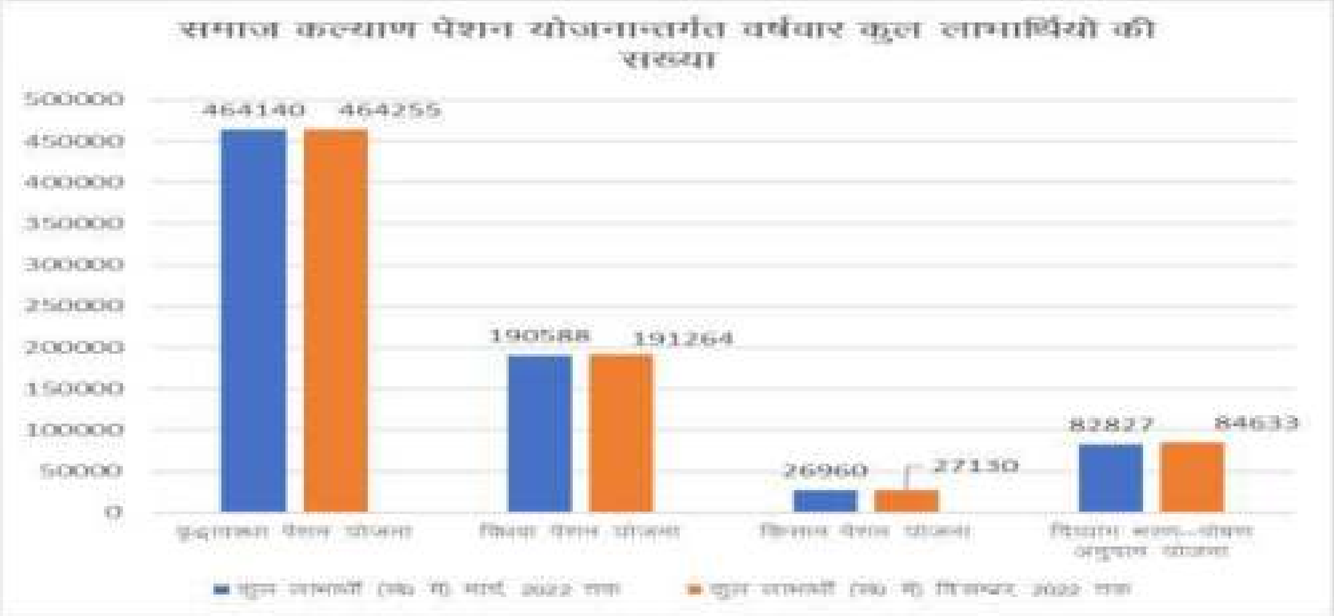

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 25.2

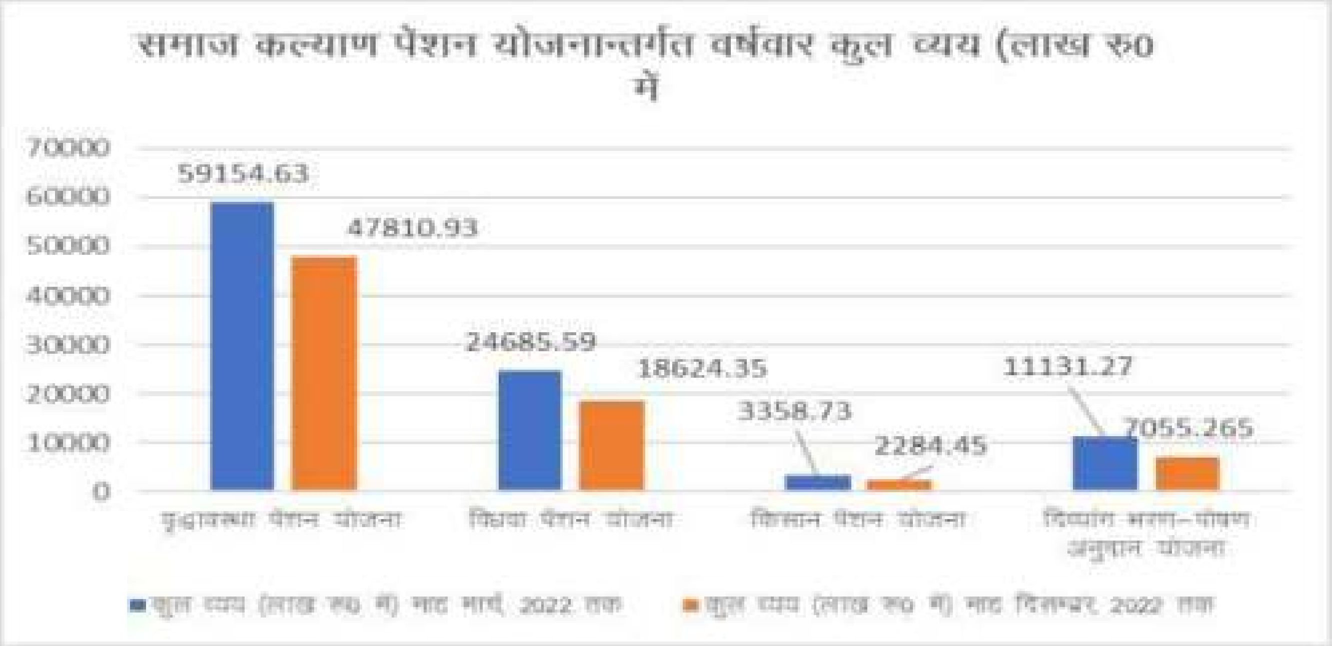

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.2 अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाएंः– अनुसूचित जाति हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं की स्थिति तालिका 25.1 में दर्शायी गयी है–

तालिका 25.1

क्र0 सं0	योजना का नाम	कुल लाभार्थी (सं0 में)	व्यय धनराशि लाख ₹ में	छात्रों द्वारा वर्ष 2021–22 में ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या
1	अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना	61705	473.65	95508
2	अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 09 व 10 छात्रवृत्ति योजना	14368	431.365	16344
3	अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	27650	2037.04	39792

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

छात्रवृत्ति हेतु वर्ष 2022–23 में छात्रों द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण किया गया। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है, तदोपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.3 अनुसूचित जाति के लिए अन्य योजनाएंः–

25.3.1 अटल आवास योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी0पी0एल0 तथा ₹ 32,000 वार्षिक अथवा इससे कम आय वाले आवासविहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ₹ 38,500 एवं मैदानी क्षेत्रों में ₹ 35,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह–मार्च 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 12.29 लाख की धनराशि व्यय कर 32 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। शासनादेश संख्या 1329/XVII-2/22-19(01)2019 दिनांक 18 नवम्बर 2022 के द्वारा आवास की आगत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु

₹ 1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹ 1,20,000 निर्धारित कर दी गई है तथा परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से ₹ 48,000 वार्षिक अथवा इससे कम होगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 200 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है।

25.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– शासनादेशानुसार निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनान्तर्गत 8 कोचिंग संस्थानों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया है। छात्र–छात्राओं से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 11 जनवरी, 2022 निर्धारित की गयी थी। निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष 380 छात्र/छात्राओं का चयन कर चयनित कोचिंग संस्थानों को आवंटित कर दिनांक 02.05.2022 से कोचिंग कक्षाऐं संचालित कर दी गयी हैं।

25.3.3 आवर्तक/अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वर्तमान में विभाग द्वारा 10 विद्यालय एवं 2 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 05 आर्वतक तथा 05 अनावर्तक अनुदान के अन्तर्गत अनुदानित हैं। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक ₹ 254.75 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–दिसम्बर, 2022 तक ₹ 22.77 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.4 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालनः– विभाग द्वारा वर्तमान में 15 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र की पंजीकृत क्षमता 696 है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 473.29 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 251.51 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–दिसम्बर, 2022 तक ₹ 212.27 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.5 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः– विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 354.29 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 280.65 लाख की धनराशि व्यय की गई है। वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत 456 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ₹ 373.01 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह– दिसम्बर, 2022 तक ₹ 211.91 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

25.3.6 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 3000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक ₹ 2929.68 लाख की धनराशि से 348 योजनाये स्वीकृत की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 2929.68 लाख का बजट प्राविधान किया गया, माह–दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1056.18 लाख की धनराशि से 136 योजनायें स्वीकृत की गयी।

25.3.7 आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापनाः– अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु जनपद हरिद्वार में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजनार्न्तगत ₹ 146.70 लाख की धनराशि व्यय कर 140 बालकों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–दिसम्बर 2022 तक योजनार्न्तगत ₹ 113.62 लाख की धनराशि व्यय कर 139 बालकों को लाभान्वित किया गया है।

25.3.8 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY):— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित ''प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना'' (PMAGY) का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड राज्य हेतु 500 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गाँव, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो, का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है, जिससे सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सभी अवसंरचना एवं सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार हो। इन ग्रामों में वह सब ऐसी बुनियादी सेवाओं की सुविधाऐं मिलेंगी जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसा वातावरण मिले ताकि वह अपनी संभाव्यताओं को पूरा उपयोग कर सके। इस प्रकार योजना में आच्छादित ग्रामों को एक **''आदर्श ग्राम''** के रूप में स्थापित करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिए अन्तर–पाटन (Gap-Filling) निधि के रूप में ₹ 20.00 लाख तथा प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों हेतु ₹ 1.00 लाख (केन्द्र, राज्य, जिला व ग्राम का भाग 1:1:1:2), कुल ₹ 21.00 लाख निर्धारित है। वर्ष 2021–22 से यह योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अन्तर्गत आच्छादित हो गयी है।

प्रदेश के कुल 292 गांव उक्त योजना में चयनित हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत मानकों में शिथिलता प्रदान करते हुए 500 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गॉव, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या हो, को वर्तमान वित्तीय चक्र 2021–22 से 2024–25 के तहत कुल 98 ग्रामों को चिन्हित् किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु चयनित ग्रामों में से जनपद नैनीताल के ग्राम–चन्द्रनगर, सारना, ल्वेसाल, दीनी मल्ली, दीनी तल्ली, कुरिया गांव तथा जनपद देहरादून से ग्राम– बावनधार को ऑन लाईन आदर्श ग्राम घोषित किये गये हैं।

25.4 अनुसूचित जनजाति कल्याण छात्रवृत्ति योजनायें:—

25.4.1 कक्षा 01 से 08 तक छात्रवृत्ति:— वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत ₹ 12.55 लाख की धनराशि व्यय कर 1618 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु योजनान्तर्गत ₹ 300.00 लाख की धनराशि का बजट प्राविधान स्वीकृत है, जिससे अनुमानित 13000 छात्र/छात्रों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

25.4.2 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास हेतु योजना (कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति):— अनुसूचित जनजाति के कक्षा 09 व 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत शासन से प्राप्त कुल ₹ 42.62 लाख को कोशागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से ₹ 29.05 लाख की धनराशि व्यय कर 1284 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शासन से प्राप्त कुल ₹ 506.36 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से ₹ 255.50 लाख की धनराशि व्यय कर 3737 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है।

25.5 अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाएं:—

अनुसूचित जनजाति के लिए विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न शैक्षिणक संस्थाओं में वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह दिसम्बर, 2022 तक) पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या तालिका 1 में प्रदर्शित है।

तालिका 25.3

क्र0 सं0	योजना का नाम	लाभान्वित छात्र / छात्राओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022	लाभान्वित छात्र / छात्राओं की संख्या वित्तीय वर्ष 2022–23 (माह दिसम्बर, 2022 तक)
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन	2007	2044
2	राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालन	197	202
3	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	381	376
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालन	638	752

स्रोतः जनजाति कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।

25.5.1 अटल आवास योजनाः– योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या 1329 / XVII–2 / 22–19(01) / 2019 दिनांक 18.11.2022 द्वारा योजना हेतु आवेदक की वार्षिक आय सीमा ₹ 32,000.00 से वृद्धि कर ₹ 48,000.00 की गई है एवं आवास की लागत पर्वतीय क्षेत्रों हेतु ₹ 38,500.00 से वृद्धि कर ₹ 1,30,000.00 तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु ₹ 35,000.00 से वृद्धि कर ₹ 1,20,000.00 की गई है। अनुसूचित जनजातियों हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में 390 लाभार्थियों के लिए ₹ 150.00 लाख का बजट प्राविधान था। जनपदों से मांग प्राप्त कर धनराशि व्यय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

25.5.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालनः– योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में उक्त योजनान्तर्गत 8 कोचिंग संस्थानों का चयन शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा किया गया है। छात्र–छात्राओं से आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु तिथि दिनांक 17 जनवरी, 2022 निर्धारित की गयी थी। छात्र–छात्राओं के प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुरूप सम्बन्धित छात्र–छात्राओं को कोचिंग केन्द्र आंवटित कर जनपद देहरादून के लिए 182 छात्र / छात्राओं हेतु ₹ 41,13,500.00 एवं जनपद नैनीताल के लिए 37 छात्र / छात्रों हेतु ₹ 12,24,000.00 की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में आंवटित की गई है एवं जिसके व्यय की कार्यवाही जनपद स्तर पर गतिमान है।

25.5.3 आवर्तक / अनावर्तक अनुदान पर संचालित प्राईमरी पाठशालाओं, पुस्तकालय हेतु अनुदानः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर्वतक अनुदान पर संचालित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हेतु ₹ 235.65 लाख की धनराशि व्यय की गयी है तथा संचालित 25 प्राईमरी पाठशालाओं एवं 1 जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान किया गया है।

25.5.4 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालनः– अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं हेतु वर्तमान में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत कुल छात्र / छात्राओं की पंजीकृत क्षमता 3055 है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹ 1837.99 लाख की धनराशि व्यय कर 2007 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 1883.67 लाख की धनराशि

व्यय कर कुल 2044 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.5 राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों का संचालनः— अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में 05 बालक/बालिका राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कुल छात्र/छात्राओं की स्वीकृत क्षमता 250 है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 142.54 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 197 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 134.33 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 202 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.6 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानः— अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा वर्तमान में 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक कुल ₹ 356.22 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 381 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 325.24 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 376 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

25.5.7 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः— योजनान्तर्गत 03 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 69.68 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष व्यय की कार्यवाही प्रचलित है।

25.5.8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का संचालनः— राज्य में पूर्व से संचालित तीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021—22 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के ग्राम महरावना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्याालय संगठन समिति के खाते में धनराशि हस्तान्तरित की जाती है एवं माह मार्च, 2022 तक 638 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 752 विद्यार्थी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पंजीकृत है।

25.5.9 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकासः— योजनान्तर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु योजनायें सचांलित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 275.38 लाख की धनराशि व्यय कर 32 योजनाऐं क्रियान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2022—23 में दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 226.70 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष ₹ 18.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.10 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः— विभागान्तर्गत 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 275.38 लाख की धनराशि व्यय कर 32 योजनाऐं क्रियान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 211.76 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष ₹ 33.19 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.5.11 राजकीय जनजाति छात्रावासों में अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरणः—

योजनान्तर्गत 05 जनजाति छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में मार्च, 2022 तक कुल ₹ 43.37 लाख की धनराशि व्यय कर 02 योजनाऐं क्रियान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 98.20 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष व्यय की कार्यवाही प्रचलित है।

25.5.12 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायताः– अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायतित योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में शासन से प्राप्त कुल ₹ 180.65 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के क्रियान्वयन पर ₹ 180.65 लाख की धनराशि व्यय की गई। चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 306.02 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई जिसके सापेक्ष व्यय की कार्यवाही प्रचलित है।

25.5.13 जनजातियों के लिए जनजाति उप योजनाः– योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में शासन से प्राप्त कुल ₹ 154.59 लाख को कोषागार से आहरित कर योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक में खोले गए Single Nodel Account में जमा किया गया है तथा Public Financial Management System के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं क्रियान्वयन पर ₹ 154.59 लाख की धनराशि व्यय की गई।

25.6 अल्पसंख्यक कल्याण

25.6.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत राज्य सहायतित) अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 10 तक निम्न मानकों/दरों के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। :–

अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा–1 से 10 तक के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की योजना वर्ष 1995–96 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अंतर्गत इस समुदाय के ऐसे सभी छात्रों जिनके अभिभावकों की आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुना से अधिक नहीं हो, को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से यह योजना पूर्णतः आनलाईन संचालित की जा रही है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से किया जायेगा।

तालिका 25.4

वर्ग	छात्रवृत्ति के मानक			अवधि (अधिकतम)
अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति	कक्षा	दर प्रतिमाह	माता–पिता की आय सीमा	
	1–5	₹50/-	गरीबी की रेखा के दुगनी आय तक वार्षिक आय	12 माह
	6–8	₹ 80/-		12 माह
	9–10	₹120/-		12 माह

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 25.5

क्र0 सं0	वर्ष	कुल छात्र संख्या	अवमुक्त धनराशि (₹ करोड में)
1.	2017-18	38477	2.99
2.	2018-19	9865	0.80
3.	2019-20	3347	0.30
4.	2020-21	337	0.027
5.	2021-22	49	0.048

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.6.2 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100% के0स0):– भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की कुल आय ₹ 2.50 लाख (वार्षिक) से अधिक न हों एवं जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के प्राविधिक एवं व्यवसायिक कोर्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, के लिये किया गया है। छात्र/छात्रा का 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

तालिका 25.6
छात्रवृत्ति की दरें

क्र0 सं0	वित्तीय सहायता का प्रकार	हॉस्टलर दर	दिवा स्कालर दर
1.	भरण–पोषण भत्ता (केवल 10 माह के लिए)	₹10,000/– प्रतिवर्ष (₹1000 प्रतिमाह)	₹5,000/– प्रतिवर्ष (₹500 प्रतिमाह)
2.	पाठ्यक्रम शुल्क	₹20,000/–प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो	₹20,000/–प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो
कुल		₹30,000/–	₹25,000/–

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका 25.7

वर्ष	अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2017-18	395	577	1.68
2018-19	438	524	1.37
2019-20	438	453	1.16
2020-21	438	492	1.39
2021-22	438	658	1.69

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 438 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 697 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसकी ऑनलाईन स्क्रुटनी का कार्य गतिमान। भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.6.3 अल्पसंख्यक छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100% के0स0):– भारत सरकार द्वारा इस छात्रवृत्ति का प्रारम्भ वर्ष 2007 से अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राऐं, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख से अधिक न हो, एवं जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान से कक्षा 11 से पी0एच0डी0 स्तर तक की शिक्षा तथा इण्टरमीडिएट स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान डी.बी.टी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भारत सरकार स्तर से किया जा रहा है।

तालिका 25.8
छात्रवृत्ति की दरें

क्र0 सं0	मद	हॉस्टलवासी	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम ₹7,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹7,000 प्रतिवर्ष
2.	कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम ₹10,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹10,000 प्रतिवर्ष
3.	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम ₹3,000 प्रतिवर्ष	वास्तविक, अधिकतम ₹3,000 प्रतिवर्ष
4.	एक शैक्षिक वर्ष में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)		
	(i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	₹380 प्रतिमास	₹230 प्रतिमास
	(ii) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।	₹570 प्रतिमास	₹300 प्रतिमास

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के गठन के पश्चात् योजना के अन्तर्गत वितरित की गयी धनराशि एवं लाभान्वित छात्र/छात्राओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका 25.9

वर्ष	अल्पसंख्यक दशमोत्तर छात्रवृत्ति		
	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
2017-18	3288	4102	3.12
2018-19	3646	2830	2.30
2019-20	3646	3892	2.95
2020-21	3646	4604	3.35
2021-22	3646	5296	3.85

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु 3646 का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 5934 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसकी ऑनलाईन स्क्रुटनी का कार्य गतिमान। भारत सरकार स्तर से योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि डी.बी.टी के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बचत खातों में हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

25.6.4 प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना (पूर्व नाम एम.एस.डी.पी) (90% के0स0) (PMJVK): इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार लाना और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 2300 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष ₹ 63.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्तमान में PHC Piran Kaliyar, Haridwar, DWS Dhakiyakala USN, GIC Kelabanwari, USN, Polytechnic Bhalaswaganj, Haridwar, DWS Horowala, Dehradun, CSC Shahpur, Haridwar, Polytech Jassowala, Dehradun, PG College Dakpatthar, Dehradun & GGIC Gajrola, USN कार्य निर्माणाधीन हैंः–

25.6.5 अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापनाः– अल्पसंख्यक क्षेत्रों में उनकी मॉग के अनुरूप अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने, आर्थिक/शैक्षिक विकास करने हेतु अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष ₹ 4.00 करोड की धनराशि आवंटित किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹ 5.00 करोड की धनराशि से मुख्य रूप से मदरसों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल, फर्नीचर तथा ईदगाह की चाहर–दिवारी, आदि मदों में प्राविधानित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹ 6.00 करोड के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन प्रेषित किये गये हैः–

तालिका 25.10

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक विकास निधि	प्राविधान	व्यय धनराशि
2017-18	300.00	220.77
2018-19	300.00	300.00
2019-20	300.00	295.51
2020-21	300.00	300.00
2021-22	300.00	293.43

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.6.6 अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष अनुदानः– अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों की मेधावी बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/मदरसा बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष मुंशी/मौलवी एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष आलिम परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को विशेष अनुदान दिये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से नयी योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत मेधावी बालिकाओं को निम्नप्रकार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगीः–

तालिका 25.11

परीक्षा का स्तर	60 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹	70 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹	80 प्रतिशत या अधिक प्राप्ताकों पर देय धनराशि ₹
हाई स्कूल या मुंशी या मौलवी	₹ 10000.00	₹ 15000.00	₹ 20000.00
इण्टरमीडिएट	₹ 15000.00	₹ 20000.00	₹ 25000.00

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका 25.12

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2017-18	65.00	64.85	435
2018-19	100.00	98.95	589
2019-20	190.00	189.15	1235
2020-21	214.65	213.60	1381
2021-22	200.00	196.95	978
2022-23	300.00	183.25	1100

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में व्यय की कार्यवाही की जा रही है।

25.6.7 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्यः अल्पसंख्यक क्षेत्रों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण, बारात घर, पेयजल सुविधा, धार्मिक स्थलों पर अवस्थापना संबंधी कार्यो आदि के लिए कार्य उक्त योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती हैं।

तालिका 25.13

धनराशि लाख ₹ में

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य	प्राविधान	व्यय धनराशि/ अवमुक्त	योजनाऐं
2017-18	100.00	76.69	10
2018-19	200.00	200.00	15
2019-20	400.00	345.50	35
2020-21	500.00	494.05	85
2021-22	300.00	-	-
2022-23	300.000	211.31	10

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹ 1183.13 लाख के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये है।

25.6.8 कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी योजनाः– राज्य में कुल 758 कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हैं। उक्त योजना का कब्रिस्तानों की अतिक्रमण से सुरक्षा हेतु चारदिवारी निर्माण कार्य करते हुए पेयजल तथा बिजली आदि की समुचित व्यवस्था किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। उक्त योजना प्रारम्भ में त्रिवर्षीय योजना थी। योजना का कार्यकाल समाप्त होने के दृष्टिगत योजना को अग्रेत्तर वर्षो के लिए बढाये जाने का प्रकरण गतिमान है।

तालिका 25.14

कब्रिस्तान की चाहर–दिवारी योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि /अवमुक्त	योजनाऐं
2017-18	1000.00	-	-
2018-19	1000.00	944.41	25
2019-20	1000.00	-	-
2020-21	1000.00	874.54	30
2021-22	1000.00	217.55	-

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.6.9 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनाः– उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान किये जाने के लिए मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था हैंः–

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु :–

1. प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त तैयारी हेतु ₹ 75000/मात्र।

2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹ 25000/– मात्र।

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं उच्च न्यायिक सेवा एवं प्रान्तीय सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा हेतु :–

उक्त परिक्षाओं में सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगीः–

1. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण करके मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरान्त ₹ 60,000/–मात्र।

2. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त साक्षात्कार की तैयारी हेतु ₹ 20,000/– मात्र।

तालिका 25.15

धनराशि लाख ₹ में

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना	प्राविधान	व्यय धनराशि	लाभान्वित
2017-18	10.00	5.70	13
2018-19	10.00	-	-
2019-20	10.00	10.00	18
2020-21	10.00	0.20	01
2021-22	10.00	0.30	01
2022-23	10.00	7.80	15

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.6.10 आवर्तक अनुदान सूची पर चल रहे मदरसों को वेतन हेतु अनुदानः– इस योजनान्तर्गत उन मदरसों, जिन्हें आवर्तक अनुदान सूची के अंतर्गत लिया गया है, में कार्यरत अधिकतम 15 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत मदरसा अरबिया रहमानिया, रुड़की (हरिद्वार) में संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत ₹ 80.00 लाख की धनराशि जारी की गयी है जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 67.68 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

25.6.11 वक्फ अधिकरण (वक्फ ट्रिबुनल)

राज्य में वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु सम्पत्तियों का सर्वेकार्य कराये जाने हेतु सर्वे कमिश्नर (सचिव, राजस्व) की तैनाती की गयी है। राज्यन्तर्गत वर्तमान में 02 वक्फ अधिकरण (गढवाल एवं कूमायूँ मण्डल) कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत ₹ 64.38 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 20.60 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड राज्य मे राज्य हज कमेटी मे वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं हज यात्रा पर गये हाजियों की संख्या का विवरण

तालिका 25.17

क्र.स.	वर्ष	आवंटित कोटा	प्राप्त आवेदन पत्र	हज हज यात्रा पर गये आवेदक
1	2018	1220	4100	1293
2	2019	1232	3019	1555
3	2020	1278	2516	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2020 निरस्त।
4	2021	कोटा निर्धारित नहीं किया गया	710	कोविड–19 महामारी के कारण हज यात्रा–2021 निरस्त।
5	2022	607	742	564

स्रोतः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.7 दिव्यांग कल्याण

25.7.1 दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाः— कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता—पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2021—22 में ₹ 10.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 तक 62 छात्रों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण किया गया। वर्तमान में छात्र / छात्राओं के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है, तदोपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.7.2 दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग हेतु अनुदानः— दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में ₹ 75.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 19.62 लाख की धनराशि व्यय कर 714 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022—23 में ₹ 75.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है, माह दिसम्बर 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 0.75 लाख की धनराशि व्यय कर 23 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.3 दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाः— दिव्यांग दम्पत्तियों को विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में शारीरिक रुप से स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप ₹ 25000 की धनराशि दिव्यांग दम्पति को प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 15.50 लाख की धनराशि व्यय कर 62 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह—दिसम्बर 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 2.50 लाख की धनराशि व्यय कर 10 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया है।

25.7.4 दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कारः— प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्कृष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों, दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी, स्वतः रोजगार में रत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांग सेवायोजकों तथा प्लेसमेंट अधिकारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर **"विश्व दिव्यांग दिवस"** के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, मैडल एवं ₹ 5000/— की धनराशि नकद दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में योजनान्र्तगत 4.50 लाख की धनराशि व्यय कर 32 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह—दिसम्बर 2022 तक योजनान्र्तगत ₹ 8.15 लाख की धनराशि व्यय कर 32 दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया।

25.7.5 सुगम्य भारत अभियानः— यह योजना मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रारम्भ की गयी है। राज्य में यह योजना सुगम्य उत्तराखण्ड अभियान के नाम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल आदि को दिव्यांगजनों की सुविधानुसार सुगम्य बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत चिन्हित 26 शासकीय भवन / कार्यालयों की Retrofitting तथा दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान समय तक इस योजनान्तर्गत ₹ 165.625 लाख की धनराशिव्यय कर 09 शासकीय भवनों को सुगम्य बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 07 अन्य शासकीय भवनों को सुगम्य बनाये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 223.77 लाख की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून को जारी कर दी गयी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित SIPDA योजनान्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के 44 पर्यटक विश्राम गृहों को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाये जाने हेतु ₹ 280.28 की धनराशि जनपदों को आवंटित की गयी है।

25.8 महिला कल्याण

25.8.1 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजनाः— इस योजना के अन्र्तगत वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक ₹ 604.55 लाख की धनराशि व्यय कर 5313 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह—दिसम्बर 2022 तक ₹ 545.366 लाख की धनराशि व्यय कर 5684 दिव्यांगों को पेंशन प्रदान की गयी है।

25.8.2 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः— वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक योजनार्न्तगत ₹ 386.50 लाख की धनराशि व्यय कर 773 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह—दिसम्बर 2022 तक योजनार्न्तगत 103.50 लाख की धनराशि व्यय कर 207 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.8.3 अनुसूचित जाति के परिवारों को पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदानः— वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह मार्च, 2022 तक योजनार्न्तगत ₹ 1813.50 लाख की धनराशि व्यय कर 3627 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में माह दिसम्बर, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 505.50 लाख की धनराशि व्यय कर 1011 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.8.4 अनुसूचितयों जनजातियों की पुत्रियों की शादी हेतु सहायताः— योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जिनकी आय सीमा ₹ 15,000.00 वार्षिक हो/बी.पी.एल. श्रेणी/अन्त्योदय कार्ड धारक हो, की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान ₹ 50,000.00 एक पुत्री के विवाह हेतु प्रदान की जाती है। वर्ष 2021—22 में आय सीमा ₹ 15,000.00 से बढाकर ₹ 48,000.00 वार्षिक कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में मार्च, 2022 तक ₹ 489.50 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 979 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 हेतु जनपदों को ₹ 550 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

25.9 पिछड़ी जाति कल्याण

25.9.1 पिछड़ी जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाः— इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पारदर्शिता के दृष्टिगत योजना ऑनलाईन संचालित की जा रही है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह—मार्च 2022 तक ₹ 2.57 लाख की धनराशि व्यय कर गत वर्ष के 171 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से करने के निर्देश प्राप्त हुये थे, किन्तु माह मार्च 2022 में PFMS Portal तकनीकि समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी, जिसका भुगतान माह अप्रैल 2022 में PFMS Portal के माध्यम से कर ₹ 112.08 लाख की धनराशि व्यय कर 7411 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 तक 13663 छात्रों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण किया गया। वर्तमान में छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है, तदोपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.9.2 पिछड़ी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्तिः— इस योजना में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृति प्रदान की जाती है। छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 1.50 लाख निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में छात्रवृत्ति का वितरण PFMS Portal के माध्यम से करने के निर्देश प्राप्त हुये थे, किन्तु माह मार्च 2022 में PFMS Portal तकनीकि समस्या के कारण भुगतान की कार्यवाही नहीं की जा सकी थी, जिसका भुगतान माह अप्रैल 2022 में PFMS Portal के माध्यम से कर ₹ 740.77 लाख की धनराशि व्यय कर 5350

छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 तक 16590 छात्रों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण किया गया। वर्तमान में छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है, तदोपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.10 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं

25.10.1 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– इस योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000/– की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। जिसमें आयु सीमा 18 से 59 वर्ष रखी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में 3650 अनुमानित लाभार्थियों को सहायता राशि दिये जाने हेतु ₹ 731.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। माह मार्च, 2022 तक योजना में ₹ 106.00 लाख की धनराशि व्यय कर 530 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह–दिसम्बर 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 198.20 लाख की धनराशि व्यय कर 991 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

25.10.2 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़नः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मार्च, 2022 तक योजना में ₹ 11.20 लाख की धनराशि व्यय कर 103 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक योजनान्तर्गत ₹ 157.51 लाख की धनराशि व्यय कर 101 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

25.10.3 डॉ0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः– दशमोत्तर कक्षाओं में पढने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावको की वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख से अधिक नहीं है को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति दरों के समान ही छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह–मार्च 2022 तक ₹ 180.99 लाख की धनराशि व्यय कर 1203 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में छात्रवृत्ति आवेदन हेतु अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 तक 5629 छात्रों द्वारा ऑनलाईन पंजीकरण किया गया। वर्तमान में छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया गतिमान है, तदोपरान्त छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

25.10.4 मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं के सेवन से बचाव योजना (NAPDDR):– भारत सरकार द्वारा मादक द्रव्य और नशीली दवाओं के सेवन से बचाव हेतु NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR) योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करना है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, कार्यस्थल और समाज के बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को कम करना, पर्याप्त अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रलेखन और प्रासंगिक जानकारी देना है। वर्तमान में प्रदेश के दो जनपदों क्रमशः जनपद नैनीताल एवं देहरादून को योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया है। जिस हेतु ₹ 150.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। उक्त जनपदों को योजना के संचालन हेतु जनपद देहरादून एवं नैनीताल को क्रमशः ₹ 15.00 एवं ₹ 7.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

25.11 समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाऐंः–

25.11.1 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजना/प्रस्ताव (NAPSrC):– भारत सरकार द्वारा प्रायोजित National Action Plan For Welfare of Senior Citizens (NAPSrC) के अर्न्तगत वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य कल्याण के दृष्टिगत State Action Plan For Welfare of Senior Citizens (SAPSrC) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु

राज्य कार्ययोजना संचालित की जा रही है। उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु राज्य कार्ययोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹ 94.24 लाख की धनराशि से वृद्धजनों के कल्याणार्थ निम्नलिखित 3 योजनायें/कार्यक्रम स्वीकृत किये गये हैं–

- Mobile Medicare Unit for Senior Citizens
- Physiotherapy Clinics for Senior Citizens
- Training to Geriatric Caregivers & Health Care and Capacity Building Programmes

उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन स्वैच्छिक संस्था हैल्पएज इण्डिया नई दिल्ली एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास समीति,रानीचौरी टिहरी गढ़वाल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 25.17

क. स.	योजना/कार्यक्रम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संस्था	राज्य कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत योजना/कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम का स्थान	कार्यक्रमों के अर्न्तगत लाभान्वित वृद्वजानों की संख्या
1	हैल्पएज इण्डिया नई दिल्ली।	Mobile Medicare Unit for Senior Citizens	जनपद नैनीताल (हल्द्वानी)	172 कैम्प में 3982 वृद्धजन लाभान्वित।
2	हैल्पएज इण्डिया नई दिल्ली।	Mobile Medicare Unit for Senior Citizens	जनपद देहरादून।	220 कैम्प में 4117 वृद्धजन लाभान्वित।
3	हैल्पएज इण्डिया नई दिल्ली।	Physiotherapy Clinics for Senior Citizens	जनपद नैनीताल (हल्द्वानी)	2994 वृद्धजन लाभान्वित।
4	हैल्पएज इण्डिया नई दिल्ली।	Physiotherapy Clinics for Senior Citizens	जनपद देहरादून।	3525 वृद्धजन लाभान्वित।
5	ग्रामीण क्षेत्र विकास समीति,रानीचौरी टिहरी गढ़वाल।	Training to Geniatric Caregivers & Health Care and Capacity Building programmer	जनपद नैनीताल (हल्द्वानी)	1200 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित।
6	ग्रामीण क्षेत्र विकास समीति,रानीचौरी टिहरी गढ़वाल।	Training to Geniatric Caregivers & Health Care and Capacity Building programmer	जनपद देहरादून।	1200 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित।

स्रोतः समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

25.11.2 उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठ नागरिकों हेतु ''एल्डर हैल्पलाईन'' (14567):– वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं समस्याओं के त्वरित निदान हेतु राज्य स्तर पर ''एल्डर हैल्पलाईन'' (14567) की स्थापना आई0टी0पार्क एस0टी0पी0 आई0 कमरा नं0 1 देहरादून में की गयी है। राज्य के वृद्धजनों द्वारा ''एल्डर हैल्पलाईन'' (14567) पर निशुल्क फोन करके अपनी समस्या से अवगत कराया जाता है तथा एजेंसी द्वारा जनपद स्तर पर नियुक्त फील्ड ऑफिसर की सहायता से वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं/स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पेंशन, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य सम्बंधी, निराश्रित वृद्धों को वृद्धाश्रमों में प्रवेश, अपने परिवार से बिछड़े लोगों को मिलाना, काउन्सिलिंग करना, वृद्धजनों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, वरिष्ठ नागरिक एवं माता–पिता भरण पोषण केन्द्रीय अधिनियम 2007 एवं उत्तराखण्ड वरिष्ठ नागरिक एवं माता–पिता भरण पोषण नियमावली 2011 की जानकारी आदि सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में एल्डर हैल्पलाईन 14567 पर कुल 374 वरिष्ठ नागरिकों द्वारा शिकायतें दर्ज करायी गयीं, जिसके सापेक्ष 353 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा 21 शिकायतों के सम्बन्ध मे कार्यवाही गतिमान है।

25.11.3 वृद्धजनों हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्यः— उत्तराखण्ड राज्य में निराश्रित वृद्धजनों के सामाजिक, स्वास्थ्य, रहन—सहन, खानपान एवं मनोरंजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जनपद—उत्तरकाशी में 24 वृद्धजनों की क्षमता का ₹ 165.97 लाख की धनराशि से आवासीय वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है। वृद्धाश्रम का संचालन वित्तीय वर्ष 2022—23 से कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद देहरादून में ₹ 499.55 लाख की धनराशि से वृद्धाश्रम का निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹ 134.03 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को जारी कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, भवन का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय किश्त हेतु ₹ 113.97 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था का जारी करने की कार्यवाही गतिमान है।

25.11.4 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (Unique Disability ID (UDID):— विभाग द्वारा प्रदेश के 89830 दिव्यांगजनों के आवेदन ऑनलाईन पंजीकृत कर अद्यतन 77491 दिव्यांगजनों के यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाये गये हैं।

25.11.5 मानसिक रूप से उपचारित या अवयोजन पुरुषों/महिलाओं एवं बालक/बालिकाओं के लिए गृहों का निर्माणः— वित्तीय वर्ष 2021—22 में योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में ₹ 187.40 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गयी है। जिसे वित्तीय वर्ष 2023—24 में पूर्ण कर विभाग को हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है।

25.12 उत्तराखण्ड बहुउदेशीय वित्त एवं विकास निगम लि0

25.12.1 स्वतः रोजगार योजना (अनुसूचित जाति):— वित्तीय वर्ष 2022—23 में इस योजना के अन्तर्गत वार्षिक भौतिक लक्ष्य 886 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 632 लाभार्थियों को वित्त पोषित करते हुए अनुदान ₹ 62.40 लाख, मार्जिनमनी ऋण ₹ 21.87 लाख एवं ₹ 345.63 लाख बैंक ऋण वितरित किया गया है।

25.12.2 शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजनाः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में इस योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 56 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹ 21.87 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की गई है। दुकानों का कार्य निर्माणाधीन है।

25.12.3 अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजनाः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्य 100 के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 56 लाभार्थियों को वित्त पोषित किया गया है, जिसमें अनुदान मद में ₹ 5.60 लाख बैंक ऋण ₹ 19.30 लाख वितरित कियाा गया है।

25.12.4 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना (प्रशिक्षण):— वित्तीय वर्ष 2022—23 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक अनुसूचित जाति के कुल 1350 व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है। गत वर्ष के स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 36.00 लाख व्यय किया गया।

25.12.5 कौशल वृद्धि योजनाः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में कौशल वृद्धि योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कुल 160 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए ₹ 6.55 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

25.12.6 शिल्पी ग्राम योजनाः— वित्तीय वर्ष 2022—23 में इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक अनुसूचित जाति के 3500 व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति के 1500 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु जनपदों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चयन की कार्यवाही गतिमान है। विगत वर्ष में स्वीकृति अनुसूचित जाति प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 13.41 लाख एवं अनुसूचित जनजाति में विगत वर्ष में स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर माह दिसम्बर, 2022 तक ₹ 3.60 लाख व्यय किया गया।

ई–सुशासन

अध्याय–26
सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी
Science and Information Technology

सामान्य विवरणः–शासकीय कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अर्थात ई–शासन की अवधारणा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लायी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं हेतु एक उपयोगी अवधारणाओं में से एक बन गई है।

शासकीय कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा जहां एक ओर शासकीय कार्यों में जवाबदेही, पारदर्शिता, कार्य दक्षता एवं नागरिक सहभागिता में वृद्धि हुयी है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी क्षीण किया है।

26.1 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 (Information Technology Policy)–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है।

26.2 साईबर सुरक्षा (Cyber Security)–राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP), एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert, एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics – Information Technology (MeitY) के दिशा– निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड़ तक के साईबर सम्बन्धित मामलों को निपटाने में सहयोग किया जायेगा। साईबर हमलों से निपटने तथा सुरक्षा के लिये क्रमशः Incident Response Mechanism तथा Application Security & Audit से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) जारी की जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों हेतु CERT-UTK की वेबसाइट बनाई जायेगी। राज्य की साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में Cyber Security Center for Excellence (CCOE) बनाये जाने का कार्य गतिमान है। राज्य में नागरिकों को साईबर सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता के उदेश्य से Chatbot (Cyber Doot) एवं गाँव स्तर तक जागरूकता हेतु CSC के साथ MoU (अनुबंध) की प्रक्रिया गतिमान है।

26.3 ई–शासन (E-Governance)– राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, ई–डिस्ट्रिक्ट, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी। ई–शासन के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परियोजनायें संचालित एवं क्रियान्वित हैं :–

26.3.1 उत्तराखण्ड राज्य डाटा केन्द्र (Uttarakhand State Data Centre) – आई0टी0डी0ए0 (Information Technology Development Authority) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई0टी0 पार्क, देहरादून में अत्याधुनिक तकनीकी– HCI (Hyper Convergent Infrastructure) युक्त 'स्टेट डाटा सेंटर' स्थापित किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर का उद्देश्य राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन/वेबसाईट को डाटा सेन्टर में स्थान उपलब्ध कराकर डाटा को होस्ट (Host) करना है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर

पर 84 विभागों के लगभग 129 ऐप्लीकेशन्स होस्ट कर लाईव की जा चुकी है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों की ऐप्लीकेशन्स को सुरक्षित रखने हेतु उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सेन्टर हेतु डिसास्टर रिकवरी सेल की स्थापना की गयी है।

26.3.2 राज्य आंकड़ा केंद्र नीति (State Data Centre Policy)– स्टेट डाटा सेन्टर की ड्रॉफ्ट पॉलिसी शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

स्टेट डाटा सेंटर में वर्तमान में विभिन्न विभागों की निम्नलिखित ऐप्लीकेशन्स होस्ट की जा चुकी हैं तथा अन्य ऐप्लीकेशन्स को होस्ट करने का कार्य गतिमान है –

तालिका 26.1

S. No	Department Name	Application Name	URL
1	ITDA	ITDA (Apuni Sarkar)	https://eservices.uk.gov.in/
2	ITDA	ITDA (Hiltron-Calc)	https://hiltron.net/
3	ITDA	ITDA (Hiltron-Calc)	https://itdacalc.uk.gov.in
4	ITDA	ITDA (e-Gatepass)	https://egatepass.uk.gov.in/
5	ITDA	ITDA (CSR)	https://csr.uk.gov.in/
6	CM Office	CM Office (CM Helpline)	https://cmhelpline.uk.gov.in/
7	Urban Transport	Transport Urban (VLT)	https://vlt.uk.gov.in/
8	UTDB	Uttarakhand Tourism Development Board (E-office)	https://eofficetourismuk.org/
9	UTDB	UTDB (Heli-Kedarnath)	https://heliservices.uk.gov.in/
10	UTDB	Uttarakhand Tourism Department (Travel And Trade)	https://uttarakhandtourism.gov.in/
11	Directorate of Economics and Statistics	Directorate of Economics and Statistics	https://desuk.in/
12	UREDA	Uttarakhand Power Corporation Ltd.	https://usrp.upcl.org/
13	Commercial Tax Department, Uttarakhand	Commercial Tax Department, Uttarakhand GST (COM tax)	https://gst.uk.gov.in/
14	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS)	https://uklegalaidservices.uk.gov.in/
15	UCADA	Uttarakhand Civil Aviation Development Agency(UCADA)	https://ucada.uk.gov.in/
16	UTDB	UTDB (Shri Kedarnath Utthan Charitable trust)	https://shrikedarnathcharitabletrust.uk.gov.in/
17	USRLM	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	https://aajeevika-usrlm.uk.gov.in/
18	UKAVPDDN	UTTARAKHAND AWAS AND VIKAS PARISHAD (UKAVPDDN)	https://ukavp.org/
19	Mantrimandal	e-mantrimandal	https://emantrimandal.uk.gov.in/
20	UTDB	UTDB (Jageshwar Temple Website)	https://jageshwar-jyotirlinga.uk.gov.in/
21	Department of Rural Development	Department of Rural Development	https://ukrdd.uk.gov.in/

22	USDMA	Uttarakhand Disaster Management Authority (COVID-19 Drishti)	https://usdma.uk.gov.in/
23	Department of Information, Science and Technology	Department of Information, Science and Technology Fight Against Covid-19	https://covid19cso.uk.gov.in/
24	CM Office	Uttarakhand Chief Minister Relief fund	https://cmrf.uk.gov.in/
25	E-Office Dehradun	E-Office Dehradun	https://eoffice-dehradun.uk.gov.in
26	Mantrimandal	Gopan(E-mantrimandal)	https://gopan.uk.gov.in
27	E-Office Uttarakhand	E-Office Uttarakhand	https://eoffice.uk.gov.in
28	UKSDM	UKSDM (Skilled People Portal)	https://hope.uk.gov.in/
29	Dehradun Smart City E-Office	Dehradun Smart City E-Office	http://smartcityeoffice.uk.gov.in/
30	Secretariat	E-Office Training Secretariat	https://eoffice-training.uk.gov.in/
31	UK Police	UK Police (SSP Traffic Police Dehradun)	https://dehraduntrafficpolice.uk.gov.in/
32	Directorate of Industries	Directorate of Industries (MSY)	https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
33	USRLM	Uttarakhand State Rural livelihood Mission (USRLM)	https://uksrlm.uk.gov.in/
34	E-office ITDA	ITDA E-office	https://eoffice-itda.uk.gov.in
35	UTDB	Veer Chandra Singh Garhawal Scheme (UTDB)	https://vcsgscheme.uk.gov.in/
36	Urban Development Directorate Uttarakhand	Urban Development Directorate Uttarakhand	https://nagarsewa-uat.uk.gov.in/
37	Urban Development Directorate Uttarakhand	Urban Development Directorate Uttarakhand	https://nagarsewa.uk.gov.in/
38	Department of Water and Sanitation	Department of Water and Sanitation	https://uwsp.uk.gov.in/
39	Department of Medical Health and Family Welfare	Department of Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand COVID-19	https://covid19.uk.gov.in/
40	Department of Yuva kalyan Parishad	Department of Yuva kalyan Parishad	https://yuvashakti.uk.gov.in/
41	Uttarakhand Primary Education Department	Uttarakhand Primary Education Department	https://educationportal.uk.gov.in/
42	UREDA	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency (UREDA)	https://rpoureda.uk.gov.in/
43	Accountant General (A&E) Uttarakhand	Accountant General (A&E) Uttarakhand	https://gpfonline.uk.gov.in/
44	Department of Corbet Tiger Reserve	Department of Corbet Tiger Reserve (Nainital)	https://corbettonline.uk.gov.in/
45	Department of Women Empowerment And Child Development	Department of Women Empowerment And Child Development	https://wecdmis.uk.gov.in/
46	Directorate of Social Welfare Uttarakhand	Directorate of Social Welfare Uttarakhand	https://ssp.uk.gov.in/
47	Geology & Mining Department	Geology & Mining Department	https://dgmappl.uk.gov.in/
48	E-Office UK POLICE	E-Office UK POLICE	https://eoffice-police.uk.gov.in
49	E-Office UTTARAKHAND DIRECTORATE	E-Office UTTARAKHAND DIRECTORATE	https://eoffice-uttarakhand.uk.gov.in
50	E-Office NAINITAL	E-Office NAINITAL	https://eoffice-nainital.uk.gov.in
51	E-Office ALMORA	E-Office ALMORA	https://eoffice-almora.uk.gov.in
52	E-Office UTTARKASHI	E-Office UTTARKASHI	https://eoffice-uttarkashi.uk.gov.in
53	E-Office CHAMPAWAT	E-Office CHAMPAWAT	https://eoffice-champawat.uk.gov.in
54	E-Office TEHRI	E-Office TEHRI	https://eoffice-tehri.uk.gov.in
55	E-Office PITHORAGARH	E-Office PITHORAGARH	https://eoffice-pithoragarh.uk.gov.in
56	E-Office CHAMOLI	E-Office CHAMOLI	https://eoffice-chamoli.uk.gov.in
57	E-Office PAURI	E-Office PAURI	https://eoffice-pauri.uk.gov.in
58	E-Office BAGESHWAR	E-Office BAGESHWAR	https://eoffice-bageshwar.uk.gov.in
59	E-Office RAJBHAWAN	E-Office RAJBHAWAN	https://eoffice-rajbhawan.uk.gov.in
60	E-Office HARIDWAR	E-Office HARIDWAR	https://eoffice-haridwar.uk.gov.in
61	E-Office RUDRAPRAYAG	E-Office RUDRAPRAYAG	https://eoffice-rudraprayag.uk.gov.in
62	E-Office UDHAM SINGH NAGAR	E-Office UDHAM SINGH NAGAR	https://eoffice-usnagar.uk.gov.in
63	Stamp and Registration	Stamp and Registration	http://eregistrationukgov.in/
64	Uttarakhand Police	Uttarakhand Police	https://uttarakhandpolice.uk.gov.in/
65	UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION	UTTARAKHAND BOARD OF TECHNICAL EDUCATION	https://ubter.uk.gov.in/
66	Election Commission	Election commission	https://election.uk.gov.in/
67	Irrigation Department	Irrigation Department	https://ppms.uk.gov.in
68	Board of revenue	Board of revenue (Bhunaksha)	https://bhunaksha.uk.gov.in/
69	Directorate Of Industries	Department of Industry (Growth centre)	https://growthcentres.uk.gov.in/
70	Board of revenue	Board of revenue (Bhulekh)	https://bhulekh.uk.gov.in/
71	ITDA	ITDA website	https://itda.uk.gov.in/
72	Atal Ayushman Uttarakhand Yojana	Atal Ayushman Uttarakhand Yojana	https://sha.uk.gov.in
73	Secretariat	Emeeting	http://emeeting.uk.gov.in
74	Food Safety & Drug Administration, Uttarakhand	Food Safety & Drug Administration, Uttarakhand	https://fda.uk.gov.in/
75	State Transport Department	State Transport Department	https://greencard.uk.gov.in/
76	UK Police	UK Police (Personnel & Vigilance Department)	https://irp.uk.gov.in/

77	UKSDM	Uttarakhand Skill Development Mission (UKSDM)	http://mis.uksdm.org
78	SIIDCUL	SIIDCUL	https://siidcul.com
79	State Transport Department	TRANSPORT (OXYGEN MANAGEMENT)	https://pranvayujagratha.uk.gov.in/
80	UK Police	UK Police (SP Traffice Dehradun)	https://uttarakhandtrafficeyes.uk.gov.in
81	UPCL	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency(UREDA)	~~https://ureda.uk.gov.in/~~.
82	Excise Dept. Uttarakhand	Excise Dept. Uttarakhand	https://eabkari.uk.gov.in/
83	Animal Husbandry	Animal Husbandry	https://shop.himalayangoatmeat.com
84	UK Police	CCTNS	http://policelegalservices.uk.gov.in
85	Horticulture and food processing	Horticulture and food processing	https://dohfp.uk.gov.in/
86	Centre For Public Policy & Good Governance	Centre For Public Policy & Good Governance	https://cppgg.uk.gov.in/
87	UKSDM	Uttarakhand Skill Development Mission (UKSDM)	http://www.uksdm.org/
88	Department Of Skill Development & Employment	Department Of Skill Development & Employment [strive project]	https://dsde.uk.gov.in/
89	Forest Department, Uttarakhand	Forest Dept. (uttarakhand Mountaineering Permission System)	https://forestonline.uk.gov.in/
90	Chief Development Office	Chief Development Office	https://vikasbhawandehradun.uk.gov.in
91	CM Office	CM OFFICE (Letter Monitoring)	https://cmolettermonitoring.uk.gov.in/
92	Kalagarh Tiger Reserve	Kalagarh Tiger Reserve	https://kalagarhtigerreserve.uk.gov.in/
93	Election Department	Election Department	https://electionvlts.uk.gov.in/
94	Rajaji Tiger reserve (Forest reserve)	Rajaji Tiger reserve (Forest reserve)	https://rajajitigerreserve.uk.gov.in/
95	Department of Rural Development	Uttarakhand Gramya Vikas Samiti (UGVS)	https://ugvsdata.com/
96	Uttarakhand Health System Development Project (UKHSDP)	Uttarakhand Health System Development Project (UKHSDP)	https://ukhsdpfhd.uk.gov.in/
97	State Planning Commission	State Planning Commission	https://spc.uk.gov.in/
98	Procurement grievance mechanism portal	Procurement grievance mechanism portal	https://pgrm.uk.gov.in/
99	Directorate of Women Welfare And Child Development	Directorate of women welfare-Balvikas MIS	https://wwd.uk.gov.in
100	Commercial Tax Department, Uttarakhand	Gstprime	http://gstprime.uk.gov.in/gstprime
101	Forensic Science Laboratory, uttarakhand	Forensic Science Laboratory	https://fsluttarakhand.uk.gov.in/

102	SIIDCUL	Uttarakhand Digital Information System (SIIDCUL)	https://gis-siidcul.com/
103	UK Police	policecitizenportal	https://policecitizenportal.uk.gov.in/
104	UK Police Vigilance	UK Police Vigilance	https://vigilance.uk.gov.in/
105	Directorate Of Industries	Investuttarakhand	https://investuttarakhand.uk.gov.in/
106	UTDB	Registrationandtouristcare	https://registrationandtouristcare.uk.gov.in/
107	UTDB	Raftingmanagement	https://raftingmanagement.uk.gov.in/
108	Department of Drugs Control, Uttarakhand	XLN - Xtended Licensing, Laboratory & Legal Node	https://xln.uk.gov.in/
109	State Planning Commission	Externally Aided Projects	https://eap.uk.gov.in
110	Uttarakhand Public Service Commission	Uttarakhand Public Service Commission	https://psc.uk.gov.in
111	State Planning Commission	Capital projects (high value capital dashboard)	https://capitalprojects.uk.gov.in/
112	State Information Commission	State Information Commission	https://uic.uk.gov.in/home/index/
113	Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs	e-PDS	https://feast.uk.gov.in
114	Employee's State Insurance Corporation	ESIS Uttarakhand	https://esisukapp.in
115	State Planning Commission	E-aanklan	https://eaanklan.uk.gov.in/
116	Department of Rural Development	Department of Rural Development	https://ukrbi.uk.gov.in/
117	USDMA	Uttarakhand Disaster Management Authority	https://dss.uk.gov.in/SaigaiTask/login
118	National Health Mission	Asha Kiran	https://asha.uk.gov.in/
119	UTDB	Badri Kedar PMS	https://badrikedarpms.uk.gov.in/
120	Department of Women Empowerment And Child Development	Nanda Gaura	https://nandagaura.uk.gov.in/
121	Uttarakhand Public Service Commission	Consent Management System	https://ems.uk.gov. in/
122	Urban Housing and Development Authority	Urban	https://uhudaeaseapp.~~uk.gov.in/easeapp/~~
123	High Court LEGAL AID INFORMATION SYSTEM	Etruecopy	https://etruecopy.uk.gov.in/
124	ITDA	Dark	https://darclake.uk.gov.in/login
125	ITDA	UCC	https://ucc.uk.gov.in/
126	Uk police	Uttarakhandpolice app	https://uttarakhandpoliceapp.uk.gov.in/index2
127	Public Works Department	Pwd	https://registration.pwduk.in/Dashboard.aspx
128	Public Works Department	Pwd	https://roadcutting.pwduk.in/
129	Department Of Higher Education Uttarakhand	Higher education	https://he.uk.gov.in/

26.3.3 ई–जिला (E-District)'अपणि सरकार पोर्टल'– ई–जिला परियोजना के अन्तर्गत 57 विभागों की 472 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत (जिसमे से 150 पुनः निर्देश सेवाएँ) करते हुए ''अपणि सरकार पोर्टल'' के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों को Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

26.3.4 कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा देवभूमि सेवा केन्द्र (Common Service Centre, CSC)—वर्तमान में राज्य में 21962 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 16976 कॉमन सर्विस सेंटर ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं। 10112 सी0एस0सी0ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट एवं राज्य तथा केन्द्र की अन्य G2C सेवायें प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त सी0एस0सी0के माध्यम से विभिन्न B2C सेवायें भी प्रदान की जा रही है। जनपदवार सी0एस0सी0 का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 26.2

क्र0 सं0	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1.	उत्तरकाशी	1154	618
2.	चमोली	1174	515
3.	रुद्रप्रयाग	719	298
4.	टिहरी गढ़वाल	1203	584
5.	देहरादून	2930	1605
6.	पौड़ी गढ़वाल	1816	830
7.	पिथौरागढ़	1154	530
8.	बागेश्वर	737	374
9.	अल्मोड़ा	1821	871
10.	चम्पावत	757	339
11.	नैनीताल	2186	1306
12.	उधमसिंहनगर	3395	1988
13.	हरिद्वार	2916	1758
	कुल	**21962**	**11616**

सी0एस0सी0 के माध्यम से वर्तमान में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. State G2C Services:-Apuni Sarkar -75 Services

A. Revenue Department:
- Income Certificate
- Cast Certificate
- Domicile Certificate
- Character Certificate
- Solvency Certificate
- Uttarjivi Certificate
- Freedom Fighter Dependant Certificate
- Hill Area Certificate

B. Medical Health & Family Welfare:
- Death Certificate
- Birth Certificate

C. Social Welfare Department:
- Widow Pension Certificate
- Handicapped Pension Certificate
- Old Age Pension Certificate

D. Employment Department:
- Employment Registration
- Change of Trade
- Renewal of Employment

E. Panchayati Raj Department:
- Pariwar Register Copy
- Pariwar Register Entry
- Pariwar Register Amendment 75 Services

F. Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL)
- Collection of Electricity Bill

G. Uttarakhand Jal Sansthan (UJS):
Collection of Water Bill

H. State Transport
- Alteration of Motor Vehicle

- Change of Address in RC
- Duplicate
- Fitness Inspection/Certificate
- Fresh Permit
- Hypothecation Addition
- Hypothecation Termination
- Issue of Duplicate RC
- Issue of NOC
- MV Tax
- RC Particulars Against Fee
- Renewal of Registration
- Transfer of Ownership

I- Treasury Department:

- Collection of all 384 kind of Different Department Challan

2. Central G2C Services:

- Jeevan Pramaan Certificate
- Soil Health Card
- Public Grievances
- Swachh Bharat
- National Pension System
- Passport
- UTIITSL - PAN Card Service
- BBPS-Utility Bills

3. B2C Servies:

- LED Kit and Raw Material Order
- PVC Card Order
- IRCTC
- CSC Travel (Air)
- Red Bus
- Videocon d2h : Recharge and Set Top box
- Income Tax Services
- GST Returns
- Digital Sign Certificate
- Order Devices from CSC
- CBSE NEET Registration
- Kisan e-Store
- Mobile Recharge
- Mobile Bill Payments
- DTH Recharge
- Data Card Recharge
- e-Store

4. Banking:

- Bank Mitr: SBI, PNB, BOB, BOI, Nainital Bank & HDFC
- DIGI Pay
- Digital Financial Inclusion

5. Education Related Services:

- CSC NIELIT Centre
- Tally Certification Program
- Basic Computer Course (BCC)
- NIOS Courses
- NIELIT Courses
- Sarkari Pariksha (Govt. Job Exam preparation)
- Dr. C V Raman University
- Tally Kaushal Praman Patra
- Competitive Exam Prep- IIT/ PMT/ Banking (Embibe)

6. Health Services:

- CSC Telemedicine
- Health Homeo
- Jan Aushadhi
- e-Pashu Chikitsha
- Diagnostic Service
- Stree Swabhiman

7. Insurance Services:

- RAP Registration
- Life Insurance Premium Payment
- General Insurance
- Life insurance

8. Recruitment Services:

- Indian Navy
- UKSSSC

9. Skill Development Services

- CAD Registration
- Person with Disability (PWD) scheme.
- Self Paid Course
- Cyber Wellness Course

10. Training Courses

- ***Learn English:*** Certificate from British Council
- Cricket Strokes (Learn Cricket Online)
- Animation Course
- Online English Speaking Course

11. Travel Services:

- Bus India - Bus Ticket Booking

12. PMJSYM (Pradhan Mantri Aarogya Yojna):

- Generation of Golden Card

13. PM-SYM (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan):

- Registration of unorganized workers

14. PM-SYM (Pradhan Mantri Kisan Maandhan):

- Registration of Famers.
- English Learning Courses
- Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyaan(PMGDISHA)

15. National Pension Scheme for Traders and self employed persons:

- Registration of small Traders.

16. PM Kisan Samman Nidhi:

- Registration of Famers

17. Economic Censes: completed

- Censes Data collection

18. e- Shram

19. PM SVANidhi

- Registration of Street Vendors

20. Cultural Survey

'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA)

कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत 5.06 लाख ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 7,65,278 ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया जिसके सापेक्ष 6,47,683 को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 4,82,814 को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कम्प्यूटर या डिजिटल–एक्सेस उपकरणों को संचालित करने, ई–मेल संचालन, इण्टरनेट ब्राउज, सेवाओं तक पहुंचने, डिजिटल भुगतान आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

26.3.5 उत्तराखण्ड स्वान (Uttarakhand SWAN)—स्वान का संचालन वर्टीकल कनेक्टिविटी के रूप में 136 प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स (PoP) के माध्यम से किया जा रहा है। स्वान के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तथा तहसील/ब्लॉक मुख्यालय तक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है। स्वान को जनपद स्तर तक नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन0के0एन0) से संयोजित किया गया है, प्रत्येक स्वान केन्द्र में बी0एस0एन0एल0, एन0के0एन0 तथा एयरटेल के माध्यम से उपरोक्त बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है। जिला मुख्यालय तक 100/250/500/1024 एम0बी0पी0एस0 तक बैंडविड्थ उपलब्ध हो रही है, तथा ब्लॉक/तहसील स्तर तक 10/34/100/300 एम0बी0पी0एस0 बैडविड्थ प्रदान की जा रही है। नेटवर्क के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु प्रत्येक PoP पर नेटवर्क इंजीनियर्स तैनात हैं। स्वान उपकरणों के अपग्रेडेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा समस्त स्वान केन्द्रो में SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) उपकरणों का इन्सटॉलेशन किया जा चुका है। स्वान संचालन केन्द्र (Network Operation Center) सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) में स्थानान्तरित किया गया है तथा सचिवालय से सूचना प्रौद्योगिकी भवन तक ऑप्टिकल फाईबर बिछाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) से विधान सभा व सचिवालय होते हुए सूचना प्रौद्योगिकी भवन (आई0टी0डी0ए0) तक रिंग–कनेक्टिविटी के माध्यम से 42 विभागों की कनेक्टिविटी गतिमान है। वर्तमान में स्वान नेटवर्क के अन्तर्गत राज्य के लगभग 13 विभागों के 1925 कार्यालय संयोजित किये गये है, एवं समस्त स्वान केन्द्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्थापना कर ब्लॉक–तहसील स्तर तक अधिकतम राजकीय कार्यालयों को स्वान से हॉरिजोन्टल कनेक्टिविटी से आच्छादित किये जाने

की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तराखण्ड क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क हेतु स्थापित उपकरणों को अपग्रेड कर दिया गया है।

26.4 डिजीलॉकर (Digi Locker): डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटल लॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, सत्यापनकर्ताओं और नागरिकों को एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के 12 लाख से अधिक डिजिटल लॉकर क्रियान्वित किये जा चुके हैं तथा राज्य सरकार की ''अपणि सरकार'' सेवाओं से सम्बन्धित 17.31 लाख प्रमाण पत्र नागरिकों को डिजिटल लॉकर के माध्यम से जारी किये गये हैं।

26.5 वीडियो कान्फ्रेसिंग (Video Confrencing):– प्रथम चरण में सचिवालय, परिवहन, पुलिस व ब्लॉक स्तर तक लगभग 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेसिंग की स्थापना की गयी है। माह दिसम्बर, 2022 तक 1845 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग स्वॉन के माध्यम से सम्पन्न करायी गयी है। वर्तमान में 133 केन्द्रो में वैकल्पिक आई0एस0पी0 की सुविधा प्रदान की जा रही है।

26.6 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र (Skill Development Centre-CALC).आई0 डी0 पी0– आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा–कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब/डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवकों को अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सकें। इन केन्द्रों को स्थानीय युवकों/युवतियों हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण/English Language/Foreign Languages में भी प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इन केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा/e-Learning Programme/सी0एस0सी0 से सम्बन्धित समस्त सेवाएं एवं प्रदेश में चल रही ई–सेवाएं संचालित की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में पूर्व से चल रहे हिल्ट्रॉन कैल्क परियोजना को आई0टी0डी0ए0 को हस्तान्तरित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से राज्य के समस्त जनपदों में कैल्क केन्द्रों के माध्यम से डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्सेस संचालित किये जा रहे है। आई0टी0डी0ए0 कैल्क ने पूरे उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें प्रशिक्षण उपकरण, शिक्षण संकाय और पाठ्यक्रम (अध्ययन सामग्री), तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए बनाये गये मानदण्डों के अनुसार है।

वर्तमान में आई0टी0डी0ए0 कैल्क के अन्तर्गत 35 कैल्क केन्द्र संचालित किये जा रहे है।

आई0टी0डी0ए0 कैल्क उत्तराखण्ड में प्रशिक्षण केन्द्रों के एक विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से आई0आई0टी0, रूड़की द्वारा मान्य कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित हैः–

तालिका 26.3

ITDA CALC COURSES - SOFTWARE STREAM		
S.No	**Course**	**Duration**
1	Certificate in Computer Basics (CCB)	03 Months
2	Certificate in Software Technology (CST)	06 Months
3	Certificate in Web Development (CWD)	06 Months
4	Certificate in Basic Computing (CBC)	06 Months
5	Certificate in DTP (CDTP)	06 Months
6	Diploma in Computer Applications (DCA)	12 Months
7	Diploma in Web Development (DWD)	12 Months
8	Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA)	12 Months
9	Diploma in Basic Computing (DBC)	12 Months
10	Certificate in Computer Basics for School Students	Short Term
11	Certificate in Basic Computer Programming for School Students	Short Term
12	Any Short term Specialised Courses like C, .NET, JAVA, Advance JAVA, VC++, C++, ASP, VB. NET, Basic AUTOCAD, PHP, CAM, Core Python, C Language and MS Office etc. (Any other single module)	Short Term
13	Certificate in Accounting (CIA)	Short Term
ITDA CALC COURSES - HARDWARE STREAM		
1	Certificate in Hardware & Networking (CHN)	06 Month
2	Diploma in Hardware & Networking (DHN)	12 Month
ITDA CALC COURSES - ACCOUNTING STREAM		
1	Certificate in Accounting Application (CAA)	06 Month
2	Diploma in Professional Accounting (DPA)	12 Months
3	Advance Diploma in Professional Accounting (ADPA)	18 Months

स्रोतः सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड

आई0टी0डी0ए0—कैल्क द्वारा वर्षवार अर्जित आय का विवरण निम्नवत प्रस्तुत हैः—

तालिका 26.4

क्र0 स0	वर्ष	अर्जित आय	टिप्पणी
1	2020—21	₹ 28,17,897	कोविड—19 के कारण प्रशिक्षण गतिविधि प्रभावित हुई, जिसके फलस्वरूप पूर्व वर्षों की अपेक्षा अर्जित आय में कमी हुई है।
2	2021—22	₹ 31,86,524	
3	2022—23	₹ 21,73,544	

26.7 सी0एम0 हैल्प लाईन ‘1905’ (CM Helpline ‘1905’)— माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारम्भ की गयी सी0एम0 हैल्पलाइन—1905 के अन्तर्गत कुल 55 विभागों, 186 उप विभागों के 4570 अधिकारी मैप्ड हैं। सी0एम0 हैल्पलाइन—1905 के अन्तर्गत लगभग 3.02 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 2.79 लाख शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया जा चुका है।

26.8 ई—ऑफिस (E-Office): वर्तमान में राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई—ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय की

कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन0आई0सी0 के ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर "E-Office" का चयन किया गया है। इस क्रम में कर्मियों का मास्टर डाटा तैयार किया जो चुका है, 80 प्रतिशत कार्मिकों हेतु गवर्नमेंट ई–मेल IDSC आई0डी0 निर्मित की जा चुकी है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई0टी0डी0ए0 द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया जा चुका है तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति कर सचिवालय प्रशासन को वितरित किये जा चुके हैं। ई–ऑफिस के संचालन हेतु आई0टी0डी0ए0 में सचिवालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

तालिका 26.5

Sr. No.	Item	Quantity (Nos.)
(1)	(2)	(3)
	E-Office Status:	
1.	No. of Instances	20
2.	No. of Active Users	5789
3.	e-Files Created	78545
4.	e-Receipts Created	238450
A. Onboarding Status:		
1.	No. of Departments Targeted	341
2.	No. of Departments Onboarded	254
B.Department Initiated Status		
1.	e-mail Creation is in Process	10
2.	Internal e-Office	04
3.	Local Admin Mapping in Process	10
4.	Proposal Letter sent to Department with Relevant Documents	53
5.	SWAN/VPN in Process	03
6.	Training of Department Official Pending	05
7.	Training of Local Admin	02
C. E-Office Training Status:		
a.	No. of Departments Training Provided	85
a(i)	Physical Mode	69
a(ii)	Online Mode	16
b.	No. of Users Trained	2139
b(i)	Physical Mode	1797
b(ii)	Online Mode	342

स्रोतः ITDA, उत्तराखण्ड

26.9 स्टार्टअप हब (Start-up Hub)— आई0टी0 भवन में आई0 टी0 डी0 ए0 द्वारा एस0 टी0 पी0 आई0 (Software Technolgy Park of India) के साथ उत्तराखण्ड स्टार्ट अप हब स्थापित किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रदत्त सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न स्टार्टअप इन्कुबेशन केन्द्र न्यूनतम लागत पर स्थापित किये गये हैं एवं एक उत्कृष्ठ केन्द्र ''ड्रोन तकनीकी'' हेतु स्थापित होगा।

26.10 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (Drone Application and Research Center)— ड्रोन ऐप्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर (DARC) सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) एवं सरकार की एक संयुक्त पहल है। सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO) एवं सरकार के सहयोग से 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान स्थापित करना, मानव रहित प्रौद्योगिकी की उन्नति और अनुप्रयोग में उत्कृष्ट अनुसंधान का समर्थन, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, वन सर्वेक्षण के क्षेत्र में ड्रोन अनुप्रयोगों की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीकी सुविधाएं स्थापित करना एवं पुलिस विभाग द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टमाईजेशन, मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन विकसित किया गया, जिसका प्रदर्शन दिनांक 27 से 29 मई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 'ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इण्डिया' में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख किया गया। इस स्टेशन का उपयोग राज्य के दुर्गम एवं आपदा सम्भावित क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन हेतु किया जा सकेगा। आगामी वर्षों में इस केन्द्र के माध्यम से मिशन प्लानर ऐप्लीकेशन, नगर नियोजन, वन्यजीव प्रबन्धन—वनाग्नि प्रबन्धन एवं — वन नियोजन प्रबन्धन हेतु ड्रोन तकनीकी का उपयोग एवं एकीकरण इत्यादि कार्य प्रस्तावित है।

26.10.1 परियोजना एवं संचालन—

26.10.1.1— DARC ने माह दिसम्बर, 2022 तक 1700 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया और निम्नलिखित राज्य/केंद्र सरकार के अधिकारियों और विभिन्न संस्थानों के छात्रों को 65 से अधिक प्रशिक्षण प्रदान किए:—

(I) अर्द्धसैनिक बल यथा बी0एस0एफ, सी0आर0पी0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0।

(ii) स्वान, ई0डी0एम0, सिंचाई, पुलिस दूरसंचार, एस0डी0आर0एफ0, आदि जैसे राज्य सरकार विभाग।

(iii) आतंकवाद निरोधक दस्ता उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षण।

(iv) बजाज शिक्षण संस्थान से मूक एवं बधिर छात्रों व विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण।

26.10.1.2 आपदा संचालन—

(i) DARC ने चमोली आपदा में ड्रोन के माध्यम से बचाव संचालन किया।

(ii) ऑप्टिकल फाइबर केबल भेजकर ड्रोन का उपयोग करके आपदा से प्रभावित दूरदराज के गांवों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बहाल किया गया।

(iii) प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग और बांध के 3—डी मॉडलिंग का कार्य।

(iv) प्रभावित क्षेत्र का नुकसान का आकलन।

26.10.1.3 मालदेवता आपदा—19 अगस्त, 2022 को, फ्लैश फ्लड ने देहरादून के मालदेवता, रायपुर को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अत्यधिक वर्षा से ''सौंग'' नदी और अन्य मौसमी धाराओं के कारण पानी की धाराओं ने सड़कों, पुलों, बुनियादी ढांचे, आदि को ध्वस्त कर दिया।

(I) प्रभावित क्षेत्र की मानचित्रण।

(ii) प्रभावित क्षेत्र मे नुकसान का मूल्यांकन।

26.10.1.4 आपदा बचाव संचालन के लिए मोबाइल जी0सी0एस0(Ground Control Station) वैन—NABH-NETRA:मोबाइल जी0सी0एस0 वैन को आपदाओं में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एक वैन में एकीकृत है। यह एक यू0ए0वी0 (Unmanned Aerial Vehicle) और सभी आवश्यक उड़ान उपकरण और रखरखाव उपकरण का परिवहन करता है। ''NABH-NETRA'' की प्रमुख भूमिकाएँ निम्न हैंः—

(i) निगरानी और आपदा प्रबंधन।

(ii) रियल—टाइम डेटा ट्रांसमिशन।

(iii) आपदा—ग्रस्त क्षेत्रों की डिजिटल मैपिंग।

26.10.1.5 डार्क लेक पोर्टल (DARC Lake Portal)—राज्य के पूरे ड्रोन और जी0आई0एस0 डेटा को संग्रह करने के लिए, DARC ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ''DARC Lake'' शुरू किया है, जो सरकारी और गैर—सरकारी संगठनों के सभी ड्रोन—संबंधित निम्न परियोजनाओं को एकल मंच पर संग्रहित करेगाः—

(i) DARC ट्रैफिक प्रबंधन के साथ ट्रैफिक पुलिस की सहायता करता है।

(ii) DARC ने पीक आवर्स (Peak Hours) में ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग रूट में ड्रोन का उपयोग किया और बिना किसी पार्किंग क्षेत्र में पार्क किए गए वाहनों के लिए ई—चालान जारी करने में ट्रैफिक पुलिस की सहायता की।

(iii) DARC की RPTO (Remote Pilot Training Organization) के रूप में स्थापना की प्रक्रिया के तहत, DARC के 4 पायलटों को DGCA अनुमोदित मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(iv) DARC ने सरकारी अधिकारियों साथ ड्रोन उत्साही व्यक्तियों, पायलटों और पेशेवरों के बीच राज्य के भीतर ड्रोन गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य—स्तरीय, अंतर—जिला ड्रोन रेसिंग और राष्ट्रीय स्तर की रात्रि ड्रोन रेसिंग का आयोजन किया।

26.10.2 DARC की भविष्य की योजनाएंः—

26.10.2.1 RPTO (Remote Pilot Training Organization)के रूप में DARC—

(i) ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण के लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना।

(ii) प्रशिक्षुओं के लिए प्रमाणित पायलट लाइसेंसिंग।

(iii) एक सेवा मॉडल के रूप में ड्रोन।

26.10.2.2 उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में ड्रोन स्कूलों की स्थापना— इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन शिक्षा के लिए प्रभावी और कुशल प्रशिक्षण सहायता के द्वारा रचनात्मक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) केंद्रों की स्थापना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जिले के प्रशिक्षुओं को शैक्षणिक और कौशल वृद्धि कार्यक्रमों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित नई क्षमताएं विकसित करना है। सरकार की पहल मौजूदा पाठ्यक्रम शुल्क को सब्सिडी देकर नाममात्र शुल्क पर प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि

प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल सके।

26.10.2.3 लॉजिस्टिक्स में ड्रोन (Drone in Logistics)– औषधीय उत्पादों जैसे रक्त उत्पादों, टीके, फॉर्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा नमूने और खाद्य आपूर्ति के परिवहन पर मुख्यतः ध्यान दिया जा रहा है। मानव जाति की मदद करने हेतु एक अधिक तीव्र, अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल वायु मोबिलिटी के एक व्यवहारिक समाधान के निर्माण और संचालन करने पर समग्र दृष्टि है। मानव रहित हवाई यातायात के उचित रूटिंग के लिए ड्रोन पोर्ट की स्थापना और ड्रोन गलियारों को स्थापित करना।

26.10.2.4 ड्रोन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू किया जाना है। इसका उद्देश्य उत्तराखण्ड में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में ड्रोन तकनीक को पेश करना है। यह कार्यान्वयन छात्रों को ड्रोन प्रौद्योगिकी के संपर्क में लायेगा और उन्हें इस डोमेन में अधिक रूचिकर तरीके से कार्य करने में मदद करेगा। यह राज्य के लिये कुशल इंजीनियरों को भी तैयार करेगा।

26.11 ई–गेटपास (E-Gatepass)– आई.टी.डी.ए. द्वारा विकसित कराया गया 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass.uk.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है । इस सिस्टम के माध्यम से 1.59 लाख से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं। राजभवन के लिए निमन्त्रण हेतु ई–इन्विटेशन ऐप्लिकेशन निर्माण कर क्रियान्वयन किया गया है।

26.12 आधार परियोजनाः आधार को पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्य में 2022 की अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष आधार पंजीकरण की स्थिति निम्नानुसार हैः–

तालिका 26.6

S.No.	Age Group	Total Population (Projected 2022)	Total Aadhaar Generated	Saturation %
1.	0-5 Yrs	8,78,072	5,09,380	58.01%
2.	5-18 Yrs	24,92,754	26,15,547	104.93%
3.	Above 18 Yrs	81,47,174	83,98,713	103.09%
Total	**Overall**	**1,15,18,000**	**1,15,23,640**	**100.05%**

स्रोतः ITDA, उत्तराखण्ड

26.13 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

राज्य में विकास तथा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जल संरक्षण, कृषि विकास एवं जनसामान्य में वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने हेतु निम्न संस्थायें कार्य कर रही हैः–

- उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)
- उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (Uttarakhand State Council for Science & Technology, UCOST)
- उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (Uttarakhand Science Education and Research Centre, USERC)
- उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद् (Uttarakhand Council for Biotechnology)

विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये जा रहे प्रमुख कार्यों

का विवरण निम्नानुसार हैः–

26.14 उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (Uttarakhand Space Application Centre, USAC)– केन्द्र द्वारा सुदूर संवेदन एवं अन्तरिक्ष संचार के क्षेत्र में कार्यों को कराना, उनको आगे बढ़ाना, मार्गदर्शन प्रदान करना, समन्वय करना, अनुसंधान और विकास में सहयोग, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा समस्त प्राकृतिक संसाधनो के अनुश्रवण और आंकलन हेतु सर्वेक्षण, अन्तरिक्ष तकनीक के उपयोग द्वारा भूमि उपयोग के तरीकों, बदलते पर्यावरण, सिंचन पद्धतियों, वानिकी संसाधनों तथा फसलों की बीमारियों को पता लगाने इत्यादि के अनुश्रवण हेतु बहुसामयिक सर्वेक्षण तथा अन्तरिक्ष तकनीक से सम्बन्धित क्रियाकलापों के क्षेत्रीय सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

26.14.1 राज्य सहायतित परियोजनाएंः–

वर्ष 2022–23 में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

26.14.1.1 डिजिटल डेटाबेस क्रिएशन – परियोजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल सर्विसेज पोर्टल जिसमें जनपद/ब्लॉकवार विविध सूचनाओं यथा– भू–उपयोग, शहरी विकास, आधारभूत संरचनाओं, जल संसाधनों, भू–अपघटन, वन घनत्व/प्रकार आदि का विभिन्न स्केलों पर सृजन किया जाना है। उत्तराखण्ड के स्कूलों के जी0आई0एस0 डाटा को शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त U-DISE(Unified District Information System for Education)2021–22 के डाटा से समायोजित करने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड टूरिस्ट सर्किट जी0ओ0पोर्टल का सृजन कार्य गतिमान है।

26.14.1.2 लैण्ड यूज एण्ड रूरल/अर्बन प्लानिंगः परियोजना का मुख्य उद्देश्य हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देहरादून जनपद का 1:4000 स्केल पर विस्तृत मानचित्रीकरण करना है। इस परियोजना के अंतर्गत हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा के उपयोग से देहरादून जनपद का 1:4000 स्केल पर जियोडेटाबेस तैयार किया गया है।

26.14.1.3 इस के अतिरिक्त अलकनंदा बेसिन के हिमाच्छादित क्षेत्रों का मानचित्रीकरण, मानसून से पूर्व व पश्चात वाटर क्वालिटी मैपिंग, मन्दाकिनी बेसिन क्षेत्र में उपग्रहीय आंकड़ों से सतही जलग्रही क्षेत्र की मैपिंग, वानिकी– पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्थलों/देव स्थलों की जैव विविधता/प्राकृतिक तंत्र सेवाओं का आंकलन, कृषि एवं बागवानी फसल भूमि का भूस्थानिक मूल्यांकन, शहर सूचना एवं सोशल ऑडिटर तंत्र का निर्माण, डिजिटल कैपेसिटी एन्हेन्समेन्ट एण्ड ऐप्लीकेशन तथा डेवलपमेन्ट ऑफ वेब बेस्ड एण्ड स्टैण्ड एलोन सिस्टम्स, स्पेस बेस्ड इंफोर्मेशन सपोर्ट फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, पंचायत स्तरीय परिसम्पतियों का मानचित्रीकरण, देहरादून स्थित राजकीय महाविद्यालयों के लिए Remote Sensing/ Geographical Information System आधारित कार्यशाला आदि परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है।

जी0आई0एस0 आधारित तकनीकी के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण कार्य–

- कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार का जी0आई0एस0 मानचित्रीकरण पुस्तक प्रकाशित की गई।

- हिमालय के बुग्यालों की जैव विविधता अध्ययन व सूचना प्रणाली नेटवर्क का सृजन परियोजना के अंतर्गत परियोजना के सहयोगी संस्थान आई0आई0आर0एस0 के सहयोग से विभिन्न संस्थानों में कार्यरत शोधार्थियों का क्षमता–वर्धन किया गया।

- दिनांक 12.10.2022 को श्री गुरू राम राय विश्वविद्यालय एवं यूसैक के मध्य तथा दिनांक 12.12.2022 को यूसैक एवं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, देहरादून के मध्य एम0ओ0यू0 किया गया, जिसका उद्देश्य सहयोगी और पारस्परिक रूप से लाभकारी कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना व सुविधाजनक बनाना है, जो दोनों परिसरों में अनुसंधान और प्रशिक्षण से सम्बन्धित बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाने में योगदान करने में सहायक होगा, साथ ही शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान–प्रदान में छात्रों, शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों को सहयोग करने में सहायक होगा।

- पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र भारत में जैव विविधता संरक्षण, बेहतर आजीविका एवं स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए भू–दृश्य योजना के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र कैलाश भू–क्षेत्र भारत में किये गए समस्त सूचनाओं को एकत्रित कर मॉडल बायोडायवर्सिटी नॉलेज नेटवर्क (https://www.mbdc-kslindia.in)का सृजन किया गया।

- समस्त जनपदों की आधारभूत सुविधाओं व परिसम्पत्तियों को संकलित कर 'उत्तराखण्ड जियोस्पाशियल एटलस' तैयार की गई।

- उत्तर पूर्वी अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (NESAC) शिलांग के वित्तीय सहयोग से 'ऐप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एण्ड जी0आई0एस0 इन सेरीकल्चर डेवलपमेंट' परियोजना सम्पादित की गई, जिसके अंतर्गत किये गये कार्यों को राज्य के रेशम विभाग व अन्य रेखीय विभागों के अधिकारियों व लाभार्थियों के साथ साझा करने हेतु दिनांक 11 जुलाई 2022 को आई0आर0डी0टी0 के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- हिमालयन नॉलेज नेटवर्क (HKN) परियोजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के सतत विकास के लिए प्राथमिकता वाले किन्हीं दो विषयगत क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से परामर्श वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें राज्य में स्थित विभिन्न शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, विभिन्न रेखीय विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के अधिकारियों व परियोजना प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त के आधार व उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार दो विषयगत विषयों

- i) उत्तरदायी पर्यटन

- ii) आपदा प्रबंधन को दस्तावेजीकरण करने के लिए चिन्हित किया गया व यूथ फोरम के माध्यम से राज्य के स्नातकोत्तर स्तरीय लगभग 100 विद्यार्थियों का क्षमता वर्धन किया गया।

26.14.2 वाह्य वित्तपोषित परियोजनाएंः–

26.14.2.1 ग्राउण्ड वाटर क्वालिटी मैपिंग–

नेशनल रिमोट सेसिंग सेन्टर हैदराबाद की सहायता से राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी मैपिंग फेज–4 के अन्तर्गत समस्त जनपदों का मानसून से पूर्व व पश्चात वाटर क्वालिटी डेटाबेस सृजित किया जा रहा है, इस कार्य के अन्तर्गत 1:5000 स्केल के वाटर क्वालिटी मानचित्र तैयार किये गए हैं जिसमें विभिन्न सूचनाएं जैसे लिथोलॉजी, वाटर क्वालिटी पैरामीटर (पी0एच0, हार्डनेस, एल्केनीटी, आरसेनिक व अन्य पैरामीटरस) के मानचित्र भी तैयार किए गए हैं। टिहरी जनपद का स्पाशियल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मानसून से पूर्व व पश्चात की परिवर्तशीलता का अध्ययन कर मानचित्रिकरण 1:50000 स्केल पर किया गया है।

26.14.2.2 जनरेशन ऑफ विलेज लेवल स्वाईल फर्टिलिटी/न्युट्रियन्ट मैप्स) Generation of Village Level Soil Fertility /Nutrient Maps: यह परियोजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार के सहयोग से संचालित है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं–

i)–राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त ग्राम खसरा संख्या आधारित डेटा के नमूनों के स्थानों की गुणवत्ता जांच, सत्यापन, सम्पादन और सामंजस्य स्थापित करना।

ii)–पोषक तत्वों pH, EC, N, P, K, Zn, Fe, Mn, CurFkk Br के लिए जी0आई0एस0 आधारित बिन्दु एवं प्रक्षेपित मानचित्र तैयार करना।

इसके अन्तर्गत हरिद्वार और उधमसिंह नगर के चयनित 99 गांवों के लिए डिजिटल स्वाईल फर्टिलिटी/न्युट्रियन्ट मैप तैयार किये जा रहे हैं। वर्तमान में यूसैक द्वारा हरिद्वार जिले के 36 गांवों और ऊधमसिंह नगर के 14 गांवों हेतु इन्टरपोलेटेड स्वाईल न्युट्रियंट मैप सफलतापूर्वक तैयार कर लिए गए हैं।

परियोजना की अवधि– 03 वर्ष (2019–2022)
स्वीकृत धनराशि– ₹ 12,38,7100/-

26.14.2.3 पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र भारत में जैव विविधता संरक्षण, बेहतर आजीविका एवं स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए भू–दृश्य योजना (Mainstreaming landscape approach for biodiversity conservation, improved livelihoods and ecosystem health in Kailash Sacred Landscape part of India)- यह परियोजना कैलाश भू–क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण, विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सतत उपयोग लक्ष्यों व साथ ही 'भू–दृश्य दृष्टिकोण' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलायी जा रही है।

परियोजना की अवधि–04 वर्ष (2018–2022)
स्वीकृत धनराशि – ₹ 35,11,000/-

26.14.2.4 पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण एवं विकास पहल (Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative (KSLCDI)-

वर्ष 2021–23 में उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र द्वारा पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण हेतु किये गये कार्य जैसे उच्च पादप समूहों का डेटाबेस तैयार किया गया, पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र में स्थित होम–स्टे स्थानों की स्थिति का मानचित्रण किया गया।

परियोजना की अवधि – 2021–23 तक

स्वीकृत धनराशि – ₹ 2,30,000/-

26.14.2.5 फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग द स्पेस एग्रो मेट्रोलॉजी एण्ड लैण्ड बेस्ड ऑबज्रवेशन (फसल) (Forecasting Agriculture Outputs using the Space Agrometrology & Land Based Observations (FASAL))- परियोजना के मुख्य उद्देश्य फसल का कटाई से पूर्व क्षेत्रफल तथा पैदावार का आंकलन करना है। फसल परियोजना में यूसैक द्वारा उत्तराखण्ड के चयनित जिलों के लिए रबी एवं खरीफ फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन उपग्रहीय आंकड़ों की सहायता से किया जा रहा है। क्षेत्रफल का यह आंकलन एम.एन.सी.एफ.सी. द्वारा राष्ट्रीय फसल उत्पादन पूर्वानुमान के तहत उपज एवं उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एक इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है। खरीफ सीजन 2021–22 एवं 2022–23 में गन्ने के लिए दो जिलों (हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर) एवं रबी सीजन 2021–22 में गेहूं की फसल के लिए 08 जिलों (अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, टिहरी, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल) के क्षेत्रफल का आंकलन किया गया है। रबी सीजन 2022–23 में गेहूं की फसल के क्षेत्रफल के आंकलन का कार्य किया जा रहा है।

परियोजना की अवधि –प्रत्येक वर्ष (2022-23)

स्वीकृत धनराशि – ₹ 1,58,000/-

26.14.2.6 मॉनीट्रिंग ऑफ इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (IWMP)यूजिंग जियोस्पाशियल टैक्नोलॉजी– परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलागम क्षेत्र प्रबंधन हेतु राज्य के चयनित जलागम क्षेत्रों का भू–उपयोग/ भू–आवरण मानचित्र तैयार करना तथा जलागम क्षेत्रों में आये बदलावों का अध्ययन कर जी0आई0एस0 डेटाबेस सृजित करना है। परियोजना के तहत चयनित जलागम क्षेत्रों का लैण्ड यूज/लैण्ड कवर डेटाबेस तैयार किया गया है।

26.14.2.7 विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु अंतरिक्ष आधारित सूचना सहयोग–अपडेट (Space based Information Support for Decentralized Planning-Update (SISDP-Update)- परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

I) उच्च विभेदी सैटेलाइट डाटा (Cartosat-1/2 – LISS-IV merged product) के उपयोग से राज्य के भू–उपयोग/भू–आवरण, सड़क/रेल नेटवर्क) जल निकास (Drainage) आदि का 1:10000 स्केल पर मानचित्र तैयार करना व विभिन्न श्रोतों से एकत्रित भू–स्थानिक रूप से जुड़े, पंचायत (समुदाय) स्तरीय सभी परिसंपत्तियों (जैसे– स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, चेकडैम, कुआँ) को उपलब्ध कराना है।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2020-2023)

स्वीकृत धनराशि – ₹ 52,95,000/-

26.14.2.8 हिमालय के बुग्यालों की जैव विविधता अध्ययन व सूचना प्रणाली नेटवर्क सृजन (Himalayan Alpine Biodiversity Characterisation and Information System-Network (HABC-ISN) - परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी हिमालय के बुग्याल क्षेत्रों में स्थित पादप समुदायों के स्थानिक विस्तार व स्वरुप की विशेषता का आंकलन करना,एकीकृत व बहुस्तरीय फील्ड प्रोटोकॉल के द्वारा बुग्याल क्षेत्रों में स्थित वनस्पति संरचना एवं विविधता का आकलन करना,बुग्यालों की जैव विविधता व पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता के लिए आवश्यक पर्यावरणीय कारकों का निर्धारण करना, योजना निर्धारण व प्रबंधन के लिए स्थानिक प्रजातियों व पादप समुदायों का वेब–आधारित सूचना प्रणाली विकसित करना है। जिसमें वर्ष 2021–23 में उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, व रुद्रप्रयाग जिले के विभिन्न बुग्यालों का सघन फील्ड सर्वे कार्यकर पादप

समुदायों के स्थानिक विस्तार व स्वरुप से सम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है।

परियोजना की अवधि – 2020–2024 तक

स्वीकृत धनराशि – ₹ 39,00,000/-

26.15 उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद–यूकॉस्ट (Uttarakhand State Council for Science – Technology-UCOST)– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उत्तराखण्ड स्टेट कांउसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी (UCOST) उत्तराखण्ड सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक परिषद द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

26.15.1 प्रौद्योगिकी विकास– उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा कौशल विकास और क्षमता निर्माण हेतु तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए परिषद् द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम/परियोजना के द्वारा सी0 एस0 आई0 आर0 आई0 आई0 पी0 में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ट्रेनिंग के तहत 80 छात्र–छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। मधुमक्खी पालन और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के लिए यूकॉस्ट देहरादून द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनमे लाभार्थियों की संख्या 500 से अधिक रही, रिंगाल–नर्सरी विकास एवं मूल्यवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 300 से अधिक लाभार्थी और मशरूम की खेती और मूल्यवर्धन के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 250 से अधिक लाभार्थी सम्मिलित रहे।

26.15.2 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन– एल0ई0डी0 बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने एवं मरम्मत हेतु प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2022–23 में दो नए टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर विकसित किये गए और 15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

26.15.3 विज्ञान लोकव्यापीकरण–वर्ष 2022 में 60 से अधिक कार्यशाला/सहगोष्ठी/ सेमिनार/ वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें कि 23 से अधिक वेबिनार डिजिटल माध्यम से आयोजित किये गए। 15वीं एवं 16वीं राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस का सफल आयोजन किया गया। नवंबर 2022 में प्रथम सीमान्त बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन चम्पावत में किया गया। अब तक उत्तराखण्ड @25 के तहत 18 से अधिक लोकप्रिय व्याख्यान आयोजित किये गए हैं।

26.15.4 प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (TRC) की स्थापना– उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के तहत प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र (टी0आर0सी0) का निर्माण परिषद् के द्वारा किया जाता रहा है। टी0आर0सी0 का उद्देश्य घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग करना है। 10 जनपदों में कुल 13 टी0आर0सी0 हैं। न्यू टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर हेवलघाटी (जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड) में आजीविका में सुधार, पारंपरिक मसालों को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमिता विकास हेतु स्थापित किया गया है। इसमें अदरक के उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन और संवर्धन शामिल है जिसके लिए कुल स्वीकृत बजट ₹ 55 लाख है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई0डी0पी0) के माध्यम से कुल लाभार्थियों की संख्या 55,786 से अधिक है।

26.15.5 बाह्य वित्त पोषित परियोजना–

26.15.5.1–डी0बी0टी0 स्किल विज्ञान प्रोग्राम परियोजना–जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी (डी0बी0टी0), भारत सरकार के "डी0बी0टी0–कौशल विज्ञान राज्य भागीदारी कार्यक्रम" को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य युवा तकनीशियनों और बायोटेक्नोलॉजिस्ट को उद्योग, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, आर0 एण्ड डी0 और डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं में नौकरी करने के लिए तैयार करना है। विगत वर्ष में परियोजना के अंतर्गत 29 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 23 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के चार संस्थानों में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं :

• कुमाऊं विश्वविद्यालय, भीमताल तथा एच0एन0बी0 गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर–गढ़वालः क्वालिटी कंट्रोल (माइक्रोबायोलॉजी) (28 दिसम्बर 2021 से 08 अप्रैल 2022 तक)

• जी0बी0 पंत "राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (NIHE), अल्मोड़ाः लैब तकनीशियन/ सहायक (11 जनवरी 2022 से 04 अप्रैल 2022 तक)

परियोजना अवधि – 03 वर्ष

कुल लागत –₹ 1,40,60,000.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 31,20,000.00

26.15.5.2–प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग एंड सर्विलांस प्रोग्रामः (पी0एम0यू0) परियोजना– इस परियोजना में राज्य की समस्त 27 प्रयोगशालाओं में, कुल 18 पैरामीटर्स पर पानी की जाँच की जाती है और अब तक 3 लाख पानी के नमूनों की जाँच रिपोर्ट्स सफलतापूर्वक जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी हैं।

परियोजना अवधि – वर्ष 2022–23

कुल लागत – ₹ 2,73,89,810.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 1,30,85,403.00

26.15.5.3– ''प्रोस्पैक्टिंग एण्ड एसेसमेंट ऑफ सरटेन इन्डिजिनियस रेसेपिज़ ऑफ बद्री तुलसी फरोम उत्तराखण्ड हाईलेंडस''–

परियोजना के तहत गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय से नमूने एकत्र किए गए और आई0आई0टी0 रुड़की के सहयोग से प्रसंस्करण कार्य किया जा रहा है।

परियोजना अवधि – 03 वर्ष (2020–23)

कुल लागत – ₹ 45,75,744.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 16,69,248.00

26.15.5.4–वाटर टैक्नोलॉजी इनिशिएटिव के तहत– ''वाटर एनर्जी फूड नैक्सस थ्रू सोलर– फरवरी 2023 में परियोजना के अंतर्गत 100 से अधिक किसानो के लिए सौर ग्रीनहाउस का रखरखाव और संचालन, हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीकें और कृषकों हेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन विषय के अंतर्गत दो दिवसीय कार्यशाला भी प्रस्तावित है।

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 3,02,42,080.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 2,82,62,080.00

26.15.5.5– उन्नत भारत अभियान के अर्न्तगत शिवालिक क्षेत्र के संकुलो के सत्त विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनो का वैज्ञानिक प्रबंधन–

परियोजना अवधि – 02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत – ₹ 2,95,28,768.00

अवमुक्त धनराशि – ₹ 15,95,117.00

26.15.5.6–ई–वेस्ट मैनेजमेंट इन देहरादून एंड रुद्रप्रयाग परियोजना– उक्त परियोजना यूकॉस्ट और स्पेक्स के संयुक्त तत्वाधान से संचालित की गयी है । इस परियोजना के अंतर्गत

राज्य में 8 स्थानों पर ई–वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोले गए हैं।

कुल लागत –₹ 2,73,00,000.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 2,73,00,000.00

26.15.5.7–मैपिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीड्स फॉर उत्तराखंड स्टेट–राज्य में जिला स्तर पर आवश्यकता आधारित क्षेत्रों (कृषि, बागवानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता और शिक्षा) का मानचित्रण किया गया। राज्य के मृतप्राय झरनों/कुओं की पहचानकी गयी व राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा/ संस्थागत/ स्कूलों/ आंगनबाड़ियों का मानचित्रण किया गया।

कुल लागत –₹ 10,00,000.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 10,00,000.00

26.15.5.8–इश्टेबलिशमेंट ऑफ सिड्यूल्ड कॉस्ट (एस0सी0)/ सिड्यूल्ड ट्राइब (एस0टी0) सैल इन उत्तराखण्ड स्टेट काउसिंल फार सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून– परियोजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का मानव संसाधन विकास, क्षेत्र आधारित कौशल विकास केंद्र की स्थापना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से रिक्त स्थानों/गैप को भरने के लिए कार्यक्रमों/परियोजनाओं का सूत्रीकरण, सुदृढ़ीकरण, समन्वय और प्रलेखन और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में विकास के मॉडल की रूपरेखा तैयार करना है जिन्हे अन्य क्षेत्रों में भी दोहराया जा सकता है।

परियोजना अवधि –02 वर्ष (2021–23)

कुल लागत –₹1,18,31,819.00

अवमुक्त धनराशि –₹ 59,84,000.00

26.16–उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र–यूसर्क(Uttarakhand Science Education & Research Centre- USERC) :– यह केन्द्र उत्तराखण्ड में विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक स्वभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके लिए यह केन्द्र विज्ञान शिक्षा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कॅरियर की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है।

- राज्य के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये जल से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर जल विज्ञान प्रशिक्षण (हेण्ड्स ऑन ट्रेनिंग सहित) कार्यक्रमों का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है। (06 प्रशिक्षण कार्यक्रम– लाभान्वित छात्र– 138)

मेंटरशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 603 मेंटी एवं 350 मेंटर पंजीकृत है।

राज्य के 13 जनपदों में 130 विज्ञान चेतना केन्द्रों को विकसित करने तथा विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन करना।

- यूसर्क द्वारा प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रति जनपद कुल 28 STEM Lab(STEM & Science, Technology Engineering and Mathematics)की स्थापना कर उनका संचालन किया जा रहा है।

- विभिन्न वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य के 13 जनपदों में 130 विज्ञान चेतना केन्द्रों को विकसित कर उनके द्वारा विद्यार्थियों के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों (पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, ज्ञान विज्ञान चेतना) का संचालन।

26.17–उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद्–यू0सी0बी0 (Uttarakhand Council वित Biotechnology-UCB)- परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष

2022–23 में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है–

• परिषद् द्वारा वित्त–पोषित 36 परियोजनाएं प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में गतिमान हैं, जिसमें मुख्य रूप से नैनोंबायोटेक्नोलॉजी, उत्तक संवर्धन, जैवसूचनिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, चिकित्सीय जैवप्रौद्योगिकी, हिमालयी सगंध, औषधीय व संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, फसल व सब्जियों के संकर प्रजातियों का विकास कार्य मुख्य हैं।

• परिषद् के कौशल विकास एवं दक्षता प्रकोष्ठ के अन्तर्गत प्रदेश के छात्र–छात्राओं, युवाओं एवं वैज्ञानिकों को निरन्तर जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब तक 250 लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु युवा प्रशिक्षित किया गया हैं।

• हाइड्रोपोनिक, मृदारहित कृषि तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कीवीफल, पिकन नट के कृषिकरण को बढ़ावा देने के लिए परिषद्, हल्दी एवं जैवप्रौद्योगिकी संस्थान पटवाडांगर, नैनीताल के माध्यम से निरन्तर पौध विकसित कर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों तक पहुंचा रही है। अब तक 209 कीवीफल के पौध पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को वितरित किये गए हैं।

• प्रदेश के युवाओं को जैवप्रौद्योगिकी में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए 150 छात्र–छात्राओ, युवाओं एवं वैज्ञानिकों को तकनीकी बारीकियों की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया है।

• चम्पावत में आयोजित सीमान्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव–2022 (19–20 नवम्बर, 2022) में परिषद् द्वारा राज्य के छह सीमान्त जनपदों क्रमशः उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ के 240 चयनित छात्र–छात्राओं को जैवप्रौद्योगिकी शिक्षा व शोध कार्यों से लाभान्वित किया गया है।

• परिषद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पहाड़ दिवस–2022 के साथ पोषण एवं प्रबन्धन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 100 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा पोस्टर एवं क्विज के माध्यम से बच्चों को प्रकृति, पहाड़ एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक कियागया।

• सार्क एजुकेशन फाउंडेशन, कंचनपुर, नेपाल से आये 60 छात्र–छात्राओं को पादप ऊतक संवर्द्धन, मृदारहित खेती जल गुणवत्ता परीक्षण तथा आण्विक जीवविज्ञान की जानकारी के साथ हैन्ड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदान की गयी तथा महानिदेशक, यूकॉस्ट द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीन नवाचारों से अवगत कराया गया।

• डिजरटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी से जून (छह माह) के लिए आयोजित किये जाते है, जिसमें परास्नातक स्तर के छात्र–छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। जनवरी 2023 से यह प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न प्रयोगशालाओं में संचालित होना प्रस्तावित है। अब तक 96 छात्र–छात्राएं छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

• तृतीय देहरादून इंटरनेशनल सांइस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल–2022 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड जैवप्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा स्टॉल लगाकर परिषद् की गतिविधियों, शोध एवं प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा किसानों की दी गई।

• पन्तनगर में एन0सी0सी0 के वार्षिक प्रशिक्षण कैम्प के दौरान इण्टर एवं स्नातक स्तर के 400 युवाओं को जल साक्षरता, जल संरक्षण, सुरक्षा एवं उसकी गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण दिया गया व जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं शोध में अभिरूचि प्रेरित किया गया।

• परिषद् जैव प्रौद्योगिकी जागरूकता के अन्तर्गत नेपाल एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रूद्रपुर के 26 छात्र–छात्राओं को उनके शिक्षकों सहित जैव प्रौद्योगिकी की बारीकियों से अवगत कराते हुये प्रशिक्षित किया गया।

अध्याय–27
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन
Revenue and Disaster Management

27.1 राजस्व

किसी भी राज्य का राजस्व उस राज्य की आय का एक स्रोत होता है। राजस्व विभाग द्वारा लगान, भूमि का एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधीन विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं से बकाया देनदारियों की वसूली करते हुए राजकोष में जमाकर राजस्व की वृद्धि करना प्रमुख कार्य है। राजस्व विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों एवं गैर जमीदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण किया जाता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निष्पक्षपूर्ण बन्दोबस्त/चकबन्दी के साथ–साथ भूमि का स्वरूप परिवर्तन का अभिलेखीकरण प्रमुख कार्य है।

27.1.1 डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाईजेशन प्रोग्राम (DILRMP) योजना का प्रारम्भ से वर्तमान समय तक की अद्यावधिक स्थिति का विवरण।

जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईज किये जा चुके हैं तथा आर0ओ0 आर0 से लिंक करने उपरान्त भू–नक्शा सॉफ्टवेयर http://bhunakashsa.uk.gov.in के माध्यम से पब्लिक डोमेन में व्यहृत किये जा चुके हैं।

जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल की 10–10 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना सम्बन्धी कार्यवाही में जनपद पौड़ी की 08 तथा जनपद अल्मोड़ा की 04 कुल 12 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अन्य में पर्याप्त स्थान/कक्ष उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था पर कार्य प्रगतिशील है।

जनपद अल्मोड़ा एवं पौड़ी गढ़वाल की भूमि का सर्वे/पुनः सर्वे करवाये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार स्तर से जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं अल्मोड़ा में ग्रामीण भूमि का सर्वे एवं पुनः सर्वे हेतु वर्ष 2014–15 में स्वीकृत दर ₹ 18000/वर्ग किमी को वर्ष 2015–16 में ₹ 45400/वर्ग किमी0 पुनरीक्षित करने उपरान्त पुनरीक्षित दरों पर कार्य करने की अनुमति प्रतीक्षित है, साथ ही परिषद् से सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का सर्वे ₹ 45400/वर्ग किमी पर करवाये जाने हेतु ₹ 88.46 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी जिसके सापेक्ष भारत सरकार स्तर से ₹48.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

सम्पूर्ण प्रदेश की भूमि का (रेखीय विभागों की भूमि सहित) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से आधुनिक विधि से सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेत ₹10 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

प्रदेश की तहसीलों/परगनों के भू–लेख केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

प्रदेश के समस्त सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

प्रदेश की गैर जमींदारी विनाश खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण/डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया जा चुका है, प्रदेश की नॉन Z.A. खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

विभागीय राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर की स्थापना राजस्व परिषद कार्यालय में की जा चुकी है, जिसमें विभागीय वेब एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश की 128 तहसील/उप–तहसील के सापेक्ष 77 तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष तहसीलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

योजनान्तर्गत प्रदेश के अवशेष 11 जनपदों के कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन एवं अवशेष 108 तहसीलों / उपतहसील के भू–अभिलेख रिकार्ड का स्कैनिंग कार्य कराये जाने हेतु निविदा उपरान्त कार्यादेश जारी किया जा चुका है। आगामी 02 वर्ष में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

कैडस्ट्रल मैप्स डिजिटाईजेशन एवं तहसीलों के समस्त महत्वपूर्ण अभिलेखों का डिजिटाईजेशन सम्बन्धी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश के समस्त भू–अभिलेख ऑनलाईन आमजन के उपयोगार्थ उपलब्ध रहेंगे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 95% भू–अभिलेखों को ULPIN जनरेट किये जा चुके हैं, अवशेष 05% का अभिलेख अधिकारी स्तर से वैलीडेशन उपरान्त जनरेट कर दिये जायेंगे, साथ ही भारत सरकार स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पृथक से स्वतः ही ULPIN जनरेट किये जाने की कार्यवाही में 02 ग्रामों के ULPIN जारी किये जा चुके हैं, अवशेष हेतु 02 वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

27.1.2 स्वामित्व योजना की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

राज्य के 7441 ग्रामों मे स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये गये हैं, जिसके सापेक्ष 197049 अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। शेष 81180 अभिलेखों के वितरण की कार्यवाही गतिमान है।

27.1.3 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से सम्बन्धित कार्यवाही डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्डः–

डिजिटाईजेशन ऑफ रिकार्डस में खतौनियॉ डिजिटाईज की जा चुके हैं तथा कैडस्ट्रल मैप की स्थिति अग्रिम बिन्दु में समाहित है।

ऑनलाईन म्यूटेशनः– निबन्धन विभाग की एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूटेशन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्री तहसीलदार को प्राप्त होने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश में लागू की जा चुकी है।

धारा 41 के तहत सीमांकन / डिमार्केशन हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन का कियान्वयनः– परिषद् स्तर पर वर्णित कार्यवाही हेतु आर0सी0एम0एस0 सॉफ्टवेयर में व्यवस्था की जा चुकी है, जिसका कियान्यवन प्रदेश की तहसीलों द्वारा किया जा रहा है। भूमि की पैमाईश का ऑनलाईन शुल्क लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में उपलब्ध है, पूर्णतः ऑनलाईन पोर्टल के रूप में संचालित है।

राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरणः– राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित ऑनलाईन वेब ऐप्लीकेशन http://rcms.uk.gov.in के माध्यम से वादों की डाटा इन्ट्री करवायी जा रही है प्रदेश की 402 राजस्व न्यायालय ऑनलाईन किये जा चुके हैं। प्रदेश की राजस्व न्यायालय शुल्क ऑनलाईन लिये जाने की व्यवस्था भी पोर्टल में विद्यमान है। साथ ही प्रदेश में राजस्व न्यायालयों को पूर्णतः ऑनलाईन करवाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

कृषि भूमि को अकृषि करने हेतु ZACR अधिनियम की धारा–143 एवं 144 तथा कृषि भूमि क्रय करने हेतु (धारा–154) वेब पोर्टल https://landuse.uk.gov.in के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

नॉन Z.A. खतौनियों का वैलीडेशनः– प्रदेश की समस्त नॉन जेड0ए0 खतौनियॉ का कम्प्यूटरीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्रः– प्रदेश के https://landuse.uk.gov.in पोर्टल पर गैर वन भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश में राजस्व वसूलियों की ऑनलाईन फाईलिंग http://rcs.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में की जा रही है।

भू–अभिलेखों पर कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभार ऑनलाईन दर्ज/मुक्त किये जाने हेतु वेब पोर्टल http://loanentry.uk.gov.in प्रदेश में संचालित है।

27.1.4 सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य :– वर्तमान समय में सर्वेक्षण इकाई जनपद उधमसिंनगर, एवं देहरादून के अन्तर्गत सर्वेक्षण/ बन्दोबस्ती क्रियाओं के अधीन ग्रामों का विवरण :–

तालिका 27.1

क0सं0	जनपद का नाम	ग्रामों की संख्या जिनमें प्रकिया सर्वेक्षण/बन्दोबस्त अधीन हैं
01	ऊधमसिंहनगर	14
02	नैनीताल	03
03	हरिद्वार	06
04	देहरादून	06
05	टिहरी	01

स्रोतः राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2 उत्तराखण्ड राज्य में चकबन्दीः– वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उद्यमसिंह नगर में 1–1 चकबन्दी इकाई कार्यरत है। चकबन्दी के अन्तर्गत मैदानी जनपदों के चकबन्दी में लिये गये ग्रामों की कुल संख्या–915 है, जिसके सापेक्ष 438 ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण कर अभिलेख तहसीलों को भेजे जा चुके हैं तथा 327 ग्राम जन विरोध अथवा स्थगन आदेश के कारण तहसीलों को वापस किये जा चुके हैं, शेष 150 ग्रामों में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया गतिमान है।

तालिका 27.2
उत्तराखण्ड के मैदानी जनपदों में चकबन्दी का विवरण

जनपद का नाम	चकबन्दी में लिये गये ग्रामें की कुल संख्या	ग्राम जिनमें चकबन्दी प्रकिया पूर्ण हो चुकी है।	धारा–6 के अन्तर्गत डिनोटिफाई के कारण चकबंदी समाप्त/ आदि से तहसील को को वापस किये गये ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनका कार्य चल रहा है
उधमसिहनगर	273	127	100	46
चम्पावत	28	02	26	–
नैनीताल	20	03	15	02
हरिद्वार	594	306	186	102
योग	**915**	**438**	**327**	**150**

स्रोतः राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड

27.2.1 पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दीः–

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी को सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020 प्रख्यापित की गयी है। पर्वतीय क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के सात ग्रामों यथा लखोली, औणी, खैरासैण, पंचूर, तंगोली, ग्वीन मल्ला एवं ढांगल में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–4(1) व 4(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। ग्राम लखोली, औणी, खैरासैण एवं पंचूर में चकबन्दी समिति का गठन किया गया है एवं खतौनी सत्यापन/पड़ताल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।वर्तमान में उक्त सात ग्रामों में डिजिटल सर्वेक्षण कराये जाने हेतु जी.आई. एस कन्सोरटीएम प्रा. लि0 नोएडा का चयन किया जा चुका है। सर्वेक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

27.3 आपदा प्रबन्धन

उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्य होने के कारण, यहां पर बहुतायत में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। आपदाओं के कारण प्रदेश में अत्यधिक धन हानि तथा जन हानि का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के लिए राज्य में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित किया गया है। राज्य स्तर पर आपदाओं की त्वरित सूचनाओं हेतु आपदा कन्ट्रोल भवन का आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा, देहरादून में निर्माण कराया जा रहा है।

27.3.1 विभाग के अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य में आपदा की स्थिति में प्राथमिक प्रतिवादन में समुदाय की प्रमुख भूमिका के दृष्टिगत समुदाय के स्तर पर आपदा उपरान्त खोज एवं बचाव से सम्बन्धित प्रशिक्षणों के संचालन हेतु आपदा मित्र फेज–2 परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त परियोजना की कुल लागत ₹ 7.23 करोड़ है, जिसमें से प्रथम एवं द्वितीय किस्त ₹ 4.32 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, तथा परियोजना की अवधि 2021–2023 तक की है। वर्तमान में उक्त परियोजना के अन्तर्गत ₹ 2.24 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत 815 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

वर्ष 2015–2030 की अवधि में क्रियान्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण की "Implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction" सेण्डई रूपरेखा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय से राज्य के लिये एक वृहद् कार्ययोजना तैयार करते हुये जनपद स्तर पर क्रियान्वित की जा रही है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी के 10 Point Agenda के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की गयी है।

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, रूड़की के सहयोग से राज्य में स्थापित भूकम्प पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, जिस हेतु NDMA को ₹ 58.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। भूकम्प पूर्व चेतावनी के वृहद प्रचार–प्रसार के द्वारा भूकम्प जनित क्षति को न्यून करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड भूकम्प एलर्ट ऐप को उच्चीकृत किया जा रहा है।

आपदा के साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं को सरल प्रारूप व भाषा में जन सामान्य तक पहुँचाने के उद्देश्य से सामुदायिक रेडियो नीति का प्रख्यापन किया गया है तथा इसे और अधिक जनोनन्मुखी बनाने के उद्देश्य से उक्त में वांछित संशोधन किये गये हैं। विश्व बैंक सहयोग से पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील में सामुदायिक रेडियो की नवीनतम तकनीकों का

प्रयोग किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य के द्वारा उपलब्ध करवाये गये मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमानों तथा चेतावनियों को जनमानस तक पहुँचाने के लिये Bulk SMS तथा Common Alert Portal (CAP) सेवा का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा सहायतित "Landslide Risk Mitigation Scheme (LRSM)" के अन्तर्गत राज्य में 02 भू–स्खलन क्षेत्रों यथा कैम्पटी–चिड़ोगी, जनपद टिहरी एवं हाड़िया नाला, डीडीहाट पिथौरागढ़ के सुरक्षात्मक/उपचार कार्यो को लोक निर्माण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹ 14.3507 करोड़ की है, जिसमें से NDMA द्वारा 03 किस्तों में कुल ₹ 9.8289 करोड़ की धनराशि तथा राज्यांश के रूप में ₹ 3.7506 करोड़ की धनराशि कुल ₹ 13.5795 करोड़ प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। उक्त 02 भूस्खलन क्षेत्रों में ₹ 11.9526 करोड़ का स्थिरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

विश्व बैंक सहायतित परियोजना– उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई स्लोप सेतु इकाई के अन्तर्गत कुल 58 पुलों का निर्माण कार्य एवं 05 सुरक्षात्मक नदी तट कार्य किये जा रहे हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन ईकाई हैल्थ के अन्तर्गत 140 एम्बुलेंस एवं अन्य उपकरणों का क्रय किया गया है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से विभाग के अन्तर्गत Uttarakhand Green Resilient & Inclusive Development Project (UGRDIP) को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य में Decision Support System (DSS) की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से Integrated Geospatial Platform, Database and Application for Disaster Risk Management in Uttarakhand को विश्व बैंक की सहायता से विकसित किया गया है। वर्तमान में प्रणाली ने जनपद स्तर पर सफल परिचालन किये जाने हेतु सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। इस प्रणाली द्वारा आपदा जोखिम की निगरानी, पूर्व चेतावनी आपदा के समय प्रतिवादन में सहायता प्राप्त होती है।

राज्य में मौसम से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रहण Real Time पर किया जा रहा है, इस हेतु विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में ब्लॉक स्तर पर 107 AWS, 28 ARG, 16 ASG, तथा 25 SFO लगाये गये हैं। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से 03 डाप्लर रडार स्थापित किये गये हैं तथा अन्य स्थानों पर 49 AWS एवं 06 नये Compact Doppler Radar लगाये जाने हैं।

आपदा की स्थिति में सूचनाओं के आदान–प्रदान को सुचारू बनाये रखने हेतु सभी 13 जनपदों को 214 + 220 (एस0डी0आर0एफ0 द्वारा संचालित किये जा रहे) कुल 434 सैटेलाईट फोन उपलब्ध हैं।

आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ITDA के सहयोग से आधुनिक तकनीकी पर आधारित vehicle mounted drone का उपयोग किया जा रहा है।

टिहरी बाँध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में पानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में चेतावनी के प्रसारण के लिए कोटेश्वर व हरिद्वार के मध्य टी0एच0डी0सी0 के सहयोग से पूर्व चेतावनी उपकरणों की स्थापना की गयी है।

जनपद उत्तरकाशी के वरूणावत् पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाले की ओर भू–स्खलन के उपचार हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है।

आपदा उपरान्त किये जाने वाले कार्यों को कुशलता से किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा इन

कार्यों को ''इंसीडेन्ट रिस्पान्स सिस्टम'' के क्रियान्वयन हेतु IRS Software तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपदा प्रतिवादन में सहायता प्राप्त होगी।

पुराने और जीर्ण–क्षीर्ण भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनाने के लिये मजबूतीकरण (Retrofitting) की विधा का प्रयोग किया जाता है। इस विधा के प्रचार–प्रसार व प्रदर्शन के उद्देश्य से वर्तमान तक निम्नलिखित 15 विद्यालयों तथा 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मजबूतीकरण किया गया है।

महिला मंगल दल / युवक मंगल दल प्रशिक्षण।

वनाग्नि, वज्रपात, लू, शीतलहर सम्बन्धित प्रकरण व समन्वयन पर कार्ययोजना बनायी गयी हैं एवं समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

27.4 विभागीय कार्यों के समयबद्ध निर्वहन हेतु निर्धारित रिफार्म एजेंडा–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में आसन्न भूकम्प जोखिम के न्यूनीकरण हेतु दीर्घकालिक वृहद कार्य योजना का विकास।

विश्व बैंक सहायतित परियोजना– उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई पब्लिक बिल्डिंग के यू0एस0डी0एम0ए0 भवन एवं एस0डी0आर0एफ0 भवन का निर्माण कार्य।

आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों हेतु ड्रोन की उपलब्धता।

राज्य में मौसम सम्बन्धित पूर्वानुमान तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सुरकुण्डा (टिहरी गढ़वाल) एवं लैन्सडाउन (पौड़ी गढ़वाल) में डॉप्लर की स्थापना हेतु मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को वांछित सहयोग।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से संचालित ''Pilot Project to Improve Earth quake Masonry Lifeline Building के अन्तर्गत 05 सरकारी भवनों का भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण कार्य।

भवन निर्माण उपविधियाँ सम्बन्धित प्रकरण व समन्वयन।

ग्लेशियर मॉनिटरिंग का कार्य।

अवसंरचनाओं का सुदृढ़ीकरण।

हैम रेडियो की स्थापना।

प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्रामों का पुनर्वास।

परिशिष्ट

Socio Economic Indicators
Comparison Statement of Uttarakhand with India

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
1	**Administrative Set-up**				
I)	No. of Districts	No	2011	13	640
II)	No. of Tahsil	No	2011	110	5924
III)	Census Towns	No	2011	116	4041
IV)	No. of Villages	No	2011	16793	597608
2	**Population**				
I)	Total Population	Lakh	2011	100.86	12108.55
II)	Rural Population	Lakh	2011	70.37	8337.49
III)	Urban Population	Lakh	2011	30.5	3771.06
IV)	Child Population in the Age-group 0-6	Lakh	2011	13.56	1645.15
V)	% of rural population to total population	%	2011	69.76	68.86
VI)	% of Urban population to total population	%	2011	30.24	31.14
VII)	% of child population to total population	%	2011	13.44	13.59
3	**Density of population (Population per Sq. Km.)**	No	2011	189	382
4	**Decadal Growth Rate**	%	2001-2011	18.81	17.7
5	**Scheduled Castes Population**				
I)	Persons	Lakh	2011	18.93	2013.78
II)	Rural	Lakh	2011	14.97	1538.51
III)	Urban	Lakh	2011	3.96	475.28
IV)	% age of S.C. population to total population	%	2011	18.76	16.63
6	**Scheduled Tribes Population**				
I)	Persons	Lakh	2011	2.92	1045.46
II)	Rural	Lakh	2011	2.65	940.84
III)	Urban	Lakh	2011	0.27	104.62
IV)	% age of S.T. population to total population	%	2011	2.89	8.63
7	**Sex Ratio (Femels per 1000 males)**				
I)	Total	No	2011	963	943
II)	Rural	No	2011	1000	949
III)	Urban	No	2011	884	929
IV)	Child sex Ratio in Age-group 0-6	No	2011	890	919
8	**Literate Population**	**Lakh**	**2011**	**68.81**	**7636.39**

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
9	**Literacy Rate**				
I)	Total	%	2011	78.82	74.4
II)	Males	%	2011	87.4	82.14
III)	Females	%	2011	70.01	65.46
IV)	Rural	%	2011	76.31	67.8
V)	Urban	%	2011	84.45	84.1
VI)	Total Literacy Rate among Scheduled Castes	%	2011	74.41	66.07
VII)	Total Literacy Rate among Scheduled Tribes	%	2011	73.88	58.96
10	**Workers**				
10.1	**Total Workers**				
I)	Persons	'000	2011	3872	481889
II)	Males	'000	2011	2552	331940
III)	Females	'000	2011	1320	149949
IV)	Rural	'000	2011	2886	348743
V)	Urban	'000	2011	986	133146
10.2	**Main workers**	'000	2011	2871	362566
I)	% of main workeras to total workers	%	2011	74.15	75.2
10.3	**Marginal Workers**	'000	2011	1001	119323
I)	% of marginal workers to total workers	%	2011	25.85	24.8
10.4	**work participation Rate**				
I)	Total	%	2011	38.39	39.8
II)	Male	%	2011	49.67	53.3
III)	Female	%	2011	26.68	25.5
IV)	Rural	%	2011	41.01	41.8
V)	Urban	%	2011	32.33	35.3
10.5	**Distribution to Total Workers**				
I)	**Cultivators**	'000	2011	1046	118809
II)	% to total Workers	%	2011	27.01	24.7
III)	**Agricultural Labourers**	'000	2011	247	144334
IV)	% to total Workers	%	2011	6.39	30
V)	**Household Industry Workers**	'000	2011	77	18338
VI)	% to total Workers	%	2011	1.98	3.8
VII)	**Other workers**	'000	2011	1501	200408
VIII)	% to total Workers	%	2011	38.76	41.6
(IX)	**Non-workers**	lakh	2011	62.14	7289.66
(X)	% of non-workers to total population	%	2011	61.61	60.2

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
11	**Disabled Population**	'000	2011	185	26810.6
I)	% of disabled population to total population	%	2011	1.84	2.21
11.1	**Proportion of Disabled of Population by Type of Disability**				
I)	In seeing	%	2011	15.71	18.8
II)	In Hearing	%	2011	20.34	18.9
III)	In Speech	%	2011	6.66	7.5
IV)	In movement	%	2011	19.97	20.3
V)	Mental Retardation	%	2011	6.18	5.6
VI)	Mental Illness	%	2011	3.48	2.7
VII)	Any other	%	2011	16.58	18.4
VIII)	Multiple Disability	%	2011	11.08	7.9
12	**Houseless population**				
I)	Houseless Households	No	2011	3273	449761
II)	Houseless Population	'000	2011	11.824	1772.9
III)	% of Houseless Population to total population	%	2011	0.12	0.15
13	**Slum Population**				
I)	Towns Reporting Slums	No	2011	31	2613
II)	Total Number of Slums Households	No	2011	93911	13920191
III)	**Total Slum Population**				
IV)	Persons	'000	2011	487.741	65494.604
V)	Male	'000	2011	257.624	33968.203
VI)	Female	'000	2011	230.117	31526.401
VII)	% of total Slum Population to urban population	%	2011	15.99	17.4
14	**Proportion of Population by Age Groups**				
I)	0-14 years	%	2011	31.02	30.8
II)	15-59 Years	%	2011	59.88	60.3
III)	60 and above years	%	2011	9.10	8.6
15	**Religionwise Population**				
I)	Hindu	No	2011	8368636	96.62
II)	% to total Population	%	2011	82.97	79.8
III)	Muslim	No	2011	140682.5	172245158
IV)	% to total Population	%	2011	13.95	14.23
V)	Christian	No	2011	37781	27819588
VI)	% to total Population	%	2011	0.37	2.3

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
VII)	Sikhs	No	2011	236340	20833116
VIII)	% to total Population	%	2011	2.34	1.72
(IX)	Buddhists	No	2011	14926	8442972
(X)	% to total Population	%	2011	0.15	0.7
(XI)	Jains	No	2011	9183	4451753
(XII)	% to total Population	%	2011	0.09	0.37
(XIII)	Other	No	2011	13601	10805037
(XIV)	% to total Population	%	2011	0.12	0.89
Source: Office of the Registrar General of India, Ministry of Home Affairs					
16	**STATE INCOME**				
16.1	Gross State Domestic Product				
I)	At Current Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	227421	19800914
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	175910	13558473
16.2	Net State Domestic Product				
I)	At Current Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	200534	17460845
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.Crore	2020-21(Q)	154100	11726198
16.3	**Per Capita Net State Domestic Product**				
I)	At Current Prices	Rs.	2020-21(Q)	176,744	126855
II)	At Constant (2011-12) Prices	Rs.	2020-21(Q)	135819	85110
16.4	Par Capita Revenue Receipts of the State	Rs	2020-21	32.620	20.568
16.5	Share of States own Tax Revenue Receipts	%	2020-21	29.20	44.5
16.6	Per Capita Share in Central Taxes	Rs	2020-21	5352	NA
16.7	Per Capita grants From Center	RS	2020-21	14.761	NA
16.8	Share of Development Expenditure in Total Expenditure	%	2020-21	54.2	63.1
16.9	Percentage of Revenue Deficit (+), Surplus (-) to GSDP	-	2020-21	1.3	2.8
16.10	Percentage of Fiscal Deficit(+)/Surplus (-) to GSDP	-	2020-21	4.4	4.7
16.11	Percentage of Outstanding Liabilities to GSDP	-	31.03.2021	31.0	31.3
Source: (1) Directorate of Economics & Statistics, Uttarakhand State, Dehradun, Q: Quick Estimates Source: (2):- In India Includes all Union territories					

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
22	LIVESTOCK				
I)	Total Livestock *	No.	2019	4427089	536761343
II)	Cattle	No.	2019	1852123	193462871
III)	Bufaloes	No.	2019	866318	109851678
IV)	total Sheep 7 goats	No.	2019	1656586	223145401
V)	Other Livestock	No.	2019	52062	10301393
** Total Livestock covers Cattel, Buffaloes, Yaks, Mithuns, Sheep, Goat, Pig, Horses & Ponies, Mules, Donkeys, Camels*					
2	**Poultry**	No.	2019	5018684	851809931
3	**Livestock Products**				
I)	Milk Production	'000 Tonne	2019-20	1845	198439.57
II)	Eggs Production	Lakh Nos.	2019-20	4786	1143831.01
III)	Wool Production	'000 Kgs	2019-20	497	36760.57
4	**Fish Production**				
I)	Marine	Lakh Tonne	2019-20	0.00	37.27
II)	Inland	Lakh Tonne	2019-20	0.05	104.37
III)	Total	Lakh Tonne	2019-20	0.05	141.64
source: Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture, GoI.					
23	**ENERGY**				
I)	Installed Capacity	MW	As on Dec 2022	1318.56	410339.23
II)	Installed Capacity of Electricity Per Lakh Population	MV	31.3.2022	29.47	28.16
III)	Per Capita Generation of Electricity	Kwh	2021-21	925.25	1011.94
IV)	Transmission and Distribution Losses	%	2019-20	22.42	20.46
Source: Central Electricity Authority of India, GoI **Relates to utility & non-utility					
24	**INDUSTRY**				
Results of Annual Survey of Industries					
I)	No of Factories	No.	20189-19(P)	3002	242395
II)	Total Persons Engages	'000	20189-19(P)	411.49	16277
III)	Value of Output	Rs. Crore	20189-19(P)	25569.34	9283361.9
IV)	Net Value Added	Rs. Crore	20189-19(P)	5005.06	1273694.28
Source: NSO, Ministry of Statistical Programme and Implementation , GoI					
25	**Performance of Employment Exchanges**				
I)	Employment Exchanges*	No.	2018	23	997.0
II)	Registrations	'000 No.	2018	127.61	3831.8
III)	Placements	'000 No.	2018	0.027	404.7
IV)	Live Register*	'000 No.	2018	778.08	42122.3
Source: Ministry of Labour and Employement, GoI *At the end of the year. Note: Total may not tally due to rounding off figures.					

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
26	SUMMARY RESULTS OF 6th ECONOMIC CENSUS-2013				
A	Total Number of Establishment*				
1	Rural				
I)	Outside Households(HH) with fixed structure	No.	2013	137029	12725866
II)	Outside Households(HH) without fixed structure	No.	2013	23852	6666084
III)	Inside HH	No.	2013	71089	15403804
IV)	All	No.	2013	231970	34795754
2	Urban				
I)	Outside Households(HH) with fixed structure	No.	2013	115633	13810912
II)	Outside Households(HH) without fixed structure	No.	2013	17416	4121697
III)	Inside HH	No.	2013	29160	5766996
IV)	All	No.	2013	162209	23699605
3	Combined				
I)	Outside Households(HH) with fixed structure	No.	2013	252662	26536778
II)	Outside Households(HH) without fixed structure	No.	2013	41268	10787781
III)	Inside HH	No.	2013	100249	21170800
IV)	All	No.	2013	394179	58495359
B	No. of persons Employed on Last Working Day				
1	Rural (Hired)				
I)	Male	No.	2013	209559	15983401
II)	Female	No.	2013	84664	6602400
III)	All	No.	2013	294223	67895421
2	Urban (Hired)				
I)	Male	No.	2013	269155	27436891
II)	Female	No.	2013	55713	7124490
III)	All	No.	2013	324868	63398447
3	Combined (Hired)				
I)	Male	No.	2013	478714	43420292
II)	Female	No.	2013	140377	13726890
III)	All	No.	2013	619091	131293868
C	No of Handi creff/Handloo				
I)	Combined	No.	2013	9398	1873624

Source: All India Report on Sixth Economic Census, CSO, New Delhi.* Excluding Crop Production, Plantation, Public Administration, Defence & Compulsory social Security services activities.

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
27	**BANKING**				
I)	All Scheduled Commercial Banks				
II)	Offices	Number	As on September	2410	151157
III)	Deposits	Rs. In crore		166428	15950446
IV)	Credit	Rs. In crore		75867	11159792
V)	Credit Deposit Ratio	%		48	70.01
VI)	No. of Banking Offices Per Lakh Population**		as on 31st March 2021	18.8	11.0
28	**Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna**				
I)	Total Account Holders	000'	2021-22	2880	446,890
II)	Total Rupay Cards Holders	000'	2021-22	2031	314,280
III)	Annual Credit Plan	Rs coror	2021-22	12,299	18,11,548
Source: Reserve Bank of India, GoI.					
28.1	***Road Length by surface****				
I)	Total Length	Kms.	As on 31/03/2018	52852	5315797
II)	Surfaced	Kms.		37930	3748292
III)	Unsurfaced	Kms.		14922	1567505
	***Excluding JRY Roads**				
28.2	**Total Road Length by Category**				
I)	National highway	Kms.	As on 31/03/2018	2949	126350
II)	State highway	Kms.		4387	186908
III)	District rodas	Kms.		4906	611268
IV)	Rural Roads	Kms.		29809	3509582
V)	Urban roads	Kms.		5514	534142
VI)	Project Roads	Kms.		5287	347547
28.3	**Vehicle Registration**				
I)	Total Registered Motor Vehicles	No	As on 31/03/2018	2752685	295771688
II)	Total Transport Motor Vehicles	No		181515	25891404
III)	Total Non- Transport Motor Vehicles	No		2571170	269880284
28.4	**Incidenec of Road Accidents**	No	2019	1352	449002
28.5	**Total Railway Route Length**	Kms,	2019-20		67956
28.6	Broad Gauge	Kms,	2019-20	283.76	63950
28.7	narrow Gauge	Kms,	2019-20	61.15	1604

Sourec: - (1) Ministry of Road Transport & Highways, GoI. (2) Ministry of Railways, GoI

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
29	**Communication**				
I)	Post offices	No	As on March 2019-20	2722	156721
II)	Telephone Connections	In Million	2019-20	92747	1191.05
31	**Education**				
I)	Number of Universities	No	2020-21	37	1113
II)	Number of Colleges	No	2020-21	477	43796
III)	No of colleges per lakh Population			40	31
IV)	Average Enrollment per collage			546	646
31.1	**Number of Education Institutions**				
I)	Higher Secondary School	No	2021-22	2578	142398
II)	Secondary School	No	2021-22	1407	150452
III)	Upper Primary School	No	2021-22	5426	435805
IV)	Primary School	No	2021-22	13404	760460
31.2	**No. of Enrollment in School**				
I)	Higher Secondary School	No	2021-22	332396	28579050
II)	Secondary School	No	2021-22	365696	38528631
III)	Upper Primary School	No	2021-22	595782	66790692
IV)	Primary School	No	2021-22	1061894	121842250
31.3	**Enrollment Ratio (GER)**				
I)	Primary	No	2021-22	120.5	103.39
II)	Uper primary	No	2021-22	102.2	94.67
III)	Secondary	No	2021-22	89.6	79.56
IV)	Higher Secondary	No	2021-22	78.8	57.56
31.4	**Net Enrollment Ratio (NER)**				
I)	Primary	No	2021-22	97.1	86.6
II)	Uper primary	No	2021-22	71.3	71.3
III)	Second	No	2021-22	49.1	47.9
IV)	Higher Secondary	No	2021-22	42.7	34.2
31.5	**Gender Parity Index**				
I)	Primary	No	2021-22	1.05	1.03
II)	Uper primary	No	2021-22	1.02	1.00

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
III)	Second	No	2021-22	1.02	1.00
IV)	Higher Secondary	No	2021-22	1.04	1.02
31.6	**Dropout Rate**				
I)	Primary	No	2021-22	0.8	1.5
II)	Uper primary	No	2021-22	2.7	3.0
III)	Secondary	No	2021-22	5.00	12.6
Source: Ministry of Eduction, GoI, AISHE 2019-20 and UDICE 2020-21					
32	Health & vital Statistics				
32.1	**Expectation of Life at Birth**				
I)	Male	Year	2014-18	67.9	68.2
II)	Female	Year	2014-18	74.3	70.7
32.2	**Birth Rate (Per' 000 Population**				
I)	Rural	No	2019	17.5	21.4
II)	Urban	No	2019	16.1	16.4
III)	Total	No	2019	17.1	19.7
32.3	**Death Rate (Per' 000 Population**				
I)	Rural	No	2019	6.4	6.5
II)	Urban	No	2019	5.1	5.0
III)	Total	No	2019	6.0	6.0
32.4	**Natural Growth Rate (Per' 000 Population**				
I)	Rural	No	2019	11.1	14.9
II)	Urban	No	2019	10.9	11.4
III)	Total	No	2019	11.0	13.8
32.5	**Infant Mortality rate (Per' 000 Population**				
I)	Rural	No	2019	28	34
II)	Urban	No	2019	26	20
III)	Total	No	2019	27	30
IV)	Male	No	2019	27	30
V)	Female	No	2019	28	31
32.6	**Under-Five Mortality rates (Per' 000 Population**				
I)	Total	No	2019	30	36
II)	Mele	No	2019	29	36
III)	Female	No	2019	31	37
32.7	**Total Fertility rate (TFR)***				
I)	Total	No	2019-20	1.9	2.0
II)	Rural	No	2019-20	1.9	2.1
III)	Urban	No	2019-20	1.8	1.6

Sr. No.	Item	Unit	Year	Uttarakhand	India
1	2	3	4	5	6
32.8	Maternal Mortality Ratio (Par 1 Lak live births)	No	2016-18	99	113
32.9	Primary Health Centre	No	2020	259	24918
32.1	Community Health Centre	No	2020	86	5183
Source:- (1) Ministry of Health & Family Welfare, GoI. (2) * National Family Health Survey-5 (3) Registrar General of India Ministry of Home Affairs (4) SRS 2019					
33	**Forest**				
I)	Forest Cover Area	sq. Km	2019	24305	713789
II)	Very Dense Forest	sq. Km	2019	5055	99779
III)	Moderate Dense Forest	sq. Km	2019	12768	306890
IV)	Open Forest	sq. Km	2019	6482	307120
V)	% of Geographical area	%	2019	45.44	21.71
VI)	Tree Cover	sq. Km	2019	841	95027
VII)	Scrub	sq. Km	2019	392	46539
33.1	**National Park**				
I)	No. of National Park	No	As on March 31/03/2021	6	104
II)	Area	sq. Km		5001.36	43716.15
33.2	**Wildlife Sanctuaries**				
I)	No. of Wildlife Sanctuaries	No	As on March 31/03/2021	7	566
II)	Area	sq. Km		2683.80	122420.00
Source: (1) Forest Survey of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, GoI (2) Ministry of Statistics and Progamme Implementation, GoI					
34	**Crimes**				
I)	Crimes against Women	No.	20.9.2021	2846	372503
II)	Crimes against Childern	No.	30.9.2021	1066	128531
Reference-					
1	Economic Survey of Uttarakhand year 2020-21				
2	Economic Survey of Maharashtra year 2021-22				
3	Economic Survey of Tripura year 2021-22				

STATISTICAL STATEMENTS

1.2 STATEWISE AREA, POPULATION, SEX RATIO, CHILD SEX RATIO, DECADAL GROWTH RATE, POPULATION DESITY AND SHARE OF URBAN POPULATION, CENSUS-2011

Sr. No.	India/State/UT	Sex Ratio	Child Sex Ratio	% of Child Population to	Decadal Growth Rate	Population Density	% share of Urban	Area (in Sq. Km.)	Population		
									Rural	Urban	Total
	INDIA	943	918	**13.6**	**17.7**	**382**	**31.1**	3287469	833748852	377106125	1210854977
1	Andhra Pradesh	993	939	10.8	11	308	33.4	275045	56361702	28219075	84580777
2	Arunachal Pradesh	938	972	15.3	26	17	22.9	83743	1066358	317369	1383727
3	Assam	958	962	14.9	17.1	398	14.1	78438	26807034	4398542	31205576
4	Bihar	918	935	18.4	25.4	1106	11.3	94163	92341436	11758016	104099452
5	Chhatisgarh	991	969	14.3	22.6	189	23.2	135192	19607961	5937237	25545198
6	Goa	973	942	9.9	8.2	394	62.2	3702	551731	906814	1458545
7	Gujarat	919	890	12.9	19.3	308	42.6	196244	34694609	25745083	60439692
8	Haryana	879	834	13.3	19.9	573	34.9	44212	16509359	8842103	25351462
9	Himachal Pradesh	972	909	11.3	12.9	123	10	55673	6176050	688552	6864602
10	Jammu & Kashmir	889	862	16.1	23.6	124	27.4	222236	9108060	3433242	12541302
11	Jharkhand	948	948	16.3	22.4	414	24	79716	25055073	7933061	32988134
12	Karnataka	973	948	11.7	15.6	319	38.7	191791	37469335	23625962	61095297
13	Kerala	1084	964	10.4	4.9	860	47.7	38852	17471135	15934926	33406061
14	Madhya Pradesh	931	918	14.9	20.3	236	27.6	308252	52557404	20069405	72626809
15	Maharastra	929	894	11.9	16	365	45.2	307713	61556074	50818259	112374333
16	Manipur	985	930	13.1	24.5	115	29.2	22327	2021640	834154	2855794
17	Meghalaya	989	970	19.2	27.9	132	20.1	22429	2371439	595450	2966889
18	Mizoram	976	970	15.4	23.5	52	52.1	21081	525435	571771	1097206
19	Nagaland	931	943	14.7	-0.6	119	28.9	16579	1407536	570966	1978502
20	Odisa	979	941	12.6	14	270	16.7	155707	34970563	7003656	41974218
21	Punjab	895	846	11.1	13.9	551	37.5	50362	17344192	10399146	27743338
22	Rajasthan	928	888	15.5	21.3	200	24.9	342239	51500352	17048085	68548437
23	Sikkim	890	957	10.5	12.9	86	25.2	7096	456999	153578	610577
24	Tamil Nadu	996	943	10.3	15.6	555	48.4	130060	37229590	34917440	72147030
25	Tripura	960	957	12.5	14.8	350	26.2	10486	2712464	961453	3673917
26	Uttara Pradesh	912	902	15.4	20.2	829	22.3	240928	155317278	44495063	199812341

Sr. No.	India/State/UT	Sex Ratio	Child Sex Ratio	% of Child Population to	Decadal Growth Rate	Population Density	% share of Urban	Area (in Sq. Km.)	Population		
									Rural	Urban	Total
27	Uttarakhand	963	890	13.4	18.8	189	30.2	53483	7036954	3049338	10086292
28	West Bengal	950	956	11.6	13.8	1028	31.9	88752	62183113	29093002	91276115
Union Territory											
1	Andaman & Nicobar Islands	876	968	10.7	6.9	46	37.7	8249	237093	143488	380581
2	Chandigarh	818	880	11.3	17.2	9258	97.3	114	28991	1026459	1055450
3	Dadra & Nagar Haveli	774	926	14.8	55.9	700	46.7	491	183114	160595	343709
4	Daman & Diu	618	904	11.1	53.8	2191	75.2	111	60396	182851	243247
5	Lakshadweep	946	911	11.3	6.3	2149	78.1	30	14141	50332	64473
6	NCT of Delhi	868	871	12.0	21.2	11320	97.5	1483	419042	16368899	16787941
7	Puducherry	1037	967	10.6	28.1	2547	68.3	490	395200	852753	1247953

जी0एस0डी0पी से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े

क्र0 सं0	वर्ष	जी0एस0डी0पी		प्रति व्यक्ति आय		आर्थिक वृद्धि दर		प्राथमिक क्षेत्र		द्वितीयक क्षेत्र (शेयर)		तृतीयक क्षेत्र (शेयर)	
		उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत
1	2011–12	115328	8736329	₹100,314	₹63,462			14.00	21.75	52.13	29.28	33.88	48.97
2	2012–13	131613	9944013	₹113,654	₹70,983	7.27	5.50	14.08	21.31	52.01	28.66	33.91	50.03
3	2013–14	149074	11233522	₹126,356	₹79,118	8.47	6.40	13.86	21.44	50.59	27.94	35.54	50.62
4	2014–15	161439	12467959	₹136,099	₹86,647	5.29	7.40	12.28	20.88	50.52	27.29	37.19	51.83
5	2015–16	177163	13771874	₹147,936	₹94,797	8.08	8.00	11.19	20.05	50.37	27.61	38.44	52.33
6	2016–17	195125	15391669	₹161,752	₹103,870	9.83	8.30	10.83	20.38	50.20	27.00	38.97	52.63
7	2017–18	220222	17090042	₹180,858	₹115,224	7.90	6.80	11.08	20.42	49.20	27.04	39.73	52.54
8	2018–19	230327	18899668	₹186,207	₹125,883	2.83	6.50	10.92	19.84	48.22	26.87	40.86	53.29
9	2019–20	239263	20074856	₹190,558	₹132,115	1.97	4.00	11.75	20.25	46.04	24.95	42.22	54.80
10	2020–21	238857	19800914	₹185,761	₹126,855	-5.38	-6.60	13.33	21.79	45.90	25.10	40.78	53.11
11	2021–22	265488	23664637	₹205,840	₹150,007	7.05	8.70	12.36	21.05	46.21	26.29	41.43	52.66

Disrictwise Credit/Deposit Ratio based on SLBC publication

S.No.	District	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	Uttarkashi	34	41	88	48	44	47	52	42	42	44	52
2	Chamoli	42	82	28	28	27	29	28	73	75	28	70
3	Rudraprayag	40	32	42	66	25	26	28	26	23	25	28
4	Tehri Garhwal	30	83	31	32	29	46	74	38	26	28	32
5	Dehradun	23	40	75	40	45	42	40	43	41	35	35
6	Pauri Garhwal	29	66	140	36	27	24	24	25	24	24	26
7	Pithoragarh	30	35	34	33	34	37	42	44	43	33	45
8	Bageshwar	25	53	29	28	37	23	30	30	27	26	26
9	Almora	35	26	16	23	23	20	22	25	23	23	26
10	Champawat	33	16	27	38	42	31	44	30	27	28	34
11	Nainital	29	53	21	50	48	45	45	46	43	41	41
12	U S Nagar	39	77	102	151	130	122	117	121	113	86	103
13	Haridwar	111	70	69	74	73	65	73	81	79	56	66

District wise credit deposit ratio is provided by SLBC, Uttarakhand (Dated: 07-11-2020). SNAC recommends each year CD ratio to be used.

UTTARAKHAND
BANK WISE BRANCH NETWORK AS ON 30.9.2022

SR.	Name of Bank	Rural	Semi-Urban	Urban	Total	ATMs
1	STATE BANK OF INDIA	277	52	74	403	820
2	PUNJAB NATIONAL BANK	163	71	61	295	477
3	BANK OF BARODA	52	31	51	134	200
	Total Lead Banks	**492**	**154**	**186**	**832**	**1497**
4	UNION BANK OF INDIA	39	35	36	110	140
5	CANARA BANK	44	28	50	122	111
6	CENTRAL BANK OF INDIA	8	13	20	41	16
7	PUNJAB AND SIND BANK	16	12	16	44	32
8	UCO BANK	19	24	14	57	51
9	INDIAN OVERSEAS BANK	20	11	14	45	34
10	BANK OF INDIA	11	16	10	37	25
11	INDIAN BANK	10	18	22	50	21
12	BANK OF MAHARASHTRA	0	2	6	8	7
	Total Non-Lead Banks	**167**	**159**	**188**	**514**	**437**
	Total N. Banks (A + B)	**659**	**313**	**374**	**1346**	**1934**
13	UTTARAKHAND G.B	216	41	29	286	7
14	PRATHAMA U.P GRAMIN BANK	1	0	0	1	0
	Total R.R.B.	**217**	**41**	**29**	**287**	**7**
15	CO-OPERATIVE BANK	178	89	66	333	89
	Total Cooperative	**178**	**89**	**66**	**333**	**89**
	Total (C+D+E)	**1054**	**443**	**469**	**1966**	**2030**
16	THE NAINITAL BANK LTD	51	24	21	96	0
17	AXIS BANK	12	18	25	55	144
18	ICICI BANK	4	14	20	38	92
19	IDBI BANK	10	13	8	31	56
20	HDFC BANK	21	27	32	80	203
21	J & K BANK	0	0	3	3	2
22	FEDERAL BANK	0	0	1	1	0
23	INDUSIND BANK	4	7	9	20	28
24	SOUTH INDIAN BANK	0	0	1	1	1
25	KARNATAKA BANK	0	0	4	4	5
26	YES BANK	5	4	8	17	15
27	KOTAK MAHINDRA BANK	0	3	8	11	9
28	BANDHAN BANK	6	18	15	39	6
29	IDFC FIRST BANK	0	0	6	6	3
	Total Private Bank	**113**	**128**	**161**	**402**	**564**
30	UJJIVAN SMALL FIN. BANK	0	1	3	4	4
31	UTKARSH SMALL FIN. BANK	4	9	10	23	8
32	JANA SMALL FIN. BANK	0	0	2	2	1
	SMALL FINANCE BANK	**4**	**10**	**15**	**29**	**13**
	Total All Bank	**1171**	**581**	**645**	**2397**	**2607**

DISTRICT WISE Progress under PMJDY AS ON 30.9.2022

(No. in Actual and Amount in Crore)

SR.	Name of District	Rural	Urban	Male	Female	Total	Zero Balance A/c	Deposits held in the A/c	Rupay Card Issued	Rupay Card Activated	Aadhaar Seeded
1	RUDRA PRAYAG	74580	226	29410	45365	74806	1741	69.58	63408	41056	47080
2	BAGESHWAR	50284	147	20414	29889	50431	2577	37.59	28329	31171	36665
3	PITHORAGARH	63491	12435	42925	45392	75926	4597	59.53	53835	44461	62042
4	ALMORA	140745	14908	65990	97541	155653	5093	159.21	133357	77157	122765
5	CHAMOLI	83422	30613	55300	62907	114035	3475	100.27	102318	59031	80258
6	DEHRADUN	539907	685051	616755	632347	1224958	46818	896.31	1240921	657496	933708
7	HARIDWAR	797632	956699	909102	895690	1754331	60355	881.96	1603203	805776	1412299
8	PAURI GARHWAL	110069	31903	67451	87243	141972	8411	126.78	116871	69449	110509
9	CHAMPAWAT	44895	46672	39046	58360	91567	3887	74.37	83553	49505	78120
10	NAINITAL	156802	164691	147816	187896	321493	18587	275.71	238341	141102	261362
11	TEHRI GARHWAL	142996	12555	67301	93066	155551	5330	138.28	119883	108388	121133
12	UDAM SINGH NAGAR	361360	745687	607564	632185	1107047	58195	562.31	1003058	537079	1041782
13	UTTAR KASHI	142073	21594	72223	94907	163667	3905	105.78	155755	80313	108450
		2708256	**2723181**	**2741297**	**2962788**	**5431437**	**222971**	**3487.68**	**4942832**	**2701984**	**4416173**

जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में जनपदवार बजट प्राविधान

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	2013–14 अनुमोदित बजट प्रावि.	2014–15 अनुमोदित बजट प्रावि.	2015–16 अनुमोदित बजट प्रावि.	2016–17 अनुमोदित बजट प्रावि.	2017–18 अनुमोदित बजट प्रावि.	2018–19 अनुमोदित बजट प्रावि.	2019–20 अनुमोदित बजट प्रावि.	2020–21 अनुमोदित बजट प्रावि.	2021–22 अनुमोदित बजट प्रावि.	2022–23 अनुमोदित बजट प्रावि.
1	नैनीताल	8	5265.00	5265.00	5122.67	5122.67	3510.00	3861.00	4247.00	4672.00	4906.00	5151.00
2	उधमसिंहनगर	7	5565.00	5565.00	5194.00	5194.00	3710.00	4081.00	4489.00	4938.00	5185.00	5444.00
3	अल्मोड़ा	11	5607.00	5607.00	5233.20	5233.20	3738.00	4112.00	4523.00	4975.00	5224.00	5485.00
4	पिथौरागढ़	8	5384.00	5384.00	5025.07	5025.07	3589.00	3948.00	4343.00	4777.00	5016.00	5267.00
5	बागेश्वर	3	4473.00	4473.00	4174.80	4174.80	2982.00	3280.00	3608.00	3969.00	4167.00	4375.00
6	चम्पावत	4	4377.00	4377.00	4085.19	4085.19	2918.00	3210.00	3531.00	3884.00	4078.00	4282.00
7	देहरादून	6	7461.00	7461.00	6963.60	6963.60	4974.00	5471.00	6018.00	6620.00	6951.00	7299.00
8	पौड़ी	15	9000.00	9000.00	8400.00	8400.00	6000.00	6600.00	7260.00	7986.00	8385.00	8804.00
9	टिहरी	9	7141.00	7141.00	6664.93	6664.93	4761.00	5237.00	5761.00	6337.00	6654.00	6987.00
10	चमोली	9	5571.00	5571.00	5199.60	5199.60	3714.00	4085.00	4494.00	4943.00	5190.00	5450.00
11	उत्तरकाशी	6	5742.00	5742.00	5359.20	5359.20	3828.00	4211.00	4632.00	5095.00	5350.00	5618.00
12	रूद्रप्रयाग	3	4362.00	4362.00	4071.19	4071.19	2908.00	3199.00	3519.00	3871.00	4065.00	4268.00
13	हरिद्वार	6	5052.00	5052.00	4715.20	4715.20	3368.00	3705.00	4075.00	4483.00	4707.00	4942.00
	योग	95	75000.00	75000.00	70208.65	70208.65	50000.00	55000.00	60500.00	66550.00	69878.00	73372.00

अभिनव प्रयोग

उत्तराखण्ड सरकार

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

उत्तराखण्ड सरकार

100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001

दूरभाष/फैक्स: 0135–2712604

ई–मेल: dirdesuk@gmail.com, dir-des-uk@nic.in

वेबसाईट: www.des.uk.gov.in